चतुर्दश माला, खंड 8, अंक 15

शुक्रवार, 18 मार्च, 2005
27 फाल्गुन, 1926 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 8 में अंक 11 से 20 तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 58
Dated 21/12/05

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र.ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

अरूणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 8, चौथा सत्र, 2005/1926 (शक)]

अंक 15, शुक्रवार, 18 मार्च, 2005/27 फाल्गुन, 1926 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 221 से 226 और 228	1-39
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 227 और 229 से 240	40-64
अतारांकित प्रश्न संख्या 2376 से 2590	65-365
सभा पटल पर रखे गए पत्र	365-374
राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक	375
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	
चौथा और पांचवां प्रतिवेदन	376
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति	
तीसरा प्रतिवेदन	376-377
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
डा. दासरि नारायण राव	376-377
कार्यमंत्रणा समिति के नौवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	377-378
पेटेंट (संशोधन) विधेयक, 2005	378-385
पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला व्याख्यात्मक विवरण	
श्री कमल नाथ	386
नियम 377 के अधीन मामले	386-394
(एक) तमिलनाडु तथा देश के अन्य भागों में सुनामी पीड़ितों को क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री जे.एम. आरून रशीद	386-387

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

(दो) उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में मसूरी में गैस आधारित विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए अर्जित की जा रही भूमि हेतु किसानों को पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान करके उनके हितों का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल 387

(तीन) केन्द्रीय सड़क निधि से मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती प्रतिभा सिंह 387-388

(चार) सौराष्ट्र में बड़ी रेल लाइन बिछाए जाने तथा गुजरात के अमरेली जिले में और अधिक कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

श्री वी.के. ठुम्मर 388

(पाच) छत्तीसगढ़ के विख्यात संत गुरू घासीदास जी की 18 दिसम्बर को पड़ने वाली जयंती को ''सार्वजनिक अवकाश'' घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नूलाल मोहले 388-389

(छह) बिहार के कटिहार जिले में बार-बार आने वाली बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए इस क्षेत्र में बहने वाली नदियों पर ऊंचे बांधों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री निखिल कुमार चौधरी 389

(सात) राजस्थान में तेल शोधक कारखाना स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव 389-390

(आठ) जल संसाधन मंत्रालय के बरेली यूनिट कार्यालय को रांची स्थानांतरित करने के निर्णय को निरस्त किए जाने की आवश्यकता

श्री संतोष गंगवार 390

(नौ) पश्चिमी बंगाल में झांजरा खान परियोजना के आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त धनराशि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां 390-391

(दस) उत्तर प्रदेश के पुलिस वायरलेस विभाग के कर्मचारियों को उत्तरांचल स्थानांतरित करने के निर्णय को वापस लिए जाने की आवश्यकता

श्री हरिकेवल प्रसाद 391

(ग्यारह) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-104 के निर्माण तथा उसके लम्बित कार्यों को शीघ्र पूरा कराने के लिए पर्याप्त निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री सीताराम सिंह 391-392

(बारह) उत्तर प्रदेश के उन्नाव संसदीय क्षेत्र में एक रेल कारखाना स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री ब्रजेश पाठक 392

विषय	कॉलम
(तेरह) सिंधु दुर्ग और रत्नागिरी को महाराष्ट्र के सर्वाधिक पिछड़े जिलों के रूप में घोषित किए जाने तथा उन्हें 'काम के बदले अनाज' के राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	392
(चौदह) उड़ीसा में प्राथमिक विद्यालय स्तर पर बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाली अनुसूचित जनजाति के छात्रों की बढ़ती दर को रोके जाने की आवश्यकता	
श्री सुग्रीव सिंह	392-393
(पन्द्रह) पश्चिमी बंगाल में उत्तरी चौबीस परगना जिले के बसीरहाट उपखंड के अंतर्गत धोजादंगा (इतिन्दा घाट) में समुचित बुनियादी ढांचे की सुविधाओं का विकास किए जाने की आवश्यकता	
श्री अजय चक्रवर्ती	393-394
गोवा बजट, 2005-2006—सामान्य चर्चा	
लेखानुदानों की मांगें (गोवा), 2005-06	
और	
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (गोवा), 2004-2005	398-417
श्री श्रीपाद येसो नाईक	407-412
श्री अलीमाऊ चर्चील	412-414
श्री मोहन सिंह	414-415
श्री पी. चिदम्बरम	415-416
गोवा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2005	417-419
विचार करने के लिए प्रस्ताव	418
श्री पी. चिदम्बरम	418
खंड 2, 3 और 1	418
पारित करने के लिए प्रस्ताव	419
गोवा विनियोग विधेयक, 2005	419-420
विचार करने के लिए प्रस्ताव	419
श्री पी. चिदम्बरम	419
खंड 2, 3 और 1	420
पारित करने के लिए प्रस्ताव	420
गोवा राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा का अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प	420-496
श्री शिवराज वि. पाटील	421-423, 486-490, 491-496
श्री लालकृष्ण आडवाणी	423-429, 490-491

विषय		कॉलम
	श्री अलीमाऊ चर्चील	430-433
	श्री टी.के. हमजा	433-435
	श्री मोहन सिंह	435-438
	श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	438-445
	श्री खारबेल स्वाईं	445-455
	श्री पवन कुमार बंसल	455-461
	श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी	461-465
	श्री बृज किशोर त्रिपाठी	465-467
	श्री अनन्त कुमार	468-473
	श्री एल. राजगोपाल	473-478
	श्री किन्जरपु येरननायडु	478-481
	श्री मधुसूदन मिस्त्री	481-484
	श्री तथागत सत्पथी	484-486
अनुबंध-I		
	तारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका	497
	अतारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका	498-504
अनुबंध-II		
	तारांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका	505-506
	अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका	505-506

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

शुक्रवार, 18 मार्च, 2005/27 फाल्गुन, 1926 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 221, श्री हन्नान मोल्लाह।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत

*221. **श्री हन्नान मोल्लाह:** क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के इष्टतम उपयोग के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

[हिन्दी]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (ग) एक विवरण सदन-पटल पर रखा है।

विवरण

(क) से (ग) समूचे देश में अक्षय ऊर्जा प्रणालियों/युक्तियों की स्थापना में सहायता के लिए मंत्रालय के पास अनेक स्कीमें/कार्यक्रम हैं। इसमें से कुछ के अतंर्गत, यह राज्य सरकारों, प्रमोटरों या घरों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है, घरों को राज्य सरकारों के माध्यम से सहायता दी जाती है। जबकि प्रमोटरों से प्रस्ताव अक्षय ऊर्जा की राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से प्राप्त होते हैं, घरों/व्यक्तियों की पहचान और चयन, केन्द्रीय वित्तीय सहायता का वितरण, और घर/व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाओं हेतु अक्षय ऊर्जा प्रणालियों/युक्तियों की स्थापना का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। प्रमोटरों से केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव अनिवार्यता ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत परियोजनाओं के क्षेत्र में आते हैं। देश में अक्षय ऊर्जा स्रोतों जैसे पवन, लघु पनबिजली और बायोमास से विद्युत उत्पादन की अनुमानित संभाव्यता लगभग 80,000 मे.वा. है। दिनांक 31.12.2004 के अनुसार लगभग 5500 मे.वा. ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत उत्पादन संस्थापित क्षमता स्थापित की गई है। 10वीं और 11वीं योजना अवधि के दौरान अतिरिक्त ग्रिड-इंटरएक्टिव विद्युत संस्थापित क्षमता का लगभग 10 प्रतिशत अक्षय स्रोतों से स्थापित किए जाने का उद्देश्य है। 10वीं योजना (31.12.2004 तक) के प्रारंभिक दो वर्षों और नौ महीनों के दौरान 15% अतिरिक्त ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत क्षमता अर्थात् 1990 मे.वा. कमीशन की गई। इसमें से दो-तिहाई अथवा 10% केवल पवन विद्युत से प्राप्त हुई है, शेष 5%, लघु पनबिजली (2%) तथा बायो ऊर्जा (3%) से प्राप्त हुई है।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह: महोदय, इस प्रश्न का दिया गया जवाब बहुत सामान्य सा है। अनुपूरक प्रश्न पूछने से पहले मैं, माननीय मंत्री जी के ध्यान में एक बात लाना चाहूंगा कि राजग सरकार के शासनकाल में जुलाई में दिये गए एक जवाब के अनुसार केवल उन पांच या छह राज्यों में ही जहां उनकी अपनी पार्टी सत्ता में थी, अधिकतम स्थापित क्षमता प्राप्त थी और अन्य राज्यों की उपेक्षा की गयी थी। मैं माननीय मंत्री महोदय से इस मामले की पड़ताल करने का आग्रह करूंगा कि ऐसी स्थिति फिर भविष्य में उत्पन्न न हो।

जहां तक अपारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन का संबंध है इसमें पश्चिम बंगाल का कार्य काफी अच्छा रहा। इसकी सफलता के कारण राज्य के विभिन्न हिस्सों से इस संबंध में काफी प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। सरकार ने अपारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन हेतु काफी ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। परन्तु पिछले दो वर्षों में स्वीकृत धनराशि में कमी आ रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या प्रस्तुत किये गये सभी प्रस्तावों को स्वीकृति दी जाएगी। विभिन्न राज्यों में, विशेषकर अलग-थलग पड़े क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान दिया जाता। पश्चिम बंगाल का सुंदरबन क्षेत्र एक अलग द्वीप है। इस क्षेत्र में 40 लाख लोग रह रहे हैं। उन्हें पारंपरिक स्रोतों से विद्युत नहीं मिल रही है। तो क्या आप सुंदरवन जो कि एक पृथक क्षेत्र है में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की अधिक क्षमता स्थापित करेंगे ताकि वहां के लोगों की विद्युत संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार: अध्यक्ष जी, जैसा सम्मानित सदस्य ने कहा है कि कुछ राज्यों की तरफ दुर्लक्ष हुआ है, नेग्लिजेंस हुआ है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। जहां तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य का अभिनंदन करना चाहता हूं और उनके राज्य का भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में आपके राज्य ने बहुत प्रगति की है। अन्य राज्यों के लिए यह एक आदर्श राज्य है। जैसा आपने पश्चिम बंगाल की योजनाओं के बारे में उल्लेख किया, मैं बताना चाहता हूं कि उनमें भी उस राज्य ने बहुत प्रगति की है। इस राज्य के स्माल हाइड्रो का जो टोटल पोटेंशियल है, वह 183 मेगावाट है। उसमें से 92.28 मेगावाट, नियरली 50 पर्सेंट, आपने एचीव किया है, जबकि नेशनल एवरेज दस पर्सेंट है। उसी तरह जो रिमोट विलेज इलेक्ट्रीफिकेशन प्रोग्राम है, उसमें नेशनल एवरेज जहां सात पर्सेंट है, लेकिन पश्चिम बंगाल में 60 प्रतिशत एचीवमेंट है। हमारे मंत्रालय की भी जो एचीवमैंट है, उसमें आपके राज्य का बहुत बड़ा योगदान है। कुल 1436 रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफाई होने हैं, उनमें से 897 पर काम हुआ है, बाकी पाइप लाइन में हैं और उन पर काम हो रहा है। आपने सुन्दरबन का उल्लेख किया। वहां गोसाबा और छोटा मुलाखाली में 500 किलोवाट का पावर प्लांट लगाने का काम हुआ है।

सुन्दरबन अपने आप में देश के लिए एक उदारहरण बना है। मैं समझता हूं कि जितनी भी योजनाएं राज्य सरकार की तरफ से आती हैं, जैसा आपने उल्लेख किया है, उन पर ध्यान देने का कार्य, हमारा मंत्रालय कर रहा है। माननीय सदस्य अगर किसी विशेष योजना की तरफ ध्यान दिलाएंगे, तो हमारा मंत्रालय उस पर पूरा ध्यान देगा।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह: मेरा दूसरा प्रश्न यह है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी काफी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में यदि हम कम लागत वाली और अधिक उत्पादन क्षमता वाली अधिक उन्नत प्रौद्योगिकी प्राप्त करना चाहें तो इस क्षेत्र में कौन सी बेहतर प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होगी। बेहतर प्रौद्योगिकी प्राप्त करने तथा अर्थव्यवस्था में ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या किया जा रहा है?

एक अन्य समस्या सीमा क्षेत्र की है। दार्जिलिंग जिला, सिक्किम की सीमा पर स्थित है। यह एक पहाड़ी क्षेत्र है। सीमा के इस तरफ एक घर को इस पर अधिकतम रियायत दी जा रही है और अगले घर, जो कि सिक्किम की सीमा तथा दार्जिलिंग जिले में आता है को पूरा शुल्क देना पड़ रहा है। अत: मेरी यह प्रार्थना है कि इस रियायत को दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्र और अन्य पृथक पड़े क्षेत्रों तक बढ़ाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार: टेक्नोलाजी के बारे में माननीय सदस्य ने जो बात कही, वह आन-गोइंग प्रोसेस है। दुनिया भर में टेक्नोलाजी विकास के अलग-अलग प्रयास चल रहे हैं। जहां तक हमारे मंत्रालय द्वारा, ऐसे प्रस्तावों का समर्थन करने का सवाल है, जो भी प्रस्ताव हमारे मंत्रालय के सामने आते हैं, उनका हम समर्थन करते हैं, वित्तीय सहायता देते हैं और उन्हें एनकरेज करते हैं। आपने दार्जिलिंग की पहाड़ियों को, विशेष श्रेणी में आने वाले क्षेत्र के रूप में घोषित करने की बात कही है। किसी भी राज्य क्षेत्र को विशेष श्रेणी में घोषित करने का दायित्व योजना आयोग का है, लेकिन हम महसूस करते हैं कि दार्जिलिंग को इस श्रेणी में लाया जा सकता है और हम अपनी ओर से इसके लिए प्रयास करेंगे।

[अनुवाद]

श्री दुष्यंत सिंह: मैं जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्र सरकार ने अपारंपरिक स्रोतों से विद्युत उत्पादन की सम्भावनाओं के बारे में कोई राज्यवार अध्ययन कराया है। यदि हां, तो राजस्थान में पवन ऊर्जा तथा बायोमास से ऊर्जा उत्पादन की सम्भावनाओं का दोहन करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाये जा रहे हैं जिससे हमारे राज्य में विद्युत उत्पादन की अतिरिक्त प्राप्ति होगी। मंत्री महोदय इसके साथ ही संप्रग सरकार के भारत निर्माण के आदर्श के माध्यम से आप प्रत्येक गांव में विद्युत प्रदान करने जा रहे हैं जिसमें अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत से विद्युत उत्पादन सहायक होगा। इसमें राजस्थान के लिए क्या किया जा रहा है?

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार: सर, बायोमास अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एक डिवाइस है और इसके विकास के लिए राज्य सरकारों से जो भी प्रस्ताव आते हैं, उन्हें देखने का और उनकी तरफ से अगर रिकमेंडेशन्स ठीक से आती हैं तो उन्हें मंजूर करने का काम हमारा मंत्रालय करता है। इसमें राजस्थान को भी मदद दी गयी है और जो भी प्रस्ताव राजस्थान गवर्नमेंट से आये हैं, उन्हें देखने और मदद करने का काम हमारा मंत्रालय करेगा। अगर किसी विशेष प्रस्ताव में माननीय सदस्य की रुचि हो तो आप हमें उसकी जानकारी दे दें।

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: बायो ऊर्जा और बायो गैस हमारे देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के प्रमुख घटक है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, खाना पकाने के ईंधन और अन्य विद्युत आवश्यकताओं

की पूर्ति हो सकेगी अब हमारे यहां प्रति वर्ष कम से कम एक लाख बायो संयंत्रों का निर्माण करने की सम्भावना है। हमें हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए कम से कम 5 करोड़ रुपयों की आवश्यकता है। बायोगैस संयंत्रों का अपशिष्ट जैव कृषि के लिए एक उत्तम खाद है। ऐसी रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं कि अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय इस विशिष्ट परियोजना के लिए बहुत इच्छुक नहीं है। अगले वर्ष के लिए मात्र 12,000 संयंत्रों का लक्ष्य रखा गया है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय इस क्षेत्र विशेष में संयंत्रों के निर्माण का कार्य समाप्त कर रहा है और यदि इस संबंध में पहले ही कोई निर्णय लिया जा चुका है तो क्या माननीय मंत्री जी ग्रामीण क्षेत्र में बायोगैस संयंत्रों के निर्माण की इस विशेष परियोजना को फिर से शुरू किये जाने पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार: अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले सदस्य महोदय को बताना चाहूंगा कि बायोगैस का कार्यक्रम बंद नहीं हुआ है। वर्ष 1984 से अब तक पूरे देश में 35 लाख बायोगैस संयंत्र लगाए गए हैं और वर्ष 2001 की सेंसस के मुताबिक, उनमें से लगभग आठ से नौ लाख संयंत्र चल रहे हैं। अभी इस कार्यक्रम के तहत 1,300 संयंत्रों का क्रियान्वयन किया जा रहा है और इसमें केरल का बहुत बड़ा योगदान है। यह योजना बंद नहीं की गयी है, चल रही है और इसे आगे भी चलाने का सरकार का पूरा इरादा है।

[अनुवाद]

श्री सनत कुमार मंडल: अध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भेजा गया प्रस्ताव जो कि दुर्गाद्वानी मिनी ज्वारीय विद्युत परियोजना से संबंधित है, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक मानी गयी है। यदि हां, तो मैं केन्द्र सरकार द्वारा इस परियोजना हेतु दी जाने वाली वित्तीय सहायता की अद्यतन स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार: महोदय, पश्चिम बंगाल की दुर्गाद्वानी मिनी ज्वारीय विद्युत परियोजना पूरे देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है। उससे संबंधित जो प्रस्ताव राज्य सरकार की तरफ से हमारे पास आया है, उसकी डीपीआर तैयार करने के लिए हमारे मंत्रालय ने उन्हें मदद दी है। 3.65 मेगावाट की क्षमता वाली इस परियोजना पर 38.03 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है और ग्रिड विस्तार के लिए इस पर 5.75 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके लिए हम वित्तीय सहायता भी देंगे, लेकिन परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन करने के लिए यह अभी राज्य सरकार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विचाराधीन है। उसके बाद यह परियोजना केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के सामने आएगी और वहां से अनुमति मिलने के बाद ही इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री जसुभाई दाणाभाई बारड़: महोदय, पवनचक्कियों के माध्यम से जो ऊर्जा का स्रोत मिलता है, गुजरात में बहुत-से इलाके ऐसे हैं, जहां इन्हें लगाया जा सकता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर कोई किसान, अपनी खपत को ध्यान में रखते हुए, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करते हुए, 2 एचपी या 5 एचपी या 10 एचपी की पवनचक्की अपने खेत में लगाकर, खपत को पूरा करना चाहता है तो सरकार की ओर से क्या उसे कोई सहायता या अनुदान दिया जाएगा?

श्री विलास मुत्तेमवार: अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले बताया कि कोई भी प्रस्ताव, चाहे वह व्यक्तिगत प्रमोटर्स का हो, या राज्य सरकार का हो, यदि राज्य सरकार के माध्यम से आता है, तभी उस पर विचार करके हमारा मंत्रालय वित्तीय सहायता देने के बारे में निर्णय लेता है। यह बात सही है कि गुजरात में विंड पोटेंशियल ज्यादा है और यदि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव आता है तो हम उस पर विचार करेंगे।

श्रीमती गीता पटैरिया: माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या मध्य प्रदेश सरकार के गैर-पारम्परिक ऊर्जा विभाग की ओर से, प्रदेश के 37 दुर्गम क्षेत्रों में विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने से संबंधित कोई प्रस्ताव आपके मंत्रालय को भेजा गया है? यदि भेजा गया है तो उसकी कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी? क्या यह भी सही है कि ग्रामीण विद्युतीकरण की नीति के अनुसार 40 प्रतिशत अनुदान एवं 60 प्रतिशत ऋण के रूप में वित्तीय सहायता निर्धारित है? यदि हां, तो केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए उस अनुदान को 40 प्रतिशत से अधिक करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कितने प्रतिशत अधिक अनुदान बढ़ाए जाने का विचार है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: तीन अनुपूरक प्रश्न।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार: अध्यक्ष महोदय, हम दूरस्थ ग्रामों के लिए, इस योजना के अनुसार नार्थ ईस्टर्न और हिली एरियाज को 90 परसैंट तक सबसिडी देते हैं, जबकि दूसरे गांवों को 50 परसैंट तक सबसिडी देते हैं। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में भी दुर्गम गांवों को इलैक्ट्रिफाई करने का काम हुआ है और वह अभी भी चल रहा है। कुछ प्रस्तावों में दिक्कतें आ गई थीं, इसलिए काम रुक गया था लेकिन मध्य प्रदेश में दुर्गम गांवों को इलैक्ट्रिफाइड करने का काम जारी रहेगा।

[अनुवाद]

श्री बी. विनोद कुमार: महोदय, दिये गए जवाब के अनुसार अक्षय ऊर्जा क्षेत्र से विद्युत उत्पादन की अनुमानित सम्भावना 80,000 मेगावाट है। 31.12.2004 की तारीख तक उपलब्धि मात्र 5,500 मेगावाट ही रही। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अनुमानित सम्भावनाओं के दोहन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से परामर्श के बाद क्या मंत्रालय द्वारा कोई विशिष्ट कार्यक्रम बनाया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार: अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने उत्तर में कहा कि हमारा मंत्रालय सभी राज्य सरकारों से इस बारे में बराबर बात और वार्तालाप करता रहता है। रिन्यूएबल एनर्जी के पोटैंशियल को एक्सपलायट करने की जिम्मेदारी पूर्णत: राज्य सरकारों की है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जी हां, आपने इसका जवाब दे दिया है।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार: राज्य सरकारों की तरफ से प्रस्ताव आने के बाद, अगर वह पर्याप्त है और योजना के अनुरूप है, तो उसे मान्यता दी जाती है। रिन्युएबल सोर्स, जो एक तरह से आल्टरनेटिव सोर्स आफ फ्यूचर पावर है, उसे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं हमारे मंत्रालय की तरफ से जारी हो रही हैं। हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो 5500 मेगावाट की इनस्टाल कैपेसिटी है, उसे और बढ़ाने का प्रयास किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मुन्शी राम, यदि आपका कोई विशिष्ट प्रस्ताव है तो आप पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मुन्शी राम: अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है लेकिन वहां ऐसे केवल आठ प्रोजैक्ट हैं। उन 8 प्रौजैक्ट्स में से केवल एक प्रोजैक्ट पर काम चल रहा है। क्या इतने बड़े प्रदेश में मात्र आठ प्रोजैक्ट काफी हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश के मुकाबले, 50 प्रतिशत से भी ज्यादा पैदावार होती है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने कहा है कि उन्हें प्रस्तावों की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री मुन्शी राम: अध्यक्ष महोदय, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कोई नया प्रोजैक्ट विचाराधीन है? उत्तर प्रदेश के लिए केवल आठ प्रोजैक्ट दिए गए हैं, क्या मेरे लोक सभा क्षेत्र बिजनौर में कोई प्रोजैक्ट शुरू करने की योजना है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, क्या आपके पास इस बारे में सूचना है।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार: अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि हमारे पास प्रस्ताव भेजने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है। अगर वह प्रस्ताव फिजिबल और पालिसी के मुताबिक है तो उसे मान्यता दी जाती है। आप कौन से आठ प्रस्तावों की बात कर रहे हैं, अगर वे बता देंगे तो मैं उन्हें विस्तार सहित बता दूंगा। आपने अपने क्षेत्र के बारे में कहा है। आप किस प्रकार के प्रोजैक्ट लाना चाहते हैं? अगर अपनी रुचि के बारे में बताएंगे, तो मैं आपकी अवश्य मदद करूंगा।

[अनुवाद]

श्रीमती अर्चना नायक: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या मंत्रालय को अपारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र में सुलभ इंटरनेशनल की प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी है और क्या किसी राज्य में इसका कार्यान्वयन किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: क्या सुलभ इंटरनेशनल के पास विद्युत उत्पादन की कोई प्रौद्योगिकी है?

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार: सुलभ इंटरनेशनल की तरफ से जो भी प्रकल्प लगाए जाते हैं, मेरा आग्रह है कि उन पर आप सोलर पैनल लगाएं और जो भी बिजली वहां लगती है, उसका उपयोग करें, वरना इस प्रकार का कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं मंत्री महोदय का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस मामले को बहुत अच्छी तरह निपटाया।

[हिन्दी]

खनिजों की खोज

***222. श्री राम सिंह कस्वां:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में लोहे, सोने, चांदी और हीरे के खनिज भंडार पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन खनिजों की खोज के लिए सरकार द्वारा क्या योजनाएं तैयार की गई हैं?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.), राज्यों के भू-विज्ञान और खनन निदेशालयों (डी.जी.एम्स.) और खनिज गवेषण निगम लिमिटेड (एम ई सी एल) जैसी गवेषण एजेंसियों ने विभिन्न राज्यों में लोहे और स्वर्ण के भण्डार प्रमाणित किए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के दौरान लोहे और सोने के भण्डार प्रमाणित किए गए और हीरे, सोने और चांदी का व्यापक गवेषण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार किया गया:

लौह अयस्क

पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कुल 121.46 मिलियन टन लौह अयस्क भण्डारों का अनुमान लगाया गया है।

स्वर्ण

पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कुल 21.044 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क का अनुमान लगाया गया है।

हीरा और चांदी

पिछले तीन वर्षों के दौरान हीरे और चांदी के किसी भण्डार का अनुमान नहीं लगाया गया। देश में चांदी की कोई खान नहीं है तथापि, राजस्थान में खेतड़ी और जावर क्षेत्रों और मध्य प्रदेश में मलंजखंड में तांबा, सीसा और जस्ता के पोली मेटेलिक निक्षेपों से उपोत्पाद के रूप में चांदी प्राप्त की जा रही है। यह हट्टी गोल्ड माइन्स, कर्नाटक में स्वर्ण परिष्करण के दौरान सह-उत्पाद के रूप में भी प्राप्त होती है।

(ग) सरकार लौह अयस्क, स्वर्ण, हीरे और चांदी के गवेषण के लिए अपनी स्कीमों को अपनी अधीनस्थ कार्यालय भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अलावा राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से क्रियान्वित करती है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश के विभिन्न भागों में खनिजों के गवेषण के लिए स्कीमों को अंतिम रूप दिया है। सरकार इच्छुक निजी उद्यमियों को खनिजों के गवेषण के लिए टोही परमिट तथा पूर्वेक्षण लाइसेंस भी प्रदान करती है। राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 के अनुसार, सभी गैर-ईंधन और गैर-परमाणु खनिजों के गवेषण और विदोहन को निजी निवेश के लिए खोल दिया गया है।

श्री राम सिंह कस्वां: अध्यक्ष महोदय, खनिजों की दृष्टि से राजस्थान बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है। राजस्थान में देश का 90 परसेंट मार्बल मिलता है और वहां तेल और गैस के अथाह भंडार हैं। अभी वहां सोना भी मिला है, लेकिन जिस ढंग से उसका दोहन होना चाहिए, उसका दोहन नहीं हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? राजस्थान में सोना कहां-कहां मिला है और किस मात्रा में मिला है? इस काम को कब तक शुरू किया जाएगा?

जहां तक तांबे की बात है, खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट आपके क्षेत्र का सबसे बड़ा संस्थान है। उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? राजस्थान में तांबा कहां-कहां मिला है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप पांच प्रश्न एक साथ नहीं पूछ सकते।

श्री शीश राम ओला: अध्यक्ष महोदय, जहां तक सोने का सवाल है, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा क्षेत्र में जीएसआई को सर्वे के

दौरान सोना होने की जानकारी मिली है, परंतु आज यह नहीं कहा जा सकता कि वह लाभप्रद है अथवा नहीं। पूरा सर्वे करने में थोड़ा वक्त लगेगा। जहां तक खेतड़ी तांबा प्रोजेक्ट का सवाल है, यूपीए सरकार की यह नीति है कि जो कारखाना सरकार के अधीन है और वह लाभप्रद है तो उसे बंद नहीं किया जाएगा। वही स्थिति खेतड़ी तांबा प्रोजेक्ट की है और वही नीति उस पर भी लागू होती है। उसमें अभी लाभ हो रहा है इसलिए सरकार की मंशा नहीं है कि उसे बंद किया जाए।

श्री राम सिंह कस्वां: मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं क्या यह सही है कि माइनर मिनरल दोहन के लिए पर्यावरण विभाग से एनओसी लेने की आवश्यकता होती है, जबकि मेजर मिनरल्स के लिए नहीं होती है। यह भेदभाव क्यों है? जबकि इसका उल्टा होना चाहिए कि मेजर मिनरल्स के लिए एनओसी जरूरी होनी चाहिए और माइनर मिनरल्स के लिए नहीं होनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि इस भेदभाव को कैसे मिटाया जा रहा है?

श्री शीश राम ओला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है, फिर भी यदि वह जानकारी चाहेंगे तो मैं निश्चित रूप से उन्हें जानकारी दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: आप स्पेसिफिक प्रश्न भेजिए।

[अनुवाद]

श्री एन.एन. कृष्णदास: महोदय, हाल ही में खनन एवं भू-विज्ञान विभाग का एक टिप्पण कुछ समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है कि उसे केरल के कुछ भागों विशेषकर अट्टापदी वैली, जो कि मेरे संसदीय क्षेत्र में हैं, में स्वर्ण भंडारों का पता लगा है। मैं आपके माध्यम से क्या मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि यह सच है या नहीं। यदि यह सच है तो उस क्षेत्र में खनन प्रक्रिया शुरू करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं? यदि यह निजी क्षेत्र में है तो सरकार द्वारा इस परिसम्पत्ति का अधिग्रहण करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है?

अध्यक्ष महोदय: क्या आपको इसकी कोई सूचना मिली है?

[हिन्दी]

श्री शीश राम ओला: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न भी मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है। इसमें ऐसा कुछ नहीं पूछा गया है फिर भी मैं माननीय सदस्य को इसकी जानकारी एकत्र करके अवगत करा दूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक है।

श्री एन.एन. कृष्णदास: यह ठीक है, लेकिन यह मुख्य प्रश्न से संबंधित है। यह मूल प्रश्न से कैसे संबंधित नहीं है? यदि सूचना अभी उपलब्ध नहीं है तो यह हमें बताया जाए, परन्तु यह मूल प्रश्न से बिल्कुल संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय: आपका रवैया काफी सहयोगी है।

[हिन्दी]

श्री शीश राम ओला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मूल प्रश्न माननीय सदस्य को पढ़ कर सुनाता हूं।

अध्यक्ष महोदय: इसकी जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

श्री विक्रम केशरी देव: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उन्हें उड़ीसा राज्य के कालाहांडी जिले तथा छत्तीसगढ़ राज्य में बहुमूल्य रत्नों और हीरे के विशाल क्षेत्र पाये जाने की कोई जानकारी मिली है। मैं उनसे यह भी जानना चाहूंगा कि हीरों की सबसे बड़ी खान 'किम्बरलाईट चीन' का दोहन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया जा रहा है या नहीं। क्या केन्द्र सरकार इसके दोहन के लिए कोई कदम उठा रही है?

मैं यह भी जानना चाहता हूं क्या अंतर्राष्ट्रीय कम्पनी 'डी बीयर्स' ने देवबाग की हीरे की खान तथा कालाहांडी तथा बोलंगीर की अन्य खानों में खनन के लिए आवेदन किया है।

अध्यक्ष महोदय: देव महोदय, कृपया केवल एक प्रश्न पूछिये। मैं जानता हूं कि आप इसमें विशेषज्ञ हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपने अपना प्रश्न बहुमूल्य रत्नों से शुरू किया और आप हीरों की बात करने लगे हैं। आप अपने किस एक प्रश्न का जवाब चाहते हैं? इस प्रश्न के अंतर्गत हीरे आते हैं।

[हिन्दी]

श्री शीश राम ओला: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पुन: निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य का प्रश्न मूल प्रश्न से भिन्न है। फिर भी उन्होंने जो जानकारी चाही है, मैं एकत्र करके उन्हें अवगत करा दूंगा।

[अनुवाद]

श्री विक्रम केशरी देव: मुख्य प्रश्न में ही हीरे की बात कही गयी है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, उन्होंने छत्तीसगढ़ में देवबाग खान का संदर्भ दिया है। आप इसका पता लगायें और उन्हें स्थिति के बारे में जानकारी दें।

...(व्यवधान)

श्री विक्रम केशरी देव: वे मुझे कालाहांडी और बोलनगीर जिलों में अन्य रत्नों के संबंध में भी सूचना दे सकते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: जैमस्टोन का मामला इस प्रश्न में नहीं आता है।

श्री विजय कृष्ण: अध्यक्ष महोदय, सरकार ने स्वीकार किया है कि पिछले तीन वर्षों में हीरे, सोने, चांदी और लोहे के किसी भंडार का अनुमान नहीं लगाया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार हीरे और चांदी की खोज के लिये कोई विशेष कार्य योजना बनायेगी? दूसरा प्रश्न है कि बिहार में जमुई जिले के दो प्रखंडों में सोने की खानें मिली हैं, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या बिहार के जमुई जिले के इन दोनों प्रखंडों के लिये सरकार कोई विशेष कार्य योजना बनायेगी?

श्री शीश राम ओला: माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मैंने पहले निवेदन किया है, संबंधित जानकारी प्राप्त करके माननीय सदस्य को अवगत करा दिया जायेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री महोदय बड़े जागरूक हैं।

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन: माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने यह बात अवश्य सुनी होगी कि तमिलनाडु में खान विभाग के अधिकारियों की हत्या हुई हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया ऐसा नहीं करें। आपको यहां राज्य से संबंधित मामला नहीं उठाना चाहिए। यहां केवल केन्द्र से संबंधित मामले उठाये जाने चाहिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन: महोदय, इन अधिकारियों की हत्या रेत के लारीवालों ने की है। मैं जानना चाहूंगी कि क्या केन्द्रीय मंत्रालय इस बारे में राज्य सरकार को सख्त निर्देश देगी?

अध्यक्ष महोदय: यह केन्द्र से संबंधित मामला नहीं है। आपका प्रश्न अनुमत्य नहीं है। मुझे इसका खेद है।

*...(व्यवधान)**

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, हर अनुपूरक प्रश्न के लिए माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि वे जवाब भेज देंगे।

अध्यक्ष महोदय: स्वाईं महोदय, मैंने कहा है कि आपस में सहयोग होना चाहिए। मैंने माननीय मंत्री जी से आग्रह किया था और वे इससे सहमत हुए कि आपके द्वारा बतायी गयी विशेष परियोजना के विषय में अद्यतन सूचना दे दी जायेगी। यद्यपि आप प्रश्न पूछने में अपनी जगह सही थे।

श्री खारबेल स्वाईं: यदि प्रत्येक प्रश्न के जवाब में यह कहा जाए कि सूचना बाद में दे दी जायेगी तो प्रश्न काल की आवश्यकता ही क्या है?

अध्यक्ष महोदय: भारत में बहुत सी खानें हैं। वे आपके तथा अन्य सभी माननीय सदस्यों के लिए सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं। वे पूरा सहयोग दे रहे हैं।

[हिन्दी]

डा. राजेश मिश्रा: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जीएसआई, डीजीएस, एमईसीएल के माध्यम से सर्वेक्षण कराने की बात कही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन विभिन्न कार्यों के लिये सर्वेक्षण कराये गये हैं, उनके क्या परिणाम आये हैं, क्या सरकार इनका राज्यवार ब्यौरा प्रस्तुत करेगी? मेरा दूसरा प्रश्न विशेषकर उत्तर प्रदेश के संबंध में है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, दूसरा प्रश्न नहीं। विशिष्ट मामलों के बारे में न पूछें। कृपया आम नीति के संबंध में प्रश्न उठायें।

डा. राजेश मिश्रा: मैं उत्तर प्रदेश के बारे में जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में भी कोई सर्वेक्षण कराया है और उन सर्वेक्षणों के माध्यम से क्या सरकार को कोई जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में किस तरह की खदानें पाई जा सकती हैं?

अध्यक्ष महोदय: केवल चार आइटम्स के बारे में बतायें। क्या उत्तर प्रदेश में कुछ मिला है?

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री शीश राम ओला: अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न में किसी विशेष प्रान्त के बारे में पूछा नहीं गया है और सर्वे ...*(व्यवधान)* लेकिन जी.एस.आई. और हमारा विभाग पूरे राष्ट्र में सर्वे करता है। उसके नतीजे आने पर हम कुछ बता पाएंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत अच्छा है। धन्यवाद।

...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी: महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह मेरे संसदीय क्षेत्र तथा खनन से संबंधित है। अत: मुझे एक अनुपूरक प्रश्न की अनुमति दी जाए ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको इस पर बोलने के लिए बाद में अवसर दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कोयले की मांग

*223. **श्री रामजीलाल सुमन:**
श्री बसुदेव आचार्य:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़े कोयला उपभोक्ताओं को देश के अनेक कोयला ब्लाकों में खनन करने का अधिकार देकर कोयले की मांग को पूरा किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या देश के कई बड़े कोयला उपभोक्ताओं ने रक्षित कोयला खानों के लिए आवेदन किया है;

(घ) यदि हां, तो इन आवेदनों की संख्या कितनी है तथा ये आवेदन किस तिथि से विचाराधीन हैं; और

(ङ) इन आवेदनों पर कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (ङ) एक विवरण-पत्र सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां। बड़े कोयला उपभोक्ताओं को देश के कोयला ब्लाकों में खनन करने का अधिकार प्रदान करके देश में उपलब्ध कोयले के ग्रेडों की प्रक्षिप्त मांग को काफी सीमा तक पूरा किया जा सकता है।

(ख) सरकारी कंपनियों/उपक्रमों को कोयला खनन किए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और विद्युत उत्पादन, लोहा, इस्पात और सीमेंट के उत्पादन में लगी कंपनियों को गृहीत खनन हेतु कोयला ब्लाक आवंटित किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में शीघ्र कार्रवाई की गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) गृहीत कोयला ब्लाकों के लिए दिनांक 28.6.2004 तक मंत्रालय में प्राप्त और विचार किए जाने के पात्र आवेदनों की कुल संख्या 140 है। सबसे पुराना आवेदन जनवरी, 1998 का है। इन आवेदनों को निपटाने के लिए जांच समिति, जो कोयला ब्लाकों के आवंटन पर विचार करती है, की बैठक नवम्बर, 2004 के बाद से 5 बार हो चुकी है और उसने 98 आवेदनों पर निर्णय लिया है। शेष आवेदनों का निपटान अप्रैल, 2005 तक कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न के पहले खंड (क) का जवाब मंत्री जी ने दिया है- जी हां, बड़े कोयला उपभोक्ताओं को देश में कोयला खनन करने का अधिकार प्रदान करके देश में उपलब्ध कोयले के ग्रेडों की प्रक्षिप्त मांग को काफी समय के लिए पूरा किया जा सकता है। यह सही है कि देश में कोयले की कमी है और जितनी मांग है, उस मांग के अनुरूप कोयले की पूर्ति नहीं हो पा रही है। मैं आपकी मार्फत जानना चाहता हूं कि कोयले की मांग और पूर्ति को लेकर क्या सरकार अपनी नीति में कोई बदलाव करने वाली है?

[अनुवाद]

डा. दासरि नारायण राव: यह सत्य है, जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा कि हम मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। मांग बढ़ रही है, उत्पादन भी बढ़ रहा है। मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर को पाटने के लिए चालू दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 99 नई कोयला परियोजनाओं पर कार्य शुरू किया गया है। इस सरकार के सत्ता में आने के बाद, हमने तीन प्रमुख परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। वास्तव में 28 प्रमुख परियोजनाएं

स्वीकृति हेतु लंबित थी। अब, दो वर्ष बाद हमने इन जांच समितियों के माध्यम से हमने कैपटिव ब्लाकों के आबंटन का कार्य शुरू किया है। 140 लम्बित परियोजनाओं में से हमने लगभग 90 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इसके साथ ही पांच वर्ष बाद हम प्रतिवर्ष 190 मिलियन टन उत्पादन करने जा रहे हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में हम इस अन्तर को कम कर सकेंगे। इस प्रकार यह हमारी चालू योजना है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, इन योजनाओं के पूरा होने की कोई समय सीमा निश्चित होनी चाहिए। इस मामले में किसी हॉच-पॉच में नहीं रहा जा सकता।

प्रश्न के (घ) और (ङ) के खंड के जवाब में मंत्री महोदय ने कहा है कि गृहीत कोयला ब्लाकों के लिए दि. 28.06.2004 तक मंत्रालय में प्राप्त आवेदनों की संख्या 140 है। इनमें सबसे पुराना आवेदन जनवरी, 1998 का है। महोदय, सात वर्षों में मंत्री जी 140 आवेदनों का निस्तारण नहीं कर सके, जो बहुत गंभीर मामला है। सात-आठ वर्ष हो गये हैं, जिन लोगों ने आवेदन किये हैं, उनके आवेदनों का निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है। सात-आठ वर्ष का समय कम नहीं होता, बहुत है। मैं जानना चाहता हूं कि तत्काल इसमें कोई प्रभावी कार्रवाई करने के लिए आप क्या कर रहे हैं?

[अनुवाद]

डा. दासरि नारायण राव: यह सच है कि 12 वर्षों में हमने 49 कैपटिव ब्लाक आबंटित किये हैं लेकिन पर्यावरण विभाग तथा वन विभाग की स्वीकृति के न मिलने के कारण केवल 6 ब्लाक ही अभी अस्तित्व में आये हैं। एक कोयला परियोजना को स्वीकृति देने में इसे लगभग 10 से 15 वर्ष ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: 10 से 15 वर्ष लगते हैं।

...(व्यवधान)

डा. दासरि नारायण राव: जी हां। ऐसी कतिपय परियोजनाएं हैं। यहां आपके माध्यम से मैं यह बताना चाहूंगा कि इस सरकार के सत्ता में आने के बाद से तीन महीने के दौरान हमने छह जांच समितियों की बैठकें पूरी की हैं। कुल 140 आवेदनों में से 98 आवेदनों पर कैपटिव ब्लाकों हेतु निर्णय लिया गया है।

दो बैठकें अभी और आयोजित की जानी है। मैं समझता हूं कि एक डेढ़ महीने के भीतर हम शेष आवेदनों को भी स्वीकृति प्रदान कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय: आपको ऐसी आशा है। यह मत कहिए कि आप करेंगे। धन्यवाद!

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में बीकानेर शहर के पास कई कोयले की खदानें थीं, परंतु धीरे-धीरे उन ब्लाकों को बंद कर दिया गया। क्या मंत्री महोदय उन खदानों को पुन: चालू करने पर विचार कर रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आपके पास कोई सूचना है।

डा. दासरि नारायण राव: वस्तुत: जब ये व्यापारिक दृष्टिकोण से लाभकारी नहीं रहती तथा सुरक्षा समस्याओं के कारण कतिपय खदानों को बंद किया गया है। मैं समझता हूं कि पर्यावरण संबंधी समस्याओं के कारण इन खदानों को पुन: नहीं खोला जा सकता।

श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: महोदय, कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2000 अभी भी संसद में लम्बित है। इस विधेयक में कोयला उद्योग में निजी क्षेत्र की भागीदारी का प्रावधान किया गया है और अंतिम स्वीकृति दिये जाने के लिए यह मंत्रियों के समूह के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या मंत्रियों के समूह ने इस विधेयक को स्वीकृति दे दी है और यदि हां, तो कब तक इस विधेयक के पारित होने की सम्भावना है।

डा. दासरि नारायण राव: महोदय, यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: आप ठीक कह रहे हैं।

डा. दासरि नारायण राव: माननीय सदस्य की सूचना के लिए मैं बताना चाहूंगा कि यह विधेयक राज्य सभा के समक्ष लम्बित है। समस्या यह है कि ट्रेड यूनियनों तथा वामदलों द्वारा इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है। यदि यह विधेयक पारित हो जाता है और लागू किया जाता है तो इस बात का डर है कि कोयला सीधे बाहर बेचा जा सकता है इससे कोयला के उपयोग करने वालों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अत: वर्तमान में सरकार का इस विधेयक को प्रस्तुत करने का कोई प्रयोजन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा।

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोल ब्लाक्स अलाटमैंट के लिए एक पालिसी बनी हुई है और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कोल ब्लाक्स अलाट किये जाते हैं। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जो कोल ब्लाक्स अलाटमैंट के लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनी है, उस पर पक्षपात करने के आरोप भी लगे हैं। इसके अलावा कई ऐसे उद्योग हैं, जो कागजों पर चल रहे हैं जबकि उन्हें कोल ब्लाक्स मिले हुए हैं। क्या सरकार को इसकी जानकारी है? यदि है, तो क्या सरकार इसकी जांच करके आगे कार्रवाई करना चाहती है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या यह मुख्य प्रश्न से संबंधित है? क्या आपके पास कोई सूचना है?

डा. दासरि नारायण राव: महोदय, यह मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है। फिर भी मैं माननीय सदस्य को इसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। यह जांच समिति केवल कोयला उद्योग के लिए नहीं है। कोयला सचिव इसकी अध्यक्षता करेंगे। रेलवे, इस्पात और विद्युत मंत्रालय के प्रतिनिधि भी जांच समिति में हैं। वे इसकी प्रक्रिया को यथोचित रूप देंगे और इसके अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अब श्री सर्वानन्द सोनोवाल अगला अनुपूरक प्रश्न पूछेंगे। कृपया मुख्य प्रश्न से संबंधित अनुपूरक प्रश्न पूछें। आज मैं उदारता दिखा रहा हूं।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल: महोदय, पूर्वोत्तर में मर्चेंरिटा कोयला खदान से कोयले को अवैध रूप से एकत्रित करके उसे देश के विभिन्न स्थानों पर भेजे जाने की एक रिपोर्ट मिली है। इस संबंध में स्थानीय पुलिस ने कोयला क्षेत्र के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार किया है।

अध्यक्ष महोदय: यह मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है। मुझे खेद है।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल: महोदय, यह कोयला से संबंधित मामला है जो कि एक राष्ट्रीय सम्पत्ति है। कम से कम इस संबंध में माननीय मंत्री जी को जवाब देना चाहिये कि अवैध रूप से कोयले को एकत्रित करके विभिन्न शहरों में भेजने में संलिप्त अधिकारियों को गिरफ्तार करने के लिए क्या उपाय किये गए हैं।

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है कि मैं इस प्रश्न को पूछने की अनुमति नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

श्री भंवर सिंह डांगावास: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि कई जगहों पर कोयला इतना डीग्रेडेड किस्म का है कि उसका खनन नहीं होता। यही कारण है कि गुजरात में कोल इंडिया लिमिटेड ने ओएनजीसी और नैवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन के साथ मिलकर विद्युत उत्पादन का एक प्रोजैक्ट लिया है। राजस्थान में मेढ़ता के पास भी ऐसा कोयला उपलब्ध है। क्या आप वहां भी ऐसा कोई प्रोजैक्ट लेंगे?

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न कैप्टिव माइन्स के बारे में है। उसके बारे में पूछिये।

श्री भंवर सिंह डांगावास: वह कोल माइन्स ही हैं। मैं कोल माइन्स की बात ही कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: इस प्रश्न में कैप्टिव माइन्स की बातें हैं।

[अनुवाद]

माननीय मंत्री जी, आपका इस बारे में क्या विचार है।

डा. दासरि नारायण राव: महोदय, माननीय सदस्य कोयले में राख की मात्रा के बारे में पूछ रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसका मुख्य प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: सर, मैं आपकी इजाजत से, मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमारे यहां कालाकोट में ऐसी ही एक माइन है, जो बन्द पड़ी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उसे आप कब रिवाइव करेंगे, जिससे उस इलाके के लोगों को फायदा हो सके?

अध्यक्ष महोदय: कैप्टिव माइन की बात हो रही है। क्या वहां कैप्टिव माइन है?

चौधरी लाल सिंह: जी हां, सर। हमारे यहां कैप्टिव माइन ही है।

[अनुवाद]

डा. दासरि नारायण राव: महोदय यह कैप्टिव माइन (खान) नहीं है।

लघु बचतों पर विशेषज्ञ समिति

*224. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री गुरूदास दासगुप्त:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जी.एन. बाजपेयी की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति ने लघु निवेश करने वालों के लिए ब्याज की दर को मुद्रास्फीति की दर से जोड़ने का परामर्श दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार को व्यादेश दिया गया है कि लघु निवेशकों के हितों की संरक्षा की जाएगी और उन्हें अपनी बचतों के सुरक्षित निवेश हेतु नए विकल्प दिए जाएंगे। अतएव, सरकार ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के तत्कालीन अध्यक्ष, श्री जी.एन. बाजपेयी की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह के गठन का निर्णय लिया है। विशेषज्ञ समूह के विचारार्थ विषयों में, अन्य बातों के साथ-साथ, वरिष्ठ नागरिकों सहित निवेशकों को नई बचत लिखतों के माध्यम से उपयुक्त लाभ की पेशकश करते हुए समुचित उपाय बताने के सुझाव शामिल हैं। इस समूह ने जनवरी 2005 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, आवश्यक परिवर्तनों सहित ''वरिष्ठ नागरिक मुद्रास्फीति संरक्षण बचत योजना'' नामक एक नई योजना की अनुशंसा की है जिसकी विशेषताएं मौजूदा ''वरिष्ठ नागरिक बचत योजना'' सदृश होगी। इस योजना में अंतर यह है कि कूपन दर पिछले कैलेंडर वर्ष के थोक मूल्य सूचकांक (आधार : 1993-94) द्वारा यथामापित मुद्रास्फीति की औसत वार्षिक दर से अधिकतम 200 आधार बिन्दु ऊपर रखा गया है। इन दो वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं के अंतर्गत निवेशक अपने निवेश के लिए 15 लाख रुपए की संयुक्त उच्चतम सीमा रख सकते हैं। यह कूपन दर प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से वार्षिक रूप में पुनर्निर्धारित की जाएगी।

(ग) यह रिपोर्ट सरकार की जांचाधीन है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, अपने वक्तव्य में मंत्री जी ने कहा है कि श्री जी.एन. बाजपेयी की सिफारिशों के आधार पर एक नई योजना शुरू की गयी है, जो कि वरिष्ठ नागरिकों के लिये है और इसे मुद्रास्फीति से जोड़ा गया है। मुद्रास्फीति की दर को थोक मूल्य सूचकांक (आधार : 1993-94) यानी मुद्रास्फीति की औसत वार्षिक दर से 200 आधार बिन्दु अधिक पर मापा जाता है। जब कोई छोटा निवेशक अपना धन निवेश करता है, विशेषकर वरिष्ठ नागरिक तो वह ब्याज के माध्यम से एक निश्चित आय प्राप्त करना चाहता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस नई योजना से उसके द्वारा जमा किये गए धन पर ब्याज से कोई निश्चित आय सुनिश्चित होती है।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, जैसा कि मैंने जवाब में कहा है कि जी.एम. बाजपेयी समिति की सिफारिश पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, परन्तु शैक्षिक रूप से मैं बताना चाहूंगा कि यदि ब्याज की दर को मुद्रास्फीति की दर से जोड़ दिया जाता है तो निवेश पर प्राप्ति में निश्चितता नहीं आ सकती।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: भूमिका के रूप में मंत्री जी कहते हैं:

''राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एन.सी.एम.पी.) में अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार को व्यादेश दिया गया है कि लघु निवेशकों के हितों की संरक्षा की जाएगी और उन्हें अपनी बचतों के सुरक्षित निवेश हेतु नए विकल्प दिये जाएंगे।''

जब वे कहते हैं कि सुरक्षित निवेश विकल्प दिये जाएंगे अर्थात् सुरक्षित निवेश विकल्पों पर निवेशकों को उचित लाभ मिलना चाहिए विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों को जो आर्थिक रूप से इसी पर निर्भर हैं। अब मंत्री जी कहते हैं कि इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस संदर्भ में, मैं जानना चाहूंगा कि क्या वे राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम को पूरी तरह कार्यान्वित कर रहे हैं और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी सुरक्षित लाभ प्राप्ति की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, ये दो अलग-अलग मुद्दे हैं। हम राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहे हैं और एन.सी.एम.पी. के कार्यान्वयन के कारण ही नौ (9) प्रतिशत का निर्धारित लाभ देने वाली वरिष्ठ नागरिक बचत योजना शुरू की गयी है। प्रश्न यह है कि जी.एन. बाजपेयी समिति द्वारा क्या सिफारिश की गयी थी? जी.एन. बाजपेयी समिति ने सिफारिश की थी कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के साथ-साथ एक अन्य वरिष्ठ नागरिक मुद्रास्फीति संरक्षा बचत योजना भी होनी चाहिए। इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मान लीजिए हम इस

सिफ़ारिश को स्वीकार करके एक अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिक मुद्रास्फीति संरक्षा बचत योजना शुरू करते हैं तो मेरा जवाब सही है, अर्थात् यदि इसे मुद्रास्फीति से जोड़ दिया जाता है तो निश्चित लाभ की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह लाभ प्राप्ति असमान होगी।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, श्री जी.एन. बाजपेयी की अध्यक्षता वाले विशेषज्ञ समूह ने क्या मात्र वरिष्ठ नागरिक मुद्रास्फीति संरक्षा योजना की ही सिफारिश की है या किसी नये बचत विकल्प का सुझाव देते हुए किसी अन्य योजना की भी सिफारिश की है? छोटे निवेशकों के लिए सुझायी गई अन्य योजनाएं क्या हैं?

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, बचत योजनाओं के संबंध में उन्होंने केवल वरिष्ठ नागरिक मुद्रास्फीति संरक्षा योजना की ही सिफारिश की है। छोटे निवेशकों के हितों की सुरक्षा के मामले में विनियमन और निगरानी में सुधार लाने के उपाय सुझाये गए हैं। वित्तीय बाजार के विनियमन और निगरानी में सुधार लाने के लिए उन्होंने श्रृंखलाबद्ध उपायों की सिफारिश की है।

श्री मोहन रावले: महोदय, डाक बचत योजना, डाक मासिक आय योजना, वैयक्तिक जमा योजना पर ब्याज की दर बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति आयकर अदा करने के बाद अपनी आय में से धनराशि बैंक या किसी अन्य योजना में जमा कराता है तो उस पर प्राप्त होने वाले ब्याज पर आयकर नहीं काटा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: यह एक सुझाव है।

श्री मोहन रावले: क्या सरकार दोहरी कर कटौती से बचने के लिए इस पर विचार करेगी? मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि अधिकांश मध्यम वर्गीय लोग तथा गरीब लोग अपना धन बैंकों में रखते हैं। इससे काले धन के सृजन में भी कमी आयेगी। क्या सरकार इस पर विचार करेगी?

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, यदि आप नहीं चाहते हैं तो इसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, इस प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है— नहीं। दूसरे भाग का उत्तर यह है कि यदि एक निश्चित आय पर कोई कर दिया जाता है, तो नि:संदेह उसे कर ही कहा जाता है। लेकिन यदि उस पैसे को किसी ऐसे साधन में निवेश किया जाता है जिससे आगे पुन: आय होती है, तो उसमें कोई दोहरे कराधान की बात नहीं होती। यदि आप ध्यानपूर्वक इसकी जांच करें तो पायेंगे कि इसमें दोहरे कराधान जैसी कोई बात नहीं है।

श्री मोहन रावले: महोदय, केवल गरीब और मध्यम वर्गीय लोग ही अपना पैसा बैंकों में रखते हैं। तो इस पर विचार क्यों नहीं किया जा सकता?

अध्यक्ष महोदय: मुझे पता है कि आप हमेशा उनके लिए चिंतित रहते हैं।

बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

*225. **श्री डी. विट्ठल राव:**
श्री मोहन सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र/निजी क्षेत्र के बैंकों में 74 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई मार्गनिर्देश तैयार किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तसंबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) 28 फरवरी, 2003 को की गई बजट घोषणाओं के अनुसरण में 5 मार्च, 2004 को अधिसूचना जारी करके गैर-सरकारी बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दिया। इसमें विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा निवेश शामिल है। तथापि, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में 20 प्रतिशत एफडीआई की विद्यमान अधिकतम सांविधिक सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति के लिए 28.2.2005 को एक रूपरेखा (रोड मैप) की घोषणा की है। यह रूपरेखा (रोड मैप) भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट (डब्ल्यूडब्ल्यू.आरबीआई.ओरआरजी.इन/नोटिफेकशन) पर उपलब्ध है।

श्री डी. विट्टल राव: महोदय, क्या सरकार ने निजी बैंकों के घरेलू निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए कोई कदम उठाये

हैं। मैं इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के बारे में जानना चाहूंगा।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, सभी बैंकों के निवेशकों की संरक्षा भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों और इस संबंध में बनाये गये विभिन्न कानूनों के माध्यम से की जाती है। मैं समझता हूं कि अच्छी साख वाले बैंक काफी हद तक निवेशकों के हितों की संरक्षा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कमजोर बैंक भी हैं जिनके बारे में निवेशक अपे को असुरक्षित महसूस करते हैं।

बैंक कई कारणों से कमजोर हो जाते हैं। लेकिन 28 फरवरी को भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बारे में एक योजना की घोषणा की है और इसमें निजी क्षेत्र के कमजोर बैंकों को सुदृढ़ बनाने की बात कही गयी है। इस योजना में ऐसे कई पैराग्राफ हैं जिनमें इस बात के संकेत दिये गये हैं कि यदि निजी क्षेत्र के बैंकों को सुदृढ़ आधार प्रदान किया जाता है तो किस तरह इन बैंकों के निवेशकों के हितों की रक्षा की जा सकेगी। जमाकर्त्ताओं के हितों की रक्षा का सर्वोत्तम उपाय यह है कि उन कमजोर बैंकों को सुदृढ़ आधार प्रदान किया जाये।

श्री डी. विट्टल राव: क्या सरकार ने इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश तैयार किये हैं? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैंने पहले ही बताया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इन दिशा-निर्देशों की घोषणा की है। ये दिशानिर्देश भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.आरबीआई.ओआरजी.इन. पर उपलब्ध है। लेकिन मैं शीघ्र ही इन दिशानिर्देशों की एक प्रति माननीय संसद सदस्य को उपलब्ध कराऊंगा।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने एक साल पहले फैसला किया था कि निजी क्षेत्र के बैंकों में 74 फीसदी और सरकारी क्षेत्र के बैंकों में 20 फीसदी विदेशी पूंजी निवेश, विदेशी बैंकों और विदेशी स्थिति संस्थानों का हो सकता है। प्रश्न था कि क्या सरकार अब सरकारी क्षेत्र के बैंकों में भी एफडीआई की सीमा 74 फीसदी करने पर कोई विचार कर रही है, इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया है। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या पूंजी निवेश के संबंध में रिजर्व बैंक के रोड मैप की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई है? उसका उत्तर मंत्री जी ने उत्तर दिया कि वैबसाइट पर वह जानकारी उपलब्ध है। वैबसाइट की जानकारी तो हम ले लेते हैं, यदि वैबसाइट पर ही जानना है तो संसद में प्रश्न करने का क्या औचित्य है? हम इसे संसद की जानकारी में और संसद के रिकार्ड पर लाना चाहते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक का रोड मैप आने के बाद कितने ऐसे विदेशी बैंक हैं, जो भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपनी पूंजी लगाना चाहते हैं और उनके आवेदन पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने और भारत सरकार ने किस तरह का विचार किया है?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, अपने मुख्य उत्तर में, मैंने यह बताया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की 20 प्रतिशत की वर्तमान सांविधिक सीमा में कोई परिवर्तन नहीं दिया गया है। सरकारी क्षेत्र की बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित चिंताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक 'रोड मैप' की घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग आठ या नौ महीने पहले एक मार्गदर्शी प्रारूप पेश किया था और उस समय इस बारे में कई टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं। उन सभी टिप्पणियां पर विचार-विमर्श के बाद तथा सरकार से परामर्श करने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने 28 फरवरी को एक रोडमैप प्रकाशित किया है। मेरा मानना है कि अब संसद तकनीकी बातों को समझ पाने में पहले से कहीं अधिक सक्षम है। इसलिए यह 'रोडमैप'' वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। इसे सभी अखबारों में भी प्रकाशित किया गया है लेकिन मैं इस 'रोडमैप' की एक प्रति आपको भेजूंगा। यह बहुत विस्तार से है। इस रोडमैप की घोषणा के बाद मैंने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर से बात की है। 28 फरवरी के बाद, किसी भी विदेशी बैंक से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री मिलिन्द देवरा: महोदय, सरकार का इस बारे में स्पष्ट विचार है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में वह कम से कम 51 प्रतिशत की भागीदारी अपने पास रखेगी, कर्मचारियों की कोई छंटनी नहीं होनी दी जायेगी और यह कि सरकार वास्तव में राष्ट्रीयकृत बैंकों को सुदृढ़ करेगी। जैसाकि माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि बजट प्रस्तुत करने के दिनों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो मानदंड जारी किये गये हैं वे निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में सर्वथा भिन्न है। अब जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों में वैयक्तिक विदेशी स्वामित्व की सीमा 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गयी है, ऐसे में क्या सरकार यह आशा करती है कि क्या इसमें विदेशी सामरिक भागीदार अधिकाधिक रुचि लेंगे?

श्री पी. चिदम्बरम: सभी विदेशी निवेशकों की एक ही नजरिये से नहीं देखा जा सकता। यहां हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वह है—भारत के निजी क्षेत्र के कमजोर बैंकों में विदेशी बैंकों द्वारा निवेश करना। लेकिन कुछ ऐसी भी विदेशी निवेशक हैं जो

बैंक नहीं हैं। ये विदेशी निवेशक औद्योगिक घराने हो सकते हैं, या फिर ये विदेशी निवेशक वे देश भी हो सकते हैं जहां कर की दरें बहुत कम हैं। मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति सभी विदेशी निवेशकों को एक जैसा मानकर चलेगा। इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश इस बारे में बहुत स्पष्ट है कि भारत के निजी क्षेत्र के बैंकों में किस तरह के विदेशी निवेश की अनुमति दी जायेगी और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों में सुनियमित कार्य क्षेत्रों वाले विदेशी बैंकों तथा दूसरे विदेशी निवेशकों के बीच स्पष्ट अंतर किया गया है। मैं माननीय सदस्य के इस मत से सहमत नहीं हूं कि हमें भारत की निजी क्षेत्र की बैंकों में किसी भी विदेशी निवेशक को आने की छूट देनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार रोड मैप में, मेरी समझ से इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केवल सुविनियमित कार्य क्षेत्र में करने वाले विदेशी बैंकों को ही भारत के निजी क्षेत्र के बैंकों में कार्य अनुमति होगी और इसके लिए उन्हें विनियामक प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 226

श्रीमती जयाप्रदा—उपस्थित नहीं

डा. चिन्ता मोहन

[हिन्दी]

शेयर मूल्यों में उतार-चढ़ाव

*226. **डा. चिन्ता मोहन:**
श्रीमती जयाप्रदा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2004-05 में अप्रैल से जनवरी तक की अवधि के दौरान देश के शेयर बाजार में अनेक अवसरों पर शेयर मूल्यों में अचानक बड़ी तेजी के साथ गिरावट देखने को मिली है;

(ख) यदि हां, तो उन तिथियों, ऐसे शेयरों और उनके मूल्यों में हुई प्रतिशत गिरावट का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह गिरावट पूंजी बाजार में की गई अनियमितताओं के कारण आई थी;

(घ) यदि हां, तो क्या तत्संबंधी तथ्यों का पता लगाया गया है; और

(ङ) उपरोक्त दिनों में से प्रत्येक दिन शेयर मूल्यों में आई उपर्युक्त गिरावट के कारण अनुमानत: कितनी हानि हुई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

[अनुवाद]

विवरण

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि अप्रैल, 2004 से जनवरी, 2005 के दौरान बाजार में 14 मई, 2004 और 17 मई, 2004 को 5% से अधिक गिरावट देखी गई थी। दिनांक 14 मई, 2004 को सेंसेक्स 329.6 अंक (अर्थात् 6.10%) गिरा और 5069.87 पर बंद हुआ। निफ्टी 135.1 अंक (7.87%) गिरा और 1582.4 पर बंद हुआ। दिनांक 17 मई, 2004 को सेंसेक्स 564.71 अंक (अर्थात् 11.14%) गिरा और 4505.16 पर बंद हुआ। निफ्टी 193.65 अंक (अर्थात् 12.24%) गिरा और 1388.75 पर बंद हुआ। इन दो तारीखों के सिवाय अप्रैल, 2004 और जनवरी, 2005 के बीच कोई ऐसी तीव्र वृद्धि व अचानक गिरावट नहीं हुई थी। अप्रैल, 2004 से जनवरी, 2005 की अवधि के दौरान सूचकांकों में माहवार परिवर्तन नीचे दिए गए हैं:

सूचकांकों में मासिक परिवर्तन

	सेंसेक्स	पिछले महीनों की तुलना में % परिवर्तन	निफ्टी	पिछले महीनों की तुलना में % परिवर्तन
1	2	3	4	5
अप्रैल, 2004	5809.005	3.49	1848.388	3.86
मई, 2004	5204.646	-10.40	1640.2	-11.26
जून, 2004	4823.867	-7.32	1506.116	-8.17

1	2	3	4	5
जुलाई, 2004	4972.875	3.09	1568.084	4.11
अगस्त, 2004	5144.165	3.44	1615.302	3.01
सितम्बर, 2004	5423.271	5.43	1691.957	4.75
अक्तूबर, 2004	5701.608	5.13	1794.98	6.09
नवम्बर, 2004	5960.747	4.55	1873.935	4.40
दिसम्बर, 2004	6393.83	7.27	2021.943	7.90
जनवरी, 2005	6306.988	-1.36	1977.829	-2.18

(ख) शीर्ष की पांच स्क्रिपों के ब्यौरे, जो तीव्रता से गिरी और उन्होंने 14 मई, 2004 और 17 मई, 2004 की बाजार की गिरावट में योगदान किया, संलग्न अनुबंध में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) बाजारों में मूल्यों की घट-बढ़ व उतार-चढ़ाव बाजार की घटनाएं हैं जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, आर्थिक मूलतत्वों, बाजार मनोभावों, कारपोरेट कार्यनिष्पादन आदि जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करती हैं।

तथापि, मई 2004 में अवलोकित गिरावट के लिए सेबी ने अपनी जांच के दौरान कुछ अनियमितताएं पाई हैं और उन कंपनियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही शुरू की है जो प्रथम दृष्टया सेबी अधिनियम, 1992 और सेबी विनियमों के निबंधन में सेबी अधिनियम, 1992 और सेबी विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन के दोषी पाई गई हैं। अब तक 12 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

(ङ) बाजार मूल्यों में गिरावट के कारण हुई हानि पोर्टफोलियो की संरचना और प्रतिभूतियों की अर्जन लागत व तदंतर पोर्टफोलियो सहित कारपोरेट लाभों पर निर्भर करेगी। अतएव, शेयर मूल्यों में उक्त गिरावट, यदि कोई हुई है, के कारण हानि के परिमाण की मात्रा का पता लगाना संभव नहीं है।

दिनांक 14 मई, 2004 को बीएसई का बाजार पूंजीकरण 8.49% और एनएसई का 8.38% नीचे था। दिनांक 17 मई, 2004 को बीएसई का बाजार पूंजीकरण 11.26% और एनएसई का 12.10% नीचे था। तथापि, बीएसई का बाजार पूंजीकरण, जो 31 मार्च, 2004 को 12,01,207 करोड़ रुपए था, 31 जनवरी, 2005 को बढ़कर 16,61,532 करोड़ रुपए हो गया और एनएसई का बाजार पूंजीकरण जो 31 मार्च 2004 को 11,20,976 करोड़ रुपए था, 31 जनवरी, 2005 को बढ़कर 15,57,444 करोड़ रुपए हो गया।

अनुबंध

दिनांक 14 मई, 2004 को सेंसेक्स में गिरावट के लिए सहयोगी पांच प्रमुख स्क्रिपें

स्क्रिप का नाम	पिछले दिन के बंद होने पर मूल्य अंतर
एसबीआई	-14.77%
ओएनजीसी	-12.47%
एचडीएफसी	-7.89%
आईसीआईसीआई बैंक	-6.95%
रिलायंस	-6.77%

दिनांक 14 मई, 2004 को निफ्टी में गिरावट के लिए सहयोगी पांच प्रमुख स्क्रिपें

स्क्रिप का नाम	पिछले दिन के बंद होने पर मूल्य अंतर
गेल	-19.32
एसबीआईएन	-16.4
सेल	-15.71
बीएचईएल	-14.12
बीपीसीएल	-12.62

दिनांक 17 मई, 2004 को सेंसेक्स में गिरावट के लिए सहयोगी पांच प्रमुख स्क्रिपें

स्क्रिप का नाम	पिछले दिन के बंद होने पर मूल्य अंतर
रिलायंस	-15.35%

1	2
एचएलएल	-15.02%
एसबीआई	-13.18%
ओएनजीसी	-12.84%
इन्फोसिस	-10.92%

दिनांक 17 मई, 2004 को निफ्टी में गिरावट के लिए सहयोगी पांच प्रमुख स्क्रिपें

स्क्रिप का नाम	पिछले दिन के बंद होने पर मूल्य अंतर
आरईएल	-27.98
एचडीएफसी बैंक	-23.15
बीएचईएल	-21.24
विप्रो	-19.77
गेल	-19.19

डा. चिन्ता मोहन: मेरे प्रश्न के भाग 'ग' के उत्तर में, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि सेबी ने इस मामले में कुछ अनियमितताएं पायी हैं। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि सेबी ने इस मामले में कौन-सी अनियमितताएं पायी हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: जब मई, 2004 में शेयर बाजार एकदम गिरावट आ गयी थी तब जांच के दौरान सेबी ने कुछ अनियमितताएं पायी थी। ये अनियमितताएं इस बारे में थीं कि शेयरों को किसने खरीदा, किसने बेचा और ये कारोबार किस समयावधि में हुआ।

इन अनियमितताओं से सेबी ने प्रथम दृष्टया मैं एक बार पुन: कहना चाहता हूं कि प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकाला कि इस कारोबार में सेबी अधिनियम और सेबी विनियमों का उल्लंघन किया गया। इस बारे में बारह कारोबारियों की पहचान की गयी है और उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं। अब यह मामला न्यायाधीन है। जब यह सेबी के समक्ष न्यायाधीन है, तो उन कथित अनियमितताओं के बारे में चर्चा करना उपयुक्त नहीं होगा। जांच के बाद यदि यह पाया जाता है कि अनियमितताएं हुई हैं तो निश्चय ही सेबी इस मामले में एक अर्धन्यायिक आदेश पारित करेगी और इसमें अपने निष्कर्षों का उल्लेख करेगी। इस समय उन कथित अनियमितताओं पर टिप्पणी करना उपयुक्त नहीं होगा।

डा. चिन्ता मोहन: देश के लोग एक तरह के 'शेयर सुनामी' की अपेक्षा कर रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री जी इस तरह की चीजों को रोकने की क्या कोशिश कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय: शेयर सुनामी।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं समझता हूं कि सुनामी भी सौ वर्षों में कभी एक बार तटीय क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए, मैं अपने विद्वान मित्र से कहना चाहूंगा कि इस बारे में यह प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है कि सुनामी बहुत बड़ा खतरा है। निकट भविष्य में 'शेयर सुनामी' या इस तरह की कोई बात नहीं होने वाली। हमारी निगरानी व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। हमारी सरकार काफी सजग है। आज हमारे पास एक सुदृढ़ विनियामक है। हम इस बात को सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करेंगे कि सुनामी न आये और मेरी समझ से अब दुबारा सुनामी जैसी आपदा नहीं आयेगी।

अध्यक्ष महोदय: मेक्सिकन प्रणाली का विकास।

प्रश्न संख्या 277—श्री एस.के. खारवेनथन—उपस्थित नहीं

प्रश्न संख्या 228—प्रो. महादेवराव शिवनकर—उपस्थित नहीं

श्री मुन्शी राम

[हिन्दी]

कुटीर ज्योति योजना

+

*228. **श्री मुन्शी राम:**
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण के अंतर्गत कुटीर ज्योति योजना शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना के अंतर्गत राज्य-वार अब तक कितने गांव लाभान्वित हुए;

(ग) उक्त योजना में केन्द्र सरकार और प्रत्येक राज्य द्वारा किए जाने वाले व्यय का हिस्सा कितना-कितना है;

(घ) वर्ष 2004-05 के दौरान उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत कितने गांवों को शामिल करने का लक्ष्य है; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत अब तक कुल कितने गांव लाभान्वित हुए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) भारत सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे के ग्रामीण परिवारों के घरों में एकल प्वाइंट लाइट कनेक्शन देने के लिए 1988-89 में कुटीर ज्योति नामक एक कार्यक्रम की शुरूआत की थी जिससे इन गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सुधार हो सके।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक बार वायरिंग तथा कनेक्शन प्रभारों की लागत राज्य सरकारों/राज्य विद्युत बोर्डों को 100% अनुदान द्वारा दी जाती है। अनुदान उन्हें रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) द्वारा दिया जाता।

उक्त कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे के ग्रामीण घरों को सिंगल प्वाइंट लाइट कनेक्शन उपलब्ध कराना था। कार्यक्रम के अंतर्गत 31.3.2004 तक लाभ प्राप्त करने वाले ऐसे घरों की राज्यवार संख्या संलग्न अनुबंध-I में दर्शाई गई है।

(घ) से (ङ) कुटीर ज्योति योजना कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा मई, 2004 में 40% पूंजीगत सब्सिडी के साथ चालू किए गए "एक लाख गांवों में एक करोड़ घरों का त्वरित विद्युतीकरण" कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया, जिसे अब ग्रामीण आवास विद्युतीकरण को पांच वर्षों में पूरा करने के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिस्थापित कर इसकी जगह ग्रामीण विद्युत अवसंरचना एवं आवासीय विद्युतीकरण नामक स्कीम शुरू की जा रही है।

इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित के लिए 90% पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी-

(1) समुचित रूप से राज्य प्रणाली से संबद्ध प्रत्येक ब्लाक में एक 33/11 केवी (या 66/11 केवी) सब-स्टेशन के साथ ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन (आरईडीबी) का निर्माण।

(2) प्रत्येक गांव/वास स्थान में वितरण ट्रांसफार्मरों के साथ सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों/वास स्थानों के विद्युतीकरण के लिए ग्रामीण विद्युत अवसंरचना (वीईआई) का निर्माण।

(3) उन गांवों/वास स्थानों के लिए विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन (डीडीजी) एवं आपूर्ति प्रणाली, जहां ग्रिड आपूर्ति किफायती नहीं है और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय अपने कार्यक्रमों के माध्यम से विद्युत उपलब्ध नहीं कराएगा।

(4) देश में गरीबी रेखा से नीचे के सभी गैर-विद्युतीकृत घरों का निःशुल्क विद्युतीकरण।

चालू वर्ष में विद्युतीकृत किए जाने वाले गांवों में गरीबी रेखा के नीचे के 525434 आवासों तथा अतिरिक्त 12,30,592 घरों के विद्युतीकरण के लिए निधि मंजूर कर दी गई है। इसके राज्यवार ब्यौरे अनुबंध-II और अनुबंध-III के रूप में संलग्न हैं।

अनुबंध-I

31.3.2004 के अंत में कुटीर ज्योति कार्यक्रम की संचयी प्रगति

क्र.सं.	राज्य	सूचना अनुसार जारी कनैक्शनों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1034408
2.	अरुणाचल प्रदेश	41336
3.	असम	53492
4.	बिहार	517786
5.	गोवा	1050
6.	गुजरात	78972
7.	हरियाणा	38935
8.	हिमाचल प्रदेश	28427
9.	जम्मू-कश्मीर	1421
10.	झारखंड	39018
11.	कर्नाटक	1476574
12.	केरल	174491
13.	मध्य प्रदेश	778779
14.	छत्तीसगढ़	95446
15.	महाराष्ट्र	295780
16.	मणिपुर	16066
17.	मेघालय	35332
18.	मिजोरम	47400

1	2	3
19.	नागालैंड	45271
20.	उड़ीसा	101824
21.	पंजाब	44806
22.	राजस्थान	169984
23.	सिक्किम	21185
24.	तमिलनाडु	576282
25.	त्रिपुरा	62046
26.	उत्तर प्रदेश	283980
27.	उत्तरांचल	40450
28.	पश्चिम बंगाल	192170
29.	संघ राज्य क्षेत्र	1724
	कुल योग	6294425

अनुबंध-II

2004-05 के दौरान विद्युतीकृत गांवों में बीपीएल परिवारों का विद्युतीकरण के लिए मंजूर स्कीमें

राशि लाख रुपये में

10.03.2005 के अनुसार

क्र.सं.	राज्य	राज्य विद्युत यूटिलिटी	2004-05 के दौरान प्राप्त स्कीमें		मंजूर की गई अनुदान राशि
			शामिल किए गए जिले	शामिल बीपीएल एचएच की सं.	
1	2	3	4	5	6
1.	केरल	केएसईबी	14	100000	1500
2.	आंध्र प्रदेश	एपीट्रांस्को	22	100000	1500
3.	पंजाब	पीएसईबी	17	20000	300
4.	राजस्थान	(1) जयपुर वीवीएनएल	11	15000	225
		(2) जोधपुर वीवीएनएल	11	15000	225
		(3) अजमेर वीवीएनएल	11	15000	225
5.	छत्तीसगढ़	सीएसईबी	16	80000	1200
6.	हरियाणा	यूएचबीवीएनएल	7	5000	75
7.	गुजरात	जीईबी	25	3000	45
8.	मध्य प्रदेश	एमपीएसईबी	45	22634	339.51
9.	त्रिपुरा	विद्युत विभाग	4	12000	216

1	2	3	4	5	6
10.	असम	एएसईबी	26	20000	360
11.	बिहार	बीएसईबी	36	24300	364.5
12.	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी	11	1000	18
13.	अरुणाचल प्रदेश	विद्युत विभाग	14	25000	450
14.	उत्तरांचल	यूपीसीएल	13	40000	720
15.	मिजोरम	विद्युत विभाग	9	3500	63
16.	महाराष्ट्र	एमएसईबी	33	8000	120
17.	झारखंड	जेएसईबी	13	16000	240
	कुल		338	525434	8186.01

अनुबंध-III

वर्ष 2004-05 के दौरान "एक लाख गांवों और एक करोड़ परिवारों का त्वरित विद्युतीकरण" कार्यक्रम के अंतर्गत आरईसी द्वारा मंजूर परियोजनाओं में शामिल बीपीएल परिवारों का विद्युतीकरण

10.3.2005 के अनुसार

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत परियोजनाएं		
		परियोजनाओं की संख्या	विद्युतीकरण हेतु शामिल गांवों की संख्या	विद्युतीकरण के लिए शामिल बीपीएल घरों की संख्या
1.	पश्चिम बंगाल	11	2404	54716
2.	बिहार	13	7604	488450
3.	उत्तर प्रदेश	61	28857	685813
4.	राजस्थान	3	175	1613
	कुल	88	39040	1230592

[हिन्दी]

श्री मुन्शी राम (बिजनौर): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण के अंतर्गत कुटीर ज्योति योजना शुरू की गई थी? उसका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत राज्यवार अब तक कितने गांव लाभान्वित हुए?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुटीर ज्योति योजना के अंतर्गत अब तक कितने गांव लाभान्वित हो चुके हैं?

श्री पी.एम. सईद: महोदय, मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने का अवसर प्रदान किया। दुर्भाग्य से यह एक मुख्य प्रश्न से उठाया गया अनुपूरक प्रश्न है।

इस कुटीर ज्योति कार्यक्रम की संकल्पना वर्ष 1988-89 में की गई थी।

अध्यक्ष महोदय: अगली बार मैं पहले आपका नाम बुलाऊंगा।

श्री पी.एम. सईद: कुटीर ज्योति कार्यक्रम की शुरूआत 1988-89 में, सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम दो वर्षों में तब हुई थी जब स्वर्गीय राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे। इससे पता चलता है कि वह ग्रामीण निर्धनों, विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का कितना ख्याल रखते थे। वर्ष 1998-99 से 2003-04 तक इस योजना के अंतर्गत कुल 63 लाख परिवारों में बिजली पहुंचायी गयी है और इस पर 561 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च हुई। यह एक बहुत ही शानदान प्रदर्शन है और यह इस योजना के अंतर्गत शामिल किये जाने वाले कुल परिवारों का 92 फीसदी है। तथापि, वर्ष 2004-05 में अकेले एक वर्ष में, हमने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 17 लाख परिवारों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराये हैं और इस पर 270 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। हमारा प्रयास यह है कि स्वर्गीय श्री राजीव गांधी द्वारा आरम्भ किया गया यह कुटीर ज्योति कार्यक्रम पूरी तरह सफल हो। तथापि, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के विद्युतीकरण कार्य में कुछ बाधाएं भी आ रही हैं। विद्युत वितरण क्षेत्र में संवैधानिक रूप से राज्यों को आगे आना चाहिए। जहां तक कुटीर ज्योति के लिए निधियों की बात है, अब तक इनमें कोई बाधा नहीं आयी है और न ही हम इस तरह की बाधा आने देंगे।

जहां तक कार्यान्वयन की बात है, हमने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सेवाएं भी राज्य सरकारों को उपलब्ध करायी हैं। अब यह राज्य सरकारों पर ही निर्भर करता है कि वे इस दिशा में कितना काम करती है। मैं समझता हूं, कि राज्य सरकारों को यह कार्य सौंप देने के बाद हम पूरे देश में 'कुटीर ज्योति योजना' को सफल बना सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल के दौरान सहयोग के लिए मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

हथकरघा क्षेत्र की समस्याएं

***227. श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युतकरघा के प्रभाव तथा पर्याप्त विपणन सुविधाओं के अभाव के कारण देश में हथकरघा वस्त्रों की भारी मात्रा अवरुद्ध हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उद्योग पर निर्भर परिवारों को अभूतपूर्व गरीबी का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए क्या कदम उठाने/परियोजाएं चलाने का विचार है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) सामान्यतया देश में कुछ हथकरघा वस्त्रों का संचयन मिल क्षेत्र के प्रभाव के कारण हुआ है।

(ख) इस संबंध में अपेक्षित राज्यवार सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ग) और (घ) हथकरघा बुनकरों की समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार निम्नलिखित विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित कर रही है:-

1. दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना।
2. विपणन संवर्धन कार्यक्रम।
3. हथकरघा निर्यात योजना।
4. मिल गेट कीमत योजना।
5. हथकरघा वस्त्रों की बिक्री पर हथकरघा एजेंसियों द्वारा दी गई 10% एकबारगी छूट की प्रतिपूर्ति संबंधी योजना।
6. कार्यशाला-सह-आवास योजना।
7. बुनकर कल्याण योजना:- (1) स्वास्थ्य पैकेज योजना (2) थ्रिफ्ट फंड योजना (3) नई बीमा योजना।

8. बुनकर बीमा योजना।

9. एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना।

10. हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 का कार्यान्वयन।

फेरा और फेमा के अंतर्गत कर अपवंचन

*229. **श्री श्रीपाद येसो नाईक:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्व विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) और वर्तमान विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के मामलों के अंतर्गत कर अपवंचन में कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है:

(ख) कर-अपवंचन की कितनी प्रतिशत राशि वसूल नहीं हो पाई है;

(ग) छह महीनों से अधिक से कर अपवंचन के कितने मामले लंबित हैं;

(घ) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ङ) काफी समय से लंबित मामलों को निपटाने हेतु क्या कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(च) यदि हां, तो काफी समय से लंबित मामलों को निपटाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा), 1973 के तहत अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) के तहत कोई कर/शुल्क नहीं लगाया गया था/कोई कर/शुल्क नहीं लगाया गया है। इसलिए अपवंचन और वसूल न किए गए अपवंचन की प्रतिशतता का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) छह महीने से अधिक की अवधि के लिए दिनांक 1.3.2005 की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के तहत न्यायनिर्णयन के लंबित मामलों की संख्या 4469 है और विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत यह संख्या 268 है। फेरा के तहत लंबित 4469 मामलों में से लगभग 2645 मामलों में विभिन्न न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेश दिए गए हैं। इसलिए दिनांक 1.3.2005 की स्थिति के अनुसार फेरा के न्यायनिर्णयन के मामलों की प्रभावी विचाराधीनता 1824 है।

(घ) न्याय निर्णयन कार्यवाही अर्ध-न्यायिक कार्यवाही होती है। सुनवाई के लिए प्रतिपक्ष पार्टी को समुचित अवसर देना अपेक्षित होता है।

(ङ) और (च) न्याय-निर्णयन के लिए लंबित मामलों के निपटान के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा निर्दिष्ट करना संभव नहीं है। फेरा के न्याय-निर्णयन के लंबित मामलों के तेजी से निपटान के लिए सरकार ने अतिरिक्त न्याय-निर्णयन अधिकारियों को नियुक्त किया है।

वस्त्र क्षेत्र का आधुनिकीकरण

*230. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी:**
श्री रनेन बर्मन:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विद्युतकरघा, हस्तकरघा तथा वस्त्र इकाइयों का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ क्या-क्या विशिष्ट कार्यक्रम बनाए गए हैं;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस पर कितनी धनराशि खर्च किये जाने का विचार है तथा गत तीन वर्षों में कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) क्या उपरोक्त इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए कोई विदेशी सहायता प्रदान की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) जी, हां। सरकार विद्युतकरघा, हथकरघा और वस्त्र एककों के लिए निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित कर रही है:-

विद्युतकरघा :	प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस); और सामूहिक कार्यशाला योजना (जी डब्ल्यू एस)
हथकरघा :	दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (डीडीएचपीवाई)
वस्त्र एकक :	प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस)

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस), सामूहिक कार्यशाला योजना

(जीडब्ल्यूएस) और दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (डीडीएचपीवाई) के लिए क्रमशः 1,270.00 करोड़ रुपए, 19.27 करोड़ रुपए और 257.00 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सामूहिक कार्यशाला योजना (जीडब्ल्यूएस) का अनुमोदन जून, 2004 में किया गया था और अभी तक कोई निधि जारी नहीं की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई निधियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	योजनाओं के नाम और जारी की गई निधियां	
	टीयूएफएस (करोड़ रुपए में)	डीडीएचपीवाई (करोड़ रुपए में)
2001-2002	198.88	59.35
2002-2003	202.66	81.20
2003-2004	249.07	63.64

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रधानमंत्री-ग्रामीण सड़क योजना

***231. श्री जोवाकिम बखला:**
श्री हितेन बर्मन:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के क्रियान्वयन के कारण अधिकांश ग्रामीण अपनी भूमि खो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़क बनाने के लिए काम में ली गई ग्रामीणों की भूमि के लिए मुआवजा देने के संबंध में सरकार की क्या नीति है;

(घ) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण के लिए काम में ली गई ग्रामीणों की भूमि के लिए उन्हें कोई मुआवजा दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (च) ग्रामीण सड़क राज्य का विषय है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) राज्य सरकारों की मदद करने के लिए एक विशेष केन्द्रीय पहल है। यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि सड़क कार्यों को शुरू करने के लिए जमीन उपलब्ध हो।

पी.एम.जी.एस.वाई. का उद्देश्य ग्रामीण सड़क नियमावली (आई.आर.सी.-एस.पी.-20:2002) में दिए गए विनिर्देशनों के अनुसार बनाई गई अच्छी बारहमासी सड़क निर्माण के जरिए निर्धारित आबादी की बसावटों को सड़क संपर्क मुहैया कराना है। सामान्यतः मौजूदा मार्ग पर ही सड़क निर्माण होता है और जहां नियमावली में विनिर्दिष्ट सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए कुछ स्थानों पर अतिरिक्त जमीन की आवश्यकता पड़ती है तो राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण से बचने के लिए मौजूदा मार्ग का उपयुक्त चयन करके इसमें कमी लाती है।

चूंकि ग्रामीण सड़क राज्य का विषय है और पी.एम.जी.एस.वाई. का क्रियान्वयन राज्य की एजेंसियों द्वारा किया जाता है, इसलिए पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सड़क निर्माण के लिए निजी जमीन के अधिग्रहण या उपयोग से संबंधित जानकारी केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है।

[हिन्दी]

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्रस्ताव

***232. श्री महावीर भगोरा:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को पिछले दो वर्षों के दौरान स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों से अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें अब तक मंजूर न किए जाने के कारण क्या हैं और उन्हें कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या कई राज्य सरकारों ने इस योजना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि का उपयोग सही प्रकार से नहीं किया है और क्या मंत्रालय को धनराशि के दुरूपयोग से संबंधित शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना को क्रियान्वित करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों से सहयोग लिया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (च) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की मुख्य योजना के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों के लिए अलग-अलग परियोजनाओं को मंजूरी नहीं देता है। योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को नियामक आधार पर केवल आबंटन रिलीज किया जाता है। तथापि, एस.जी.एस.वाई. के विशेष परियोजना घटक के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय को पिछले दो वर्षों के दौरान अनेक राज्यों से अनुमोदन के लिए 253 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। एस.जी.एस.वाई. की विशेष परियोजना के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों की सबसे पहले यह जांच करने के लिए संवीक्षा की जाती है कि क्या दिशा-निर्देशों में निर्धारित न्यूनतम शर्तों अर्थात् राज्य सरकारों द्वारा परियोजनाएं प्रस्तुत करना, 25 प्रतिशत राज्य अंश पूरा करने के लिए राज्य सरकारों की प्रतिबद्धता, यदि इसमें ऋण शामिल है, तो बैंकों की प्रतिबद्धता, गरीबी रेखा से नीचे की आबादी पर ध्यान देना, अवधारणा की सुसंगति तथा व्यवहार्यता आदि को प्रस्तावों में पूरा किया जा रहा है या नहीं। यदि परियोजना प्रस्ताव उपर्युक्त शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें संबंधित राज्य सरकारों को लौटा दिया जाता है। इन परियोजना प्रस्तावों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया के दो स्तर हैं। निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले प्रस्तावों की सबसे पहले परियोजना जांच समिति द्वारा जांच की जाती है। परियोजना जांच समिति द्वारा अनुशंसित प्रस्ताव परियोजना अनुमोदन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किए जाते हैं। ये दोनों समितियां अंतर-मंत्रालयी समितियां हैं जिनमें योजना आयोग के प्रतिनिधि होते हैं। प्रस्तावों का अनुमोदन एक सतत प्रक्रिया है और विभिन्न प्रस्ताव अनुमोदन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। वर्ष 2003-2004 के दौरान 40 प्रस्ताव तथा 2004-05 (अब तक) 20 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं।

स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत निधियों का उपयोग प्रत्येक परियोजना पर अलग-अलग होता है। निधियों का उपयोग संतोषजनक नहीं होने पर परियोजना क्रियान्वयन प्राधिकारियों को आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है। मंत्रालय को, निधियों के दुरूपयोग के संबंध में अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है।

विशेष परियोजनाएं सरकारी, अर्ध-सरकारी संगठनों द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं, जो प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विश्वसनीय गैर-सरकारी संगठनों की मदद ले सकते हैं।

बैंकों को स्वायत्तता

*233. **श्री अर्जुन सेठी:**
श्री उदय सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए एक नए स्वायत्तता पैकेज की घोषणा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अधिक स्वायत्तता के परिणामस्वरूप गैर-निष्पादनकारी आस्तियों और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को कार्य संचालन संबंधी अधिक स्वायत्तता प्रदान करते समय जनता के धन की सुरक्षा के लिए कोई एहतियात बरता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क), (ख), (घ) और (ङ) जी, हां। काफी विचार-विमर्श के बाद दिनांक 22.2.2005 को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए प्रबंधन एवं परिचालनात्मक स्वायत्तता संबंधी पैकेज की घोषणा की गई है। स्वायत्तता संबंधी इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) समग्र व्यावसायिक रणनीति के एक भाग के रूप में नया व्यवसाय अपनाना।

(2) कंपनियों या व्यवसायों का समुचित अधिग्रहण, गैर-अर्थक्षम शाखाओं को बंद करना/उनका विलय करना, विदेशी कार्यालय खोलना, अनुषंगी खोलना और किसी व्यवसाय को बंद करना।

(3) स्टाफिंग पैटर्न, भर्ती, स्थापन, स्थानांतरण, प्रशिक्षण, पदोन्नति, आदि सहित बैंक से संबंधित मानव संसाधन के सभी मामलों पर निर्णय देना।

(4) व्यवसाय की मात्रा और अन्य संबंधित कारकों के आधार पर शाखाओं के वर्गीकरण के लिए मानक निर्धारित करना।

(5) विभिन्न श्रेणियों में पदोन्नति/भर्ती के अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं, न्यूनतम योग्यता स्तर और तौर-तरीके निर्धारित करना।

(6) निवेशकों, जमाकर्त्ताओं और अन्य पणधारियों के साथ संपर्क रखने के लिए विदेश यात्राएं करना।

(7) बैंक अधिकारियों के उत्तरदायित्व एवं जिम्मेदारी के लिए नीति बनाना और ऐसी नीति के अनुरूप चूककर्त्ता अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करना। नीतिगत ढांचे में सभी दुर्भावपूर्ण कार्रवाइयों के लिए कड़े दण्ड का प्रावधान किया जाना चाहिए, परन्तु साथ ही यह स्वीकार करना चाहिए कि वाणिज्यिक निर्णय लेते समय वास्तविक त्रुटियां होती ही हैं।

इसके अतिरिक्त अच्छे ढंग से कार्य कर रहे मजबूत बैंकों को निम्नलिखित क्षेत्रों में स्वायत्तता दी गई है:

(1) महाप्रबंधकों के अतिरिक्त पदों का सृजन।

(2) अधिकारियों और कर्मचारियों के पारिश्रमिक और क्षतिपूर्ति के बारे में निर्णय करना।

(3) कर्मचारी कल्याण निधि में दी जाने वाली अंशदान के बारे में निर्णय करना।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में 20 प्रतिशत एफडीआई की मौजूदा सांविधिक उच्चतम सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अपेक्षाकृत अधिक परिचालनात्मक स्वायत्तता दिए जाने से अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली सहित बैंकों के समग्र कार्यनिष्पादन में सुधार होने की आशा है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्यकरण

***234. श्री विजय कृष्ण:**
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण को प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंक अपने मतभेद दूर करके एक क्षेत्र में एक सरकारी क्षेत्र के बैंक के नीचे कार्य करने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कम कर लेंगे;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों की तरह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने ग्राहकों को सभी बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) समय-समय पर गठित निम्नलिखित कार्य दलों/समितियों ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण सहित विभिन्न पहलुओं की जांच की है:

1. ग्रामीण बैंकों से संबंधित समिति (डेंटवाला समिति, 1978)।
2. कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए समिति (सीआरएएफआईसीएआरडी, 1981)।
3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित कार्य दल (केलकर समिति, 1984)।
4. कृषि ऋण समीक्षा समिति (एसीआरसी, 1989)।
5. वित्तीय प्रणाली संबंधी समिति (नरसिम्हम समिति, 1991)।
6. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना संबंधी समिति (भंडारी समिति, 1994)।
7. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निधि प्रबंधन से संबंधित कार्य दल (मिश्रा समिति, 1995)।
8. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन संबंधी समिति (बसु समिति, 1996)।
9. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में विशेषज्ञ दल (थिंगलाया समिति, 1997)।
10. नाबार्ड की पर्यवेक्षी भूमिका की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति (यू.के. शर्मा समिति, 1998)।
11. बैंकिंग क्षेत्र सुधार संबंधी समिति (नरसिम्हम समिति, 1998)।

12. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में जनशक्ति मानदंड संबंधी समिति (अग्रवाल समिति, 2000)।

13. ग्रामीण ऋण संबंधी विशेषज्ञ समिति (ईसीआरसी, 2001)।

14. प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में संशोधनों का सुझाव देने के लिए कार्यदल (चलपति राव समिति, 2001)।

15. चुनिंदा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों का समूह (ए.के. पुखार समिति, 2004)।

16. बैंकिंग प्रणाली से कृषि और इससे संबंधित क्रियाकलापों के लिए ऋण की उपलब्धता के संबंध में सलाहकार समिति (प्रो. व्यास समिति, 2004)।

(ग) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं:

1. कृषि के लिए ऋण की उपलब्धता को दुगुना करने के लिए पैकेज और लगातार प्राकृतिक आपदाओं की वजह से अत्यधिक कठिनाई की परिस्थितियों वाले किसानों या ऋणी किसानों के खातों के पुनर्निर्धारण के लिए ऋण राहत उपाय।

2. लघु एवं सीमांत किसानों के लिए एकबारगी निपटान योजना और गैर-संस्थागत स्रोतों से लिए गए किसानों के ऋणों के मोचन के लिए योजना।

3. जिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार संचित हानियां थीं, उन्हें सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण से मुक्त करना।

4. विवेकपूर्ण मानदण्डों और अच्छे अभिशासन के मानदण्डों को पूरा करने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्पूंजीकरण सहायता।

5. प्रायोजक बैंकों को उनके द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन के लिए पूर्णरूपेण उत्तरदायी बनाया गया है।

(घ) और (ङ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण के संबंध में, सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से राज्य के अंदर निकटस्थ जिलों में स्थित तथा उसी बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समामेलन की प्रक्रिया शुरू की है।

(च) और (छ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जमाराशियों एवं ऋण या अग्रिमों के क्षेत्र में सामान्य बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तथापि, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विदेशी मुद्रा/प्रत्यय पत्र खोलने/विदेशी गारंटी आदि जैसी उच्च स्तरीय सेवाएं प्रदान नहीं कर रहे हैं। कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने प्रायोजिक बैंकों की सहायता से ड्राफ्ट की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं क्योंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का परिचालन संबंधी विस्तार चुनिंदा जिलों तक सीमित है।

(ज) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पूंजी आधार को मजबूत बनाने के लिए, 158 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पूर्णरूपेण और 29 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आंशिक रूप से 2188 करोड़ की पुनर्पूंजीकरण सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक को निरंतर आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनरुज्जीवन के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्तीय सहायता, उसकी मात्रा के मूल्यांकन और वितरण के तरीके के लिए उपयुक्त मानदण्ड विकसित करने का परामर्श दिया गया है।

विद्युत क्षेत्र में भारत जर्मनी सहयोग

***235. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जर्मनी देश की विद्युत परियोजनाओं के लिए वित्तीय और तकनीकी दोनों प्रकार की सहायता प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी सहायता प्रदान करने की निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(ग) जर्मनी द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी परियोजनाओं को राज्यवार सहायता दी गई;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन परियोजनाओं के लिए विद्युत उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था और कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है; और

(ङ) आज की तिथिनुसार इन परियोजनाओं पर कितना ऋण बकाया है और ऐसे ऋण का भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) जी, हां। फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी इण्डो-जर्मन द्विपक्षीय विकास सहयोग कार्यक्रम के तहत वित्तीय एवं तकनीकी दोनों सहायता प्रदान करता है। वित्तीय सहायता मिश्रित साख के बतौर, जिसमें उदार ऋण (साफ्ट लोन) अनुदान तथा वाणिज्यिक साख शामिल हैं, उपलब्ध कराई जाती है।

उदार ऋण साधारणतया 10 वर्षों की रियायत अवधि समेत 40 वर्षों की भुगतान अवधि के लिए 0.75% प्रति वर्ष ब्याज दर पर उपलब्ध है। ऋण में अवितरित राशि पर 0.25% का प्रतिबद्धता प्रभार भी शामिल है। वाणिज्यिक साख 5 वर्षों की रियायत अवधि सहित 10 वर्षों की भुगतान अवधि के लिए प्रचलित बाजार दर पर दी जाती है। तकनीकी सहायता अनुदान के रूप में दी जाती है।

(ग) और (घ) एफआरजी ने पिछले 3 वर्षों (2001-02, 2002-03, 2003-04) के दौरान निम्न विद्युत परियोजनाओं की सहायता की है-

(1) 11.89 मिलियन यूरो ऋण सहायता से हीराकुंड एचईपी की यूनिट 3 व 4 का नवीकरण तथा आधुनिकीकरण। दोनों यूनिटें नवीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु बंद पड़ी हैं।

(2) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को इंडो-जर्मन ऊर्जा कार्यक्रम (आईजीईएन) के तहत 9.93 मिलियन यूरो अनुदान से तकनीकी सहायता।

(ङ) 10.3.2005 के अनुसार 11.77 मिलियन यूरो (64.68 करोड़ रुपये) का ऋण हीराकुंड एचईपी के आर एंड एम के प्रति देय है। ऋण के निबंधन और शर्तों के अनुसार ऋण का भुगतान 30 जून, 2035 तक किया जाना है।

विशेष जूट विकास निधि

*236. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जूट उद्योग के पुनरुद्धार तथा इसका समेकित विकास करने हेतु विशेष जूट विकास निधि की स्थापना की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य स्तर की सहकारी खरीद एजेंसियों हेतु राजसहायता के भुगतान के लिए भारतीय जूट निगम की विशेष जूट विकास निधि से जारी की गई धनराशि अप्रयुक्त पड़ी हुई है;

(घ) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान यह राशि कितनी थी; और

(ङ) सरकार द्वारा अप्रयुक्त निधि के उपयोग हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने पटसन क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए 17 दिसंबर, 1986 को 100 करोड़ रुपए की निधि से विशेष पटसन विकास निधि (एस जे डी एफ) का गठन किया था। इस निधि का उद्देश्य कच्चे पटसन और पटसन सामानों की उत्पादकता में सुधार लाने, स्वदेशी मशीनरी का विकास और उत्पाद विविधीकरण के लिए अनुसंधान और विकास तथा उनके लिए बेहतर बाजार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान कर पटसन क्षेत्र का समग्र विकास करना था। नौवीं योजना के बाद, एस जे डी एफ के तहत आवंटन वार्षिक योजना में किया जाता है जो विभिन्न परियोजनाओं के तहत आवश्यकता पर निर्भर करता है। दसवीं योजना के लिए एस जे डी एफ और पटसन प्रौद्योगिकी मिशन के तहत आवंटन 40 करोड़ रुपए है।

(ग) जी, नहीं। तथापि, सरकार ने वर्ष 1987-88 में विशेष पटसन विकास निधि के तहत पटसन उत्पादक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का सृजन करने के लिए भारतीय पटसन निगम (जे सी आई) को 2 करोड़ रुपए प्रदान किए थे। जे सी आई ने पटसन उत्पादक राज्यों की शीर्ष सहकारी समितियों को 83.44 लाख रुपये जारी किए। शीर्ष सहकारी समितियों की ओर नई परियोजनाओं के लिए निधियों की अपर्याप्त मांग रही और जे सी आई ने 152.98 लाख रुपये की राशि की अप्रयुक्त निधियों को ब्याज सहित वर्ष 2001-02 में भारत सरकार को वापस कर दिया।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधी रूप रेखा

*237. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 2012 तक पूरे देश में विद्युतीकरण किए जाने की रूप-रेखा का अनुमोदन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त रूप-रेखा राज्यों, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग एवं अन्य संबद्ध पक्षों की सहमति से तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) नीतिगत दस्तावेज के अनुसार अतिरिक्त विद्युत उत्पादन करने हेतु सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ-साथ निजी क्षेत्र को क्या भूमिका सौंपी गई है; और

(च) सभी घरों में बिजली उपलब्ध कराने संबंधी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं और क्या निगरानी प्रणाली गठित की गई है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3 के प्रावधानों के तहत केन्द्र सरकार ने 12.2.2005 को राष्ट्रीय विद्युत नीति अधिसूचित की है। नीति के मुख्य उद्देश्य नीचे दिए गए हैं:

* विद्युत की उपलब्धता—अगले पांच वर्षों में सभी घरों में बिजली की उपलब्धता।

* विद्युत की उपलब्धता-वर्ष 2012 तक विद्युत की संपूर्ण मांग को पूरा किया जाना। ऊर्जा और व्यस्ततमकालीन कमियों को पूरा करना है और 50% स्पिनिंग रिजर्व उपलब्ध कराना।

* कुशल तरीके से तथा उचित दरों पर विनिर्दिष्ट मानकों की विश्वसनीय एवं गुणवत्तायुक्त विद्युत की आपूर्ति।

* वर्ष 2012 तक विद्युत की प्रति व्यक्ति उपलब्ध 1000 यूनिट से भी अधिक बढ़ाना।

* वर्ष 2012 तक कम से कम 1 यूनिट प्रति घर प्रति दिन की दर से न्यूनतम जीवन रेखा खपत।

* विद्युत क्षेत्र में वित्तीय सुधार और वाणिज्यिक व्यवहार्यता की प्राप्ति।

* उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा।

(ग) और (घ) जी हां, राष्ट्रीय विद्युत नीति केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की टिप्पणियों तथा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की सलाह पर विचार करने के बाद राज्य सरकारों तथा अन्य पणधारियों के परामर्श से तैयार की गई है। सलाह-मशविरा आसानी से हो सके, इसके लिए राज्य सरकारों के साथ क्षेत्रीय बैठकें भी आयोजित की गईं थी।

(ङ) तीव्र आर्थिक विकास तथा घरों के विद्युतीकरण समेत ''सभी को विद्युत'' का लक्ष्य पूरा करने के लिए यह अनुमान लगाया गया है कि उत्पादन, पारेषण, उप-पारेषण, वितरण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए 2002-03 मूल्य स्तर पर 9,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत पड़ेगी। सरकार ने देश में नई उत्पादन क्षमता की अभिवृद्धि हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करने हेतु कई सुधार उपाय शुरू किए है। विद्युत अधिनियम, 2003 में उत्पादन के लिए अत्यधिक उदार ढ़ांचा रखा गया है। उत्पादन के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ताप उत्पादन परियोजना के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी-आर्थिक मंजूरी की अब आवश्यकता नहीं है। कैप्टिव उत्पादन को सभी नियंत्रणों से मुक्त कर दिया गया है।

राष्ट्रीय विद्युत नीति में उल्लिखित उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित पर जोर दिया गया है:-

* विद्युत एक महत्वपूर्ण अवसंरचना होने के नाते, केन्द्र सरकार निवेश तथा राज्य सरकार दोनों के स्तर पर सार्वजनिक क्षेत्र निवेश बढ़ाना होगा। क्षेत्र के अपेक्षित विस्तारण मात्रा पर विचार करने के बाद निजी क्षेत्र से भी एक बड़े निवेश की आवश्यकता होगी।

* अधिनियम की धारा 63 के प्रावधानों के तहत केन्द्र सरकार ने वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा विद्युत प्रापण हेतु टैरिफ के प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों हेतु दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।

* संभाव्य जल विद्युत क्षमताओं के पूर्ण विकास पर अधिकतम जोर—जल विद्युत परियोजनाओं के लिए लंबी अवधि के ऋण देना।

* निवेश पर इस तरह से प्रतिफल उपलब्ध कराने की आवश्यकता कि क्षेत्र अन्य क्षेत्रों में निवेश अवसरों के समान, यदि वरीयता न भी दें, पर्याप्त निवेश को आकर्षित करने में समर्थ हो सके।

* केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए कार्य योग्य तथा सफल माडल विकसित करने की आवश्यकता। इससे सार्वजनिक क्षेत्र वित्तों के साथ निजी क्षेत्र निवेश को सशक्त किया जा सकेगा।

(च) पांच वर्षों में आवासीय विद्युतीकरण को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ग्रामीण विद्युत अवसंरचना और आवासीय विद्युतीकरण की एक नई स्कीम अनुमोदित की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित के लिए 90% पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी।

(1) समुचित रूप से राज्य प्रणाली से संबद्ध प्रत्येक ब्लाक में एक 33/11 केवी (या 66/11 केवी) सब-स्टेशन के साथ ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन (आरईडीबी) का निर्माण।

(2) प्रत्येक गांव/वास स्थान में वितरण ट्रांसफार्मरों के साथ सभी गैर-विद्युतीकृत गावों/वास स्थानों के विद्युतीकरण के लिए ग्रामीण विद्युत अवसंरचना (वीईआई) का निर्माण।

(3) उन गांवों/वास स्थानों के लिए विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन (डीडीजी) एवं आपूर्ति प्रणाली, जहां ग्रिड आपूर्ति किफायती नहीं है और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय अपने कार्यक्रमों के माध्यम से विद्युत उपलब्ध नहीं कराएगा।

(4) देश में गरीबी रेखा से नीचे के सभी गैर-विद्युतीकृत घरों का नि:शुल्क विद्युतीकरण।

राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन आफ इंडिया (आरईसी) अगले 5 वर्षों में सभी घरों में विद्युत पहुंचाने के राष्ट्रीय साझा न्यूतम कार्यक्रम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने हेतु कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार स्तर की नोडल एजेंसी होगी तथा वह ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं का समय से कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी।

जाली करेंसी नोटों की जब्ती

*238. **श्री अधीर चौधरी:**
श्री निखिल कुमार:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय ने हाल में भारत की राजधानी में विदेशी नागरिकों से कई लाख रुपए मूल्य की जाली भारतीय करेंसी जब्त की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ पड़ोसी देश इस देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर बनाने हेतु जाली करेंसी भेज रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो देश की अर्थव्यवस्था पर जाली करेंसी का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) देश में जाली करेंसी के चलन को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ङ) राजस्व आसूचना निदेशालय (डी.आर.आई.) द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, उन्होंने हाल ही में राजधानी में बंगलादेश के दो नागरिकों से 45.98 लाख रुपये मूल्य के फर्जी भारतीय मुद्रा नोटों को पकड़ा है। दिल्ली के दो स्थानीय लोगों और बंगलादेश के नागरिकों जिन्हें फर्जी भारतीय मुद्रा नोट (एफआईसीएन) दिए जाने थे, पुलिस की हिरासत में हैं और सी.बी.आई. द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

सरकार के ध्यान में कुछ पड़ोसी देशों द्वारा अपनी सीमाओं के जरिए एफआईसीएन के भेजने में शामिल होने के संकेत मिले हैं। हालांकि, देश में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों और शाखाओं में फर्जी भारतीय मुद्रा नोटों का पता लगा है, जो परिचालन में भारतीय बैंक नोटों की कुल मात्रा की तुलना में अल्प हैं।

सरकार ने देश में जाली मुद्रा के नोटों के परिचालन को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं जिनमें देश में जारी नोटों की तस्करी रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल/सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा सतर्कता को बढ़ना, विधि प्रवर्तन अभिकरणों का प्रशिक्षण और सुग्राहीकरण, जनता के लाभ के लिए प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से सुरक्षोपायों पर सूचना का प्रकीर्णन आदि शामिल है। इसके अलावा, एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर, कुछ अतिरिक्त सुरक्षोपायों का भारतीय बैंक नोटों में समावेश अनुमोदित कर दिया गया है जो जाल-साजी को मुश्किल बनाएगा। इसके अलावा, भारत सरकार ने जाली मुद्रा नोटों के मामलों की जांच के अनुवीक्षण और ऐसे अपराधों से निपटने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को नोडल अभिकरण के रूप में नामांकित किया है।

लोक अदालतें

*239. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकतर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने स्थायी लोक अदालतों की स्थापना नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा आम आदमी को त्वरित, मितव्ययी और उचित न्याय उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) और (ख) जी हां। भवनों/फर्नीचर, पदों के सृजन, कर्मचारिवृंद के वेतन के संदाय और अन्य प्रशासनिक खर्चों के लिए प्रावधान करने जैसे अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सृजन करने के लिए राज्य सरकारों से पर्याप्त निधियां उपलब्ध न होने के कारण राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के समक्ष स्थायी लोक अदालतों को स्थापित करने में कठिनाई आ रही है।

(ग) सामान्य जन को उसके घर में न्याय उपलब्ध कराने के लिए देश भर में विधिक सहायता स्कीमों और कार्यक्रमों को तैयार तथा कार्यान्वित किया गया है। समाज के कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, बालकों, विकलांगों, नि:शक्त कर्मकारों और अभिरक्षाधीन व्यक्तियों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के उपबंधों के अधीन नि:शुल्क विधिक सेवाएं दी जा रही हैं। उपर्युक्त प्रवर्ग के व्यक्तियों को मुन्सिफ न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक में, उनके मामलों के संबंध में नि:शुल्क विधिक सहायता और सलाह तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण देश भर में लोक अदालतों का आयोजन कर रहे हैं। इन लोक अदालतों का गठन मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए किया गया है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण भी देश भर में विधिक सहायता स्कीमों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की मानीटरी और मूल्यांकन कर रहा है और सामान्य जन, विशेषकर समाज के निर्धन और कमजोर वर्गों में विधिक शिक्षा और विधिक जागरूकता लाने के लिए समुचित उपाय कर रहा है, जिससे कि विधिक सहायता आंदोलन को मजबूत किया जा सके।

बारहवां वित्त आयोग

***240. श्री तथागत सत्पथी:**
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बारहवें वित्त आयोग द्वारा अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा समग्र विकास हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या बारहवें वित्त आयोग ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन पर व्यय होने वाली धनराशि का हिसाब लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (घ) बारहवें वित्त आयोग (टी.एफ.सी.) ने राज्यों को सभी शेयर करने योग्य केन्द्रीय करों एवं प्रशुल्कों की निवल प्राप्तियों के हिस्से के रूप में 613,112.02 करोड़ रुपए के कुल आकलित अंतरण तथा 142,639.60 करोड़ रुपए के अनुदानों की सिफारिश की है। वर्ष 2000-05 के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा कुल आकलित 440,209.26 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2005-10 की अवधि के लिए राज्यों को कुल अंतरित राशि का औसत 755,751.62 करोड़ रुपए बनती है। भारत सरकार ने बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। राज्य-वार करों तथा प्रत्येक संस्तुत अनुदान में आकलित हिस्सा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

भारत सरकार ने वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए कर-जी.डी.पी. अनुपात बढ़ाने, व्यय को युक्तिसंगत बनाने तथा ऋण लेने में समझदारी बरतने के उपाय किए गए हैं। जब भी भारत सरकार की कर-प्राप्तियों में सुधार होता है, तो राज्यों को भी अतिरिक्त साधन मिल जाते हैं। ताकि वित्तीय स्थिति में सुधार किया जा सके।

बारहवें वित्त आयोग ने 1994-95 से 2002-03 की अवधि के लिए कर्मचारियों की संख्या तथा राज्य सरकारों के प्रति कर्मचारी वेतन पर होने वाले व्यय का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II तथा III में दिया गया है।

विवरण I

राज्यों को कुल वित्त आयोग अंतरण

(करोड़ रुपए)

राज्य	केन्द्रीय कर एवं शुल्क में हिस्सा (2005-10)	सहायता अनुदान											कुल अंतरण
		आयोजना भिन्न राजस्व घाटा (2005-10)	स्वास्थ्य क्षेत्र (2005-10)	शिक्षा क्षेत्र (2005-10)	सड़क एवं पुलों का रखरखाव (2006-10)	भवनों का रखरखाव (2006-10)	वनों का रखरखाव (2005-10)	ऐतिहासिक विरासत संरक्षण (2006-10)	राज्यों की विशेष आवश्यकताएं (2006-10)	स्थानीय निकाय (2005-10)	आपदा राहत (2005-10)	कुल (कालम 3 से कालम 12)	(कालम 2+ कालम 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
आंध्र प्रदेश	45138.68	-	-	-	980.12	242.53	65.00	40.00	500.00	1961.00	1425.93	5214.58	50353.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
अरुणाचल प्रदेश	1767.34	1357.88	-	-	44.36	57.42	100.00	5.00	10.00	71.00	112.56	1758.22	3525.56
असम	19850.69	305.67	966.02	1107.37	330.12	230.64	40.00	20.00	130.00	581.00	767.89	4478.71	24329.40
बिहार	67671.04	-	1819.69	2683.76	309.36	359.61	5.00	40.00	400.00	1766.00	592.37	7975.79	75646.83
छत्तीसगढ़	16285.76	-	-	-	262.40	183.09	85.00	10.00	300.00	703.00	444.45	1987.94	18273.70
गोवा	1589.14	-	-	-	39.48	24.18	3.00	20.00	10.00	30.00	8.73	135.39	1724.53
गुजरात	21900.47	-	-	-	895.20	203.61	20.00	25.00	200.00	1345.00	1019.47	3708.28	25608.75
हरियाणा	6596.46	-	-	-	182.72	151.80	2.00	15.00	100.00	479.00	515.46	1445.98	8042.44
हिमाचल प्रदेश	3203.22	10202.38	-	-	261.64	147.60	20.00	10.00	50.00	155.00	400.52	11247.14	14450.36
जम्मू-कश्मीर	7441.71	12353.46	-	-	117.68	164.54	30.00	10.00	100.00	319.00	343.89	13438.57	20880.28
झारखंड	20624.02	-	360.98	651.73	409.04	159.61	30.00	10.00	330.00	580.00	501.46	3032.82	23656.84
कर्नाटक	27361.88	-	-	-	1458.12	205.12	55.00	50.00	600.00	1211.00	475.16	4054.40	31415.28
केरल	16353.21	470.37	-	-	642.32	103.50	25.00	25.00	500.00	1134.00	354.32	3254.51	19607.72
मध्य प्रदेश	41180.59	-	181.64	459.56	586.88	443.02	115.00	20.00	300.00	2024.00	1011.27	5141.37	46321.96
महाराष्ट्र	30663.19	-	-	-	1189.68	223.61	70.00	50.00	300.00	2774.00	923.77	5531.06	36194.25
मणिपुर	222.44	1796.86	-	-	76.96	37.71	30.00	5.00	30.00	55.00	22.11	4648.76	6870.20
मेघालय	2276.61	1796.86	-	-	86.40	35.02	30.00	5.00	35.00	58.00	44.88	2091.16	4367.77
मिजोरम	1466.52	2977.79	-	-	42.12	23.29	25.00	5.00	65.00	30.00	26.19	3194.39	4660.91
नागालैंड	1613.67	5536.60	-	-	120.88	46.17	25.00	5.00	45.00	46.00	15.19	5839.74	7453.41
उड़ीसा	31669.47	488.04	196.37	323.30	1475.08	389.14	75.00	50.00	170.00	907.00	1199.37	5273.30	36942.77
पंजाब	7971.00	3132.67	-	-	420.96	151.80	2.00	10.00	96.00	495.00	605.16	4913.59	12884.59
राजस्थान	34418.56	-	-	100.00	633.32	213.09	25.00	50.00	450.00	1450.00	1722.50	4643.91	39062.47
सिक्किम	1392.94	188.67	-	-	18.64	32.15	8.00	5.00	100.00	14.00	69.74	436.20	1829.14
तमिलनाडु	32552.74	-	-	-	1214.40	242.53	30.00	40.00	300.00	1442.00	866.46	4135.39	36688.13
त्रिपुरा	2626.00	5494.20	-	-	61.49	50.11	15.00	5.00	49.00	65.00	51.12	5790.91	8417.00
उत्तर प्रदेश	118209.45	-	2312.38	4454.07	2403.16	600.28	20.00	50.00	800.00	3445.00	1177.11	15262.00	133471.45
उत्तरांचल	5762.22	5114.68	50.00	-	324.56	97.60	35.00	5.00	240.00	196.00	369.28	6432.12	12194.34
पश्चिम बंगाल	43303.91	3044.72	-	391.36	412.92	181.23	15.00	40.00	890.00	1664.00	933.64	7573.37	50877.28
जोड़ राज्य	613112.02	56855.87	5887.08	1071.65	15000.00	5000.00	1000.00	625.00	7100.00	25000.00	16000.00	142639.60	755751.62

विवरण II

सरकारी कर्मचारियों की राज्यवार संख्या

(संख्या)

राज्य	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
आंध्र प्रदेश	560138	564583	568907	697619	589998	581456	543147	514163	545859
अरुणाचल प्रदेश	33222	36325	37420	39222	39606	39445	40231	40322	41165
असम	413464	422690	430357	441590	459701	453245	447424	441634	435534
बिहार	627990	613440	595612	570241	548075	531633	515684	470825	462137
गोवा	31241	31880	33807	34056	34230	35341	35379	34276	34499
गुजरात	209873	208680	204355	197768	215874	206036	205935	211008	203286
हरियाणा	300963	309795	315120	313790	316472	320515	319027	322217	325439
हिमाचल प्रदेश	131497	138307	142934	148163	159542	168551	175324	177000	180540
कर्नाटक	593878	623117	654002	565072	606478	627973	619518	618062	622547
केरल	357203	362540	361115	367572	377037	389563	385234	385881	352730
मध्य प्रदेश	523583	526378	514677	513475	518381	516230	510115	505682	497985
महाराष्ट्र	736607	747392	736591	736969	729546	707326	710802	695870	692265
मेघालय	36194	38014	39613	42830	44928	46644	47427	48776	49813
उड़ीसा	407290	426786	458295	468941	475791	458458	433452	426885	419468
पंजाब	365703	367935	373468	371462	373270	378147	373702	376222	उ.न.
राजस्थान	512224	531235	551054	569575	586452	596143	600835	611583	607469
सिक्किम	19522	20158	20138	21701	20395	22728	22859	23426	23973
तमिलनाडु	690546	691515	691644	691644	708201	708699	708986	709599	उ.न.
त्रिपुरा	90300	89242	96310	96725	96673	105038	103736	101604	98379
उत्तर प्रदेश	873351	865254	815213	809507	803801	705368	702666	705803	705803
पश्चिम बंगाल	432503	432403	433705	431599	436285	437018	441160	442544	439300
कुल (21 राज्य)	7947292	8056669	8075237	8129521	8140736	8035557	7942643	7863382	6738191

उ.न.—उपलब्ध नहीं

विवरण III

प्रति कार्मिक वेतन व्यय

(रुपए में)

राज्य	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
आंध्र प्रदेश	35138	38033	40899	37991	49282	63562	75365	75897	80909
अरुणाचल प्रदेश	48040	51369	57119	67613	81229	88462	94136	93558	98221
असम	36895	41614	45720	51198	57860	73070	77432	81745	83720
बिहार*	54900	62482	67950	79987	97094	125763	125198	97677	105125
गोवा	43989	51333	61566	76501	83729	89573	92510	100053	102491
गुजरात	46501	58745	62631	74892	84218	90795	94320	96782	108095
हरियाणा	38922	44201	50667	50027	68620	81960	84196	92624	101355
हिमाचल प्रदेश	45542	50975	56717	66669	83728	84695	91691	101907	110582
कर्नाटक	36314	38344	42800	58445	61759	71788	73864	80491	81000
केरल	40554	42762	48599	50699	59504	79187	79443	72359	85961
मध्य प्रदेश*	46205	52963	60517	67392	85515	94208	99718	92114	106000
महाराष्ट्र	43053	49083	53015	57885	64797	99119	87452	90126	86281
मेघालय	53434	62001	70568	77378	82668	89471	96181	108088	113808
उड़ीसा	33262	36040	44441	51104	66479	8172	82980	78748	92876
पंजाब	45432	51659	62492	77198	98641	101137	114726	109846	एन.ए.
राजस्थान	41745	47682	53057	57281	78153	81548	81777	83651	87115
सिक्किम	42665	49012	54430	62041	125552	114852	109617	113651	121684
तमिलनाडु	45173	52731	61775	71807	91394	102509	101463	102998	एन.ए.
त्रिपुरा	34891	50654	42277	49915	58755	70292	77736	89609	99631
उत्तर प्रदेश*	40045	45998	56940	74531	79486	100010	105592	94971	108602
पश्चिम बंगाल	41846	45838	52430	57728	84631	93809	100265	98601	103714
भारित औसत (21 राज्य)	41968	47398	53631	61377	75116	89600	92214	90353	94603
विकास दर (औसत वेतन)		12.94	13.15	14.44	22.38	19.28	2.92	-2.02	4.70

*इन राज्यों का वर्ष 2000 में विभाजन हो गया। 2000-01 और 2001-02 के आंकड़े विभाजन के बाद की स्थिति को दर्शाते हैं।

[हिन्दी]

अंशदायी बीमा योजना

2376. श्री वाई.जी. महाजन:
श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार किफायती और अंशदायी बीमा योजना लागू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष कितने व्यक्तियों के लाभान्वित होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) ऐसी कोई योजना शुरू करने का विचार नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

एएआरडीओ को अंशदान

2377. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत अफ्रीका एशिया ग्रामीण विकास संगठन (एएआरडीओ) की सदस्यता के रूप में बड़ी राशि का अंशदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान एएआरडीओ को किए गए वार्षिक अंशदान का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारत ने एएआरडीओ के कौन-कौन से और कितने कार्यकलापों में भाग लिया; और

(घ) क्या पूर्वोक्त अंशदान से भारत को सदस्य देशों के साथ आपसी समन्वय बढ़ाने और देश में ग्रामीण जनता की गरीबी दूर करने में सहायता मिली है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) अफ्रीका एशिया ग्रामीण विकास संगठन (एएआरडीओ) के लिए भारत का वार्षिक सदस्यता अंशदान 106,000 अमेरिकी डालर है।

(ख) पांच वर्षों में एएआरडीओ को दिया गया वार्षिक अंशदान निम्नानुसार है:-

वर्ष	वार्षिक अंशदान
2004	106,000 अमेरिकी डालर
2003	106,000 अमेरिकी डालर
2002	106,000 अमेरिकी डालर
2001	106,000 अमेरिकी डालर
2000	106,000 अमेरिकी डालर

(ग) एएआरडीओ ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से निम्नलिखित विषयों पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें अनेक देशों ने हिस्सा लिया:

(1) अति लघु उद्यमों को प्रोत्साहन

(2) भारतीय प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन और अंतरण

(3) सूचना भंडारण और पुन: प्राप्ति प्रणाली

(4) लघु उद्यम प्रबंधन परामर्शी सेवा

(5) लघु उद्यम कार्यनीति और प्रोत्साहन

(6) कुल गुणवत्ता प्रबंधन और आईएसओ 9000/क्यू एस 9000

(7) उद्यम के माध्यम से महिलाओं को अधिकारिता

(8) विकासशील अर्थव्यवस्था में ग्रामीण उद्योग प्रोत्साहन

(9) डाटा वेयर हाऊसिंग और डाटा माइनिंग

(10) स्थायी औद्योगिक विकास के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी को अपनाना

(11) प्रबंधकों के लिए प्रशिक्षण पद्धति और कौशल

(12) निर्यातोन्मुख कृषि उद्योगों को प्रोत्साहन

(13) लघु उद्योग वित्तपोषण दृष्टिकोण और कार्यनीतियां

(14) स्थायी कृषि और ग्रामीण विकास के लिए सामरिक नीतियां

(15) वस्त्र प्रशिक्षण गुणवत्ता नियंत्रण और वस्त्र प्रसार आदि

(घ) एएआरडीओ एक ऐसा मंच है जिससे भारत काफी घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है ताकि सदस्य देशों के बीच ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया जा सके। हमारे अंशदान से संगठन को उसके मुख्य क्रियाकलापों, जैसे मानव संसाधन विकास और ग्रामीण लाभार्थियों की भागीदारी के जरिए प्रायोगिक परियोजनाओं का विकास करने, बुनियादी और सामाजिक सुविधाओं के मामले पर चर्चा करने, प्रौद्योगिकी अंतरण और आय एवं रोजगार सृजक क्रियाकलापों के माध्यम से गरीबी उपशमन कार्यक्रमों को जारी रखने में मदद मिलती है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में ट्रेड यूनियनों को सुविधाएं

2378. श्री लक्ष्मण सेठ: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिनांक 5 नवम्बर, 1989 के अपने आदेश में किसी भी पंजीकृत ट्रेड यूनियन को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में चेक आफ फेसिलिटी (जांच संबंधी सुविधा) प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऐसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) संथाल परगना ग्रामीण बैंक और कोरापुट पंचवटी ग्रामीण बैंक के प्रबंधन को ऐसी सुविधाएं प्रदान न करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रायोजक बैंकों को पंजीकृत यूनियनों, चाहे वे पंजीकृत हैं अथवा अन्यथा, को अपने प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में चन्दा कटौती सुविधा, यदि ऐसा अनुरोध किया जाए, देने को कहा था।

(ङ) संथाल परगना ग्रामीण बैंक तथा कोरापुट पंचवटी ग्रामीण बैंक के प्रायोजक बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि संथाल परगना ग्रामीण बैंक तथा कोरापुट पंचवटी ग्रामीण बैंक के प्रबंधन ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिकारी एवं कर्मचारी सेवा विनियमन, 2001 के खण्ड 31(1) के अनुसार केवल अधिकारियों को ऐसे लाभ देना अस्वीकार किया है।

[हिन्दी]

हस्तशिल्प योजना की समीक्षा

2379. श्री सुमित्र कुमार महतो:
श्री काशीराम राणा:
श्री वी.के. दुम्मर:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर झारखंड और गुजरात में कार्यान्वित की जा रही हस्तशिल्प संबंधित योजनाओं की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त योजनाओं में क्या खामियां हैं और उक्त योजना के कार्यान्वयन में सरकारी अधिकारियों द्वारा क्या चूक की गई है;

(ग) सरकार द्वारा कौन-सी अन्य योजनाएं तैयार की गई हैं या तैयार किए जाने का विचार है;

(घ) क्या विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय शिल्पकारों के उत्थान के मामले में असहयोग दिखा रहे हैं;

(ङ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) देश में हस्तशिल्प के संवर्धन एवं विकास हेतु कार्यान्वित की जा रही योजनाएं राज्य विशिष्ट नहीं हैं तथा ये योजनाएं कार्यकारी अभिकरणों जैसे राज्य हस्तशिल्प विकास निगम/एपेक्स निकाय तथा गैर-सरकारी संगठनों इत्यादि के मार्फत सहायता-अनुदान के रूप में कार्यान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं की आवधिक रूप से समीक्षा, इनके विस्तार एवं प्रभाव के मूल्यांकन को दृष्टि में रखते हुए, की जाती है और फिर इस समीक्षा के आधार पर इन योजनाओं में यथा अपेक्षित संशोधन/परिवर्तन करते हुए उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं ताकि इसका वितरण एवं विस्तार अत्यधिक प्रभावी बन सके। कार्यान्वयन के दौरान यदि कोई चूक ध्यान में आती है तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

(ग) देश में हस्तशिल्प संवर्धन के लिए इस समय जो योजनाएं चालू हैं वे इस प्रकार हैं:— बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई), डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन एवं सहायता सेवाएं; निर्यात संवर्धन; प्रशिक्षण एवं

विस्तार; अनुसंधान एवं विकास, बीमा योजना तथा विशेष हस्तशिल्प प्रशिक्षण परियोजना।

(घ) सरकार कारीगरों के उत्थान के लिए पूर्ण सहयोग एवं सहायता प्रदान करती है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गरीबी उपशमन हेतु विश्व बैंक की सहायता

2380. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2000 में विश्व बैंक की सहायता से आंध्र प्रदेश राज्य में आंध्र प्रदेश जिला गरीबी उपशमन परियोजना आरंभ की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) उक्त परियोजना की समापन तिथि क्या है;

(घ) इस परियोजना के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है और अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ङ) क्या आबंटित धनराशि का बड़ा हिस्सा अभी तक खर्च नहीं किया गया है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) परियोजना को निर्धारित तारीख तक पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) जी, हां।

(ख) चूंकि परियोजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण प्रगति की गई है इसलिए विश्व बैंक ने परियोजना को संतोषजनक माना है। स्व-सहायता समूहों और उनके संघ को संगठित करने तथा सुदृढ़ बनाने, संघों द्वारा व्यापार योजनाओं को विकसित करने, नई उप-परियोजनाओं की रूप-रेखा बनाने, समुदायों द्वारा बेची गई सुविधाओं की संख्या में वृद्धि करने, समुदायों और निजी क्षेत्र के बीच नई भागीदारी तथा सामाजिक मध्यस्थता के लिए नई पहल करने आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

(ग) इस समय परियोजना बंद करने की तारीख 31.12.2005 है।

(घ) से (छ) परियोजना के अंतर्गत 111.00 मिलियन अमेरिकी डालर के ऋण सहित आबंटित कुल धनराशि 134.8 मिलियन अमेरिकी डालर है। परियोजना में जनवरी, 2005 तक 70.872 मिलियन अमेरिकी डालर का उपयोग किया गया है। अब तक हुई प्रगति को ध्यान में रखते हुए, आशा है कि परियोजना बंद करने की तारीख तक पूरी ऋण राशि का उपयोग कर लिया जाएगा।

[हिन्दी]

बांग्लादेश में यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया का कार्यालय

2381. श्री बापू हरी चौरे: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया (यू बी आई) का विचार बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अपना पहला प्रतिनिधि कार्यालय खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 11.2.2005 को यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया को ढाका, बांग्लादेश में अपना पहला प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की है। बैंक इस कार्यालय को चालू करने के लिए आवश्यक उपाय कर रहा है।

बी.सी.सी.एल. की बकाया रायल्टी

2382. श्री जयप्रकाश (मोहनलाल गंज): क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कोयला कंपनियों पर कोयला रायल्टी की बकाया धनराशि का राज्य-वार और इकाई-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन कोयला कंपनियों से रायल्टी की बकाया राशि की वसूली के लिए किन-किन राज्यों ने कार्रवाई की है;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने रायल्टी की वसूली के लिए किसी कोयला कंपनी की परिसंपत्ति कुर्क करने हेतु कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सहायक कोयला कम्पनियों और सिंगरेनी कोलियरी कंपनी लि. (एससीसीएल) द्वारा किसी राज्य सरकार को कोयले की रायल्टी का कोई बकाया देय नहीं है। तथापि, झारखंड सरकार ने सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल) पर पिछली अवधियों के संबंध में स्टाक की कमी/गैर-विक्रेय कोयले की वजह से रायल्टी की विभिन्न मांगें उठायी हैं। ये सभी मामले जिनकी कुल राशि 48.87 करोड़ रुपए है, न्यायाधीन हैं। सीसीएल ने न्यायालय के आदेश के आधार पर उपर्युक्त मांगों के विरोध में राज्य प्राधिकारियों को 13.40 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान कर दिया है। झारखण्ड सरकार को बीसीसीएल के विवादास्पद रायल्टी का बकाया जिसका भुगतान नहीं किया गया है, 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के लिए क्रमश: 5.19 करोड़ रुपए, 8.26 करोड़ रुपए और 9.57 करोड़ रुपए है।

(ख) केवल झारखण्ड राज्य ने सी.सी.एल. से रायल्टी के बकाया की वसूली के लिए कार्रवाई की है। अन्य किसी राज्य ने रायल्टी के बकाये की वसूली के लिए किसी कोयला कंपनी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की है।

(ग) और (घ) झारखण्ड सरकार ने बकाया/न्यायाधीन मामलों के विरुद्ध सी.सी.एल. की परिसम्पत्तियों की जब्ती के लिए समय-समय पर कदम उठाए हैं, तथापि, आज तक सीसीएल में कोई जब्ती नहीं की गई है।

हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाएं

2383. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनी राम शांडिल्य: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004-2005 और 2005-2006 के दौरान हिमाचल प्रदेश की नदियों पर नदीवार कितनी जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किए जाने का विचार है या निर्माणाधीन है;

(ख) शिमला जिले में पबर नदी पर कितनी जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और उनकी कुल कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु अनिवासी भारतीयों सहित किसी कंपनी या किन्हीं इंडीविजुएलज को आमंत्रित किया गया है या कोई आवेदन प्राप्त किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान हिमाचल प्रदेश की नदियों पर नदी-वार निर्माण के लिए प्रस्तावित या निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ख) उपरोक्त भाग (क) में वर्णित परियोजनाओं में से केवल सवारा कुड्डू जल विद्युत परियोजना ही पबर नदी पर है और इसकी अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता 110 मेगावाट हैं।

(ग) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, पबर नदी पर पर सवारा कुड्डू जल विद्युत परियोजना के लिए किसी अनिवासी भारतीय (एनआरआई), सहित किसी कंपनी या व्यक्तियों को आमंत्रित नहीं किया गया है और न ही हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कोई आवेदन-पत्र प्राप्त किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान हिमाचल प्रदेश की नदियों पर नदी-वार निर्माण के लिए प्रस्तावित (विभिन्न स्वीकृतियों के अधीन) या निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं

क्र.सं.	खड्ड/नदी का काम	परियोजना का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	सेक्टर
1	2	3	4	5
1.	ब्यास	लारजी	126	राज्य
2.	खौली/ब्यास	खौली	12	राज्य
3.	उहल/ब्यास	उहल स्टेज-3	100	राज्य

1	2	3	4	5
4.	पार्बती/ब्यास	पार्बती-2	800	केंद्रीय
5.	पार्बती/ब्यास	पार्बती-3	520	केंद्रीय
6.	मलाना/ब्यास	मलाना	100	निजी
7.	भखली/ब्यास	पतिकारी	16	निजी
8.	सतलुज	करछाम वांग्टू	1000	निजी
9.	सतलुज	रामपुर	434	केंद्रीय
10.	सतलुज	कोलडैम	800	केंद्रीय
11.	गणवी/सतलुज	गनवी-2	10	राज्य
12.	भाबा/सतलुज	भाबा संवर्धन	4.5	राज्य
13.	कशांग/सतलुज	कशांग-1	66	राज्य
14.	पबर	सवारा कुड्डू	110	राज्य
15.	रावी	चमेरा-3	231	केंद्रीय
16.	होली/रावी	होली	3	राज्य
17.	गिरि/यमुना	रेनुका	40	राज्य
18.	अलाइन और दुहंगन	अलाइन दुहंगन	192	निजी

नोट— राज्य क्षेत्र और निजी क्षेत्र परियोजनाओं पर सूचना हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा दी गयी है।

[अनुवाद]

रुपये की परिवर्तनीयता

2384. श्री सुरेश कलमाडी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1992 से पूंजी और चालू खाते के संबंध में लागू रुपये की सीमित परिवर्तनीयता के अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) भारत के भुगतान संतुलन का चालू खाता अगस्त, 1994 में पूर्णत: परिवर्तनीय हो गया। तथापि, पूंजी खाते में परिवर्तनीयता के संबंध में प्रगति कहीं अधिक क्रमिक रही है। पूंजी खाते में किए गए बड़े सुधारों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) संबंधी नीतियों और प्रक्रियाओं का महत्वपूर्ण उदारीकरण शामिल है तथा भारतीय कंपनियों को भी वैश्विक निक्षेपागार प्राप्तियों और विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों (एफसीसीबी) के माध्यम से समुद्रपारीय बाजारों से संसाधन जुटाने की आज्ञा दे दी गई है। इसके अलावा, अनिवासी भारतीय जमाओं, और विदेशी वाणिज्यिक उधारों के संबंध में नीतियों को भी और उदार बनाया गया है।

(ख) भारत के चालू और पूंजी खाता लेन-देनों ने उल्लेखनीय रूप से भारत के भुगतान संतुलन को मजबूत किया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1990-91 में मात्र 5.8 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 4 मार्च, 2005 को 137 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक हो गया। भारी पूंजी अंतर्प्रवाहों से 2003-04 में 20 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक का पूंजी खाता अधिशेष हो गया। चालू खाते में भी 2001-02 से 2003-04 की अवधि के दौरान, रहा अधिशेष भारत के विदेशी क्षेत्र की क्रमिक मजबूती को दर्शाता है।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में एफआईआई निवेश

2385. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में निवेश हेतु एफआईआई से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) विनियमावली, 1995 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास एक बार पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक विद्यमान विनियमों व मार्गनिर्देशों के अध्यधीन स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रकों सहित भारतीय कंपनियों में पोर्टफोलियो निवेश कर सकते हैं।

चंडीगढ़ में विद्युत संकट

2386. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार चंडीगढ़ में विद्युत की कुल मांग और आपूर्ति कितनी है;

(ख) संघ राज्य क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के स्रोत क्या हैं और वर्तमान में वहां कितने उप बिजलीघर हैं;

(ग) क्या हाल ही के दिनों में वहां पर विद्युत की आपूर्ति बार-बार बाधित हो रही थी;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) अप्रैल, 04-फरवरी, 05 अवधि के दौरान, संघ राज्य-क्षेत्र चंडीगढ़ में विद्युत आपूर्ति की स्थिति निम्न प्रकार रही-

ऊर्जा (मि.यू.)		व्यस्ततम (मे.वा.)	
आवश्यकता	1074	व्यततम मांग	224
उपलब्धता	1065	व्यस्ततम पूर्ति	224
कमी	9	कमी	0
कमी (%)	0.8	कमी (%)	0

(ख) संघ राज्य-क्षेत्र, चंडीगढ़ द्वारा बिजली की आवश्यकताओं की पूर्ति अपने स्रोतों (अर्थात् डी.जी. सेटों), इसके भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) परियोजना में निजी हिस्सेदारी तथा केन्द्रीय क्षेत्र उत्पादन केन्द्रों (सीजीएस) से आबंटन द्वारा की जाती है। वर्तमान में चंडीगढ़ में सोलह (16) उपकेन्द्र हैं, जिसमें से एक 220 केवी, नौ 66 केवी तथा छः 33 केवी उपकेन्द्र हैं।

(ग) और (घ) जनवरी तथा फरवरी, 2005 में, संघ राज्य-क्षेत्र चंडीगढ़ में विद्युत की मांग ने उपलब्धता को पार कर लिया था। इन दो माह के दौरान प्रतिदिन 2-3 घंटों के लिए 7-10 मे.वा. लोड शेडिंग का सहारा लिया गया। फरवरी, 2005 के दौरान व्यस्ततम विद्युत मांग के घंटों के दौरान एचटी एवं एलटी उद्योग में प्रत्येक में 4 मे.वा. की मांग कटौती की गई।

(ङ) विद्युत की कमी से निपटने के लिए चंडीगढ़ को केन्द्रीय सरकार के केन्द्रों (सीजीएस) के अनाबंटित कोटा से अतिरिक्त विद्युत आबंटन द्वारा समय-समय पर सहायता उपलब्ध करवाई गई है। वर्तमान में, उत्तरी क्षेत्र (एनआर) में सीजीएस में 72 मे.वा. के स्थायी आबंटन के अतिरिक्त चंडीगढ़ को उत्तरी क्षेत्र में सीजीएस के अनाबंटित कोटा से 52 मे.वा. तथा पूर्वी क्षेत्र में एनटीपीसी स्टेशन में अनाबंटित कोटा से 20 मे.वा. का आबंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त 10वीं योजना की शेष अवधि के दौरान उत्तीर क्षेत्र में सीजीएस की स्थापना से विद्युत की उपलब्धता को बढ़ाया जाएगा जिसमें संघ राज्य-क्षेत्र चंडीगढ़ का अधिकार भी होगा।

[हिन्दी]

निजी बीमा कंपनियों का बंद किया जाना

2387. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान कितनी निजी कंपनियों ने अपना व्यवसाय बंद किया है;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त कंपनियों ने बीमा कराने वाले व्यक्तियों को उनकी धनराशि वापस कर दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) आई आर डी ए द्वारा दी गई सूचना के अनुसार किसी भी निजी बीमा कंपनी ने पिछले दो साल के दौरान अपना कारोबार बन्द नहीं किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अनियमितताएं

2388. श्री अतीक अहमद: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन में कतिपय अनियमितताओं का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत निर्माण की जाने वाली सड़कों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (ग) ग्रामीण सड़क राज्य का विषय होने के नाते कार्यक्रम का सही निष्पादन सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकार की निगरानी व्यवस्था द्वारा कार्यान्वयन की गुणवत्ता और इसके अलावा सामान्य लेखा-परीक्षा प्रक्रिया से भी मानीटरिंग की जाती है।

कार्य-स्तर पर गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु एक त्रि-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था भी निर्धारित की गई है। निष्पादन एजेंसी के रूप में राज्य सरकार, कार्य-स्तर पर और राज्य-स्तर पर पहले दो चरणों के लिए जिम्मेदार है। केन्द्र स्तर पर, तीसरे चरण की गुणवत्ता मानीटरिंग, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एनआरआरडीए) के जरिए, राष्ट्रीय गुणवत्ता मानीटर (एनक्यूएम), जिसके सदस्य सड़क निर्माण क्षेत्र में अनुभवी वरिष्ठ सेवा-निवृत्त अभियंता होते हैं, के माध्यम से कराई जाती है। वे कार्यों का व्यवस्थित औचक आधार पर निरीक्षण करते हैं और कार्य निष्पादन संगठन को कार्यक्रम के सभी तकनीकी पहलुओं पर सलाह देते हैं।

अक्तूबर, 2004 तक एनक्यूएम की जांच निम्नलिखित प्रकार है:-

पूरे कर लिए गए कार्य		चल रहे कार्य	
संतोषजनक	असंतोषजनक	संतोषजनक	असंतोषजनक
8678	713	11143	3451

जहां कार्य असंतोषजनक पाया जाता है, सामग्री की गुणवत्ता अथवा कार्य-कौशल में आवश्यक सुधार किया जाता है। पूरे कर लिए गए असंतोषजनक कार्यों के मामलों में, राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह चूक करने वाले ठेकेदार के खिलाफ कारवाई करे।

वस्त्र क्षेत्र में भारतीय मानक ब्यूरो

2389. श्री बालेश्वर यादव: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्र क्षेत्र में भारतीय मानक ब्यूरो के उपबंधों को लागू नहीं किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण के अन्य उपबंधों को लागू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) से (घ) जी, हां। सरकार कानून बनाने की प्रक्रिया में है जिससे अन्य बातों के साथ-साथ घरेलू रूप से उत्पादित और आयातित वस्तुओं पर चिन्ह निर्धारित कर घरेलू वस्त्र उद्योग और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी क्योंकि वस्त्र क्षेत्र में भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के उपबंधों को अनिवार्य बनाना वांछनीय नहीं है।

पवन चक्कियां

2390. श्री हंस राज जी. अहीर: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा पवन चक्कियों से ऊर्जा का उत्पादन करने हेतु कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पवन चक्कियों के प्रतिकूल प्रभावों को रोकने के लिए किसी उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) आज की स्थिति के अनुसार देश में राज्यवार पवन चक्कियों से कितनी ऊर्जा का उत्पादन किया गया;

(च) क्या पवन चक्कियों द्वारा विद्युत उत्पादन से परियोजना स्थल पर वर्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) जी, हां। मंत्रालय पवन ऊर्जा कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है जिसका उद्देश्य पवन ऊर्जा का, मुख्यतया ग्रिड विद्युत के उत्पादन के लिए उपयोग करना है। इसक कार्यक्रम में पवन संसाधनों का सर्वेक्षण और मूल्यांकन करने, सीमित प्रदर्शन परियोजनाओं की स्थापना और पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी-वैट) को सहायता के लिए आंशिक वित्तीय सहायता दी जाती है। वाणिज्यिक पवन फार्म परियोजनाओं की स्थापना के लिए निजी विकासकर्त्ताओं/निर्माताओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन जैसे त्वरित मूल्यह्रास, कुछ संघटकों पर रियायती सीमा शुल्क, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी से आवधिक ऋण, उत्पाद शुल्क में छूट आदि भी उपलब्ध हैं। देश में 31.12.2004 के अनुसार लगभग 3000 मे.वा. संचयी संस्थापित क्षमता प्राप्त कर ली गई है।

(ग) और (घ) पवन चक्कियों से विद्युत का उत्पादन बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के प्रदूषण रहित और पर्यावरण अनुकूल है। फिर भी, पवन टरबाइनों का अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ देश में लाईसेंस युक्त/संयुक्त उद्यमों के अंतर्गत निर्माण किया जा रहा है।

(ङ) दिसम्बर, 2004 के अंत तक कुल लगभग 16.17 बिलियन यूनिट बिजली का संचयी उत्पादन हुआ है। राज्यवार संस्थापना का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) और (छ) जी नहीं। पवन चक्कियों के माध्यम से विद्युत का उत्पादन परियोजना स्थल पर वर्षा की मात्रा को प्रभावित नहीं करता है।

विवरण

पवन विद्युत परियोजनाओं से 31 दिसम्बर, 2004 तक राज्यवार विद्युत उत्पादन

राज्य	मिलियन यूनिट
1	2
आंध्र प्रदेश	622.3
गुजरात	1304.2
कर्नाटक	1186.4
केरल	15.8
मध्य प्रदेश	171.7
महाराष्ट्र	2395.5
उड़ीसा	1.2
तमिलनाडु	10399.9
राजस्थान	73.3
पश्चिम बंगाल	1.6
कुल	16171.9

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा

2391. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अनुसूचित बैंक हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) और (ख) सभी 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 3(1) के तहत स्थापित किए गए हैं, अनुसूचित बैंक हैं।

पवन/सौर ऊर्जा

2392. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील:
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पवन और सौर ऊर्जा की संभावनाएं तलाशने के लिए कुछ देशों के साथ अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिए जाने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में आज तक क्या प्रगति हासिल की गई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) इस समय, पवन और सौर ऊर्जा की संभाव्यता का पता लगाने के लिए किसी देश के साथ सरकार के स्तर पर किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

चीन से रेशम का आयात

2393. श्री एम.वी. वीरेन्द्र कुमार:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय बाजार चीन के रेशम के आइटमों से भरे पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे घरेलू रेशम उद्योग प्रभावित हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो घरेलू रेशम उद्योग को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) से (ग) जी, हां। चीन से अपरिष्कृत रेशम तथा रेशम फैब्रिक के आयात में काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 2001-02 से 2003-04 तक अपरिष्कृत रेशम का आयात 6317 मी. टन से बढ़कर 7576 मी. टन हो गया और रेशम फैब्रिक का आयात 766 मी. टन से बढ़कर 2824 मी. टन हो गया है। ये आयात घरेलू कीमतों से कम कीमतों पर हो रहे हैं जिसके कारण घरेलू उद्योग के लिए संकट उत्पन्न हो रहा है।

(घ) घरेलू रेशम उद्योग की रक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं:-

(1) चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा निर्यातित अंतर्राष्ट्रीय ग्रेड-2ए और उससे निम्न श्रेणी की सभी आयातित शहतूती अपरिष्कृत रेशम पर 2 जनवरी, 2003 से भारत सरकार द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है ताकि इन सामानों को उतारने के बाद मूल्य 27.97 अमरीकी डालर प्रति कि.ग्रा. पर रखा जा सके।

(2) घरेलू रेशम उद्योग की गुणवत्ता, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम एवं योजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें से महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं:-

* अधिक उत्पादक और दाब सहनशील प्रजातियों तथा शहतूत और गैर-शहतूत खाद्य पादपों और रेशम कीटों की संकर प्रजातियों के विकास द्वारा, रेशम उत्पादन की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करने तथा रेशम में कम लागत वाली रीलिंग एवं प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड के अनुसंधान एवं विकास संबंधी प्रयास तेज किए गए हैं।

* केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों, किसानों एवं रीलर्स को मूल प्रजाति एवं मूल बीज के रखरखाव, वाणिज्यिक बीज की आपूर्ति और रोग मुक्त अधिक पैदावार और सूखा रोधक बीजों के उत्पादन के लिए खाद्यान्न सुविधाओं के संवर्धन द्वारा बीज सहायता एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है।

* राज्यों को कृषि अध्यसंरचना के सुदृढ़ीकरण, रेशम उत्पादन के तहत क्षेत्रफल में वृद्धि, रीलिंग सुविधाओं के उन्नयन, परिष्करण प्रक्रियाओं में सुधार, बीज आपूर्ति, कोया एवं रेशम परीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एवं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से केंद्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

* केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा विकसित की गई निम्न लागत एवं उत्पादकता बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकियों को लाभार्थियों को केंद्रीय सहायता, राज्यों की विस्तार मशीनरी एवं लाभार्थियों को प्रशिक्षण, विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन आदि के माध्यम से लोकप्रिय किया जा रहा है।

* स्वदेशी रेशम उद्योग के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी यू एफ एस) के तहत, लागू बैंक दर से 5% बिंदु कम पर ऋण अन्य बातों के साथ-साथ रेशम क्षेत्र के लिए उपलब्ध है।

* किसानों, अपरिष्कृत रेशम उत्पादकों और बुनकरों के मध्य आपूर्ति श्रृंखला संबंधी मुद्दों का, कांट्रेक्ट खेती माडल, कीमत संबद्ध ग्रेडिंग आदि का पक्ष लेकर समाधान किया जा रहा है।

* रेशम कीट बीज, कोये, यार्न और फैब्रिक के लिए गुणवत्ता प्रमाणन प्रणालियां स्थापित करना।

* उपर्युक्त कार्य नीति एवं कार्यक्रमों की सहायता के लिए रेशम उत्पादन क्षेत्र के वास्ते 10वीं योजना में 450 करोड़ रु. की राशि की व्यवस्था की गई है।

पावर ग्रिड कारपोरेशन

2394. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र और गुजरात की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने वाला वेस्टर्न पावर ग्रिड प्राय: काफी समय तक विद्युत प्रदान नहीं कर पाता है;

(ख) यदि हां, तो ग्रिड के ठप्प होने के क्या कारण हैं और वर्ष 2003-04 और 2005 के दौरान अब तक यह कितने बार ठप्प हुआ; और

(ग) भविष्य में ऐसे ठप्प होने के ट्रेंड को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) पश्चिमी विद्युत ग्रिड ने वर्ष 2003-04 और 2004-05 (13.03.05 तक) के दौरान किसी बड़ी रुकावट का सामना नहीं किया। यद्यपि, पश्चिमी ग्रिड में छ: आंशिक (छोटी) ग्रिड बाधाएं उत्पन्न हुई थीं, जिससे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों की विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुई थी। इन ग्रिडों की आंशिक बाधाएं निम्नलिखित हैं-

आंशिक ग्रिड बाधा होने की तिथि		मुख्य कारण
2003-04		
(1)	06.10.03	उपकेंद्र के उपकरणों का फेल होना
(2)	5.11.03	पारेषण बाधाएं
(3)	7.11.03	पारेषण बाधाएं
(4)	6.12.03	पारेषण बाधाएं
(5)	5.2.04	उपकेन्द्र के उपकरणों का फेल होना
2004-05		
(1)	27.2.05	महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के कोराड़ी ताप विद्युत गृह में आग लगना

(ग) भविष्य में इस प्रकार की रुकावटों को रोकने के लिए निम्नलिखित अल्पकालीन, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन उपाय विकसित किए गए हैं:-

(1) अंत:क्षेत्रीय और अंतर-क्षेत्रीय पारेषण प्रणाली नेटवर्क को मजबूत करना।

(2) कम वोल्टेज के क्षेत्रों में, अंडर वोल्टेज रिले लगाना।

(3) प्रतिक्रियात्मक विद्युत उत्पादन को अधिकतम बढ़ाना।

(4) स्वचालित कम आवृत्ति रिले स्कीमों से भार में राहत।

(5) कम वोल्टेज दशाओं आदि से निपटने के लिए शंट कैपीसिटर लगाना।

(6) पावरग्रिड द्वारा दिसम्बर, 2004 में 400 कि.वो. खण्डवा उपकेन्द्र को चालू किया जा चुका है। इससे 220 केवी बुरवाह-नेपानगर सर्किट 1 व 2 पर लूप इन-लूप आउट (लीवो) के प्रावधान द्वारा खंडवा उपकेन्द्र को लगभग 200 मे.वा. विद्युत अंतरित करने में आसानी हुई है।

(7) एबीटी उपलब्धता आधारित टैरिफ (एबीटी) प्रणाली लागू की गई है और उत्पादन को बढ़ाकर तथा भार नियामक उपायों द्वारा फ्रीक्वेन्सी को वांछित सीमा 49.0 से 50.5 हर्ट्ज रखने हेतु ग्रिड फ्रीक्वेन्सी की बारीकी से, निगरानी की जा रही है।

तमिलनाडु की ओर बकाया धनराशि

2395. श्री के.सी. पलनिसामी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु सरकार की ओर कितनी धनराशि बकाया है;

(ख) क्या इस संबंध में तमिलनाडु सरकार ने कोई अभ्यावेदन दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य सरकार द्वारा इस बकाया राशि पर वर्ष में ब्याज के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया जा रहा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) तमिलनाडु सरकार पर, वित्त मंत्रालय द्वारा दिया गया, भारत सरकार का कोई ऋण बाकी नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

शेयरों पर ऋण की मार्जिन राशि को बढ़ाना

2396. श्री सुरेश कलमाडी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने शेयरों, पब्लिक इश्यू गारंटी और आवश्यक न्यूनतम नकदी पर ऋण की मार्जिन राशि को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) से (ग) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 दिसम्बर, 2004 से शेयरों/आईपीओ के वित्तपोषण/गारंटियां जारी किए जाने आदि के एवज में सभी अग्रिमों पर मार्जिन 40% से बढ़ाकर 50% करने के लिए एक परिपत्र जारी किया है। 50% मार्जिन के भीतर न्यूनतम नकदी मार्जिन बैंकों द्वारा जारी की गई गारंटियों के संबंध में 20% से बढ़ाकर 25% किया गया है। दिनांक 27 दिसम्बर, 2004 के परिपत्र डीबीओडी संख्या डीआईआर.बीसी 64/13.07.05/2004-05 भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाईट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है।

आय कर लगाने के विरुद्ध ए पी एम सी का अभ्यावेदन

2397. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि उत्पाद विपणन समिति और राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिए उक्त समिति पर लगाए गए आय कर के विरुद्ध अभ्यावेदन दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा लिया गया अंतिम निर्णय क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि उदार कर व्यवस्था से असंगत समस्त छूटों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की आवश्यकता को देखते हुए, वित्त अधिनियम, 2002 के माध्यम से आयकर अधिनियम की धारा 10 (2) के अंतर्गत "स्थानीय प्राधिकरण" पद को परिभाषित करने और इसके द्वारा छूट को पंचायतों नगरपालिकाओं, नगरपालिका समितियों, जिला बोर्डों तथा छावनी बोर्डों तक ही सीमित करने के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया गया था। कृषि विपणन बोर्ड एवं बाजार समितियां इस परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती हैं इसलिए ये इस धारा के अंतर्गत कर छूट प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।

अतिरिक्त उपकर का संग्रहण

2398. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा सड़कों के विकास के लिए 1 अप्रैल, 2003 से पेट्रोल और डीजल पर 50 पैसे प्रति लीटर का अतिरिक्त उपकर लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो केवल इस योजना के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि संग्रहीत की गई है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों की सड़कों के लिए धनराशि का हिस्सा कितना है; और

(घ) संबंधित मंत्रालयों को मंत्रालय-वार कितनी धनराशि जारी की गई है और यह धनराशि किन-किन तारीखों को जारी की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त सीमा शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (उपकर के रूप में ज्ञात) की दर बजट 2003 में दिनांक 1 मार्च, 2003 से 1 रु. प्रति लीटर से बढ़ाकर 1.50 रु. प्रति लीटर किया गया था।

(ख) वर्ष 2003-04 के दौरान पेट्रोल और डीजल पर उपकर से संग्रहीत कुल राशि 7453 करोड़ रु. थी।

(ग) और (घ) वर्ष 2003-04 और 2004-05 के लिए केन्द्रीय सड़क कोष से व्यय प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	मद	करोड़ रु. में	
		2003-04	2004-05
1.	राज्यों के अनुदान	875.60	835.53
2.	राज्यों को अंतरराज्य और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान	95.00	92.00
3.	केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को अनुदान	35.16	32.47
4.	केन्द्र शासित प्रदेशों को अंतरराज्य और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान	5.00	4.00
5.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में निवेश	1993.00	1848.00
6.	रेलवे	433.00	401.00
7.	ग्रामीण सड़कें	2325.00	2148.00
	योग	5761.76	5361.00

कंपनियों की वार्षिक रिटर्न

2399. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिसंख्य कंपनियां अपना वार्षिक रिटर्न दायर नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कितनी कंपनियों को अयोग्य घोषित किया गया है?

कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द गुप्ता): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) वार्षिक रिटर्नों को दायर न करने पर कंपनी को अयोग्य घोषित करने के लिए कंपनी अधिनियम में कोई उपबंध नहीं है।

हैम रेडियो उपकरणों का आयात

2400. श्री पी.सी. थामस: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सुनामी आपदा प्रबंधन में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और देश के मुख्य भाग के बीच संचार संपर्क स्थापित करने में भारत के हैम रेडियो के संचालकों द्वारा उस समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई जब संचार के अन्य सभी साधन विफल हो गए थे और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और देश के अन्य दक्षिणी राज्यों के विभिन्न प्राधिकरणों ने भी इस बात को स्वीकार किया है;

(ख) क्या सरकार का विचार आयात शुल्क रहित प्रयुक्त हैम रेडियो उपकरणों के आयात का है जिससे उपकरणों के अभाव में दम तोड़ रही इस सेवा को प्रोत्साहन मिल सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां। सुनामी आपदा के पश्चात् भारत के हैम रेडियो संचालकों द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से रेडियो संचार स्थापित किया गया था। लगभग 15 हैम रेडियो संचालकों ने राहत अभियानों से जुड़े ऐसे संचार संपर्क के लिए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थानीय प्राधिकरणों को सहयोग प्रदान किया।

(ख) लाइसेंसशुदा शौकिया रेडियो संचालकों द्वारा आयात किए गए विनिर्दिष्ट बेतार उपस्करों, आनुषंगिक उपकरणों एवं पुर्जों पर मात्र 5% का रियायती सीमा शुल्क लगाया जाता है बशर्ते कि कुल मूल्य सीमा 75,000 रुपये हो। वर्तमान में, हैम रेडियो उपकरणों को आयात शुल्क के उद्ग्रहण से पूर्णत: छूट प्रदान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

उत्पाद और सीमा शुल्क से छूट

2401. श्री मधु गौड यास्खी:
श्री के.एस. राव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से लुम्बिनी पार्क में प्रस्तावित लेजर शो परियोजना के लिए बुद्ध पूर्णिमा परियोजना प्राधिकरण, हुडा, हैदराबाद हेतु सीमा शुल्क से छूट देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने बुद्ध पूर्णिमा परियोजना प्राधिकरण के लिए सीमा शुल्क से छूट देने का अनुरोध किया था, किन्तु इसे स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि यह सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 25(2) के अंतर्गत जारी छूट मार्गदर्शनों के अनुरूप नहीं था।

राष्ट्रीय विधिक साक्षरता मिशन

2402. श्री के.एस. राव:
श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चदा':
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में राजधानी में राष्ट्रीय विधिक साक्षरता मिशन 2005-10 की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रतिभागियों द्वारा किन-किन मुद्दों को उठाया गया;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या उच्च न्यायपालिका को लोकपाल के अंतर्गत लाने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) जी हां। भारत के माननीय प्रधान मंत्री और भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा राष्ट्रीय विधिक साक्षरता मिशन का संयुक्त रूप से तारीख 6 मार्च, 2005 को विज्ञान भवन में शुभारम्भ किया गया था।

(ख) मुद्दों में जन साधारण को उसके विधिक अधिकारों, मूल अधिकारों और मूल कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक बनाने तथा जन साधारण न्याय कैसे प्राप्त कर सकता है, मुद्दे भी सम्मिलित थे।

(ग) संघ सरकार की इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया रही हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय विधि और न्याय मंत्री ने उक्त मिशन का समर्थन किया और मिशन के कार्यान्वयन के लिए खुले दिल से सरकार का समर्थन दिया।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों को कोयले की आपूर्ति

2403. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी प्रत्येक अनुषंगी कंपनियों द्वारा प्रत्येक राज्य में कितने लघु और कुटीर उद्योगों को कोयले की आपूर्ति की जाती है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष ऐसे उद्योगों को कुल कितने टन कोयले की आपूर्ति की गई और आपूर्ति किए गए कोयले का प्रति टन मूल्य कितना था;

(ग) क्या लघु उद्योग और कुटीर उद्योग तथा अन्य उद्योगों को आपूर्ति किए जाने वाले कोयले का आपूर्ति मूल्य सामान्य रूप से बिक्री किए जाने वाले कोयले से कम होता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने हाल ही में कोयला विनिर्माण कंपनियों, लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों द्वारा चलाई जा रही कंपनियों की जांच कराने का निर्णय लिया है जो कि रियायती दर पर कोयला प्राप्त करती हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) नान-कोर क्षेत्र के लिंक्ड उपभोक्ता जिनमें से अधिकांश लघु तथा कुटीर उद्योगों की श्रेणी में आते हैं, की संख्या 2722 तक हैं जो इस समय कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कम्पनियों से कोयला ले रहे हैं। इसका राज्य-वार ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य	उपभोक्ताओं की संख्या
1.	असम	3
2.	बिहार	180
3.	सिक्किम	1
4.	नागालैंड	7
5.	मेघालय	1
6.	पश्चिम बंगाल	623
7.	उड़ीसा	30
8.	छत्तीसगढ़	84
9.	आंध्र प्रदेश	3
10.	मध्य प्रदेश	321
11.	झारखण्ड	286
12.	उत्तर प्रदेश	831
13.	महाराष्ट्र	231
14.	गुजरात	9
15.	हरियाणा	15
16.	पंजाब	92
17.	राजस्थान	5
	जोड़ (क्रम सं. 1 से 17)	2722

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में जनवरी, 2005 तक ऐसे लिंक्ड उपभोक्ताओं को सप्लाई किए गए कोयले की कुल मात्रा इस प्रकार है:

वर्ष	प्रेषित मात्रा (मिलियन टन)
2001-02	14.71
2002-03	13.36
2003-04	12.76
2004-05 (जनवरी 2005 तक)	10.15 (अनंतिम)

चूंकि इन उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए गए कोयले की गुणवत्ता ग्रेड के अनुसार भिन्न-भिन्न हैं, इसलिए तदनुसार प्रति टन दर भी भिन्न-भिन्न है। सबसे कम और सबसे अधिक बेसिक दरें 400 रुपए प्रति टन से 2160 रुपए प्रति टन के बीच हैं।

(ग) और (घ) लघु तथा कुटीर उद्योगों और अन्य लिंक्ड उद्योगों को सामान्य बिक्री की दर से कम दर पर कोयला नहीं मिलता है। वास्तव में ऐसे सभी लिंक्ड उपभोक्ता ई-नीलामी के अंतर्गत परीक्षण बिक्री के सिवाय कोल इंडिया लि. की अधिसूचित कीमतों द्वारा निदेशित होते हैं जिसमें दरें स्वयं उपभोक्ताओं द्वारा बोली की प्रक्रिया के जरिए निर्धारित की जाती हैं।

(ङ) और (च) कोयला और इस्पात से सम्बद्ध स्थायी समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया लि. और कोयला उत्पादन करने वाली उसकी सहायक कम्पनियों को पहले ही निदेश दे दिए हैं कि वे सभी वैध लिंक्ड नान-कोर उपभोक्ताओं का सत्यापन करें। मंत्रालय ने ऐसे उपभोक्ताओं का सत्यापन करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश/जांच सूची का भी सुझाव दिया है। कोयला मंत्रालय ने अपने राज्यों में स्थित उन उपभोक्ताओं की प्रमाणिकता की जांच करने के लिए अलग से सभी राज्य सरकारों (उद्योग तथा लघु उद्योग विभाग) को भी लिखा है कि जो सहायक कोयला कम्पनियों से कोयला प्राप्त कर रहे हैं।

पारदर्शी ऋण प्रक्रिया

2404. श्री निखिल कुमार चौधरी:
श्री रघुराज सिंह शाक्य:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है जिसके कारण बहुत से लोग इच्छा होने के बावजूद ऋण प्राप्त नहीं कर पाते;

(ख) क्या एक ओर तो लोगों को ऋण की आवश्यकता है वहीं दूसरी ओर बैंकों के पास अतिरिक्त धनराशि भी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जरूरतमंद लोगों को ऋण प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) विभिन्न आर्थिक कार्यकलापों के लिए ऋणों की संस्वीकृति के लिए बैंकों की भिन्न-भिन्न योजनाएं हैं। जो आवेदक वित्त के लिए पात्र हैं और जिनके प्रस्ताव वाणिज्यिक दृष्टि से ऋण-पात्र हैं, उन्हें बैंकों द्वारा उधार उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। छोटे उधारकर्त्ताओं के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को दिए गए विभिन्न दिशानिर्देशों के जरिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकिंग तंत्र में पर्याप्त चलनिधि है। बैंक ऋण न केवल लोगों की आवश्यकता पर, अपितु प्रस्तावित कार्यकलापों की अर्थक्षमता पर भी आधारित होते हैं।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों संबंधी आवश्यक दिशानिर्देश जारी करता रहा है, जिनमें जरूरतमंद लोगों के लिए सरकारी योजनाएं शामिल हैं।

[अनुवाद]

स्विस बैंक में बैंक खातों की गोपनीयता

2405. श्री जार्ज फर्नान्डीज: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्विट्जरलैंड की सरकार ने उस देश में बैंक खातों की गोपनीयता के संबंध में ढील दी है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे भारतीय नागरिकों, जो लम्बे समय से अपनी अवैध कमाई को स्विस बैंक खातों में रख रहे थे, की पहचान करने हेतु इस अवसर का लाभ उठाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लंबित शिकायतें

2406. **श्री हरिकेवल प्रसाद:**
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक को असंतोषजनक बैंकिंग सेवाओं संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार के पास कितनी शिकायतें लंबित हैं;

(घ) इनके लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग में लोक शिकायत निवारण कक्ष में बैंकिंग सेवा में कमी आदि के विरुद्ध जनता से शिकायतें प्राप्त होती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक इन शिकायतों को तुरन्त दूर करने के लिए संबंधित बैंक के साथ उठाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास आज की तिथि के अनुसार जनता से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है जो 2 माह से अधिक की अवधि के लिए लंबित है/जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है।

(ग) बैंकिंग प्रभाग के लोक शिकायत कक्ष में बैंकिंग सेवाओं से संबंधित प्राप्त सभी शिकायतों को बैंकों के साथ उठाया गया है और एक माह से अधिक की अवधि के लिए लंबित/ध्यान नहीं दी गई कोई भी शिकायत नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 2004 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 5428 दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध धोखाधड़ी/भ्रष्ट आचरण के मामले में उनकी लिप्तता के लिए कार्रवाई की गई है।

[हिन्दी]

हथकरघा उद्योग में संकट

2407. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों से बड़े पैमाने पर सस्ते परिधानों के आयात के कारण हथकरघा उद्योग संकट में है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश के हथकरघा उद्योग को संकट से बचाने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) हथकरघा क्षेत्र में फ्रैब्रिक्स एवं मेड-अप्स का मुख्य रूप से उत्पादन होता है। इस समय हथकरघा वस्त्रों का मुख्य भाग मेड-अप्स उत्पादन के रूप में किया जा रहा है और गारमेंट्स के रूप में इसका उत्पादन नगण्य है। इसलिए, विदेशों से सस्ते परिधानों के आयात के कारण हथकरघा उद्योग प्रभावित नहीं हो रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, सामान्यतया सरकार हथकरघा क्षेत्र के विकास एवं कल्याण हेतु निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है:-

1. दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना।
2. हथकरघा निर्यात योजना।
3. एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण कार्यक्रम।
4. विपणन संवर्धन कार्यक्रम।
5. मिल गेट कीमत योजना।
6. विपणन परिसरों की स्थापना।
7. हैंक यार्न पर सेनवेट की प्रतिपूर्ति की योजना।
8. वर्ष 2002-03 से 2004-05 के दौरान हथकरघा वस्त्रों की बिक्री पर हथकरघा एजेंसियों द्वारा दी गई 10% की एकबारगी छूट की प्रतिपूर्ति की योजना।
9. बुनकर कल्याण योजना:
   - (i) स्वास्थ्य पैकेज योजना
   - (ii) समूह बीमा योजना
   - (iii) नई बीमा योजना
   - (iv) थ्रिफ्ट फंड योजना
   - (v) बुनकर बीमा योजना
   - (vi) कार्यशाला-सह-आवास योजना।

[अनुवाद]

समुदाय आधारित पायलट परियोजना

2408. श्री रामदास आठवले: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन जिलों के क्या नाम हैं जहां पर पिछले वर्ष के दौरान समुदाय आधारित केन्द्रीय सेवाओं से संबंधित पायलट परियोजना शुरू की गई है और इसके लिए राज्य-वार कितने बजट का आबंटन किया गया है;

(ख) इनमें से महाराष्ट्र के जनजातीय क्षेत्र के कितने जिले हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त परियोजना के अंतर्गत जिलों की संख्या में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो जनजातीय जिलों सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) से (घ) पिछले वर्ष के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय में समुदाय आधारित केंद्रीय सेवाओं से संबंधित कोई पायलट परियोजना शुरू नहीं की गई है। वर्ष 1999-2000 से 2002-03 तक ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में 26 राज्यों के 67 जिलों में पायलट परियोजनाएं मंजूर की गई थीं। राज्यों को यह निदेश दिया गया था कि वे 31.12.2003 तक इन परियोजनाओं के अंतर्गत चल रही सभी योजनाओं को पूर्ण करें और साथ ही लेखा-परीक्षा को अंतिम रूप दें। वे योजनाएं जो पूरी नहीं की जा सकी थीं, उन्हें स्वजलधारा में अंतरित कर दिया गया है।

सूखा प्रवण क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठन

2409. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सूखा प्रवण क्षेत्रों में राज्यवार कितने गैर-सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कौन-कौन से विशिष्ट कार्य किए गए हैं;

(ग) क्या इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा सूखा प्रवण क्षेत्रों के किसानों को कोई सहायता दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) सूखा प्रवण क्षेत्रों में कार्य कर रहे तथा कपार्ट द्वारा वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठनों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान शुरू किए गए कार्य (परियोजना) जागरूकता सृजन, जन भागीदारी, आय सृजन, एकीकृत समुदाय विकास, एकीकृत कृषि विकास, लघु ऋण तथा नियोजन, सुविधाओं का सृजन जैसे-तालाबों की खुदाई, मिट्टी का बांध बनाना, पेयजल में बढ़ोत्तरी, औषधीय बागवानी, ग्रामीण ऊर्जा उत्पादन, अभिनव ग्रामीण आवास, जल संभरण इत्यादि से संबंधित हैं।

(ग) और (घ) कपार्ट गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से विशिष्ट रूप से कृषकों को कोई सहायता प्रदान नहीं करता है। कपार्ट द्वारा सहायता प्राप्त विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों के लक्ष्य समूह में कृषक भी शामिल हैं। जिन कृषकों को गैर-सरकारी संगठनों ने ऐसी सहायता प्रदान की है, उनसे संबंधित विशिष्ट विवरणों के आंकड़े कपार्ट द्वारा नहीं रखे जाते/मानीटर नहीं किए जाते।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	गैर-सरकारी संगठनों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	252
2.	बिहार	86
3.	छत्तीसगढ़	2
4.	गुजरात	12
5.	हरियाणा	70
6.	हिमाचल प्रदेश	18
7.	झारखण्ड	25
8.	कर्नाटक	149
9.	केरल	10
10.	महाराष्ट्र	91
11.	मध्य प्रदेश	7
12.	उड़ीसा	55

1	2	3
13.	पंजाब	5
14.	राजस्थान	27
15.	तमिलनाडु	30
16.	उत्तर प्रदेश	106
17.	उत्तरांचल	16
18.	पश्चिम बंगाल	23
	कुल	984

जीवन रक्षक दवाइयों पर सीमा और उत्पाद शुल्क में छूट

2410. श्री सनत कुमार मंडल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विभिन्न देशों से आयात की जाने वाली जीवन रक्षक दवाइयों पर उत्पाद और सीमा शुल्क में कोई रियायत प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो उन दवाइयों का ब्यौरा क्या है जिन पर ऐसी रियायत दी जाती है;

(ग) क्या देश में आयात की जाने वाली किसी दवाई पर उत्पाद और सीमा शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) दिनांक 1.3.2002 की यथासंशोधित अधिसूचना सं. 21/2002-सीमा शुल्क [सा.का.नि. सं. 118(अ) दिनांक 1.3.2002] की सूची 4 में शामिल जीवन रक्षक औषधियां एवं दवाइयां सीमा शुल्क से पूर्णत: मुक्त हैं। ये दिनांक 1.3.2002 की यथा संशोधित अधिसूचना सं. 6/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क [सा.का.नि. 127(अ), दिनांक 1.3.2002] के तहत उत्पाद शुल्क एवं अतिरिक्त सीमा शुल्क (प्रतितुलनकारी शुल्क) से भी पूर्णत: मुक्त हैं। व्यष्टियों द्वारा व्यक्तिगत उपयोग हेतु आयातित किए जाने पर इन जीवन रक्षक औषधियों एवं दवाइयों को कतिपय शर्तों के अध्यधीन सीमा शुल्क से छूट प्राप्त है।

मुख्य कार्यालय का स्थानांतरण

2411. श्री सुनील खां: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के मुख्य कार्यालय को कोलकाता से भारत के किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) विभिन्न प्रशासकीय, स्थितियों और वित्तीय पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के मुख्यालय को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाए।

सहकारी आंदोलन

2412. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक गांव में कम से कम एक सहकारी संगठन की स्थापना करके सहकारी आंदोलन को ग्रामीण भारत में ले जाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने वाली शीर्ष एजेंसी सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सूखा प्रवण क्षेत्र

2413. श्री जुएल ओराम: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सूखा प्रवण क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा वर्ष 2002-2003, 2003-2003 और 2004-2005 और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन राज्यों को कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) प्रत्येक राज्य द्वारा आबंटित की गई धनराशि में से वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा वर्ष 1994 में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत पहचान किए गए राज्यवार सूखा प्रवण क्षेत्रों को दिखाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) और (ग) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम वाले राज्यों को निधियों का सुनिश्चित रूप में आबंटन नहीं किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय 500-500 हैक्टेयर की नई परियोजनाएं वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार स्वीकृत करता है और जिला पंचायतों/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को निधियां पांच वर्षों की परियोजना अवधि के दौरान किस्तों में जारी की जाती हैं। केन्द्रीय निधियों की प्रथम किस्त नई परियोजनाएं स्वीकृत करने के साथ ही जारी की जाती हैं। चूंकि यह कार्यक्रम मांग आधारित हैं, अत: बाद की किस्तें राज्य सरकार/जिला पंचायत/ जिला ग्रामीण विकास एजेंसी से उपयोग प्रमाण-पत्र, लेखाओं के लेखा परीक्षित विवरण आदि सहित विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही जारी की जाती हैं। कार्यक्रम वाले राज्यों को वर्ष 2002-03, 2003-04 एवं 2004-05 के दौरान जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। जिला पंचायत/जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा निधियों के उपयोग के संबंध में निगरानी रखने हेतु अगली किस्त जारी करते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि जिला पंचायत/जिला ग्रामीण विकास एजेंसी ने इसे पहले जारी की गई निधियों के 50% से अधिक भाग का उपयोग कर लिया है।

विवरण I

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत कवर किए जाने हेतु पहचान किया गया राज्य-वार क्षेत्र

राज्य का नाम	क्षेत्र (वर्ग कि.मी. में)
1	2
आंध्र प्रदेश	99218
बिहार	9533
छत्तीसगढ़	21801
गुजरात	43938
हिमाचल प्रदेश	3319
जम्मू-कश्मीर	14705
झारखंड	34843
कर्नाटक	84332
मध्य प्रदेश	89101
महाराष्ट्र	194473
उड़ीसा	26178
राजस्थान	31969
तमिलनाडु	29416
उत्तर प्रदेश	35698
उत्तरांचल	15796
पश्चिम बंगाल	11594
योग	745914

विवरण II

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत राज्य-वार जारी की गई निधियों का ब्यौरा

वर्ष	2002-2003	2003-2004	2004-2005
आंध्र प्रदेश	4854.99	4937.40	4008.315
बिहार	249.75	323.06	311.205
छत्तीसगढ़	1599.62	1329.11	1550.754
गुजरात	3273.13	3363.14	2525.98
हिमाचल प्रदेश	370.81	529.66	424.975
जम्मू-कश्मीर	222.75	422.19	222.750
झारखंड	553.50	1212.34	1065.02
कर्नाटक	2265.04	3215.77	2503.363
मध्य प्रदेश	4721.01	5021.66	5287.907
महाराष्ट्र	1294.62	1484.30	3486.260
उड़ीसा	910.10	1045.92	1141.620
राजस्थान	1430.93	1979.36	1573.775
तमिलनाडु	1059.53	2401.60	2816.935
उत्तर प्रदेश	1717.85	1498.13*	1456.685
उत्तरांचल	376.37	473.36	1126.485
पश्चिम बंगाल	108.00	243.00	243.00
योग	24999.00	29480.00	29745.029

नाबार्ड के लिए निधि बनाना

2414. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्र संबंधी कार्यों के लिए अलग से केवल नाबार्ड के लिए निधि बनाने का केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या नाबार्ड ने सहकारी समितियों तथा क्षेत्रीय ग्राम्रीण बैंकों पर बैंक के विनियामक तथा पर्यवेक्षण शक्तियां बढ़ाने के लिए पुरजोर वकालत की है;

(ग) यदि हां, तो नाबार्ड द्वारा क्या अन्य सिफारिशें की गई हैं;

(घ) सरकार ने इन पर किस सीमा तक विचार किया है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) नाबार्ड के पास राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि [एनआरसी (एलटीओ)] तथा राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि के रूप में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए निधि है। नाबार्ड ने अल्पावधि ऋणों की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए एन आर सी (एलटीओ) के सदृश अल्पावधि निधि स्थापित करने के लिए सरकार को सुझाव दिया है।

(ख) जी, हां। तथापि, सहकारी संस्थाओं से संबंधित कृतिक बल ने सिफारिश की है कि सहकारी बैंकों पर विनियामक शक्तियां पूर्णत: आरबीआई के पास निहित हों।

(ग) से (ङ) नाबार्ड द्वारा दिए गए अन्य सुझावों में कर-मुक्त बांड जारी करने के लिए अनुमति, जनजाति विकास निधि में अंशदान के रूप में सहायता तथा सहकारी संस्थाओं को ऋण देने के लिए वर्ष 2005-06 के दौरान ब्याज के संबंध में आर्थिक सहायता देना शामिल है। ये कामकाजी मामले हैं तथा जब भी आवश्यक हो, निर्णय लिए जाने अपेक्षित हैं और अत: इस संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

भारतीय कपास निगम द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा

2415. **श्री पी.एस. गढ़वी:**
श्री कृष्णा मुरारी मोघे:
श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा घोषित कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए लाभकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए क्या प्रक्रिया है;

(ग) क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य की समय-समय पर समीक्षा की जाती है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करते समय कपास की खेती वाले किसानों को विश्वास में लिया जाता है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय कपास निगम द्वारा कितनी मात्रा में कपास खरीदी गई;

(च) क्या भारतीय कपास निगम अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सफल नहीं रहा है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) कृषि उत्पाद के लिए मूल्य नीति का मुख्य उद्देश्य उत्पादकों को उनके उत्पाद के लिए लाभप्रद कीमतें सुनिश्चित करना है। कृषि लागत और मूल्य आयोग (सी ए सी पी) की सिफारिशों के आधार पर और राज्य सरकारों के विचारों तथा ऐसे अन्य संगत कारकों पर विचार करते हुए, भारत सरकार (कृषि मंत्रालय) अच्छी औसत गुणवत्ता (एफ ए क्यू) की एफ-414/एच-777/जे-34 (मध्यम रेशे) और एच-4 (लंबे रेशे) कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) की घोषणा करती है। बाजार में मूल्य अंतरों, रेशे की विशेषताओं आदि को ध्यान में रखने के पश्चात् एफ ए क्यू की कपास की अन्य किस्मों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य वस्त्र आयुक्त द्वारा तय किए जाते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करते समय, सी ए सी पी उत्पादन-लागत को ध्यान में रखती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नकद और सामान के रूप में हुए वास्तविक व्यय, पट्टे पर ली गई जमीन का किराया,

मालिकाना हक वाली जमीन का किराया, निर्धारित पूंजी पर ब्याज और परिवार की मेहनत की मजदूरी का अलग-अलग मूल्य शामिल होता है। इसलिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसानों के लिए लाभप्रद माना जाता है।

(ग) न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा प्रत्येक वर्ष की जाती है। 1999-2000 से 2004-05 की अवधि के दौरान एफ-414/एच-777/जे-34 (मध्यम रेशे) और एच-4 (लंबे रेशे) कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नीचे दिए गए हैं:-

(प्रति क्विंटल रुपए में)

	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03*	2003-04	2004-05
एफ-414/एच-777/जे-34 (मध्यम रेशे)	1575	1625	1675	1675	1725	1760
एच-4 (लंबे रेशे)	1775	1825	1875	1875	1925	1960

* इसके अलावा, सरकार ने 2002-03 की खरीफ फसल की कपास के संबंध में 20 रु. प्रति क्विंटल की दर से विशेष सूखा राहत मूल्य (एस आर डी पी) के भुगतान का अनुमोदन किया था। एस आर डी पी, एम एस पी का हिस्सा नहीं था और विशेष राहत के रूप में दिया गया था न कि किसी बोनस के रूप में।

(घ) अपनी मूल्य संबंधी नीतिगत सिफारिशों को तैयार करने में, सी ए सी पी किसानों और उनके प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करता है।

(ङ) भारतीय कपास निगम (सी सी आई) द्वारा पिछले तीन वर्षों (2001-02, 2002-03 और 2003-04) के दौरान और चालू वर्ष 2004-05 (09.3.2005 तक) में की गई कपास की खरीद का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(लाख गांठ में, प्रत्येक गांठ 170 किग्रा.)

वर्ष	के तहत खरीद		कुल खरीद
	वाणिज्यिक अभियान	एम एस पी अभियान	
2001-02	0.67	8.99	9.66
2002-03	5.99	0.00	5.99
2003-04	9.01	0.00	9.01
2004-05	0.43	25.17	25.60

नोट: 2002-03 और 2003-04 में कोई एम एस पी अभियान नहीं चलाया गया था क्योंकि कपास का बाजार मूल्य एम एस पी स्तर से अधिक था।

(च) और (छ) जब कभी कपास का बाजार मूल्य एम एस पी स्तर तक गिर जाता है, तो सी सी आई एम एस पी अभियान चलाता है और बिना किसी मात्रात्मक सीमा के कपास खरीदता है। अन्यथा, सी सी आई अपने जोखिम पर अपने वाणिज्यिक अभियानों के तहत कपास खरीदता है। सी सी आई अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा है। चालू वर्ष के दौरान एम एस पी अभियान के तहत 25.17 लाख गांठ की खरीद सी सी आई द्वारा की गई अब तक की सबसे अधिक खरीद है।

चंडीगढ़ में कुटुम्ब न्यायालय

2416. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने केन्द्र सरकार को चंडीगढ़ में कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) वहां कुटुम्ब न्यायालय कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) और (ख) राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रत्येक जिले में कुटुंब न्यायालय का गठन करने की सिफारिश की है। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से उनके अपने-अपने उच्च न्यायालयों के परामर्श से इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कुटुंब न्यायालयों का गठन करने के अनुरोध का अनुपालन किए जाने के संबंध में सूचना दी है। चंडीगढ़ प्रशासन ने कुटुंब न्यायालय के लिए विभिन्न प्रवर्गों में दस पदों के सृजन का प्रस्ताव किया है।

उद्योगों को ऋण

2417. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री के अधीनस्थ कार्यरत सलाहकार परिषद आवधिक ऋण देने वाली संस्थाओं के धीरे-धीरे समाप्त होने की अवस्था में उद्योगों को दीर्घकालिक ऋण को बढ़ावा देने के तरीके खोज रही है;

(ख) यदि हां, तो इस परिषद की प्रथम बैठक के क्या परिणाम निकले तथा परिषद द्वारा की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या परिषद ने अपनी प्रथम बैठक के दौरान कृषि संबंधी रोजगार तथा बुनियादी संरचना से जुड़े तात्कालिक विषयों की पहचान की है; और

(घ) यदि हां, तो इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) व्यापार और उद्योग पर दिनांक 4.12.2004 को हुई प्रधानमंत्री परिषद के लिए विचारार्थ लिए गए विषयों के एजेंडे में निम्न विषय शामिल थे-

1. 'इंस्पेक्टर राज' को किस प्रकार समाप्त किया जाए और अति-विनियमों की तानाशाही को कैसे कम किया जाए।
2. उत्पादकता को बढ़ाने के लिए विश्व श्रेणी की अवसंरचना का सृजन करना।
3. मानव संसाधन विकास, कौशल उन्नयन और रोजगार सृजन-नीति निर्धारण।

वर्ष 2005-06 के बजट में अवसंरचना के विकास और रोजगार सृजन के प्रति अनेकों स्कीमों की अभिकल्पना की गई है, जैसे कि कार्य के लिए राष्ट्रीय खाद्य कार्यक्रम हेतु आवंटन को बढ़ाकर 11,000 करोड़ रुपए करना, ग्रामीण परिवारों के दूरभाषों को सहायता देने के लिए यूनीवर्सल सर्विस ओवलिगेशन (यूएसओ) फंड के लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान करना, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना-III को आरम्भ करना, ग्रामीण विद्युतीकरण के अंतर्गत 1100 करोड़ रुपए का प्रावधान करना और 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 67 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन के लिए 1.6 करोड़ रुपए का आबंटन करना।

सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों को अनुग्रह राशि

2418. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी संघ ने वर्ष 1986 को जीवित बैंक कर्मचारियों को वर्ष 1986 से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बराबर अनुग्रह राशि बढ़ाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस पर कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। अखिल भारतीय सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी संघ ने वर्ष 2004 में 1986 से पूर्व के जीवित बचे सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भारतीय रिजर्व बैंक के 1986 से पूर्व के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के समान बढ़ी हुई अनुग्रह राहत राशि दिए जाने की मांग की थी।

(ग) और (घ) वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक दिनांक 1.11.1997 से उन सभी कर्मचारियों को महंगाई राहत सहित 300 रुपए प्रतिमाह की दर से अनुग्रह राहत राशि प्रदान कर रहे हैं, जो 31.12.1985 को या उससे पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके हैं, बशर्ते कि अपनी अधिवर्षिता से पूर्व उन्होंने कम से कम 20 वर्ष निरंतर सेवा दी हो और बैंक से कोई पेंशन संबंधी लाभ न ले रहे हों। इस प्रकार, आज की स्थिति के अनुसार एक पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारी महंगाई राहत सहित अनुग्रह राशि के रूप में कुल 1257 रुपए प्रतिमाह प्राप्त करता है और वर्तमान में बैंक इस अपेक्षा को अपने निवल लाभों से पूरा कर रहे हैं। तथापि, वित्तीय एवं अन्य अड़चनों के कारण 1.1.1986 से पूर्व सेवानिवृत्त सभी जीवित कर्मचारियों को अनुग्रह राशि की योजना में शामिल किए जाने और/या वर्तमान में भुगतान की जा रही अनुग्रह राशि में वृद्धि किए जाने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका।

भारतीय इक्विटी में विदेशी संस्थागत निवेश

2419. श्री सुकदेव पासवान:
श्री रामकृपाल यादव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी संस्थागत निवेशक जब रुपए की तुलना में डालर कमजोर होता है तो भारतीय इक्विटी में निवेश करने को

उत्सुक रहते हैं तथा जब रुपए की तुलना में डालर मजबूत रहता है तो वे निवेश नहीं करते हैं;

(ख) क्या यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) आनुभाविक विश्लेषण निर्दिष्ट करते हैं कि वर्ष 1993-94 से 1998-99 को छोड़कर, भारत ने प्रत्येक वर्ष सकारात्मक निवल प्रवाह अनुभव किए हैं। पिछले 4-5 वर्षों के दौरान, भारत में विदेशी संस्थागत निवेशकों के प्रवाह अन्य उभरते हुए बाजारों की तुलना में कम अस्थिर रहे हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों के अंतर्वाहों के इस व्यवहार का श्रेय, वित्तीय क्षेत्र में सतत सुधार, सुदृढ़ आर्थिक मौलिक तत्वों, सुधरे हुए विवेकपूर्ण विनियामक मानकों, कंपनियों के आकर्षक मूल्यांकन तथा विनिमय दर व्यवहार जैसे कई कारकों को दिया जा सकता है। भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार पिछले दो वर्षों के दौरान मासिक आधार पर रुपए डालर विनिमय दर की तुलना में एफआईआई निवल निवेश के आंकड़े, विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेशों और रुपया डालर मुद्रा विनिमय दर की घटबढ़ के बीच एक संगत संबंध नहीं दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त, कैलेंडर वर्ष 2004 में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा, स्पॉट तथा व्युत्पाद बाजार, दोनों में कुल निवेश समस्त इक्विटी बाजार कारोबार का केवल 5.83 प्रतिशत था।

(घ) भाग (क) से (ग) के उपर्युक्त उत्तरों के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

किसान क्रेडिट कार्ड

2420. **श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद:**
श्री राजाराम पाल:
श्रीमती किरण माहेश्वरी:
श्री वाई.जी. महाजन:
श्री किरिप चालिहा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक बैंकों द्वारा जारी किये गये किसान क्रेडिट कार्डों की राज्य-वार तथा बैंक-वार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए बैंक-वार निर्धारित लक्ष्य कितना है तथा क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं;

(ग) लक्ष्य हासिल नहीं किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के संबंध में कोई मार्गदर्शी सिद्धांत/मानदंड जारी किये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) किसानों को बिना किसी असुविधा के किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

यूनिक आइडेंटीफिकेशन नम्बर (यूआईएन) प्राप्त करने में अत्यधिक खर्च

2421. **श्री पी.एस. गड़वी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इक्विटी या म्यूचुअल फंड में कारोबार करने वाले निवेशकों को 'यूनिक आइडेंटीफिकेशन नम्बर (यूआईएन)' प्राप्त करना आवश्यक बना दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो यूआईएन नम्बर जारी करने के कार्य में सेबी द्वारा किन कंपनियों को लगाया गया है;

(ग) क्या ये कंपनियां प्रति पंजीकरण 300 रुपए का प्रभार लगा रही हैं जबकि ऐसे पंजीकरण की प्रशासनिक लागत प्रति पंजीकरण 20 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए;

(घ) क्या छोटे निवेशकों पर प्रति पंजीकरण 300 रुपए की अत्यधिक पंजीकरण लागत का अनावश्यक बोझ पड़ेगा; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार इसकी समीक्षा करेगी और यूआईएन नम्बर के लिए पंजीकरण राशि मात्र 20 रुपए निर्धारित करेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां। सेबी (बाजार भागीदारों का केन्द्रीय आंकड़ा आधार) विनियम, 2003 सभी भागीदारों अर्थात् मध्यवर्ती, सूचीबद्ध कंपनियां, निवेशक आदि को एक अद्वितीय पहचान संख्या (यूआईएन) के आवंटन द्वारा, चरणों में, पंजीकरण की व्यवस्था करते हैं।

(ख) सेबी ने नामोदिष्ट सेवा प्रदायक (डीएसपी) के रूप में, सिक्युरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को नियुक्त किया है जो प्रतिभूति बाजार भागीदारों और निवेशकों के पहचान संख्या (मापिन) डाटाबेस के सृजन तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगी। इसके अतिरिक्त, एनएसडीएल ने पंजीकरण प्रक्रिया के कार्यान्वयन में सेवा बिन्दुओं के रूप में कुछ एजेंटों की नियुक्ति की है, जो निम्नानुसार हैं:-

(1) इंटीग्रेटिड एंटरप्राइजेज (इंडिया) लिमिटेड

(2) अलंकित असाईनमैन्ट्स लिमिटेड

(3) सीएमसी लिमिटेड

(4) जीओजीत फाइनेन्शियल सिक्युरिटीज लिमिटेड

(5) कारवी कंसलटेन्ट्स लिमिटेड

(6) कोटक सिक्युरिटीज

(7) आईसीआईसीआई सिक्युरिटीज।

(ग) और (घ) डाटाबेस के अंतर्गत पंजीकरण हेतु शुल्क सेबी द्वारा 25 नवम्बर, 2003 की अधिसूचना में अधिसूचित कर दिया गया है। डाटाबेस के संचालन और रखरखाव में अंतर्विष्ट लागतों के दृष्टिगत प्रति पंजीकरण शुल्क 300 रुपए निर्धारित किया गया है। मापिन डाटाबेस के अंतर्गत पंजीकरण हेतु शुल्क डाटा बेस के संचालन और सृजन की लागत को ध्यान में रखते हुए सेबी द्वारा नामित सेवा प्रदायक के साथ परामर्श से निर्धारित किया गया है।

(ङ) मापिन डाटाबेस सभी बाजार भागीदारों एवं निवेशकों का केन्द्रीयकृत इलैक्ट्रानिक डाटाबेस है और भौगोलिक रूप से पूरे देश में फैला हुआ है। सेबी ने नेशनल सिक्युरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को नामित सेवा प्रदायक के रूप में मापिन डाटाबेस के सृजन व रख-रखाव हेतु उत्तरदायी नियुक्त किया है। एनएसडीएल ने पंजीकरण प्रक्रिया जारी रखने के लिए कुछ एजेंटों को सेवा बिन्दु (प्वाइंट्स आफ सर्विस) भी नियुक्त किया है। इसीलिए, डाटाबेस के सृजन, संचालन और रख-रखाव की लागत बहुत अधिक है। फिर भी, सेबी ने अन्य बातों के साथ-साथ, विस्तार व बाजार भागीदारों व निवेशकों हेतु यूआईएन प्राप्त करने की लागत की जांच करने के लिए एक समिति के गठन का निर्णय लिया है।

राज्यों को सिडबी से सहायता

2422. श्री राजेश वर्मा:
कुंवर मानवेन्द्र सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के औद्योगिक राज्यों को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा दी गई सहायता/योजना का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या लाभान्वितों को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा दी गई सहायता/योजना की विशेषताओं की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा बैंक देश के औद्योगिक क्षेत्र की किस सीमा तक सहायता करता है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) पिछले तीन वर्ष के दौरान भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा राज्य-वार संस्वीकृत एवं संवितरित राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) सिडबी अपनी सहायता योजनाओं तथा विभिन्न योजनाओं के अतंर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले ब्याज/पूंजी सब्सिडी लाभों को लोकप्रिय बनाने का अथक प्रयास कर रहा है। बैंक प्रधान जिलों/औद्योगिक समूहों में कार्यशालाओं, संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों का भी आयोजन करता रहा है। बैंक के क्रियाकलापों से लोगों को परिचित कराने के लिए समाचार-पत्रों एवं होर्डिंगों के माध्यम से सिडबी द्वारा निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। सिडबी की योजनाओं और उत्पादों के बारे में विस्तृत जानकारी इंटरनेट पर भी उपलब्ध है।

विवरण

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य	संस्वीकृति			संवितरण		
		2001-02	2002-03	2003-04	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	334.3	841.2	694.0	215.0	534.0	269.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.1	–	0.7	2.1	–	0.2

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	23.4	9.2	10.3	19.4	6.4	4.9
4.	बिहार	33.8	34.3	5.6	29.2	21.8	4.9
5.	छत्तीसगढ़	17.9	7.9	8.2	15.8	6.5	2.4
6.	दिल्ली	703.4	1200.5	1107.5	418.7	641.2	667.0
7.	गोवा	56.7	39.8	51.0	45.6	30.3	18.5
8.	गुजरात	975.4	823.6	623.6	574.4	542.3	287.0
9.	हरियाणा	418.7	465.9	108.5	229.5	270.2	70.7
10.	हिमाचल प्रदेश	35.2	30.7	165.7	26.2	17.7	12.2
11.	जम्मू-कश्मीर	219.8	71.4	185.9	137.6	67.0	70.8
12.	झारखण्ड	18.8	4.9	6.9	14.5	3.1	0.7
13.	कर्नाटक	705.1	887.6	374.5	550.3	620.7	299.3
14.	केरल	534.7	348.9	345.3	395.5	258.2	212.7
15.	मध्य प्रदेश	272.8	84.5	216.0	190.3	68.1	103.4
16.	महाराष्ट्र	1704.4	2508.1	1302.2	1215.1	1534.1	711.6
17.	मणिपुर	1.5	–	0.2	1.5	–	0.2
18.	मेघालय	2.9	3.7	3.9	4.7	2.4	3.0
19.	मिजोरम	1.0	–	0.0	0.8	–	0.0
20.	नागालैंड	2.5	–	0.3	2.5	–	0.1
21.	उड़ीसा	133.9	62.6	55.3	91.8	56.0	26.3
22.	पंजाब	247.7	479.4	231.0	184.6	297.1	107.6
23.	राजस्थान	214.3	224.5	358.4	165.1	146.7	250.8
24.	सिक्किम	1.1	0.4	5.5	1.2	0.2	1.5
25.	तमिलनाडु	1199.6	1369.6	1378.6	711.2	923.4	610.6
26.	त्रिपुरा	1.4	8.8	1.3	1.3	5.2	0.5
27.	उत्तरांचल	63.2	22.0	10.3	8.3	10.6	5.3
28.	उत्तर प्रदेश	487.5	254.5	219.0	286.6	177.5	93.9
29.	पश्चिम बंगाल	297.0	290.4	110.1	190.4	160.0	81.7
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.1	1.3	0.0	01.	0.7	0.0

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	चण्डीगढ़	95.5	102.0	143.2	61.4	34.1	66.2
32.	दादर और नागर हवेली	37.7	18.6	0.8	24.0	10.9	0.8
33.	दमन और दीव	15.9	5.3	6.7	9.3	3.1	6.0
34.	लक्षद्वीप	–	–	0.0	–	–	0.0
35.	पाण्डिचेरी	5.5	16.9	46.6	5.0	10.0	16.4
36.	बहु राज्य/अन्य	160.7	685.0	469.2	90.3	329.9	407.5
	कुल	9025.5	10903.5	8246.3	5919.3	6789.4	4414.2

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल में पवन चक्की

2423. श्री मुनव्वर हसन: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल में कुल कितनी पवन चक्कियां हैं;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान इन राज्यों में अनुमोदित पवन चक्कियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पवन चक्कियों को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) इस समय उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में कोई पवन चक्की नहीं है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों में पवन चक्कियां मंजूर नहीं की गई हैं।

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य में सामान्यतया पवन चक्कियों के संचालन के लिए उपयुक्त पवन गति नहीं है। तथापि, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर और ललितपुर जिलों में दो स्थानों पर पवन संसाधन मूल्यांकन किया जा रहा है। उत्तरांचल राज्य में देवप्रयाग के निकट एक स्थान पर पवन ऊर्जा उपयोग के लिए संभाव्यता पाई गई है। तथापि, इन राज्यों में जल पंपन पवन चक्कियों की स्थापना के लिए परियोजनाओं की मंजूरी, संबंधित राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले व्यवहार्य प्रस्तावों पर निर्भर होगी। जहां तक उत्तरांचल में पवन विद्युत परियोजनाओं को आरंभ करने का संबंध है, यह पवन सहित अक्षय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के संवर्धन के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता और राज्य नीति की घोषणा करने पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

नोटरी पब्लिक की नियुक्ति

2424. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान नियुक्त नोटरी पब्लिक की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान महाराष्ट्र में नियुक्त नोटरी पब्लिक की संख्या कितनी है; और

(ग) महाराष्ट्र में नोटरी पब्लिक के कितने पद रिक्त हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) पिछले तीन वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में राज्यवार नियुक्त किए गए नोटेरी पब्लिकों की संख्या उपदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में 92 नोटेरी पब्लिक नियुक्त किए गए हैं।

(ग) नोटेरी नियम, 1956 द्वारा यह विहित किया गया है कि महाराष्ट्र राज्य के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले नोटेरियों की अधिकतम संख्या 875 है, जिसमें से केंद्रीय सरकार ने अभी तक 339 नोटेरियों की नियुक्ति की है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार नियुक्त किए गए नोटेरी पब्लिकों की संख्या

नोटेरी पब्लिक

क्र.सं.	राज्य	2002	2003	2004
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	01	02	04
2.	असम	–	–	–
3.	बिहार	–	–	02
4.	गुजरात	25	08	15
5.	केरल	06	03	28
6.	मध्य प्रदेश	–	02	–
7.	तमिलनाडु	02	02	04
8.	महाराष्ट्र	30	27	35
9.	कर्नाटक	07	08	09
10.	उड़ीसा	–	–	–
11.	पंजाब	43	18	31
12.	राजस्थान	24	10	14
13.	उत्तर प्रदेश	52	33	51
14.	पश्चिम बंगाल	17	03	04
15.	जम्मू-कश्मीर	–	–	–
16.	नागालैंड	–	–	–
17.	हरियाणा	60	33	42
18.	हिमाचल प्रदेश	01	–	–
19.	मणिपुर	–	–	–
20.	त्रिपुरा	–	–	–
21.	मेघालय	–	–	–
22.	सिक्किम	–	–	–
23.	मिजोरम	–	–	–
24.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–
25.	गोवा	–	–	–
26.	उत्तरांचल	–	–	–
27.	छत्तीसगढ़	–	03	–
28.	झारखंड	–	–	–
29.	दिल्ली	37	08	16
30.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	–	–	–
31.	लक्षद्वीप	–	–	–
32.	दादरा और नागर हवेली	–	–	–
33.	दमन और दीव	–	–	–
34.	पांडिचेरी	–	–	–
35.	चंडीगढ़	–	–	–

रोसा ताप विद्युत संयंत्र

2425. कुंवर जितिन प्रसाद: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में सरकार द्वारा अनुमोदित ताप विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुके संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में रोसा ताप विद्युत संयंत्र की स्थिति क्या है;

(घ) क्या संयंत्र ने काम करना शुरू कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इसके कब तक काम शुरू कर दिये जाने की सम्भावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति (टीईसी) प्रदान करने की आवश्यकता को थर्मल उत्पादन हेतु छोड़ दिया गया है।

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन को एक नवरत्न कंपनी होने के कारण उनके द्वारा निष्पादित की जा रही विद्युत परियोजनाओं के संबंध में सरकार से निवेश अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं है।

सरकार द्वारा नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की निम्नलिखित ताप विद्युत परियोजनाओं को नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार निवेश अनुमोदन प्रदान किया गया था:-

क्र.सं.	परियोजना/राज्य का नाम	क्षमता (मे.वा.)	निवेश अनुमोदन की तिथि	परियोजना लागत (करोड़ रुपये)
1.	नैवेली थर्मल पावर स्टेशन-2 विस्तार/तमिलनाडु	2×250	8 अक्तूबर, 2004	2030.78
2.	बर्रासिंगसार पावर प्रोजेक्ट/राजस्थान	2×125	15 दिसम्बर, 2004	1114.18

(ग) से (छ) निजी क्षेत्र में रोसा विद्युत परियोजना के शुरू होने का समय उन प्रोत्साहनकर्त्ताओं द्वारा अवार्ड पत्र जारी किए जाने की तारीख से 40 महीने तक अनुमानित किया गया है जिन्होंने अपनी परियोजना के लिए अभी वित्तीय समापन प्राप्त नहीं किया है।

कक्षा कमरों के लिए ग्याहवां वित्त आयोग अनुदान

2426. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ग्यारहवें वित्त आयोग अनुदानों के तहत प्राथमिक शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में 1000 से अधिक कक्षा कमरों के लिए धनराशि स्वीकृत की है;

(ख) राज्य सरकार द्वारा आज तक कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी भेजा है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को शेष धनराशि जारी करने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर विचार किया है; और

(च) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा शेष धनराशि कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) से (च) भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए 111.33 करोड़ रुपए का बढ़ा हुआ अनुदान अनुमोदित किया है। राज्य सरकार ने 104.03 करोड़ रुपए के उपयोग की सूचना दी है। भारत सरकार ने राज्यों को 111.33 करोड़ रुपए का समग्र अनुदान जारी कर दिया है।

दान राशि की निगरानी

2427. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार की विभिन्न स्रोतों से सुनामी-प्रभावी राज्यों द्वारा प्रदान दान की निगरानी करने की योजना है तथा उक्त दान को किस प्रकार उपयोग में लाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) और (ख) चूंकि अपनी जनता को राहत प्रदान करना प्रभावित राज्यों की प्राथमिक जिम्मेदारी है, अत: प्रभावित राज्यों द्वारा प्राप्त दान राशियों पर निगरानी रखे जाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

जम्मू और कश्मीर में विद्युत उत्पादन

2428. श्री मदन लाल शर्मा: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर में विद्युत की मांग तथा आपूर्ति का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य में विद्युत आपूर्ति को बढ़ाने के लिए विद्युत संयंत्रों के उन्नयन के लिए कोई कार्य-योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार क्या उपाय करने जा रही है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) जी हां, जम्मू और कश्मीर में वर्ष 2005-06 और 2006-07 के लिए दसवीं योजना में क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य के आधार पर आकलित विद्युत मांग और आपूर्ति का विवरण निम्नलिखित है:-

	ऊर्जा (मिलियन यूनिट)		व्यस्ततम मांग (मेगावाट)	
	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07
आवश्यकता	8570	9099	1812	1923
उपलब्धता	8419	10989	1461	2049

(ग) और (घ) 10वीं योजनावधि में जम्मू और कश्मीर में, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए जम्मू और कश्मीर की निम्नलिखित जल-विद्युत परियोजनाओं की पहचान की गई है:-

परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	होने वाला लाभ	आकलित खर्च	पूरा होने की अवधि	अभ्युक्तियां
सलाल चरण-1 और 2 एनएचपीसी	3×115+ 3×115	69 (पुन:स्थापन)	87.28	2006-07	पीएफसी के द्वारा एजी एंड सी पी के अंतर्गत वित्तपोषित
लोअर झेलम पावर डिपार्टमेंट जम्मू और कश्मीर	3×35	34 (पुन:स्थापन एवं श्रेणीवर्धन)	65.19	2006-07	-तदैव- (कार्य अभी प्रारंभ करना)
चेनानी पावर डिपार्टमेंट जम्मू और कश्मीर	5×4.66	25.63 जीवन विस्तार एवं श्रेणीवर्धन	23.86	2005-06	-तदैव- (काय अभी प्रारंभ करना)
गान्डेरबल पावर डिपार्टमेंट जम्मू और कश्मीर	2×3+2×4.5	15 जीवन विस्तार	28.87	2005-06	-तदैव- (कार्य अभी प्रारंभ करना)
सम्बल सिंध पावर डिपार्टमेंट जम्मू और कश्मीर	2×11.3	3 (श्रेणीवर्धन)	16.37	2005-06	-तदैव- (कार्य अभी प्रारंभ करना)
कुल		146.63	221.57		

जम्मू और कश्मीर में विद्युत उत्पादन की अभिवृद्धि के मद्देनजर दसवीं योजना में लगाने के लिए निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाएं सम्मिलित की गई हैं:-

क्रमांक	विद्युतगृह का नाम	क्षमता (मेगावाट)	चालू करने की संभावित तारीख
केन्द्रीय क्षेत्र			
1.	दुलहस्ती एनएचपीसी	390	2005-06
2.	सेवा-2 एनएचपीसी	120	2007-08
राज्य क्षेत्र			
1.	बगलिहार चरण-1	450	2005-06

कचरे से विद्युत उत्पादन

2429. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कुछ भागों में कुछ निजी कंपनियों ने कचरे से विद्युत का उत्पादन शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रतिदिन इसके कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है तथा इसकी कितनी लागत आ रही है; और

(घ) विद्युत उत्पादन के लिए कचरा एकत्रित करने के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (ग) जी हां। आंध्र प्रदेश में हैदराबाद और विजयवाड़ा में निजी कंपनियों द्वारा स्थापित प्रत्येक 6 मे.वा. क्षमता की दो परियोजनाओं ने कूड़े-कचरे से बिजली का उत्पादन करना आरंभ कर दिया है। इन परियोजनाओं से 2.50 से 3.00 रु. प्रति यूनिट की लागत पर प्रतिदिन लगभग 215 मे.वा. घंटा बिजली का उत्पादन किया जा रहा है।

(घ) संबंधित नगर-निगमों द्वारा परियोजना-स्थलों पर कूड़े-कचरे की आपूर्ति की जा रही है।

फोकस आन डेट मार्केट-डेवलपमेंट बाई सेबी

2430. श्री जी.वी. हर्ष कुमार: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 जनवरी, 2005 के "हिन्दू" समाचार-पत्र में "सेबी-टू फोकस आन डेट मार्केट डेवलपमेंट" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) ऋण बाजार के विकास के लिए सेबी द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि दिनांक 11 जनवरी, 2005 को "द हिन्दू" में प्रकाशित रिपोर्ट, सेबी के पूर्व अध्यक्ष, श्री जी.एन. बाजपेयी द्वारा "उभरते हुए प्रतिभूति बाजार" पर आईसीएफएआई के सहयोग से आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए, दिए गए एक विवरण का उल्लेख करती है।

समाचार में यह कहा गया है कि सम्मेलन के दौरान सेबी के अध्यक्ष श्री जी.एन. बाजपेयी ने कहा था कि पूंजी बाजार के समग्र विकास के लिए इक्विटी और निगमित ऋण दोनों का विकास एवं विनियमन आवश्यक है ऋण खंड की वृद्धि बाजार विनियामक, सेबी के लिए केन्द्र का क्षेत्र था।

(ग) पूर्व में सेबी ने निगमित ऋण बाजार के विकास तथा विनियमन के लिए विभिन्न पहलें की हैं। निजी रूप से स्थापित निगमित ऋण के विकास और विनियमन के लिए सेबी द्वारा किए गए उपायों में सूचना ज्ञापन में दिए गए प्रकटनों का विशिष्टीकरण, डिबेंचर न्यासी की नियुक्ति, क्रेडिट दर्जा प्राप्त करना, 10 लाख रुपए से बाजार हिस्से में अनिवार्य डिमैट में व्यापार तथा एक अलग सूचीयन करार शामिल है।

वस्त्र निर्यातकों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

2431. श्री अर्जुन सेठी: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि वस्त्र उत्पादों पर इसकी मात्रा तथा उपभोक्ता उपयोगी सूचनाएं विशिष्ट रूप से छापनी होती हैं, के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करने के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) से (ग) सरकार एक कानून बनाने की प्रक्रिया में है जिससे अन्य बातों के साथ-साथ घरेलू रूप से उत्पादित और आयातित वस्त्रों पर निशान निर्धारित कर घरेलू वस्त्र उद्योग और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी।

[हिन्दी]

रसोई गैस पर दी जाने वाली राजसहायता

2432. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रसोई गैस पर दी जाने वाली राजसहायता को समाप्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय सरकार द्वारा रसोई गैस के प्रत्येक सिलेंडर पर कितनी राजसहायता दी जाती है;

(घ) रसोई गैस पर दी जाने वाली राजसहायता को समाप्त करने की अवस्था में कितनी धनराशि की बचत होने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा राजसहायता को समाप्त करने के लिए कोई समय-सीमा निश्चित की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) से (च) सरकार के निर्णयानुसार घरेलू एलपीजी पर बजटीय राजसहायता 31 मार्च, 2007 तक उपलब्ध है। वर्ष 2004-05 के लिए घरेलू एलीपीजी पर सरकारी बजटीय राजसहायता प्रति सिलेंडर 22.58 रुपए रही है। बजटीय राजसहायता के अतिरिक्त, तेल के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम इस उत्पाद पर दी जा रही आर्थिक सहायता के बोझ में भागीदारी कर रहे हैं। फरवरी, 2005 के महीने के लिए एलपीजी के औसत अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर और इस उत्पाद पर शुल्कों और करों के वर्तमान स्तर को हिसाब में लेने पर, यदि तेल के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वहन की जा रही राजसहायता सहित विद्यमान कुल आर्थिक सहायता को वापस ले लिया जाए तो दिल्ली में एलपीजी का खुदरा विक्रय मूल्य प्रति सिलेंडर 96.20 रुपए तक बढ़ जाएगा।

[अनुवाद]

ग्रामीण विद्युतीकरण

2433. श्री भर्तृहरि महताब: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए संशोधित दीर्घकालिक कार्यवाही योजना के अंतर्गत उड़ीसा के के.बी.के. जिलों को कोई धनराशि प्रदान की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दसवीं योजना के अन्त तक देश के सभी गांवों का विद्युतीकरण हो जायेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) मलकानगिरि जिले में पारेषण प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण के लिए चालू वर्ष के दौरान संशोधित दीर्घावधिक कार्य योजना के अंतर्गत उड़ीसा के केबीके जिलों को 9.70 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है।

(ग) और (घ) पांच वर्षों में आवासीय विद्युतीकरण को पूरा करने के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ग्रामीण विद्युत अवसंरचना और आवासीय विद्युतीकरण की एक नई स्कीम अनुमोदित की गई है।

इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित के लिए 90% पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी-

(1) समुचित रूप से राज्य प्रणाली से संबद्ध प्रत्येक ब्लाक में एक 33/11 केवी (या 66/11 केवी) सब-स्टेशन के साथ ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन (आरईडीबी) का निर्माण।

(2) प्रत्येक गांव/वास स्थान में वितरण ट्रांसफार्मरों के साथ सभी गैर-विद्युतीगकृत गांवों/वास स्थानों के विद्युतीकरण के लिए ग्रामीण विद्युत अवसंरचना (वीईआई) का निर्माण।

(3) उन गांवों/वास स्थानों के लिए विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन (डीडीजी) एवं आपूर्ति प्रणाली, जहां ग्रिड आपूर्ति किफायती नहीं है और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय अपने कार्यक्रमों के माध्यम से विद्युत उपलब्ध नहीं कराएगा।

(4) देश में गरीबी रेखा से नीचे के सभी गैर-विद्युतीकृत घरों का नि:शुल्क विद्युतीकरण।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आयकर और सीमा शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता

2434. श्री वी.के. दुग्मर:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक आयकर अधिकारियों तथा सीमा शुल्क अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन विभागों के अधिकारियों पर पैनी नजर रखने तथा भ्रष्टाचार रोकने हेतु विशेष अभियान चलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप क्या सफलता हासिल हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2002, 2003, 2004 और 2005 (28.02.2005 तक) के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में आयकर, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के गिरफ्तार अधिकारियों/कर्मचारियों का केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन व्यक्तियों के विरुद्ध सी.बी.आई. द्वारा मामले दर्ज किए गए हैं उन सभी व्यक्तियों को जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जाता है।

(ग) संदिग्ध निष्ठा के अधिकारियों की एक सूची इस विभाग में तैयार कर ली गई है और सूची में शामिल सभी अधिकारियों की गतिविधियों पर अत्यधिक निगरानी रखी जा रही है। इसके अतिरिक्त, निवारक और दंडात्मक सतर्कता दोनों को सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता तंत्र को प्रभावी बनाने और ऐसे अधिकारियों की गैर-संवेदनशील पदों पर तैनाती करके निर्धारिती और अधिकारियों आदि के बीच संपर्क को कम आदि करके हाल के वर्षों में सतर्कता संगठन को सुधारा गया है।

(घ) किए गए उपायों से सतर्कता तंत्र के बारे में जागरूकता पैदा हुई है। इसके अतिरिक्त, विवेकाधिकार की शक्तियों को कम करना, प्रणालियों में सुधार, निरीक्षणों (प्रशासनिक और सतर्कता दोनों) तथा कर प्रशासन के यौक्तिकीकरण जैसे निवारक सतर्कता के वातावरण को बनाकर भ्रष्टाचार से प्रभावी ढंग से निपटने में सहायता मिली है।

विवरण

क्र.सं.	केस आई डी	गिरफ्तार अधिकारी का नाम और पदनाम/विभाग
1	2	3
वर्ष 2002		
1.	आर सी 10/2002-डीडीएन	1. श्री राम सिंह, वरिष्ठ कर सहायक, आयकर वार्ड (2) गाजियाबाद
2.	आर सी 27(ए)/2002-एसीबी/बीएलआर	1. श्री ए.वी. रवि, निरीक्षक, आयकर विभाग, निदेशक (जांच) यूनिट-2 बंगलोर
3.	आर सी 03 (ए)/2002-V एस पी 30.01.2002	1. श्री वी. भास्कर राव, आयकर अधिकारी 2. श्री वाई. हीरा सिंह, निरीक्षक 3. श्री मुंगाला कोंडेय्या, कर सहायक, वार्ड-2, आयकर विभाग, नेल्लोर
4.	आर सी 10 (ए)/2002-V एसपी	1. श्री जे.पी. प्रसाद तिवारी, कर सहायक, आयकर विभाग, विशाखापत्तनम
5.	आर.सी. 33(ए)/2002-V एस.पी. 21.10.2002	1. श्री विश्वेश्वर राव, आयकर अधिकारी 2. श्री एल. पुल्ला राव, निरीक्षक 3. श्री मोहन राव, आयकर कार्यालय तनुकू, जिला पश्चिम गोदावरी, आयकर विभाग का परिचर
6.	आर.सी. 35(ए)/2002-V एस.पी.	1. श्री एम. सुब्रमनियम, आयकर अधिकारी, वार्ड-2, आयकर विभाग, विजयनगरम
7.	आर.सी. 11/ए-/2002-केईआर	1. एंटोनी कुट्टी, वरिष्ठ कर सहायक, आयकर कार्यालय, त्रिसूर, केरल
8.	आर.सी. 19/ए/2002-केईआर	1. एम.एन. दीक्षित, भारतीय राजस्व सेवा, आयकर आयुक्त (अपील-V) कोचीन, केरल
9.	आरसी 11/2002-जेएआई	1. श्री रामअवतार वर्मा, संयुक्त आयकर आयुक्त, रेंज-2, जयपुर

1	2	3
10.	आरसी 19/2002-जेएआई	1. श्री नेमी चंद, कांस्टेबल, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रिंगस, जिला सीकर
11.	आरसी 8/2002-सीएचजी	1. श्री अमरेश जैन, उपायुक्त, सीमा शुल्क (सीएफएस) लुधियाना
12.	आरसी 9/2002-सीएचजी	1. श्री अरुण कुमार सिंगल, निरीक्षक, उत्पाद शुल्क (निवारक) चंडीगढ़
13.	आरसी 30/2002-सीएचजी	1. श्री प्रभारक, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, पानीपत (हरियाणा)
		2. श्री पवन कुमार, निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, पानीपत (हरियाणा)
14.	आर सी 40/2002-सीएचजी	1. श्री जी.आर. गेरा, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, पंचकुला (हरियाणा)
		2. श्री जे.पी. वर्मा, निरीक्षक, आयकर विभाग, पंचकुला (हरियाणा)
15.	आरसी 43/2002-सीएचजी	1. श्री एम.एल. दौसा, आयकर आयुक्त (अपील) आयकर विभाग, लुधियाना
16.	आरसी 28/2002-बी/डीएलआई	1. श्री राजेश शर्मा, आयकर
		2. श्री एस.पी. गुप्ता, निरीक्षक, आयकर
17.	आरसी 30/2002-एसीबी/डीएलआई	1. श्री संजीव कुमार, निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद, आईटीओ, नई दिल्ली
18.	आरसी 53/2002-एसीबी/डीएलआई	1. श्री जगत सिंह, उप कार्यालय अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क
19.	आरसी 20/2001-बीपीएल	1. श्री वी.एस. बांठिया, तत्कालीन आयकर आयुक्त, ग्वालियर (म.प्र.) बांठिया तत्कालीन आयकर आयुक्त, ग्वालियर (म.प्र.) (8.1.2002 को गिरफ्तार)
20.	आरसी 8/2002-गोवा	1. श्री पी. सुब्रमणि, भारतीय राजस्व सेवा, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, बंगलोर
		2. श्री धर्मेन्द्र गौतम, निरीक्षक, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गोवा
21.	आरसी 10/2002-जीडीएन	1. श्री डी.के. मिश्रा, आयकर उपायुक्त, अहमदाबाद
22.	आरसी 28/2002-जीडीएन	1. श्री एस.के. दवे
		2. श्री जी.सी. सुतार, दोनों निरीक्षक, आयकर विभाग, अहमदाबाद
23.	आरसी 3(ए)/2002-एनपीआर	1. श्री एस.पी. पुट्टेवार, वरिष्ठ कर सहायक, आयकर विभाग, सराफ चेम्बर्स, सदर, नागपुर
24.	आरसी 1(ए)/2002-एसीयू-III	1. श्री मदन लाल, आयकर आयुक्त, करनाल
25.	आरसी 2/2002-एचवाईडी	श्री डी.एस.आर. शेषगिरी राव, आयकर अधिकारी, हैदराबाद

1	2	3
26.	आरसी 22/2002-एचवाईडी	1. श्री लक्ष्मा रेड्डी, निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद, सिरसिला
27.	आरसी 26/2002-एचवाईडी	1. श्रीमती के. मैथिली रानी, आयुक्त (अपील) आयकर विभाग, हैदराबाद
28.	आरसी 35/2002-एचवाईडी	1. श्री के. रंगम्भा, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क हैदराबाद एवं अन्य
29.	आरसी 31/2002/एसीबी	1. श्री एस.सी. पुरवत, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क डिवीजन-7, पुणे
30.	आरसी 1/2000/ईओडब्ल्यू-II	1. श्री मनोज शर्मा, निरीक्षक, सीमा शुल्क
		2. श्री ए.के. अरोड़ा, सीमा शुल्क (2002 में गिरफ्तार)
वर्ष 2003		
1.	आरसी 7/2003-डीडीएन	1. श्री मुन्ना लाल पाल, तत्कालीन, अवर श्रेणी लिपिक/रिसीवर/डिस्पैचर, वेतन वार्ड-1 आयकर आयुक्त का कार्यालय, मेरठ
2.	आरसी 31/2003-एसीबी-केओएल	1. श्री एस.के. दास, अधीक्षक, सीमा शुल्क, बारासत
3.	आरसी 06 (ए)/2003-वीएसपी	1. श्री सुब्बा राव, कर वसूली अधिकारी, कार्यालय आयकर उपायुक्त, राजमुंदरी, आयकर विभाग
4.	आरसी 07 (ए)/2003-वीएसपी	1. श्री के. कृष्णामूर्ति, आयकर अधिकारी, वार्ड-2 आयकर विभाग, तिरूपति (मामला हैदराबाद शाखा को स्थानांतरित किया गया)
5.	आरसी 10 (ए)/2003-वीएसपी	1. श्री वाई. हीरा सिंह, निरीक्षक, आयकर, वार्ड-2 नेल्लौर, आयकर विभाग
6.	आरसी 12 (ए)/2003-वीएसपी	1. श्री मोहम्मद युसूफ, निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, एल्लूरू, जिला पश्चिम गोदावरी
7.	आर सी 14(ए)/2003-वीएसपी	1. श्री राजेश नागपाल, भारतीय राजस्व सेवा, अपर आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुंटूर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग
8.	आरसी 19(ए)/2003-वीएसपी	1. श्री एल. पुल्ला राव, आयकर निरीक्षक, आयकर कार्यालय, तांकु, आयकर विभाग, जिला पश्चिम गोदावरी
9.	आरसी 3/2003-जेएमयू	1. श्री सुदर्शन कुमार, अवर श्रेणी लिपिक, कार्यालय आयकर आयुक्त, जम्मू (एनजीओ)
10.	आरसी 26/2003-जेएआई	1. श्री एम.एल. दायमा, निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, जयपुर
11.	आरसी 7(ए)/2003-पीएटी	1. श्री सुमन झा, पेशकार, आयकर कार्यालय, बिहार शरीफ, जिला-नालंदा
12.	आरसी 12(ए)/2003-पीएटी	1. श्री आलोक कुमार, क्लर्क, आयकर, वार्ड 5 (1) लोक नायक भवन, पटना
13.	आरसी 24/2003-एसीबी/डीएलआई	1. श्री एच.ए. सिद्दिकी, भारतीय राजस्व सेवा, सहायक आयुक्त, आयकर, आयकर विभाग

1	2	3
14.	आरसी 31/2003-एसीबी/डीएलआई	1. श्री अनुराग वर्धन, भारतीय राजस्व सेवा, उप निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय कराधान, आयकर विभाग
15.	आरसी 45/2003-एसीबी/डीएलआई	श्री ज्ञान चंद, आयकर कार्यालय अधीक्षक
16.	आरसी 52/2003-एसीबी/डीएलआई	श्री जे.डी. नागर, डीलिंग हैंड, आयकर
17.	आरसी 4/2003-बीपीएल	श्री विकास ओबेराय, निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रेंज-1 ग्वालियर
18.	आरसी 6/2003-जीडीएन	श्री विमल शाह, संयुक्त आयकर आयुक्त, अहमदाबाद
19.	आरसी 11/2003-जीडीएन	श्री जी.एम. ब्रह्मभट्ट, उप निदेशक, आयकर, आनंद एकक, गुजरात
20.	आरसी 14/2003-जीडीएन	1. श्री जी.एम. सोलंकी
		2. श्री बी.ए. दवे, दोनों आयकर अधिकारी, गांधीनगर
21.	आरसी 4/2003-एचवाईडी	श्री कृष्णामूर्ति, आयकर अधिकारी, वार्ड (2) तिरूपति
22.	आरसी 9/2003-एचवाईडी	1. श्री एस. रामूम, अपर निदेशक, आयकर, एकक-1, मुम्बई
23.	आरसी 19/2003-एसीबी मुम्बई	श्री इकबाल हुसैन, दैरिकी, निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुम्बई-IV आयुक्तालय, मुम्बई
24.	आरसी 20/2003/-एसीबी मुम्बई	1. श्री के.जी. पोटे, आयकर अधिकारी
		2. श्री पी.आर. गोनकर, अवर श्रेणी लिपिक, वार्ड 21 (3)(1) सी-11, प्रत्यक्ष कर भवन, बांद्रा कुर्ला काम्प्लैक्स, मुम्बई
25.	आरसी 22/2003/एसीबी मुम्बई	1. श्री मोहन अजवानी, आयकर अधिकारी
		2. श्री वी.डी. वासरे, कर सहायक
		3. श्रीमती मीना पहलाजानी, कर सहायक आयकर, वार्ड 22(3)1, वासी, नवी मुम्बई
26.	आरसी 24/2003/एसीबी मुम्बई	1. श्री एस.ए. कीर, रोकड़ियां
		2. श्री एम.एस. कांबले, अवर श्रेणी लिपिक
		3. श्री बी.टी. मुदलियार, ड्राइवर, सीमा शुल्क, मैरीन एंड प्रिवेन्टीव विंग, मुम्बई
27.	आरसी 35/2003/एसीबी, मुम्बई	श्री ए.एस. दावानी, आयकर निरीक्षक, बांद्रा कुर्ला काम्प्लैक्स, मुम्बई
वर्ष 2004		
1.	आरसी 19/2004-एसीबी-कोल	(1) श्री सिद्धार्थ शंकर कार, के.उ.शु. अधीक्षक, तामलुक, पुरबा मिदनापुर
		(2) श्री अंजन चटर्जी, के.उ.शु. निरीक्षक, तामलुक, पुरबा मिदनापुर
2.	आरसी 40/2004-एसीबी-कोल	श्री आर.एन. मंडल, अधीक्षक, के.उ.शु., टालीगंज प्रभाग, कलकत्ता

1	2	3
3.	आरसी 50/2004-एसीबी-कोल	(1) श्री निर्मल प्रधान, निरीक्षक निवारक एकक, सीमा शुल्क, गंगटोक
		(2) श्री पूर्ण लामा, अधीक्षक, सीमा शुल्क, निवारक एकक, सीमा शुल्क, गंगटोक
4.	आरसी 01/2004-वीएसपी	1. श्री ए.वी.एस. शास्त्री, आयकर अधिकारी, अलरू, आयकर विभाग
5.	आरसी 01/2004-वीएसपी	1. श्री ए.वी.एस. शास्त्री, आयकर अधिकारी, अलरू, आयकर विभाग
6.	आरसी 10 (ए)/वीएसपी	1. श्री पी.वी.वी. शेषराव, निरीक्षक
		2. श्री कोण्डाला राव, आयकर नोटिस सरवर, मछिलीपट्टनम, आयकर विभाग
7.	आरसी 11 (ए)/वीएसपी	1. श्री बी. श्रीकृष्णा, अधीक्षक, के.उ.शु., बोर्डीपेंट, गंटूर, के.उ.शु. विभाग
8.	आरसी 28/ए/2004-केईआर	के.वी. बालाचन्दरन, केमिकल एग्जामिनर, कस्टम हाउस, कोचीन, केरल
9.	आरसी 29/ए/2004-केईआर	योहाननकुट्टी कर सहायक, आयकर अतिरिक्त आयुक्त का कार्यालय, कोल्लम, केरल
10.	आरसी 1(ए)/04 डीएनबी	1. श्री स्वर्ण सिंह, सहायक निदेशक (जांच), आयकर, धनबाद
		2. श्री टिंकू चौरसिया, निवासी आवास कालोनी, धनबाद
11.	आरसी 2/2004-ए सी.यू.-V/VI	1. श्री टी. चक्रपाणि, के.उ.शु. अधीक्षक, प्रभाग-III, गुड़गांव (हरियाणा)
		2. श्री अजीत सहरावत, के.उ.शु. निरीक्षक, प्रभाग-III, गुड़गांव, हरियाणा
		3. अजय नारायण, के.उ.शु. निरीक्षक, प्रभाग-III, गुड़गांव, हरियाणा
12.	आरसी 7/2004-जेएआई	श्रीमती शारदा नायल, निरीक्षक आयकर विभाग, जयपुर
13.	आरसी 04/2004-सीएचजी	श्री टी.आर. शर्मा, आयकर अधिकारी, आयकर, लुधियाना
14.	आरसी 31/2004-सीएचजी	श्री एस.एस. शर्मा, आयकर अधिकारी, आयकर, संगरूर
15.	आरसी 5/2004-आरएएन	श्री श्रीकांत पाण्डे, अधीक्षक (सेवाकर), के.उ.शु., रांची प्रभाग, रांची
16.	आरसी 5/2004-एसीबी/डीएलआई	श्री उमा शंकर ध्यानी, आईआरएस, उप निदेशक, आयकर (जांच), झण्डेवालान, एक्स., नई दिल्ली
17.	आरसी 12/2004-बीपीएल	श्री एम.आर. वरघट, वरिष्ठ कर सहायक, आयकर कार्यालय, भोपाल
18.	आरसी 16/2004-जीडीएन	श्री आर.सी. विसादरावाला, अधीक्षक, के.उ.शु. मकरपुरा, वडोदरा
19.	आरसी 18/2004-जीडीएन	1. श्री अमर सिंह मीणा, अधीक्षक, के.उ.शु., अहमदाबाद
		2. श्री सत्यनारिया असावा, निरीक्षक, के.उ.शु., अहमदाबाद
20.	आरसी 23/2004-जीडीएन	श्री उमेश कुमार गोयल, संयुक्त आयुक्त, के.उ.शु., नासिक

1	2	3
21.	आरसी 5/2004-एचवाईडी	श्री सत्यनारायण, अधीक्षक, के.उ.शु., निजामाबाद
22.	आरसी 20/04/एसीबी मुम्बई	(1) श्री एम.वी. पाटिल, आयकर अधिकारी
		(2) श्री अब्दुल मजीद शेख, आयकर निरीक्षक, आयकर भवन, मुम्बई
23.	आरसी 30/04/एसीबी मुम्बई	श्री एस.एम. पटेल, के.उ.शु. अधीक्षक, प्रभाग एफ-II, रेंज-1, मुम्बई
24.	आरसी 25/04/एसीबी मुम्बई	(1) श्रीमती कीर्ति सिंह, वरिष्ठ कर, सहायक
		(2) श्री राजेश सिंह, कर सहायक, सीमा शुल्क, मुम्बई
25.	आरसी 36/04/एसीबी मुम्बई	श्री पी.के. अजवानी, के.उ.शु. आयुक्त, थाणे-II आयुक्तालय, थाणे
26.	आरसी 38/04/एसीबी मुम्बई	श्री संजय कालरा, मूल्यांकक, सीमा शुल्क जे.एन.पी.टी., नवी मुम्बई
27.	आरसी 44/04/एसीबी मुम्बई	(1) श्री पी.के. अजवानी, आयुक्त
		(2) श्री डी.आर. चतुर्वेदी, के.उ.शु. अधीक्षण, थाणे-II आयुक्तालय, थाणे
वर्ष 2005		
1.	आरसी 07/2005-एसीबी-केओएल	(1) श्री बी. सरकार, के.उ.शु. अधीक्षक, निवारक, बम्बूविला, कोलकाता
		(2) श्री पी. रायचौधरी, के.उ.शु. अधीक्षक, निवारक, बम्बूविला, कोलकाता
2.	आरसी 05(ए)/2005-वीएसपी	1. श्री बी. गांधी, निरीक्षक, आयकर, रेंज-IV, एमवीपी कालोनी, विशाखापटनम, आयकर विभाग
3.	आरसी 04/2005-सीएचजी	श्री आर.के. अरोड़ा, आयकर अधिकारी, आयकर, लुधियाना
4.	आरसी 05/2005-सीएचजी	श्री वाई.के. सक्सेना, सहायक आयकर आयुक्त, आयकर, लुधियाना
5.	आरसी 1/2005-एचवाईडी	श्री पी. अनन्तारामलू, सहायक आयुक्त, आयकर, बसीरबाग, हैदराबाद

फसल ऋण

2435. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने एक नीति घोषित की है जिनके अंतर्गत किसानों को फसल ऋण 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस नीति को बनाने से पहले राज्यों से परामर्श किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस संबंध में गुजरात सरकार के विचार लिए गए थे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) से (घ) राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार की गई राष्ट्रीय कृषि नीति, 2000 में उल्लिखित है कि सरकार किसानों को उचित दर पर पर्याप्त एवं समयबद्ध ऋणापूर्ति के लिए प्रयास करे। भारतीय रिजर्व बैंक के ब्याज दर संबंधी मार्गनिर्देशों के अनुसार, 2.00 लाख रुपए तक के ऋण जिसकी ब्याज दर मूल प्राथमिक उधार दर (बीपीएलआर) से अधिक न हो, को छोड़कर वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज की दर को अविनियमित कर दिया गया है। वाणिज्य बैंक अपनी बीपीएलआर की घोषणा के अध्यधीन 2.00 लाख रुपए से अधिक के ऋण के लिए अपनी उधार दरों

को तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, सरकार ने 16 जुलाई, 2003 को कृषि क्षेत्र विशेषकर छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए घटी हुई ब्याज दर का पूर्ण लाभ देने के मद्देनजर कृषि के लिए उधार दर में कमी की घोषणा की थी। इस घोषणा के परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों ने 50,000 रुपए तक की सीमा वाले फसल ऋण पर अपनी उधार दर को 9% प्रतिवर्ष से अनधिक इकाई संख्या दर तक तथा कुछ मामलों में 8.5% प्रतिवर्ष कर दिया है। इकाई संख्या वाले उधार दर से अधिकांश फसल ऋण खाताधारकों को लाभ हुआ है तथा इसमें लगभग सभी छोटे एवं सीमांत किसान शामिल हो गए हैं।

कोयला वेतन बोर्ड

2436. श्री विकास चौधरी: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.आई.एल. में कोयला वेतन संबंधी किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो कोयला वेतन संबंधी समझौते में हुए ऐसे विलम्ब के क्या कारण हैं जबकि समझौते की अंतिम अवधि तीन वर्ष पहले ही समाप्त हो चुकी है;

(ग) क्या सरकार की कोल इंडिया लिमिटेड की कुछ अनुषंगी इकाइयों में कार्यरत काफी संख्या में कोयला श्रमिकों को इससे बाहर करने की योजना है;

(घ) सरकार द्वारा कोयला वेतन बोर्ड संबंधी समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, नहीं।

(ख) मजदूरी तथा अन्य सीमांत लाभों को अन्तिम रूप देने से संबंधित कुछ मुद्दों पर कोयला कम्पनियों के प्रबंधन एवं ट्रेड यूनियनों के बीच कोई सौहार्दपूर्ण समाधान न निकलने के कारण विलम्ब हुआ है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) सरकार ने उद्योग, श्रमिक एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सर्वोच्च हित में कोयला उद्योग के लिए चल रही मजदूरी संबंधी वार्ताओं के संबंध में सभी नीतिगत मसलों की जांच करने और उन पर निर्णय लेने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है।

निजी बैंक

2437. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान निजी क्षेत्र के बैंकों का निरीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके निरीक्षण के दौरान निरीक्षण करने वाली टीम द्वारा क्या खामियां/अनियमितताएं पायी गयीं; और

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनियमितताएं बरतने के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली की समीक्षा सतत् आधार पर की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2003-04 में गैर-सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों का निरीक्षण पहले ही कर लिया है और वर्ष 2004-05 के लिए निरीक्षण मार्च, 2006 तक पूरा कर लिया जाएगा।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों से विचलन और उनको कार्यान्वित नहीं किए जाने के उन सभी मामलों, जिनका निरीक्षण के दौरान पता लगाया गया हो, की समीक्षा की जाती है और उन्हें सुधारात्मक कार्रवाई हेतु संबंधित बैंकों के प्रबंधकों के साथ उठाया जाता है। अनियमितताएं मुख्यत: प्रावधानीकरण से विचलन, अनुपयोज्य आस्तियों के उच्च स्तर, बैंकों के बीच अनुपयोज्य आस्तियों की अदला-बदली की प्रथा, आन्तरिक नियंत्रण में कमी, प्रत्यायोजित शक्तियों का उल्लंघन, सेवांत लाभों के प्रावधानीकरण की अपर्याप्ता, धोखाधड़ियों एवं अप्रभारित आय से संबंधित हैं।

[हिन्दी]

सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर

2438. श्री ब्रजेश पाठक: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर 8.5 प्रतिशत से घटकर 6.9 प्रतिशत होने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा जारी किए गए

राष्ट्रीय आय के अग्रिम अनुमान के अनुसार, वर्ष 2004-05 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि 6.9 प्रतिशत पर अनुमानित है जो 2003-04 में 8.5 प्रतिशत वृद्धि के अतिरिक्त है। पिछले वर्ष की तुलना में 2004-05 में कम अनुमानित वृद्धि का मुख्य कारण 2003-04 में 9.6 प्रतिशत की तुलना में कम खरीद उत्पादन के बाद कृषि और संबद्ध क्षेत्र में 1.1 प्रतिशत की अनुमानित कम वृद्धि का होना रहा है।

[अनुवाद]

जल विद्युत परियोजनाएं

2439. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में 38 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं को बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी अन्य राज्य में भी कोई अन्य जल विद्युत परियोजना बंद की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

पारेषण और वितरण की हानियां

2440. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":
डा. चिन्ता मोहन:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में विद्युत पारेषण और वितरण की हानि 45 प्रतिशत है जबकि कोलकाता और मुम्बई में यह क्रमश: 19 प्रतिशत और 14 प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) दिल्ली में अनुमानित वार्षिक वित्तीय पारेषण और वितरण हानि कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) वर्ष 2003-04 के दौरान दिल्ली, कोलकाता तथा मुम्बई में पारेषण एवं वितरण हानियों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

यूटिलिटी का नाम	2003-04 में पारेषण एवं वितरण हानियां (%)
दिल्ली:	
बीएसईएस राजधानी पावर लि.	42.43
बीएसईएस यमुना पावर लि.	51.89
नार्थ दिल्ली पावर लि.	43.16
कोलकाता:	
कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लि.	17.00
मुम्बई:	
बीएसईएस, मुंबई	12.81

(ख) दिल्ली में बिजली की चोरी, खराब बिलिंग तथा वसूली दक्षता में कमी के कारण काफी अधिक हानियां हुई हैं।

(ग) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) द्वारा स्वीकार की गई अनुमानित कुल तकनीकी तथा वाणिज्यिक (एटीएण्डसी) हानियों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

	बीएसईएस राजधानी पावर लि.		बीएसईएस यमुना पावर लि.		नार्थ दिल्ली पावर लि.	
वर्ष	लक्ष्य स्तर	प्राप्त किया गया	लक्ष्य स्तर	प्राप्त किया गया	लक्ष्य स्तर	प्राप्त किया गया
2003-04	46.00	45.06	54.70	54.29	45.35	44.86
2004-05	42.70	-	50.70	-	40.85	-
2005-06	36.70	-	45.05	-	35.35	-
2006-07	31.10	-	39.95	-	31.10	-

(घ) कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का विवरण निम्न प्रकार से है:

(1) 11 केवी फीडरों की मीटरिंग तथा उपभोक्ता मीटरिंग।

(2) ऊर्जा अंकेक्षण एवं लेखा परीक्षा।

(3) खराब मीटरों को बदलना।

(4) उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) का कार्यान्वयन।

(5) मामलों की नियमित मानीटरिंग तथा संयोजन द्वारा ऊर्जा की चोरी पर नियंत्रण।

(6) चोरी संभावित क्षेत्र में हाई वोल्टेज वितरण प्रणाली (एचवीडीसी) प्रारंभ करना।

(7) सीधे हुक के कारण बिजली की चोरी को रोकने के लिए ओवरहेड एलटी कंडक्टर के स्थापन पर इन्सुलेटेड एरियल बन्वड कंडक्टर (एबीसी) लगाना।

(8) सूचना प्रौद्योगिकीय (आईटी) कार्रवाई जैसे उपभोक्ता बिलिंग तथा वसूली।

(9) चोरी से संबंधित मामलों पर और अधिक कड़ी कार्रवाई का प्रावधान करते हुए विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 2003 का अधिनियम।

(10) मीटरों में की गई हेरा-फेरी की स्वैच्छिक घोषणा के लिए अभियान चलाना।

(11) जहां पर ट्रांसफार्मर अधिक लोडिंग हैं, वहां पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मरों को लगाना।

[अनुवाद]

इंदिरा आवास योजना

2441. श्री किरेन रिजीजू: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत खर्च की गई धनराशि का जिला-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है तथा इससे कितने लोग लाभान्वित हुए हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों में शौचालय/स्नानघर प्रदान नहीं किए जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत किए गए आबंटन, रिलीज, उपयोग, लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या का वर्षवार/जिलेवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। योजना के अंतर्गत, लाभार्थियों द्वारा मकान स्वयं बनाए जाते हैं। कुछ मामलों में, जानकारी के अभाव, मनोवृत्ति संबंधी कारण, पानी की कमी इत्यादि के कारण लाभार्थियों द्वारा स्वच्छ शौचालय नहीं बनाए जा रहे हैं। इस संबंध में समय-समय पर निर्देश दोहराए जाते हैं। तथापि, संशोधित दिशा-निर्देशों में, एक दण्डात्मक प्रावधान शामिल किया गया है कि यदि लाभार्थी किसी कारण से स्वच्छ शौचालय का निर्माण करने में समर्थ है तो, नए इंदिरा आवास योजना मकान के निर्माण अथवा मरम्मत के अयोग्य कच्चे मकान के उन्नयन के लिए प्रदान की गई सहायता में से 600 रु. की राशि काट ली जाएगी।

विवरण

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में आबंटन, रिलीज, उपयोग तथा लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या का वर्षवार/जिलेवार ब्यौरा

(लाख रु. में)

अरुणाचल प्रदेश

क्र.सं.	जिले का नाम	2001-02				2002-03				2003-04			
		आबंटन (सी+एस)	रिलीज (सी+एस)	निधियों का उपयोग	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	आबंटन (सी+एस)	रिलीज (सी+एस)	निधियों का उपयोग	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	आबंटन (सी+एस)	रिलीज (सी+एस)	निधियों का उपयोग	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	चांगलांग	61.06	60.90	59.77	375	62.69	81.40	54.44	246	53.27	82.29	73.47	411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	दिबांग हिल्स	48.03	42.99	42.89	244	49.32	94.39	30.44	190	4.16	29.16	30.25	133
3.	पूर्वी कामेंग	73.38	79.09	59.27	219	75.35	113.03	85.97	462	73.73	98.80	142.91	803
4.	पूर्वी सियांग	62.22	54.24	80.56	438	63.89	31.95	35.09	199	33.59	31.73	27.32	141
5.	करूंग कुरमे#	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.04	130	60.13	80.57	56.59	318
6.	लोहित	65.81	85.56	97.90	535	67.57	101.36	90.24	333	109.13	108.17	141.02	793
7.	लोअर दिबांग वैली#	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.65	78	28.57	40.63	41.91	209
8.	लोअवर सुबानसिरी	92.90	71.83	87.74	333	95.39	168.05	60.14	342	59.59	84.56	149.82	820
9.	पापुम-पारा	18.41	23.93	21.16	130	18.91	36.35	17.30	98	35.03	60.00	43.70	246
10.	तमांग	22.02	0.00	15.39	170	22.61	20.33	23.67	128	48.15	64.52	45.41	257
11.	तिरप	89.94	67.32	126.14	777	92.35	138.52	40.52	228	131.03	119.32	184.87	1041
12.	अपर सियांग	12.26	9.63	8.42	60	12.59	32.76	11.05	56	23.32	48.32	65.42	321
13.	अपर सुबानसिरी	75.81	98.55	70.32	412	77.84	67.01	80.19	430	49.31	74.28	86.69	436
14.	प. कमांग	37.71	49.01	58.02	338	38.72	58.08	49.02	264	57.04	76.44	74.68	424
15.	प. सियांग	80.53	60.37	94.44	511	82.69	41.34	47.62	239	70.96	64.01	51.83	293
	कुल	740.08	703.42	822.03	4542	759.92	984.57	665.38	3423	837.01	1062.80	1215.89	6646

#नए सृजित जिले
(सी+एस) केंद्र अंश+राज्य अंश

असम

क्र.सं.	जिले का नाम	2001-02				2002-03				2003-04			
		आबंटन (सी+एस)	रिलीज (सी+एस)	निधियों का उपयोग	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	आबंटन (सी+एस)	रिलीज (सी+एस)	निधियों का उपयोग	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	आबंटन (सी+एस)	रिलीज (सी+एस)	निधियों का उपयोग	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	बारपेटा	774.89	387.45	677.01	2274	795.65	624.227	421.46	2155	876.37	874.24	706.22	4163
2.	बोंगाईगांव	834.93	667.95	422.30	2677	9857.29	717.853	578.63	3363	944.27	1087.97	709.14	3963
3.	कछार	723.02	361.52	824.82	2791	742.39	394.280	439.95	2048	817.71	801.67	548.64	2158
4.	दारंग	995.69	648.05	626.30	3671	1022.36	802.107	543.24	2692	1126.07	1075.80	784.52	4402
5.	धेमाजी	938.43	607.29	684.52	2998	963.56	867.200	492.85	4830	1061.32	1038.04	882.44	5171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	धुबरी	135.35	95.69	126.13	531	138.97	123.280	66.26	356	153.07	152.85	113.24	662
7.	डिब्रूगढ़	566.95	453.56	307.28	722	582.13	514.800	395.76	2751	641.20	738.77	569.03	2552
8.	गोलपारा	691.77	553.41	281.67	651	710.30	633.573	474.15	5250	782.36	910.43	656.29	6224
9.	गोलाघाट	660.49	460.79	358.22	1547	678.18	607.893	331.61	3694	746.99	735.87	697.67	3646
10.	हेलाहांडी	532.44	425.95	183.65	778	546.70	291.533	262.76	1371	602.16	573.48	429.10	1961
11.	जोरहाट	601.83	481.47	333.27	1726	617.95	430.907	513.97	3003	680.64	784.21	367.81	1531
12.	कामरूप	939.61	742.35	644.69	1986	964.78	868.307	614.52	2522	1062.67	1062.67	919.98	5406
13.	कारबी आंगलांग	1157.35	754.12	938.46	2992	1188.35	805.107	896.52	5109	1308.91	1254.43	1233.16	2112
14.	करीमगंज	615.28	492.23	358.48	169	631.76	568.587	328.78	1897	695.85	810.75	441.46	2073
15.	कोकराझार	682.27	380.25	572.10	3874	700.55	615.853	285.51	1629	771.61	694.45	841.97	4488
16.	लखीमपुर	860.83	579.41	402.17	2918	883.88	455.587	746.20	4508	973.56	924.57	632.82	3603
17.	मारीगांव	786.38	424.69	502.46	1732	807.45	628.053	439.47	3578	889.36	869.83	588.12	2373
18.	एन सी हिल्स	636.72	509.37	360.71	2104	653.78	534.800	509.39	2857	720.11	829.69	520.17	2885
19.	नगांव	855.39	569.05	626.94	4457	878.31	760.907	397.27	1128	967.40	1114.63	400.20	4444
20.	नलबारी	940.48	589.48	697.70	4068	965.67	785.267	451.68	3440	1063.60	1225.47	789.58	5524
21.	सिबसागर	418.88	321.45	273.10	998	430.10	290.933	243.24	1770	473.73	460.01	379.59	1442
22.	सोनितपुर	826.52	661.25	449.62	518	848.70	678.773	609.03	4237	934.80	1077.07	694.20	3700
23.	तिनसुखिया	476.62	328.03	322.40	635	489.39	316.613	391.37	1399	539.04	524.77	412.92	4269
	कुल	16652.16	11494.81	10974.00	46817	17098.20	13316.440	10433.62	65587	18832.80	19603.67	14318.27	78752

[(सी+एस) (केंद्र अंश+राज्य अंश)]

मणिपुर

क्र.सं.	जिले का नाम	2001-02				2002-03				2003-04			
		आबंटन (सी+एस)	रिलीज (सी+एस)	निधियों का उपयोग	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	आबंटन (सी+एस)	रिलीज (सी+एस)	निधियों का उपयोग	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	आबंटन (सी+एस)	रिलीज (सी+एस)	निधियों का उपयोग	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	विष्णुपुर	88.96	44.48	29.15	157	91.34	0.00	29.07	142	100.60	0.00	0.250	5
2.	चंदेल	88.53	58.44	27.28	189	90.90	45.50	72.11	512	100.12	74.71	26.540	48
3.	चुरचांदपुर	173.49	86.75	19.02	54	178.14	78.00	148.96	355	196.21	43.80	10.530	67
4.	पूर्वी इम्फाल	38.57	19.29	20.49	112	39.60	19.80	23.60	82	43.61	20.28	16.810	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	प. ख़म्फाल	26.95	13.48	21.60	83	27.67	13.30	13.54	79	30.48	11.27	17.470	108
6.	सेनापति	161.01	80.51	64.08	444	165.32	82.70	100.35	562	182.09	99.43	75.010	444
7.	तमेंगलांग	149.48	65.15	58.15	307	153.49	107.40	98.16	355	169.05	226.71	114.430	750
8.	थौबल	66.88	33.44	32.00	188	68.67	0.00	27.60	238	75.65	68.48	25.100	147
9.	उखरूल	88.54	44.28	21.69	4	90.92	0.00	37.95	246	100.13	50.07	0.160	1
	कुल	882.41	445.82	293.46	1538	906.05	346.70	551.34	2571	997.94	594.75	286.300	1666

(सी+एस)—केंद्र अंश+राज्य अंश

मेघालय

क्र.सं.	जिले का नाम	2001-02				2002-03				2003-04			
		आबंटन (सी+एस)	रिलीज (सी+एस)	निधियों का उपयोग	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	आबंटन (सी+एस)	रिलीज (सी+एस)	निधियों का उपयोग	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	आबंटन (सी+एस)	रिलीज (सी+एस)	निधियों का उपयोग	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
1.	पूर्वी गारो हिल्स	265.28	220.57	278.89	1478	272.39	219.73	124.88	605	300.01	4.29	154.20	870
2.	पूर्वी खासी हिल्स	226.95	82.96	86.80	422	233.03	209.73	93.63	392	256.68	251.03	230.08	1150
3.	जंतिया हिल्स	133.63	66.83	67.04	332	137.23	70.43	51.54	250	151.15	75.57	85.52	482
4.	रि-भोई जिला	44.24	3.88	18.47	65	45.43	41.69	19.60	57	50.04	25.03	44.76	252
5.	द. गारो जिला	27.07	10.83	14.21	50	27.80	13.91	12.24	63	30.61	0.00	8.68	46
6.	प. गारो हिल्स	324.47	85.20	142.80	762	333.17	499.75	312.30	1359	366.96	200.41	469.52	2798
7.	प. खासी हिल्स	150.72	118.33	146.70	844	154.76	152.96	127.64	579	170.47	85.24	154.74	867
	कुल	1172.37	588.60	754.91	3953	1203.81	1208.20	741.83	3305	1325.92	641.57	1147.50	6465

(सी+एस)—केंद्र अंश+राज्य अंश

मिजोरम

क्र.सं.	जिले का नाम	2001-02				2002-03				2003-04			
		आबंटन (सी+एस)	रिलीज (सी+एस)	निधियों का उपयोग	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	आबंटन (सी+एस)	रिलीज (सी+एस)	निधियों का उपयोग	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	आबंटन (सी+एस)	रिलीज (सी+एस)	निधियों का उपयोग	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आइजोल	56.29	49.99	48.06	268	57.80	29.57	35.480	200	63.67	85.32	75.70	427
2.	चम्फाई	39.40	35.47	33.30	190	40.46	60.68	44.660	251	44.56	59.71	58.66	331

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
३.	कोलासिब	16.89	15.20	14.30	83	17.34	12.13	12.840	72	19.11	25.60	23.94	135
4.	लोंगतलई	28.15	25.33	23.88	138	28.90	14.45	16.820	95	31.83	42.65	38.18	215
5.	लुंगलेई	56.29	32.65	34.36	208	57.80	53.17	54.260	311	63.67	85.32	75.60	426
6.	मामित	36.59	32.99	31.06	175	37.57	33.81	34.300	193	41.37	55.44	52.72	298
7.	साइहा	28.15	23.09	22.20	120	28.90	14.79	17.400	96	31.83	42.65	38.62	217
8.	सेरच्छिप	19.70	17.73	16.62	93	20.23	14.16	15.300	87	22.28	29.85	27.30	153
	कुल	281.46	232.45	223.78	1275	289.00	232.76	231.060	1305	318.32	426.54	390.72	2202

(सी+एस)—केंद्र अंश+राज्य अंश

नागालैंड

क्र.सं.	जिले का नाम	2001-02				2002-03				2003-04			
		आबंटन (सी+एस)	रिलीज (सी+एस)	निधियों का उपयोग	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	आबंटन (सी+एस)	रिलीज (सी+एस)	निधियों का उपयोग	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	आबंटन (सी+एस)	रिलीज (सी+एस)	निधियों का उपयोग	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
1.	कोहिमा	145.27	171.97	80.52	527	149.16	74.58	138.65	1144	164.29	154.33	157.08	1157
2.	मोकोकचुंग	101.87	105.48	93.41	610	104.60	52.30	82.83	895	115.21	115.21	119.43	872
3.	मोन	148.10	129.63	118.46	805	151.97	76.00	104.79	1090	167.40	224.32	163.61	1178
4.	फेक	71.44	74.41	67.1	480	73.35	36.67	72.55	742	80.79	80.79	39.70	289
5.	तुएनसांग	148.03	162.32	156.14	1105	151.99	76.00	150.73	1571	167.41	163.11	154.90	1091
6.	वोखा	75.54	65.49	65.42	470	77.56	38.78	56.70	609	85.43	85.43	88.79	641
7.	जुन्हेंबोटो	66.7	69.11	63.69	452	68.46	34.23	54.10	604	75.40	75.40	86.74	621
8.	दीमापुर#	0.00	0.00	3.78	34	0.00	0.00	6.38	43	0.00	0.00	15.94	117
	कुल	756.83	778.41	648.52	4473	777.09	388.56	666.73	6698	855.93	898.59	826.19	5966

#नए सृजित जिले

(सी+एस)—केंद्र अंश+राज्य अंश

सिक्किम

क्र.सं.	जिले का नाम	2001-02				2002-03				2003-04			
		आबंटन (सी+एस)	रिलीज (सी+एस)	निधियों का उपयोग	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	आबंटन (सी+एस)	रिलीज (सी+एस)	निधियों का उपयोग	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	आबंटन (सी+एस)	रिलीज (सी+एस)	निधियों का उपयोग	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
1.	पूर्वी जिला	53.63	26.81	–	–	55.06	0.00	0.00	0	60.64	0.00	0	0
2.	उत्तरी जिला	52.14	26.08	–	–	53.54	0.00	0.00	0	58.97	0.00	0	0
3.	द. जिला	43.31	21.65	–	–	44.47	0.00	0.00	0	48.99	0.00	0	0
4.	प. जिला	53.82	26.91	–	–	55.26	0.00	0.00	0	60.87	0.00	0	0
	कुल	202.90	101.45	237.31	1754	208.33	199.83	155.17	1149	229.47	293.75	308.97	2041

राज्य सरकार जिलावार निष्पादन का ब्यौरा नहीं भेज रही है।

(सी+एस)—केंद्र अंश+राज्य अंश

त्रिपुरा

क्र.सं.	जिले का नाम	2001-02				2002-03				2003-04			
		आबंटन (सी+एस)	रिलीज (सी+एस)	निधियों का उपयोग	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	आबंटन (सी+एस)	रिलीज (सी+एस)	निधियों का उपयोग	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	आबंटन (सी+एस)	रिलीज (सी+एस)	निधियों का उपयोग	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
1.	धलाई	133.85	174.01	133.86	754	137.44	206.16	127.05	624	156.15	151.20	251.70	1426
2.	उत्तरी त्रिपुरा	463.15	602.09	464.724	2610	475.56	713.35	443.20	2411	274.57	269.00	651.92	2689
3.	द. त्रिपुरा	606.25	788.25	606.35	4152	622.60	933.91	806.03	3333	657.76	648.41	885.71	5463
4.	प. त्रिपुरा	508.45	660.99	508.45	2866	522.07	783.10	674.60	3953	847.48	719.33	960.57	5415
	कुल	1711.80	2225.34	1713.384	10382	1757.67	2636.52	2050.88	10321	1935.96	1787.94	2749.90	15003

(सी+एस)—केंद्र अंश+राज्य अंश

एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत खाद्यान्न

2442. श्री लोनाप्पन नम्बाडन: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एस.जी.आर.वाई. योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के लाभार्थियों हेतु आबंटित और उठाए गए चावल और गेहूं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्यों द्वारा अनाज उठाने की स्थिति सुधारने हेतु क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) के अंतर्गत चावल तथा गेहूं का आबंटन वर्ष के आरंभ में किया जाता है तथा रिलीज एस.जी.आर.वाई. दिशा-निर्देशों की शर्तें पूरी करने पर की जाती है। तथापि, केन्द्र द्वारा, जिला प्राधिकारियों द्वारा कुल खाद्यान्न उठाए जाने की निगरानी की जाती है। एसजीआरवाई के अंतर्गत चावल तथा गेहूं का आबंटन तथा रिलीज और वर्ष 2004-05 के दौरान खाद्यान्न के उठान का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जब तक एस.जी.आर.वाई. दिशा-निर्देशों में दिए गए अनुसार खाद्यान्नों का उठान और उपयोग न कर लिया जाए, तब तक रिलीज की दूसरी किस्त को रोक कर रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त, एफसीआई गोदामों पर खाद्यान्नों की उपलब्धता को सुगम बनाने तथा खाद्यान्नों के उठान के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों की पहुंच को आसान बनाने के लिए समय-समय पर राज्य अधिकारियों और साथ ही भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

विवरण

2004-05 के दौरान एसजीआरवाई के अंतर्गत खाद्यान्नों का आबंटन तथा उठान

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खाद्यान्नों का आबंटन (मीट्रिक टन में)			प्राधिकृत खाद्यान्न (मीट्रिक टन में)			उठाया गया खाद्यान्न (मीट्रिक टन में) (अधशेष सहित)
		गेहूं	चावल	कुल	गेहूं	चावल	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	0	261244	261244	0	248892	248892	144548
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	13870	13870	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	असम	0	360024	360024	0	270019	270019	233965
4.	बिहार	0	517348	517348	0	516587	516587	240517
5.	छत्तीसगढ़	0	145805	145805	0	138552	138552	202751
6.	गोवा	0	3746	3746	0	2809	2809	0
7.	गुजरात	114380	0	114380	134716	0	134716	132367
8.	हरियाणा	60257	0	60257	59855	0	59855	50294
9.	हिमाचल प्रदेश	10766	14611	25377	9117	10652	19769	30630.31
10.	जम्मू-कश्मीर	8296	21525	29821	7493	21114	28607	19502
11.	झारखंड	100658	250196	350854	81146	201734	282900	8382
12.	कर्नाटक	39018	150674	195092	37905	150301	188206	210810
13.	केरल	29182	58356	87538	25462	50920	76382	67841
14.	मध्य प्रदेश	224891	89982	314873	219671	84932	304603	403852
15.	महाराष्ट्र	233373	152281	385654	204627	134711	339338	358951
16.	मणिपुर	0	24164	24164	0	18911	18911	9406
17.	मेघालय	0	27070	27070	0	20304	20304	15992
18.	मिजोरम	0	6264	6264	0	5266	5266	3
19.	नागालैंड	9284	9284	18568	6602	6602	13204	4599
20.	उड़ीसा	0	295504	295504	0	276058	276058	254594.21
21.	पंजाब	67022	0	67022	59187	0	59187	53864
22.	राजस्थान	148141	0	148141	148140	0	148140	177265
23.	सिक्किम	0	6935	6935	0	6935	6935	0
24.	तमिलनाडु	0	228442	228442	0	228442	228442	225255
25.	त्रिपुरा	0	43632	43632	0	43095	43095	35060.25
26.	उत्तरांचल	24762	33551	58313	24607	33096	57703	63315
27.	उत्तर प्रदेश	604526	268563	873089	591415	262727	854142	650892
28.	प. बंगाल	0	328394	328394	0	259315	259315	280633
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0	2457	2457	0	2457	2457	0
30.	दादर और नगर हवेली	0	1618	1618	0	1214	1214	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	दमन और दीव	0	784	784	0	0	0	0
32.	लक्षद्वीप	0	1229	1229	0	0	0	0
33.	पांडिचेरी	0	2491	2491	0	2292	2292	160
	अखिल भारत	1674556	3325444	5000000	1609963	2997937	4607900	3875448.77

करेंसी नोटों की छपाई

2443. डा. टौकचोम मैन्या: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हम अपने करेंसी नोटों की छपाई हेतु अभी भी विदेशी तकनीकों पर निर्भर हैं;

(ख) यदि हां, तो करेंसी छापने हेतु अपनी स्वयं की तकनीक विकसित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) आज की तिथि के अनुसार हमारे करेंसी नोटों पर कितनी भाषाओं में छपाई होती है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) और (ख) भारत में करेंसी का मुद्रण कार्य सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की करेंसी प्रिंटिंग प्रेसों में किया जाता है। भारत करेंसी नोटों के मुद्रण हेतु विदेशी प्रौद्योगिकी जैसे मशीनरी तथा कुछ कच्चे माल पर निर्भर है। करेंसी नोटों के मुद्रण हेतु मशीनरी की आवश्यकता एक बार की होती है तथा इसके बदले जाने की आवश्यकता लगभग 15 से 20 वर्षों में एक बार होती है। कतिपय कच्चे माल की खरीद वस्तु विशेष के लिए विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं से की जाती है। भारतीय करेंसी नोटों को सुरक्षित बनाने हेतु ये आवश्यक है।

(ग) हिन्दी एवं अंग्रेजी के अतिरिक्त, 15 भारतीय भाषाएं भारतीय रिजर्व बैंक नोटों पर ही छापी जाती हैं।

[हिन्दी]

अपैरल पार्क स्कीम

2444. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वर्तमान अपैरल पार्क स्कीम के स्थान पर एक नई योजना शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय अपैरल पार्कों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त नई योजना के क्रियान्वयन हेतु कितनी निधियां आवंटित किए जाने की संभावना है;

(ङ) यह योजना कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(च) चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा अपैरल पार्कों हेतु आवंटित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) से (च) निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना के लागू होने के पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त अनुभव के मद्देनजर सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन में तात्कालिता लाने के मूल उद्देश्य से इस योजना की मध्यावधि समीक्षा की है। भागीदारों/राज्य सरकारों के साथ गहन विचार-विमर्श किए गए हैं जिनमें समुचित लक्ष्य निर्धारण, आक्रामक विपणन, निजी क्षेत्र को शामिल करने और इस योजना के तहत सहायता का स्तर बढ़ाने के लिए इस योजना में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया था।

मार्च, 2002 में इस योजना के आरंभ से ट्रोनिका सिटी एवं कानपुर (उ.प्र.), सूरत (गुजरात), तिरूवनंतपुरम (केरल), विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश), लुधियाना (पंजाब), बेंगलूर (कर्नाटक), तिरूपुर और कांचीपुरम (तमिलनाडु), सेज, इंदौर (मध्य प्रदेश), महल, जयपुर (राजस्थान) और बुतीबोरी-नागपुर (महाराष्ट्र) में अपैरल पार्कों की स्थापना के लिए 12 परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं।

वर्तमान वर्ष अर्थात् 2004-05 के दौरान निधियों के आवंटन के लिए 25.00 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। वर्ष

2004-05 के दौरान निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना के तहत प्रतिपूर्ति के आधार पर जारी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(करोड़ रुपए में)

राज्य	स्थान	जारी राशि 2004-05
आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	1.24
गुजरात	सूरत	5.39
कर्नाटक	बेंगलूर	2.41
केरल	तिरूवंतपुरम	1.74
तमिलनाडु	तिरूपुर	4.14
उत्तर प्रदेश	कानपुर	3.78
	कुल	18.70

ए.पी.डी.आर.पी.

2445. श्री गणेश सिंह:
श्रीमती सुमित्रा महाजन:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत पश्चिमी जोन विद्युत वितरण और सेंट्रल जोन विद्युत वितरण को सुदृढ़ बनाने हेतु मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकार को कितनी धनराशि आवंटित किए जाने की संभावना है तथा उक्त धनराशि कब तक मुहैय्या कराए जाने की संभावना है; और

(ग) इस योजना से राज्य के कितने शहरों के लाभान्वित होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के पश्चिमी जोन एवं सेन्ट्रल जोन के विद्युत वितरण को सुदृढ़ बनाने के लिए त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अंतर्गत 558.84 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं।

(ख) सरकार ने समूचे मध्य प्रदेश के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए एपीडीआरपी के अंतर्गत 679.08 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं, जिसमें एपीडीआरपी घटक 339.54 करोड़ रुपये है। सरकार कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश को पहले ही 84.87 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है। आगे निधि की निर्मुक्ति परियोजनाओं की वित्तीय प्रगति और संबंधित राज्य विद्युत बोर्डों/यूटिलिटी के यथानुपात प्रतिरूप निधि के आहरण पर निर्भर करती है।

(ग) एपीडीआरपी के अंतर्गत आने वाले 36 नगरों और तीन सर्किलों की सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

मध्य प्रदेश में एपीडीआरपी के तहत कवर किए गए शहरों/सर्किलों की सूची

क्र.सं.	क्षेत्र	सर्किल/शहर
1	2	3
1.	केन्द्रीय क्षेत्र	ग्वालियर सर्किल
2.		भोपाल
3.		विदिशा
4.		हरदा
5.		पिपरिया
6.		होशंगाबाद
7.		इटारसी
8.		गुना
9.		शिवपुरी
10.		मण्डीद्वीप
11.	पश्चिमी क्षेत्र	उज्जैन सर्किल
12.		इंदौर सर्किल
13.		रतलाम
14.		खंडवा
15.		बुरहानपुर
16.		देवास
17.		नीमच
18.		मंदसौर

1	2	3
19.		धार
20.		खरगोन
21.	पूर्वी क्षेत्र	सागर
22.		दमोह
23.		कटनी
24.		शाहडोल
25.		नरसिंहपुर
26.		जबलपुर
27.		मंडला
28.		सतना
29.		छिंदवाड़ा
30.		सिवनी
31.		रीवा
32.		बालाघाट
33.		वैढ़न
34.		छत्तरपुर
35.		पन्ना
36.		टिकमगढ़
37.		ओरछा
38.		निवाड़ी
39.		मोरवा

[अनुवाद]

बैंकों का लाभ

2446. डा. एम. जगन्नाथ:
श्री एम. अप्पादुरई:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने हाल ही में अपने लाभों में तेजी से कमी करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी भारी हानियों के लिए उत्तरदायी कारण क्या हैं;

(घ) 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों का बैंक-वार सकल लाभ कितना है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अशोध्य ऋणों की कितनी धनराशि को वास्तव में बट्टे खाते में डाला गया है; और

(च) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार सरकारी क्षेत्र के किसी भी बैंक को अप्रैल 2004 से सितम्बर 2004 तक की अवधि के दौरान परिचालन लाभ में कोई घाटा नहीं हुआ है। बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सकल लाभ के बैंक-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) वर्ष 2001, 2002 और 2003 (नवीनतम उपलब्ध) के लिए सरकारी क्षेत्र केबैंकों द्वारा बट्टे खाते डाले गए ऋणों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	राशि
2000-01	5002.30
2001-02	6261.70
2002-03	8791.60

(च) भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋणों की वसूली के लिए कुछ उपाय निर्धारित किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों द्वारा वसूली नीति बनना और उसे कार्यान्वित करना, सिविल अदालतों/ऋण वसूली अधिकरणों में मुकदमे दायर करना, समझौता वार्ता द्वारा निपटान तथा विभिन्न स्तरों पर अनुपयोज्य आस्तियों की निगरानी एवं अनुवर्तन शामिल हैं। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के हाल के संशोधन से बैंकों की वसूली प्रक्रिया और सुदृढ़ हुई है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का परिचालन लाभ

(करोड़ रुपए)

बैंक का नाम	परिचालन लाभ	
	2003-04	अप्रैल-सितम्बर, 2004 (नवीनतम)
1	2	3
इलाहाबाद बैंक	876.25	615.13
आंध्रा बैंक	930.17	604.71
बैंक आफ बड़ौदा	2485.30	1033.14
बैंक आफ इंडिया	2241.87	633.41
बैंक आफ महाराष्ट्र	676.49	247.99
केनरा बैंक	2858.71	1210.91
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	1528.93	856.37
कार्पोरेशन बैंक	907.05	468.52
देना बैंक	710.59	256.92
इंडियन बैंक	802.46	535.84
इण्डियन ओवरसीज बैंक	1325.20	637.67
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	1533.03	600.40
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	149.61	158.54
पंजाब नैशनल बैंक	3120.86	1635.73
सिंडिकेट बैंक	1054.25	525.20
यूको बैंक	948.41	485.40
यूनियन बैंक आफ इंडिया	1483.08	710.55
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	613.30	277.75
विजया बैंक	865.64	405.60
भारतीय स्टेट बैंक	9553.46	4532.10
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	681.36	394.25
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	1014.21	361.24
स्टेट बैंक आफ इंदौर	532.23	154.69
स्टेट बैंक आफ मैसूर	424.92	209.28
स्टेट बैंक आफ पटियाला	1003.75	392.84
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	452.76	178.04
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	700.83	388.81
कुल	39474.72	18502.03

उत्पाद शुल्क की आयुक्तालयवार वसूली

2447. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र उत्पाद राजस्व की वसूली के मामले में अग्रणी राज्य है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2003-04 के दौरान विभिन्न आयुक्तालयों द्वारा वसूल किए गए कुल उत्पाद राजस्व का आयुक्तालयवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्पाद राजस्व की वसूली के मामले में महाराष्ट्र के अग्रणी राज्य होने के बावजूद राज्य में उत्पाद शुल्क विभाग में अधीक्षक और निरीक्षकों के कैडर पदोन्नति के मामले में गत्यावरोध का सामना कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन कैडरों में गत्यावरोध दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2003-04 (अनंतिम) के दौरान महाराष्ट्र राज्य में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालयों द्वारा संग्रहीत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय-वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के ग्रेड से समूह ''क'' ग्रेड के सहायक आयुक्त में पदोन्नति अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची के आधार पर की जाती है। अत: महाराष्ट्र राज्य

में कार्यरत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षकों पर अगली उच्च श्रेणी के लिए पदोन्नति के प्रयोजनार्थ अलग से विचार नहीं किया जा सकता है। जहां तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षकों का संबंध है, यह एक स्थानीकृत संवर्ग है और इस ग्रेड से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक के अगले ग्रेड में पदोन्नति अधीक्षक के ग्रेड के अधिकारियों की अधिवार्षिकी, उच्च ग्रेड में पदोन्नति आदि जैसे स्थानीय कारकों पर निर्भर करती है। फिर भी विभाग के अंतिम संवर्ग पुनर्गठन में महाराष्ट्र राज्य में मौजूद केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जोनों में अधीक्षक के ग्रेड की संख्या को इन जोनों में कार्यरत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षकों की पदोन्नति की संभावनाओं को सुधारने के लिए 412 पदों की (39.5% की बढ़ोत्तरी) बढ़ोत्तरी की गई थी।

विवरण

महाराष्ट्र राज्य में केन्द्राय उत्पाद शुल्क के आयुक्तालयों से वर्ष 2003-04 (अन्तिम) के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का आयुक्तालयवार संग्रहण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	आयुक्तालय का नाम	वर्ष 2003-04 के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का संग्रहण (अस्थायी)
1	2	3
1.	मुंबई-I	3634.96
2.	मुंबई-IV	433.44
3.	मुंबई-V	268.33
4.	थाणे-I	349.19
5.	थाणे-II	170.05
6.	बेलापुर/मुंबई-VI	1173.01
7.	मुंबई-II	1033.25
8.	मुंबई-III	355.43
9.	रायगढ़/मुंबई-VII	1193.00
10.	पुणे-I	1537.12
11.	पुणे-II	562.39
12.	पुणे-III	1948.20
13.	नागपुर	932.85
14.	औरंगाबाद	732.56
15.	नासिक	2157.39
	कुल	16481.17

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण

2448. डा. रामचन्द्र डोम: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुल बकाया ऋण में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का हिस्सा 40 प्रतिशत बनाए रखने हेतु मानदंड सभी निजी, स्वदेशी और विदेशी बैंकों के लिए अनिवार्य है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि, लघु क्षेत्रों, कमजोर वर्गों आदि सहित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उधार देने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। प्राथमिकता क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित लक्ष्य निम्नानुसार हैं:-

प्राथमिकता क्षेत्र	निवल बैंक ऋण का 40%
कृषि	निवल बैंक ऋण का 18%
लघु उद्योग	कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं
कमजोर वर्ग	निवल बैंक ऋण का 10% या प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों का 25%

भारत में कार्यालयों वाले विदेशी बैंकों के द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने के लिए निवल बैंक ऋण का 32 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

आयकर आयुक्तों को शक्तियां

2449. श्री सुबोध मोहिते: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चूक करने वाली धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए आयकर आयुक्तों को और अधिक शक्तियां प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं। वित्त विधेयक, 2005 में चूक करने वाले धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए आयकर आयुक्तों को और अधिक शक्तियां प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 12कक को संशोधित किया गया है ताकि आयकर आयुक्त को ऐसे न्यास अथवा संस्था का पंजीकरण रद्द करने की शक्तियां प्रदान की जा सकें, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे न्यास अथवा संस्था की गतिविधियां सही नहीं हैं अथवा उनकी गतिविधियां ऐसे न्यास अथवा संस्था के उद्देश्यों के अनुसार नहीं चलाई जा रही हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात संवर्धन योजनाओं से संबंधित तलाशी

2450. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान डी.ई.पी.बी., ई.पी.सी.जी., ई.पी.जेड. और ई.ओ.यू. जैसी निर्यात संवर्धन योजनाओं के दुरूपयोग से संबंधित की गयी तलाशी और जब्ती का ब्यौरा क्या है; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा सीमा शुल्क विभाग में पारदर्शिता लाने हेतु क्या कार्रवाई की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान शुल्क छूट पास बुक, निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत माल, निर्यात संवर्द्धन जोन तथा निर्यातोन्मुखी इकाइयों जैसी निर्यात संवर्द्धन स्कीमों के दुरूपयोग संबंधी तलाशी एवं अभिग्रहणों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

वर्ष	तलाशियों की संख्या	अभिग्रहणों की संख्या	अभिगृहीत माल का मूल्य (लाख रुपयों में)
2001-02	313	126	6846.88
2002-03	613	199	24056.22
2003-04	466	161	15663.42
2004-05 (फरवरी, 2005 तक)	404	136	19292.91
योग	1796	622	65859.43

(ख) सीमा शुल्क विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के विस्तृत ब्यौरे संलग्न विलरण में दिए गए हैं।

विवरण

(i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड की www.cbec.gov. नामक एक सरकारी वेबसाइट है जिसमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी संगत अधिनियम, टैरिफ, नियम विनियम, अधिसूचनाएं और परिपत्र विहित हैं।

(ii) इस वेबसाइट में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड में संबंधित अधिकारियों के ई-मेल पते उपलब्ध हैं जो अप्रत्यक्ष कर से संबंधित लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जिम्मेदार हैं।

(iii) वेबसाइट में नागरिकों का एक शासनपत्र दिया गया है जिसमें उस समय-सीमा के बारे में बताया गया है जिसके भीतर विभाग घोषणाओं/आवेदनों/सूचना/प्रति अदायगियों/शुल्क प्रतिअदायगी जारी करने/निर्यात/आयात माल आदि की जांच एवं निकासी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रत्युत्तर देगा और कार्रवाई आरम्भ करेगा।

(iv) आगम पत्रों और लदान बिलों को दायर करने के लिए ई.डी.आई. पद्धति लागू की गयी है। दस्तावेज की निकासी में अधिकारी द्वारा लिए गए समय को रिकार्ड किया जाता है।

(v) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा किसी भी परिपत्र को जारी करने से पूर्व इसे वेबसाइट में दिया जाता है और व्यापारी वर्ग एवं इच्छुक व्यक्तियों से टिप्पणियां प्राप्त की जाती हैं।

(vi) एक शिकायत सुधार पद्धति की भी व्यवस्था है जिसके ब्यौरे वेबसाइट में दिए गए हैं।

(vii) निर्णय लेने में देरी संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए प्रत्येक सीमाशुल्क गृह में प्रशासनिक पद्धति विद्यमान है ताकि ऐसी शिकायतों पर विचार किया जा सके।

(viii) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में अग्रिम निर्णय करने की व्यवस्था है जिसमें यह व्यवस्था है कि कोई अनिवासी अथवा संयुक्त उद्यम वाली कोई भी कम्पनी वर्गीकरण, शुल्क दर और अधिसूचनाओं की व्यावहारिकता से संबंधित सूचना मांग सकती है। अग्रिम निर्णय करने वाले प्राधिकारी का निर्णय विभागीय अधिकारी पर बाध्यकर होगा।

(ix) किसी अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय का गुण-दोष के प्रति शिकायतों का निपटान करने के लिए, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में ही अपील और संशोधन के रूप में उपचारात्मक उपायों की व्यवस्था है।

(x) सेवा कर के ई-फाइलिंग हेतु व्यवस्था लागू कर दी गयी है।

(xi) अनावश्यक स्तरों को समाप्त करने के लिए, विनियामक संशोधनों पर एक स्थायी समिति का गठन कर दिया गया है। इस समिति में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड तथा विभिन्न सरकारी विभागों और व्यापार संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

(xii) आयात पत्तन पर माल की जांच करने के लिए एक जोखिम प्रबन्धन मापदण्ड लागू किया गया है।

[हिन्दी]

स्वजलधारा योजना

2451. श्री चन्द्रभान सिंह:
श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन:
श्री अशोक अर्गल:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जनजातीय बहुल क्षेत्रों में उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत जनता द्वारा वहन की जाने वाली वित्तीय लागत की भागीदारी को वर्तमान 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब से लागू किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) से (ग) स्वजलधारा दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्वजलधारा योजनाओं की पूंजी लागत के संबंध में जनता (सामुदायिक अंशदान) द्वारा वहन की जाने वाली वित्तीय लागत का अंश कम से कम 50% सामुदायिक अंशदान नकद के साथ-साथ नकद/वस्तु/श्रम/भूमि अथवा इनके मिले-जुले रूप में हो सकता है। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के मामले में, नकद अंशदान के अनुपात को अब निर्धारित सामुदायिक अंशदान के 25% तक कम कर दिया गया है।

कोयले की खुली बिक्री

2452. श्री जे.एम. आरून रशीद: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला कंपनियों द्वारा कोयले की खुली बिक्री बंद कर दी गयी है;

(ख) क्या कोयले की खुली बिक्री बंद करने के बावजूद कोयले के मूल्य में बढ़ोत्तरी हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एस.ई.सी.एल. सहित अन्य कोयला कम्पनियों का विचार खुली बिक्री को पुनर्निर्धारित करते हुए तथा बिक्री के मामले में एकाधिकार समाप्त करके आम आदमी को कोयला मुहैय्या कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) कोयले की कीमत का निर्धारण विभिन्न कारकों जैसे उत्पादन आदि के आधार पर किया जाता है और यह कोयले की खुली बिक्री से संबंधित नहीं होता है।

(घ) और (ङ) कोयले की बिक्री ई-नीलामी के माध्यम से किए जाने पर सरकार विचार कर रही है और परीक्षण के तौर पर

चल रही ई-नीलामी के अनुभव और मूल्यांकन के आधार पर इसका विस्तृत विवरण तैयार किया जाएगा।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वस्त्र नीति

2453. श्री काशीराम राणा: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वस्त्र क्षेत्र में उत्पादन को व्यवस्थित करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) क्या उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए "राष्ट्रीय वस्त्र नीति" में सुधार करने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) से (ग) राष्ट्रीय वस्त्र नीति की घोषणा नवम्बर, 2000 में एक सशक्त एवं गतिशील वस्त्र उद्योग का विकास करने के लिए की गई थी जो परिवर्तित वैश्विक परिवेश की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो। इस नीति में परिवर्तन किए जाने के बारे में सरकार के पास इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

उपर्युक्त नीति के अनुसरण में सरकार ने वस्त्र क्षेत्र का उत्पादन सुव्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) वित्तीय शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाना ताकि निवेश को आकर्षित किया जा सके और आधुनिकीकरण किया जा सके।

(2) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) शुरू करना।

(3) वस्त्र उद्योग के विद्युतकरघा क्षेत्र के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के लिए 20 लाख रु. की सहायता राशि की सीमा के अध्यधीन विशिष्ट मशीनों में 100 लाख रु. तक निवेश पर 20% पूंजीगत सहायता उपलब्ध है।

(4) 2 करोड़ रुपए और उससे अधिक के ऋण वाले ऐसे संभावित रूप से अर्थक्षम वस्त्र एककों के ऋण दायित्वों का पुनर्निर्माण करने के लिए एक पैकेज की घोषणा।

(5) लघु उद्योग क्षेत्र से सिलेसिलाये परिधानों के बुनाई क्षेत्र को अनारक्षित करना। केन्द्रीय बजट 2005-06 में लघु उद्योग क्षेत्र की 30 हौजरी मदों के अनारक्षण की घोषणा की गई है।

(6) संभावित विकास केन्द्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपैरल विनिर्माण एककों की स्थापना करने पर संकेन्द्रित बल देने और निर्यात को गति देने के वास्ते "निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना" नामक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना शुरू की गई।

(7) महत्वपूर्ण वस्त्र केन्द्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए वस्त्र इन्फ्रास्ट्रक्चर केन्द्र विकास योजना (टीसीआईडीएस) भी शुरू की गई है।

(8) कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए "कपास प्रौद्योगिकी मिशन" शुरू किया गया।

पुनरुद्धार संबंधी विशेषज्ञ समिति

2454. श्री बी. विनोद कुमार: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला क्षेत्र के पुनरुद्धार संबंधी विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ऊपर भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

सरकार द्वारा चुनाव हेतु वित्त-पोषण

2455. श्री उदय सिंह:
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज):
श्री एम. अप्पादुरई:

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजनैतिक दलों के वित्त-पोषण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और चुनावों के लिए सरकार द्वारा वित्त-पोषण जैसे चुनावी मुद्दों के संबंध में राष्ट्रीय सहमति की जरूरत पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विभिन्न राजनैतिक दलों के साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने और एक स्पष्ट दृष्टिकोण बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा चुनावों के दौरान भ्रष्टाचार पर पूर्णतया रोक लगाना सुनिश्चित करने हेतु अन्य क्या कदम उठाने का विचार है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) से (ग) निर्वाचन और अन्य संबद्ध विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2003 राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता लाने हेतु एक प्रयास था। उक्त अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में धारा 29ख और 29ग अंत:स्थापित करके राजनीतिक दलों द्वारा संदान एकत्रित करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए था जिससे कि निर्वाचन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को न्यूनतम किया जा सके और निर्वाचनों के राज्य वित्त पोषण की ओर एक संतुलित कदम बढ़ाया जा सके। सरकार निर्वाचन सुधारों की प्रक्रिया के भाग रूप में निर्वाचनों का राज्य वित्तपोषण आरंभ करने के पक्ष में है जिससे कि राजनीतिक दलों पर निर्वाचन खर्च के बोझ को और कम किया जा सके, जिसके परिणामस्परूप दलों की, निर्वाचन लड़ने के लिए निधियां एकत्रित करने हेतु अनुचित उपाय अपनाने की प्रवृत्ति कम होगी। निर्वाचन विधियों तथा अन्य संबंधित विषयों में सुधार/परिवर्तन करने की प्रक्रिया एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसे केवल राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है। चूंकि यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है इसलिए कोई समय-सीमा उपदर्शित करना संभव नहीं है।

निजी कंपनियों द्वारा कोयले का अन्वेषण

2456. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**
श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री चन्द्रभूषण सिंह:
श्री सुबोध मोहिते:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी क्षेत्र की कंपनियों/बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने सरकार से देश में, विशेषकर महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड में कोयले का अन्वेषण करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन कंपनियों को अनुमति दी गई है और किन कंपनियों की अनुमति लंबित है;

(ग) उन्हें अनुमति न देने के क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में लंबित आवेदनों को स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार देश के कोयला क्षेत्र हेतु एक विनियामक प्राधिकरण बनाने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) देश में कोयले के अन्वेषण के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों/एम.एन.सी. से इस मंत्रालय में कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न के भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ङ) से (छ) कोयला क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति, अन्य बातों के साथ-साथ, कोयले के लिए विनियामक प्राधिकरण का गठन करने की आवश्यकता की जांच कर रही है। उपयुक्त समय पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् मामले पर निर्णय लिया जाएगा।

हवाला धन का आकलन

2457. **श्री बीर सिंह महतो:**
श्री वी.के. दुग्मर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान देश में हवाला के माध्यम से प्राप्त राशि का वर्षवार आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी प्राप्तियों की निगरानी करने और उस पर रोक लगाने हेतु विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम में परिवर्तन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्यों है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत भ्रष्टाचार

2458. श्री श्यामा चरण गुप्त: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इंदिरा आवास योजना में व्याप्त अनियमितताओं के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है और तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) जी हां। विभिन्न क्षेत्रों जैसे व्यक्ति, निर्वाचित प्रतिनिधि, विधान-सभा सदस्य, संसद सदस्य इत्यादि से शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) ये शिकायतें ज्यादातर इन्दिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के कार्यान्वयन में अनियमितताओं, लाभार्थियों के चयन और निधियों की रिलीज में विलम्ब, इत्यादि से संबंधित होती है। जब भी ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन्हें आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने हेतु और यदि ये शिकायतें सही पायी जाती हैं तो चूक करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु, राज्य सरकार को भेजी जाती हैं। वर्तमान वर्ष के दौरान, बिहार के अररिया और सारण जिलों में तथा उत्तर प्रदेश के बांदा और चित्रकूट जिलों में अनियमितताओं के संबंध में संसद सदस्यों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इन शिकायतों को, आवश्यक और सुधारात्मक कदम उठाने हेतु राज्य सरकारों को भेज दिया है।

[अनुवाद]

लघु उत्पादकों द्वारा उत्पादित चाय पर कर में छूट

2459. श्री पी. करूणाकरन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को लघु चाय उत्पादकों से उनके द्वारा उत्पादित चाय पर कर से छूट देने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जहां तक प्रत्यक्ष करों का संबंध है, इंडियन टी एसोसिएशन और यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन आफ सदर्न इंडिया (यू पी ए एस आई) जैसे संगठनों से सामान्य रूप से चाय उद्योग के लिए कतिपय कर रियायतों की मांग करने वाले अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। जहां तक प्रत्यक्ष करों का संबंध है, सरकार को चाय उद्योग से, चाय पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट का अनुरोध करने वाले अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे थे।

इस वर्ष के बजट में सरकार ने चाय और चाय-अपशिष्ट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त सीमा शुल्क वापस ले लिया है।

[हिन्दी]

सेवा कर लगाना

2460. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औद्योगिक क्षेत्र में सेवा कर कब से लगाया गया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को सेवा कर लगाने के विरुद्ध कोई आपत्ति/अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) औद्योगिक क्षेत्र पर सेवाकर "कारोबार अनुषांगिक सेवाएं" शीर्षक के अंतर्गत माल के उत्पादन अथवा संसाधन पर सेवाकर के रूप में दिनांक 10.9.04 से पिछले बजट में ग्राहक कर लगाया गया है।

(ख) चूंकि सेवाकर का क्रेडिट बोर्ड के पार विनिर्माण क्षेत्र में भी अनुमति दी गई है, अत: इसके विरुद्ध ज्यादा आक्रोश नहीं है क्योंकि संदत्त सेवाकर को विनिर्मित अंतिम उत्पाद पर केन्द्रीय

उत्पाद शुल्क के संदाय के लिए क्रेडिट के रूप में लिया जाता है। तथापि साइकिल जैसे छूट प्राप्त उत्पाद जहां सेवाकर के क्रेडिट का उपयोग संभव नहीं है जिससे उनके अंतिम उत्पाद की लागत बढ़ जाती है, के विनिर्माताओं से कुछ आपत्ति/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के विस्तृत ब्यौरे के अनुसार।

(घ) उक्त मामले की जांच की जा रही है।

बीमा कारोबार

2461. श्री तूफानी सरोज: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के कारोबार में निरन्तर गिरावट दर्ज हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इन दोनों कंपनियों के कारोबार में दर्ज की गई गिरावट का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त गिरावट को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, नहीं। न्यू इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एन आई ए) और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एन आई सी) की सकल प्रत्यक्ष बीमा किश्तों में सतत वृद्धि दर्ज की गई है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	एन आई ए	एन आई सी
2001-02	4198.06 (20.18%)	2365.47 (11.69%)
2002-03	4812.79 (14.64%)	2863.58 (21.06%)
2003-04	4921.47 (2.26%)	3391.10 (18.42%)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्शाते हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

आईआरडीए विनियमों का उल्लंघन

2462. श्री अबदुल्लाकुट्टी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी जैसी साधारण बीमा निगम की सहायक कम्पनियों ने अपने मिश्रित उत्पादों को बेचने के लिए जीवन बीमा क्षेत्र में बिरला सनलाइफ और एपीएम सन्मार जैसी निजी कंपनियों के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या जीवन बीमा और गैर-जीवन बीमा कंपनियों के बीच ऐसा समझौता करना आईआरडीए विनियमों का उल्लंघन है;

(ग) क्या आईआरडीए ने बैंक कर्मचारियों को जीवन बीमा सुरक्षा कवर सहित जमा राशियों जैसे बीमा और मिश्रित उत्पादों को बेचने की अनुमति दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एन आई सी) ने दो कंपनियों द्वारा अलग-अलग जारी किए जाने वाले मिश्रित उत्पादों को आई आर डी ए से मंजूरी मिलने की शर्त पर बेचने के लिए बिरला सनलाइफ के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड लाइसेंसप्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समझौता किया था। आई आर डी ए ने सूचित किया है कि परस्पर बिक्री समझौता बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2(7क) का उल्लंघन है जिसके तहत भारत में बीमा कंपनी को जीवन बीमा अथवा साधारण बीमा अथवा पुनर्बीमा का कारोबार करने की अनुमति दी जाती है, मिश्रित बीमाकर्त्ताओं के लिए इस अधिनियम के तहत किसी कार्य की अनुमति नहीं दी जाती है। तदनुसार आई आर डी ए ने एन आई सी और एन आई ए दोनों को तुरन्त परस्पर अनुमति नहीं दी जाती है। तदनुसार आई आर डी ए ने एन आई सी और एन आई ए दोनों को तुरन्त परस्पर बिक्री समझौते से हटने और किसी ऐसे समझौते में शामिल नहीं होने की सलाह दी है।

(ग) और (घ) आई आर डी ए ने सूचित किया है कि बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42 और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार बीमाकर्त्ता बीमा कारोबार प्राप्त करने के लिए

कारपोरेट एजेंटों को नियुक्त कर सकते हैं। क्योंकि कुछ बैंक कारपोरेट एजेंट बन गए हैं अतः उन्हें संबंधित बीमाकर्त्ताओं हेतु प्रार्थना करने और कारोबार प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कार्यक्रम

2463. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के लिए एक नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक घोषित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (घ) सरकार में नीति-निर्माण एक सक्रिय प्रक्रिया है। इस दिशा में पहले ही काफी कार्य हो चुका है। इसके परिणामस्वरूप, दिनांक 31.12.2004 की स्थिति के अनुसार, 5500 मे.वा. से अधिक ग्रिड -इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत प्रणालियां संस्थापित की गई हैं। ऐसी अक्षय विद्युत संस्थापना की गति में तेजी आने के फलस्वरूप 10वीं योजना के पहले दो वर्षों अर्थात् 2002-03 और 2003-04 के दौरान देश में कुल विद्युत उत्पादन संस्थापित क्षमता में 10 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में 15 प्रतिशत योगदान हुआ है। इसके अतिरिक्त, 10वीं योजना अवधि के दौरान अक्षय साधनों से उन 5000 दूरस्थ गांवों को विद्युतीकृत किए जाने की आशा है जहां ग्रिड विस्तार करना या तो किफायती नहीं है या व्यवहार्य नहीं है। इन 5000 दूरस्थ गांवों में से दिनांक 31.12.2004 की स्थिति के अनुसार 1744 दूरस्थ गांवों को पहले ही विद्युतीकृत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, मुख्य रूप से जल तापन प्रयोजनों के लिए 1.0 मिलियन वर्ग मीटर संग्राहक क्षेत्र की संस्थापना के अतिरिक्त 3.5 मिलियन और 1.0 मिलियन घरों में क्रमशः बायोगैस संयंत्र और सौर घरेलू रोशनी प्रणालियां प्रदान की गई हैं। अक्षय ऊर्जा प्रणालियों/युक्तियों के विस्तार की प्रगति अत्यन्त संतोषजनक है।

वस्त्र कामगार पुनर्वास निधि योजना

2464. श्री सांताश्री चटर्जी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वस्त्र कामगार पुनर्वास निधि योजना (टी.डब्ल्यू.आर.एफ.एस.) के अंतर्गत राज्यवार कितनी वस्त्र इकाइयां आती हैं;

(ख) टी.डब्ल्यू.आर.एफ.एस. के अंतर्गत राज्यवार कितनी इकाइयों को वित्तीय सहायता प्राप्त हुई;

(ग) क्या सरकार टी.डब्ल्यू.आर.एफ.एस. दिशानिर्देशों में संशोधन करके राज्य/केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और सहकारी क्षेत्र की वस्त्र इकाइयों को इसमें शामिल करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) जिन वस्त्र एककों ने टी.डब्ल्यू.आर.एफ.एस. के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त की उनकी राज्यवार संख्या निम्नलिखित है:-

राज्य का नाम	टी.डब्ल्यू.आर.एफ.एस. के तहत शामिल और वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले वस्त्र एककों की संख्या
गुजरात	31
महाराष्ट्र	3
मध्य प्रदेश	3
तमिलनाडु	4
दिल्ली	1
कुल	42

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोल इंडिया लिमिटेड में रिक्त पद

2465. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों में कोई भर्ती नहीं की गई है और रिक्त पदों को नहीं भरा गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न समूहों के कितने अधिकारी/पदाधिकारी तथा कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन रिक्त पदों को भरने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, नहीं। पिछले 3 वर्षों के दौरान सीआईएल की कुछ सहायक कंपनियों में नई भर्तियां की गई हैं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है-

कंपनी	2002-03	2003-04	2004-05 (1.1.05 तक)
	नई भर्ती	नई भर्ती	नई भर्ती
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	0	4	0
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	142	0	0
महानदी कोलफील्ड्ल लि.	20	0	0
नार्दर्न कोलफील्ड्रा लि.	37	0	0
कुल योग	199	4	0

उपर्युक्त के अलावा कोल इंडिया लिमिटेड ने पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना नीति और राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते (एन.सी.डब्ल्यू.ए.) के अंतर्गत भी रोजगार दिए हैं। इनका ब्यौरा नीचे दिया गया है-

	2002-03	2003-04	2004-05 (91.2.05 की की स्थिति के अनुसार)
राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता (एन.सी.डब्ल्यू.ए.)	2497	2794	2059
पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना नीति (आर एंड आर)	478	628	460

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान सेवानिवृत्त हुए अधिकारी और गैर-अधिकारी ग्रेड के कर्मचारियों का विवरण इस प्रकार है-

वर्ष	अधिकारी ग्रेड	गैर-अधिकारी ग्रेड	कुल
2002	392	10086	10478
2003	489	8837	9326
2004	452	9287	9739
कुल	1333	28210	29543

(ग) और (घ) कोल इंडिया के पास कुछ श्रेणियों में अधिशेष श्रमशक्ति है परंतु कुछ श्रेणियों में श्रमशक्ति की कमी है। कोल इंडिया लि. ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की बैकलाग रिक्तियां, जिनकी संख्या 789 है, को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया है।

[अनुवाद]

सकल घरेलू उत्पाद पर सुनामी का प्रभाव

2466. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में हाल ही में आए सुनामी का सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कुछ वर्ष पूर्व लगाए गए अधिभार को कुछ और मदों पर और एक वर्ष तक जारी रखेगी ताकि सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य के वित्तपोषण हेतु पर्याप्त राशि जुटाई जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश, केरल, पांडिचेरी और तमिलनाडु में सुनामी की वजह से कुल 11,934.74 करोड़ रुपए की क्षति होने का अनुमान लगाया गया है। हाल ही की संयुक्त आकलन मिशन रिपोर्ट (विश्व बैंक, एशिया विकास बैंक और संयुक्त राष्ट्र संघ) में यह देखा गया है कि सुनामी का प्रभाव भारत या उससे प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर सकल घरेलू उत्पाद पर नहीं पड़ा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सकल घरेलू उत्पाद अप्रभावित रहे क्योंकि समुद्रतट के निकट आर्थिक गतिविधि का राज्यों की आय में बहुत कम योगदान होता है।

(ग) और (घ) उत्पादों की एक श्रेणी जिसके उपयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, पर उत्पाद शुल्क का एक विशेष अधिभार वित्त विधेयक, 2001 के तहत राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (एनसीसीडी) के रूप में लगाया गया था। तत्पश्चात्, वित्त विधेयक, 2003 में इस लेवी को कुछ और मदों नामत: पोलियस्टर

फिलामेंट यार्न, मोटर कारों, बहुउपयोगी वाहनों और दुपहियों, और कच्चे तेल पर भी लगाया गया था। एनसीसीडी की लेवी को वित्त विधेयक, 2005 में, बिना किसी समय-सीमा के, बढ़ाए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

राष्ट्रीय विद्युत प्रशुल्क नीति

2467. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विद्युत प्रशुल्क में लगातार वृद्धि का कृषि, उद्योग और आम आदमी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) देश में राज्यवार विशेषकर कर्नाटक में विभिन्न क्षेत्रों अर्थात कृषि, उद्योगों और घरेलू काम के लिए विद्युत प्रशुल्क कितना है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार विशेषकर कर्नाटक में राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा विद्युत प्रशुल्क में कितनी वृद्धि की गई है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत प्रशुल्क में बारम्बार वृद्धि को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए है/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (ङ) विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत, विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ (विद्युत मूल्य), राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित करना है और यह कार्य करते समय आयोग को अधिनियम के खण्ड 61 में निहित प्रावधानों द्वारा मार्गदर्शित होने की जरूरत है जिसमें अन्य बातों के साथ यह तथ्य सम्मिलित है जिससे प्रतिस्पर्धा, दक्षता, संसाधनों का किफायती प्रयोग, उपभोक्ता के हितों की रक्षा और उसी समय सही तरीके से विद्युत की कीमत की वसूली सुनिश्चित हो सके। राज्य आयोग जब अपने शक्तियों का उपयोग करें और अपना कर्त्तव्य निर्वहन करें तो उन्हें पारदर्शिता सुनिश्चित करने की भी जरूरत है।

दिनांक 1.4.2003, 1.4.2004 और 1.3.2005 को विभिन्न राज्यों में अनुमानित औसत विद्युत दर का विवरण क्रमश: संलग्न विवरण I, II और III में है। कर्नाटक में परिवर्तन को संलग्न विवरण IV में दिया गया है।

विद्युत की कीमत कम करने के लिए अनेको कदम उठाए गए हैं। मेगा पावर नीति के तहत लाभ, जिसमें पूंजीगत उपकरणों का आयात करने और घरेलू आपूर्तिकर्त्ताओं के लिए संभावित निर्यात लाभ हेतु शून्य सीमा शुल्क का प्रावधान किया गया है, सभी अंतर्राज्यीय परियोजनाओं को प्रदान किया गया है, जो ताप के लिए 1000 मे.वा. तथा जल विद्युत परियोजना के लिए 500 मे.वा. की मूल न्यूनतम क्षमता मानदंड को पूरा करती है।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र के लिए निम्नलिखित वित्तीय मापदंड निर्धारित किए हैं-

- पारेषण और वितरण उपकरणों में सकल शुल्क 25% मूल सीमा शुल्क + 16% (सीवी शुल्क: +4% (विशेष अतिरिक्त शुल्क) को कम करके 10% (बीसीडी) + 16% (सीवीडी) कर दिया गया है।
- विद्युत मीटरों में सीमा शुल्क 25% से कम करके 15% करना।
- कोयले दर में सीमा शुल्क 25% से कम करके 5% करना।

त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) प्रणाली हानियों को कम करने के उद्देश्य से परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए प्रारम्भ क़िया गया है जिसके परिणामस्वरूप आपूर्ति किए जाने वाली बिजली की कीमत में कमी आई है।

विद्युत अधिनियम, 2003 से विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए उदार कार्यक्षेत्र बना है और इसने विद्युत आपूर्ति उद्योग में विभिन्न चरणों के प्रवेश के अवरोध को कम किया है। उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर गुणवत्ता पूर्ण विद्युत उपलब्ध कराने, लागत कम होने और दक्षता सुधार की ओर बढ़ने तथा प्रतिस्पर्धा के प्रोत्साहन की उम्मीद है।

केन्द्र सरकार ने 19 जनवरी, 2005 को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के तहत बोली के द्वारा विद्युत मूल्य (टैरिफ) निश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इससे वितरण कंपनियों द्वारा बिजली लेने में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।

विवरण I

विद्युत की अनुमानित औसत दरों को दर्शाने वाला विवरण

(1.4.2003 की स्थितिनुसार)

(दरें/पैसा/कि.वा.)

क्र. सं.	यूटिलिटी का नाम	से प्रभावी टैरिफ	घरेलू 2 कि.वा. (100 (कि.वा.घं./माह)	घरेलू 5 कि.वा. (400 कि.वा.घं./माह)	घरेलू 10 कि.वा. (1000 कि.वा.घं./माह)	वाणिज्यिक 5 कि.वा. (200 कि.वा.घं./माह)	वाणिज्यिक 10 कि.वा. (1000 कि.वा.घं./माह)	वाणिज्यिक 20 कि.वा. (2000 कि.वा.घं./माह)	कृषि 5 एचपी, 15% एलएफ (408 कि.वा.घं./माह)	कृषि 10 एचपी, 20% एलएफ (1089 कि.वा.घं./माह)	लघु उद्योग 10 एचपी, 25% एलएफ (1361 कि.वा.घं./माह)	मझौले उद्योग 50 कि.वा. 40% एलएफ (14600 कि.वा.घं./माह)	बड़े उद्योग 1000 कि.वा. 65% एलएफ (474500 कि.वा.घं./माह)	भारी उद्योग (11 केवी) 10000 कि.वा. 60% एलएफ (4380000 कि.वा.घं./माह)	भारी उद्योग (33 केवी) 15000 कि.वा. 50% एलएफ (5475000 कि.वा.घं./माह)	रेलवे कर्षण 12500 कि.वा. 30% एलएफ (2737500 कि.वा.घं./माह)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश (एपीट्रांसको)	01.04.2003	238.50	396.63	492.25	609.74	654.75	660.38	39.58	38.19	419.66	408.12	414.51	460.69	472.40	132/220 केवी पर 450.03
2.	असम	01.04.2003	282.20	363.38	395.85	630.18	547.32	550.89	168.20	211.43	326.61 ग्रा 234.60 शहर	379.55	385.46	388.41	396.38	-
3.	बिहार	01.06.2001	206.70ग्रा 63.60शहर	270.30	279.84	1213.91	858.81	858.81	64.95	63.60	693.53	706.93	464.48	467.22	464.56	25 केवी पर 519.22 132 केवी पर 269.21
4.	छत्तीसगढ़	01.03.1999	157.20	259.73	294.78	438.34	497.95	505.19	73.53	55.10	304.19	396.20	434.59	437.71	427.23	132/220 केवी पर 466.69
5.	गुजरात	10.10.2000	391.50ग्रा 333.50शहर	516.38ग्रा 439.88शहर	588.60ग्रा 501.40शहर	638.00	677.15	679.33	65.36	62.14	401.17	459.36एफ	513.96	554.24	565.38	540.95
6.	हरियाणा (यूएचबीवीएन)	01.09.2001	338.00	384.25	419.50	484.00	434.00	434.00	65.00	65.00	443.00	443.00	424.00	424.00	412.00	11 केवी पर 441.23
7.	हिमाचल प्रदेश	01.11.2001	115.75	199.69	227.48	327.50	317.50	316.25	69.90	66.84	258.84	257.17	276.54	279.11	282.47	-
8.	जम्मू और कश्मीर	01.04.1999	292.80	244.00	244.00	489.22	311.10	311.10	40.26	40.26	164.70	164.70	164.70	164.70	-	-
9.	झारखंड	मार्च, 2001	139.00ग्रा 46.00शहर	150.75	161.10	451.00	287.80	289.90	40.15	31.09	157.09	140.54	211.99	214.58	212.07	25 केवी पर 275.21 132केवी पर 269.21
10.	कर्नाटक (केपीटीसीएल)	01.04.2003	323.93	420.92	473.92	644.44	689.26	611.76	64.51	58.37	388.82	449.57	466.29	480.07	489.42	11 केवी पर 456.70
11.	केरल	01.10.2002	187.00	398.89	517.81	792.00	936.10	976.80	77.97	76.35	386.60	374.45	379.44	385.02	-	110 केवी पर 348.67
12.	मध्य प्रदेश	19.12.2002	314.50ग्रा 286.00शहर	404.36ग्रा 346.94शहर	421.05ग्रा 360.78शहर	514.38	672.79	674.18	120.00	105.60	427.42	533.14	469.35	505.47	498.99	132/220 केवी पर 467.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13.	महाराष्ट्र	01.10.2002	305.46	410.39	492.95	462.35	590.61	609.82	128.18	121.12	337.13	370.75	435.31	442.44	-	431.00
14.	मेघालय	01.09.2001	130.00	182.50	205.00	288.50	314.50	317.75	76.00	76.00	266.12	289.77	219.75	222.23	-	-
15.	उड़ीसा (ग्रिडको)	01.05.2002	135.00	315.00	315.00	415.00	455.00	455.00	105.00	105.00	320.00	340.00	344.26	357.06	384.46	25/33केवी पर 407.45
16.	पंजाब	01.08.2002	210.40	311.39	348.09	429.25	429.25	429.25	57.00	55.10	324.25	367.30	376.75	376.75	365.57	11 केवी पर 465.00
17.	राजस्थान (केवीवीएनएल)	01.04.2001	322.50यू 292.75आर	305.63यू 277.57आर	302.25यू 274.53आर	555.00	551.00	553.00	105.03	83.40	391.04	417.66	447.07	448.83	450.19	446.66
18.	तमिलनाडु	16.03.2003	204.75	359.63	442.58	598.40	606.90	607.95	20.00	20.00	327.81	493.72	445.60	462.61	469.04	511.16
19.	उत्तर प्रदेश (यूपीपीसीएल)	09.11.2002	321.50यू 99.00आर	327.13	316.25	599.00	491.00	492.50	72.25	64.28	413.09यू 350.98आर	396.54यू 336.91आर	393.63यू 337.43आर	397.35यू 340.63आर	383.79यू 325.74आर	132 केवी से नीचे पर 471.70 132 केवी और अधिक पर 433.63
20.	उत्तरांचल (यूपीसीएल)	01.01.2002	229.00यू 72आर	239.00	273.00	484.00	454.00	460.25	67.40	50.51	386.04	404.66	346.15	349.66	340.22	25 केवी पर 361.70 12 केवी और कम पर 467.52
21.	पश्चिम बंगाल	01.04.2001	200.81यू 171.68आर	33.90यू 310.00आर	397.75यू 354.75आर	367.40यू 356.95आर	461.25यू 450.00आर	461.25यू 450.00आर	74.67	173.00	341.58	421.96	391.98	369.10	379.50	25 केवी पर 433.64 132 केवी पर 361.70
22.	अरुणाचल प्रदेश	01.02.2000	162.50	211.78	231.75	357.50	387.50	391.25	-	-	345.00	361.44	393.95	394.89	-	-
23.	गोवा	01.04.2002	122.00	170.75	216.50	314.50	344.50	363.25	102.00	102.00	257.00	297.00	339.19	342.29	250.35	-
24.	मणिपुर	03.09.2002	262.00	299.70	-	429.70	302.20	396.60	272.20	272.20	287.20	367.41	334.61	333.35	337.20	-
25.	मिजोरम जिला मुख्यालय और सब-डिवीजन क्षेत्र अन्य क्षेत्र	01.08.2002	115.00	171.25 163.75	143.50 140.50	250.00	300.00	300.00	70.00	70.00	165.32	101.23	62.01	67.15	80.58	-
26.	नागालैंड	01.06.2001	250.00यू 200.00आर	300.00यू 200.00आर	300.00यू 200.00आर	350.00	380.00	380.00	150.00	150.00	298.00	275.00	275.00	275.00	-	-
27.	सिक्किम	15.08.2002	90.00	230.63	281.25	270.00	375.00	387.50	157.50	225.70	355.40यू 252.54आर	216.26	258.47	261.26	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28.	त्रिपुरा	01.08.2001	346.00	240.00	220.00	755.00	330.00	363.00	75.00	120.00	175.00	209.45	-	-	-	-
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	01.11.2001	115.00	243.75	289.50	330.00	410.00	420.80	75.00	75.00	285.30	298.63	-	-	-	-
30.	चंडीगढ़	01.11.2002	160.75	246.94	282.18	401.00	401.00	401.00	105.68	102.75	301.00	336.00	381.00	381.00	369.90	-
31.	दादर और नगर हवेली	01.02.87	72.50	85.63	88.25	122.00	124.40	124.70	50.00	50.00	170.10	170.36	180.86	181.85	-	-
32.	दमन द्वीप	01.09.2002	130.00	172.50	204.00	237.50	263.50	266.75	55.00	55.00	230.00	251.48	258.83	261.01	-	-
33.	दिल्ली	01.06.2001	157.50	252.00	327.60	525.00	462.00	525.00	78.75	78.75	430.50	430.50	459.05	462.30	454.80	11 केवी पर
		01.06.2001	158.00	252.25	327.70	500.00	462.00	525.00	-	-	431.00	431.00				480.58
																576.00
34.	एनडीएमसी	10.06.2001	158.00	252.25	327.00	500.00	462.00	525.00	-	-	431.00	431.00	-		-	-
35.	लक्षद्वीप	01.04.2000	200.00	337.50	375.00	650.00	650.00	650.00	-	-	450.00	450.00	-	-	-	-
36.	पांडिचेरी	16.04.2002	55.00	113.75	150.50	348.40	340.48	339.04	11.74	7.27	246.24	258.72	317.52	333.42	-	-
37.	अहमदाबाद इलेक्ट्रिक कंपनी	01.08.2002	389.40	453.75	482.46	573.79	676.84	684.80	327.54	327.54	382.72	418.39	426.27	429.83	-	-
38.	कलकत्ता (सीएससी)	01.04.2003	270.80	482.92	543.95	314.93	635.63	435.24	-	-	474.44	532.13	528.53	532.09	524.40	537.94
39.	डीवीसी (क) झारखंड क्षेत्र	01.09.2000	-	-	-	506.00	623.25	635.63	-	-	-	-	320.42	328.33	334.89	33 केवी पर 40.32
	(ख) पश्चिम बंगाल								-	-	-	-	336.38	344.89	351.94	132 केवी पर 391.37
40.	दुर्गापुर प्रोजेक्ट लि.	01.05.1999	180.25	338.44	404.83	361.18	467.00	467.00	207.00	293.54	327.66	445.44	400.46	406.46	-	-
41.	मुम्बई (बेस्ट)															
	(बीएसईएस)	15.07.1997	84.00	305.51	441.48	622.00	757.60	802.80	-	-	669.06	721.15	418.43ई	422.08ई	-	-
	(टाटा)	01.04.2000	154.56	436.31	447.86	603.58	636.01	647.48	-	-	565.01	473.47	343.34	323.64	-	-
		01.12.1998	145.60	324.53	381.60	419.29	419.28	419.29	-	-	400.44	400.44	365.97	369.64	379.23	6.6 केवी से 33 400.44

यू-शहरी; आर-ग्रामीण; ई-98 पैसे/कि.वा. दर से रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार को छोड़कर; एफ-10 पैसे/किवार्ध. की दर से रिएक्टिव प्रभार को छोड़कर; डी-डीपीएपी एरिया; ओ-अन्य एरिया; अधिसूचित टैरिफों में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के संबंध में टैरिफ हेतु पैरामीटर भिन्न-भिन्न हैं। उपरोक्त मिलान एक माह में कुछ मान्य भार और खपत स्तरों के लिए है।

विद्युत टैरिफ, विद्युत शुल्क/कर और एफसीए के आधार पर विवरण तैयार किया गया है जैसा कि एफएसए एंड डिवीजन, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को सूचित किया गया है।

विवरण II

विद्युत की अनुमानित औसत दरों को दर्शाने वाला विवरण

(1.4.2004 की स्थितिनुसार)

(दरें/पैसा/कि.वा.)

क्र. सं.	यूटिलिटी का नाम	से प्रभावी टैरिफ	घरेलू 2 कि.वा. (100 (किवाघं/माह)	घरेलू 5 कि.वा. (400 किवाघं/माह)	घरेलू 10 कि.वा. (1000 किवाघं/माह)	वाणिज्यिक 5 कि.वा. (200 किवाघं/माह)	वाणिज्यिक 10 कि.वा. (1000 किवाघं/माह)	वाणिज्यिक 20 कि.वा. (2000 किवाघं/माह)	कृषि 5 एचपी, 15% एलएफ (408 किवाघं/माह)	कृषि 10 एचपी, 20% एलएफ (1089 किवाघं/माह)	लघु उद्योग 10 एचपी, 25% एलएफ (1361 किवाघं/माह)	मझौले उद्योग 50 कि.वा. 40% एलएफ (14600 किवाघं/माह)	बड़े उद्योग 1000 कि.वा. 65% एलएफ (474500 किवाघं/माह)	भारी उद्योग (11 केवी) कि.वा. 60% एलएफ (4380000 किवाघं/माह)	भारी उद्योग (33 केवी) कि.वा. 50% एलएफ (5475000 किवाघं/माह)	रेलवे कर्षण 12500 कि.वा. 30% एलएफ (2737500 किवाघं/माह)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश (एपीट्रांसको)	01.04.2004	238.50	396.63	492.25	583.50	621.50	626.25	39.58	38.19डी 42.01जो	409.66	398.12	404.51	449.68	461.41	132/220 केवी पर 440.03
2.	असम	01.04.2003	282.20	363.38	395.85	630.18	547.32	550.89	168.20	211.43	326.61 ग्रा 234.60 शहर	379.55	385.46	388.41	396.38	-
3.	बिहार	01.06.2001	206.70ग्रा 63.60शहर	270.30	279.84	1213.91	858.81	858.81	64.95	63.60	693.53	706.93	464.48	467.32	464.56	25 केवी पर 519.22 132 केवी पर 269.21
4.	छत्तीसगढ़	01.03.1999	157.20	259.73	294.78	438.34	497.95	505.19	73.53	55.10	304.19	396.20	434.59	437.71	427.23	132/220 केवी पर 466.69
5.	गुजरात	10.10.2000	391.50ग्रा 333.50शहर	516.38ग्रा 439.88शहर	588.60ग्रा 501.40शहर	638.00	677.15	679.33	63.36	62.14	401.17	459.36एफ	513.96	554.24	565.38	540.95
6.	हरियाणा (यूएचबीवीएन)	01.09.2001	338.00	384.25	419.50	434.00	434.00	434.00	65.00	65.00	443.00	443.00	'24.00	424.00	412.00	11 केवी पर 441.23
7.	हिमाचल प्रदेश	01.11.2001	115.75	199.69	227.48	327.50	317.50	316.25	69.90	6/.84	258.84	257.17	276.54	279.11	282.47	-
8.	जम्मू और कश्मीर	01.04.1999	292.80	244.00	244.00	489.22	311.10	311.10	40.26	40.26	164.70	164.70	164.70	164.70	-	-
9.	झारखंड	मार्च, 2001	139.00ग्रा 46.00शहर	150.75	161.10	451.00	287.80	289.90	40.15	31.09	157.09	140.54	211.99	214.58	212.07	25 केवी पर 275.21 132केवी पर 269.21
10.	कर्नाटक (केपीटीसीएल)	01.04.2003	323.93	420.92	473.92	644.44	609.26	611.76	64.51	58.37	388.82	449.57	466.29	480.07	489.42	11 केवी पर 456.70
11.	केरल	01.10.2002	187.00	398.89	517.81	792.00	936.10	976.80	77.97	76.35	386.60	374.45	379.44	385.02	-	110 केवी पर 348.67
12.	मध्य प्रदेश	19.12.2002	314.50ग्रा 286.00शहर	404.36ग्रा 346.94शहर	421.05ग्रा 360.78शहर	514.38	672.79	674.18	120.00	105.60	427.42	533.14	469.35	505.47	498.99	132/220 केवी पर 467.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13.	महाराष्ट्र	01.10.2002	305.46	410.39	492.95	462.35	590.61	609.82	128.18	121.12	337.13	370.75	435.31	442.44	-	431.00
14.	मेघालय	01.09.2001	130.00	182.50	205.00	288.50	314.50	317.75	76.00	76.00	266.12	287.77	219.75	222.23	-	-
15.	उड़ीसा (ग्रिडको)	01.01.2004	175.00	285.00	295.00	370.00	434.00	444.50	105.00	105.00	320.00	336.80	341.01	353.69	380.82	25/33 केवी पर 403.37
16.	पंजाब	01.05.2003	220.30	334.23	365.41	441.85	441.85	441.85	57.00	55.10	334.75	378.85	388.30	388.30	376.77	11 केवी पर 403.37
17.	राजस्थान (जेवीवीएनएल)	01.04.2001	322.50यू 292.75आर	305.63यू 277.57आर	302.25यू 274.53आर	555.00	551.00	553.00	105.03	83.40	391.04	417.66	447.07	448.83	450.19	446.66
18.	तमिलनाडु	16.03.2003	204.75	359.63	442.58	598.40	606.90	607.95	20.00	20.00	327.81	493.72	445.60	462.61	469.04	511.16
19.	उत्तर प्रदेश	01.09.2003	341.05यू 109.00आर	347.13	336.25	609.00	499.00	489.00	72.25	64.28	423.09यू 360.98आर	406.54यू 346.91आर	403.63यू 347.43आर	407.35यू 350.63आर	398.79यू 340.74आर	471.70 132 केवी से नीचे 132 केवी और अधिक पर 433.64
20.	उत्तरांचल (यूपीसीएल)	01.01.2004	219.00यू 89.28आर	210.00	219.00	398.00	359.00	359.00	67.40	50.51	287.06	274.66	263.52	266.11	272.81	- 132 केवी और अधिक पर 467.52
21.	पश्चिम बंगाल	01.04.2003	252.81यू 223.68आर	382.90यू 362.00आर	449.75यू 406.75आर	419.40यू 408.95आर	513.25यू 502.00आर	513.25यू 502.00आर	74.67	173.00	393.58	473.96	391.99	421.10	431.50	25 केवी पर 443.70 132 केवी पर 413.70
22.	अरूणाचल प्रदेश	01.02.2000	162.50	211.78	231.75	367.50	387.50	391.25	-	-	345.00	361.44	393.95	394.89	-	-
23.	गोवा	01.04.2002	122.00	170.75	216.30	314.50	344.50	363.25	102.00	102.00	257.00	297.00	339.19	342.29	250.35	-
24.	मणिपुर	03.09.2002	262.00	299.70	-	429.70	302.20	396.60	272.20	272.20	287.20	367.41	334.61	333.35	337.20	-
25.	मिजोरम जिला मुख्यालय और सब-डिवीजन क्षेत्र अन्य क्षेत्र	01.08.2002	115.00	171.25 163.75	143.50 140.50	250.00	300.00	300.00	70.00	70.00	165.32	101.23	62.01	67.15	80.58	-
26.	नागालैंड	01.06.2001	250.00यू 200.00आर	300.00यू 200.00आर	300.00यू 200.00आर	350.00	380.00	380.00	150.00	150.00	250.00	275.00	275.00	275.00	-	-
27.	सिक्किम	15.08.2002	90.00	230.63	281.25	370.00	375.00	387.50	157.50	225.70	355.40यू 252.54आर	216.26	258.47	261.26	-	-
28.	त्रिपुरा	01.07.2003	460.00	325.00	300.00	1017.50	440.00	440.00	75.00	120.00	240.00	270.00	-	-	-	-
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	01.11.2001	115.00	243.75	289.50	330.00	410.00	420.00	75.00	75.00	285.30	298.63	-	-	-	-
30.	चंडीगढ़	01.11.2002	160.75	246.94	282.18	401.00	401.00	401.00	103.68	102.75	301.00	336.00	381.00	381.00	369.90	-
31.	दादर और नगर हवेली	01.02.1987	72.50	85.63	88.25	122.00	124.40	124.70	50.00	50.00	170.10	170.36	180.86	181.85	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32.	दमन दीव	01.09.2002	130.00	172.50	204.00	237.50	263.50	266.75	55.00	55.00	230.00	251.48	258.83	261.01	-	-
33.	दिल्ली बीएसईएस/एनडीपीएल	04.07.2003	204.75	291.38	364.35	551.25	519.75	561.75	125.10	122.69	478.76	474.44	502.29	505.54	501.15	11 केवी पर 524.00
	एनडीएमसी	01.06.2001	158.00	252.25	327.70	500.00	462.00	525.00	-	-	431.00	431.00				576.00
34.	एनडीएमसी	04.07.2003	158.00	252.25	327.00	500.00	462.00	525.00	-	-	431.00	431.00	-	-	-	576.00
35.	लक्षद्वीप	01.04.2000	200.00	337.50	375.00	650.00	650.00	650.00	-	-	450.00	450.00	-	-	-	-
36.	पांडिचेरी	16.04.2002	55.00	113.75	150.50	348.40	340.48	339.04	11.74	7.27	246.24	258.72	317.52	333.42	-	-
37.	अहमदाबाद इलेक्ट्रिक कंपनी	01.08.2002	389.40	453.75	482.46	573.79	676.04	684.80	327.54	327.54	382.72	418.39	426.27	429.83	-	-
38.	कलकत्ता (सीइएससी)	01.04.2003	270.80	482.92	543.95	314.93	635.63	435.24	-	-	474.44	532.13	528.53	532.09	524.40	537.94
39.	डीवीसी (क) झारखंड क्षेत्र	01.09.2000	-	-	-	506.00	623.25	635.63	-	-	-	-	320.42	328.33	334.89	33 केवी पर 413.70
	(ख) पश्चिम बंगाल								-	-	-	-	336.38	344.89	351.94	132 केवी पर 391.37
40.	दुर्गापुर प्रोजेक्ट लि.	01.05.1999	180.25	338.44	404.83	361.18	467.00	467.00	207.00	293.54	327.66	445.44	400.46	406.46	-	-
41.	मुम्बई (बेस्ट)															
	(बीएसइएस)	15.07.1997	84.00	305.51	441.48	622.00	757.60	802.80	-	-	669.06	721.15	418.43	422.08	-	-
	(टाटा)	01.04.2000	154.56	436.31	447.86	603.58	636.01	647.48	-	-	565.01	473.47	343.34	323.64	-	-
		01.12.1998	145.60	324.53	381.60	419.29	419.28	419.29	-	-	400.44	400.44	365.97	369.64	379.23	6.6 केवी से 33 केवी पर 391.37

यू-शहरी; आर-ग्रामीण; ई-98 पैसे/कि.वा. दर से रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार को छोड़कर; एफ-10 पैसे/किवाघं. की दर से रिएक्टिव प्रभार को छोड़कर; डी-डीपीसीपी एरिया; ओ-अन्य एरिया; अधिसूचित टैरिफों में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के संबंध में टैरिफ हेतु पैरामीटर भिन्न-भिन्न हैं। उपरोक्त मिलान एक माह में कुछ मान्य भार और खपत स्तरों के लिए है।

विद्युत टैरिफ, विद्युत शुल्क/कर और एफसीए के आधार पर विवरण तैयार किया गया है जैसा कि एसईबी एंड डिवीजन, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को सूचित किया गया है।

विवरण III

विद्युत की अनुमानित औसत दरों को दर्शाने वाला विवरण (1.3.2005 की स्थितिनुसार)

(दरें/पैसा/कि.वा.)

क्र. सं.	यूटिलिटी का नाम	से प्रभावी टैरिफ	घरेलू 1 कि.वा. (100 किवाघं/माह)	घरेलू 4 कि.वा. (400 किवाघं/माह)	घरेलू 10 कि.वा. (1000 किवाघं/माह)	वाणिज्यिक 2 कि.वा. (200 किवाघं/माह)	वाणिज्यिक 10 कि.वा. (91500 किवाघं/माह)	वाणिज्यिक 30 कि.वा. (4500 किवाघं/माह)	वाणिज्यिक 50 कि.वा. (7500 किवाघं/माह)	कृषि 2 एचपी (400 किवाघं/माह)	कृषि 5 एचपी (1000 किवाघं/माह)	कृषि उद्योग 10एचपी (2000 किवाघं/माह)	लघु उद्योग 10 कि.वा. (1500 किवाघं/माह)	मझौले उद्योग 50 कि.वा. (7500 किवाघं/माह)	बड़े उद्योग 1000 कि.वा. 60% लोडफैक्टर (438000 किवाघं/माह)	भारी उद्योग 1000 कि.वा. 60% लोडफैक्टर (4380000 किवाघं/माह)	भारी उद्योग (33 केवी) 20000 कि.वा. 60% लोडफैक्टर (8760000 किवाघं/माह)	रेलवे कर्षण 12500 कि.वा. 30% लोडफैक्टर (2500000 किवाघं/माह)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	आंध्र प्रदेश	01.04.2004	238.5	396.63	492.25	599.33	624.67	628.89	629.73	0	0	0	415.4	414.33	408.55	449.68	449.67	440.03
2.	असम	01.08.2004	277.45	388.60	438.15	527.53	546.48	548.47	549.06	174.17	215.79	276.12	345.73 268.35	428.10	388.54	388.41	378	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3.	बिहार	01.06.2001	206.70	237.18	279.84	743.98	805.81	805.81	805.81	40.50	40.50	40.50	703.65	743.79	469.44	469.44	460.06	530.51	25 केवी पर
			63.60			276.87												524.51	132 केवी पर
4.	छत्तीसगढ़	01.03.1999	157.20	253.03	291.62	462.97	502.52	509.13	510.46	30	30	30	305.39	409.39	436.71	436.71	428.15	449.81	132 केवी पर
5.	गुजरात	25.06.2004	391.84	516.46	588.71	589.61	626.47	631.83	632.89	57.75	57.75	57.75	450.02	465.81	518.63	557.35	556.91	549.12	132 केवी पर
			276.29	382.44	443.99														
6.	हरियाणा	01.09.2001	333	379.25	414.50	429	429	429	429	24	24	24	438	438	419	419	407	409	11 केवी पर
7.	हिमाचल प्रदेश	01.10.2004	126.75	202.44	228.58	381.67	368.33	320.83	320.04	70	67	66	335.33	327.04	306.76	306.72	303.02	-	
8.	जम्मू और कश्मीर	01.04.1999	122	222	222	277	277	277	277	102	102	102	157	157	157	157	-	-	
9.	झारखंड	मार्च, 2001	139	146.75	161.10	224.67	249.20	251.07	251.44	18.75	18.75	18.75	166.62	208.69	216.67	216.67	207.82	286.50	25 केवी पर
			36															280.50	132 केवी पर
10.	कर्नाटक	01.04.2003	292.43	413.05	473.92	585.38	598.68	600.89	601.34	50	50	50	397.40	491.08	469.28	480.07	479.62	286.50	110 केवी पर
11.	केरल	01.10.2002	187.00	398.89	517.61	727.84	889.90	962.74	969.98	74.80	74.80	74.80	390.50	390.50	385.02	385.02	-	360.29	132 केवी पर
12.	मध्य प्रदेश	19.12.2002	314.50	391.39	415.24	501.25	486.10	478.62	477.13	47.50	56	57.50	414.84	548.86	472.46	505.47	490.43	474.33	
			286	334.98	355.80														
13.	महाराष्ट्र	01.12.2003	345.16	383.95	447.70	492.65	546.13	559.44	562.11	81.50	81.50	81.50	243.47	243.47	415.55	415.55	-	401	
															404.57	404.56			
14.	मेघालय	01.11.2003	160	223.75	251.50	367.67	398.33	403.44	404.47	106	106	106	341.67	374.33	234.07	233.68	-	-	
15.	मद्रास	01.01.2004	175	265	295	385	441	450.33	452.20	105	105	105	320	336.80	353.74	353.69	353.69	413.68	25/33 केवी पर
16.	पंजाब	01.10.2004	210	320.51	350.60	403.20	430.20	403.20	403.20	31.50	31.50	31.50	321.30	353.85	353.85	353.85	343.25	402	132 केवी पर
			189	288.47	315.54														
17.	राजस्थान	01.04.2001	337.50	320.63	317.25	556.67	554	555.78	556.13	48.56	46.20	45.41	410.81	452.21	465.17	465.17	465.17	453.94	
			315.25	294.44	288.28														
18.	तमिलनाडु	16.06.2004	126	227.06	282.98	610.75	609.25	609.12	609.07	0	0	0	458.85	486.57	452.11	462.61	452.11	526.47	
19.	उत्तर प्रदेश	11.10.2004	282	339.75	351.30	452.33	452.33	452.33	452.33	224	224	224	452.33	452.33	438.36	438.36	419.38	472.22	132 केवी से कम
			124	112.75	110.58	152.33	152.33	152.33	152.33	45	45	45	408	408	395.42	395.42	378.34	452.78	132 केवी और ऊपर
20.	उत्तरांचल	20.09.2003	225	225	225	365	365	365	365	75.60	75.60	75.60	305.21	305.21	282.10	282.10	282.10	-	
										63	63	63							
21.	पश्चिम बंगाल	01.04.2004	234.58	284.38	349.16	363.61	515.35	513.56	513.20	109.14	109.14	109.14	412.20	448.87	446	419.66	419.66	446.76	25 केवी पर
			218.15	273.38	331.54	355.96	502.23	505.51	506.17				395	439.68				417.36	132 केवी पर
22.	अण्डमान द्वीप	01.02.2000	162.50	211.88	231.75	370	390	393.33	394	-	-	-	345	353.33	393.86	394.89	-	-	
23.	गोवा	01.04.2002	122	170.74	216.50	327	357	373.67	377	102	102	102	257	297	342.29	342.29	342.29	-	
24.	पांडिचेरी	03.09.2002	262.20	299.70	382.20	382.20	382.20	381.80	381.80	272.20	272.20	272.20	287.20	381.80	336.09	336.09	336.09	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
25.	मिजोरम (जिला मुख्यालय व डिवीजनल एरिया) अन्य क्षेत्र	01.08.2002	115	145 133.75	148 143.50	233.33	233.33	233.33	233.33	69.94	69.94	69.94	208.33	208.33	71.35	71.35	71.35	-	
26.	नागालैंड	01.06.2001	235 200	276.25 200	290.50 200	346	372.20	377.73	378.64	150	150	150	243.33	257	274.69	274.97	-	-	
27.	सिक्किम	15.08.2002	90	230.63	281.25	292.50	345	355	357	157.50	213.75	286.88	360 262.50	250.59	261.26	261.26	-	-	
28.	त्रिपुरा	01.07.2003	200	270	460	320	400	400	400	75	75	120	240	270	-	-	-	-	
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	01.07.2003	130	275	326	406.67	465.33	475.11	477.07	90	90	90	316.67	327.33	-	-	-	-	
30.	चंडीगढ़	01.11.2002	160.75	246.94	282.18	401	401	401	401	101.50	101.50	101.50	301	336	381	381	369.90	-	
31.	दादर और नगर हवेली	01.09.2002	130	172.50	204	270	270	270	270	55	55	55	230	243.40	273.68	299.87	-	-	
32.	दमन व दीव	01.09.2002	130	172.50	204	248.33	265.67	268.56	269.13	55	55	55	230	262.34	259.97	261	-	-	
33.	दिल्ली बीएसईएस/एनडीपीएल	19.06.2001	252	317.63	390.60	570.50	570.50	596.75	596.75	135.17	135.17	135.17	533.75	533.75	548.77	548.77	536.11	518.38	11 केवी पर
34.	दिल्ली एनडीएमसी	01.06.2001	158	252.25	327.70	462	525	525	525	-	-	-	431	431	-	-	-	576	
35.	लक्षद्वीप	01.09.2004	100	300	300	480	480	480	480	-	-	-	330	330	-	-	-	-	
36.	पांडिचेरी	16.04.2002	55	113.75	150.5	274.74	325.34	333.78	335.47	235	20.67	19.83	247.52	275.5	320.15	332.72	-	-	
37.*	अहमदाबाद इलेक्ट्रिक कंपनी	01.08.2002	389.40	450.45	482.47	613.71	681.88	688.91	691.22	327.54	327.54	327.54	396.72	446.40	429.83	429.83	-	-	
38.	कलकत्ता (सीईएससी)	01.04.2004	318.89	409.88	409.88	495.88	540.23	540.23	540.23	-	-	-	458.27	484.61	461.41	461.41	444.76	445	
39.	डीवीसी (ए)																		
	(क) बिहार क्षेत्र	01.09.2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328.33	328.33	328.33	427.95	33 केवी पर
	(ख) कलकत्ता क्षेत्र		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344.89	344.89	344.89	409.06	132 केवी पर
40.	दुर्गापुर प्रोजेक्ट लि.	01.04.2004	238	280.13	280.13	283.66	304.38	302.88	302.58	281.50	281.50	281.50	319.18	318.04	321.75	321.75	-	-	
41.	मुम्बई (बेस्ट)	15.07.1997	99	299.5	428.45	606	764.20	1009.81	1009.81	-	-	-	658.38	827.41	528.29	528.29	-	-	
	मुम्बई (बीएसईएस)	01.04.2000	169.56	451.31	462.86	622.58	662.66	672.86	674.89	-	-	-	585.65	567.35	366.42	342.64	-	-	
	मुम्बई (टाटा)	01.06.2004	181.60	338.05	410.34	522.98	477.78	477.78	477.78	-	-	-	449.36	449.36	424.57	424.57	424.57	424.57	33/22/11 6.6 केवी

यू-शहरी; आर-ग्रामीण; ई-98 पैसे/कि.वा. दर से रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार को छोड़कर; एफ-10 पैसे/किवार्ध. की दर से रिएक्टिव प्रभार को छोड़कर; डी-डीपीएपी एरिया; ओ-अन्य एरिया अधिसूचित टैरिफों में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के संबंध में टैरिफ हेतु पैरामीटर भिन्न-भिन्न हैं। उपरोक्त मिलान एक माह में कुछ मान्य भार और खपत स्तरों के लिए है।

विद्युत टैरिफ, विद्युत शुल्क/कर और एफसीए के आधार पर विवरण तैयार किया गया है जैसा कि एफएसए एंड डिवीजन, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को सूचित किया गया है।

विवरण IV

कर्नाटक में विद्युत की औसत दर

(दरें पैसे/यूनिट में)

दिन	घरेलू (2 कि.वा.)	घरेलू (5 कि.वा.)	वाणिज्यिक (5 कि.वा.)	कृषि (5 एचपी)	कृषि (10 एचपी)	लघु उद्योग (10 एचपी)	बड़े उद्योग (1000 कि.वा.)	भारी उद्योग (15000 कि.वा.)	स्फीति सूचकांक (सीपीआई)
29.12.2000	231.00	410.88	633.75	64.51	58.37	390.30	464.09	486.11	434 (1999-00 के दौरान)
वर्तमान (1.4.2003 को अंतिम संशोधन)	323.93	420.22	644.44	64.51	58.37	388.82	466.29	489.42	525 (2004 के अनुसार)
% बढ़ोत्तरी	40.23%	2.22%	1.69%	0.00%	0.00%	-0.38%	0.47%	0.68%	20.97%
वार्षिक वृद्धि दर (%)	10.06%	0.56%	0.42%	0.00%	0.00%	-0.90%	0.12%	0.17%	5.24%

[हिन्दी]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

2468. श्री धनसिंह रावत: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ ने सरकार से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन के संबंध में कोई निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(घ) राजस्थान में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक काम कर रहे हैं और उन्हें प्रोत्साहन देने वाले बैंकों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कर्मचारी एसोसिएशनें/यूनियनें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना/पुनर्गठन के लिए निम्नलिखित सुझाव देती रही हैं:

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्पूंजीकरण।

(2) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजक बैंकों से असंबद्ध करना।

(3) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक या नाबार्ड के अधीन राज्य/अंचल स्तर पर समामेलन।

(4) केन्द्रीय सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अधिकांश शेयर धारिता।

(ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण के संबंध में, सरकार ने इस समय संबंधित राज्य सरकार और नाबार्ड के परामर्श से राज्य के अन्दर उसी बैंक द्वारा प्रायोजित निकटस्थ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समामेलन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

(घ) राजस्थान राज्य में 14 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रायोजक बैंकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

प्रायोजक बैंक का नाम	प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या
यूको बैंक	2
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	3
पंजाब नैशनल बैंक	2
बैंक आफ बड़ौदा	5
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	1
बैंक आफ राजस्थान लि.	1
कुल	14

मैंग्नीज अयस्क खान

2469. श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात राज्य के पंचमहल जिले की हलोल तहसील की परिधि में मैंग्नीज अयस्क खान होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त खान में खनन कार्य बंद कर दिया गया है जिससे अनेक लोग बेरोजगार हो गये हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त खान में खनन कार्य पुन: चालू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (घ) खान मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, गुजरात के पंचमहल जिले की हलोल तहसील में 2.954 हेक्टेयर क्षेत्र में मैसर्स ओलम्पिक इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन की केवल एक मैंग्नीज अयस्क खान है जिसका खनन पट्टा 21.6.2002 को समाप्त हो गया है। खनन पट्टा का नवीनीकरण करने के लिए भारतीय खान ब्यूरो द्वारा 25.5.2001 को खनन कार्य योजना अनुमोदित कर दी गई है। मैंग्नीज अयस्क के संबंध में खनन पट्टा के नवीनीकरण की शक्तियां राज्य सरकार को दी गई हैं।

सूती कपड़े के निर्यात संबंधी नई वस्त्र नीति का प्रभाव

2470. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा सूती कपड़े के निर्यात हेतु शुरू की गई नई वस्त्र नीति का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या सरकार ने उनकी दरों को कम कर दिया है;

(ग) सरकार ने कुल कितनी वस्त्र मिलों के डीपीईयू दरों को संशोधित किया है;

(घ) क्या सरकार का विचार वस्त्र उद्योग को प्रतिस्पर्धा में बने रहने हेतु कोई योजना तैयार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) से (ङ) नई राष्ट्रीय वस्त्र नीति के उद्देश्य में से एक उद्देश्य वस्त्र उद्योग को, विश्व में क्लोदिंग के विनिर्माण और निर्यात में प्रमुख स्थान प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए सुगम बनाना है। इस नीति का प्रयास वस्त्रों और अपैरल के निर्यात के विद्यमान स्तर को बढ़ाना है ताकि वर्ष 2010 तक 50 बिलियन अमरीकी डालर के लक्ष्य को, जिसमें परिधानों का हिस्सा 25 बिलियन अमरीकी डालर होगा, प्राप्त किया जा सके। नई राष्ट्रीय वस्त्र नीति, 2000 की घोषणा के बाद सिलेसिलाए परिधान क्षेत्र के बूवन क्षेत्र को लघु उद्योग क्षेत्र से अनारक्षित कर दिया गया था और केन्द्रीय बजट 2005-06 में लघु उद्योग क्षेत्र में निटवीयर के अनारक्षण की घोषणा की गई है।

डीईपीबी अनुसूची के तहत शामिल सूती वस्त्र मदों सहित सामान्यत: समस्त 83 वस्त्र उत्पादों के लिए डीईपीबी की ऋण दरों को 23.9.2004 को कम किया गया था। सरकार उभरती वैश्विक प्रतिस्पर्धा को पूरा करने के लिए भारतीय वस्त्र उद्योग के सुदृढ़ीकरण और उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए समय-समय पर अनेक कदम उठाती रही है। उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:-

(1) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) लागू कर दी गयी है।

(2) निवेश प्रोत्साहित करने के लिए तथा वैश्विक बाजार में हमारे वस्त्र उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विनिर्दिष्ट वस्त्र एवं परिधान संबंधी मशीनों की मदों के आयात पर सीमाशुल्क की रियायती दर की अनुमति दी गई है। वित्तीय नीति संबंधी उपायों के माध्यम से मशीनों की लागत भी कर दी गई है।

(3) कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टी एम सी) शुरू किया है।

(4) सरकार ने विकास संभावित केन्द्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपैरल विनिर्माण एककों की स्थापना पर बल देने और निर्यात को गति देने के लिए "अपैरल पार्क निर्यात योजना" नामक एक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना शुरू की गई है।

(5) प्रमुख वस्त्र केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए वस्त्र आधारभूत विकास केन्द्र योजना (टीसीआईडीएस) शुरू की गई है।

(6) वित्तीय शुल्क ढांचा विकास एवं अधिकतम मूल्य संवर्धन की स्थिति प्राप्त करने के लिए युक्तिसंगत बना दिया गया है। पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न, सिंथेटिक एवं कृत्रिम फाइबर तथा सिंथेटिक एवं कृत्रिम फिलामेंट यार्न पर अनिवार्य उत्पाद शुल्क को छोड़कर सूती वस्त्र एवं सूती क्लोदिंग की मदों सहित समग्र मूल्य वर्धन श्रृंखला को उत्पाद शुल्क की छूट का विकल्प दिया गया है। वस्त्र एवं वस्त्र मदों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (ए टी एंड टी) तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम समाप्त कर दिया गया है।

(7) सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र से सिलेसिलाये परिधानों के बुनाई क्षेत्र को अनारक्षित कर दिया है। साथ ही सरकार ने निटेड क्षेत्र के लिए लघु उद्योग के निवेश की सीमा को बढ़ाकर 5 करोड़ रु. कर दिया है। केंद्रीय बजट 2005-06 में लघु उद्योग क्षेत्र की 30 होजरी मदों के अनारक्षण की घोषणा की गई है।

(8) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफट) की छह शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजायन केन्द्र (एटीडीसी) डिजायन, व्यापार और विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग, विशेषकर अपैरल की कुशल कारीगरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम चल रहे हैं।

(9) पारि-परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से सुविधाएं तैयार की गई हैं ताकि निर्यातक आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप परिधानों/वस्त्रों का पूर्व-परीक्षण करवा सकें।

[अनुवाद]

नेपाली मुद्रा

2471. श्री गुरूदास कामत: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाली सीमा के समीपवर्ती शहरों में नेपाली मुद्रा अधिक लोकप्रिय है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन शहरों में नेपाली मुद्रा का चलन वैध है और उसे भारतीय मुद्रा से परस्पर बदला जा सकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इसे रोकने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के अंतर्गत नेपाली मुद्रा विदेशी मुद्रा के रूप में वर्गीकृत है। विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात और आयात) विनियमावली, 2000 के विनियम 8 के अनुसार, निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं: -

(1) 500 रु. और 1000 रु. के मूल्यवर्ग को छोड़कर भारतीय मुद्रा के नोटों को बिना किसी सीमा के भारत से नेपाल अथवा भूटान को ले जाना अथवा भेजना।

(2) 500 रु. और 1000 रु. के मूल्यवर्ग को छोड़कर भारतीय मुद्रा के नोटों को बिना किसी सीमा के नेपाल अथवा भूटान से भारत में लाना।

(3) नेपाल अथवा भूटान की मुद्रा के नोटों को भारत से नेपाल या भूटान ले जाना अथवा नेपाल या भूटान से भारत में लाना।

तदनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी सीमा के नेपाली मुद्रा को भारत में लाने की अनुमति प्राप्त है। लेकिन, इससे नेपाली रुपए को "वैध मुद्रा" (लीगल टेंडर) का दर्जा नहीं मिलता। वास्तविक रूप में, निवासी (रेजीडैंट) केवल 2000 अमरीकी डालर तक के समतुल्य नेपाली मुद्रा रख सकते हैं, जैसा कि अन्य विदेशी मुद्रा के मामले में होता है। कोई भारतीय बेचे गए माल अथवा प्रदान की गई सेवाओं के बदले नेपाली नागरिक से नेपाली रुपए में भुगतान प्राप्त कर सकता है। लेकिन वह ऐसे नेपाली रुपए को किसी प्राधिकृत डीलर अथवा "मनी चेंजर" के अलावा किसी अन्य भारतीय को अन्तरित नहीं कर सकता।

यह सूचित किया गया है कि सीमा-व्यापार के चलते भारत के सीमावर्ती शहरों में नेपाली रुपए की कुछ राशि प्रचलन में अवश्य है। ऐसी स्थिति उन सभी मामलों में होनी लाजमी है जहां दो देशों के बीच भूमि-सीमा हो।

(ङ) सीमा-क्षेत्र से जुड़े भारतीय शहरों में, गोरखपुर में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मुहैया कराई गई एक्सचेंज सुविधा तथा इस बैंक की फ्रेंचाइजी है, जबकि सीमा चेक-पोस्ट स्थिति सुनौली में भी भारतीय स्टेट बैंक की शाखा है जहां एक्सचेंज सुविधा मुहैया कराई जाती है। नेपाल की सीमा से लगे बिहार के शहरों में कोई एक्सचेंज सुविधा नहीं है और ऐसी सुविधा लेने के लिए व्यापारिक निकायों, निवासी भारतीयों इत्यादि से भारतीय रिजर्व बैंक को कोई मांग भी प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

विकास योजनाओं हेतु विश्व बैंक की सहायता

2472. श्री अजीत जोगी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में महिला और बच्चों से संबंधित विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु विश्व बैंक से कितना वित्तीय अनुदान/सहायता प्राप्त की गई है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त प्रयोजनार्थ विश्व बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता का पूर्ण उपयोग किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) से (ग) महिलाओं और बच्चों से संबंधित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। परियोजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संलग्न विवरण में दर्शाए गए संवितरण का पूर्णतया उपयोग कर लिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

महिलाओं और बच्चों से संबंधित विकास् योजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता

	परियोजना का नाम	हस्ताक्षर/समाप्त होने की तारीख	कार्यान्वयन का क्षेत्र	ऋण राशि (मिलियन अमरीकी डालर में)	31.1.05 तक संवितरण (मिलियन अमरीकी डालर में)
1.	महिला और बाल विकास परियोजना	6.7.1999 30.6.2005	केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और महाराष्ट्र	300.00	171.14
2.	आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्संरचना परियोजना (पोषाहार संघटक)	4.2.1999 30.9.2005	आंध्र प्रदेश	547.088*	453.59*
3.	ग्रामीण महिला विकास एवं अधिकारिता परियोजना	14.9.1998 30.6.2005	बिहार, झारखंड गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, और उत्तरांचल	12.5	8.18

*ऋण राशि और संवितरण राशि सम्पूर्ण परियोजना के लिए है, जिसमें पोषाहार संघटक स्कीम महिलाओं और बच्चों के लिए निर्धारित है।

[अनुवाद]

इन्टरनेट के माध्यम से अवैध धन हस्तांतरण

2473. श्री रघुनाथ झा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से अवैध धन हस्तांतरण संबंधी मामले सरकार के ध्यान में आए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा खाताधारकों के हितों की रक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों ने इन्टरनेट बैंकिंग के जरिए अवैध रूप से धन के अंतरण की किसी घटना की सूचना नहीं दी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

निजी कंपनियों को कोयला लिंकेज

2474. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004-05 के दौरान किन-किन निजी और सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को कोयला लिंकेज प्रदान किया गया है;

(ख) कोयला लिंकेज प्रदान करने का आधार क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान उन रक्षित विद्युत संयंत्रों के नाम और ब्यौरा क्या है जिन्हें कोयला लिंकेज प्रदान किया गया है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) वर्ष 2004-2005 के दौरान जिन-निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों को कोयला लिंकेज प्रदान किया गया है, उनके नाम संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) कोर उपभोक्ताओं को कोयला लिंकेज, कोयला मंत्रालय के अंतर्गत एक अन्तर्मंत्रालयी स्थायी लिंकेज समिति (एसएलसी) जिसमें रेल मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग और कोयला कम्पनियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, द्वारा प्रदान किया जाता है। कोयला मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रही एसएलसी विद्युत तथा सीमेन्ट उपभोक्ताओं के लिए कोयला लिंकेज पर विचार करती है। स्पांज आयरन/कच्चा लोहा सहित इस्पात और संबद्ध उपभोक्ताओं के लिए इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रही एसएलसी कोयला लिंकेजों के सभी अनुरोधों पर विचार करती है.

(ग) उक्त अवधि के दौरान जिन गृहीत विद्युत संयंत्रों को कोयला लिंकेज प्रदान किया गया है, उनके नाम तथा ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

वर्ष 2004-05 में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को प्रदान किए गए दीर्घावधि लिंकेज

स्पांज आयरन प्लांट का नाम	राज्य	क्षमता	दीर्घावधि लिंकेज	
		(एलटीपीए)	(000 टीपीए)	कोयला कम्पनी
1	2	3	4	5
मोनेट इस्पात लि. (अतिरिक्त)/5 वर्ष	छत्तीसगढ़	0.60	96.00	एसईसीएल/केआरबी-आरएआई
रायपुर अलोयज एण्ड स्टील लि. (अतिरिक्त)/5 वर्ष	छत्तीसगढ़	1.50	240.00	एसईसीएल/केआरबी-आरएआई
जय बालाजी स्पांज लि. (अतिरिक्त)	प. बंगाल	0.23	36.00	एमसीएल
जय बालाजी स्पांज लि. (अतिरिक्त)	प. बंगाल	0.23	36.00	सीसीएल
कुसुम पावरमेट प्रा.लि. (अतिरिक्त)	उड़ीसा	0.30	48.00	एमसीएल
श्याम एसईएल लि. (अतिरिक्त)	प. बंगाल	0.30	64.00	एमसीएल
टीआर केमीकल्स (प्रा.) लि. (अतिरिक्त)	उड़ीसा	0.15	24.00	एसईसीएल/केआरबी-आरएआई

1	2	3	4	5
मां. छिन्नमस्तिका स्पांज आयरन लि.	झारखंड	0.12	19.20	ईसीएल
प्रभु स्पांज (प्रा.) लि. (अतिरिक्त)	उड़ीसा	0.15	24.00	एमसीएल
ओसीएल इंडिया लि. (अतिरिक्त)	उड़ीसा	0.30	48.00	एमसीएल
लक्ष्मी इस्पात उद्योग (अतिरिक्त)	झारखंड	0.30	48.00	एमसीएल
रूंगटा माइन्स लि. (अतिरिक्त)	उड़ीसा	0.30	48.00	एमसीएल
सूरज प्रोडक्ट्स लि. (अतिरिक्त)	उड़ीसा	0.15	24.00	एमसीएल
श्री रामरूपाई बालाजी स्टील लि. (अतिरिक्त)	प. बंगाल	0.60	96.00	एमसीएल
मार्क स्टील लि. (अतिरिक्त)	प. बंगाल	0.30	43.00	एमसीएल
रश्मि सीमेंट लि. यूनिट 3 (विस्तार)	प. बंगाल	0.30	48.00	एमसीएल
एमएसपी स्टील एण्ड पावर लि. (अतिरिक्त)	छत्तीसगढ़	0.90	144.00	एमसीएल
श्री श्याम इस्पात इंडिया प्रा.लि.	छत्तीसगढ़	0.15	24.00	एसईसीएल/केआरबी-आरएआई
उत्कल मेटालिक्स लि.	उड़ीसा	0.24	38.40	एमसीएल
श्री गणेश मेटालिक्स लि.	उड़ीसा	0.60	96.00	एमसीएल
बीके स्टील एण्ड पावर लि.	उड़ीसा	1.05	160.00	एमसीएल
गोविन्दम प्रोजेक्ट्स प्रा.लि.	उड़ीसा	0.30	48.00	एमसीएल
पवनसुत स्पांज प्रा.लि.	उड़ीसा	0.30	48.00	एमसीएल
श्री गणेश स्पांज आयरन प्रा.लि.	उड़ीसा	0.30	48.00	एमसीएल
हल्दिया स्टील्स लि.	प. बंगाल	0.30	48.00	एमसीएल
सावित्री स्पांद आयरन प्रा.लि.	प. बंगाल	0.15	21.60	एमसीएल
विकास मेटल एण्ड पावर लि.	प. बंगाल	0.60	86.40	एमसीएल
सुमरित मेटालिक्स प्रा.लि.	उड़ीसा	0.15	24.00	एमसीएल
पीडी इंडस्ट्रीज प्रा.लि.	छत्तीसगढ़	0.30	48.00	एसईसीएल/केआरबी-आरएआई
मंगल स्पांज एण्ड स्टील प्रा.लि.	छत्तीसगढ़	0.15	24.00	एसईसीएल/केआरबी-आरएआई
घनकुन स्टील प्रा.लि.	छत्तीसगढ़	0.30	48.00	एसईसीएल/केआरबी-आरएआई
द्रोलिया इलैक्ट्रोस्टील प्रा.लि.	छत्तीसगढ़	0.30	48.00	एसईसीएल/केआरबी-आरएआई
आईएनडी एग्रो सिनर्जी लि.	छत्तीसगढ़	1.00	120.00	एसईसीएल/केआरबी-आरएआई

1	2	3	4	5
एसएमसी पावर जनरेशन लि.	उड़ीसा	1.00	160.00	एमसीएल
सत्यार्थ स्टील एण्ड पावर प्रा.लि.	छत्तीसगढ़	0.15	24.00	एसईसीएल/केआरबी-आरएआई
अतिबीर इंडस्ट्रीज प्रा.लि.	झारखंड	0.30	48.00	एमसीएल
हिमा इस्पात प्रा.लि.	उड़ीसा	0.90	112.50	एमसीएल
श्री महावीर फेरो एलोयज प्रा.लि.	उड़ीसा	0.30	45.00	एमसीएल
ब्रेवो स्पांज आयरन	प. बंगाल	0.30	48.00	एमसीएल
जय दुर्गा आयरन प्रा.लि.	झारखंड	0.30	45.00	एमसीएल
मां चण्डी दुर्गा इस्पात प्रा.लि.	प. बंगाल	0.63	46.80	सीसीएल (0.54) एवं एमसीएल (0.468)
ऋषभ स्पांज ग्रा.लि.	प. बंगाल	0.60	96.00	एमसीएल
उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कम्पनी लि.	उड़ीसा	0.30	48.00	एमसीएल
नीलांचल आयरन एण्ड पावर लि.	झारखंड	1.05	168.00	एमसीएल
रवीन्द्र इन्टरप्राइसिस प्रा.लि.	प. बंगाल	0.30	48.00	सीसीएल
आरती स्टील लि.	उड़ीसा	1.50	240.00	एमसीएल

तापीय विद्युत संयंत्र का नाम	राज्य	क्षमता	दीर्घावधि लिंकेज	
		(मेगा.)	(000 टीपीए)	कोयला कम्पनी
फरक्का एसटीपीपी III (एनटीपीसी)	प. बंगाल	500	2200.00	ईसीएल
भूपलपल्ली टीपीएस (एपीजेनको)	आंध्र प्रदेश	1000	2160.00	एससीसीएल

सीमेंट संयंत्र का नाम	राज्य	क्षमता	दीर्घावधि लिंकेज	
		(एलटीपीए)	(000 टीपीए)	कोयला कम्पनी
दुर्गापुर सीमेंट वर्क्स, दुर्गापुर	प. बंगाल	6 एलटीपीए	6.00	ई.सी.एल.

विवरण II

वर्ष 2004-05 में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को प्रदान किए गए दीर्घावधि लिंकेज

क्र.सं.	गृहीत विद्युत संयंत्रों के नाम	राज्य	क्षमता	दीर्घावधि लिंकेज	
			(मे.वा.)	(000 टीपीए)	कोयला कम्पनी
1	2	3	4	5	6
1.	इंडो लहारी बायो-पावर लि.	छत्तीसगढ़	6	10.00	एसईसीएल/आरएआई
2.	कोसताल पेपर (आंध्र प्रदेश पेपर मिल्स लि.)	आंध्र प्रदेश	5.74	71.70	एमसीएल/टीएएल

1	2	3	4	5	6
3.	एसीसी लि.-चैबासा सीमेंट वर्क्स	झारखंड	15	101.08	एमसीएल/आईबी
4.	भेल, हरिद्वार	उत्तरांचल	12	44.50	सीसीएल
5.	श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लि.	छत्तीसगढ़	16	106.00	एसईसीएल/आरएआई
6.	एचईजी लि.-ग्रेफाइट डिवीजन	मध्य प्रदेश	25	180.50	एसईसीएल/केआरबी
7.	वंदना ग्लोबल प्रा.लि.	छत्तीसगढ़	20	95.50	एसईसीएल/आरएआई
8.	बिरला कारपोरेशन लि., सतना	मध्य प्रदेश	27	200.00	एसईसीएल/केआरबी
9.	अम्बुजा सीमेंट ईस्टर्न लि., बाटापाड़ा	छत्तीसगढ़	15	66.00	एसईसीएल/आरएआई
10.	स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि.	उड़ीसा	90	1000.00	एमसीएल/आईबी
11.	जूबीलैंट आरगनोसीज लि., गुजरौला	उ.प्र.	10	14.20	सीसीएल
12.	टीसीपी लि.	तमिलनाडु	63.5	320.00	एमसीएल/टीएएल
13.	इंडसिल एनर्जी एण्ड इलैक्ट्रोकैमिकल्स लि.	छत्तीसगढ़	11	72.00	एसईसीएल/आरएआई
14.	वन्दना-जेएमजी पावर एण्ड स्टील	छत्तीसगढ़	12	76.90	एसईसीएल/केआरबी-आरएआई
15.	जौरी सीमेंट लि., विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश	80	480.00	एमसीएल/टीएएल
16.	के.आर. एलायस लि.	उड़ीसा	25	168.50	एमसीएल/आईबी
17.	साउथ एशियन एग्रो इंडस्ट्रीज लि.	छत्तीसगढ़	9.8	17.30	एसईसीएल/आरएआई
18.	लहारी पावर एण्ड स्टील लि.	छत्तीसगढ़	9.8	17.30	एसईसीएल/आरएआई
19.	गुजरात अम्बुजा सीमेंट लि., रूपनगर	पंजाब	24	100.00	एसईसीएल/केआरबी-आरएआई
20.	जेपी बेला सीमेंट, जेपी नगर, रेवा	म.प्र.	21.6	126.70	एसईसीएल/केआरबी-आरएआई

हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद

2475. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद को 'बल्क इम्पोर्ट एजेन्सी' का दर्जा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) लघु हस्तशिल्प निर्यातकों को सुविधा प्रदान करने के लिए इस संबंध में शीघ्र निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद को, उन निर्यातकों की तरफ से, सजावटी वस्तुओं और उपभोज्यों का आयात करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, जिनमें सीधा आयात करने की क्षमता नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पावर ग्रिड कारपोरेशन

2476. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रस्तावित दक्षिण एशियाई ग्रिड के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पावर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा अन्य देशों में परामर्श देने संबंधी कुल कितना व्यवसाय गत तीन वर्षों के दौरान किया गया है;

(घ) क्या पावर ग्रिड कारपोरेशन् ने भूटान से कोई विदेशी परामर्श संबंधी कार्य प्राप्त किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) पावर ग्रिड कार्पोरेशन द्वारा और विदेशी परामर्श संबंधी कार्य प्राप्त करने के लिए और क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) भूटान और नेपाल के साथ द्विपक्षीय विद्युत अंत:संयोजन पहले से मौजूद है। क्रास बार्डर पारेषण लिंक वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक विद्युत प्रवाह की पूर्ति के लिए तैयार होते रहते हैं। भारतीय विद्युत ग्रिड के जरिए विद्युत प्रवाह विस्थापन के जरिए भी हो सकता है।

(ग) से (ङ) गत तीन वर्षों के दौरान परामर्श कार्य मुख्यत: भूटान एवं अफगानिस्तान में पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लि. द्वारा किया गया है। इसके ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न है।

(च) और अधिक विदेशी परामर्श कार्य प्राप्त करने के लिए पीजीसीआईएल ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं/द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं।

* पीजीसीआईएल ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली में भाग लेना शुरू कर दिया है और इथोपिया, नेपाल, उज्बेकिस्तान, कंबोडिया और अफगानिस्तान में विद्युत यूटिलिटियों को अपने तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए हैं। चयन के लिए अपनी योग्यता में वृद्धि करने के लिए पीजीसीआईएल अंतर्राष्ट्रीय अनुभव वाले अन्य फर्म के साथ परामर्श कर रहा है।

* पीजीसीआईएल ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण के साथ प्रारूप समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

* पीजीसीआईएल ने कुछ अन्य देशों में, अर्थात् वियतनाम, रोमानिया, कंबोडिया, अफगानिस्तान, चीन, बांग्लादेश में विश्व बैंक एवं एडीबी वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए परामर्श कार्य हेतु इच्छा अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है।

विवरण

पीजीसीआईएल द्वारा गत 3 वर्षों के दौरान विदेशों में निष्पन्न परामर्श कार्य

गत तीन वर्षों के दौरान, पीजीसीआईएल ने विदेशों में निम्नलिखित परामर्श कार्य प्राप्त किए हैं–

1. भूटान में राष्ट्रीय लोड डिस्पैच सेंटर हेतु व्यवहार्यता रिपोर्ट, एनआईटी अनुमान, तकनीकी विनिर्देश और बोली दस्तावेजों की तैयारी।

* ग्राहक:- टाटा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर अथारिटी, भूटान
* परामर्शी शुल्क- 42.00 लाख रुपये
* कार्य सौंपने की तारीख: 24.12.2002
* स्थिति: कार्य पूर्ण

2. भूटान में मौजूदा पारेषण लाइनों पर ओपीजीडब्ल्यू रखने का टर्न-की निष्पादन।

* ग्राहक: भूटान टेलीकाम
* परियोजना लागत- 914.28 लाख रुपये
* परामर्शी सेवाएं- 109.71 लाख रुपये
* कार्य सौंपने की तारीख: 09.01.2003
* स्थिति: कार्य पूर्ण

3. भूटान में ताला बांध से विद्युत घर तक पारेषण लाइनों पर ओपीडब्ल्यू रखने का टनकी निष्पादन।

* ग्राहक: टाटा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर अथारिटी, भूटान
* परियोजना लागत- 351 लाख रुपये
* परामर्शी शुल्क- 42.12 लाख रुपये

* कार्य सौंपने की तारीख: 25.06.2003

* स्थिति: कार्य प्रगति पर है।

4. अफगानिस्तान में फूल-ए-कुमरी से काबुल तक 220 केवी डी/सी पारेषण प्रणाली और काबुल में 220/110 केवी सब-स्टेशन के निर्माण के लिए विस्तृत सर्वेक्षण एवं भू-जांच।

* ग्राहक: विदेश मंत्रालय, भारत सरकार

* परामर्शी शुल्क परियोजना लागत सहित- 490 लाख रुपये

* कार्य सौंपने की तारीख: 18.09.2003

* स्थिति: कार्य पूर्ण

5. भूटान में पसाका में 220 केवी सब-स्टेशन के निर्माण हेतु भूटान विद्युत निगम को तकनीकी परामर्श।

* ग्राहक: भूटान पावर कारपोरेशन लि.

* परामर्शी शुल्क- 97 लाख रुपये

* कार्य सौंपने की तारीख: 24.12.2004

* स्थिति: कार्य प्रगति पर है।

[हिन्दी]

ग्रामीण बैंकों की स्थापना हेतु लाइसेंस

2477. श्री बापू हरी चौरे: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक को महाराष्ट्र में ग्रामीण बैंकों की स्थापना हेतु लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) इन बैंकों को कब तक खोले जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

क्लाउड बर्स्ट इंश्योरेंस पालिसी

2478. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किसानों के लिए 'क्लाउड बर्स्ट इंश्योरेंस पालिसी' शुरू करने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के माध्यम से ऐसी योजना शुरू करने का है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों को कोई निदेश जारी किए है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए) ने सूचित किया है कि उन्होंने ईफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जो एक निजी बीमा कंपनी है, से कोई ऐसा उत्पाद प्राप्त नहीं किया है।

(ग) ऐसी योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विदेश से शुद्ध पूंजी आवक को प्रोत्साहन

2479. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत चार वर्षों में भारत से शुद्ध पूंजी आवक बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार बाहर से शुद्ध पूंजी आवक को प्रोत्साहित कर घरेलू निवेश को बढ़ाने के लिए रणनीति अपनाने पर विचार कर रही; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) और (ख) भारत के भुगतान संतुलन के पूंजी खाते में अधिशेष का विस्तार वर्ष 2001-02 के 8.3 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर वर्ष 2003-04 में 20.9 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। चालू वर्ष की प्रथम छमाही (अर्थात् अप्रैल-सितम्बर 2004-05) में, पूंजी खाते में गत वर्ष की इसी अवधि (अर्थात् अप्रैल-सितम्बर, 2003-04) में 11.9 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में घटकर 10.1 बिलियन अमरीकी डालर अधिशेष दर्ज किया गया।

(ग) और (घ) सरकार विकास प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण हेतु निवेश को सर्वोच्च आवश्यकता के रूप में अभिस्वीकृति देती है। केन्द्रीय बजट (2005-06) में समग्र विकास को समर्पित नीति वातावरण एवं स्थिर कर नीतियां, प्रदान कर, बचत को बढ़ावा देकर तथा बचतों को उत्पादनकारी निवेश में सरणीकृत करने हेतु नए तरीके एवं माध्यम निकाल कर वित्त प्रदान करके सार्वजनिक एवं निजी निवेश को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। बजट में आटोमोबाईल, साफ्टवेयर दूरसंचार एवं इलेक्ट्रानिक्स जैसे उद्योगों को वैश्विक उत्पादन कड़ी में मिलाकर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया है तथा अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से जो लाभ प्राप्त हो सकते हैं, को रेखांकित किया गया है।

ग्रामीण विद्युतकरण

2480. श्री हितेन बर्मन: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोई राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण में पिछड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण हेतु राज्यों को ऋण/अनुदान देने हेतु कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (ङ) 31.3.2004 के अनुसार विभिन्न राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। पांच वर्षों में आवासीय विद्युतीकरण को पूरा करने के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण अवसंरचना और आवासीय विद्युतीकरण की एक नई स्कीम अनुमोदित की गई है।

इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित के लिए 90% पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी-

(1) समुचित रूप से राज्य प्रणाली से संबद्ध प्रत्येक ब्लाक में एक 33/11 केवी (या 66/11 केवी) सब-स्टेशन के साथ ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन (आरईडीबी) का निर्माण।

(2) प्रत्येक गांव/वास स्थान में वितरण ट्रांसफार्मरों के साथ सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों/वास स्थानों के विद्युतीकरण के लिए ग्रामीण विद्युत अवसंरचना (वीईआई) का निर्माण।

(3) उन गांवों/वास स्थानों के लिए विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन (डीडीजी) एवं आपूर्ति प्रणाली, जहां ग्रिड आपूर्ति किफायती नहीं है और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय अपने कार्यक्रमों के माध्यम से विद्युत उपलब्ध नहीं कराएगा।

(4) देश में गरीबी रेखा से नीचे के सभी गैर-विद्युतीकृत घरों का नि:शुल्क विद्युतीकरण।

विवरण

31.3.2004 के स्थितिनुसार विद्युतीकृत गांव की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	1991 की जनगणना अनुसार बसे हुए कुल गांवों की संख्या	कुल विद्युतीकृत गांवों की संख्या	शेष अविद्युतीकृत गांव	विद्युतीकृत गांव का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	26586	26565	5	100
2.	अरुणाचल प्रदेश	3649	2335	1314	64

1	2	3	4	5	6
3.	असम	24685	19081	5604	77.30
4.	बिहार	38475	19251	19224	50
5.	झारखंड	29336	7641	21695	26
6.	गोवा	360	360	–	100
7.	गुजरात	18028	17940	$	100
8.	हरियाणा	6759	6759	–	100
9.	हिमाचल प्रदेश	16997	16891	106	99.38
10.	जम्मू और कश्मीर	6477	6301	176	97.28
11.	कर्नाटक	27066	26771	295	98.91
12.	केरल	1384	1384	–	100
13.	मध्य प्रदेश	51806	50474	1332	97.43
14.	छत्तीसगढ़	19720	18532	1188	94
15.	महाराष्ट्र	40412	40351	–	100
16.	मणिपुर	2182	2043	139	93.63
17.	मेघालय	5484	3016	2468	55
18.	मिजोरम	698	691	7	99
19.	नागालैंड	1216	1216	–	100
20.	उड़ीसा	46989	37663	9326	80.15
21.	पंजाब	12428	12428	–	100
22.	राजस्थान	37889	37276	613	98.38
23.	सिक्किम	447	405	42	90.60
24.	तमिलनाडु	15822	15822	–	100
25.	त्रिपुरा	855	818	37	95.67
26.	उत्तर प्रदेश	97122	57042	40080	58.73
27.	उत्तरांचल	15681	13131	2550	83.73
28.	पश्चिम बंगाल	37810	31705	6205	80.80
	कुल (राज्य)	586463	473892	112401	80.80
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	1093	1090		100[$]
	अखिल भारत	587556	474982	112401	80.80[$]

[$]शेष गांव विद्युतीकरण हेतु व्यवहार्य नहीं है।

*ग्राम विद्युतीकरण की नई परिभाषा (2004-05 से प्रभावी) के अनुसार अविद्युतीकृत गांवों की संख्या 1,25,000 के आस-पास अनुमानित की गई है।

तमिलनाडु को विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक सहायता

2481. श्री के.सी. पलनिसामी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु सरकार द्वारा विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से प्राप्त सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक द्वारा जारी की गई धनराशि का उपयोग सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास हेतु किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) विश्व बैंक ने पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में तमिलनाडु स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना तथा तमिलनाडु सड़क क्षेत्र परियोजना नामक राज्य-क्षेत्र की दो परियोजनाओं के लिए क्रमश: 110.8 मिलियन अमरीकी डालर तथा 348 मिलियन अमरीकी डालर राशि की सहायता हेतु मंजूरी दी है। एशियाई विकास बैंक ने पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु के लिए कोई सहायता प्रदान नहीं की है।

(ख) और (ग) विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने सुनामी से प्रभावित आंध्र प्रदेश, केरल तथा तमिलनाडु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी में सुनामी-पश्च निर्माण कार्यों हेतु अपेक्षित सहायता की मात्रा निर्धारित करने के लिए एक सुनामी संबंधी आवश्यकता मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित की है।

विरासत उद्योग के रूप में हथकरघा

2482. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हथकरघा को विरासत उद्योग के रूप में पहचान देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वास्तविक कुशल बुनकरों की कमी है;

(घ) यदि हां, तो क्या चुनिंदा मास्टर बुकरों के साथ गुरूकुल की तरह प्रशिक्षण प्रणाली शुरू करने का कोई प्रस्ताव है ताकि यह कौशल अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) द्वारा आयोजित हथकरघा एवं विद्युतकरघा की संयुक्त गणना- 1995-96 के अनुसार हथकरघा क्षेत्र में बुनाई एवं संबंधित गतिविधियों में 65.51 लाख व्यक्ति कार्यरत थे।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गारंटी का दिया जाना

2483. श्री के.एस. राव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से ऋण, वार्षिक भुगतान, सिंचाई बांड्स और वाणिज्यिक ऋणों को लेने के लिए गारंटी देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) जी, हां। राज्यों की उधार लेने की समग्र सीमा के भीतर योजना आयोग द्वारा अनुमोदित योजना ऋण को ध्यान में हुए ही राज्य को बजट से बाहर के विषयों के लिए ऋण लेने की अनुमति अथवा ऋण के लिए गारंटी मुहैया कराई जाती है। राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए एस.एल.आर. तथा गैर-एस.एल.आर. बांडों तथा नेगोशिएटिड ऋणों के माध्यम से 3173.46 करोड़ रुपए के ऋणों का अनुमोदन किया गया है।

ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत औषधीय पौधों को प्रोत्साहन

2484. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश और देश के अन्य भागों में ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत औषधीय पौधारोपण को प्रोत्साहित करने की मांग है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) और (ख) मंत्रालय को स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अलग-अलग राज्य सरकारों से औषधीय एवं सुगंधित पौधों के संबंध में 5 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और मंत्रालय ने 3 परियोजनाएं स्वीकृत की है। ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त परियोजना की सं.	स्वीकृत परियोजना की सं.
1.	हिमाचल प्रदेश	2	1
2.	उत्तरांचल	1	1
3.	नागालैंड	1	1
4.	मिजोरम	1	0

[हिन्दी]

मतदाता सूचियों से पिछड़े समुदायों को हटाया जाना

2485. श्री अतीक अहमद: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुज्जर और बकरवाल समुदायों से संबंधित पांच लाख लोगों के नाम मतदाता सूचियों से हटा दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा मतदाता सूची में इन लोगों के नाम शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि उनके लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की जा सके?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

भारत में मुद्रास्फीति की दर

2486. डा. चिन्ता मोहन:
श्रीमती जयाप्रदा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार वर्ष 2004 के दौरान भारत में मुद्रास्फीति को दर अमेरिका, जापान और विश्व के अन्य विकसित देशों की तुलना में काफी ऊंची रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन देशों में मुद्रास्फीति की इस दर के संबंध में स्थिति क्या थी; और

(घ) देश की अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति की उक्त ऊंची दर से क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) से (ग) भारत के मामले में औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्यों सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) पर आधारित मुद्रास्फीति दर और वर्ष 2004 के दौरान कुछ चुनिंदा विकसित देशों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में मुद्रास्फीति दर नीचे दर्शाई गई है:-

वार्षिक मुद्रास्फीति (प्रतिशत)

वर्ष/मास	भारत	अमरीका	जापान	फ्रांस	जर्मनी	यू.के.
1	2	3	4	5	6	7
2004 जनवरी	4.3	1.9	-0.3	2.0	1.2	2.6
फरवरी	4.1	1.7	–	1.8	0.9	2.5
मार्च	3.5	1.7	-0.1	1.7	1.1	2.6
अप्रैल	2.2	2.3	-0.4	2.1	1.6	2.5
मई	2.8	3.1	-0.5	2.6	2.0	2.8
जून	3.0	3.3	–	2.4	1.7	3.0

1	2	3	4	5	6	7
जुलाई	3.2	3.0	-0.1	2.3	1.8	3.0
अगस्त	4.6	2.7	–	2.4	2.0	3.2
सितम्बर	4.8	2.5	–	2.1	1.8	3.1
अक्तूबर	4.6	3.2	0.5	2.1	2.0	3.3
नवम्बर	4.2	3.5	0.8	2.0	1.8	3.5
दिसम्बर*	3.8	3.3	0.2	2.1	2.1	3.5
2005 जनवरी*	4.4	3.0	-0.1	1.6	1.6	3.2

*अनन्तिम

मुद्रास्फीति की दरों की गणना भारत और अन्य चुनिन्दा विकसित देशों में, जैसाकि ऊपर ऊल्लेख किया गया है, कार्यप्रणाली अवधारणाओं, कवरेज तथा भारांश आकृतियों के कारण निश्चित तौर पर तुलनात्मक नहीं है।

(घ) यद्यपि, भारत में मुद्रास्फीति की दर पिछले कुछ वर्षों में स्थिर रही है, क्योंकि मुद्रास्फीति सरकार की कार्यसूची में उच्च स्थान पर बनी रही है। इसलिए, कि उच्च मुद्रास्फीति की दरें प्रत्येक व्यक्ति को आघात पहुंचाती हैं, विशेषकर, उन गरीबों जिनकी आय को मूल्यों में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। उच्च मुद्रास्फीति ब्याज दरों पर दबाव बनाती है जिससे परियोजना लागतों और निवेश में वृद्धि होती है। इससे. वास्तविक ब्याज दरों को कम करने के लिए दिशा मिलती है जिससे बचत दर प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। सरकार की मुद्रास्फीति विरोधी नीतियों में सख्त राजकोषीय और मुद्रा संबंधी प्रबन्धन और आवश्यक वस्तुओं के उत्पाद तथा आयात शुल्कों का युक्तिकरण करना शामिल है, ताकि गरीबों पर बेवजह का बोझ न पड़े और उदारीकृत टैरिफ के जरिए संवेदनशील मदों का प्रभावी आपूर्ति-मांग प्रबन्धन करना तथा व्यापार नीतियां एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना शामिल है।

आर्थिक विकास हेतु निर्यात का आधार

2487. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्यात को देश के आर्थिक विकास का आधार बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) निर्यात को देश के आर्थिक विकास का आधार बनाने के क्या कारण हैं; और

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बाजार में भारतीय निर्यात की वर्तमान प्रतिशतता कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा 31 अगस्त, 2004 को घोषित नई विदेश व्यापार नीति 2004-09 का ध्येय आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में व्यापार नीति का प्रयोग करके पांच वर्ष की समय सीमा में वैश्विक मर्चेन्डाइज व्यापार में भारत की भागीदारी को दुगुना करना है। नीति उपायों में अनेक नई पहलों, मौजूदा योजनाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तनों, प्रशासनिक पद्धतियों को सरल बनाने के उपाय और व्यापार के विस्तार के लिए संस्थागत प्रबन्धनों को उत्साहित करना शामिल है।

(ग) व्यापार खुलेपन के संदर्भ में, शेष विश्व के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का समुचित स्तर पिछले कुछ समय से बेहतर हुआ है। सकल घरेलू उत्पाद के लिए निर्यातों का बढ़ता योगदान और हाल ही के वर्षों में निर्यातों की सुदृढ़ वृद्धि ने आशावाद को पुष्ट बनाया है जिससे कि निर्यात क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि की एक निश्चित स्रोत के रूप में गणना की जा सकती है। विदेशी मुद्रा भण्डारों का पर्याप्त स्तर भी निर्यातों से निवल विदेशी मुद्रा की प्राप्तियों पर ध्यान केन्द्रित करने की बजाए वृद्धि के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त गुंजाइश है। अत: विकास के लिए इस प्रकार की एक नीति अर्थात् एक नई विदेश व्यापार नीति का अधिकतम योगदान व्यापार और आर्थिक नीतियों में संबद्ध और स्थिरता पर बल देता है।

(घ) इस विश्व निर्यात में भारत की भागीदारी 0.8 प्रतिशत है।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

2488. श्री वाई.जी. महाजन:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत राज्यवार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत राज्यवार कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत राज्यों को राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (ग) एस.जी.आर.वाई. 25.9.2001 को शुरू की गई किन्तु यह पूरी तरह से 1.4.2002 से परिचालित हुई। अत: पिछले दो वर्षों, 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान, एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत आवंटन, निधियों की रिलीज तथा सृजित श्रमदिवसों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान निधियों का आवंटन तथा रिलीज एवं सृजित श्रमदिवस

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-03			2003-04		
		आवंटन	रिलीज	श्रम दिवस	आवंटन	रिलीज	श्रम दिवस
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	18977.31	24380.17	392.09	22014.18	23995.50	445.55
2.	अरुणाचल प्रदेश	986.98	824.26	16.62	1142.85	1560.75	310.28
3.	असम	25626.43	22496.96	483.50	29673.53	29681.01	637.20
4.	बिहार	36327.51	26727.42	442.44	42137.71	34203.10	489.85
5.	छत्तीसगढ़	9286.06	12013.04	377.68	10769.37	12023.34	308.55
6.	गोवा	158.36	75.04	0.68	183.93	110.36	0.49
7.	गुजरात	7728.31	6942.87	201.40	8966.17	9654.67	323.19
8.	हरियाणा	4290.25	5610.37	119.18	4976.97	5599.45	68.87
9.	हिमाचल प्रदेश	1806.79	2046.00	21.74	2096.00	2394.67	39.06
10.	जम्मू व कश्मीर	2154.84	2051.61	47.10	2499.61	10803.04	47.89
11.	झारखण्ड	24828.98	17584.68	283.85	28803.56	26675.15	386.05
12.	कर्नाटक	14098.08	17429.04	519.60	16353.72	19428.39	566.07
13.	केरल	6325.52	7665.17	70.95	7337.56	8696.74	100.86
14.	मध्य प्रदेश	21841.08	26872.02	531.52	25338.23	26705.26	585.21
15.	महाराष्ट्र	28002.67	28960.58	490.38	32483.24	31212.10	630.96

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	मणिपुर	1719.36	669.80	14.91	1990.89	1331.40	14.00
17.	मेघालय	1926.22	1905.92	24.43	2230.43	2055.44	34.37
18.	मिजोरम	445.73	573.88	12.99	516.13	757.86	15.38
19.	नागालैंड	1321.29	667.28	16.39	1529.96	1168.08	398.99
20.	उड़ीसा	21353.15	27406.55	599.03	24769.56	24743.95	618.57
21.	पंजाब	3461.06	3848.98	25.93	4017.63	4620.08	46.00
22.	राजस्थान	10710.59	14904.76	377.84	12424.25	13860.68	268.62
23.	सिक्किम	493.50	439.18	6.28	571.44	703.55	8.21
24.	तमिलनाडु	16564.43	21161.09	491.96	19214.77	23318.54	512.06
25.	त्रिपुरा	3104.49	3850.07	99.46	3594.77	3991.89	126.96
26.	उत्तरांचल	4258.87	4398.54	62.10	4940.35	5355.75	91.44
27.	उत्तर प्रदेश	63243.32	66092.08	1335.11	73362.27	65695.85	1330.53
28.	पश्चिम बंगाल	23729.76	20649.89	414.39	27526.41	21453.96	445.04
29.	अंड. नि. द्वीप समूह	139.88	42.32	0.00	162.34	97.40	0.42
30.	दादर नगर हवेली	109.27	61.40	0.00	126.77	41.13	एनआर
31.	दमन व दीव	30.27	0.00	0.00	35.17	0.00	एनआर
32.	लक्षद्वीप	48.16	0.00	0.10	55.95	28.57	0.01
33.	पांडिचेरी	154.50	112.61	3.28	179.28	136.13	1.42
	अखिल भारतीय	355253.02	368463.58	7482.93	412025.00	412103.79	8852.10

एन.आर. - असूचित

[अनुवाद]

आयकर का भुगतान नहीं करने वाले शैक्षिक संस्थान

2489. श्री जुएल ओराम: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में ऐसे अनेक शैक्षिक संस्थान हैं जो वाणिज्यिक आधार पर कार्य करते हैं लेकिन आयकर का भुगतान नहीं करते हैं;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे संस्थानों की पहचान की है जो आयकर का भुगतान नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे संस्थानों से बकाए राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) से (ग) मात्र शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए तथा न कि लाभ के प्रयोजनों के लिए मौजूद शैक्षणिक संस्थाओं को कतिपय शर्तों के अध्यधीन आयकर से छूट प्राप्त है। आयकर अधिनियम, 1961 में पर्याप्त नियंत्रण हैं ताकि ऐसी संस्थाओं को वाणिज्यिक (निजी लाभ) आधार पर चलाने से रोका जा सके। इस अधिनियम के

अंतर्गत छूट का दावा न करने वाली अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को कर का भुगतान करना पड़ता है तथा उन्हें कोई विशेष संव्यवहार नहीं दिया जाता है। जहां कहीं अनियमितता की घटनाएं आयकर विभाग की जानकारी में आती हैं, कर के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए कानून की उचित प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऐसे चूककर्त्ताओं के संबंध में सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

(घ) ऐसे चूककर्त्ताओं के संबंध में जारी की गई कर मांग की वसूली आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत निहित कर की वसूली हेतु सामान्य प्रक्रिया के अनुसार की जाती है।

न्यायाधीशों का स्थानान्तरण

2490. श्री डी. विट्टल राव: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के कालेजिएम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानान्तरण हेतु की गई सिफारिशें प्राप्त हुई हैं जैसा कि दिनांक 9 जनवरी, 2005 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) जी हां।

(ख) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने अक्तूबर, 2004 और जनवरी, 2005 की अवधि के दौरान लोकहित में 4 मुख्य न्यायमूर्तियों और 14 न्यायाधीशों के एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण की सिफारिश की थी।

(ग) सरकार ने सभी मुख्य न्यायमूर्तियों/न्यायाधीशों के स्थानांतरण की अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन

2491. श्री राजेश वर्मा: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से लघु विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी है और इससे कितनी मात्रा में विद्युत का उत्पादन किया गया है;

(ख) क्या इसकी पूर्ण क्षमता का दोहन कर विद्युत उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु क्या योजनाएं बनाई गई हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) उत्तर प्रदेश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से लगभग 1443 मे.वा. ग्रिड इंटरएक्टिव विद्युत उत्पादन की संभाव्यता आंकी गई है जिसकी तुलना में 31.12.2004 की स्थिति के अनुसार 107.32 मे.वा. क्षमता स्थापित की गई है।

(ख) और (ग) अपारंपरिक ऊर्जा संभाव्यता का दोहन नियमित और चलती रहने वाली प्रक्रिया है। इस समय इस मंत्रालय का उद्देश्य, उत्तर प्रदेश सहित देश में 10वीं तथा 11वीं योजना अवधि के दौरान अक्षय स्रोतों से लगभग 10% अतिरिक्त ग्रिड इंटरएक्टिव विद्युत संस्थापित क्षमता स्थापित करना है। राजकोषीय प्रोत्साहनों जैसे त्वरित मूल्य ह्रास, करों और शुल्कों में राहत, वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋणों के अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, अनेक संभावित राज्यों में ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत के लिए अधिमान्य शुल्क-दर उपलब्ध हैं। निजी निवेश को आकर्षित करने में संभाव्यता का दोहन राज्य सरकार की बड़ी प्रेरक नीतियों पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

मुद्रास्फीति-दर

2492. श्रीमती जयाप्रदा:
डा. चिन्ता मोहन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में अलग-अलग थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति-दर का निर्धारण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त सूचकांकों में विशाल अंतर है;

(ग) यदि हां, तो दिसम्बर, 2004 और जनवरी, 2005 के दौरान देश में उपरोक्त सूचकांकों द्वारा अनुमानित मुद्रास्फीति-दर में कितना अंतर था; और

(घ) उपरोक्त सूचकांकों में से प्रत्येक सूचकांक द्वारा अनुमानित मुद्रास्फीति की दर कितनी है और दोनों सूचकांकों का कितनी वस्तुओं के मूल्यों के आधार पर निर्धारण किया जाता है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां। सरकार थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) और औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) का अनुवीक्षण और उनमें विचलनों की समीक्षा नियमित रूप से करती है। जहां डब्ल्यूपीआई के आंकड़े लगभग दो सप्ताहों के अंतराल के बाद साप्ताहिक आधार पर उपलब्ध हैं, वहां सीपीआई (आईडब्ल्यू) पर आंकड़े लगभग चार सप्ताहों के बाद मासिक आधार पर उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) कार्यप्रणाली, संकल्पनाओं, कवरेज और भारांश चित्रों में अंतर के कारण, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई (आईडब्ल्यू) के संबंध में, मुद्रास्फीति की दर में भिन्नताएं हैं। दिसम्बर, 2004 और जनवरी, 2005 के माह के लिए अनंतिम अनुमान नीचे निर्दिष्ट किए गए हैं:

डब्ल्यूपीआई और सीपीआई-आईडब्ल्यू और वार्षिक मुद्रास्फीति दरें (प्रतिशत)

वर्ष/मास	मूल्य सूचकांक		वार्षिक मुद्रास्फीति %	
	डब्ल्यूपीआई (आधार : 1993-94)	सीपीआई-आईडब्ल्यू (आधार : 1982)	डब्ल्यूपीआई	सीपीआई-आईडब्ल्यू
दिसम्बर, 04	188.7*	521	6.7*	3.8
जनवरी, 05	188.5*	526	5.5*	4.4

*अनंतिम

(घ) दिसम्बर, 2004 और जनवरी, 2005 के माह के लिए डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बड़े समूहों द्वारा मुद्रास्फीति की दरें नीचे निर्दिष्ट हैं:

डब्ल्यूपीआई में वार्षिक बिन्दु-दर-बिन्दु मुद्रास्फीति दरें (प्रतिशत)

बड़े समूह	मदों की संख्या	भारांश (प्रतिशत)	दिसम्बर, 2004*	जनवरी, 2005*
सभी पण्य वस्तुएं	435	100.00	6.7	5.5
प्राथमिक उत्पाद	98	22.03	3.0	1.7
ईंधन, विद्युत, प्रकाश एवं लुब्रीकेंट्स	19	14.23	12.2	10.1
विनिर्मित उत्पाद	318	63.75	6.2	5.3

*अनंतिम

सीपीआई-आईडब्ल्यू में वार्षिक बिन्दु-दर-बिन्दु मुद्रास्फीति दरें (प्रतिशत)

बड़े समूह	मदों की संख्या	भारांश (प्रतिशत)	दिसम्बर, 2004	जनवरी, 2005
सामान्य	330	100.00	3.8	4.4
खाद्य	152	57.00	1.8	1.6
पान, सुपारी, तंबाकू, मादक वस्तुएं	19	3.15	3.2	2.3
ईंधन एवं प्रकाश	11	6.28	9.3	8.8
आवास	01	8.67	11.7	20.4
वस्त्र, शयन सामग्री तथा फुटवियर	44	8.54	2.4	3.0
विविध समूह	10.3	16.36	3.3	3.5

[अनुवाद]

फास्ट ट्रैक न्यायालय

2493. श्री एस.के. खारवेनथन:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिसम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार देश में फास्ट ट्रैक न्यायालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या स्थापित किए गए फास्ट ट्रैक न्यायालयों के कार्य से जनता और सरकार संतुष्ट नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) फास्ट ट्रैक न्यायालय के कार्यकरण में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) फास्ट ट्रैक न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों की राज्यवार संख्या कितनी है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) विभाग में उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश में एक दिसंबर, 2004 तक राज्यवार गठित किए गए त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या दर्शित करने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) से (घ) जी नहीं। इस विभाग में उपलब्ध जानकारी के अनुसार दिसंबर, 2004 तक त्वरित निपटान न्यायालयों ने, उन्हें अंतरित किए गए 12.58 लाख मामलों में से छह लाख से अधिक मामलों का निपटारा कर दिया था।

(ङ) दिसंबर, 2004 को त्वरित निपटान न्यायालयों के समक्ष लंबित मामलों की राज्यवार संख्या दर्शित करने वाला विवरण-II संलग्न है।

विवरण I

31 दिसंबर, 2004 तक गठित किए गए त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या

(न्याय विभाग में आज की तारीख तक प्राप्त हुई सूचना के आधार पर)

क्र.सं.	राज्य का नाम	राज्यों द्वारा गठित किए गए त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	86
2.	अरुणाचल प्रदेश	3
3.	असम	20
4.	बिहार	183
5.	छत्तीसगढ़	31
6.	गोवा	5
7.	गुजरात	166
8.	हरियाणा	18
9.	हिमाचल प्रदेश	9
10.	जम्मू-कश्मीर	12
11.	झारखंड	89
12.	कर्नाटक	93
13.	केरल	27
14.	मध्य प्रदेश	85
15.	महाराष्ट्र	187
16.	मणिपुर	2
17.	मेघालय	3
18.	मिजोरम	3
19.	नागालैंड	2
20.	उड़ीसा	72
21.	पंजाब	18
22.	राजस्थान	83
23.	सिक्किम	2
24.	तमिलनाडु	49
25.	त्रिपुरा	3
26.	उत्तरांचल	45
27.	उत्तर प्रदेश	242
28.	पश्चिमी बंगाल	152
	योग	1690

विवरण II

31 दिसंबर, 2004 को त्वरित निपटान न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	त्वरित निपटान न्यायालयों को अंतरित मामलों की सं.	त्वरित निपटान न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों की सं.	त्वरित निपटान न्यायालयों में लंबित मामलों की सं.
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	76,500	41,843	34,657
2.	अरुणाचल प्रदेश	1,602	270	1,332
3.	असम	15,750	9,272	6,478
4.	बिहार	38,885	23,959	14,926
5.	छत्तीसगढ़	18,274	10,859	7,415
6.	गोवा	1,889	629	1,260
7.	गुजरात	2,70,038	32,364	2,37,674
8.	हरियाणा	10,131	6,117	4,014
9.	हिमाचल प्रदेश	3,275	669	2,606
10.	जम्मू-कश्मीर	–	–	–
11.	झारखंड	41,316	20,532	20,784
12.	कर्नाटक	29,134	15,019	14,115
13.	केरल	29,980	20,767	9,213
14.	मध्य प्रदेश	52,770	34,079	18,691
15.	महाराष्ट्र	1,98,761	82,706	1,16,055
16.	मणिपुर	1,351	985	366
17.	मेघालय	503	157	346
18.	मिजोरम	526	328	198
19.	नागालैंड	453	142	311
20.	उड़ीसा	30,349	21,578	8,771
21.	पंजाब	12,049	8,605	3,444
22.	राजस्थान	47,894	30,129	17,765
23.	सिक्किम	–	–	–
24.	तमिलनाडु	1,19,492	95,477	24,015
25.	त्रिपुरा	2,876	1,626	1,250
26.	उत्तरांचल	52,998	36,229	16,769
27.	उत्तर प्रदेश	1,88,524	1,08,094	80,430
28.	पश्चिमी बंगाल	13,223	4,827	8,396
	योग	12,58,543	6,07,262	6,51,281

स्वायत्त निकायों को अनुदान/ऋण

2494. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा अनुदान/ऋण के रूप में वर्षवार कितनी धनराशि प्राप्त की गई है;

(ख) इन निकायों को ये अनुदान/ऋण परियोजना-वार और संस्थान-वार किस उद्देश्य हेतु संस्वीकृत किए गए थे; और

(ग) केन्द्र सरकार अनुदानों/ऋणों के समुचित उपयोग को किस प्रकार सुनिश्चित करती है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) से (ग) मांगी गई सूचना केन्द्रीय तौर पर नहीं रखी जाती। केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों से प्राप्त अनुदानों/ऋणों की प्रमात्रा के संबंध में सूचना अपने-अपने मंत्रालय/विभाग के विस्तृत अनुदानों के लिए मांगों में उपलब्ध है, जिसे वार्षिक रूप से सदन के पटल पर रखा जाता है।

[हिन्दी]

कोयला खानों का विस्तार

2495. प्रो. महादेवराव शिवनकर: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर महाराष्ट्र में कोयला खानों का विस्तार करने की कोई योजना बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) का कुल कोयला उत्पादन 2003-04 में 306.36 मि.ट. के स्तर से बढ़ाकर 2004-05 में 323.18 मि.ट. किए जाने और 2005-06 में 341.05 मि.ट. किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें से, सीआईएल के कोयले के उत्पादन में से महाराष्ट्र का भाग 2003-04 में 32.91 मि.ट. के स्तर से बढ़ाकर वर्ष 2004-05 में 3.56 मि.ट. तथा 2005-06 में 34.50 मि.ट. किए जाने का प्रस्ताव है। उत्पादन में वृद्धि चालू परियोजनाओं और नई परियोजनाओं से होगी।

(ख) देश में कोयला उत्पादन में होने वाली राज्य/स्थान-वार वृद्धि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) में कोयला उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा

(मिलियन टन में)

कम्पनी का नाम	राज्य	2003-04 (वास्तविक)	2004-05 (अनुमानित)	2005-06 (अनुमानित)
ईसीएल	पश्चिमी बंगाल तथा झारखण्ड	28.00	27.30	29.20
बीसीसीएल	पश्चिमी बंगाल तथा झारखण्ड	22.68	22.40	24.00
सीसीएल	झारखण्ड	37.33	37.40	40.00
एनसीएल	उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश	47.03	49.68	50.50
डब्ल्यूसीएल	महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश	39.53	41.00	41.50
एसईसीएल	छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश	71.01	78.40	83.00
एमसीएल	उड़ीसा	60.05	66.40	72.00
एनईसी	असम	0.73	0.60	0.85
जोड़ (सीआईएल)		306.36	323.18	341.05

महाराष्ट्र राज्य हेतु उत्पादन का स्थान-वार/कोलफील्ड-वार ब्यौरा

कोलफील्ड	स्थान	2003-04 (वास्तविक)	2004-05 (प्रत्याशित)	2005-06 (प्रत्याशित)
वर्धा वैली	चन्द्रपुर तथा जिला-यवतमाल	26.47	26.00	26.37
काम्प्टी	जिला नागपुर	4.32	4.12	4.53
उमरेर	जिला नागपुर	3.12	3.44	3.60
जोड़		32.91	33.56	34.50

टिप्पणी:
- ईसीएल - ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
- बीसीसीएल - भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
- सीसीएल - सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
- एमसीएल - महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
- एनसीएल - नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
- डब्ल्यूसीएल - वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
- एसईसीएल - साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
- एनईसी - नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स

[अनुवाद]

कोलदाम विद्युत परियोजना

2496. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश में संचालित हो रही विद्युत परियोजनाओं की संख्या कितनी है और प्रत्येक परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार कोलदाम विद्युत परियोजना के संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) अब तक कोयला विद्युत परियोजना को स्थापित करने हेतु कुल कितना धन जारी/खर्च किया गया है और परियोजना को पूरा करने हेतु कितने धन की आवश्यकता है और धन जुटाने के स्रोत क्या है; और

(घ) कोलदाम विद्युत परियोजना की प्रस्तावित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है और इसके लाभार्थी राज्यों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) हिमाचल प्रदेश में कार्य कर रहे और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मानीटर किए जा रहे विद्युत संयंत्रों के नाम उनकी उत्पादन क्षमता के साथ नीचे दिए गए है-

परियोजना का नाम (हाइड्रो)	मानीटर की गई क्षमता (मेगावाट)
1	2
राज्य क्षेत्र	
गिरि बाटा	60.00
संजय भाभा	120.00
बस्सी	60.00
बिनवा	6.00
आंध्रा	17.00
थिरोट	4.50
घानवी	22.60
गज	10.50
बनेर	12.00
एचपीएसईबी	312.60
निजी क्षेत्र	
मलाना	86.00
बस्पा	300.00
केंद्रीय क्षेत्र	
देहर	990.00
पोंग	360.00
कुल बीबीएमबी	1350.00
बैरास्यूल	180.00
चमेरा-1	540.00
चमेरा-2	300.00
कुल एनएचपीसी	1020.00
एसजेवीएनएल/नाथपा	1500.00
कुल योग	4568.60

(ख) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा कोल डेम हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण समय सूची के अनुसार प्रगति में है। सतलुज नदी का डाईवर्जन समय सूची के अनुसार अक्तूबर, 2004 में सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। काफर बांध, मुख्य बांध, स्पिलवे और विद्युत घर पर उत्खनन कार्य प्रगति में है। डिसिल्टिंग बेसिन का निर्माण कार्य सौंपा गया है।

(ग) परियोजना की अनुमोदित लागत मूल्य 4527.15 करोड़ रुपये (दिसंबर, 2001 मूल्य स्तर) है और परियोजना पर जनवरी, 2005 तक 817.93 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। परियोजना को एनटीपीसी के आंतरिक संसाधनों और घरेलू तथा बाहरी वाणिज्यिक उधारों से ऋण घटक के इक्विटी भाग के साथ 70:30 के ऋण इक्विटी अनुपात से वित्तपोषित किया जा रहा है।

(घ) कोल बांध विद्युत परियोजना की प्रस्तावित विद्युत उत्पादन क्षमता 800 मेगावाट है और लाभ प्राप्त करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू व कश्मीर, राजस्थान एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हैं।

उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क की बकाया धनराशि

2497. श्री श्रीपाद येसो नाईक:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्रीमती प्रतिभा सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क की वसूली की जाने वाली बकाया धनराशि राज्य-वार कितनी है;

(ख) इसमें से कितने प्रतिशत की वसूली व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है;

(ग) विभाग की उच्च अपीलीय अधिकरणों में कितने प्रतिशत मामले में हार हुई है;

(घ) समस्त राजस्व संग्रहण मशीनरी में से कितने प्रतिशत श्रमबल को बकाया संग्राहकों के साथ इस कार्य में लगाया गया है;

(ङ) ऐसे कर अपवंचन के प्रवण क्षेत्र कौन से हैं; और

(च) उन खामियों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव किया जा रहा है, जिनके कारण निष्फल मामले उत्पन्न होते हैं और व्यर्थ की मुकदमें बाजी करनी पड़ती है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हस्तशिल्प क्षेत्र को उद्योग का दर्जा

2498. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन क्षेत्रों का उत्थान करने हेतु क्या विभिन्न कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार, देश में हथकरघा क्षेत्र के विकास एवं कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है जिसमें, दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना, विपणन संवर्धन कार्यक्रम, मिल गेट कीमत योजना, कार्यशाला-सह-आवास योजना, बुनकर कल्याण योजना, हथकरघा निर्यात योजना, एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना, बुनकर बीमा योजना, हथकरघा वस्त्रों की बिक्री पर हथकरघा एजेंसियों द्वारा दी गई 10% की एकबारगी छूट की प्रतिपूर्ति की योजना, हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 का कार्यान्वयन शामिल है। इसी प्रकार, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यक्रम भी देश में हस्तशिल्प के उत्थान हेतु विभिन्न कदम उठाए हैं जिसमें, डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन की योजना, विपणन एवं सहायता सेवाएं, निर्यात संवर्धन, प्रशिक्षण एवं विस्तार, अनुसंधान एवं विकास, बीमा योजना, विशेष हस्तशिल्प प्रशिक्षण परियोजना इत्यादि योजनाओं का कार्यान्वयन शामिल है, बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के तहत कारीगरों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करके शिल्प समूहों का एकीकृत विकास भी किया जा रहा है।

डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक

2499. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक की राज्य-वार संख्या कितनी है जो नाबार्ड से धन का आहरण करने और इसे किसानों को उधार के रूप में देने के पात्र हैं;

(ख) ऐसे बैंकों की संख्या कितनी है जिनमें धोखाधड़ी, धन का दुरूपयोग और दुर्विनियोजन किया गया है; और

(ग) सरकार और नाबार्ड द्वारा उक्त दोषी कॉपरेटिव बैंकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) 31 दिसम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार देश में 366 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी) थे, जिनमें से 254 डीसीसीबी नाबार्ड से धनराशि आहरित करने और उसे किसानों को उधार देने के लिए पात्र हैं। राज्यवार पात्र डीसीसीबी निम्नानुसार है:

आंध्र प्रदेश-14, बिहार-6, झारखंड-3, छत्तीसगढ़-4, गुजरात-14, हरियाणा-19, कर्नाटक-19, केरल-14, मध्य प्रदेश-11, महाराष्ट्र-24, उड़ीसा-14, पंजाब-18, राजस्थान-24, तमिलनाडु-11, उत्तर प्रदेश-31, पश्चिमी बंगाल-17, हिमाचल प्रदेश-2, जम्मू एवं कश्मीर-1 और उत्तरांचल-8।

(ख) 31 मार्च, 2002, 2003 और 2004 को समाप्त वर्ष के दौरान डीसीसीबी में धोखाधड़ी, निधियों के दुरूपयोग, दुर्विनियोजन आदि के क्रमश: 274, 284 और 292 मामलों की सूचना दी गई थी।

(ग) आंतरिक जांच और शाखा नियंत्रण के संबंध में संशोधित मैनुअल, वार्षिक शाखा निरीक्षण रिपोर्ट का फार्मेट और शाखाओं के आंतरिक निरीक्षण के दौरान विभिन्न क्षेत्रों की जांच से संबंधित मार्गनिर्देश नाबार्ड द्वारा सभी सहकारी बैंकों को जारी किये गये हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कई सहकारी बैंकों के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं और विभिन्न अनुदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए धोखाधड़ी की निगरानी करने हेतु अलग कक्ष, वर्गीकरण की प्रणाली निर्धारित करने और धोखाधड़ी की सूचना देने आदि जैसे विभिन्न उपाय किए हैं।

विश्व बैंक द्वारा पुलों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता

2500. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने पुलों के निर्माण हेतु भारत को वित्तीय सहायता देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त का ब्यौरा क्या है;

(ग) वित्तीय सहायता की निबंधन और शर्तें क्या हैं; और

(घ) इस सहायता से निर्मित किए जाने वाले पुलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं। विश्व बैंक ने विशेष रूप से पुलों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता की पेशकश नहीं की है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

नेशनल माइक्रो फाइनेंस इक्विटी फंड

2501. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अति निर्धन वर्गों की सहायता हेतु नेशनल माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट एंड इक्विटी फंड सृजित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त फंड में नेशनल रूरल इम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम का क्या स्थान है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा प्रबंधित व्यष्टि वित्त विकास निधि (एमएफडीएफ) को वर्ष 2005-06 के बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार 100 करोड़ रु. की राशि को बढ़ाकर 200 करोड़ रु. करके उसे व्यष्टि वित्त विकास एवं इक्विटी निधि (एमएफडीईएफ) नाम से नए रूप में तैयार किया गया है। इस निधि का लक्ष्य उन व्यष्टि वित्त संस्थाओं की इक्विटी बढ़ाना है, जो कम आय वाले परिवारों और छोटे अनौपचारिक व्यवसायों के लिए व्यष्टि ऋण एवं अन्य वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराती हैं।

(ग) एमएफडीईएफ के उद्देश्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए सहायता/समर्थन देने का प्रावधान नहीं किया गया है।

हीरा-परियोजना

2502. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश की सरकार हीरा-उत्पादन के संभावित क्षेत्र के रूप में पहचाने गए गुंटूर जिले के क्षेत्रों में पुलिचिंतला परियोजना का निर्माण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रदेश में स्थित इस हीरा-भंडार क्षेत्र में प्रस्तावित परियोजना का निर्माण करने से ये क्षेत्र जलाप्लावित हो जाएंगे और सरकार को राजस्व का भारी नुकसान होगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (घ) जी, हां। आंध्र प्रदेश सरकार ग्राम पुलिचिंतला, बेल्लामकोण्डा मंडल, जिला गुंटूर में एक बांध का निर्माण कर रही है। इस बांध के निर्माण की वजह से, कुछ ग्रामों में पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से जलमग्न हो जाने की सम्भावना है। विगत में कृष्णा बेसिन में हीरे की मौजूदगी की रिपोर्ट मिली थी। तथापि, हाल ही में, हीरे की ऐसी किसी मौजूदगी की रिपोर्ट नहीं मिली है।

नाबार्ड द्वारा पनधारा विकास हेतु सहायता

2503. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नाबार्ड द्वारा पनधारा विकास योजनाओं के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान नाबार्ड द्वारा पनधारा विकास योजनाओं को राज्यवार वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या पनधारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं के पुनर्वित्त-पोषण हेतु ब्याज दर कम करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) गत तीन वर्षों के दौरान जल विभाजक विकास निधि, भारत-जर्मन जल विभाजक विकास कार्यक्रम तथा ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आर आई डी एफ) के तहत नाबार्ड द्वारा प्रदत्त राज्य-वार वित्तीय सहायता क्रमश: संलग्न विवरण-I एवं II में दी गई है।

(ख) जल-विभाजक विकास निधि (डब्ल्यूडीएफ) एवं भारत-जर्मन जल-विभाजक विकास कार्यक्रम (आईजीडब्ल्यूडीपी) जैसे साझा जल विभाजक विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है क्योंकि आधारभूत कार्यान्वयन के आधार पर प्रगति की समीक्षा की जाती है। तथापि, केएफडब्ल्यू जर्मनी से निधि आहरित करने के विचारार्थ चालू वर्ष के लिए आईजीडब्ल्यूडीपी के तहत 7.65 करोड़ रुपए के अस्थायी लक्ष्य को निर्धारित किया गया है (6.69 करोड़ रुपये महाराष्ट्र के लिए तथा आंध्र प्रदेश के लिए 0.96 करोड़ रुपए)।

(ग) से (ङ) चरणबद्ध परियोजनाओं के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए डब्ल्यूडीएफ के तहत राज्य सरकार को 4.5% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर ऋण सहायता दी जाती है। निचले स्तर पर (अर्थात् अंतिम लाभार्थी के लिए) यह सहायता अनुदान के रूप में होती है। आईजीडब्ल्यूडीपी के तहत सभी सहायता अनुदान के रूप में है। तथापि, भूमि विकास योजनाओं के लिए पुनर्वित्त के लिए ब्याज की दर 16 मार्च, 2005 से 6.0% प्रतिवर्ष (50,000/- रुपए तक) तथा 6.5% प्रतिवर्ष (50,000/- रुपए से अधिक) है। ब्याज दर में और कमी का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि भूमि विकास के लिए पुनर्वित्त पर ब्याज की दर को हाल ही में संशोधित किया गया है।

विवरण I

जल विभाजक विकास निधि एवं भारत-जर्मन जल-विभाजक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा राज्य-वार वित्तीय सहायता

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	डब्ल्यू डीएफ के तहत आवंटन	2001-02				2002-03				2003-04				
			डब्ल्यू डीएफ अनुदान	डब्ल्यू डीएफ ऋण	आई.सी. डब्ल्यू डीपी अनुदान	कुल निर्गत राशि	जारी डब्ल्यू डीएफ अनुदान	संस्वीकृत एवं जारी डब्ल्यूडी पी. ऋण	जारी आई. सी डब्ल्यू डीपी अनुदान	कुल निर्गत राशि	जारी डब्ल्यू डीएफ अनुदान	संस्वीकृत डब्ल्यू डीएफ ऋण	जारी डब्ल्यू डीएफ ऋण	जारी आईबी डब्ल्यूडी	कुल निर्गत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	गुजरात	30	2396480	0	*	2396480	3160499	0	*	3160499	8506134	26249600	0	*	34755734
2.	कर्नाटक	60	2064273	0	*	2064273	9036111	0	*	9036111	8857008	34441100	0	*	43298108
3.	तमिलनाडु	30	907142	0	*	907142	4468938	0	*	4468938	6284619	4456500	0	*	10741119
4.	आंध्र प्रदेश	40	1347531	0	0	1347531	6642047	0	0	6642047	8694373	22584300	0	1589562	32868235
5.	राजस्थान	**	235176	0	*	235176	686070	0	*	686070	197294	0	0	*	197294

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.	प. बंगाल	20	415676	0	*	415676	2631863	0	*	2631863	867432	10742200	0	*	11609632
7.	उत्तर प्रदेश	30	785026	0	*	785026	3658289	0	*	3658289	6491129	0	0	*	6491129
8.	महाराष्ट्र	50	5007995	0	103236000	108243895	1.4E+07	0	63562000	77154021	9267386	0	0	62714000	720661386
9.	झारखंड (2001 तक बिहार)	**	609021	0	*	609021	159825	0	*	159825	1395827	0	0	*	1395827
10.	उड़ीसा	**	535839	0	*	535839	533283	0	*	533283	शून्य	0	0	*	0
	कुल	260	14304059			117540059	4.5E+07			108130946	5.1E+07	98473700	0	64383562	213418464

*केवल महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में कार्यान्वयन के अंतर्गत कार्यक्रम
*भाग न ले रहे राज्य एवं इस प्रकार कोई आबंटन नहीं

विवरण II

जल विभाजक विकास के लिए आरआईडीएफ सहायता

(करोड़ रुपए में)

राज्य	आरआईडीएफ-VII (2001-02)		आरआईडीएफ-VIII (2002-03)		आरआईडीएफ-IX (2003-04)		कुल	
	परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत राशि	परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत राशि	परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत राशि	परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत राशि
हिमाचल प्रदेश	90	5.65	–	–	–	–	90	5.65
केरल	40	16.01	5	2.86	3	1.29	48	20.16
तमिलनाडु	–	–	182	5.63	–	–	182	5.63
उत्तर प्रदेश	–	–	165	92.59	–	–	165	92.59
कुल	130	21.66	352	101.08	3	1.29	485	124.03

एन.टी.पी.सी. का परिव्यय

2504. **श्री विजय कृष्ण:**
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2005-06 हेतु नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन ने 8550 करोड़ रुपए के पूंजी परिव्यय की परिकल्पना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पूंजी-व्यय का किस प्रकार वित्त-पोषण किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या संयंत्रों हेतु की जाने वाली नापथा की आपूर्ति अपर्याप्त है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उक्त संयंत्रों को पर्याप्त मात्रा में गैस की आपूर्ति करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) द्वारा वर्ष 2005-06 के लिए परिकल्पित पूंजीगत परिव्यय का विवरण निम्न है:

	रकम (करोड़ रुपये में)
चालू स्कीमें	6552.89
नयी स्कीमें	1378.06
नवीकरण और आधुनिकीकरण स्कीमें	373.56
अन्य पूंजीगत स्कीमें	245.49
योग	8550.00

(ग) 2005-06 के लिए 8550 करोड़ रुपये के पूंजीगत परिव्यय के वित्तपोषण की योजना निम्न प्रकार में बताई गई है:

क.	इक्विटी	
	आंतरिक संसाधन	1041.79
	प्रारंभिक जन निवेश से (आईपीओ) निधि	1682.21
	उप-योग (क)	2724.00
ख.	ऋण लेना (उधार लेना)	
	घरेलू ऋण/बांड	4526.00
	बाह्य वाणिज्यिक ऋण	1300.00
	उप-योग (ख)	5826.00
	योग (क+ख)	8550.00

(घ) से (च) जहां तक नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) का संबंध है, इसकी विद्युत परियोजनाओं के लिए नाप्था आपूर्ति में कोई कमी नहीं है। तथापि एनटीपीसी, अपने संयुक्त चक्रीय विद्युत स्टेशनों के लिए आवश्यकता और लिंकेज, दोनों के संबंध में गैस आपूर्ति में कमी का सामना कर रही है। गैस की कमी को पूरा करने के लिए एनटीपीसी ने घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक गैस/तरलीकृत प्राकृतिक गैस आपूर्तिकर्त्ताओं और पुन: गैसीकरण सुविधाओं के विकासकर्त्ताओं से संपर्क साधा है और एनटीपीसी संयुक्त उद्यम कंपनियों से गैस (लेने) प्राप्त करने की संभावना भी तलाश कर रही है, बशर्ते कि उसका मूल्य उपयुक्त हो।

एन.टी.पी.सी. की विद्युत परियोजनाओं का विस्तार

2505. श्री बसुदेव आचार्य: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एनटीपीसी गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं का विस्तार करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनटीपीसी अपनी प्रस्तावित गैस आधारित परियोजनाओं हेतु अन्य देशों में स्थित तेल के कुओं का अधिग्रहण करने और एलएनजी का निष्कर्षण करने पर विचार कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) जी हां, एनटीपीसी का 2012 तक निम्नलिखित गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं के विस्तार का इरादा है:-

परियोजना	राज्य	विवरण
क्वास सीसीपीपी चरण-2 (1300 मे.वा. अवास्तविक)	गुजरात	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के अतिरिक्त सभी से स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करने का कार्य प्रक्रियाधीन है।
गंधार सीसीपीपी चरण-2 (1300 मे.वा. अवास्तविक)	गुजरात	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के अतिरिक्त सभी से स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करने का कार्य प्रक्रियाधीन है।
कायमकुलम चरण-2 पर राजीव गांधी सीपीपी (1950 मे.वा.)	केरल	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के अतिरिक्त प्रमुख स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

(ग) से (ङ) जी, हां। मौजूदा कोयला ज्वलित केन्द्र की तुलना में संयुक्त चक्रीय संयंत्रों के उत्पादन हेतु परिवर्तनीय लागत को रखने के लिए, एनटीपीसी खाड़ी तथा अफ्रीकी देशों से स्रोत गैस/तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की संभावनाओं का पता लगा रहा है, ताकि विद्युत संयंत्र सीमा में गैस/एलएनजी की सुपुर्दगी लागत लगभग 3 अमरीकी डालर प्रति मिलियन मीट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) रहे। इस संबंध में, एनटीपीसी भिन्न-भिन्न देशों की विभिन्न एजेंसियों से वार्ता कर रहा है।

कायमकुलम विद्युत परियोजना

2506. श्री सी.के. चन्द्रप्पन: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के कायमकुलम थर्मल पावर स्टेशन के द्वितीय चरण का शिलान्यास किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) द्वितीय चरण के कब तक कार्य आरंभ करने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (ग) जी, हां, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के कायमकुलम थर्मल विद्युत स्टेशन के दूसरे चरण (1950 मे.वा.) के लिए 16 फरवरी, 2005 को शिलान्यास किया गया। परियोजना को 16.2.2005 से "राजीव गांधी कंबाइंड साइकल पावर प्रोजेक्ट" के रूप में पुनर्नामित किया गया है। परियोजना एलएनजी/प्राकृतिक गैस पर आधारित है। परियोजना के लिए ईंधन टाई-अप चल रहा है। परियोजना का अनुमानित मूल्य लगभग 6600 करोड़ रुपये है। परियोजना से लाभ 11वीं योजना अवधि में होने का अनुमान है।

हीरों की खोज

2507. श्री भर्तृहरि महताब:
श्री हंसराज जी. अहीर:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर उड़ीसा के हीराकुंड में महानदी के तल में हीरों की खोज की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस क्षेत्र में हीरों की खोज हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सवेक्षण (जी.एस.आई.), खनिज गवेषण निगम लिमिटेड (एम.ई.सी.एल.), राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन.एम.डी.सी.) जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा कुछ राज्य भूविज्ञान और खनन निदेशालय/आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा के राज्य खनन निगम आदि हीरे और दूसरे मूल्यवान और अर्द्ध मूल्यवान रत्नों के गवेषण में लगे हैं।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) देश के विभिन्न भागों में विशेषकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और हीराकुंड के इर्द-गिर्द महानदी तल सहित उड़ीसा राज्य में हीरे के गवेषण में काफी पहले से लगा है।

(ख) जी.एस.आई. द्वारा चालू फील्ड सत्र के दौरान हीराधारी चट्टानों (लैम्प्रोआइट, किम्बरलाइट) की महानदी नदी तल में (उड़ीसा राज्य में महानदी नदी के प्रवेश स्थल से हीराकुंड जलाशय और उड़ीसा राज्य में टेल नदी के संगम स्थल तक) खोज की जा रही है। तथापि हीरे के स्रोत चट्टान का अभी तक पता नहीं चला है।

महानदी नदी तल में हीरे की खोज 1855 से की जा रही है। जी.एस.आई. ने 1969-1970 में हीराकुंड और बौद्ध क्षेत्रों में हीरे का पूर्वेक्षण किया था। तथापि, इन प्रयासों से स्रोत चट्टान का कोई सकारात्मक लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ।

1993-94 से जी.एस.आई. महानदी नदी बेसिन में तथा बारगढ़, बोलनगिर, सोनपुर, अरसुगुडा, नौपाड़ा, सुंदरगढ़ और सम्बलपुर जिलों में महानदी की प्रमुख सहायक नदियों तथा ईब, टेल, आँग, सुतकल और इन्द्रावती में किम्बरलाइट/लेम्प्रोआइट के पाइपों की खोज में लगा है जोकि हीरे की प्राथमिक स्रोत चट्टानें हैं। अभी तक प्राथमिक स्रोत का पता नहीं लग पाया है।

(ग) कासीपानी, खन्धाछाप क्षेत्र, बारगढ़ और नौपाड़ा जिले में खोज अभी भी जारी है। सरकार खनिज के गवेषण के लिए इच्छुक निजी उद्यमियों को भी टोही परमिट (आर.पी.) और पूर्वेक्षण लाइसेंस (पी.एल.) मंजूर करती है। राष्ट्रीय खनिज नीति (एन.एम.पी.) 1993 के अनुसार, सभी गैर-ईंधन और गैर-परमाणु खनिजों का गवेषण और दोहन निजी निवेश के लिए खोल दिया गया है।

न्यायालय भवनों के निर्माण हेतु धन

2508. श्री पी.सी. थामस: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों हेतु भवनों का निर्माण करने अथवा अन्य विकास कार्यों के लिए धन संस्वीकृत किया है; और

(ख) यदि हां, तो केरल उच्च न्यायालय में किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति का पूरा ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) और (ख) जी हां।

न्याय विभाग केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अधीन न्यायपालिका के लिए भौतिक अवसंरचना के, जिसके अंतर्गत न्यायालय भवनों का संनिर्माण भी है, विकास के लिए निधियां उपलब्ध कराता है। यह निधि योजना आयोग के सूत्र के अनुसार विभिन्न राज्यों को उपलब्ध कराई जाती है। विभिन्न परियोजनाओं के अधीन भौतिक संनिर्माण के लिए निधियों को उपयोग करने का उत्तरदायित्व राज्यों का है। केरल राज्य को इस स्कीम के अधीन वर्ष 1993-94 तथा वर्ष 2003-04 के बीच की अवधि के दौरान 20.95 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। राज्य सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार इस धन को न्यायिक पक्ष में, जिसके अंतर्गत केरल उच्च न्यायालय का संनिर्माण भी है, खर्च किया गया है। इसके अतिरिक्त केरल उच्च न्यायालय के संनिर्माण में सहायता करने के लिए वर्ष 1999-2000 में लगभग 10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी। राज्य सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, इस समय फर्श पालिश करना, आंतरिक विभाजन करना, अग्नि की दशा में बचाव-मार्ग, स्वच्छता, जल-आपूर्ति, भू-दृश्य-निर्माण, कंप्यूटर नेटवर्क, आने-जाने वालों के लिए लिफ्टें आरंभ करना, जेनरेटर लगाना, वातानुकूलन आदि जैसे कुछ कार्यों को पूरा किया जाना शेष है।

सेबी द्वारा अधिग्रहण विनियमों का संशोधन

2509. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेबी ने अधिग्रहण संबंधी विनियमों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह विदेशी निवेश पर भी लागू है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) से (घ) जी, हां। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का प्रचुर अर्जन और अधिग्रहण) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2004 दिनांक 3 जनवरी, 2005 की सरकारी राजपत्र अधिसूचना का.आ. 5(अ.) में उपलब्ध हैं।

किसी विदेशी अर्जक द्वारा भारतीय सूचीबद्ध कंपनी के विनिर्दिष्ट प्रतिशत अथवा नियंत्रण (प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष) से अधिक शेयरों के अर्जन/मताधिकारों पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का प्रचुर अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 1997 के प्रयोज्य उपबंध लागू होंगे।

[हिन्दी]

अन्परा तथा रिहन्द विद्युत परियोजनाएं

2510. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अन्परा तथा रिहन्द सुपर थर्मल पावर स्टेशनों की विफलता के कारण उत्तर प्रदेश में घोर विद्युत संकट छा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, हाल ही में अन्परा और रिहंद सुपर थर्मल विद्युत स्टेशनों में कोई बड़ी खराबी नहीं आई है। इन दो विद्युत स्टेशनों ने अप्रैल, 2004-फरवरी, 2005 के दौरान लक्ष्य उत्पादन का क्रमश: 99.1% और 102.3% उत्पादन किया।

(ग) से (ङ) उपरोक्त (क) और (ख) के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[अनुवाद]

अवसंरचना परियोजनाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंड का आबंटन

2511. श्री बालासाहिब विखे पाटील:
श्री बापू हरी चौरे:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अवसंरचना परियोजनाओं के लिए एक वायबिलिटी गैप फंड के लिए 4000 करोड़ रुपए का आबंटन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस फंड के संचालन हेतु दिशा-निर्देश बनाए गए हैं;

(घ) यह फंड किस प्रकार और किसके द्वारा निर्धारित किया जायेगा तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने अवसंरचना क्षेत्रों में सरकारी-निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने के लिए 1500 करोड़ रु. का आवंटन किया है।

(ग) से (ङ) इस निधि को प्रचालित करने के लिए योजना को आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए)/ मंत्रिमंडल के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव

2512. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अनेक केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं, जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, को समाप्त करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सामाजिक योजनाओं की पुनर्रचना से गैर योजनागत व्यय बच सकता है तथा इसके अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को और बजटीय सहायता मिल सकती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) अब तक समाप्त की गई योजनाओं की संख्या कितनी है और इनके क्रियान्वयन को किस हद तक रोका गया है; और

(च) कुल कितनी योजनाओं का अनुमोदन किया गया है और जिनका क्रियान्वयन किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (च) योजना आयोग ने हाल ही में मौजूदा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के औचित्य/पुनर्विलोकन के संबंध में एक प्रक्रिया शुरू की है। कुछेक स्कीमों को समाप्त करने के लिए उनकी पहचान की गई है, जिसके बारे में आयोग द्वारा सम्बद्ध मंत्रालयों/ विभागों को सूचित कर दिया गया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2004-05 में 207 केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें प्रचलन में हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कम्प्यूटरीकरण

2513. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अपने व्यवसायिक कार्य के कम्प्यूटरीकरण को बड़े स्तर पर शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 2004 तक कम्प्यूटरीकृत कर दिए गए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मुख्यालय तथा शाखाओं की संख्या कितनी है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान कितनी शाखाओं के कम्प्यूटरीकरण की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र के लिए ऋण तथा अनुदान की व्यवस्था

2514. **श्री सुरेश कलमाडी:**
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों, विशेष तौर पर महाराष्ट्र को ऋण तथा अनुदान के रूप में कोई धनराशि प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी राज्य ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुदान की धनराशि को बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया; और

(ङ) राज्यों को ऋण प्रदान करने का आधार क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र सहित

राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता के रूप में दिए गए ऋण और अनुदान को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) राज्य और अधिक अनुदानों की मांग कर रहे हैं। नौवीं योजना के अंतिम वर्ष अर्थात् 2001-02 में राज्यों को 16272.79 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता दी गई, जो वित्तीय वर्ष 2003-04 में बढ़कर 22212.48 करोड़ रुपए हो गई। भारत सरकार ने इस संबंध में बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार करते हुए वित्तीय वर्ष 2005-06 से केन्द्रीय सहायता केवल अनुदान के रूप में देने का निर्णय लिया है।

(ङ) राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के आधार पर 2004-05 में राज्य वार्षिक योजना को वित्तपोषित करने के लिए विशिष्ट श्रेणी के राज्यों को 10:90 के ऋण अनुदान अनुपात में और गैर-विशिष्ट श्रेणी के राज्यों को 70:30 के अनुपात में केन्द्रीय सहायता वितरित की गई है।

विवरण

नौवीं योजना के दौरान राज्य सरकार को जारी की गई केन्द्रीय सहायता (ऋण-अनुदान)

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	1997-98		1998-99		1999-2000		2000-2001		2001-02		कुल	
		ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	1529.77	623.87	1360.58	574.83	1832.90	730.28	1772.71	992.05	3342.45	1750.14	9838.42	4671.18
2.	अरुणाचल प्रदेश	44.64	40.55	51.69	473.88	62.60	508.93	61.08	529.93	73.24	537.57	293.26	2455.86
3.	असम	131.67	1075.98	146.38	1196.75	156.70	1292.96	168.85	1375.42	169.65	1403.62	773.25	6344.73
4.	बिहार	959.21	405.12	1383.32	569.52	1587.25	629.37	1247.84	607.97	1010.57	431.64	6188.20	2643.62
5.	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-	130.23	149.01	324.44	118.39	454.67	267.40
6.	गोवा	54.41	23.02	48.46	23.19	47.73	21.83	104.88	26.26	108.37	24.29	363.84	118.59
7.	गुजरात	651.67	203.48	906.80	228.69	1050.15	330.78	1465.79	548.50	2076.41	725.11	6150.81	2036.56
8.	हरियाणा	316.31	130.49	288.03	123.50	348.76	151.63	387.21	203.14	271.62	118.89	1611.94	727.65
9.	हिमाचल प्रदेश	60.50	485.66	79.94	678.04	103.99	842.00	104.93	848.00	103.76	923.93	453.11	3777.64
10.	जम्मू और कश्मीर	224.89	2034.83	235.19	2148.53	289.59	2607.21	170.03	1486.99	309.96	128.20	1229.67	8405.76
11.	झारखंड	-	-	-	-	-	-	139.93	175.30	208.73	1813.82	348.67	1989.12
12.	कर्नाटक	620.68	237.82	726.58	293.08	900.73	338.35	1029.40	493.53	2118.23	729.08	5395.61	2091.87
13.	केरल	381.10	165.35	469.09	210.89	495.29	225.04	463.92	218.10	548.00	241.44	2357.41	1060.83
14.	मध्य प्रदेश	885.65	330.46	982.63	383.74	1356.09	555.52	952.07	547.23	1409.55	511.77	5585.99	2328.73
15.	महाराष्ट्र	1306.14	552.01	1073.09	454.15	849.09	368.70	771.90	469.89	871.19	378.61	4871.41	2223.36
16.	मणिपुर	62.36	331.06	51.08	366.44	75.41	486.37	38.02	375.39	65.57	510.02	292.44	2069.27
17.	मेघालय	25.77	235.56	32.50	304.38	40.18	341.87	41.47	363.29	43.81	364.99	183.73	1610.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.	मिजोरम	31.98	294.32	32.25	296.67	41.76	370.95	38.04	361.73	46.18	413.71	190.21	1737.39
19.	नागालैंड	29.49	280.01	36.40	331.49	47.27	404.87	44.38	378.32	50.04	409.52	207.58	1804.21
20.	उड़ीसा	830.75	323.42	850.19	349.96	860.17	362.61	938.52	515.93	951.26	335.48	4430.89	1887.40
21.	पंजाब	391.95	133.70	299.18	139.13	285.83	115.14	367.26	179.03	493.22	172.73	1837.44	739.74
22.	राजस्थान	628.54	344.83	806.96	362.80	805.77	345.66	706.94	482.95	684.28	305.49	3632.49	1841.74
23.	सिक्किम	20.96	188.70	24.94	228.44	30.33	266.16	24.66	241.70	31.92	271.38	132.82	1196.38
24.	तमिलनाडु	967.09	438.13	794.05	375.08	986.97	468.23	1140.04	612.65	863.02	396.94	4751.17	2291.03
25.	त्रिपुरा	41.56	343.46	54.84	468.71	94.69	552.82	74.68	584.85	87.32	609.26	353.09	2559.09
26.	उत्तर प्रदेश	2035.08	1037.15	2050.57	1140.55	2451.78	1356.49	3236.89	1743.51	114.65	1033.90	9888.96	6311.59
27.	उत्तरांचल	-	-	-	-	-	-	98.38	377.39	2562.77	944.08	2661.16	1321.47
28.	पश्चिम बंगाल	1072.38	494.74	1468.86	683.31	1468.80	689.93	1303.93	752.18	1404.20	668.80	6718.16	3288.95
	कुल	13304.57	11118.72	14253.59	12405.76	16269.85	14363.71	17023.98	15640.25	23044.39	16272.79	81196.37	69801.23

[हिन्दी]

सिंगरौली कोयला परियोजना को बन्द किया जाना

2515. श्री गणेश सिंह:
श्री जे.एम. आरून रशीद:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तरी कोलफील्ड्स सिंगरोली के अंतर्गत कुछ कोयला परियोजनाएं बंद पड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजनाओं के नाम क्या हैं और ये कब से बन्द पड़ी हुई हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गोरबी परियोजना इनमें से एक है; और

(घ) यदि हां, तो गोरबी परियोजना को पुन: चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, हां। नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. की दो कोयला परियोजनाएं बंद पड़ी हैं।

(ख) एनएलसी की दो बन्द पड़ी परियोजनाओं के नाम और उसके कारण नीचे दिए गए हैं:

क्र. सं.	बन्द परियोजनाओं का नाम	बन्द होने का वर्ष	बन्द होने के कारण
1.	गोबी	1997-98	व्यवहार्य खनन योग्य भण्डारों का समाप्त हो जाना
2.	गोबी-बी	1999-2000	व्यवहार्य खनन योग्य भण्डारों का समाप्त हो जाना

(ग) जी, हां।

(घ) चूंकि दो परियोजनाएं भण्डारों के समाप्त हो जाने के कारण बन्द हो गयी थी, अत: वे पुन: चालू नहीं हो रही है। तथापि, ब्लाक-बी नामक दूसरी नजदीक की परियोजना को भविष्य में शुरू करने का प्रताव है।

[हिन्दी]

स्वायत्तशासी निकायों के अनअंकेक्षित खाते

2516. श्री रघुनाथ झा: क्या **वित्त मंत्री** स्वायत्तशासी निकायों के अनअंकेक्षित खाते के बारे में 3.12.2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 544 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो सूचना एकत्रित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) सूचना कब तक एकत्रित कर ली जाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) 41 मंत्रालयों/विभागों से अपेक्षित सूचना प्राप्त हो गई है तथा 30 मंत्रालयों/विभागों से अभी आनी प्रतीक्षित है।

(ग) और (घ) विलम्ब का कारण है कि सूचना केन्द्रीय तौर पर नहीं रखी जाती है तथा इसे सभी मंत्रालयों/विभागों से एकत्र करना होता है।

विदेशी बैंकों का हिस्सा

2517. श्री लक्ष्मण सेठ: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सुझाए गए सावधानीपूर्वक चलने के दृष्टिकोण के बावजूद बैंकों का नियंत्रण मुक्त करने की नीति को आगे बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी बैंकों का प्रस्तावित हिस्सा कितना है; और

(घ) अर्थव्यवस्था पर बैंकिंग क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त करने से क्या प्रभाव पड़ेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंक देश में कुल बैंकिंग कारबार में से लगभग 76% कारबार करने के लिए उत्तरदायी हैं। बैंकिंग उद्योग को विश्व स्तर पर लाने के उद्देश्य से नई पहलों की शुरूआत की गई है जिसमें एक तरफ सरकारी एवं गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में घरेलू बैंकिंग प्रणाली का समेकन तथा दूसरी ओर चरणबद्ध तरीके से भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थित में क्रमिक वृद्धि शामिल है। यह डब्ल्यू टी ओ के साथ भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुकूल होगा। इस अविनियमन से बैंकिंग क्षेत्र को विश्व मानकों में कार्यकुशलता तथा स्थिरता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

सहकारी बैंकों की बकाया राशि

2518. श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों को समय से वापस नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है तथा इसमें फंसी राज्य-वार कुल धनराशि कितनी है;

(ग) ऋण राशि की समय पर वापसी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उठाए गए कदमों के फलस्वरूप सरकार को कितनी सफलता मिली है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हस्त शिल्प योजना

2519. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का लक्ष्य स्व-रोजगार क्रेडिट योजना के अंतर्गत शिल्पकारों तथा बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान लाभान्वित शिल्पकारों तथा बुनकरों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दिसम्बर, 2004 में मल्टी-फाइबर समझौते की समयावधि की समाप्ति को देखते हुए हथकरघा को बढ़ावा देने की योजनाएं तैयार की हैं;

(घ) क्या बाजार के भूमण्डलीकरण को देखते हुए कोई व्यवस्था की गई है तथा हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए योजना में कोई प्रावधान किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) हस्तशिल्प कारीगरों के लिए ऋण को आसान बनाने के उद्देश्य से आर्टिजन क्रेडिट कार्ड (ए सी सी) योजना बैंकों के जरिए कार्यान्वित की जा रही है। हथकरघा बुनकरों के लिए स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड (एस सी सी) नामक एक अन्य योजना नाबार्ड के जरिए चालू है।

(ख) बैंकों की रिपोर्ट के अनुसार देश में ए सी सी के अंतर्गत शामिल कारीगरों की संख्या वर्ष 2003-04 के दौरान 16500 और वर्ष 2004-05 के दौरान अब तक 5299 है। राज्यवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं है। हथकरघा बुनकरों के अतिरिक्त, एस सी सी स्कीम में अन्य व्यवसाय भी शामिल है और नाबार्ड से उपलब्ध स्कीमें वर्ष 2003-04 से चालू हैं।

(ग) से (ङ) पश्च मल्टी फाइबर एग्रीमेंट अवधि में हथकरघा निर्यात संवर्धन और भूमण्डलीकरण के परिणाम स्वरूप हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने हेतु सरकार हथकरघा निर्यात स्कीम और हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन स्कीम कार्यान्वित कर रही है जिसमें ये शामिल हैं:- निर्यातयोग्य उत्पाद श्रृंखला का विकास एवं विविधिकरण; अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना; महत्वपूर्ण विदेशी बाजारों में क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन; हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद, हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद और कालीन निर्यात संवर्धन परिषद को सहायता; नई दिल्ली में भारतीय हस्तशिल्प एवं उपहार मेला और कालीन एक्सपो का आयोजन तथा ग्रेटर नोयडा में इण्डिया एक्सपोजिशन मार्ट की स्थापना आदि। इसके अतिरिक्त निर्यात प्राप्तियों (प्रोसीड्ज) पर शुल्क वापिसी, ट्रिमिंग एवं सजावटी सामान का शुल्क मुक्त आयात, स्पेशल इकानामिक जोनस की स्थापना, दालास मार्ट (यूएसए) में 30 दुकानों और गोदामों (वेयरहाऊस) की स्थापना तथा विपणन विकास सहायता तथा विपणन एसेस इनसिएटिव्स स्कीम के अंतर्गत सहायता जैसे प्रोत्साहन भी निर्यातकों/निर्यात संवर्धन परिषदों को मुहैया कराए गए हैं।

[अनुवाद]

कताई/बुनाई क्षेत्र

2520. श्री काशीराम राणा: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को संगठित वस्त्र मिल उद्योग के कताई क्षेत्र में कम क्षमता उपयोग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कताई/बुनाई में क्षमता उपयोग को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) वर्तमान में वस्त्र उद्योग की कुल कितनी क्षमता का उपयोग किया जा रहा है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) वर्ष 2003-04 के दौरान संगठित वस्त्र मिल उद्योग में कताई क्षेत्र का क्षमता उपयोग 83% था।

(ग) वस्त्र उद्योग के कार्य निष्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए जिन विभिन्न कदमों से कताई/बुनाई क्षेत्र के क्षमता उपयोग में वृद्धि होती है उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

* वस्त्र और पटसन क्षेत्र के आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकीय उन्नयन को सुकर बनाने के लिए 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी यू एफ एस) शुरू की गई है। वित्त मंत्री ने वर्ष 2005-06 के अपने बजट भाषण में वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए इस योजना के वास्ते 435.00 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की है।

* विद्युतकरघा क्षेत्र के आधुनिकीकरण को सुकर बनाने के लिए उच्च तकनीकी बुनाई पार्कों, विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण, सामूहिक कार्यशाला योजना और 20% की दर पर ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी योजना जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। सरकार ने विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र के लिए 20% की दर पर पूजी सब्सिडी योजना के तहत मशीनों के लिए पूंजी की अधिकतम सीमा 13.1.2005 से 60.00 लाख रुपए से बढ़ाकर 100.00 लाख रुपए कर दी है।

* हमारे उत्पादों को कोटा पश्चात युग में अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के वास्ते अत्याधुनिक मशीनों के आयात को सुकर बनाने के लिए 2005-06 के बजट में वस्त्र मशीनों पर 23 मशीनों को छोड़कर सीमा शुल्क को घटाकर 10% कर दिया गया है। 387 मशीनों पर 5% का रियायती शुल्क 5% ही है।

(घ) 31.03.2004 की स्थिति के अनुसार सूती/मान-निर्मित फाइबर कताई एवं बुनाई क्षेत्रों की संस्थापित क्षमता तथा उनके उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

31.03.2004 की स्थिति के अनुसार सूती/मानव-निर्मित फाइबर कताई क्षेत्र की संस्थापित क्षमता और उत्पादन

मद	लघु उद्योग	गैर-लघु उद्योग	कुल
संस्थापित क्षमता			
तकुए (मिलियन सं.)	3.01	34.02	37.03
रोटर ('000 सं.)	99	383	482
स्पन यार्न का उत्पादन (मि. कि.ग्रा.)	237	2815	3052

31.03.2004 की स्थिति के अनुसार सूती/मानव-निर्मित फाइबर बुनाई क्षेत्र की संस्थापित क्षमता और उत्पादन

मद	मिल एवं बुनाई एकक	विद्युतकरघा	कुल
संस्थापित क्षमता करघे ('000 सं.)	105	1836	1941
फैब्रिक का उत्पादन (मि. वर्ग मी.)	1434	26947	28381

स्टॉक मार्केट में अवैध धन का आगमन

2521. श्री वीर सिंह महतो:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टॉक मार्केट में भारी मात्रा में अवैध धन आया है; और

(ख) यदि हां, तो मार्केट में विश्वास बढ़ाने के लिए मूल्य में कृत्रिम रूप से उतार-चढ़ाव करने से जुड़े स्टॉक मार्केट आपरेटरों, कार्पोरेटरों तथा फिल्म उद्योग के बीच की सांठ-गांठ की जांच करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि इसके पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रशुल्क सलाहकार समिति

2522. श्री अब्दुल्लाकुट्टी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.आर.डी.ए. की प्रशुल्क सलाहकार समिति ने कोलकोता की नेशनल इंश्योरेंस कंपनी पर आई.ओ.सी. की बडोदरा रिफाइनरी का बीमा करते हुए प्रशुल्क उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए 5.00 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को व्यवसाय छीनने के लिए सामान्य प्रीमियम तथा एन.आई.सी. द्वारा की गई कम वसूली के बीच के अंतर के बराबर जुर्माना देने को कहा गया है;

(घ) क्या एन.आई.सी. ने आई.ओ.सी. को जुर्माना बनाने के अंतर की राशि देने को कहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर आई.ओ.सी. की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) से (ग) प्रशुल्क सलाहकार समिति (टी ए सी) ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. (एन आई सी) को इंडियन आयल कारपोरेशन (आई ओ सी) से टैरिफ का उल्लंघन (बी ओ टी) के मामलों में लागू मानदंडों के अनुसार 5,32,20,419 रुपए का कम वसूलियत प्रीमियम का संग्रह करने का निदेश दिया है। इसके अतिरिक्त प्रशुल्क सलाहकार समिति ने सूचित किया है कि प्रीमियम संगृहीत न करने संबंधी किसी भी चूक के लिए चूक करने वाला बीमाकर्त्ता जिम्मेदार होगा और उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।

(घ) जी, हां।

(ङ) एन आई सी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आई ओ सी ने सूचित किया है कि वर्ष 2004-05 के लिए एन आई सी द्वारा प्रभारित प्रीमियम और वर्ष 2003-04 के लिए उसी जोखिम के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा प्रभारित प्रीमियम में केवल मामूली अन्तर है और यह टी ए सी द्वारा दर्शाई गई मात्रा में नहीं है।

[हिन्दी]

अन्य देशों के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित दोहरे कर से बचने संबंधी समझौता

2523. श्री रामदास आठवले: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ भारत ने दुगने कर से बचने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) क्या सरकार अन्य देशों के साथ ऐसे समझौते करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) महोदय, भारत ने 69 देशों के साथ दोहरे कराधान के परिहार संबंधी संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं। देशों के नाम संलग्न विवरण में दिये गए है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) 21 अन्य देशों के मामले में बात-चीत पहले ही शुरू की जा चुकी है।

विवरण

भारत द्वारा अन्य देशों के साथ किए गए दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करारों की सूची

(14 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	देशों के नाम
1	2
1.	अर्मेनिया
2.	आस्ट्रेलिया
3.	आस्ट्रिया
4.	बंगलादेश
5.	बेल्जियम
6.	बेलारूस
7.	ब्राजील
8.	बुल्गारिया
9.	कनाडा
10.	चीन
11.	साइप्रस
12.	चेक गणराज्य
13.	डेनमार्क
14.	फिनलैंड
15.	फ्रांस
16.	जर्मनी
17.	ग्रीस
18.	हंगरी
19.	इंडोनेशिया
20.	आयरलैंड
21.	इस्राइल
22.	इटली
23.	जापान
24.	जार्डन
25.	कजाकिस्तान
26.	केन्या
27.	किरगिज गणराज्य
28.	लीबिया
29.	मलेशिया
30.	माल्टा
31.	मारिशस
32.	मंगोलिया
33.	मोरक्को
34.	नामीबिया
35.	नेपाल
36.	नीदरलैंड
37.	न्यूजीलैंड
38.	नार्वे
39.	ओमान

1	2
40.	फिलिपीन्स
41.	पोलैंड
42.	पुर्तगाल
43.	कतर
44.	रोमानिया
45.	रूस
46.	सिंगापुर
47.	दक्षिण अफ्रीका
48.	दक्षिण कोरिया
49.	स्पेन
50.	श्रीलंका
51.	सूडान
52.	स्वीडन
53.	स्विस कान्फेडरेशन
54.	सीरिया
55.	तंजानिया
56.	थाइलैंड
57.	ट्रिनिदाद एंड टोबैगो
58.	टर्की
59.	तुर्कमेनिस्तान
60.	यूगांडा
61.	युक्रेन
62.	यू.ए.ई. संयुक्त अरब अमीरात
63.	यू.ए.आर. (मिश्र)
64.	यू.के.
65.	यू.एस.ए.
66.	उजबेकिस्तान
67.	विएतनाम
68.	जाम्बिया
69.	स्लोवेनिया

[अनुवाद]

नकदी तथा जेवर जब्त करना

2524. श्री निखिल कुमार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर विभाग ने देश के तम्बाकू उत्पादों के उत्पादनकर्त्ताओं से हाल ही में करोड़ों की नकदी तथा जेवर जब्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुटका उत्पादनकर्त्ता करों की चोरी में लिप्त हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा ऐसे गुटका उत्पादनकर्त्ताओं से करों की वसूली करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

निधियों का उपयोग न किया जाना

2525. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न विद्यमान विकास परियोजनाओं के विकास हेतु आवंटित निधियों का देश की राज्य सरकारों द्वारा विशेष रूप से कर्नाटक द्वारा उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों द्वारा संस्वीकृत परियोजनाओं, आवंटित धनराशि तथा उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार आबंटित निधियों का उपयोग न किए जाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा क्या मुख्य कारण बताये गए हैं;

(घ) निर्धारित अवधि में आबंटित धनराशि का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उपभोक्ता सेवा में सुधार

2526. श्री सुनिल कुमार महतो:
श्री कमला प्रसाद रावत:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निजी तथा विदेशी बैंकों की कड़ी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए राष्ट्रीयकृत बैंकों में उपभोक्ता सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितनी सफलता मिली है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने आम जनता एवं संस्थाओं को अपनी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के संबंध में परामर्श देने के लिए लोक सेवाओं संबंधी प्रक्रियाओं और कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा के संबंध में एक समिति (सीपीपीएपीएस) गठित की थी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी वाणिज्यिक बैंकों को उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली लोक सेवाओं के संबंध में प्रक्रियाओं और कार्यनिष्पादन की लेखापरीक्षा करने के लिए तदर्थ समितियां गठित करने का परामर्श दिया गया था।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को परामर्श दिया गया था कि वे बैंकिंग प्रणाली में कंपनी अभिशासन ढांचे को मजबूत बनाने और बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाने के लिए बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति गठित करें।

राष्ट्रीयकृत बैंकों ने शाखाओं के कंप्यूटरीकरण, एटीएम लगाने, केन्द्रीकृत लेनदेन व्यवस्था (सिंगल विंडो कांसेप्ट), समय मानदंड, किसी भी शाखा में बैंकिंग (एनी ब्रांच बैंकिंग) सुपुर्दगी माध्यमों (डिलीवरी चैनल) आदि जैसे बहुत से उपाय भी शुरू किए हैं, जिससे वे गैर-सरकारी/विदेशी बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे।

विद्युत आबंटन

2527. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वी भारत स्थित विद्युत संयंत्र में 247 मेगावाट तक विद्युत आपूर्ति में कटौती हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार इस आपूर्ति को पूर्ववत बनाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कब तक पूर्ववत होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (घ) केन्द्रीय क्षेत्र उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) में 15% क्षमता केन्द्र सरकार के निपटारे हेतु रखी जाती है जिसे सामान्यतया क्षेत्र के भीतर समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विद्युत कमियों और आकस्मिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वितरित किया जाता है।

चूंकि पूर्वी क्षेत्र में विद्युत का आधिक्य है और चूंकि पूर्वी क्षेत्र के घटकों को संपूर्ण क्षमता के लिए निर्धारित मूल्य देना पड़ता था, इसलिए पूर्वी क्षेत्र में सीजीएस की अनाबंटित विद्युत के साथ-साथ पूर्वी क्षेत्र घटकों द्वारा छोड़े गए हिस्से को भी वर्ष दर वर्ष आधार पर पूर्वी क्षेत्र से बाहर आबंटित किया गया है। बाद में, पूर्वी क्षेत्र घटक बढ़ती हुई मांग और पूर्वी क्षेत्र के कतिपय राज्यों में प्रचलित विद्युत कमियों को ध्यान में रखते हुए छोड़े गए हिस्सों के पुनर्स्थापन पर बल दे रहे हैं। छोड़े गए हिस्से 1 अक्टूबर, 2004 से आंशिक तौर पर प्रतिस्थापित कर दिए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र के बाहर के राज्यों के आबंटन हेतु पूर्वी क्षेत्र में एनटीपीसी स्टेशनों में 1069 मे.वा. से 748 मे.वा. तक अनाबंटित विद्युत की उपलब्धता में कमी हुई।

[अनुवाद]

सी.बी.आई. आर्थिक आसूचना स्कंध

2528 श्री वी.के. दुग्मर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.बी.आई. ने देश में आर्थिक अपराधों के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए आर्थिक आसूचना स्कंध की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सदस्य कौन-कौन हैं तथा इसकी शक्तियां और कार्य क्या हैं; और

(ग) इससे आर्थिक अपराधियों को रोकने में कितनी सहायता मिली है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मुम्बई परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक की सहायता

2529. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरी कार्य मंत्रालय ने मुंबई जल मल व्ययन परियोजना चरण-II तथा मुंबई मलिन बस्ती सफाई कार्यक्रम चरण-II हेतु विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव को मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक मंजूर किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) शहरी विकास मंत्रालय ने मुम्बई मल-जल व्ययन परियोजना चरण-II के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने हेतु महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव की सिफारिश की है। तथापि, मुम्बई मलिन बस्ती सफाई कार्यक्रम के लिए उक्त मंत्रालय ने किसी प्रस्ताव की सिफारिश नहीं की है।

(ख) से (घ) राज्य सरकार को दिनांक 1 मार्च, 2005 को यह सुझाव दिया गया है कि चूंकि इस समय राज्य के पास अतिरिक्त ऋण-क्षमता प्रतीत नहीं होती है, इसलिए यह उपयुक्त होगा कि मुम्बई शहर के लिए प्रस्तावित व्यापक बहु-क्षेत्रक योजना की रूपरेखा में मुम्बई मल-जल व्ययन परियोजना-II और मलिन बस्ती सफाई कार्यों को शामिल कर लिया जाए।

प्राथमिक क्षेत्र हेतु नाबार्ड से सहायता

2530. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्राथमिक क्षेत्र में ऋण देने वाले विभिन्न सरकारी क्षेत्र के बैंकों को नाबार्ड द्वारा किस प्रकार की सहायता दी जा रही है;

(ख) क्या नाबार्ड ने गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान के प्राथमिक क्षेत्र में ऋण देने हेतु इस प्रकार की कोई सहायता उपलब्ध कराई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान राजस्थान हेतु नाबार्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्य क्या है और इस वर्ष की उपलब्धियां क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) नाबार्ड अधिनियम की धारा 25 के तहत नाबार्ड द्वारा सभी बैंकों अर्थात् वाणिज्य बैंकों (सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), राज्य सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एससीएआरडीबी) एवं अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को उनके द्वारा कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलापों, छोटे उद्योग, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग एवं प्राथमिकता क्षेत्र उधार के अंतर्गत कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबद्ध अन्य आर्थिक क्रियाकलाप के लिए दिए गए सावधि ऋणों के बदले पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है।

(ख) और (ग) जी, हां। नाबार्ड ने वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2003-04 के दौरान राजस्थान राज्य को क्रमश: 405.37 करोड़ रुपए, 330.36 करोड़ रुपए एवं 361.71 करोड़ रुपए का पुनर्वित्त प्रदान किया है।

(घ) निवेश ऋण हेतु वर्ष 2004-05 के लिए निर्धारित 370.00 करोड़ रुपए के पुनर्वित्त लक्ष्य की तुलना में 28 फरवरी 2005 तक राजस्थान राज्य को 415.62 करोड़ रुपए की राशि पहले ही दी जा चुकी है। यद्यपि 2004-05 में अल्पावधि ऋण के पुनर्वित्त के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है फिर भी, 28 फरवरी, 2005 तक वास्तविक संवितरण 717.36 करोड़ रुपए है।

गैर-वन बंजर भूमि का विकास

2531. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निवेश संवर्धन योजना आरंभ की है जिसके अंतर्गत गैर-न्यासी बंजर भूमि के विकास कार्य में निगमित निकायों को सम्मिलित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के माध्यम से राज्य-वार विकसित गैर-वन बंजर भूमि का क्षेत्र कितना है; और

(घ) उक्त अवधि में राज्य-वार आबंटन की तुलना में किये गए निवेश का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) निवेश संवर्धन योजना केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना थी, जिसे बंजर भूमि के विकास में निगमित क्षेत्र, वित्तीय संस्थाओं तथा निजी भू-स्वामियों को शामिल करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 1994-95 में शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय प्रोत्साहन आर्थिक सहायता, 25 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन परियोजना लागत के 25% तक उपलब्ध थी। तथापि, इसके प्रचालन के 8 वर्षों में (वर्ष 2002-03 तक) यह योजना इसके अतंर्गत प्राप्त हुए प्रस्तावों के रूप में अपेक्षित उद्देश्य को पूरा करने में सफल नहीं हो सकी। इस अवधि के दौरान निगमित क्षेत्र से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए थे। अत: इस योजना को वर्ष 2003-04 से बंद कर दिया गया था।

(ख) से (घ) इस योजना के अंतर्गत 1435 हैक्टेयर क्षेत्र को विकसित करने हेतु निजी भू-स्वामियों द्वारा प्रायोजित कुल 41 परियोजनाएं 16.88 करोड़ रुपये की कुल लागत पर स्वीकृत की गई थी। जिसमें 1.09 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता संघटक शामिल था। वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक की अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत आबंटित निधियां प्रतिवर्ष 10.00 लाख रुपये थीं। इन निधियों का आर्थिक सहायता संघटक के अंतर्गत, चल रही परियोजनाओं की सहायता करने में पूर्णत: उपयोग किया गया था।

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ स्थित सहकारी बैंक

2532. श्री अजीत जोगी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ स्थित जिला सहकारी बैंकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा अर्जित लाभ/हानि का बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इन बैंकों के कार्यकरण में अनियमितताओं की जानकारी प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर बैंक-वार क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) छत्तीसगढ़ में छ: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी) हैं जो इस प्रकार हैं-अम्बिकापुर डीसीसीबी, जगदलपुर डीसीसीबी, रायपुर डीसीसीबी, राजनांदगांव डीसीसीबी, बिलासपुर डीसीसीबी तथा दुर्ग डीसीसीबी।

(ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा अर्जित लाभ/हानि का बैंक-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(लाख रुपए में)

बैंक का नाम	वर्ष के दौरान (+)/हानि(-)		
	2001-02	2002-03	2003-04
अम्बिकापुर डीसीसीबी	(-)316.66	(-)401.27	उ.न.*
जगदलपुर डीसीसीबी	(-)207.17	(-)911.77	(+)76.75
रायपुर डीसीसीबी	(+)7.81	(-)556.27	उ.न.*
राजनांदगांव डीसीसीबी	(+)2.70	(-)1025.93	(+)70.05
बिलासपुर डीसीसीबी	(-)2460.79	(-)1293.49	उ.न.*
दुर्ग डीसीसीबी	(+)211.72	(-)133.99	उ.न.*

(ग) और (घ) निरीक्षण के दौरान पाई गई मुख्य अनियमितताएं निम्नानुसार हैं:

(1) अनुपयोज्य आस्तियों का अत्यधिक उच्च प्रतिशत;

(2) अधिक संचित हानियां;

(3) बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू है) की धारा 11(1) के अंतर्गत तथा परिकल्पित न्यूनतम पूंजी अपेक्षा की अनुपालना।

(4) असंतोषजनक आंतरिक जांच एवं नियंत्रण प्रणालियां।

(ङ) आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रत्येक मामले में निरीक्षण के निष्कर्षों से राज्य के सहकारी समिति के रजिस्ट्रार को अवगत करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कमजोर बैंकों की नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ में अपने क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से निगरानी की जाती है।

खनिज खानों को पट्टे पर देना

2533. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के वे राज्य कौन से हैं जहां खनिज खानों को सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को पट्टे पर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) झारखंड सहित देश में खनन गतिविधियों को आरंभ करने के लिए विस्थापित किए गए परिवारों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने विस्थापित परिवारों को खनन क्षेत्र में नौकरी देने के लिए कोई नीति तैयार की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को दिए गए खनन पट्टों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

क्र.सं.	राज्य	सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां	
		खनन पट्टों की संख्या	पट्टा क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	44	8802.21
2.	असम	4	375.03
3.	बिहार	4	2028.13
4.	छत्तीसगढ़	25	14337.55
5.	दिल्ली	1	184.68
6.	गुजरात	18	6606.72
7.	हरियाणा	17	2645.88
8.	हिमाचल प्रदेश	5	547.76
9.	जम्मू और कश्मीर	5	277.54
10.	झारखंड	40	23131.90
11.	कर्नाटक	89	28150.02
12.	केरल	5	577.26
13.	मध्य प्रदेश	39	6310.20
14.	महाराष्ट्र	46	2176.18
15.	मेघालय	9	2723.18
16.	उड़ीसा	72	42263.84
17.	राजस्थान	106	47363.84
18.	सिक्किम	3	84.67
19.	तमिलनाडु	80	32213.32
20.	उत्तर प्रदेश	9	4387.93
21.	उत्तरांचल	5	811.25
22.	पश्चिम बंगाल	6	1534.87

(ग) खान मंत्रालय द्वारा, खनन कार्यकलाप आरंभ करने के लिए हटाये गये परिवारों के बारे में डाटा केन्द्रीय तौर पर नहीं रखे जाते हैं।

(घ) से (छ) राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 (एन.एम.पी.) में बताया है कि खनन प्रचालनों में कभी-कभार कमजोर वर्गों के लोगों सहित अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा धारित भूमि का अधिग्रहण करना शामिल है। एन.एम.पी. के आगे यह भी बताया है कि हालांकि भू-स्वामी को उसकी भूमि का अधिग्रहण के लिए आमतौर से मुआवजे का भुगतान किया जाता है, प्रभावित व्यक्तियों, विशेषकर कमजोर वर्गों के लोगों का, जिनके ऐसे अधिग्रहण के फलस्वरूप जीवनयापन के साधनों से वंचित होने की संभावना हो, उपर्युक्त पुनर्वास सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएं।

एचडीएफसी की शाखाएं

2534. **श्री मुनव्वर हसन:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार एचडीएफसी बैंक की शाखाओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या एचडीएफसी बैंक ने गत तीन वर्षों के दौरान नई शाखाएं खोली हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार 2005-06 के दौरान एचडीएफसी बैंक की नई शाखाएं खोलने का है;

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ये शाखाएं कब तक खोले जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों को डीएफआईडी सहायता

2535. **श्री बापू हरी चौरे:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यों को विशेषत: महाराष्ट्र को उपलब्ध कराई गई सहायता का उद्देश्य क्या है; और

(घ) इससे क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान दी गई वित्तीय सहायता से संबंधित राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता सामान्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, गरीबी उन्मूलन और सार्वजनिक क्षेत्र में सुधारों के क्षेत्रों हेतु है। परियोजनाओं के निष्पादन की समीक्षा परियोजनाओं में से प्रत्येक की वास्तविक उपलब्धियों की तुलना में निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में नियमित आधार पर की जाती है। तथापि, चल रही परियोजनाओं की समग्र उपलब्धि परियोजनाएं पूरी हो जाने पर ही मालूम हो पाएगी। विगत तीन वर्षों में महाराष्ट्र में किसी भी राज्य क्षेत्र की परियोजना के लिए डीएफआईडी सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

राज्यों को डीएफआईडी सहायता

विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में भारत में डीएफआईडी की राज्य क्षेत्र परियोजनाओं के लिए विकास सहायता के तहत वचनबद्धता तथा संवितरित राशि:

(मिलियन पौंड स्टर्लिंग में)

राज्य का नाम	निम्नलिखित के दौरान वचनबद्धता			निम्नलिखित के दौरान संवितरण		
	2001-02	2002-03	2003-04	2001-02	2002-03	2003-04
आंध्र प्रदेश	65.00	0.00	0.00	65.77	13.544	13.19
मध्य प्रदेश	0.00	0.00	28.33	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	34.7	30.00	0.00	1.403	46.319	0.00
पश्चिम बंगाल	21.2	2.5	112.47	0.00	0.00	10.076
हिमाचल प्रदेश	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.064
कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.849	1.058

[अनुवाद]

तीव्र गति से विकास कर रहे दस राज्य

2536. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 1990-91, 2000-01 और 2003-04 के दौरान तीव्र गति से विकास करने वाले दस राज्य कौन से हैं; और

(ख) इन वर्षों के दौरान निम्नतम वृद्धि वाली श्रेणी में आने वाले राज्य कौन से हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के वर्ष 1990-91, 2000-01 एवं 2003-04 के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, चालू कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की वृद्धि इस प्रकार है-

चालू कीमतों पर जीएसडीपी

(विगत वर्ष में प्रतिशतता परिवर्तन)

(वर्ष 2000-01 में घटते हुए क्रम में वृद्धि दरें)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1990-1991	2000-2001	2003-2004
1	2	3	4	5
1.	नागालैण्ड	20.2	44.4	उ.न.
2.	मिजोरम	9.3	25.6	उ.न.
3.	पांडिचेरी	11.5	21.2	5.4
4.	दिल्ली	15.0	18.2	उ.न.
5.	सिक्किम	14.7	16.2	8.6
6.	त्रिपुरा	10.1	16.0	उ.न.
7.	बिहार	16.9	14.5	5.6
8.	उत्तरांचल	उ.न.	14.1	उ.न.
9.	मेघालय	17.0	13.3	उ.न.
10.	हरियाणा	22.3	12.4	12.8
11.	आंध्र प्रदेश	17.9	11.9	11.4
12.	केरल	15.4	11.6	11.5
13.	तमिलनाडु	15.5	11.6	10.3
14.	गोवा	11.4	11.2	उ.न.
15.	हिमाचल प्रदेश	15.6	10.4	उ.न.
16.	पश्चिम बंगाल	13.6	10.3	उ.न.
17.	कर्नाटक	15.3	10.0	उ.न.
18.	अरुणाचल प्रदेश	23.3	9.3	उ.न.
19.	पंजाब	11.2	8.0	8.8
20.	चंडीगढ़	उ.न.	8.0	16.5
21.	असम	16.9	7.6	9.8
22.	जम्मू एवं कश्मीर	9.5	5.7	उ.न.
23.	उत्तर प्रदेश	18.3	5.0	उ.न.
24.	मणिपुर	14.0	4.4	10.4
25.	राजस्थान	31.1	0.9	17.3
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	12.4	0.9	उ.न.
27.	उड़ीसा	-1.1	0.3	15.4
28.	गुजरात	13.0	-0.4	18.6
29.	महाराष्ट्र	15.7	-1.9	12.0
30.	छत्तीसगढ़	उ.न.	-3.0	उ.न.
31.	मध्य प्रदेश	24.4	-5.4	22.4
32.	झारखण्ड	उ.न.	-7.6	उ.न.

उ.न. : उपलब्ध नहीं

राष्ट्र स्तरीय वृद्धि कोष की स्थापना

2537. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री वाडिगा रामकृष्णा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) का विचार राष्ट्र स्तरीय वृद्धि कोष की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कोष द्वारा वित्त पोषित की जाने वाली परियोजनाएं क्षेत्र कौन से हैं;

(घ) पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तिथि तक सिडबी द्वारा निर्धारित लक्ष्य क्या हैं और उक्त अवधि के दौरान दर्ज की गई उपलब्धियां क्या हैं; और

(ङ) उक्त कोष को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् सिडबी द्वारा धनराशि में कितनी वृद्धि प्रस्तावित है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने 100 करोड़ रु. के प्रारम्भिक कार्पस से एसएमई विकास निधि (एसजीएफ) के रूप में ज्ञात एक राष्ट्रीय स्तर की उद्यम पूंजी स्थापित की है जिसे बाद में बढ़ाकर 500 करोड़ रु. किया जाएगा। एसजीएफ का प्रबंधन सिडबी उद्यम पूंजी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

(ग) एसजीएफ एक सामान्य निधि है तथा यह विकास क्षेत्र तथा जीवन विज्ञान, खुदरा व्यापार, हल्की इंजीनियरी, खाद्य संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी आदि में कार्य कर रही इकाईयों में निवेश करेगी।

(घ) औपचारिक रूप से एसजीएफ का प्रारम्भ अक्तूबर, 2004 में किया गया था। इसने दो कंपनियों में निवेश को मंजूरी दी है तथा आशा की जाती है कि यह आगामी महीनों के दौरान जोर पकड़ेगी। संभावना है कि निधि कार्पस अगले 4-5 वर्षों में पूर्णत: सुपुर्द की जाएगी।

(ङ) एसजीएफ को अंतिम रूप देने के पश्चात् निधि को बढ़ाकर 500 करोड़ रु. किए जाने का प्रस्ताव है।

औषधियों के अधिकतम खुदरा मूल्य पर उत्पाद शुल्क

2538. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने औषधियों/दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य में 35 प्रतिशत की कमी करके उन पर उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा की है;

(ख) क्या सरकार ने अधिकांशत: लघु/मझौले क्षेत्र में स्थित भेषज कंपनियों के उत्पादनोत्तर खर्चों को प्रक्रिया में लेते हुए इसे कायक माना है; और

(ग) क्या अधिकतम खुदरा मूल्य पर उत्पाद शुल्क से उत्पाद पर अंतरण मूल्य के परिवर्तन से औषध मूल्य नियंत्रण विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित फैक्ट्रियों/भण्डारों में पड़े भण्डार पर संशोधित मूल्यों की पुनर्पैकेजिंग/पुनर्मार्किंग करनी पड़ेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) सरकार ने 8.1.05 से खुदरा मूल्य में 35% की कमी करके उत्पाद शुल्क का खुदरा मूल्य आधारित निर्धारण अधिसूचित किया है। तदनन्तर भेषज उद्योग जगत से प्राप्त प्रतिवेदनों और रसायन एवं पेट्रोकेमिकल विभाग की सिफारिशों के मद्देनजर 23.2.2005 से कमी के स्तर को 35% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है।

(ख) सरकार ने सभी सारभूत तथ्यों का ध्यान रखा है।

(ग) जब तक घोषित किया गया खुदरा मूल्य अपरिवर्तित रहता है, तब तक निर्धारणीय मूल्य के निर्धारण के तरीके में परिवर्तन के कारण ऐसी किसी गतिविधि की जरूरत नहीं पड़ेगी।

अर्थव्यवस्था पर सुनामी का प्रभाव

2539. श्री डी. विट्ठल राव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 26 दिसम्बर, 2004 को आई घातक सुनामी ने आउटपुट या मूल्यों को प्रभावित करने के संबंध में अर्थव्यवस्था को न्यून क्षति पहुंचाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अर्थव्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) आंध्र प्रदेश, केरल, पांडिचेरी और तमिलनाडु में सुनामी की वजह से कुल 11,934.74 करोड़ रुपये की क्षति होने का अनुमान लगाया गया है। हाल ही की संयुक्त आकलन मिशन रिपोर्ट (विश्व बैंक, एशिया विकास बैंक और संयुक्त राष्ट्र संघ) में यह देखा गया है कि सुनामी का प्रभाव भारत या उससे प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर सकल घरेलू उत्पाद पर नहीं पड़ा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सकल घरेलू उत्पाद अप्रभावित रहे क्योंकि समुद्रतट के निकट आर्थिक गतिविधि का राज्यों की आय में बहुत कम योगदान होता है। सुनामी-पश्चात अवधि में थोक मूल्य सूचकांक के संबंध में, वार्षिक बिन्दु-दर-बिन्दु मुद्रास्फीति ने सामान्यत: प्राथमिक वस्तुओं और विनिर्मित उत्पादों और समग्र मुद्रास्फीति के लिए अधोमुखी प्रवृत्ति दर्शाई है। देश में सामान्य मुद्रास्फीति पर सुनामी का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।

तमिलनाडु में फास्ट ट्रैक कोर्ट

2540. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में कार्यरत फास्ट ट्रैक कोर्टों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में और अधिक फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) तमिलनाडु में वर्ष 2004 के दौरान उच्च न्यायालयों और अन्य न्यायालयों में लंबित कितने मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्टों में स्थानान्तरित किया गया और इन कोर्टों द्वारा कितने मामलों का निपटारा किया गया?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) तमिलनाडु में 49 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) तमिलनाडु में वर्ष 2004 के दौरान, अक्तूबर, 2004 तक 45,157 मामलों को त्वरित निपटान न्यायालयों को स्थानांतरित किया गया है। इन न्यायालयों ने वर्ष 2004 के दौरान (अक्तूबर, 2004 तक) 45,643 मामलों का निपटारा कर दिया है जिनमें पूर्वतर वर्षों में स्थानांतरित मामले भी हैं।

[हिन्दी]

भूटान की तला विद्युत परियोजना

2541. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
मो. ताहिर:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार और भूटान के संयुक्त उद्यम वाली ताला विद्युत परियोजना का कार्य निर्धारित समय में पूर्ण कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना से भारत को कुल कितने प्रतिशत विद्युत प्राप्त होने की संभावना है;

(ग) उक्त परियोजना से विद्युत उत्पादन कब तक आरम्भ होने की संभावना है; और

(घ) इससे देश के किन राज्यों को लाभ होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) 1020 मेगावाट ताला विद्युत परियोजना पर कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

(ख) भारत सरकार और भूटान सरकार के बीच हस्ताक्षरित किए जाने वाले करार के अनुसार परियोजना से अतिरिक्त विद्युत अर्थात् वह विद्युत जो भूटान की आवश्यकता से अधिक है, भारत द्वारा आपस में सहमत की गई दरों पर खरीदी जाएगी।

(ग) नियमित आधार पर विद्युत उत्पादन मार्च, 2006 तक परियोजना के चालू होने पर शुरू होने की संभावना है।

(घ) ताला जल विद्युत परियोजना से विद्युत को पश्चिम बंगाल (50%) बिहार और झारखंड (32.5%), सिक्किम (2.5%) और दामोदर घाटी निगम (15%) को आबंटन हेतु उद्दिष्ट किया गया है।

[अनुवाद]

आयकर का लाभ उठाने के मामले में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले

2542. श्री श्रीपाद येसो नाईक: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्त मंत्रालय द्वारा प्रत्येक राज्य में आयकर लाभ उठाने के उद्देश्य से पहचान किये गए औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले (श्रेणी 'ए' और 'बी') कौन से हैं;

(ख) उन्हें क्या लाभ दिए जा रहे हैं;

(ग) क्या ऐसे लाभों का औद्योगिक वृद्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) श्रेणी-क और श्रेणी-ख के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) आयकर अधिनियम के मौजूदा उपबंधों के अंतर्गत औद्योगिक उपक्रम जो श्रेणी-क के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में 1.10.1994 को अथवा उसके उपरान्त किन्तु 1.4.2004 से पूर्व वस्तुओं अथवा पदार्थों का उत्पादन अथवा विनिर्माण अथवा शीत

भंडार संयंत्र का प्रचालन प्रारंभ करते हैं, पांच वर्षों की अवधि के लिए लाभों की 100% कटौती के पात्र हैं। औद्योगिक उपक्रम जो श्रेणी-ख औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में 1.10.1994 को अथवा उसके उपरान्त किन्तु 1.4.2004 से पूर्व वस्तुओं अथवा पदार्थों का उत्पादन अथवा विनिर्माण अथवा शीत भंडार संयंत्र का प्रचालन आरंभ करते हैं, तीन वर्षों की अवधि के लिए लाभों की 100% की कटौती के पात्र हैं। दोनों श्रेणियों के जिलों में औद्योगिक उपक्रम पांच वर्षों की अवधि के लिए लाभों की 25% की अतिरिक्त कटौती (कंपनियों के मामले में 30%) के पात्र हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

प्रत्येक राज्य में राज्यवार श्रेणी-क तथा श्रेणी-ख के पिछड़े जिलों की सूची

श्रेणी-क	श्रेणी-ख
1	2
आंध्र प्रदेश	
शून्य	श्रीकाकुलम
	महबूब नगर
बिहार	
अररिया	कटिहार
माधेपुरा	भागलपुर
खगड़िया	गोपालगंज
किशनगंज	दरभंगा
मधुबनी	पश्चिम चम्पारन
जहानाबाद	सारन
सहरसा	भोजपुर
नवादा	समस्तीपुर
सीतामढ़ी	नालन्दा
औरंगाबाद	गया
पूर्वी चम्पारन	मुजफ्फरपुर
पुर्णिया	रोहतास
सिवान	
वैशाली	
झारखंड	
गोड्डा	देवघर
गुमला	
दुमका	
पलामू	
साहेबगंज	
लोहारदगा	
गुजरात	
द डांग्स	बनासकांठा
	साबरकांठा
कर्नाटक	
शून्य	बीदर
केरल	
वयनाड	शून्य
इदुक्की	
मध्य प्रदेश	
मांडला	सिवनी
पन्ना	टीकमगढ़
छत्तरपुर	शिवपुरी
	बालाघाट
	झाबुआ
	सीधी
	विदिशा
	मोरैना
	बैतूल

1	2
	राजगढ़
	सागर
छत्तीसगढ़	
बस्तर	रायगढ़
सरगुजा	राजनन्दगांव
महाराष्ट्र	
गडचिरोली	बीड़
उड़ीसा	
फूलबनी	बोलनगीर
कालाहांडी	मयूरभंज
	बालासौर
	गंजाम
राजस्थान	
जालौर	डुंगरपुर
बाड़मेर	धौलपुर
जैसलमेर	सवाई माधोपुर
चुरू	नागपुर
बांसवाड़ा	टोंक
	नागपुर
	झालावाड़
	सीकर
उत्तर प्रदेश	
सिद्धार्थनगर	हरदोई
बहराइच	ललितपुर
प्रतापगढ़	हमीरपुर
महाराजगंज	बदायूं
बांदा	फतेहपुर
बस्ती	आजमगढ़
	एटा
	बाराबंकी

1	2
	इटावा
	देवरिया
	गाजीपुर
	बलिया
	जौनपुर
	सीतापुर
	जालौन
	उन्नाव
	फैजाबाद
	कानपुर देहात
	मैनपुरी
	गौंडा
	फरूखाबाद
	सुलतानपुर
	मिर्जापुर
	मऊ
उत्तरांचल	
चमोली (और रूद्र प्रयाग)	
उत्तरकाशी	
अल्मोड़ा (और बागेश्वर)	
पिथौरागढ़ (चम्पावत)	
टिहरी गढ़वाल	
पश्चिम बंगाल	
मालदा	पुरूलिया
पश्चिम दीनाजपुर (उत्तर दीनाजपुर और दक्षिण दीनाजपुर में विभाजित)	बीरभूम
मुर्शिदाबाद	मिदनापुर
कूच बिहार	
बांकुरा	
जलपाईगुड़ी	

एन.सी.ई.एस. परियोजनाओं को मंजूरी

2543. श्री अशोक कुमार रावत: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के समक्ष उत्तर प्रदेश के कुछ अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत संबंधी प्रस्ताव मंजूरी हेतु लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/की जानी है; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (घ) उत्तर प्रदेश की अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं से संबंधित प्रस्ताव, जो इस मंत्रालय को प्राप्त हुए हैं, के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। स्पष्टीकरणों/संशोधित प्रस्तावों के प्राप्त होने पर प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा और तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, संबंधित योजनाओं में निहित प्रावधानों के अनुसार निबंधन एवं शर्तों को पूरा करने तथा निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए शीघ्र ही मंजूरी दी जाएगी।

विवरण

उत्तर प्रदेश में अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत लंबित परियोजना प्रस्तावों के विवरण

क्र.सं.	परियोजना प्रस्ताव के विवरण
I.	**सौर प्रकाशवोल्टीय**
1.	नेडा, लखनऊ से वर्ष 2004-05 के दौरान 20,000 सौर घरेलू रोशनी प्रणालियों, 1000 सड़क रोशनी प्रणालियों, 2000 जल पम्पन प्रणालियों और 300 सौर जेनरेटरों की संस्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए।
II.	**ऊर्जा पार्क**
2.	नेडा, लखनऊ से मथुरा, बिजनौर, महाराजगंज और बलिया (प्रत्येक जिले में एक) जिले में जिला स्तरीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना के लिए 4 प्रस्ताव।

निर्धन और बेरोजगारों को ऋण

2544. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से निर्धनों, बेरोजगार युवकों, श्रमिकों, वंचितों, लघु और सीमांत कृषकों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को ऋण देने संबंधी नीति की समीक्षा और इसे सरलीकृत करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के समक्ष ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदनों की संख्या बैंक-वार कितनी है;

(घ) इनके लंबित रहने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) इन आवेदनों को शीघ्र मंजूरी देने के लिए इन बैंकों ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) और (ख) गरीबों एवं कमजोर वर्गों हेतु योजनाओं से संबधित मार्गनिर्देशों/नीतियों की समीक्षा एवं उनका सरलीकरण एक सतत प्रक्रिया है। गरीबों, बेरोजगार युवकों एवं समाज के कमजोर वर्गों के लिए ऋण का वर्गीकरण प्राथमिकता क्षेत्र उधार के अंतर्गत किया जाता है। सरकार प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के लिए भारत सरकार नीतियां तैयार करती है। इन नीतियों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए बैंकों को मार्गनिर्देश/दिशानिर्देश जारी करता है।

(ग) वर्ष 2004-05 (31.12.2004 की स्थिति के अनुसार) के दौरान स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) एवं स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत बैंक-वार लंबित पड़े आवेदनों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं तथा राष्ट्रीय स्कैवेंजर मुक्ति एवं पुनर्वास योजना (एनएसएलआरएस) के तहत लंबित आवेदनों के बैंक-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये गए हैं।

(घ) इन योजनाओं के अंतर्गत आवेदनों के लंबित होने के कारण बैंकों द्वारा आवेदनों के निपटान में धीमी प्रगति, कारोबार के लिए बिजली, परिसर आदि जैसी उपयुक्त आधारभूत सुविधा का अभाव, बैंक औपचारिकताओं को पूरा न करना, ऋण सुविधा का लाभ लेने के लिए उधारकर्ताओं की अनिच्छा, उधारकर्ताओं को सब्सिडी से जुड़े अन्य कार्यक्रमों के तहत पहले से ही सहायता प्राप्त होना, इत्यादि थे।

(ङ) लंबित आवेदनों के तत्काल निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए निम्नांकित कदम उठाये गए हैं:

(1) बैंकों द्वारा जिला उद्योग केन्द्रों (डीआईसी) से आवेदन प्राप्त करने तथा तत्पश्चात् बैंकों द्वारा ऋण की संस्वीकृति एवं संवितरण के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है।

(2) बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे 25,000/- तक के ऋण आवेदनों को 2 हफ्ते के भीतर तथा 2 लाख रु. तक के ऋण आवेदनों को 4 हफ्ते के भीतर निपटायें बशर्ते कि ऋण आवेदन सभी दृष्टि से पूर्ण हों।

(3) बैंकों से कहा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर 15 दिनों के भीतर "अदेयता प्रमाण-पत्र" जारी करें अन्यथा इसे जारी हुआ मान लिया जाता है।

(4) लंबित आवेदनों की तत्काल मंजूरी को सुनिश्चित करने के लिए ब्लाक स्तरीय बैंकर्स समिति (बीएलबीसी) की बैठकों में बैंक शाखाओं के साथ संबंधित नोडल विभागों द्वारा विचार-विमर्श किये जाते हैं।

(5) इन योजनाओं की प्रगति की निगरानी करने के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर नियमित समीक्षा बैठक की जाती है।

विवरण I

31.12.2004 की स्थिति के अनुसार एसजीएसवाई और एसजीएसआरवाई योजना के अंतर्गत लंबित आवेदनों का बैंक-वार ब्यौरा

क्र.सं.	बैंक का नाम	लंबित आवेदनों की सं. (एसजीएसवाई योजना के अंतर्गत)	लंबित आवेदनों की सं. (एसजीएसआरवाई योजना के अंतर्गत)
1	2	3	4
	सरकारी क्षेत्र के बैंक		
1.	भारतीय स्टेट बैंक	7380	4056
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	2275	1735
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	231	0
4.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	158	0
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	0	290
6.	स्टेटबैंक आफ पटियाला	134	261
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	613	98
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	364	20
9.	इलाहाबाद बैंक	410	286
10.	आंध्रा बैंक	169	2857
11.	बैंक आफ बड़ौदा	2996	1455
12.	बैंक आफ इंडिया	20267	570
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	30	18
14.	केनरा बैंक	580	0

1	2	3	4
15.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	1254	1700
16.	कारपोरेशन बैंक	58	34
17.	देना बैंक	1075	662
18.	इंडियन बैंक	318	573
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	471	260
20.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	80	287
21.	पंजाब नैशनल बैंक	3360	1368
22.	पंजाब एंड सिंध बैंक	192	134
23.	सिंडिकेट बैंक	523	321
24.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	225	274
25.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	119	329
26.	यूको बैंक	1118	0
27.	विजया बैंक	107	123
	कुल	44507	17732
	गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक		
28.	आईसीआईसीआई बैंक लि.	1	7
29.	बैंक आफ राजस्थान लि.	908	311
30.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	11	0
31.	बनारस स्टेट बैंक लि.	0	0
32.	कैथोलिक सिरीयन बैंक लि.	12	0
33.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	45	31
34.	फेडरल बैंक लि.	177	37
35.	जे. एंड के. बैंक लि.	1603	709
36.	कर्नाटक बैंक लि.	16	24
37.	करूर वैश्य बैंक लि.	6	10
38.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	12	33
39.	नेडुंगडी बैंक लि.	0	0

1	2	3	4
40.	रत्नाकर	12	1
41.	सांगली बैंक लि.	54	93
42.	साउथ इंडियन बैंक लि.	0	0
43.	तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि.	15	16
44.	युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	42	0
45.	वैश्य बैंक लि.	13	0
46.	नैनिताल बैंक लि.	0	0
47.	सिटी यूनियन बैंक लि.	0	0
48.	लार्ड कृष्णा बैंक लि.	14	7
	गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कुल	2941	1269
	सभी बैंकों का जोड़	47448	18990

विवरण II

31.12.2004 की स्थिति के अनुसार एनएसएलआरएस योजना के अंतर्गत लंबित आवेदनों का बैंक-वार ब्यौरा

क्र.सं.	बैंक का नाम	लंबित आवेदनों की सं.
1	2	3
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	
1.	भारतीय स्टेट बैंक	148
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	247
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	0
4.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	50
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	0
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	35
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	57
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	0
9.	इलाहाबाद बैंक	46
10.	आंध्रा बैंक	19
11.	बैंक आफ बड़ौदा	320
12.	बैंक आफ इंडिया	257
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	16
14.	केनरा बैंक	65
15.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	108
16.	कारपोरेशन बैंक	3
17.	देना बैंक	100
18.	इंडियन बैंक	24
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	33
20.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	32
21.	पंजाब नैशनल बैंक	53
22.	पंजाब एंड सिंध बैंक	31

1	2	3
23.	सिंडिकेट बैंक	52
24.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	206
25.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	35
26.	यूको बैंक	53
27.	विजया बैंक	40
	सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कुल	2030

एन.टी.पी.सी. की विद्युत परियोजनाएं

2545. श्री विजय कृष्ण:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार एन.टी.पी.सी. के विदेशों में विद्यमान उद्यम कौन-कौन से हैं;

(ख) इनमें कितना निवेश किया गया है तथा उनकी प्रचालन की तारीख से आज तक, उनसे कितना लाभ अर्जित किया गया;

(ग) क्या एन.टी.पी.सी. की लेबनान में भूमि अधिग्रहित करने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) आज की तारीख में एन.टी.पी.सी. का विदेश में कोई भी उद्यम नहीं है। यद्यपि, एन.टी.पी.सी. भारत के बाहर, निम्नलिखित क्षेत्रों में सेवाओं के लिए व्यावसायिक अवसर तलाश रही है।

(1) विद्युत स्टेशनों का प्रचालन और अनुरक्षण (ओ एंड एम)

(2) अभियांत्रिक परामर्शी सेवाएं।

(3) प्रशिक्षण सेवाएं।

(ग) और (घ) एन.टी.पी.सी. की वर्तमान में लेबनान में परियोजना अधिग्रहण की कोई भी योजना नहीं है।

खनिजों का उत्पादन तथा निर्यात

2546. श्री वसुदेव आचार्य: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में गत तीन वर्षों के दौरान बनाए गए विभिन्न प्रकार के खनिजों/अयस्कों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन खनिजों/अयस्कों के निर्यात पर कोई प्रतिबंध है;

(ग) क्या फेरो एलोए मेकर्स एण्ड स्टील प्रोडयूसर्स इन खनिजों के मुक्त निर्यात का विरोध कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या खनिजों/अयस्कों के निर्यात के मुकाबले तैयार मूल्य आधारित उत्पादों द्वारा अधिक धन अर्जित किया जा सकता है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) भारत महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों से सम्पन्न है और यह 90 खनिजों का उत्पादन करता है जिसमें से 4 ईंधन खनिज, परमाणु खनिज सहित 63 प्रमुख धात्विक एवं गैर-धात्विक खनिज और 23 गौण खनिज हैं। खान मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय, भारतीय खान ब्यूरो से प्राप्त जानकारी के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान अयस्कों और खनिजों के निर्यात का कुल मूल्य निम्नवत है:-

मूल्य करोड़ रुपए में

2001-2002	35136
2002-2003	46618
2003-2004 (अनंतिम)	49912

(ख) वाणिज्य विभाग ने सूचित किया है कि निर्यात किए जाने वाले खनिजों और अयस्कों को वर्तमान विदेश व्यापार नीति के अनुसार कुछेक अपेक्षाओं और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। विशेष मदों की निर्यात अर्हता का निर्णय लेने की चार नीतिगत श्रेणियां नामत: निषेध, प्रतिबंधित, एस टी ई (राज्य व्यापार उद्यम) के माध्यम से निर्यात और मुक्त निर्यात हैं। प्रतिबंधित मदों के निर्यात हेतु अनुमति लाइसेंस के तहत दी जा सकती है। एस टी ई (राज्य व्यापार उद्यम) के माध्यम से निर्यात की अनुमति बगैर लाइसेंस के नामित एस टी ई के मार्फत सशर्त आधार पर दी जा सकती है और मुक्त निर्यात्य मदों को विदेश व्यापार महानिदेशक (डी जी एफ टी) से निर्यात लाइसेंस अथवा अनुमति लिए बगैर निर्यात किया जा सकता है।

(ग) और (घ) दि इण्डियन फेरो एलाय प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन और देश के कुछेक स्टील उत्पादकों ने इस्पात मंत्रालय को लौह-अयस्क, क्रोम अयस्क और मैंग्नीज अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए अभ्यावेदन दिया है ताकि घरेलू उद्योगों हेतु इन खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

(ङ) जी, हां।

(च) निवेशकों के लिए मूल्य वर्धन एक वाणिज्यिक निर्णय है जो अन्य बातों के साथ-साथ निर्यात बाजार में मूल्य वर्धित उत्पादों की मांग और उद्यम की लाभप्रदता पर निर्भर करता है।

जिला अदालतों का कंप्यूटरीकरण

2547. श्री पी.सी. थामस: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत में जिला अदालतों के कंप्यूटरीकरण के मामले को योजना आयोग के साथ उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) जी हां।

(ख) योजना आयोग ने, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन दे दिया है। राष्ट्रीय सूचना केंद्र इस संबंध में कार्यान्वयन अभिकरण है। खर्च वित्त समिति ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है और इसे विचार और अनुमोदित किए जाने के लिए आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के समक्ष रखा जा रहा है।

पवन ऊर्जा उत्पादन

2548. श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री एन.एस.वी. चित्तन:
श्री नारायण चन्द्र बरकटकी:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:
श्री सीताराम यादव:

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में पवन ऊर्जा उत्पादन की राज्यवार क्षमता कितनी है;

(ख) क्या पवन ऊर्जा की उत्पादन लागत पारम्परिक विद्युत परियोजनाओं के बराबर ही है;

(ग) यदि हां, तो तुलनात्मक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस उद्देश्य के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) दसवीं पंचवर्षीय योजना में पवन ऊर्जा उत्पादन की व्यापक क्षमता संभावना का आकलन किस आधार पर किया जा रहा है;

(छ) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना में पवन ऊर्जा की संभावना का दोहन करने के लिए कोई कार्य योजना बनाई गई है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) औसत उत्पादन लागत कितनी है तथा पवन ऊर्जा से सृजित बिजली किस दर से बेची जा रही है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में प्रदर्शन परियोजनाओं के अंतर्गत स्थापित पवन विद्युत परियोजनाओं की राज्यवार संस्थापित क्षमता के संबंध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) पवन ऊर्जा उत्पादन की लागत पवन दशाओं और अवसंरचना विकास लागत पर निर्भर करते हुए स्थल-दर-स्थल भिन्न-भिन्न होती है। पवन विद्युत को प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अधिमान्य शुल्क-दर सहित अनेक प्रोत्साहनों की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त पारंपरिक विद्युत की तुलना में पवन के माध्यम से विद्युत का उत्पादन प्रदूषण-रहित और पर्यावरण अनुकूल है।

(घ) और (ङ) पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र हेतु कोई पूंजीगत सब्सिडी नहीं है। तथापि पवन फार्म परियोजनाओं की स्थापना के लिए निजी विकासकर्त्ताओं और विनिर्माताओं के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन जैसे त्वरित ह्रास, कुछ संघटकों पर रियायती सीमा-शुल्क, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी से आवधिक ऋण, उत्पाद शुल्क में छूट आदि उपलब्ध हैं।

(च) विभिन्न राज्यों के पवन वेग वाले क्षेत्रों में पवन संसाधन मूल्यांकन कार्यक्रम के अंतर्गत 500 पवन मानीटरिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। 12 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में 200 वाट/एम^2 या उससे अधिक के वार्षिक औसत पवन विद्युत घनत्व वाले 211 स्थलों की पहचान की गई है जिन्हें पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए बैंचमार्क मानदंड के रूप में समझा गया है। इस

प्रकार सृजित और विश्लेषित डाटा के आधार पर देश में कुल पवन विद्युत संभाव्यता लगभग 45000 मे.वा. आंकी गई है।

(छ) और (ज) 10वीं पंचवर्षीय योजना हेतु 1500 मे.वा. पवन विद्युत क्षमता की स्थापना के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पवन विद्युत परियोजनाएं अनिवार्यता निजी क्षेत्र द्वारा चलाई जाती हैं। संबंधित राज्यों में ऐसी परियोजनाओं को अधिमान्य शुल्क दर दी जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ पवन उप-प्रणालियों, संघटकों और कलपुर्जों के लिए रियायती आयात शुल्क लागू है। पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए भी त्वरित मूल्य ह्रास का लाभ दिया जा रहा है। 10वीं योजना अवधि के प्रथम तीन वर्षों, दिसम्बर, 2004 तक, के दौरान कुल लगभग 1360 मे.वा. क्षमता संयोजन प्राप्त किया गया है।

(झ) स्थल पर निर्भर करते हुए औसत उत्पादन लागत 2.50 से 3.00 रु. प्रति यूनिट के बीच होती है। विभिन्न राज्यों में पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए शुल्क दरें 2.60-3.67 रु. प्रति यूनिट के बीच हैं।

विवरण

राज्य-वार पवन विद्युत संस्थापित क्षमता

(31.12.2004 के अनुसार)

(मे.वा.)

राज्य	प्रदर्शन परियोजनाएं (सार्वजनिक क्षेत्र)	निजी क्षेत्र परियोजनाएं	कुल क्षमता
आंध्र प्रदेश	5.4	95.9	101.3
गुजरात	17.3	202.6	219.9
कर्नाटक	7.1	268.9	276.0
केरल	2.0	0.0	2.0
मध्य प्रदेश	0.6	27.0	27.6
महाराष्ट्र	8.4	402.8	411.2
राजस्थान	6.4	256.8	263.2
तमिलनाडु	19.4	1658.0	1677.4
पश्चिम बंगाल	1.1	0.0	1.1
अन्य	0.5	0.0	0.5
कुल	68.2	2912.0	2980.2

[हिन्दी]

भारतीय स्टेट बैंक

2549. श्री ब्रजेश पाठक: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक का विचार मारीशस स्थित इंडियन ओशन इंटरनेशनल बैंक लिमिटेड में इक्विटी हासिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) जी, हां। भारतीय स्टेट बैंक का मारीशस स्थित इंडियन ओशन, इंटरनेशनल बैंक लि. (आईओआईबी) में 51% इक्विटी पण अर्जित करने का प्रस्ताव है। भारतीय स्टेट बैंक ने इस संबंध में बैंक आफ मारीशस से "सिद्धान्त रूप में" अनुमोदन प्राप्त कर लिया है।

[अनुवाद]

एस.बी.आई. अधिनियम में संशोधन

2550. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री लक्ष्मण सेठ:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम तथा भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है ताकि राज्य बैंक समूह, सरकारी क्षेत्र के बैंकों, अन्य बैंककारी कंपनियों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का अधिग्रहण कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "वोटिंग राइट्स" की सीमा हटाने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 12(2) में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार विलय को सुलभ बनाने के लिए "बैंककारी संस्था शब्द" की व्यापक परिभाषा देने के लिए 1970 तथा 1980 के बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम में संशोधन करने पर भी विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो इसे कब तक किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) वर्तमान में इन दोनों अधिनियमों में सरकार के विचारार्थ संशोधनों में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों में मताधिकार संबंधी सीमा हटाने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12(2) में संशोधन अपेक्षित होगा। संशोधन से सरकारी क्षेत्र के बैंकों में मताधिकार संबंधी सीमा पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 तथा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 में इससे संबंधित विशिष्ट उपबंधों द्वारा नियंत्रित होते हैं।

(ङ) वर्तमान में, सरकार के विचारार्थ ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अफीम का निर्यात

2551. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी अफीम का निर्यात किया गया;

(ख) क्या इसके निर्यात में तेजी से कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इसके निर्यात के माध्यम से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ङ) सरकार द्वारा अफीम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) गत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित अफीम नीचे दी गई है:

(मी. टन)

2001-02	494.680
2002-03	491.955
2003-04	480.936

(ख) और (ग) भारतीय अफीम द्वारा पोस्त तिनका सान्द्रण (सीपीएस) जो कि भारतीय अफीम की तुलना में सस्ता है, से प्रतिस्पर्धा का सामना करने के कारण अफीम के निर्यात में कुछ कमी आई है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान यसूली के आधार अफीम निर्यात के कारण अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है:

(रु./करोड़)

2001-02	209.41
2002-03	183.48
2003-04	250.38

(ङ) निर्यात संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है। सरकारी अफीम एवं क्षारोद निर्माणशाला के अधिकारी बाजार में हिस्सा बनाये रखने के लिए प्रमुख परम्परागत विदेशी खरीददारों से व्यापक बातचीत कर रहे हैं और नये खरीददारों के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

ऋण वसूली-न्यायाधिकरण

2552. श्री सुरेश कलमाडी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऋण वसूली न्यायाधिकरणों के पास आज की स्थिति के अनुसार कितने मामले लंबित हैं तथा उनमें कितनी धनराशि शामिल हैं;

(ख) क्या ऋण वसूली न्यायाधिकरणों की वर्तमान प्रणाली में कमियां हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 30.9.2004 की स्थिति के अनुसार विभिन्न डीआरटी में 29,864 मामले लंबित थे जिनमें 98,021 करोड़ रु. की राशि अंतर्ग्रस्त थी।

(ख) से (घ) हाल ही में ऋण वसूली अधिकरणों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई है। तदनुसार, बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 तथा नियमों में आवश्यक संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने का निर्णय लिया गया है।

राज्यों के राजस्व घाटे को दूर करने के लिए विधान अधिनियमित करने के लिए फिक्की का प्रस्ताव

2553. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फिक्की ने राज्यों के राजस्व घाटे को दूर करने के लिए वित्तीय जिम्मेदारी तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के विंग के संबंध में विधान अधिनियमित करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) राज्यों के राजस्व घाटे को समाप्त करने के विधान के अधिनियम का निर्णय संबंधित राज्य सरकारों और विधानमंडलों द्वारा लिया जाएगा न कि केन्द्र सरकार द्वारा। तथापि, केन्द्र सरकार ऐसे प्रस्तावों को समर्थन देगी।

हथकरघा उद्योग

2554. **श्री काशीराम राणा:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आई एच टी पी (समेकित हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना) के लाभान्वितों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) कितनी बुनकरों को गत तीन वर्षों के दौरान कार्यशाला एवं आवास योजना के अंतर्गत राज्यवार लाभ प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन कार्यक्रमों/योजनाओं की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) केन्द्रीय क्षेत्र प्लान योजना की एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना, हथकरघा बुनकरों/कामगारों को प्रशिक्षण देने के लिए दिसम्बर, 2003 में शुरू की गई। इस योजना के तहत अब तक बुनकर सेवा केन्द्रों को 20,260 बुनकरों को कवर करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

बुनकर सेवा केन्द्र का नाम	शामिल किए गए राज्य	2003-04 (लाभार्थियों की संख्या)	2004-05 (लाभार्थियों की संख्या)
1	2	3	4
चैन्नई	तमिलनाडु पांडिचेरी	560	1600
कांचीपुरम	तमिलनाडु		
सेलम			
विजयवाड़ा हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	500	1600
बंगलौर	कर्नाटक	240	1200
कन्नूर	केरल	240	1200
दिल्ली	दिल्ली,	60	2660
	हिमाचल प्रदेश	180	600
जयपुर	राजस्थान	100	600
पानीपत	हरियाणा	100	440
वाराणसी मेरठ	उत्तर प्रदेश	200	1000
चमोली	उत्तरांचल	100	160
श्रीनगर	जम्मू एवं कश्मीर	100	400
मुम्बई	महाराष्ट्र,	40	300
	गोवा	40	
नागपुर	महाराष्ट्र	40	300
	मध्य प्रदेश (केवल इसका भाग)	60	100
अहमदाबाद	गुजरात	140	600
इंदौर	मध्य प्रदेश	160	700
रायगढ़	छत्तीसगढ़	60	1000
गुवाहाटी	असम,	180	320

1	2	3	4
	अरुणाचल प्रदेश,	60	120
	मेघालय एवं	–	
	सिक्किम	–	
इम्फाल	मणिपुर	40	–
	नागालैंड	20	
कोलकाता	पश्चिम बंगाल	220	420
भुवनेश्वर	उड़ीसा	140	860
भागलपुर	बिहार	60	–
	झारखंड	40	
अगरतला	त्रिपुरा	60	340
	मिजोरम	–	
	कुल	3740	16520

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान कार्यशाला-सह-आवास योजना के तहत स्वीकृत नए एककों की संख्या नीचे दी गई है:-

राज्य का नाम	स्वीकृत नए एककों की संख्या		
	2001-02	2002-03	2003-04
आंध्र प्रदेश	957	–	1435
अरुणाचल प्रदेश	2000	–	–
असम	–	4033	3000
हिमाचल प्रदेश	63	637	–
कर्नाटक	–	8539	3115
केरल	–	407	1383
मिजोरम	–	330	–
नागालैंड	–	570	3920
राजस्थान	630	–	630
तमिलनाडु	–	5584	7685
त्रिपुरा	–	–	550
उत्तर प्रदेश	–	5256	–
उत्तरांचल	–	430	–
कुल	3650	25756	21718

(ग) और (घ) सरकार, समय-समय पर क्षेत्रीय दौरा एवं राज्य सरकार/संबंधित एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक के माध्यम से इन कार्यक्रमों/योजनाओं की वास्तविक एवं वित्तीय रिपोर्ट इत्यादि की समीक्षा करती है और अपेक्षित सुधारात्मक कदम उठाती है।

[हिन्दी]

इंदिरा आवास योजना

2555. श्री रामदास आठवले: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत देश में विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में आज की स्थिति के अनुसार कितने मकानों का निर्माण किया गया तथा खुले और कवर क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे लोगों की संख्या कितनी है जिनके पास अब तक आवास सुविधाएं नहीं हैं तथा उनकी अनदेखी करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए लगाए गए हैंड पम्प कई वर्षों से कार्य नहीं कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप उन्हें पेयजल के लिए अन्यों पर निर्भर रहना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) उपर्युक्त समुदायों के प्रत्येक परिवार को उक्त सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के प्रारंभ अर्थात् 1985 से लेकर अब तक देश में आई.ए.वाई. के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र सहित ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले ग्रामीण परिवारों के लिए लगभग 124.63 लाख मकान बनाए गए हैं। योजना के अंतर्गत आई.ए.वाई. मकान का कुर्सी क्षेत्रफल 20 वर्गमीटर से कम नहीं होना चाहिए तथा आई ए वाई के लाभार्थी को मकान के निर्माण की पद्धति के बारे में पूरी छूट दी गई है। आई ए वाई आवासीय इकाई का नक्शा आकार तथा डिजाइन का स्वरूप स्थानीय स्थितियों तथा लाभार्थी की प्राथमिकता पर आधारित होता है।

(ख) 2001 की जनगणना में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 149.66 लाख मकानों की कमी है। तथापि, यह मंत्रालय उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के भीतर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के लिए मकानों के निर्माण/उन्नयन करने हेतु सहायता देने का प्रयास कर रहा है।

(ग) से (ङ) पेयजल राज्य का विषय है और ग्रामीण आपूर्ति योजनाएं शुरू करना तथा उनका रखरखाव सुनिश्चित करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्र सरकार इस संबंध में राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करने की दृष्टि से केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देती है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (सामान्य) के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई निधियों का 15 प्रतिशत संचलन एवं रखरखाव के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। चालू या खराब हैण्डपंपों की संख्या के आंकड़े केन्द्र स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। केन्द्र स्तर पर ए आर डब्ल्यू एस पी मानदण्डों के अनुसार पेयजल आपूर्ति वाली ग्रामीण बसावटों की कवरेज की स्थिति का रिकार्ड ही रखा जाता है। कवरेज स्थिति इस प्रकार है:-

कवरेज का प्रकार	बसावटों की संख्या	कुल बसावटों का प्रतिशत
कवर न की गई	5968	0.38
आंशिक रूप से कवर की गई	60884	4.28
पूर्णत: कवर की गई	1356031	95.34
ऐसी आबादियां जो निर्जन हैं/जहां से लोग चले गए हैं	381	
कुल	1422664	

[अनुवाद]

ग्रामीण योजनाओं की समीक्षा

2556. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय के अंतर्गत सभी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ योजनाओं को राज्यों को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव, केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय की केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के निष्पादन की निरंतर समीक्षा की जाती है जिसके लिए एक व्यापक मानीटरिंग तंत्र बनाया गया है। निष्पादन समीक्षा तंत्र में शामिल हैं- संघ मंत्रियों द्वारा मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा, निष्पादन समीक्षा समितियां, क्षेत्र अधिकारी योजना, राज्य एवं जिला स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समितियां, जिला स्तर निगरानीकर्त्ता, राष्ट्र स्तर निगरानीकर्त्ता, समवर्ती एवं त्वरित आकलन अध्ययन तथा प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन। इन समीक्षाओं के परिणामों का विभिन्न स्तरों पर नीतिगत हस्तक्षेप के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

(ग) से (ङ) योजना आयोग द्वारा दिए गए परामर्शों के आधार पर, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शून्य आधारित बजट का कार्य शुरू किया था, जिसके पश्चात इस मंत्रालय की अनेक केन्द्र प्रायोजित योजनाएं या तो राज्यों को अंतरित कर दी गई अथवा उन्हें फिर से बनाया गया। इस समय केवल राष्ट्रीय प्राथमिकताओं वाली कुछ केन्द्र प्रायोजित योजनाएं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं तथा इन योजनाओं को राज्यों को अंतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जाली स्टाम्प पेपर

2557. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में गत कई वर्षों से चल रहे जाली स्टाम्प पेपरों के कारण सरकार ने देश में जाली स्टाम्प पेपरों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कतिपय कड़े मानदंड बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन जाली स्टाम्प पेपरों की बिक्री लगभग सभी राज्यों में जारी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सी.बी.आई. ने इस संबंध में पहले ही विभिन्न रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार का जाली स्टाम्प पेपरों की बिक्री, जिससे कि राजकोष को हजारों करोड़ रुपयों का घाटा हो रहा है, को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) फर्जी स्टैम्प पेपर की बिक्री कुछ राज्यों में जारी थी।

(ग) और (घ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 64 मामले दर्ज किए हैं जिनमें से 20 मामलों की जांच पूरी हो गई है तथा शेष 44 मामले जांच के विभिन्न चरणों में लंबित हैं। 64 मामलों में सीबीआई की जांच के परिणामस्वरूप अब तक 149 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल किए गए हैं। कुछ अभियुक्तों के विरुद्ध एक से अधिक मामलों में अभियोग पत्र दाखिल किए गए हैं।

(ङ) सरकार द्वारा फर्जी स्टैम्प पेपर बिक्री की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय एवं कदम उठाए गए हैं:-

* गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर (एनजेएसपी) की सुरक्षा विशेषताओं की समीक्षा करने हेतु वित्त मंत्रालय में गठित कार्य दल की सिफारिशों के आधार पर स्टैम्प पेपरों में अतिरिक्त सुरक्षा विशेषताएं समावेश हेतु अनुमोदित कर दी गई है। नई सुरक्षा विशेषताएं, जो चरणबद्ध तरीके से प्रारम्भ की जा रही हैं, से जाल-साजी कठिन हो जाएगी।

* राजस्व संग्रहण की आधुनिक पद्धतियां आरंभ करने के प्रस्तावों तथा अन्य संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए राज्य स्तर के राजस्व सचिवों की दो बैठकें वित्त मंत्रालय में आयोजित की गई।

* आईएफसीआई भारत सरकार को स्टैम्प पेपर को डिमैट करने हेतु प्रायोगिक परियोजना प्रारम्भ करने में सहायता प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ में यह प्रणाली 10-12 शहरों में प्रचालित की जाएगी; तथा

* राजस्व संग्रहण की आधुनिक पद्धतियों को सुकर बनाने हेतु स्टैम्प अधिनियम में संशोधन किया गया है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि राजस्व संग्रहण की त्रुटिरहित आधुनिक पद्धतियों को प्रारंभ करने के लिए भारत सरकार को एक समयबद्ध कार्यक्रम भेजें।

बरसिंगसार लिग्नाइट एवं विद्युत परियोजना

2558. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एनएलसी) लगभग 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी बरसिंगसार (राजस्थान) लिग्नाइट-एवं विद्युत परियोजना को क्रियान्वित करने में विफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने परियोजना को क्रियान्वित करने में एनएलसी की विफलता के लिए जिम्मेदार कारकों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) परियोजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, नहीं। बरसिंगसार, राजस्थान में लिग्नाइट एवं विद्युत परियोजना को भारत सरकार ने 15.12.2004 को स्वीकृत कर दिया है। स्वीकृति के अनुसार यह परियोजना दिसम्बर, 2008 में चालू होगी।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजनाएं

2559. श्री दुष्यंत सिंह: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में दसवीं पंचवर्षीय योजना, के दौरान लिग्नाइट आधारित और विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्थान सरकार द्वारा ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) जी, हां। निम्नलिखित लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजनाएं दसवीं योजना के दौरान शुरू की गई हैं/निष्पादनाधीन हैं-

क्र.सं.	परियोजना/क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का वास्तविक/अब प्रत्याशित कार्यक्रम
	चालू परियोजना		
1.	नैवेली थर्मल पावर स्टेशन-I विस्तार, नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (तमिलनाडु)	2×210	यूनिट-I 10/02 यूनिट-II 07/03
2.	नैवेली जीरो थर्मल पावर स्टेशन एसटी-सीएमएस इलेक्ट्रिक कंपनी (तमिलनाडु)	250	यूनिट-I 10/2002
	निर्माणाधीन परियोजना		
3.	गिराल लिग्नाइट ताप विद्युत केंद्र राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (राजस्थान)	125	05/2006
4.	कच्छ लिग्नाइट विस्तार-गुजरात विद्युत बोर्ड (गुजरात)	75	07/2006
5.	अकरीमोटा लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत परियोजना-गुजरात माइनिंग डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (गुजरात)	2×125	यूनिट-I 03/05 यूनिट-II 06/05

(ग) से (ङ) उपरोक्त वर्णित 5 परियोजनाओं में से, गिराल में परियोजना राजस्थान में निर्माणाधीन है।

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित लिग्नाइट आधारित परियोजनाओं को 10वीं योजना के बाद लाभ हेतु चिन्हित किया गया है-

(1) गिराल लिग्नाइट थर्मल विद्युत स्टेशन यूनिट-II 125 मेगावाट।

(2) गुरहा लिग्नाइट ताप विद्युत परियोजना-125 मेगावाट।

(3) जलीपा और कपूर्डी लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्र-500-1000 मेगावाट निजी क्षेत्र निवेश सहित।

अवसंरचनोन्मुखी निवेश

2560. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अवसंरचनोन्मुखी निवेश के वित्तपोषण के लिए स्पेशल पर्पज वहिकल की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वित्तपोषित किए जाने वाली संभावित परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2005-06 की बजट घोषणाओं के अनुसार, विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त अन्य ऋणों की अनुपूर्ति करने के लिए पात्र परियोजनाओं को सीधे ही निधियां, विशेषकर दीर्घावधिक परिपक्वता वाले ऋण प्रदान करेगा।

(ग) यह सभी राज्यों में पात्र परियोजनाओं की उपलब्धता पर निर्भर करेगा और एसपीवी द्वारा निधियों के लिए प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

आयकर रिटर्न घोटाला

2561. **श्री निखिल कुमार:**
श्री गुरूदास कामत:
श्री रघुनाथ झा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में पुलिस द्वारा भंडाफोड़ किए गए आयकर प्रतिदेय घोटाले में आय कर/बैंक के कुछ अधिकारी लिप्त पाए गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा घोटाले में कितनी राशि शामिल है; और

(ग) भविष्य में घोटाले की पुनरावृत्ति न होने देना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) चूंकि दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है, अत: आयकर/बैंक अधिकारियों के लिप्त होने के बारे में कोई विशेष टिप्पणियां नहीं की जा सकती।

(ख) प्रारंभिक जांच से मालूम होता है कि उन मामलों में जाली प्रतिदाय जारी किये गए हैं जहां कर-निर्धारिती काल्पनिक हैं और कर भुगतान प्रमाणपत्र तथा चालानं जाली प्रतीत होते हैं। दूसरा विवरणियां गलत व्यक्तियों के हाथों में हैं तथा गलत बैंक खातों में पहुंच गई हैं। तथापि, इस मामले की दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध स्कन्ध द्वारा जांच की जा रही है। उनके द्वारा घोटाले में संलिप्त आयकर/बैंक अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। इस समय घोटाले में अन्तर्ग्रस्त रकम की मात्रा की भी दिल्ली पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) प्रतिदाय के कपटपूर्ण भुगतान को रोकने के उपाय किये जा रहे हैं।

महाराष्ट्र को वित्तीय संकट से छुटकारा दिलाने के लिए प्रस्ताव

2562. **श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:**
श्री हरिभाऊ राठौड़:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य को ऋण जाल से मुक्त कराने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा विभिन्न प्रस्ताव इस समय किस चरण में हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

स्टाक मार्केट में विदेशी वित्तीय संस्थानों द्वारा निवेश

2563. **श्री रामजीलाल सुमन:**
श्रीमती जयाप्रदा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टाक मार्केट में विदेशी वित्तीय संस्थानों में निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो अप्रैल, 2005 तक की अवधि के दौरान स्टाक मार्केट में अधिकतम कितनी पूंजी का निवेश किया गया; और

(ग) वर्ष 2003-04 के दौरान और वर्ष 2004-2005 के पहले दस महीनों के दौरान विदेशी वित्तीय संस्थानों द्वारा अधिकतम और न्यूनतम कितनी पूंजी का निवेश किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि दिनांक 15 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार, ऐसे 675 विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) सेबी के साथ पंजीकृत हैं, जिन्हें भारतीय प्रतिभूति बाजार में निवेश करने की अनुमति है।

(ख) अप्रैल, 2004 से जनवरी, 2005 की अवधि के दौरान, दिसम्बर, 2004 में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा इक्विटी तथा ऋण लिखतों में अधिकतम संख्या में निवेश किए गए थे। इस माह के दौरान, निवल निवेश 10140 करोड़ रुपए (2229 मिलियन अमरीकी डालर) था।

(ग) वर्ष 2003-04 के दौरान तथा वर्ष 2004-05 के प्रथम 10 महीनों के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा इक्विटी तथा ऋण लिखतों, दोनों में अधिकतम तथा न्यूनतम निवेश निम्नानुसार हैं:-

मासिक निवेश

	2003-2004			2004-2005 (जनवरी, 2005 तक)		
	महीना	राशि		महीना	राशि	
		करोड़ रुपए	मिलियन अमरीकी डालर		करोड़ रुपए	मिलियन अमरीकी डालर
अधिकतम	अक्तूबर, 2003	6,723	1,466	दिसम्बर, 2004	10,140	2,229
न्यूनतम	अप्रैल, 2003	993	208	मई, 2004	(3,546)*	(806)*

*कोष्ठक में दिए गए आंकड़े नकारात्मक निर्दिष्ट करते हैं।

[अनुवाद]

वस्त्र क्षेत्र में निवेश

2564. श्री डी. विट्टल राव: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अगले 3-4 वर्षों में वस्त्र उद्योग में भारी निवेश किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा निवेश लक्ष्य को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान वस्त्र उद्योग में किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) भारतीय वस्त्र एवं क्लोदिंग उद्योग 1.1.2005 से कोटाओं की समाप्ति के फलस्वरूप उत्थान की स्थिति में है। यह उद्योग नई चुनौतियों का सामना करने और आत्मविश्वास के साथ अवसरों का इस्तेमाल करने के उद्देश्य से अपनी उत्पादन प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए भारी प्रयास कर रहा है। क्रेडिट रेटिंग इनफारमेशन सर्विसेज इंडिया लि. (क्रिसिल) द्वारा किए गए अध्ययन, जिसे भारतीय कपास मिल्स परिसंघ द्वारा शुरू किया गया था, के अनुसार 2002 से 2010 तक की अवधि में वस्त्र क्षेत्र की कुल निवेश आवश्यकता अनुमानित रूप से 1,40,000 करोड़ रु. है।

(ग) निवेश लक्ष्य पूरे करने के लिए सरकार द्वारा उठाए विभिन्न कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

* वस्त्र और पटसन क्षेत्र के आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकीय उन्नयन को सुकर बनाने के लिए 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी यू एफ एस) शुरू की गई है। वित्त मंत्री ने वर्ष 2005-06 के अपने बजट भाषण में वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए इस योजना के वास्ते 435.00 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की है।

* विद्युतकरघा क्षेत्र के आधुनिकीकरण को सुकर बनाने के लिए उच्च तकनीकी बुनाई पार्कों, विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण, सामूहिक कार्यशाला योजना और 20% की दर पर ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी योजना जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। सरकार ने विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र के लिए 20% की दर पर पूंजी सब्सिडी योजना के तहत मशीनों के लिए पूंजी की अधिकतम सीमा 13.1.2005 से 60.00 लाख रुपए से बढ़ाकर 100.00 लाख रुपए कर दी है।

* हमारे उत्पादों को कोटा पश्चात युग में अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के वास्ते अत्याधुनिक मशीनों के आयात को सुकर बनाने के लिए 2005-06 के बजट में वस्त्र मशीनों पर, 23 मशीनों को छोड़कर सीमा शुल्क को घटाकर 10% कर दिया गया है। इसके अलावा बहुत सी वस्त्र मशीनरी मदों को आयात पर 5% सीमा शुल्क जारी रहेगा।

* 2005-06 के बजट में निटिंग और निटवियर की 30 मदों के अनारक्षण की घोषणा की गई है। इससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए बड़े आकार के आधुनिक एककों की स्थापना करना सुगम होगा।

* वस्त्र क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए उदार एफ डी आई नीति शुरू की गई है। सरकार ने कुछ अपवादों के साथ सुचालित मार्ग से 100% तक विदेशी इक्विटी प्रतिभागिता की अनुमति दी है।

(घ) टी यू एफ एस के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान वस्त्र उद्योग में किए गए निवेश के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

(करोड़ रु. में)

दौरान	निवेश/परियोजना की लागत
2001-2002	1900
2002-2003	1835
2003-2004	3356
कुल	7091

चूंकि टी यू एफ एस से संबंधित निवेश केवल निर्धारित प्रौद्योगिकी के लिए है, अत: उपर्युक्त के अलावा, उद्योग ने अन्य निवेश भी किए हैं।

[हिन्दी]

कतिपय उत्पादों पर कर ढांचे में प्रस्तावित संशोधन

2565. प्रो. महादेवराव शिवनकर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में कतिपय उत्पादों पर कर ढांचे को आसान करने/सुधारने हेतु किसी योजना पर काम कर रही है जैसा कि दिनांक 28.12.2004 के ''दैनिक जागरण'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में ऐसे कौन से उत्पादन क्षेत्र हैं जहां कर ढांचे में संशोधन किए जाने पर प्रस्ताव है;

(घ) इसका निवेशकों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ङ) क्या प्रस्तावित संशोधन से अगले कुछ वर्षों में 8 से 10 प्रतिशत तक विकास दर प्राप्त किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) सरकार सीमा शुल्क टैरिफों के सामान्य स्तरों में कमी, टैरिफ दरों के फैलाव में कमी और शुल्क ढांचे और दरों के यौक्तिकीकरण के द्वारा उदार प्रगतिशील कर ढांचे के उद्देश्य को आगे बढ़ा रही है। परिवर्तन क्रमिक रूप से किये जाते हैं ताकि घरेलू उद्योग और राजस्व दोनों पर उनके प्रभाव को संतुलित किया जा सके।

(ग) बजट 2005 में सरकार ने सीमा शुल्क की शीर्षस्थ दर (कुछ अपवादों के साथ गैर-कृषि माल के लिए) को कम करके 20% से 15% कर दिया है। धातु, अपवर्तक कच्ची सामग्री, उत्प्रेरकों, मूलभूत कार्बनिक रसायनों और मूल-भूत प्लास्टिक सामग्रियों सहित मूलभूत कच्ची सामग्री पर सीमा शुल्क को कम करके 10% पेट्रोलियम पर 5% और पेट्रोलियम उत्पादों पर 10% किया गया है। बहुत से कारखानागत माल पर सीमा शुल्क को भी कम करके 10% अथवा 5% किया गया है। इसके अलावा टायरों, एयर कंडीशनरों और पोलियस्टर फिलामेंट यार्न पर उत्पाद शुल्क को कम करके 24% से 16% किया गया है.

(घ) से (च) शुल्क ढांचे और दरों में किये गये परिवर्तनों से कच्ची सामग्री के साथ-साथ कारखानागत माल की लागतों में कमी होने की आशा है जिससे निवेश और वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। तथापि वास्तविक वृद्धि कर ढांचे और दरों सहित बहुत से कारकों पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

कपास का उत्पादन

2566. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर कर्नाटक में आज की तिथि के अनुसार सरकारी और सहकारी क्षेत्र में कुल कितनी सूती और मानव निर्मित फाइबर मिलें काम कर रही हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन मिलों की राज्य-वार उत्पादन क्षमता और वास्तविक उत्पादन कितना है;

(ग) क्या अपना उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इन मिलों के आधुनिकीकरण/उन्नयन करने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन मिलों के आधुनिकीकरण हेतु क्या कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) 28.02.2005 तक की स्थिति के अनुसार कर्नाटक की तुलना में शेष देश में सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्रों में चल रही मानव निर्मित फाईबर/फिलेमेंट यार्न विनिर्माता मिलों की संख्या उत्पादन क्षमता सहित निम्नलिखितानुसार है:-

क्षेत्र	कर्नाटक				शेष देश			
		उत्पादन क्षमता				उत्पादन क्षमता		
	मिलों की संख्या	तकुए (लाख)	रोटर्स ('000)	करघे ('00)	मिलों की संख्या	तकुए (लाख)	रोटर्स ('000)	करघे ('00)
सार्वजनिक	2	0.59	–	2.19	74	21.09	1.40	122.29
सहकारी	8	2.02	0.336	–	81	17.02	9.62	3.96
उप योग	10	2.61	0.33	2.19	155	38.11	11.02	126.25
निजी	25	4.05	5.51	4.83	1123	200.22	282.34	189.87
कुल योग	35	6.66	5.848	7.02	1278	238.33	293.36	316.12

वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान चल रही मिलों के राज्य-वार उत्पादन के ब्यौरे संलग्न विवरण I, II, III और IV में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) आधुनिकीकरण/उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है जिससे कि स्वाभाविक तौर पर उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। तथापि, इस संबंध में निर्णय लेना मिलों के प्रबंधकों पर निर्भर है। वस्त्र और पटसन क्षेत्रों के आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकी उन्नयन को सुगम बनाने के लिए 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) शुरू की गई है।

विवरण I

मिल क्षेत्र द्वारा कपड़े का क्षेत्र-वार उत्पादन

(000 वर्ग मीटर)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2001-02				2002-03				2003-04			
	निजी	सार्वजनिक	सहकारी	कुल	निजी	सार्वजनिक	सहकारी	कुल	निजी	सार्वजनिक	सहकारी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
राज्य												
आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	1460	1460	0	0	0	0
असम	0	0	2572	2572	0	0	–	0	0	0	510	510
बिहार	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0
दिल्ली	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0
गोवा	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0
गुजरात	372871	0	0	372871	381559	0	–	381559	385933	0	0	385933
हरियाणा	13464	0	0	13464	13089	0	–	13089	19553	0	0	19553
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0
जम्मू व कश्मीर	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0
झारखंड	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0
कर्नाटक	4093	2437	0	6530	6684	2046	–	8730	2906	1015	0	3921
केरल	6728	4007	0	10735	6604	2320	–	8924	2045	1949	0	3994
मध्य प्रदेश	47783	324	0	48107	50072	1540	–	51612	40805	2036	0	42841
महाराष्ट्र	450705	49580	0	500285	408612	38699	–	447311	349097	28673	0	377770
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0
उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0
पंजाब	67611	0	0	67611	75867	0	–	75867	92530	0	0	92530
राजस्थान	58537	0	0	58537	59192	0	–	59192	63187	0	0	63187
तमिलनाडु	90116	6880	0	96996	70277	7204	–	77481	61464	5690	0	67154
उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	39181	0	0	39181	32729	0	–	32729	33160	0	0	33160
पश्चिम बंगाल	1953	0	0	1953	2330	0	–	2330	2395	0	0	2395
संघ शासित क्षेत्र												
दादर नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0
दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0
पांडिचेरी	0	24730	0	24730	0	25052	–	25052	0	26362	0	26362
कुल	1145842	87958	2572	1236372	1107015	76861	1460	1185336	1053075	65725	510	1119310

विवरण II

वस्त्र मिलों द्वारा स्पन यार्न का राज्यवार उत्पादन

(000 कि.ग्रा.)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2001-02				2002-03				2003-04			
	निजी	सार्वजनिक	सहकारी	कुल	निजी	सार्वजनिक	सहकारी	कुल	निजी	सार्वजनिक	सहकारी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
राज्य												
आंध्र प्रदेश	144083	0	1005	145088	134905	0	0	134905	138331	0	1771	140102
असम	734	504	807	2045	235	202	427	864	0	107	223	330
बिहार	1205	0	91	1296	0	0	0	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	0	0	0	0	58	0	0	58	289	0	0	289
गोवा	853	0	0	852	832	0	0	832	855	0	0	855
गुजरात	224531	289	0	224820	224269	943	0	225212	214701	1637	0	216338
हरियाणा	165066	1941	0	167007	122356	162	0	122518	104410	0	0	104410
हिमाचल प्रदेश	84678	0	0	84678	89926	0	0	89926	97362	0	0	97362
जम्मू व कश्मीर	20233	0	0	20233	18430	0	0	18430	20543	0	0	20543
झारखंड	1927	0	0	1927	1350	0	0	1350	1167	0	0	1167
कर्नाटक	60259	1769	11561	73589	59713	1788	11566	73067	54440	2124	10229	66793
केरल	30997	12413	5279	48689	29157	12160	4636	45953	23408	9661	4274	37343
मध्य प्रदेश	168408	2172	3437	174017	178012	1406	3823	176041	166524	1193	3853	171570
महाराष्ट्र	23878	23655	77059	338592	220947	22054	81119	324120	202921	16323	79133	298377
मणिपुर	0	161	0	161	0	48	0	48	0	0	0	0
उड़ीसा	3829	285	2983	7097	2365	326	2890	5581	1294	223	2899	4416
पंजाब	267483	2150	3248	272881	288735	2256	825	291816	307373	2001	0	309374
राजस्थान	281204	2212	12451	232867	221215	2356	11804	235375	226634	2410	9709	238753
तमिलनाडु	1109189	15169	15165	1139523	1136365	12955	15483	1164803	1152984	8708	10683	1172375
उत्तरांचल	2710	0	0	2710	2935	0	0	2935	3081	0	0	3081

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
उत्तर प्रदेश	57101	19256	8844	85201	59135	18661	6340	84136	56529	17065	5991	79585
पश्चिम बंगाल	29944	6174	2791	38909	30643	6833	2477	39953	26409	6948	3074	36431
संघ शासित क्षेत्र												
दादर नगर हवेली	19417	0	0	19417	25434	0	0	25434	34120	0	0	34120
दमन व दीव	1918	0	0	1918	935	0	0	935	1384	0	0	1384
पांडिचेरी	7974	5862	3705	17541	8055	5090	3937	17082	7273	5062	4470	16805
कुल	2858621	94012	148426	3101059	2848807	87240	145327	3081374	2842032	73462	136309	3051803

विवरण III

चल रहे मानव निर्मित स्टेपल यार्न एककों का राज्य-वार उत्पादन

(टन में)

राज्य	2001-02				2002-03				2003-04			
	निजी	सार्वजनिक	सहकारी	कुल	निजी	सार्वजनिक	सहकारी	कुल	निजी	सार्वजनिक	सहकारी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	0	6889	0	6889	0	0	0	0	0	6665	0	6665
गुजरात	238959	13063	0	252022	250944	22550	0	273494	279369	23561	0	302930
कर्नाटक	37266	0	0	37266	38249	0	0	38249	32219	0	0	32219
मध्य प्रदेश	85760	0	0	85760	125758	0	0	125758	126070	0	0	126070
महाराष्ट्र	252427	0	0	252427	263700	0	0	263700	255952	0	0	255952
उड़ीसा	31232	0	0	31232	32148	0	0	32148	32156	0	0	32156
पंजाब	83542	0	0	83542	87009	0	0	87009	93523	0	0	93523
तमिलनाडु	28254	0	0	28254	24478	0	0	24478	30334	0	0	30334
उत्तर प्रदेश	40144	0	0	40144	53037	0	0	53037	55843	0	0	55843
पश्चिम बंगाल	14386	0	0	14386	13519	0	0	13519	13362	0	0	13362
दादर व नगर हवेली	1991	0	0	1991	3077	0	0	3077	4280	0	0	4280
कुल	813961	19952	0	833913	891919	22550	0	914469	923108	30226	0	953334

विवरण IV

चल रहे मानव निर्मित स्टेपल फिलामेन्ट यार्न एककों का राज्य-वार उत्पादन

(टन में)

राज्य	2001-02				2002-03				2003-04			
	निजी	सार्वजनिक	सहकारी	कुल	निजी	सार्वजनिक	सहकारी	कुल	निजी	सार्वजनिक	सहकारी	कुल
आंध्र प्रदेश	54146	0	0	54146	58851	0	0	58851	61478	0	0	61478
असम	4398	0	0	4398	7936	0	0	7936	21271	0	0	21271
गुजरात	294769	0	0	294769	343720	0	0	343720	405871	0	0	405871
हरियाणा	19210	0	0	1921	3912	0	0	3912	4593	0	0	4593
केरल	357	0	0	357	0	0	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	8831	0	0	8831	8302	0	0	8302	8004	0	0	8004
महाराष्ट्र	308254	0	0	308254	352518	0	0	352518	329059	0	0	329059
उड़ीसा	8949	0	0	8949	8668	0	0	8668	1624	0	0	1624
पंजाब	26194	0	0	26194	25077	0	0	25077	23870	0	0	23870
राजस्थान	29884	0	0	29884	37884	0	0	37844	29902	0	0	29902
तमिलनाडु	2026	0	0	2026	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	112161	0	0	112161	112506	0	0	112506	100930	0	0	100930
पश्चिम बंगाल	5243	0	0	5243	6926	0	0	6926	7070	0	0	7070
दादर व नगर हवेली	105039	0	0	105039	134003	0	0	134003	124306	0	0	124306
कुल	962172	0	0	962172	1100303	0	0	1100303	1117978	0	0	1117978

[हिन्दी]

विदेशी वित्तीय संस्थानों से ऋण

2567. श्री ब्रजेश पाठक: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन संस्थानों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस ऋण पर कितनी ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) आईबीआरडी ऋणों पर ब्याज दर परिवर्तनीय होती है और 6 माह के 'लिबोर' जमा परिवर्तनीय विस्तार के आधार पर निर्धारित की जाती है। दिनांक 15.12.2004 से 15.06.2005 की ब्याज-अवधि के लिए लागू दर निम्नानुसार है:-

(1) ऋण जिसके लिए 31.7.1998 से पूर्व वार्ता हेतु निमंत्रण जारी किया गया - 2.86% (50 आधार बिन्दुओं के विस्तार सहित)

(2) ऋण जिसके लिए 31.7.1998 को अथवा इसके बाद वार्ता हेतु नियंत्रण जारी किया गया- 3.11% प्रतिवर्ष (75 आधार बिन्दुओं के विस्तार सहित)

एडीबी ऋणों के संबंध में, ब्याज-दर लिबोर + 0.40% उधारों की औसत लागत के आधार पर निर्धारित की जाती है। आईएफएडी ऋणों के संबंध में 0.75% सेवा प्रभार लगाया जाता है।

विवरण

अप्रैल, 2001 से मार्च 2004 तक विदेशी वित्तीय संस्थाओं द्वारा भारत को अनुमोदित ऋण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	विदेशी वित्तीय संस्था*	राशि (मिलियन अमरीकी डालर में)
1	2	3	4
1.	असम विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम	एडीबी	150
2.	असम विद्युत क्षेत्र विकास परियोजना	एडीबी	100
3.	छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास परियोजना	एडीबी	180
4.	पूर्वी पश्चिमी गलियारा परियोजना	एडीबी	320
5.	गुजरात भूकम्प पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण	एडीबी	500
6.	मध्य प्रदेश विद्युत (परियोजना ऋण)	एडीबी	200
7.	मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम	एडीबी	150
8.	केरल में सरकार का आधुनिकीकरण एवं राजकोषीय सुधार	एडीबी	200
9.	मध्य प्रदेश सड़क क्षेत्र विकास कार्यक्रम	एडीबी	30
10.	मध्य प्रदेश सड़क क्षेत्र विकास परियोजना	एडीबी	150
11.	राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा क्षेत्र-I परियोजना	एडीबी	400
12.	राज्य स्तर पर निजी क्षेत्र अवसंरचनात्मक सुविधा-आईडीबीआई	एडीबी	100
13.	निजी क्षेत्र अवसंरचनात्मक सुविधा-आईएल एण्ड एफएस	एडीबी	100
14.	रेलवे क्षेत्र सुधार परियोजना	एडीबी	313
15.	ग्रामीण सड़क क्षेत्र-I परियोजना	एडीबी	400
16.	राज्य विद्युत क्षेत्र सुधार परियोजना (पीएफसी)	एडीबी	150
17.	मध्य प्रदेश शहरी जलापूर्ति और पर्यावरणीय सुधार	एडीबी	200
18.	पश्चिम बंगाल गलियारा विकास	एडीबी	210
19.	पश्चिमी परिवहन गलियारा परियोजना	एडीबी	240

1	2	3	4
20.	इलाहाबाद बाईपास परियोजना	आईबीआरडी	240
21.	आंध्र प्रदेश आर्थिक सुधार ऋण/क्रेडिट	आईबीआरडी	125
22.	आंध्र प्रदेश आर्थिक सुधार कार्यक्रम-II	आईबीआरडी	110
23.	प्रथम कर्नाटक आर्तिक पुनर्संरचना ऋण/क्रेडिट	आईबीआरडी	75
24.	ग्रांड ट्रंक रोड सुधार परियोजना	आईबीआरडी	589
25.	कर्नाटक राज्य राजमार्ग सुधार परियोजना	आईबीआरडी	360
26.	कर्नाटक संरचनात्मक समायोजन ऋण-II	आईबीआरडी	50
27.	केरल राज्य परिवहन परियोजना	आईबीआरडी	255
28.	मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना	आईबीआरडी	463
29.	द्वितीय पावरग्रिड प्रणाली विकास परियोजना	आईबीआरडी	450
30.	तमिलनाडु सड़क क्षेत्र परियोजना	आईबीआरडी	348
31.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परियोजना	आईबीआरडी	488
32.	गुजरात में परिवार	आईएफएडी	15
33.	हिमालय में आजीविका सुधार परियोजना	आईएफएडी	40
34.	उड़ीसा जनजातीय अधिकारिता और आजीविका कार्यक्रम	आईएफएडी	20
35.	राष्ट्रीय लघु-वित्त सहायता कार्यक्रम	आईएफएडी	22

*एडीबी-एशियाई विकास बैंक
*आईएफएडी-अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि
*आईबीआरडी-अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक

[अनुवाद]

सूती मिलें

2568. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: *क्या* **वस्त्र मंत्री** *यह बताने की कृपा करेंगे कि:*

(क) राज्य-वार कितनी सूती मिलों को बंद, समाप्त और उनकी नीलामी की गई है;

(ख) राज्य सरकारों के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से एन.सी.डी.सी./नाबार्ड द्वारा सूती मिलों को इक्विटी के रूप में राज्य-वार किस ब्याज दर पर कितना ऋण दिया गया;

(ग) सूती मिलों द्वारा कितनी राशि की वापसी की गई;

(घ) शेष ऋण राशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार रुग्ण सूती मिलों के लिए पुनरुद्धार पैकेज योजना पर काम कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) 31.12.2004 तक की स्थिति के अनुसार बंद, परिसमापनाधीन, अन्य कारणों से बंद सूती/मानव निर्मित फाइबर मिलों (गैर-एसएसआई) और पूर्णत: बंद मिलों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) से (घ) 31.03.2004 तक की स्थिति के अनुसार, एनसीडीसी ने सहकारी कताई परियोजनाओं की इक्विटी में भागीदारी

करने के वास्ते राज्य सरकारों को 308.31 करोड़ रु. की ऋण सहायता प्रदान की थी। इसकी राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है। शेयर पूंजी मिलों द्वारा केवल राज्य सरकारों को चुकाई जाती है। राज्य सरकारों की ओर से एनसीडीसी के प्रति कोई देनदारी नहीं है। जब कभी भी राज्य सरकारों को पुनर्भुगतान करना पड़ता है तो वे नियमित रूप से पुनर्भुगतान करते हैं।

राज्य सरकारों के माध्यम से ऋण पर एनसीडीसी द्वारा प्रभारित ब्याज की मौजूदा दर 8.5% है। नाबार्ड सूती मिलों को ऋण या प्रत्यक्ष इक्विटी या राज्य सरकारों के माध्यम से इक्विटी प्रदान नहीं करता है।

(ङ) और (च) रुग्ण कपास उपजकर्त्ता सहकारी कताई मिलों की पुनर्वासन के लिए आवधिक ऋण प्रदान करने के साथ-साथ इक्विटी में भागीदारी करने के लिए राज्य सरकारों को ऋण सहायता प्रदान करने के वास्ते पैकेज के रूप में एनसीडीसी की रुग्ण कपास उपजकर्त्ता सहकारी कताई मिलों का पुनर्वास करने की एक योजना है।

विवरण I

31.12.2004 तक की स्थिति के अनुसार सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों (गैर-एसएसआई) की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	परिसमापनाधीन	अन्य कारणों से बंद	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2	39	41
2.	असम	0	7	7
3.	बिहार	0	5	5
4.	छत्तीसगढ़	0	1	1
5.	दिल्ली	0	1	1
6.	गुजरात	23	37	60
7.	हरियाणा	1	24	25
8.	जम्मू व कश्मीर	0	1	1
9.	कर्नाटक	2	17	19
10.	केरल	0	9	9
11.	मध्य प्रदेश	2	10	12
12.	महाराष्ट्र	9	51	60
13.	उड़ीसा	0	11	11
14.	पंजाब	2	13	15
15.	राजस्थान	1	18	19
16.	तमिलनाडु	5	116	121
17.	उत्तरांचल	0	4	4
18.	उत्तर प्रदेश	2	45	47
19.	पश्चिम बंगाल	1	17	18
20.	पांडिचेरी	0	1	1
21.	मणिपुर	0	1	1
	कुल	50	428	478

विवरण II

31.3.2004 तक की स्थिति के अनुसार एनसीडीसी द्वारा राज्य सरकारों के माध्यम से सहकारी कताई मिलों को स्वीकृत/जारी की गई वित्तीय सहायता

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत सहायता	जारी की गई सहायता
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2840.74	2840.74
2.	असम	1204.88	1204.88
3.	बिहार	896.81	896.81
4.	गुजरात	0.00	0.00
5.	हरियाणा	71.00	71.00
6.	कर्नाटक	3614.12	3534.67
7.	केरल	891.53	891.93
8.	मध्य प्रदेश	452.25	452.25
9.	महाराष्ट्र	18486.43	11710.25
10.	उड़ीसा	1577.72	1498.20
11.	पंजाब	2002.18	2002.18

1	2	3	4
12.	राजस्थान	1460.12	1460.12
13.	तमिलनाडु	822.05	822.05
14.	उत्तर प्रदेश	2161.31	2161.31
15.	पश्चिम बंगाल	1284.16	1284.16
	कुल	37765.60	30830.85

विदेशी बैंक

2569. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में 25 विदेशी बैंक काम कर रहे हैं लेकिन वे उस नवगठित ट्रांसफर प्राइसिंग डाइरेक्टोरेट आफ इंडिया के अंतर्गत परिवीक्षाधीन है जो अन्य देशों में इन बैंकों की संबंधित शाखाओं के साथ इनके लैन-देन के ब्यौरे पर ध्यान रख रही है;

(ख) यदि हां, तो परिवीक्षाधीन विदेशी बैंकों के नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एच.आर.ए. का मुद्दा

2570. श्री विजय कृष्ण: क्या **वित्त मंत्री** 17.12.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2911 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एच.आर.ए. के मुद्दे के संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो निर्णय लेने के विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकारी कर्मचारियों को टी.ए. की भुगतान की जाने वाली वर्तमान धनराशि में संशोधन करने के लिए एक समिति गठित की गई है;

(ङ) यदि हां, तो टी.ए. के संबंध में उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इन सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को संशोधित मूल वेतन पर पूर्व-संशोधित दरों से 01.01.1996 से 31.07.1997 तक मकान किराया भत्ता (एच.आर.ए.) के भुगतान के संबंध में विवाचन बोर्ड के अधिनिर्णय का मामला जे.सी.एम. स्कीम के अनुरूप प्रक्रियाधीन है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

नेवेली लिग्नाइट निगम के बजटीय प्रस्ताव

2571. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बजटीय प्रस्तावों को तैयार करने में नेवेली लिग्नाइट निगम (एन.एल.सी.) की कई बड़ी खामियों का पता चला है;

(ख) क्या नेवेली लिग्नाइट निगम में वित्तीय लक्ष्यों और उपलब्धियों के बीच काफी अंतर है और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में एन.एल.सी. का ट्रैक रिकार्ड असंतोषजनक है;

(ग) सरकार द्वारा सिर्फ वास्तविक एवं प्राप्त करने योग्य बजट दर्शाने हेतु क्या उपाय किए गए है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, नहीं।

(ख) वित्तीय लक्ष्यों और उपलब्धियों में अंतर मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण है कि खान-II विस्तार, टीपीएस-II विस्तार और बरसिंगसर खान तथा तापीय विद्युत संयंत्र जैसी नई परियोजनाएं स्वीकृति के प्रक्रियाधीन थीं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए अब सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इसलिए, अब प्रक्षेपण अधिक वास्तविक होंगे। व्यय की प्रगति की मासिक मानीटरिंग भी एन.एल.सी. द्वारा की जा रही है।

विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग

2572. श्री तथागत सत्पथी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एसोसिएटेड चैम्बर्स एंड इंडस्ट्री आफ इंडिया (एसोचैम) ने ऋण की तर्ज पर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं और उभरते बाजार के लिए ऋण सहायता बढ़ाने हेतु विदेशी मुद्रा भंडार की अनुमति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जैसाकि दिनांक 4 मार्च, 2005 को 'दि हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या 'एसोचैम' ने उच्च लागत के विदेशी ऋण की प्रगामी समाप्ति के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा भंडार के उपयोग का भी सुझाव दिया है जिसे सरकार ने कई वर्षों में उच्च ब्याज दर पर व्यय कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो 'एसोचैम' द्वारा सुझाए गए बिन्दुओं पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत एक हाल ही के अभ्यावेदन में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संबद्ध परिसंघ (एसोचैम) ने, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सुझाव दिखाए हैं-

(1) विकासशील देशों और/तथा उभरते बाजारों को ऋण सहायता बढ़ाना, (2) पूंजीगत निधियों के उदार प्रेषण हेतु लचीले और सकारात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से विदेश में संयुक्त उद्यम/सहयोग को बढ़ावा देना, (3) उच्च लागत विदेशी ऋण की क्रमिक विदाई, (4) विदेश में अल्पावधि राजकोषीय हुंडियों, सरकारी बांडों/प्रतिभूतियों एवं 'एएए' दर्जा निर्धारित कार्पोरेट बांडों आदि विदेशी मुद्रा भंडारों का नियोजन, (5) एक विशेष प्रयोजनीय साधन के निर्माण द्वारा विदेशी मुद्रा भंडारों में से ढांचागत परियोजनाओं जैसे पत्तन आदि में विदेशी मुद्रा भंडार तत्व के वित्तपोषण के लिए नवोत्वाद योजनाएं, और (6) रियायती दरों पर निर्यातों और उच्च मूल पूंजीगत वस्तुओं को रखने के लिए विदेशी करेंसी में निर्यातों के वित्तपोषण को प्रदान करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडारों में से ऐसे अवसर उत्पन्न करना।

केन्द्रीय बजट (2005-06) में एक वित्तीय विशेष प्रयोजनीय साधन (एसपीवी) के माध्यम से बड़ी ढांचागत परियोजनाओं के निधिपोषण का प्रस्ताव किया गया है। इस संदर्भ में, यह निर्दिष्ट किया गया है कि जब बड़ी ढांचागत परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है, तो विदेशी मुद्रा संसाधनों को आवश्यक आयातों के लिए आहरित किया जा सकता है। एसपीवी का आशय सड़कों, पत्तनों, हवाई अड्डों और पर्यटन में बड़ी परियोजनाओं को फायदा पहुंचाना है। इन परियोजनाओं का मूल्यांकन बैंकों के अंतर-सांस्थानिक समूह तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। एसपीवी पात्र परियोजनाओं को अन्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से अन्य ऋणों की मदद दिलाने के लिए सीधे ही निधियां, मुख्यत: दीर्घावधिक परिपक्वता के कर्ज, उधार देगा। चालू वर्ष के लिए एसपीवी की उधार की सीमा को 10,000 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।

[हिन्दी]

भारतीय कंपनियों में विदेशी वित्तीय संस्थानों का हिस्सा

2573. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश की कंपनियों में विदेशी वित्तीय संस्थाएं प्रमुख भागीदार के रूप में उभर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दिसंबर, 2002 तक विदेशी वित्तीय संस्थाएं देश की केवल 24 कंपनियों में प्रमुख भागीदार थीं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दिसंबर, 2004 तक की स्थिति के अनुसार देश में विदेशी वित्तीय संस्थानों की प्रमुख भागीदारी वाली कितनी कंपनियां हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अमरीकी डालर की तुलना में रुपए का मूल्य

2574. श्री डी. विट्टल राव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ.आई.आई.) द्वारा मांग में तीव्र वृद्धि के कारण अमरीकी डालर की तुलना में रुपया पांच वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है जैसा कि दिनांक 3 फरवरी, 2005 के 'दी पायोनियर' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस उच्च प्रवृत्ति को हमेशा बनाए रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) से (ग) 3 दिसम्बर, 1999 की स्थिति के अनुसार, अमरीकी डालर के मुकाबले रुपये का मूल्य 43.41 रुपये था। वर्ष 2000-01 और 2001-02 के वर्षों के दौरान अमरीकी डालर के मुकाबले मूल्यह्रास होने के बाद, रुपये ने मई 2002 से आगे अमरीकी डालर के मुकाबले वृद्धि आरम्भ कर दी। 3 फरवरी, 2005 को, रुपये का मूल्य अमरीकी डालर के मुकाबले 43.36 रुपये था, जिससे इसने वह वृद्धि प्राप्त की जो इसने 3 दिसम्बर, 1999 को प्राप्त की थी। चालू वर्ष (2004-05) में, मई-अगस्त, 2004 के दौरान अमरीकी डालर के मुकाबले मामूली-सी गिरावट के बाद, सितम्बर-फरवरी, 2004-05 की अवधि के दौरान, रुपये में अमरीकी डालर के मुकाबले 6.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्य रूप से मांग के मुकाबले, विदेशी पोर्टफोलियों प्रवाहों के बढ़ने, व्यापार हुंडियों आदि से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अन्य मुद्राओं के मुकाबले अमरीकी डालर द्वारा दिखाई गई कमजोरी की पृष्ठभूमि में विदेशी मुद्राओं की अधिक आपूर्ति होने से हुई है। हाल के वर्षों में, रुपये की कीमत में उतार-चढ़ाव, अर्थव्यवस्था को बिना कोई उल्लेखनीय हानि पहुंचाते हुए, बराबर और क्रमानुसार होता रहा। रुपया व्यापक रूप से बाजार-निर्धारित है और भारतीय रिजर्व बैंक अधिक अथिरता को रोकने के लिए केवल यदा-कदा ही हस्तक्षेप करता है।

करेंसी नोट्स का गायब होना

2575. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 4000 रु. मूल्य की राशि वाले 100 रुपए के 40 नोटों की शीट गायब हो गई है जैसाकि दिनांक 26 जनवरी, 2005 के 'दी हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामलों के तथ्य क्या हैं;

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट मुद्रणालय से परिवहन के दौरान करेंसी नोट के गायब होने की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(घ) इस संबंध में कितने व्यक्तियों/कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) वर्ष 1998 से, भारतीय रिजर्व बैंक के एक अनुषंगी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्रा. लि. (बीआरबीएनएमपीएल) में करेंसी नोटों के लुप्त हो जाने की तीन घटनाएं हो चुकी हैं। इन मामलों में जांच हेतु संबंधित पुलिस प्राधिकारियों/सीबीआई के पास प्राथमिकताएं (एफआईआर) दर्ज कराई गई हैं। दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की गई हैं। दोषियों के विरुद्ध आगे की कार्रवाई जांच के पश्चात की जाएगी।

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु बीआरबीएनएमपीएल द्वारा कदम उठाए गए हैं जिसमें नियमित अंतरालों पर सुरक्षा प्रणाली का अनुवीक्षण करना, मौजूदा निगरानी तंत्र और आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को सशक्त बनाने हेतु नए यांत्रिक उपकरण लगाना, सीआईएसएफ को सशक्त बनाना, संवेदनशील क्षेत्रों में संदेहास्पद सत्यनिष्ठा वाले कर्मचारियों की तैनाती कम करना इत्यादि शामिल है।

स्वीकृति हेतु लंबित कर्नाटक के परियोजना प्रस्ताव

2576. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जून, 2004 की स्थिति के अनुसार कुछ परियोजनाओं के लिए धनराशि प्राप्त करने हेतु केन्द्र सरकार की स्वीकृति के लिए कर्नाटक सरकार के कुल कितने प्रस्ताव लंबित हैं;

(ख) उक्त प्रस्तावों के लिए धनराशि की स्वीकृति में विलम्ब के प्रमुख कारण क्या हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत कर दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) से (ग) वित्त मंत्रालय के पास कर्नाटक का ऐसा कोई प्रस्ताव अनुमोदन के लिए लम्बित नहीं है। कर्नाटक राज्य को 2004-05 के दौरान योजना सहायता से 1797.60 करोड़ रुपए की सहायता मुहैया कराई गई है। इसमें 1177.85 करोड़ रुपए की कार्यक्रम/परियोजनागत सहायता शामिल है।

[हिन्दी]

जिला स्तरीय ग्रामीण विकास एजेंसियों की समीक्षा

2577. श्री ब्रजेश पाठक: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में जिला स्तरीय ग्रामीण विकास एजेंसियों के कार्यकरण की समीक्षा संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा विशेषत: उत्तर प्रदेश के अधिसूचित जिलों में जिलास्तरीय ग्रामीण विकास एजेंसियों के कार्यकरण को सुचारू बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) और (ख) मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की कार्य-प्रणाली की कोई समीक्षा नहीं की है।

[अनुवाद]

फाइनल गुड्स की दरों का अपनी प्रशुल्क दरों से अधिक होना

2578. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बेसिक कच्चे माल, दोयम माल, पूंजीगत माल तथा उपभोक्ता संबंधी माल पर सामान्यत: औसतन तथा भारतीय औसतन कितना सीमा शुल्क लगता है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे उत्पादों की पहचान की है जिनके कच्चे माल और फाइनल गुड्स की शुल्क दरें फाइनल गुड्स के मूल्य से अधिक होती है;

(ग) यदि हां, तो ये उत्पाद कौन-कौन से हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे आंकड़े एकत्र करने में किन अड़चनों का सामना करना पड़ता है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) किसी दिए गए विनिर्माता द्वारा तैयार किया गया उत्पाद दूसरे विनिर्माता की निविष्ट अथवा दोयम माल हो सकता है और इसलिए औसत सीमा शुल्कों की संगणना के प्रयोजनार्थ मूलभूत कच्चे माल अथवा दोयम माल के रूप में माल के वर्गीकरण को नहीं अपनाया जाता है। वर्ष 1997-98 से 2003-04 (अस्थायी) की अवधि के लिए आयातित माल के चुनिंदा समूह के संबंध में संग्रहण दर संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	वस्तु समूह	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	खाद्य उत्पाद	16	15	15	31	40	30	19
2.	पीओएल	29	29	23	16	10	11	11
3.	रसायन	37	34	36	38	29	28	24
4.	मानव निर्मित फैब्रिक्स	36	49	64	49	31	31	46
5.	पेपर एवं न्यूजप्रिंट	13	11	9	8	6	7	7
6.	प्राकृतिक फैब्रिक्स	17	22	24	18	8	10	13
7.	धातुएं	44	51	55	48	36	36	32
8.	कारखानागत माल	41	42	36	36	28	23	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	अन्य	15	11	12	12	9	9	8
10.	गैर-पीओएल	27	23	22	23	19	17	14
	योग	27	23	22	21	16	15	14

* संग्रहण की दर को किसी वस्तु के आयात मूल्य से वसूला गया आयात राजस्व (अतिरिक्त सीमा शुल्क/प्रतितुलनकारी शुल्क (सीवीडी) और विशेष अतिरिक्त शुल्क (सहित) के औसत के रूप में परिभाषित किया गया है।

क्रम सं. 1 अनाज, दालें, चाय, दूध और क्रीम, फल सब्जियां, प्राणी वसा और चीनी शामिल हैं।

क्रम सं. 3 रासायनिक तत्व, यौगिक, औषधियां, रंगने वाली और कलर करने वाली सामग्रियां, प्लास्टिक और रबड़ शामिल है।

क्रम सं. 5 पल्प और रद्दी कागज, न्यूजप्रिंट, पेपर बोर्ड और निर्मित और मुद्रित पुस्तकें शामिल हैं।

क्रम सं. 6 कच्ची ऊन और रेशम शामिल हैं।

क्रम सं. 7 लौह और इस्पात एवं गैर लौह-धातुएं शामिल हैं।

क्रम सं. 8 गैर-इलेक्ट्रोनिक मशीनरी, परियोजना आयात और इलेक्ट्रीकल मशीनरी शामिल हैं।

स्रोत: राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत परियोजनाएं

2579. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय सहायता देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में ग्रामीण विद्युतीकरण पर विशेष जोर दिया गया है और अगले पांच वर्षों में घरेलू विद्युतीकरण को पूरा करने का लक्ष्य है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2005-06 के दौरान विद्युतीकरण हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार निर्धारित पांच वर्षों की अवधि के भीतर इस विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) से (ङ) जी, हां। पांच वर्षों में आवासीय विद्युतीकरण को पूरा करने के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ग्रामीण विद्युत अवसंरचना और आवासीय विद्युतीकरण की एक नई स्कीम अनुमोदित की गई है।

इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित के लिए 90% पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी-

(1) समुचित रूप से राज्य प्रणाली से संबद्ध प्रत्येक ब्लाक में एक 33/11 केवी (या 66/11 केवी) सब-स्टेशन के साथ ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन (आरईडीबी) का निर्माण।

(2) प्रत्येक/गांव वास स्थानों में वितरण ट्रांसफार्मरों के साथ सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों/वास स्थान के विद्युतीकरण के लिए ग्रामीण विद्युत अवसंरचना (वीईआई) का निर्माण।

(3) उन गांवों/वास स्थानों के लिए विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन (डीडीजी) एवं आपूर्ति प्रणाली, जहां ग्रिड आपूर्ति किफायती नहीं है और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय अपने कार्यक्रमों के माध्यम से विद्युत उपलब्ध नहीं कराएगा।

(4) देश में गरीबी रेखा से नीचे के सभी गैर-विद्युतीकृत घरों का नि:शुल्क विद्युतीकरण।

10वीं योजना की शेष अवधि में स्कीम के चरण-I के लिए 5,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी अनुमोदित की गई है।

नालको

2580. श्री गिरिधर गमांग: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार नालको का बकाया ऋण कितना है;

(ख) क्या डिबेन्चर इश्यू का सहारा लेकर नालको के विस्तार का प्रथम चरण को पूरा कर लिया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दूसरे चरण में नालको के विस्तार के लिए वित्तपोषण का स्रोत क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) आज की स्थिति के अनुसार नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) का बकाया ऋण 354.39 करोड़ रुपए है।

(ख) और (ग) नालको का प्रथम चरण विस्तार काफी हद तक आंतरिक संसाधनों तथा आंशिक रूप से 300 करोड़ रुपए मात्र के ऋणपत्र/बाण्ड जारी करके पूरा किया गया था। ऋणपत्रों/बाण्डों की 300 करोड़ रुपए की सम्पूर्ण राशि का पुनर्भुगतान कर दिया गया है।

(घ) नालको के द्वितीय चरण विस्तार के लिए निधियन हेतु ऋण इक्विटी अनुपात 1:1 प्रक्षेपित किया गया है अर्थात् पूंजीगत व्यय का 50% आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जाएगा और शेष 50% को वाणिज्यिक उधारों से पूरा किया जाएगा।

विश्व बैंक का ऋण

2581. श्री जसुभाई दानाभाई धारड़: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विश्व बैंक द्वारा भारत को कितने रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन पर यह राशि खर्च की गई;

(ग) चालू वर्ष के दौरान अब तक विश्व बैंक द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए सहायता धनराशि किन राज्यों में खर्च की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक द्वारा दी गई वित्तीय सहायता निम्नानुसार है:

2001-02	9433 करोड़ रुपए
2002-03	7544 करोड़ रुपए
2003-04	9539 करोड़ रुपए

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) वित्तीय वर्ष 2004-05 (जनवरी तक) के दौरान विश्व बैंक द्वारा 5856.57 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मुहैया कराई गई है।

(घ) विश्व बैंक की सहायता सभी राज्यों में इस्तेमाल में लाई जा रही है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम
1	2
1.	नाथ्पा झाकड़ी विद्युत परियोजना
2.	द्वितीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना
3.	द्वितीय चेन्नई जलापूर्ति
4.	मुम्बई मल-निपटान
5.	उड़ीसा विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना
6.	उ.प्र. ग्रामीण जलापूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना
7.	राज्य सड़क अवसंरचना विकास तकनीकी सहायता
8.	ए.पी. आपदा उपशमन
9.	ए.पी. सिंचाई परियोजना-III
10.	ए.पी. राज्य राजमार्ग परियोजना
11.	हरियाणा विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना
12.	राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना
13.	ए.पी. आर्थिक पुनर्संरचना परियोजना
14.	उ.प्र. विविधीकृत कृषि सहायता परियोजना
15.	ए.पी. विद्युत पुनर्संरचना परियोजना

1	2
16.	द्वितीय तमिलनाडु शहरी विकास परियोजना
17.	समेकित जलसंभर विकास परियोजना (पहाड़ी-II)
18.	उ.प्र. विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना
19.	दूरसंचार क्षेत्र सुधार तकनीकी सहायता
20.	तीसरी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना
21.	गुजरात राज्य राजमार्ग परियोजना
22.	राजस्थान विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना
23.	कर्नाटक राज्य राजमार्ग सुधार परियोजना
24.	कर्नाटक आर्थिक पुनर्संरचना परियोजना
25.	जी.टी. रोड सुधार परियोजना
26.	ए.पी. आर्थिक सुधार कार्यक्रम
27.	झींगा और मत्स्य पालन
28.	परिवार कल्याण (शहरी गन्दी बस्तियां)
29.	नवीकरणीय संसाधन विकास परियोजना
30.	दूसरी समेकित बाल विकास परियोजना
31.	उ.प्र. लवणयुक्त भूमि सुधार परियोजना
32.	राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन परियोजना
33.	वानिकी अनुसंधान शिक्षा और विस्तार परियोजना
34.	हरियाणा जल संसाधन समेकन परियोजना
35.	मोतियाबिन्द अन्धता नियंत्रण परियोजना
36.	परिवार कल्याण परियोजना
37.	औद्योगिक प्रदूषण रोकथाम
38.	जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना
39.	ए.पी. स्वास्थ्य प्रणाली
40.	कृषि मानव संसाधन विकास परियोजना
41.	असम ग्रामीण अवसंरचना
42.	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना
43.	जल विद्युत
44.	उड़ीसा जल संसाधन समेकन
45.	द्वितीय राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास
46.	निजी आधारभूत ढांचा (आईएल एण्ड एफएस)
47.	कोयला क्षेत्र पर्यावरण एवं सामाजिक उपशमन
48.	द्वितीय जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना
49.	पारिस्थितिकीय विकास
50.	क्षमता निर्माण तकनीकी सहायता
51.	क्षयरोग नियंत्रण परियोजना
52.	ग्रामीण महिला विकास एवं अधिकारिता
53.	मलेरिया नियंत्रण परियोजना
54.	तीसरी जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना
55.	उ.प्र. वानिकी परियोजना
56.	केरल वानिकी
57.	महाराष्ट्र स्वास्थ्य प्रणाली विकास
58.	उ.प्र. लवणयुक्त भूमि सुधार परियोजना-II
59.	द्वितीय राष्ट्रीय एड्स/एचआईवी नियंत्रण
60.	उ.प्र. तीसरी जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना
61.	ए.पी. जिला निर्धनता उन्मूलन परियोजना
62.	उ.प्र. स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना
63.	राजस्थान जिला निर्धनता उन्मूलन उपाय
64.	टीकाकरण सुदृढ़ीकरण
65.	द्वितीय नवीकरणीय ऊर्जा
66.	तीसरी तकनीकी शिक्षा परियोजना
67.	म.प्र. जिला निर्धनता उपाय
68.	केरल ग्रामीण जलापूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता
69.	द्वितीय राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन परियोजना
70.	कर्नाटक जलसंभर विकास
71.	राजस्थान द्वितीय जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना

1	2
72.	उ.प्र. जलक्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना
73.	राजस्थान जलक्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना
74.	प्रजननकारी बाल स्वास्थ्य
75.	उड़ीसा स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना
76.	महिला एवं बाल विकास परियोजना
77.	राजस्थान जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना
78.	आर्थिक सुधार तकनीकी सहायता
79.	केरल राज्य परिवहन
80.	मुम्बई शहरी परिवहन
81.	उ.प्र. राज्य सड़क परियोजना
82.	द्वितीय कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता
83.	उ.प्र. जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना
84.	मिजोरम राज्य सड़क परियोजना
85.	कर्नाटक सामुदायिक तालाब प्रबंधन
86.	गुजरात आपात भूकम्प पुनर्निर्माण परियोजना
87.	ए.पी. सामुदायिक वानिकी प्रबंधन
88.	तकनीकी इंजीनियरी शिक्षा गुणवत्ता सुधार
89.	तमिलनाडु सड़क क्षेत्र
90.	इलाहाबाद बाईपास
91.	द्वितीय ए.पी. आर्थिक सुधार
92.	ए.पी. ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन
93.	छत्तीसगढ़ जिला ग्रामीण निर्धनता परियोजना
94.	महाराष्ट्र ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता
95.	पीजीसीएल पावरग्रिड सिस्टम विकास
96.	कानकार कन्टेनर परिवहन संभारिकी
97.	आईडीबीआई औद्योगिक प्रदूषण रोकथाम
98.	आईसीआईसीआई औद्योगिक प्रदूषण रोकथाम
99.	आईडीबीआई आधुनिकीकरण एवं संस्थागत विकास

1	2
100.	आईएल एण्ड एफएस निजी आधारभूत वित्त
101.	कोयला क्षेत्र पुन:सुधार
102.	द्वितीय पावरग्रिड सिस्टम विकास
103.	एनटीपीसी विद्युत उत्पादन
104.	शहरी पर्यावरणीय प्रबंधन
105.	मुम्बई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण
106.	समेकित कृषि मांग पक्ष प्रबंधन
107.	राज्य विद्युत क्षेत्र में योजना-निर्माण
108.	सूचना विकास कार्यक्रम
109.	राज्य विद्युत क्षेत्र में डीएसएम योजना-निर्माण
110.	प. बंगाल नगरपालिका विकास परियोजना
111.	विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम
112.	सीएजी का आधुनिकीकरण एवं क्षमता निर्माण
113.	आईआरईडीए द्वितीय नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना
114.	गुजरात जिला प्राथमिक शिक्षा
115.	राजमार्ग संस्थागत सुदृढ़ीकरण
116.	औद्योगिक सुरक्षा एवं आपदा रोकथाम
117.	राज्य विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना कार्यक्रम
118.	जल अनुसंधान नवाचार एवं प्रशिक्षण
119.	आधारभूत ढांचा एवं-ई रेडिनेस मूल्यांकन
120.	द्वितीय माट्रियाल प्रोटोकोल ओडीएस
121.	सीएफसी उत्पादन क्षेत्र क्रमिक समापन
122.	वहनीय वर्षापोषित कृषि विकास
123.	जिला निर्धनता उन्मूलन परियोजना
124.	कर्नाटक समेकित स्वास्थ्य पोषण एवं परिवार कल्याण
125.	द्वितीय महाराष्ट्र ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता
126.	वैकल्पिक ऊर्जा
127.	राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम
128.	भारत की पेंशन प्रणाली में सुधार हेतु क्षमता
129.	तमिलनाडु ग्रामीण जलापूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता

इसके अतिरिक्त, कुछ छोटी अनुदान परियोजनाएं भी थीं।

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा प्रकटीकरण संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन

2582. श्री एल. राजगोपाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रकटीकरण संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन किया है जैसा कि दिनांक 26 जनवरी, 2005 के समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) सेबी (प्रकटन और निवेशक संरक्षण) मार्गनिर्देश (डीआईपी मार्गनिर्देश) दिनांक 25 जनवरी, 2005 के परिपत्र संख्या सेबी/सीएफडी/डीआईएल/डीआईपी/14/2005/25/1 द्वारा संशोधित किए गए थे। ये संशोधन, अन्य बातों के साथ, विवरणिका में प्रकटनों के प्रस्तुतीकरण में समानता लाने, संक्षिप्त विवरणिका की प्रयोक्ता अनुकूलता बढ़ाने, सभी सार्वजनिक निर्गमों में पूर्व-निर्गम विज्ञापन जारी करने का अधिदेश देने और दिशानिर्देशों में शामिल प्रपत्रों के अनुसार निर्गम विज्ञापनों में कुछ न्यूनतम सूचना निर्दिष्ट करने के लिए किए गए हैं।

निगमित कर में कमी

2583. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निगमित कर की दर कम करने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा कम्पनियों पर लगने वाली लाभांश वितरण दर को 12.5 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किए जाने की संभावना है;

(घ) बाजार को प्रोत्साहित करने के संबंध में निगमित कर और लाभांश वितरण कर में कमी किए जाने का क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ङ) क्या सरकार द्वारा चुनिन्दा क्षेत्रों में एफ.आई.आई. सीमा बढ़ाये जाने के संबंध में अशोक लाहिड़ी समिति की सिफारिशों पर अंतिम रूप से विचार किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) नासकाम, एसोचैम, फिक्की, सी आई आई इत्यादि सहित विभिन्न उद्योग एवं व्यापार संघों की ओर से निगमित कर दर को कम करने की मांग की गई है। वित्त विधेयक, 2005 में घरेलू कम्पनियों के लिए निगमित कर को 35% से घटाकर 30% करने का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) वित्त विधेयक, 2005 में लाभांश वितरण कर को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) निगमित कर दर में कमी से बाजार पर अनुकूल प्रभाव पड़ने और इससे व्यापार एवं उद्योग जगत के विकास को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है।

(ङ) और (च) इस विषय पर समिति की रिपोर्ट की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

राज्यों के लिए उच्च न्यायालय

2584. डा. टोकचोम मैन्या: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों में उच्च न्यायालय नहीं हैं;

(ख) राज्य में स्वतंत्र उच्च न्यायालय की स्थापना करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित हैं;

(ग) वर्तमान में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कितने मामले लंबित पड़े हैं;

(घ) क्या सरकार कोई ऐसा कानून बनाने पर विचार कर रही है जो हमारे न्यायालयों द्वारा त्वरित न्याय देना संभव बनाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) और (ख) गोवा, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों तथा दिल्ली को छोड़कर सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कोई पृथक उच्च न्यायालय नहीं है। पंजाब और हरियाणा राज्य के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की असम में स्थित प्रधान न्यायपीठ के अलावा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों में न्यायपीठें हैं।

(ग) तारीख 31 दिसंबर, 2004 को उच्चतम न्यायालय में 14,995 ग्रहण संबंधी मामले और 15,156 नियमित सुनवाई के मामले लंबित थे। विभिन्न उच्च न्यायालयों में 33,43,952 मामले लंबित हैं।

(घ) और (ङ) भारत सरकार के मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिनके अंतर्गत त्वरित निपटान न्यायालयों का गठन, सिविल प्रक्रिया संहिता का संशोधन, लोक उपयोगिता से संबंधित विवादों के लिए स्थायी अदालतों, न्यायाधीशों के पदों की संख्या में वृद्धि, विशेष न्यायालयों/अधिकरणों की स्थापना, विधिक शिक्षा के स्तर में सुधार, माध्यस्थम् और सुलह जैसे विवाह के वैकल्पिक ढ़ंगों को अपनाया जाना है।

आयातित शराब पर आधारभूत शुल्क में कमी

2585. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आयातित शराब पर लगने वाले बेसिक शुल्क को 150% से कम करके 75% करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने स्थानीय कंपनियों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) इस समय सरकार के पास शराब पर मूल सीमा शुल्क कम करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भारत का राजकोषीय घाटा

2586. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राजकोषीय घाटा बहुत अधिक है तथा चीन की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद में ऋण का हिस्सा बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोरिया, ताइवान तथा चीन काफी लम्बे समय से तीव्रगति से उच्च शिकायत दर प्राप्त कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या वैश्विक रेटिंग एजेंटी स्टैण्डर्ड एण्ड पूअर्स (एस एंड पी) ने चेतावनी दी है कि अत्याधिक राजकोषीय घाटे तथा ऋण भार के कारण कोरिया, ताइवान तथा चीन की तरह उच्च विकास दर कायम रखने में भारत सफल नहीं हो सकेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) विश्व बैंक का प्रकाशन "2004/विश्व के विकास संकेतक" केन्द्र सरकार के वित्त साधनों के संबंध में पूरे देश के आंकड़े प्रदान करता है। प्रकाशन के अनुसार, वर्ष 1990 में चीन और भारत के लिए समग्र बजट संतुलन (अनुदानों सहित) क्रमश: स.घ.उ. का -1.9 प्रतिशत और स.घ.उ. का -7.6 प्रतिशत और वर्ष 2001 में स.घ.उ. का -2.9 प्रतिशत और -4.7 प्रतिशत रहा है। प्रकाशन के अनुसार, चीन का कुल ऋण स.घ.उ. का 12.7 प्रतिशत और भारत का ऋण स.घ.उ. का 57.7 प्रतिशत है।

(ख) विश्व बैंक का प्रकाशन "विश्व विकास संकेतक 2004" विकास संबंधी काल श्रृंखला आंकड़ा प्रस्तुत करता है। प्रकाशन के अनुसार, स.घ.उ. की औसत वार्षिक वृद्धि नीचे दी गई है:-

देश	स.घ.उ. की औसत वार्षिक (प्रतिशत)	
	1980-90	1990-2002
चीन	10.3	9.7
कोरिया गणराज्य	8.9	5.6
भारत	5.7	5.8

"एशियाई विकास बैंक के प्रकाशन" मुख्य संकेतक 2004 में वर्ष 1990-2002 की अवधि में चीनी ताईपेई में स.घ.उ. की औसत वार्षिक वृद्धि 5.46 प्रतिशत पर रखी गई है।

(ग) और (घ) दिनांक 2 फरवरी, 2005 को स्टैंडर्ड एंड पुअर्स (एसएंडपी) ने स्टेबल आऊटलुक के साथ अपनी दीर्घकालिक स्थानीय मुद्रा एवं अल्पकालिक दर्जा निर्धारण की सुदृढ़ता के दौरान भारत की दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा के दर्जा निर्धारण में वृद्धि की है। उन्होंने बताया है कि भारत की आर्थिक संभावनाएं सुदृढ़ और अच्छी हैं। उन्होंने मध्यावधि में 6.5 प्रतिशत से 7.0 प्रतिशत तक की स.घ.उ. में वृद्धि का अनुमान लगाया है। उन्होंने इसके लिए

भी सावधान किया है कि मुख्य जोखिम कमजोर राजकोषीय रूपरेखा केन्द्र और राज्य सरकार के विशेषकर बड़े संयुक्त राजकोषीय घाटे की वजह से होते हैं जो कि वृद्धि दरों में किसी भी तरह की निरपेक्ष गिरावट अथवा ब्याज दरों में वृद्धि के लिए इसे सुभेद्य बनाते हैं। केन्द्र सरकार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के तहत अधिदेशित राजकोषीय सुधारों को हासिल करने के लिए कटिबद्ध है। राज्य स्तर के मूल्य वर्द्धित कर के प्रस्तावित प्रारंभण तथा राज्यों द्वारा ऋण राहत के राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान के अधिनियमन के साथ-साथ करने से ऐसी जोखिमों से बचाव होगा।

राज्यों के ऋण भुगतान हेतु आंशिक वित्त पोषण

2587. श्री बसुदेव आचार्य: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19.01.2005 के इकोनोमिक टाइम्स में "सेंटर आफर्स पार्ट फंडिंग फार स्टेट्स डेट पेमेंट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) ऐसी योजना का लाभ उठाने के लिए राज्यों के साथ किए गए परामर्श का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रस्ताव के प्रति कुछ राज्यों द्वारा उत्साह न दिखाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत खुले बाजार से अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति/सहमति देकर वित्तीय संसाधनों से लिए गए उच्च लागत वाले ऋणों की बकाया राशि का पूर्व-भुगतान करने में राज्यों की मदद की गई है, ताकि वे बैंकों/वित्तीय संस्थानों से कम ब्याज वाले नए ऋण ले सकें। भारत सरकार ने प्रीमियमों, प्राप्तियों यदि कोई हों तो, जो कि मौजूदा नेगोशिएटिड ऋणों के पुन: भुगतान/पुनसंरचना पर राज्यों द्वारा दिए जाने हों, को कवर करने के लिए आंशिक रूप से बाजार से उगाही की अनुमति भी दी है।

इस प्रयोजन के लिए गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम और उत्तर प्रदेश को अनुमति प्रदान की गई थी।

बुनियादी अवसंरचना पर इण्डो अमेरिकन चेंबर्स आफ कामर्स की कार्यसूची

2588. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को बुनियादी अवसंरचना क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देने के लिए इण्डो अमेरिकन चेंबर्स आफ कामर्स से सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं। वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग को ऐसे कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

नदियों में असंसाधित मलजल को बहाए जाने पर कर

2589. श्री विजय कृष्ण:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय ने नदियों में असंसाधित मलजल बहाने वाले नगर निगम निकायों, औद्योगिक इकाइयों आदि पर कर लगाने के लिए वित्त मंत्रालय से संपर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वित्त मंत्रालय द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

वित्त मंत्रालय में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड का पुनर्गठन

2590. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 2002 में वित्त मंत्रालय में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड का पुनर्गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या असंगत और अवैज्ञानिक तरीकों के कारण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग विशेषकर महाराष्ट्र में गत्यारोधन की समस्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में अधीक्षकों और निरीक्षकों के संवर्ग के मामले में वेतन आयोग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग जैसे विशेषज्ञ निकायों की सिफारिशों का भी अनुपालन नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। महाराष्ट्र राज्य में स्थित आयुक्तालयों सहित, केन्द्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड के अधीन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालयों को विभिन्न ग्रेडों में कर्मचारियों की नफरी का आबंटन मंत्रालय द्वारा पारदर्शी तरीके से सरकार द्वारा अनुमोदित एक आयुक्तालय के माडल ढांचे (5 प्रभागों और 25 रेंजों पर आधारित) के अनुसार किया गया था।

(ग) और (घ) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा व्यय विभाग ने संवर्ग-पुनर्गठन योजना की पूर्णतया जांच की थी और स्वीकृति हेतु केन्द्रीय मंत्रिमंडल को प्रस्तुत किए जाने से पूर्व इसे अनुमति प्रदान कर दी थी।

(ङ) और (च) जी, हां। संवर्ग पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, विभाग में निरीक्षकों और अधीक्षकों/मूल्यनिरूपकों के संवर्ग में गतिरोधता को निम्नलिखित प्रोन्नतियों को प्रभावी करके कम किए जाने पर विचार किया गया था:-

(1) 5451 निरीक्षकों की अधीक्षक के रूप में;

(2) 586 कार्यकारी समूह "ख" (अधीक्षक और मूल्य निरूपकों) की सहायक आयुक्त के रूप में।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला): अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2005-2006 के लिए खान मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1768/05]

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): महोदय, में निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) बर्ड्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बर्ड्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1769/05]

(ख) (एक) नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1770/05]

(ग) (एक) नेशनल जूट मैनुफैक्चर्स कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल जूट मैनुफैक्चर्स कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1771/05]

(3) (एक) सरदार वल्लभभाई पटेल इंस्टिट्यूट आफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट, कोयम्बतूर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सरदार वल्लभभाई पटेल इंस्टिट्यूट आफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट, कोयम्बतूर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1772/05]

(5) वर्ष 2005-2006 के लिए वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मागों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1773/05]

(6) (एक) नेशनल सेंटर फार जूट डायवर्सिफिकेशन, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फार जूट डायवर्सिफिकेशन, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1774/05]

(8) (एक) जूट मैनुफैक्चर्स डेवलपमेंट काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जूट मैनुफैक्चर्स डेवलपमेंट काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1775/05]

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): महोदय, मैं वर्ष 2005-2006 के लिए विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1776/05]

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2005-2006 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1777/05]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2005-2006 के लिए अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1778/05]

[अनुवाद]

कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) वर्ष 2005-2006 के लिए कंपनी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1779/05]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 102(अ) जो 25 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित कतिपय कंपनियों को कतिपय निदेशों के अध्यधीन निधियां घोषित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1780/05]

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) कोल इंडिया लिमिटेड तथा कोयला विभाग, कोयला और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1781/05]

(2) वर्ष 2005-2006 के लिए कोयला मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1782/05]

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): अध्यक्ष महोदय, श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) काउंसिल फार एडवांसमेंट आफ पीपुल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नालाजी, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काउंसिल फार एडवांसमेंट आफ पीपुल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नालाजी, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेगी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1783/05]

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 20 की उपधारा (3) के अंतर्गत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1784/05]

(2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आय विवरणी का इलेक्ट्रानिक तरीके से प्रस्तुतीकरण स्कीम, 2004 जो 30 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1073(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आय विवरणी का इन्टरनेट पर प्रस्तुतीकरण स्कीम, 2004 जो 30 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1074(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (पहला संशोधन) नियम, 2005 जो 6 जनवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 30(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 2005 जो 7 जनवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 36(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 जो 17 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 232(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) आयकर (छठा संशोधन) नियम, 2005 जो 28 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 266(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) उपर्युक्त (2) की मद संख्या (एक और दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1785/05]

(4) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 109(अ) से सा.का.नि. 116(अ) और सा.का.नि. 119(अ) से सा.का.नि. 123(अ) जो 1 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 28 फरवरी, 2005 को लोक सभा में वित्त मंत्री द्वारा यथाघोषित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क से संबंधित बजट प्रस्तावों के संदर्भ में अतिरिक्त शुल्कों से छूट और उनके अधिरोपण के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 775(अ) जो 25 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 मई, 1991 की अधिसूचना संख्या 44/91-सी.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1786/05]

(5) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 124(अ) से सा.का.नि. 134(अ) जो 1 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 28 फरवरी, 2005 को लोक सभा में वित्त मंत्री द्वारा यथाघोषित सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित बजट प्रस्तावों के संदर्भ में अतिरिक्त शुल्कों से छूट और उनके उद्ग्रहण के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पहला संशोधन) नियम, 2005 जो 1 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 135(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सेनवेट क्रेडिट (दूसरा संशोधन) नियम, 2005 जो 1 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 136(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 137(अ) जो 1 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-के.उ.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 93(अ) और सा.का.नि. 94(अ) जो 24 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची के अध्याय, शीर्षक या उप शीर्षक में किसी संदर्भ को प्रतिस्थापित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 91(अ) जो 23 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 7 जनवरी, 2005 की अधिसूचना संख्या 2/2005-के.उ.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 95(अ) जो 24 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट उत्पाद शुल्क वस्तुओं पर शुल्क की दर बनाए रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 96(अ) जो 24 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची के अध्याय, शीर्षक या उप शीर्षक में किसी संदर्भ को प्रतिस्थापित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सेनवेट क्रेडिट (तीसरा संशोधन) नियम, 2005 जो 3 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 150(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1787/05]

(6) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 138(अ) से सा.का.नि. 140(अ) और सा.का.नि. 142(अ) जो 1 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 28 फरवरी, 2005 को लोक सभा में वित्त मंत्री द्वारा यथाघोषित बजट प्रस्तावों के संदर्भ में सेवा कर से संबंधित हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2005 जो 1 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 141(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सेवा निर्यात नियम, 2005 जो 3 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 151(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 152(अ) जो 3 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उनमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं को निरस्त करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1788/05]

(7) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 77(अ) जो 16 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड में उद्भूत या वहां से निर्यातित पालिस्टीरीन पर प्रतिपाटन शुल्क को विधिमान्यता को बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 117(अ) जो 1 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर उद्ग्रणीय अतिरिक्त शुल्क अधिरोपित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 118(अ) जो 1 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आयातित माल पर शिक्षा उपकर से अतिरिक्त शुल्क में छूट देना करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1789/05]

(8) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत "महाराणा प्रताप" के सम्मान में ढाले गए सौ रुपए (जिसमें चांदी 50 प्रतिशत, तांबा 40 प्रतिशत, निकिल 5 प्रतिशत तथा जस्ता 5 प्रतिशत है) दस रुपए (जिसमें तांबा 75 प्रतिशत तथा निकिल 25 प्रतिशत है) और फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का एक रुपए (जिसमें लोहा 82 प्रतिशत तथा क्रोमियम 18 प्रतिशत है) का सिक्का निर्माण (स्मारक सिक्कों का मानक भार तथा सुधार) (संशोधन) नियम, 2004 जो 14 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 315(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1790/05]

(9) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) यूनियन बैंक आफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2004 जो 21 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 34 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2004 जो 13 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ओडीएआर/1/2004 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) इलाहाबाद बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2004 जो 20 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/आईआर/एफ-49/1981 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) बैंक आफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2004 जो 23 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएल: 2004-05 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) इंडियन बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2004 जो 20 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसआरसी/47 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) पंजाब एण्ड सिंध बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2004 जो 13 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएसबी/डीएसी/2004 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 1791/05]

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश
और
राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—*सभा पटल पर रखा गया*

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:-

(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक 2005 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 15 मार्च, 2005 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(2) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (रेल) विधेयक, 2005 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 15 मार्च 2005 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(3) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 17 मार्च, 2005 को हुई अपनी बैठक में पारित परेल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड तथा डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड (प्रबंध ग्रहण) निरसन विधेयक 2005 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 17 मार्च 2005 को यथापारित परेल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड तथा डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड (प्रबंध ग्रहण) निरसन विधेक, 2005 सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

चौथा और पांचवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): महोदय, मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का चौथा और पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03½ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

तीसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2004-2005) का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और तत्संबंधी कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य*

कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति**

अध्यक्ष महोदय: मद संख्या 14—डा. दासरि नारायण राव। आप वक्तव्य पढ़ना चाहते हैं अथवा इसे सभा पटल पर रखना चाहते हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): महोदय, मैं वक्तव्य सभा पटल पर रखना चाहता हूं।

महोदय, मैं लोक सभा बुलेटिन भाग-2, दिनांक 01 सितम्बर, 2004 के अनुसार जारी लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निदेश 73ए के अनुसरण में कोयला तथा इस्पात से सम्बद्ध संसद की

---

*ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1792/05

**वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया।

स्थायी समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में यह वक्तव्य दे रहा हूं।

कोयला तथा इस्पात से सम्बद्ध स्थायी समिति ने वर्ष 2004-05 के लिए कोयला विभाग की अनुदान मांगों पर विचार करने के लिए 16 जुलाई, 2004 को बैठक की। इस समिति ने 10 अगस्त, 2004 को कोयला विभाग के अधिकारियों का मौखिक साक्ष्य भी लिया। इस समिति ने विभाग के उद्देश्यों, लक्ष्यों तथा उपलब्धियों के संदर्भ में कोयला विभाग की अनुदान मांगों की जांच करते समय स्थायी समिति की अपनी पहली रिपोर्ट पेश की।

अपनी इस रिपोर्ट में स्थायी समिति ने कुल मिलाकर 15 सिफारिशें की। इन सिफारिशों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट इस विभाग में 25 नवम्बर, 2004 और 16 दिसम्बर, 2004 के कार्यालय ज्ञापनों के तहत समिति को प्रस्तुत कर दी गई है। सिफारिशों पर उपयुक्त कार्रवाई कर ली गई है।

10.8.2004 के मौखिक साक्ष्य के दौरान समिति द्वारा की गई 17 टिप्पणियों के संबंध में कोयला विभाग द्वारा दिए गए उत्तरों पर विचार करने के लिए सिमति ने 15 अक्तूबर, 2004 को कोयला विभाग के प्रतिनिधियों का दूसरा मौखिक साक्ष्य लिया। समिति ने 16 दिसम्बर, 2004 को तीसरा मौखिक साक्ष्य लिया तथा विचार-विमर्श के दौरान समिति ने विस्तृत जांच के लिए तीन विषय चुने। कोयला विभाग ने समिति को कतिपय टिप्पणियों पर आश्वासन दिए। तीसरे मौखिक साक्ष्य के दौरान समिति को दिए गए आश्वासनों पर कोयला विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। उसके बाद 30.12.2004 को "सीआईएल में मशीनरी की उपयोगिता की तुलना में जनशक्ति आयोजना, आउटसोर्सिंग" विषय पर विचार-विमर्श करने के लिए कोयला तथा इस्पात से सम्बद्ध स्थायी समिति की कोयले से सम्बद्ध उप-समिति की बैठक हुई। कोयला तथा इस्पात से सम्बद्ध स्थायी समिति की कोयले से सम्बद्ध उप-समिति की 7.1.2005 को हुई बैठक में इस विषय पर और आगे चर्चा की गई। उक्त बैठक में समिति के सदस्यों को "पावर प्वाइन्ट प्रजेन्टेशन" दिया गया।

अपराह्न 12.04½ बजे

कार्यमंत्रणा समिति के नौवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 17 मार्च, 2005 को सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के 9वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 17 मार्च, 2005 को सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के 9वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.05 बजे

पेटेंट (संशोधन) विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमलनाथ): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पेटेंट अधिनियम, 1970 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि पेटेन्ट अधिनियम, 1970 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: एक मिनट रुकिये। अधीर मत होइये। मुझे कुछ सूचनाएं मिली हैं। मैं देखूंगा कि आपने उनमें विरोध के कारणों का उल्लेख किया है या नहीं क्योंकि नियमत: सूचनाओं में विरोध के कारणों का उल्लेख किया जाना चाहिए। श्री सुरेश कुरूप।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम): इस विधेयक में हमारे देश के लोगों के हितों पर ध्यान नहीं दिया गया है। गत सत्र के दौरान इसी सभा में इस आशय के प्रश्न किये गये थे कि क्या सरकार पेटेन्ट अधिनियम में संशोधन करना चाहती है। उस समय इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया और सत्रावसान के तुरन्त बाद इस सभा की जानकारी में लाये बिना इस अध्यादेश को प्रख्यापित कर दिया गया। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 18.3.2005 में प्रकाशित।

श्री सुरेश कुरूप: यह हमारे संविधान की मूल भावना के विपरीत होने के साथ-साथ हमारे देश के लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध भी है।

महोदय, हमारे पेटेन्ट कानून को विश्व के सभी विकसित देशों ने एक आदर्श पेटेन्ट कानून के रूप में स्वीकारा है। हमारे पेटेन्ट कानून औषधि तथा कृषि-रसायन के क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं देते। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप इतने विस्तार में न जायें।

श्री सुरेश कुरूप: मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिये।

अध्यक्ष महोदय: लेकिन यह संविधान सम्मत होनी चाहिए।

श्री सुरेश कुरूप: परिणामस्वरूप भारतीय औषधि उद्योग विश्व के विकासशील देशों में सबसे सुदृढ़ और सर्वाधिक आत्म-निर्भर उद्योगों में शुमार किया जाने लगा। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारी कुछ दवा कंपनियों ने विश्व में सबसे कम कीमत वाली एड्स-रोधी दवाइयां विकसित की हैं। यदि यह विधेयक कानून बन जाता है तो हमारी दवा कंपनियां विश्व की दूसरी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दया पर निर्भर होंगी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ये उचित कारण नहीं हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरूप: हमें इन पेटेन्ट दवाइयों के फार्मूले विकसित करने से रोक दिया जायेगा। इससे हमारे देश का आम आदमी जीवन रक्षक दवाइयां नहीं खरीद पायेगा। इन दवाइयों के बारे में सरकार का एकमात्र तर्क यह है कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जब मैं बोलने के लिए खड़ा हूं तो आप लोग कृपया बैठ जायें। मैं आपसे केवल इस बात पर सहमत हूं कि निश्चय ही इससे कुछ प्रश्न उठते हैं। लेकिन यहां हम एक ऐसे स्तर पर इसकी चर्चा कर रहे हैं जहां ये सब बातें बेमानी हो जाती हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं नहीं समझता कि यहां इतनी अधिक बेचैनी क्यों है। इस स्तर पर तो इसकी संवैधानिकता का ही सवाल हो सकता है। आप विधेयक पर चर्चा के दौरान अपनी सभी बातें कह सकते हैं। आपने कारणों का उल्लेख तो कर दिया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि एक बार मैं नियम विरुद्ध बात को उठाने की अनुमति दे देता हूं तो इसे आगे भी जारी रखा जायेगा।

...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरूप: इस विधेयक के कानून बन जाने से जीवन-रक्षक दवाइयां आम आदमी की पहुंच से दूर हो जायेंगी। जैसाकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिकार ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यहां इस आसन पर बैठकर मुझे मालूम नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरूप: जीवनरक्षक दवाइयों तक पहुंच सहित प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की देखरेख का अधिकार प्राप्त है और यह अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया गया है। यह सभा इतनी अधिक सक्षम नहीं है कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: देखते हैं कि इसका अंतिम रूप क्या होगा।

श्री सुरेश कुरूप: इस सभा को इतनी अधिक विधायी शक्तियां प्राप्त नहीं हैं कि वह हमारे देश के लोगों को प्राप्त मौलिक अधिकारों को प्रभावित करने वाला कोई कानून बना सके। सभी लोगों को जीवन-रक्षक दवाइयां कम कीमत पर और आसानी से प्राप्त हों यह उनका अधिकार है और उनके इस अधिकार को हम बहु-राष्ट्रीय कंपनियों के हवाले कर आम लोगों को उनके हाल पर छोड़ देने का मतलब है कि हम अपने देश की संप्रभुता से समझौता कर रहे हैं। अत: यह बात इस सभा की विधायी शक्ति के अंतर्गत नहीं आती ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से रखा है।

श्री सुरेश कुरूप: यह विधेयक हमारे देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की जड़ों पर ही प्रहार करता है इसलिए यह इस सभा की विधायी शक्ति के बाहर है।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): इस विधेयक की विषय वस्तु से मेरा कुछ भी लेना-देना नहीं है। मैं तो इस विधेयक को पुर:स्थापित किये जाने के ढंग को लेकर चिंतित हूं। यह एक ऐसा मामला है जिसमें यह स्वीकृत तथ्य था कि सरकार लंबे समय से इस स्थिति का सामना कर रही थी। अत: सरकार के समक्ष पेटेन्ट कानून में संशोधन की बाध्यता थी। यह एक स्वीकृत तथ्य

है। यदि इसकी इतनी अधिक आवश्यकता थी, तो सरकार के पास इस कार्य के लिए पर्याप्त अवसर रहे होंगे कि वह विधेयक को सामान्य ढंग से सभा में पेश करती ताकि हमें इस विधेयक के संबंध में अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिलता। लेकिन इस सरकार ने संविधान में आपात स्थिति में प्रयुक्त किये जाने वाले प्रावधानों को अपनाया है। अनुच्छेद 123 की आड़ ली गयी है। यह एक तरह से संवैधानिक प्रावधानों के साथ धोखाधड़ी है। इस बारे में संविधान में स्थिति एकदम स्पष्ट है कि जब कभी आपात स्थिति हो सरकार इस अनुच्छेद 123 के तहत कार्रवाई कर सकती है। लेकिन इस मामले में तो आपात स्थिति जैसी कोई बात है नहीं। हमने विश्व व्यापार समझौता पहले से ही कर रखा है। सरकार ने कहा है कि उसने वचन दिया है। यदि ऐसी बात थी तो उन्होंने अध्यादेश लाने का निर्णय क्यों किया। मैं अध्यादेश लाये जाने के खिलाफ हूं। जब पहले से कोई अध्यादेश लागू हो और उसके स्थान पर सभा में कोई विधेयक पेश किया जाता है तो ऐसे विषय पर सदस्यों को अपनी बेबाक राय व्यक्त करने का मौका नहीं मिल पाता।

जब पहले से ही कोई अध्यादेश होता है, तो एक तरह से हमारे मुक्त विचार-विमर्श के अधिकारों में कटौती होती है। ऐसा इसलिए कि हम इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं लेकिन हमें अपने विचार व्यक्त करने की आजादी नहीं है। यहां पर हम विधायन की सीमा द्वारा बंधे हुए हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: निश्चय ही, आप अपनी बात को कहने का हक रखते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: निश्चय ही, आप इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करने के हकदार हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं आशा करता हूं कि अध्यक्ष महोदय, जो विधायी शक्तियों के प्रमुख हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं प्रमुख नहीं हूं। मैंने आपको काफी समय दिया है। अब कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि सदस्यों को विधायन संबंधी जो विशेष शक्तियां प्राप्त हैं उनमें कटौती नहीं की जानी चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं इस अध्यादेश का विरोध करता हूं। मैं इस अध्यादेश से सहमत नहीं हूं। यदि सरकार की नीयत ठीक होती, तो उसे इस विधेयक को सामान्य ढंग से पेश करना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए मैं इस विधेयक को पुर:स्थापित करने का पुरजोर विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप इसका विरोध करने के हकदार हैं।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट): अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि अनुच्छेद 103 के तहत सरकार अध्यादेश ला सकती है। वह अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए एक विधेयक ला रही है। लेकिन मुझे सूचना मिली है कि सरकार को इसे इस समय लाना था और उसे 1994 में इसका पता था। जब उसने माराकेस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इन वर्षों के दौरान उसने प्रतीक्षा की, और पहला तथा दूसरा संशोधन किया गया। जे.पी.सी. में भी इस पर चर्चा हुई। इसलिए बहुत सारे बातें हुई।

अब, 23 दिसम्बर 2004 तक संसद का सत्र चल रहा था। लेकिन सरकार ने यह अध्यादेश 26 दिसम्बर, 2004 को लाया, ठीक उसी दिन जिन दिन सुनामी की लहरों ने दबिश दी। क्या यह ठीक उसी दिन इसलिए लाया गया था कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा से बचा जा सके। इससे न केवल हमारी फर्मास्यूटिकल्स उद्योग प्रभावित होगा बल्कि जीवन तथा अन्य चीजों को पेटेंट करने के कार्य पर प्रभाव पड़ेगा।

मेरा कहना है कि इस संबंध में विधान लाकर सरकार हमें इस पर चर्चा से क्यों रोक रही है तथा अपना विचार व्यक्त करने से रोक रही है।

एक बात और है। क्या सरकार को संसद को एक सूचनाएं देने वाले निकाय के रूप में लेना चाहिए। संसद एक विधायी निकाय है। सरकार अध्यादेश क्यों लाई जबकि सत्र चल रहा था, यह जानबूझकर लाया गया विधान था और संसद को मात्र सूचित किया गया। मुझे विश्वास है कि जब मंत्री महोदय व्याख्यात्मक नोट लाएंगे तो वे हम सभी को पूरी जानकारी देंगे कि डब्ल्यूटीओ तथा अन्यत्र में क्या हुआ। उन्होंने ऐसा क्यों किया।

इसलिए, मैं इस विधेयक को पुर:स्थापित किये जाने का विरोध करता हूं।

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): महोदय, मैं पेटेन्ट अधिनियम 1970 में और संशोधन करने वाले इस विधेयक को पुर:स्थापित किए जाने का जोरदार शब्दों में निम्नलिखित आधार पर विरोध करता हूं।

पहला, यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के एकदम विरुद्ध है जिसमें जीने का अधिकार दिया गया है। इसलिए, यह सभा

[श्री एम.एन. कृष्णदास]

संविधान के मूल अधिकारों के विरुद्ध कोई कानून नहीं बना सकती।

दूसरी बात कि यदि यह विधेयक वर्तमान रूप में पारित हो जाता है तो यह हमारे देश की जन-भावना तथा राष्ट्र हित के एकदम विरुद्ध होगा, विशेषकर फर्मास्यूटिकल उद्योग, औषधि, साफ्टवेयर आदि के क्षेत्र में। तथापि, यह संविधान तथा हमारे लोगों के मौलिक अधिकारों के एकदम विपरीत होगा।

इसलिए, मैं पेटेन्ट अधिनियम, 1970 में और संशोधन करने वाले इस विधेयक के पुर:स्थापन का जोरदार विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: श्री पी.सी. थामस—उपस्थित नहीं।

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): महोदय, मैं पेटेन्ट (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित किए जाने का जोरदार ढंग से विरोध करता हूं। हमें अपने देश के संघीय ढांचे पर गर्व है। राज्य-सूची में कई बातें हैं। लेकिन इस विधेयक के संबंध में, मैं समझता हूं कि सरकार ने राज्य सरकारों और राज्य के मुख्य मंत्रियों के साथ इस पर कोई चर्चा नहीं की है। इतना ही नहीं बल्कि इस कार्यसूची के संबंध में राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक भी नहीं बुलाई गई है। इसलिए यही इस विधान की कमी है। यही कारण है कि मैं इस विधेयक के पुर:स्थापित किए जाने का विरोध करता हूं। यह हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता की नींव के ही विरुद्ध है।

मैं समझता हूं कि राज्य सरकारों के साथ उचित विचार-विमर्श किए बिना इस विधेयक को पुर:स्थापित करना उचित नहीं है। इसलिए, मंत्री जी से मेरी अपील है कि वे इस विधेयक को सभा में पुर:स्थापित करने पर जोर न दें।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, मैं भी इस विषय पर बोलना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने इस विषय पर बोलने के लिए कोई सूचना नहीं दी है। आप दे सकते थे।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मुझे पता नहीं था कि यह विधेयक आज ही आ रहा है। कार्यमंत्रणा समिति में इस पर चर्चा हुई और अचानक मंत्री जी सभा में इसे पुर:स्थापित करने के लिए आ गए हैं।

हम इसका जोरदार ढंग से विरोध करते हैं और मंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि वे इसे अभी वापस लें और एक विधेयक लाएं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): राष्ट्रीय अस्मिता को कुठाराघात पहुंचाया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी): हमें भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह कोई उदाहरण नहीं बनेगा। आप भी इससे सहयोजित हो सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: पहले इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए।

श्री अनंत गंगाराम गीते: हम अगर आर्डिनेंस पास कर देंगे तो बिल पास करना ही होगा। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह: हम सब इसका विरोध कर रहे हैं और आपने ले करा दिया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह सरकार की जिम्मेदारी है। मैं इसे लौटा नहीं सकता। सभा इस विधेयक को वापस कर सकती है। मैं इसको पुर:स्थापित किए जाने को रोक नहीं सकता।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो ने अपनी-अपनी बातें रखी हैं। कई सदस्यों ने अपना विरोध दर्ज करवाया है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सदस्यों को ऐसा करने का कोई हक नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री कमलनाथ: महोदय, माननीय सदस्यों का उठाया गया मुद्दा इस विधेयक के गुण-दोषों के बारे में है। एक मुद्दा यह है कि यह विधान सोच-समझकर लाया गया है। सभा के पास इस पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय है और मुझे विश्वास है कि पर्याप्त समय ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: हम इस पर कब चर्चा करेंगे? ...*(व्यवधान)*

श्री कमलनाथ: मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्हें अपनी बात पूरा करने दीजिए। सदस्यगण बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं। मैं उन सभी के प्रति आभारी हूं। मैंने सदस्यों को इस मुद्दे पर अपने विचार जोरदार तरीके से रखने की अनुमति दे रखी है। मैं उन्हें नहीं रोकूंगा। केवल एक बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि कुछ नियम बने हैं और हम सभी को उन नियमों का पालन करना है। मैं केवल यही अनुरोध कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

श्री कमलनाथ: महोदय, इस पर चर्चा करने के लिए सभा के पास पर्याप्त समय होगा। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि चर्चा के दौरान रखे गए विचारों पर हम गंभीरता से विचार करेंगे। अब मुद्दा है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: केवल माननीय मंत्री महोदय का वक्तव्य ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित होगा।

*...(व्यवधान)**

श्री कमलनाथ: महोदय, यहां मुद्दा वैधानिक सक्षमता है। मुद्दा विधेयक के मुख्य भाग से संबंधित नहीं है। कभी भी इस प्रकार का प्रश्न कि क्या इसकी वैधानिक सक्षमता है, उठाया गया है। किसी भी सदस्य द्वारा वैधानिक सक्षमता के संबंध में कोई सवाल नहीं उठाया गया है। केवल यही मूल प्रश्न है कि क्या यह मूल्य निर्धारण के संबंध में या फर्मास्यूटिकल उद्योग के संबंध में इसकी या उसकी जरूरत को पूरा करता है या नहीं। चर्चा के दौरान मैं इनका उत्तर देने में मैं खुशी महसूस करूंगा। मुझे विश्वास है कि मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिला सकूंगा।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि पेटेन्ट अधिनियम, 1970 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब मंत्री विधेयक पुर:स्थापित करें।

श्री कमलनाथ: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

...(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य: नहीं, नहीं, महोदय।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.18 बजे

पेटेन्ट (संशोधन) अध्यादेश द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला व्याख्यात्मक विवरण

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमलनाथ): महोदय, मैं पेटेन्ट (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (2004 का संख्यांक 7) द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब मैं एक नया विषय ले रहा हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.19 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रख दिए जाएं।

(एक) तमिलनाडु तथा देश के अन्य भागों में सुनामी पीड़ितों को क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री जे.एम. आरून रशीद (पेरियाकुलम): 27 दिसम्बर, 2004 को सुमात्रा के तट से दूर समुद्र के नीचे 8.9 तीव्रता के भूकंप द्वारा उत्पन्न विशाल भूकंपीय समुद्री तरंगों ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई तथा जिससे काफी जान-माल की क्षति हुई जिसमें पशु तथा करोड़ों रुपये की सम्पत्ति सम्मिलित है। सुनामी की लहरों ने तमिलनाडु के नागापट्टिनम तथा कन्याकुमारी के क्षेत्रों में जान-माल की अधिकतम क्षति पहुंचाई। एक केन्द्रीय दल ने मृत या गुमशुदा घोषित लोगों के आकलन के लिए इस क्षेत्र का दौरा किया। इस काम के क्षति की भरपाई के लिए प्रभावित परिवार को अपने निकट संबंधियों को गुम होने का सबूत

*सभा पटल पर रखे गये।

[श्री जे.एम. आरून रशीद]

पेश करने में कई कठिनाइयां आ रही है और इस बात का डर है कि उनकी क्षतिपूर्ति के निपटान में वर्तमान नियमों के तहत 5-7 वर्ष लग जाएंगे। यदि प्रभावित परिवार को समय पर क्षतिपूर्ति नहीं मिलती है तो, मुझे डर है कि, उनका कष्ट दोगुणा बढ़ जाएगा।

सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि जिन परिवारों के सदस्य खो गए हैं उन्हें बिना किसी और विलम्ब के क्षतिपूर्ति दी जाए और उनके मामले को मृत लोगों के मामले के समान समझकर निपटाया जाए।

(दो) उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में मसूरी में गैस आधारित विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए अर्जित की जा रही भूमि हेतु किसानों को पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान करके उनके हितों का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़): मसूरी जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में एक गैस आधारित मेगा पावर प्रोजेक्ट लगाए जाने के लिए किसानों से भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। यद्यपि पावर प्रोजेक्ट के 70-80 एकड़ जमीन का अधिग्रहण ही पर्याप्त होना चाहिए किंतु लगभग 2235 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किए जाने की संभावना है जो कि उचित प्रतीत नहीं होता। पूर्व में सरकार ने 300 रुपये प्रति गज से मुआवजा देने की घोषणा की थी परन्तु अब 150 प्रति गज से मुआवजा देने की बात की जा रही है।

मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसानों को भूमि का मुआवजा 300 रुपये प्रति गज के हिसाब से दिया जाए।

(तीन) केन्द्रीय सड़क निधि से मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती प्रतिभा सिंह (मंडी): मैं आपके माध्यम से सदन के ध्यान में लाना चाहती हूं कि हिमाचल प्रदेश के मेरे संसदीय क्षेत्र मंडी में पड़ने वाले जिला कुल्लू में रामशिला बिजली महादेव रोड 0/0 से 24/0 किलोमीटर के निर्माण हेतु रु. 3.03 करोड़ तथा ठियोग-कोटखाई-हटकोटी रोड के निर्माण एवं बाई पास की खड़ी चढ़ाई को 0/0 से 7/0 किलोमीटर पर कम करने हेतु रु. 4.03 करोड़ अर्थात् कुल रु. 7.07 करोड़ भारत सरकार की केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत निर्मित की जाने वाली योजनाओं में दोनों सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता आधार पर स्वीकृत करने हेतु हि.प्र. सरकार ने दिनांक 24.6.2003 को प्रकरण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया है, लेकिन अभी तक इस प्रकरण में कोई प्रगति नहीं हुई है। मेरा आग्रह है कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं स्थानीय नागरिकों को आवागमन की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए।

(चार) सौराष्ट्र में बड़ी रेल लाइन बिछाए जाने तथा गुजरात के अमरेली जिले में और अधिक कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

श्री वी.के. दुम्मर (अमरेली): आजादी के 57 साल बीत जाने के बाद भी सौराष्ट्र क्षेत्र के लोग विशेष कर मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली के लोग रेल की सुविधा से अभी तक वंचित हैं। यहां पर अभी तक छोटी रेलवे लाइन है जिसके कारण अन्य राज्यों से इस क्षेत्र में कोई सीधी रेल सेवा नहीं है। जबकि यहां पर कई छोटे बंदरगाह हैं। वहां से भारत में अन्य राज्यों को समुद्र मार्ग से माल भेजा जा सकता है, परंतु ब्राडगेज लाइन न होने के कारण इन बंदरगाहों का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है और लोगों को अन्य राज्यों को आने-जाने में कई रेल सवारी बदलनी पड़ती है। इस क्षेत्र के रेलवे विकास हेतु विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही साथ अमरेली में एक ही कम्प्यूटराइज रेलवे आरक्षण सुविधा है। इस कम्प्यूटराइज्ड रेलवे आरक्षण हेतु अमरेली जिले के राजूला एवं साबरकुडला तालुकाओं में सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। पिपावा बंदरगाह में बड़ी रेलवे लाइन बिछी हुई हैं, परन्तु अभी तक इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है।

सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध है कि सौराष्ट्र क्षेत्र में रेलवे विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाए एवं अमरेली जिले के राजूला एवं साबरकुला तालुकाओं में एक-एक कम्प्यूटराइज्ड रेलवे आरक्षण केंद्र शीघ्र खोले जाएं।

(पांच) छत्तीसगढ़ के विख्यात संत गुरू घासीदास जी की 18 दिसम्बर को पड़ने वाली जयंती को "सार्वजनिक अवकाश" घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर): छत्तीसगढ़ प्रांत में जन्म लिए संत बाबा गुरू घासीदास जी के नाम पर 18 दिसम्बर को सार्वजनिक छुट्टी घोषित की जाए। उक्त संत जी का जन्म 18 दिसम्बर, 1756 को ग्राम गिरोधपुरी, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़) में हुआ था, उन्होंने छुआछूत के भेदभाव को मिटाया, ऊंच-नीच की खाई को समान रूप में लाने के लिए सफल योजना की तथा गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने तथा समाज में फैली हुई

तत्कालीन बुराइयों को छुड़ाने के लिए प्रयास कर एक सतनाम पंथ का निर्माण किया तथा 6 माह तक गिरोधपुरी के जंगल में कठिन तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की। उस संत की ख्याति पूरे छत्तीसगढ़ में फैली हुई है, उनके नाम पर 18 दिसम्बर को मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक छुट्टी घोषित की गई है। पूरे देश में लगभग 10 लाख से 30 लाख तक उनके अनुयायी फैले हुए हैं, जो सतनामी समाज के नाम से जाने जाते हैं। उनके अनुयायियों की भावना को ध्यान में रखते हुए 18 दिसम्बर को पूरे देश में सार्वजनिक छुट्टी घोषित की जाए जिससे उनके अनुयायी और श्रद्धालु लोग संत बाबा गुरू घासीदास को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें।

(छह) बिहार के कटिहार जिले में बार-बार आने वाली बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए इस क्षेत्र में बहने वाली नदियों पर ऊंचे बांधों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री निखिल कुमार चौधरी (कटिहार): बिहार राज्य का कटिहार जिला हर वर्ष बाढ़ एवं कटाव की समस्या से ग्रस्त रहता है। यहां हर वर्ष गंगा, महानंदा एवं कोशी की कुछ सहायक नदियां इस क्षेत्र के प्राणपुर, आजमनगर, कदवा, बाटलोई, डंडखोटा, अमदाबाद, मनिहारी एवं बरारी को या तो जलमग्न कर देती है या अपनी गोद में काट ले जाती है। स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश काल में इस समस्या को भांप लिया गया था जिस कारण यहां कोशी की एक सहायक नदी बरहंडी पर टेम्स बांध बांधा गया था, लेकिन स्वतंत्र भारत में न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार ने टेम्स बांध के प्रकोप पैदा करने का एक मुख्य कारण बना हुआ है। बाढ़ के कारण इस क्षेत्र के किसानों का हर वर्ष करोड़ों रुपये की फसल का नुकसान होता है। सरकार इन किसानों के लिए न तो राहत पुनर्वास की व्यवस्था कर पाती है और न ही ठोस समाधान का उपाय कर पाती है।

अत: मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से इस क्षेत्र में बहने वाली नदियों पर ऊंचे बांध बंधवाने की मांग करता हूं ताकि इस क्षेत्र में बाढ़ की समस्या का निदान मिल सके। साथ ही पानी के उचित प्रबंधन से पन बिजली जैसी परियोजना लगवाकर इस क्षेत्र का विकास करने की भी मांग करता हूं।

(सात) राजस्थान में तेल शोधक कारखाना स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में विशेषकर बाड़मेर, जैसलमेर में प्राकृतिक तेल के कुएं मिले हैं और आगे भी खोज जारी है, जिससे राजस्थान में काफी मात्रा में प्राकृतिक तेल उपलब्ध हुआ है। राजस्थान सरकार द्वारा हर तरह से मदद करने के बावजूद भी केन्द्र सरकार ने इस रिफाइनरी को पंजाब में लगाने का निर्णय किया है। राजस्थान की जनता इस निर्णय से उद्वेलित है। केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस निर्णय पर पुन: विचार कर राजस्थान में रिफाइनरी लगाने का निर्णय करें।

(आठ) जल संसाधन मंत्रालय के बरेली यूनिट कार्यालय को रांची स्थानांतरित करने के निर्णय को निरस्त किए जाने की आवश्यकता

श्री संतोष गंगवार (बरेली): अध्यक्ष महोदय, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा अपने बरेली स्थित यूनिट कार्यालय को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जा रहा है। बरेली कार्यालय पिछले काफी वर्षों से ठीक प्रकार से कार्यरत है। स्थानान्तरण किए जाने से यहां का कार्य प्रभावित होगा तथा रांची जहां उक्त कार्यालय भेजा जा रहा है, वहां पहले से ही डिवीजन कार्यालय कार्यरत है। बरेली कार्यालय काफी बड़े क्षेत्र को देख रहा है तथा यहां पर इस कार्यालय का बना रहना अत्यन्त आवश्यक है।

केन्द्र सरकार से आग्रह है कि इस सुझाव पर पुनर्विचार करें तथा कार्यालय बरेली में ही कार्यरत रहने हेतु उपयुक्त निर्देश करें।

(नौ) पश्चिमी बंगाल में झांजरा खान परियोजना के आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त धनराशि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): झांजरा परियोजना के आर-6 सीम में निरंतर माइनर की शुरूआत भूमिगत विधि द्वारा यंत्रीकरण हेतु एक बहुत अच्छी विशेषता का प्रतिनिधित्व करती है। कोयले की परत की मोटाई की रेंज 3.5 मी. से 5.9 मी. के बीच है और परत में बी-सी ग्रेड कोयले का लगभग 38 मिलियन टन खनन योग्य भंडार है। यद्यपि ए-1 और ए-2 क्षेत्र में संपदा वास्तव में किसी बड़े भूगर्भीय व्यवधान से मुक्त है परन्तु सी तथा डी क्षेत्र में संतुलन में अनेक त्रुटियां देखी गई हैं। झांजरा परियोजना मूल रूप से लम्बी दीवार रूपी खदान है जिसके पास इस प्रौद्योगिकी का व्यापक अनुभव है और परियोजना 2 मी.ट. वार्षिक के उत्पादन स्तर के लिए बनी है जिसे बाद में बढ़ाया जाना है। ए-1 और ए-2 क्षेत्रों में सम्पदा का भूगर्भीय रूप से बाधा रहित क्षेत्र न्यूनतम जोखिम वाला क्षेत्र है और इसलिए पी एस एल डब्ल्यू उपकरण तैनात करने के लिए आदर्श स्थान है। इस क्षेत्र में लगभग 2 किमी. लम्बाई और 180 मी. चौड़ाई के 4 लम्बे पैनलों का अनुमान लगाया गया है। पैनलों के भीतर कोयले की मोटाई 4 मी. से 5.9 मी. के बीच है और प्रत्येक पैनल में 2-2.5 मिलियन टन कोयले का भंडार है। 2 किमी. तक लगातार लम्बी निकासी के लिए एक

[श्री सुनील खां]

उपयुक्त प्रणाली द्वारा तीव्र विकास किए जाने की जरूरत है जो इतनी लम्बी दूरी के लिए पर्याप्त वायुसंचार, सहायता, कोयले का मूल्यांकन इत्यादि कर सके। निरंतर खनक विकास एक ऐसा ही उपयुक्त तरीका है। मेरी मांग है कि मंत्रालय तत्काल हस्तक्षेप कर और चरणबद्ध रूप से पर्याप्त धन प्रदान करे ताकि दो सौ वर्ष पुरानी लाभार्जित करने वाली परियोजना और अधिक उत्पादन कर सके जो भारत में सबसे अधिक उत्पादन करने वाली इकाई होगी।

(दस) उत्तर प्रदेश के पुलिस वायरलेस विभाग के कर्मचारियों को उत्तरांचल स्थानांतरित करने के निर्णय को वापस लिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर): सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के पुलिस वायरलेस लोगों के उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल में स्थानान्तरित किए जाने की तरफ दिलाना चाहता हूं। इन लोगों को जूनियर बता कर उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल स्थानान्तरित किया जा रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश में पहले से ही 1200 के करीब पुलिस वायरलेस लोगों के पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश से अगर इन लोगों का स्थानान्तरण उत्तरांचल कर दिया गया तो उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। उत्तरांचल सरकार इन लोगों को सीधे नौकरी दे सकती है। परन्तु केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से इनको भेजने की तैयारी कर चुकी है जो लोकहित में नहीं है। इसके दूसरे अन्य विकल्प हैं।

सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस वायरलेस के लोगों का स्थानांतरण उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल नहीं किया जाए।

(ग्यारह) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-104 के निर्माण तथा उसके लम्बित कार्यों को शीघ्र पूरा कराने के लिए पर्याप्त निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री सीताराम सिंह (शिवहर): अध्यक्ष महोदय, बिहार के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण सड़क एन.एच.-104 में 0 से लेकर 22 किलोमीटर तक पैसा दिया गया है। पथ निर्माण हेतु टेंडर हुआ, लेकिन अभी तक मात्र 6 किलोमीटर में पथ का काम शुरू हुआ। बाकी काम अभी तक पूरा नहीं कराया गया है जिसे पूरा कराया जाना है। 22 किलोमीटर कृष्ण नहर चौक से लेकर शिवहर होते हुए सीतामढ़ी तक 36 किलोमीटर में अभी तक एक भी पैसा नहीं दिया गया है।

अतएव जनहित में केन्द्र सरकार से मेरी मांग है कि उक्त पथ एन.एच.-104 को निर्माण हेतु यथाशीघ्र पैसा भेजा जाये एवं टेंडर कराकर काम शुरू कराया जाए।

(बारह) उत्तर प्रदेश में उन्नाव संसदीय क्षेत्र में एक रेल कारखाना स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव): मेरा संसदीय क्षेत्र उन्नाव एक बहुत अधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में विशेषकर ग्रामीण अंचलों में लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। इस क्षेत्र के विकास हेतु रेल मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एक रेल कारखाना स्थापित किए जाने की नितांत आवश्यकता है। यदि केन्द्र सरकार उन्नाव क्षेत्र में रेल कारखाना स्थापित कर देती है तो निश्चित रूप से उन्नाव संसदीय क्षेत्र का विकास सम्भव हो सकेगा।

अत: मेरा सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उन्नाव संसदीय क्षेत्र में एक रेल कारखाना स्थापित किए जाने हेतु समुचित कदम उठाएं।

(तेरह) सिंधु दुर्ग और रत्नागिरी को महाराष्ट्र के सर्वाधिक पिछड़े जिलों के रूप में घोषित किए जाने तथा उन्हें "काम के बदले अनाज" के राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी महाराष्ट्र में दो सबसे पिछड़े जिले हैं। यहां कोई रोजगार के अवसर नहीं हैं। इन दो जिलों के लोग जीविका की तलाश में अन्य जिलों में जाने के लिए मजबूर हैं। सिंधुदुर्ग एक महत्वपूर्ण पर्यटक केंद्र है। दोनों जिलों में पर्याप्त मात्रा में बागवानी उत्पाद भी हैं। तथापि, यहां कोई उचित सिंचाई सुविधा नहीं है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि दोनों जिलों को सर्वाधिक पिछड़े जिले घोषित करे और उन्हें 'राष्ट्रीय काम के बदले अनाज' कार्यक्रम में शामिल करे। इसके अलावा इन दो जिलों के विकास हेतु पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाए। सिंधुदुर्ग के एक महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र के रूप में विकास से इस क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा होंगे।

(चौदह) उड़ीसा में प्राथमिक विद्यालय स्तर पर बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों की बढ़ती दर को रोके जाने की आवश्यकता

श्री सुग्रीव सिंह (फूलबनी): उड़ीसा में जनजातीय विद्यार्थियों द्वारा स्कूल बीच में छोड़ने की बढ़ती हुई संख्या बड़ी चिंता का

विषय है। दो लाख से अधिक अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थी स्कूल नहीं जा रहे हैं। अनुसूचित जनजातियों के लगभग 63 प्रतिशत विद्यार्थी हर वर्ष प्राथमिक स्कूल स्तर पर ही स्कूल छोड़ रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर स्कूल छोड़ने का एक कारण है उनके माता-पिता की निर्धनता और निरक्षरता। अधिकांश जनजातीय गांव दूरदराज के क्षेत्रों में हैं, जब तक किसी एजेंसी के द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा की आवश्यकता का उचित प्रचार नहीं किया जाता तब तक स्कूल बीच में छोड़ने वालों की दर कम नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त, वास्तव में बच्चों को शिक्षित करने वाले गैर-सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। चूंकि दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोगों की मीडिया तक कोई पहुंच नहीं है इसलिए केंद्र सरकार को स्थिति की समीक्षा करने हेतु विभिन्न मंत्रालयों से कुछ अधिकारियों को तैनात करना चाहिए और शिक्षा के महत्व का प्रचार करने हेतु प्रचार विभागों को कार्य में लगाना चाहिए। विभिन्न स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों को अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों की उपस्थिति की निगरानी करने के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा स्कूल बीच में छोड़ने को रोकने के लिए सभी आवश्यक सहायता देनी चाहिए।

(पन्द्रह) पश्चिमी बंगाल में उत्तरी चौबीस परगना जिले के बसीरहाट उपखंड के अंतर्गत धोजादंगा (इतिन्दा घाट) में समुचित बुनियादी ढांचे की सुविधाओं का विकास किए जाने की आवश्यकता

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): बांग्लादेश की सीमा पर पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के बसीरहाट उपखंड के अंतर्गत धोजादंगा (इतिन्दा घाट) में बुनियादी सुविधाएं जीर्णशीर्ण हालत में हैं। हर रोज इस चेक पोस्ट से होकर सीमा पार करने वाले सैकड़ों पैदल लोगों के अतिरिक्त माल से लदे सैकड़ों ट्रकों का यहां से बांग्लादेश में निर्यात किया जा रहा है और वहां से आयात किया जा रहा है।

यद्यपि यह इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चेक-पोस्ट है फिर भी सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देती। मार्ग अर्थात् पहले बनाई गई सड़क का शेष भाग इतना तंग है कि वाहन विशेषकर ट्रक इस मार्ग से नहीं गुजर पाते जिससे बड़ा जाम लग जाता है और बार-बार दुर्घटनाएं होती हैं। चेक पोस्ट पर तैनात स्टाफ अपर्याप्त है। उनकी संख्या आज भी वही है जो बहुत वर्ष पहले थी जबकि यातायात और माल की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई है। इससे कागजात की जांच करने और अन्य कार्यों में विलम्ब होता है।

इसलिए, उपर्युक्त तथ्य के मद्देनजर मैं केंद्र सरकार में सक्षम अधिकारी से अनुरोध करता हूं कि वहां तत्काल मरम्मत कार्य शुरू करे अथवा जब तक इस चेक पोस्ट पर बुनियादी सुविधाएं प्रदान नहीं कर दी जाती तब तक वाहनों इत्यादि की आवाजाही स्थगित रखें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा मद सं. 19—'गोवा राज्य के लिए बजट पर सामान्य चर्चा' लेगी।

श्री श्रीपाद नाईक।

...(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: नहीं, नहीं, श्रीमान।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, सभा के अधिकांश सदस्य चाहते हैं कि मंत्री को अध्यादेश वापस लेना चाहिए और सभी राजनैतिक दलों की एक बैठक बुलानी चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रो. मल्होत्रा, विधेयक पहले ही पुर:स्थापित हो चुका है।

...(व्यवधान)

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे): हम इसका विरोध करते हैं, महोदय *...(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी): हम इसका विरोध कर रहे हैं, महोदय *...(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे: हम विभाजन के लिए कह रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: किसी ने भी उस समय विभाजन के लिए नहीं कहा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री परांजपे आपको, अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए। आप सभी सीमाएं लांघ रहे हैं। मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इस तरह आचरण नहीं करना चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब हम गोवा बजट पर सामान्य चर्चा करेंगे। माननीय सदस्यगण इस चर्चा के लिए आवंटित समय तीन घंटा है। हम मद सं. 19 से 21 एक साथ लेंगे। श्री श्रीपाद नाईक चर्चा शुरू कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): जंतर-मंतर पर हजारों की संख्या में लोग धरने पर बैठे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या किसी भी समय कोई भी मामला उठाया जा सकता है? यह तरीका नहीं है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने आप सबसे सहयोग की अपील की है और मैं हरेक को अनुमति दे रहा हूं। आप मुझे वह करने के लिए कह रहे हैं जो मेरे अधिकार में नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है? आप बैठ जाइये। यह हाउस जितना आपका है, उतना ही हमारा भी है।

[अनुवाद]

कुछ तरीका अपनाना होता है। यदि कुछ करना होता है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। अन्यथा, यह सबके लिए खुला होगा। क्या आप सभा को इस तरह चलाना चाहते हैं? यह आपकी सभा भी है। ठीक है आप अपना प्रश्न अपराह्न 2.00 बजे उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, मैंने रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप मुझे अब उठाने की अनुमति दे रहे हैं या नहीं।

अध्यक्ष महोदय: अभी नहीं। मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री खारबेल स्वाईं: आप मुझे बताइये कि किस समय मैं इसे उठा सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय: आप मुझे अभी बताने के लिए नहीं कह सकते। यह क्या है?

श्री खारबेल स्वाईं: तब मैं इसे कब उठाऊंगा? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ऐसा कैसे हो रहा है। कृपया ऐसा न करें।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: अन्यथा मुझे समय बताइये कि मुझे कब उठाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं इसका पता लगाऊंगा और आपको बता दूंगा। मुझे पता लगाने दीजिए। हो सकता है आप काफी सतर्क और चुस्त सदस्य हों लेकिन मैं उतना चुस्त नहीं हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया प्रश्न ही मंत पूछते जाइए। यह तरीका नहीं हैं। मैंने कहा है कि मैं इसका पता लगाऊंगा और आपको बता दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: मैं आपको नियम पुस्तिका में दिखा दूंगा। आपने कहा है कि आप नियमों के अनुसार चलते हैं। मैं आपको यह भी दिखा सकता हूं कि मैं तभी प्रश्न पूछता हूं जब मैं अपना कोई मुद्दा उठाना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह पूरी तरह से सभा पर छोड़ा जाता है वह अध्यक्ष की गरिमा को कितना बनाए रखते हैं। कृपया निर्णय कीजिए, क्या कोई सदस्य सभा की कार्यवाही से रोक सकता है और अध्यक्ष महोदय पर कोई आरोप लगा सकता है। श्री स्वाईं, यह इसलिए हो रहा है क्योंकि आप समझते हैं कि आप काफी महत्वपूर्ण हैं।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, यह आरोप नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे समझ में आ गया है। आपको पता नहीं है कि किस प्रकार काम करना है। सैकड़ों सूचनाएं मेरे पास आ रही हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। काम करने के तरीके हैं। यह तरीका नहीं है। मुझे आपकी सूचना मिली हुई है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते: यह क्या तरीका है।...*(व्यवधान)* इनके चिल्लाने से क्या हाउस चलेगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे आपकी सूचना मिली हुई है। माननीय सदस्य ने मुझसे एक प्रश्न पूछा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे आपकी सूचना मिल गई है। यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री खारबेल स्वाईं, मुझे आपकी सूचना मिल गई है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री परांजपे, मैं बोलने के लिए खड़ा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हर कोई दूसरे को सिखा रहा है।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: मैं वह नहीं कह रहा हूं। मैं उनकी मदद नहीं मांग रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य श्री खारबेल स्वाईं ने एक मुद्दा उठाया है। वह उस पर विनिर्णय चाहते हैं। यह सम्भव नहीं है कि उस पर तुरन्त विनिर्णय दिया जाए क्योंकि कई सूचनाएं अभी भी मिल रही हैं। मुझे पता लगाना होगा लेकिन वह कह रहे हैं कि मुझे तुरन्त उन्हें बनाना होगा कि यह कब किया जाएगा। वह मुझे नियम सिखाना चाहते हैं। माननीय सदस्य इस प्रकार से जवाब दे रहे हैं।

मुझे अभी सूचना मिली है। श्री खारबेल स्वाईं। मुझे आपकी दिनांक 16 मार्च की विशेषाधिकार के मामले की सूचना मिली है जो रेल मंत्री के खिलाफ उनके बजट भाषण में गलत सूचना देने के बारे में है। मामला मेरे विचाराधीन है। श्री स्वाईं यह बात करने का तरीका नहीं है। आप सभा की गरिमा का ध्यान नहीं रखते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री श्रीपाद येसो नाईक, कृपया अब आप बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री नाईक के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इस प्रकार के सहयोग का आश्वासन आपने मुझे दिया है। आपके सभी माननीय नेताओं ने इस प्रकार के सहयोग का आश्वासन दिया था। पूरा सदन और पूरा देश इस को देख रहा है कि अध्यक्ष के साथ किस प्रकार का बर्ताव किया जा रहा है।

अपराह्न 12.27 बजे

गोवा बजट, 2005-2006—*सामान्य चर्चा*
लेखानुदानों की मांगें (गोवा) 2005-2006
और
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (गोवा) 2004-2005

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

लेखानुदानों की मांगें (गोवा) 2005-06

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ-2 में मांग संख्या 1 से 80, 82 और 83 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां गोवा राज्य की संचित निधि में से, लेखे पर; राष्ट्रपति को दी जायें।"

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (गोवा) 2004-05

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या-1 से 3, 5, 8, 10, 11, 14, 19, 26, 34, 37, 47 से 49, 51, 56, 57, 61, 64, 66 से 68, 70, 74 से 76 और 79 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिये कार्यसूची के स्तम्भ में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां गोवा की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2005-2006 के लिए लेखानुदानों की मांगें (गोवा)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत लेखानुदान की मांगों की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	
1.	विधानमंडल सचिवालय	2,28,42,000	25,00,000
2.	सामान्य प्रशासन और समन्वय	6,70,15,000	6,67,000
3.	जिला और सत्र न्यायालय, उत्तरी गोवा	2,12,65,000	–
4.	जिला और सत्र न्यायालय, दक्षिणी गोवा	1,85,47,000	–
5.	अभियोजन	49,39,000	–
6.	निर्वाचन कार्यालय	2,24,80,000	–
7.	बन्दोबस्त और भूमि रिकार्ड	2,55,08,000	–
8.	राजकोष और लेखा प्रशासन, उत्तरी गोवा	65,12,92,000	1,32,50,000
9.	राजकोष और लेखा प्रशासन, दक्षिणी गोवा	48,81,000	–
10.	नोटरी सेवाएं	60,00,000	20,83,000
11.	उत्पाद शुल्क	1,11,15,000	–
12.	बिक्री और मनोरंजन कर	2,77,04,000	–
13.	परिवहन	6,52,13,000	4,14,58,000
14.	गोवा सदन	57,50,000	–
15.	समाहर्तालय, उत्तरी गोवा	2,77,76,000	–
16.	समाहर्तालय, दक्षिणी गोवा	2,44,40,000	–
17.	पुलिस	26,79,21,000	29,01,000
18.	जेल	1,21,18,000	1,43,33,000

	लेखानुदानों की मांगें (गोवा) 2005-06	अनुपूरक अनुदानों की मांगें (गोवा) 2004-05	
1	2	3	
23.	गृह	25,00,000	–
24.	गोवा लोक सेवक भ्रष्टाचार आयोग—जांच तथा पूछताछ	42,000	–
25.	होमगार्ड और सिविल रक्षा	79,25,000	–
26.	अग्नि शमन और आपात सेवाएं	2,20,53,000	35,94,000
27.	राजभाषा	53,33,000	–
28.	प्रशासनिक न्यायाधिकरण	21,87,000	–
29.	संपदा कार्यालय	10,55,000	–
30.	लाटरी	286,62,52,000	–
31.	पंचायत	16,33,09,000	47,08,000
32.	वित्त	22,92,000	35,00,00,000
33.	राजस्व	1,72,21,000	–
34.	स्कूली शिक्षा	107,58,18,000	1,31,24,000
35.	उच्च शिक्षा	17,03,66,000	1,00,05,000
36.	तकनीकी शिक्षा	2,45,81,000	50,00,000
37.	राजकीय पालिटेक्नीक, पणजी	2,34,60,000	15,98,000
38.	राजकीय पालिटेक्नीक, बाराकोलिम	70,78,000	2,50,000
39.	राजकीय पालिटेक्नीक, करकोरम	28,75,000	14,58,000
40.	गोवा कालेज आफ इंजीनियरिंग	2,90,35,000	62,98,000
41.	गोवा आर्किटेक्चर कालेज	41,69,000	2,08,000
42.	खेल एवं युवा कार्य	6,64,43,000	1,23,90,000
43.	कला एवं संस्कृति	3,76,25,000	2,08,33,000
44.	गोवा कला कालेज	40,65,000	14,17,000
45.	अभिलेखागार एवं पुरातत्व विज्ञान	1,29,13,000	41,67,000
46.	संग्रहालय	32,71,000	14,58,000
47.	गोवा मेडिकल कालेज	18,30,63,000	1,94,06,000
48.	स्वास्थ्य सेवाएं	28,34,30,000	95,31,000
49.	मनोचिकित्सा और मानव व्यवहार संस्थान	1,88,33,000	86,13,000
50.	गोवा कालेज आफ फार्मेसी	73,03,000	10,42,000
51.	गोवा डेन्टल कालेज	1,47,25,000	9,18,000

1	2	3	
52.	श्रम	3,30,57,000	21,000
53.	खाद्य और औषध प्रशासन	66,79,000	6,46,000
54.	शहर और नगर योजना	3,13,02,000	10,42,000
55.	नगर पालिका प्रशासन	15,51,46,000	2,08,33,000
56.	सूचना एवं प्रचार	5,83,17,000	4,17,000
57.	समाज कल्याण	27,10,65,000	45,42,000
58.	महिला एवं बाल विकास	8,17,75,000	32,08,000
59.	कारखाने एवं बायलर	50,71,000	4,17,000
60.	रोजगार	33,85,000	–
61.	शिल्पकार प्रशिक्षण	4,73,25,000	72,92,000
62.	विधि	2,21,59,000	53,49,000
63.	राज्य सैनिक बोर्ड	9,25,000	–
64.	कृषि	9,24,24,000	2,11,94,000
65.	पशु-पालन	7,36,37,000	39,58,000
66.	मत्स्य पालन	3,56,09,000	47,80,000
67.	पत्तन प्रशासन	1,48,96,000	83,33,000
68.	वन	6,52,30,000	24,17,000
69.	युवा मामलें	1,26,76,000	8,33,000
70.	नागरिक आपूर्ति	69,08,000	9,68,75,000
71.	सहकारिता	1,49,33,000	6,47,81,000
72.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	1,70,00,000	62,50,000
73.	राज्य निर्वाचन आयोग	30,69,000	–
74.	जल संसाधन	9,23,72,000	49,10,12,000
75.	योजना, सांख्यिकी और मूल्यांकन	1,24,77,000	–
76.	बिजली	189,72,82,000	38,06,67,000
77.	नदी नौसंचालन	4,56,66,000	–
78.	पर्यटन	12,13,45,000	92,50,000
79.	गोवा गजेटियर	6,46,000	–
80.	विधिक माप-विज्ञान	33,78,000	6,26,000
82.	सूचना प्रौद्योगिकी	2,81,25,000	10,42,000
83.	खान	52,86,000	4,17,000
	जोड़	1061,81,11,000	246,70,35,000

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2004-2005 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (गोवा)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की मांगों की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1.	विधान मंडल सचिवालय	81,20,000	8,00,000
2.	सामान्य प्रशासन तथा समन्वयन	50,00,000	–
3.	जिला एवं सत्र न्यायालय, उत्तरी गोवा	16,23,000	–
5.	अभियोजन	40,000	–
8.	राजकोष एवं लेखा प्रशासन, उत्तरी गोवा	1148,02,000	–
10.	नोटरी सेवाएं	16,39,000	–
11.	उत्पाद शुल्क	5,80,000	–
14.	गोवा सदन	34,95,000	–
19.	उद्योग, व्यापार तथा वाणिज्य	3,56,00,000	1,35,00,000
26.	अग्नि तथा आपात सेवाएं	38,50,000	–
34.	स्कूली शिक्षा	11,77,01,000	9,51,000
37.	गवर्नमेंट पालिटेक्नीक, पणजी	10,00,000	–
47.	गोवा मेडिकल कालेज	35,02,000	–
48.	स्वास्थ्य सेवाएं	3,34,33,000	–
49.	इन्स्टीट्यूट आफ साइकाइअट्री एण्ड ह्यूमन बिहेव्यर	3,50,000	–
51.	गोवा डेंटल कालेज	2,78,000	–
56.	सूचना एवं प्रसार	12,05,000	–
57.	समाज कल्याण	3,25,00,000	–
61.	कारीगर प्रशिक्षण	2,23,000	–
64.	कृषि	29,20,000	–
66.	मात्स्यिकी	1,000	–
67.	पत्तन प्रशासन	16,00,000	–
68.	वन	35,70,000	–
70.	नागरिक आपूर्ति	19,00,000	–
74.	जल संसाधन	35,90,000	–
75.	योजना, सांख्यिकी और मूल्यांकन	8,91,000	–
76.	विद्युत	1,00,00,000	–
79.	गोवा राज विवरणिका	1,60,000	–
	जोड़	38,95,73,000	1,52,51,000

[हिन्दी]

श्री श्रीपाद येसो नाईक (पणजी): अध्यक्ष महोदय, यहां वित्त मंत्री जी ने गोवा का बजट पेश किया था। आज वहां के बजट और वोट आन एकाउंट के ऊपर चर्चा हो रही है। गोवा एक बहुत छोटा सा राज्य है लेकिन छोटा राज्य होने के बाद भी देश के विकास में उसका बड़ा योगदान रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री नाईक के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री स्वाई, यदि आप संख्या के गौरव के बारे में कुछ जोड़ना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। इसे वहां सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री श्रीपाद येसो नाईक: यहां की सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं बहुत अलग हैं। यहां पिछले वर्ष इंटरनेशनल फिल्म फैस्टिवल का आयोजन हुआ था जो कामयाब रहा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो कृपया शांत रहिए। माननीय सदस्य बोल रहे हैं। उनके भाषण में व्यवधान मत डालिए। कृपया आपस में बातचीत न कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जो सदस्य जाना चाहते हैं वे शान्तिपूर्वक जा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री श्रीपाद येसो नाईक: यहां रूरल और इकोनामिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत इनवैस्टमैंट किया गया है। गोवा एक छोटा प्रदेश है, यह वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड को छू सकता है लेकिन बहुत दुख की बात है कि ऐसे उन्नत प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था को कुछ लोगों की एम्बिशन की वजह से अस्त-व्यस्त किया जा रहा है। आज हम वहां के बजट पर चर्चा कर रहे हैं। जो विषय केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, मैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं। केन्द्र सरकार उसके ऊपर ध्यान दे।

बहुत दुख की बात है कि केन्द्र की डिसक्रिमिनेटरी नीतियों की वजह से गोवा की इंडस्ट्री उन प्रदेशों में जा रही है जिन्हें केन्द्र सरकार की तरफ से भरपूर सबसिडी दी जाती है। गोवा से कम से कम 20 से 25 बड़ी इंडस्ट्रीज हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल जिन्हें अधिक सबसिडी दी जाती है, वहां चली गई हैं। इससे वहां बेरोजगारी बढ़ रही है और आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। गोवा का सर्विस सैक्टर वहां का बैक बोन है लेकिन उपयुक्त इनफ्रास्ट्रक्चर की ओर ध्यान न देने के कारण वहां की इकानमी को बहुत बड़ा धक्का लगा है। 2005-06 के बजट में इस विषय में कोई सोच दिखायी नहीं पड़ती है।

हमारे यहां टूरिज्म सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। गोवा की पापुलेशन 13 से साढ़ 13 लाख है लेकिन गोवा में फारेन टूरिस्ट्स डबल यानी 26 लाख के आसपास आते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री में साधन और सुविधाओं की कमी है। इसके कारण तात्रि-त्राहि मची है।

यहां पर जो इन्फ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला है, इसलिए टूरिज्म इंडस्ट्री की ओर केंद्र सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरे ख्याल से इस बजट में इसका कोई रिफलेक्शन नहीं आया है। गोवा एक बड़ा इंटरनेशनल टूरिज्म सेंटर है इस नाते वहां का एयरपोर्ट डिफेंस के हाथ में है, इसलिए इसे बढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया है। पिछले दो-तीन साल से इसके लिए प्रयत्न हुए थे कि वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद इस पर कोई चर्चा हुई है या इसके लिए अलग से रकने का प्रयास इस बजट में नहीं किया गया है। जब तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में नहीं होगा तब तक टूरिज्म इंडस्ट्री गोवा में नहीं बढ़ेगी। टूरिज्म इंडस्ट्री का फायदा सिर्फ गोवा को नहीं है, विदेश से लोग गोवा में आते हैं और वहां से हिंदुस्तान के पूरे प्रदेशों में जाते हैं। इसलिए जो एयरपोर्ट है उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए पैसे की व्यवस्था करनी चाहिए थी लेकिन इसके लिए कुछ बजट में दिखाई नहीं दे रहा है। वहां टूरिज्म के कारण हैल्थ की फील्ड में कई समस्याएं खड़ी हुई हैं। सैक्स टूरिज्म जैसी समस्या ने बहु बड़ा चैलेंज खड़ा किया है। केंद्र सरकार की ओर प्रिवेंटिव और स्पेशलाइज्ड सर्विस जैसी सहायता मिलनी चाहिए ताकि वहां का टूरिज्म बढ़े और वहां की हैल्थ प्राब्लम साल्व हो जाए।

पिछले वर्ष गोवा के लिए केंद्र से लगभग साढ़े आठ सौ करोड़ रुपए लैंड फंड के लिए थे, इसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है। जैसे मैंने अभी टूरिज्म की बात कही कि टूरिज्म को बढ़ावा

देने के लिए एयरपोर्ट की जरूरत है और इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। वैसे ही नेशनल हाईवे को चार लेन में बदलने की बहुत आवश्यकता है। जब तक रोड चार लेन के नहीं बनेंगे तब तक एक्सीडेंट्स कम नहीं होंगे और टूरिस्ट्स को अच्छी तरह से प्रवास करने में मदद नहीं मिलेगी। नेशनल हाईवे-पेंडनम टू कोंकण को फोर लेन करने की व्यवस्था इस बजट में होनी चाहिए थी लेकिन इसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।

पिछले साल गोवा में फिल्म फेस्टीवल हुआ था। वहां की कांग्रेस पार्टी का रवैया था कि फिल्म फेस्टीवल वहां पर न हो। मैं माननीय श्री जयपाल रेड्डी जी का बहुत आभारी हूं कि इतना होते हुए भी फिल्म फेस्टीवल वहां होने दिया और उसमें सफलता मिली। जो इन्फ्रास्ट्रक्चर वहां खड़ा किया गया है, उसे बदलने की जरूरत है। उसके लिए जो वैन्यू तय किया गया है अगर वह वैन्यू परमानेंट हो जाए तो इसके कारण टूरिज्म बढ़ेगा।

एक और सबसे बड़ा विषय है माइनिंग इंडस्ट्री का, जो एम्प्लायमोट दे रहा है और केंद्र सरकार को बहुत फारेन एक्सचेंज दे रहा है। इकोलाजी और पर्यावरण के नाम पर आयरन ओर की 20-25 माइन्स बंद होने की कगार पर हैं। गोवा की 45 परसेंट आबादी इस एम्प्लायमेंट पर निर्भर करती है, अगर यह माइन बंद होगी तो गोवा में यूथ का एनएम्प्लायमेंट बढ़ता जाएगा। इस स्थिति के बावजूद मेरा निवेदन है केंद्र सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए था, कोई प्रावधान बजट में करना चाहिए था लेकिन वह नहीं हुआ। पिछले महीने जो राजकीय उलट-पलट गोवा में हुई, इसके बारे में सब जानते हैं। हमारे लोकतंत्र में हर राज्य का बजट अपनी असेम्बली में पारित किया जाता है लेकिन गोवा का बजट आज लोकसभा में पारित करने की नौबत आई है। इसका कारण यही है कि लोकतंत्र के प्रति कांग्रेक की गलत नीतियों को एक उदाहरण माना जाता है। पिछले छः महीने से आइडियोलाजी के नाम पर कई राज्यों के गर्वनरों को हटाया गया है। आइडियोलाजी तो हर एक पार्टी की अलग है। हर एक की आइडियोलाजी अलग हो सकती है।

हमारी विचारधारा देश के हित में काम करती है लेकिन कांग्रेस की विचारधारा गवर्नर, बदलना, सरकारें बदलना, इनका षड्यंत्र रही है। इस साजिश के अंतर्गत गोवा की सरकार गवर्नर द्वारा बर्खास्त की गई। हमारे देश में अनेकता में एकता है। कांग्रेस की यही विचारधारा है और सरकारें गिराने की इनकी परम्परा रही है। 1992 में राम मंदिर आंदोलन के समय क्या हुआ? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप इस मामले को तब उठा सकते हैं जब राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा का मामला चर्चा के लिए आएगा।

[हिन्दी]

श्री श्रीपाद येसो नाईक: भाजपा शासित चार प्रदेश—उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश—कांग्रेसी विचारधारा के नाम पर ये सरकारें गिरा दी गईं। उसका क्या कारण था? यह कांग्रेस की परम्परा रही है कि जिन राज्यों में दूसरी विचाराधारा के लोगों की सरकारें हों, विपक्षी दलों की सरकारें हों, उन्हें तोड दिया जाये। इसी प्रकार गोवा की सरकार को तोड़ दिया गया। इसका कारण भी यही था कि वहां दूसरी विचारधारा के दल की सरकार थी।

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताने में खुशी हो रही है कि आपका अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से चयन हुआ। यही परम्परा रही है लेकिन गोवा में राज्यपाल द्वारा एक चुनी हुई सरकार को बर्खास्त किया गया, यह सही बात नहीं थी। गोवा के राज्यपाल द्वारा फरवरी को सरकार को बर्खास्त किया गया। उसके पीछे कोई कारण नहीं था। कई विधायक भाजपा से इस्तीफा देकर चले गये। यहां केन्द्र से गवर्नर मिशन लेकर गये थे और जिसके लिये केन्द्र ने राज्यपाल को गोवा भेजा था, वह मिशन उन्होंने पूरा किया, ऐसा मुझे कहने के लिये विवश होना पड़ रहा है। गोवा में जाते ही सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। जिस दिन उनकी नियुक्ति वहां हुई, इसके दूसरे दिन ही उन्होंने कह दिया कि गोवा की सरकार रूरल एरियाज का डेवलपमेंट नहीं कर रही है। किसी भी राज्यपाल को किसी मुख्यमंत्री के कार्यों पर टीका करने का काम नहीं होता है। जिस दिन राज्यपाल ने सरकार बर्खास्त की, उस दिन सरकार माइनौरटी में नहीं थी। राज्यपाल महोदय मुख्यमंत्री से विश्वास मत प्राप्त करने के लिये यह सकते थे। जो विश्वास मत 3 फरवरी को होना था, उसे 2 फरवरी को पूरा करने के लिये निर्देश दिया गया। जब गोवा में सरकार ने विश्वास मत प्राप्त करने की रिपोर्ट राज्यपाल को भेजी, उसके 20 मिनट पहले ही गोवा की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। इस तरह लोकतंत्र की क्या परिभाषा रह गई? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यदि हाउस की कार्यवाही से राज्यपाल महोदय संतुष्ट नहीं थे तो मुख्य मंत्री को अपनी मैजोरिटी सिद्ध करने के लिये दूसरा मौका दिया जाता लेकिन उसी दिन रात को 11.30 बजे ही कांग्रेस के श्री प्रताप सिंह राणे को मुख्यमंत्री मद की शपथ दिलवा दी गई। राज्यपाल ने विश्वास मत प्राप्त की हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं थी। आब सब जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में गोवा में 11 मुख्य मंत्री बने हैं लेकिन पिछले साढ़े चार साल के अरसे में एक यही सरकार शासन में रही। भाजपा सरकार ने गोवा में अच्छा विकास कार्य किया। फिर राज्यपाल द्वारा इस सरकार को गिराने की साजिश क्यों की गई, यह हम नहीं जानते? कांग्रेस ने गोवा को खाई में धकेल दिया। कांग्रेस

[श्री श्रीपाद येसो नाईक]

पार्टी की देश के विकास में कोई रुचि नहीं है, उन्हें हर प्रदेश में सिर्फ सत्ता चाहिये। झारखंड में क्या हुआ, मैं उसमें नहीं जाना चाहता।

सत्ता में आने के बाद विपक्ष की सरकारें तोड़ने की जो परम्परा है, वह कांग्रेस ने शुरू की है। मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता। जब केन्द्र में कांग्रेस सरकार आई, उसी दिन से गोवा में सरकार हटाने का प्रयास शुरू हो गया और राज्यपाल ने वह मिशन दो फरवरी को पूरा कर दिया। एक कांग्रेस के विधायक ने कांग्रेस छोड़ दी और बी.जे.पी. को ज्वाइन कर लिया। उन्होंने नया चुनाव लड़ा और जीत कर आये। गवर्नर ने उन्हें बुला लिया, ऐसे अनेक विधायकों को उन्होंने बुलाया और वार्निंग दे दी कि यदि कोई और विधायक पार्टी छोड़कर कहीं और गया तो मैं हाउस डिजाल्व कर दूंगा। सब लोगों को उन्होंने यह धमकी दे दी थी। सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी गवर्नर जहां डिप्यूट होता है तो उसके लिए वहां के सी.एम. से कंसल्ट किया जाता है। लेकिन वहां मेरे ख्याल से यह बात नहीं हुई होगी। गवर्नर सैन्टर और स्टेट का एक लिंक होता है, अपोजीशन और रूलिंग पार्टी का एक लिंक होता है। गवर्नर का जो काम है, वह काम वहां गवर्नर के रूप में नहीं हुआ, उसने वहां कांग्रेस के एजेन्ट के रूप में काम किया।

अध्यक्ष महोदय, वोट आफ कांफिडेंस दो फरवरी को जीतने के बाद तीस मिनट के अंदर बी.जे.पी. की सरकार वहां बर्खास्त कर दी गई और साढ़े ग्यारह बजे मि. प्रताप सिंह राणे को वहां चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। जब वहां वोट आफ कान्फीडैंस पारित करने का मौका आया तो परिक्कर सरकार ने तीन दिन का समय मांगा था लेकिन उसे केवल दो दिन दिये गये। लेकिन श्री राणे को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो उन्हें वोट आफ कान्फीडैंस प्रूव करने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी। जब प्रैस वालों ने पूछा तो उसे तीन दिन दे दिये गये। यहां केवल दो दिन और वहां तीस दिन, कितना डिस्क्रिमिनेशन है। यह सब हो जाने के बाद भी राणे सरकार वहां अपनी मैज्योरिटी प्रूव नहीं कर पाई। इसलिए वहां जो बी.जे.पी. सपोर्टर एम.एल.एज. थे, उन्हें तोड़ने का प्रयास किया, उन्हें बीच में डिस्वालिफाई करने का प्रयास हुआ। ...*(व्यवधान)*

श्री जे.एम. आरून रशीद (पेरियाकुलम): हमारे गवर्नर ने वहां डेमोक्रेसी रिस्टोर की है।

श्री श्रीपाद येसो नाईक: यदि मैज्योरिटी होती तो क्या वहां से सरकार हटती। यही प्राब्लम है। चूंकि वहां आपकी गलती थी, इसलिए वहां आपकी सरकार नहीं टिक पाई।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नहीं, कृपया उनके भाषण में व्यवधान मत डालिए।

...(व्यवधान)

श्री श्रीपाद येसो नाईक: ये सभी बातें संविधान प्राधिकारी अर्थात् गोवा के गवर्नर द्वारा प्रजातन्त्र का अपमान है। सभी कार्य प्रजातांत्रिक मानदण्डों, मर्यादा और सरकारिया आयोग की सिफारिशों के विरुद्ध हैं और संघीय ढांचे के विरुद्ध हैं।

[हिन्दी]

महोदय, जो श्री प्रताप सिंह राणे की सरकार वहां डिसमिस हुई, यहां प्रूव हो सकता है कि वहां जो राज्यपाल ने किया वह बिल्कुल गलत था, सब कुछ देखने के बाद यही प्रतिस्थापित हो रहा है।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, यह अन्य मामले के बारे में बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: बजट पर कुछ भी कहा जा सकता है। कार्यमंत्रणा समिति ने इसके लिए तीन घंटे का समय आवंटित किया है।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं समझता हूं कि यह सहमति दर्शायी गई थी कि पहले हम बजट पारित करेंगे और हम बाद में अन्य मामलों पर अपने विचार रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं कि वह बजट पर ही अपने विचार रखे।

[हिन्दी]

श्री श्रीपाद येसो नाईक: अध्यक्ष महोदय, आज असैम्बली वहां सस्पैंडिड एनिमेशन में रखी है। इसलिए मैं रिक्वैस्ट करता हूं कि तुरंत असैम्बली डिजाल्व करके गोवा के लोगों का नया मैनडेट लिया जाए।

[अनुवाद]

मैं मांग करता हूं कि विधान सभा को भंग किया जाए और नया जनादेश प्राप्त किया जाए। मैं यह भी मांग करता हूं कि गोवा में प्रजातंत्र की हत्या करने वाले राज्यपाल को वापस बुलाया जाए।

श्री अलीमाऊ चर्चील (मारमुगाओ): अध्यक्ष महोदय, मैं गोवा बजट 2005-06 का समर्थन करता हूं। इसे यहां प्रस्तुत किया गया है क्योंकि वहां की विधान सभा स्थगित है। हमारा राज्य गोवा पर्यटन पर निर्भर है क्योंकि यह राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों का मुख्य आकर्षक स्थल है।

पर्यटन उद्योग को मजबूत बनाने और पर्यटकों का ठहराव सुविधाजनक बनाने के लिए हमें अवसंरचना की आवश्यकता है। यद्यपि गोवा ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर्वोत्तम मानदण्ड प्राप्त किए हैं लेकिन वहां पर जलापूर्ति की समस्या है।

अपराह्न 12.45 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

हमें गोवा के एक क्षेत्र के लिए जलापूर्ति की आवश्यकता है। यह प्राय: बाधित होता है क्योंकि क्लेयूलिम जल पाइप लाइन में लीकेज है हमें इसे स्टील पाइप लाइन में तब्दील करना होगा तभी गोवा में जलापूर्ति की समस्या का समाधान हो सकेगा।

गोवा में कूड़ा-फैंकने की सुविधा के अभाव में कई बड़ी समस्याएं हैं। वहां कूड़ा होने के कारण प्लेग जैसी बड़ी स्वास्थ्य समस्याएं होने की सम्भावना होती है। गोवा के दक्षिण और उत्तर जिलों में कूड़े के वैज्ञानिक निपटान के लिए विशेष धन दिया जाना चाहिए।

इस सभा के मेरे सभी सहयोगी गोवा अवश्य गए होंगे और वह दाबोली एयरपोर्ट से गोवा में पहुंचते हैं। दाबोली एयरपोर्ट नागरिक एयरपोर्ट है। कुछ वर्ष पहले नौसेना ने उसका प्रभार संभाल लिया था। आज हम बड़ी कठिनाई में हैं क्योंकि सरकार ने करवार सीवर्ड में भूमि का काफी बड़ा हिस्सा ले लिया है और उसने नौसेना को सभी सुविधाएं दे दी हैं। दाबोली एयरपोर्ट में नौसेना ने स्थानांतरण क्यों नहीं किया है। दाबोली एयरपोर्ट एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। हमें इसके उन्नयन क्यों नहीं करना चाहिए। वहां 400 से अधिक होटल हैं जो इस एयरपोर्ट पर निर्भर हैं। आज गोवा पर्यटन उद्योग सबसे अधिक राजस्व देता है। यह केन्द्र को भी सबसे अधिक राजस्व देता है यदि इसका उन्नयन नहीं किया जाता है तो पर्यटन उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और राजस्व में भी कमी होगी। छ: लाख से अधिक लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। यद्यपि दाबोली एयरपोर्ट अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है हमें इसका उन्नयन करना चाहिए।

वह हवाई अड्डा उसी तरह से नहीं चलना चाहिए जैसा कि अभी चल रहा है। इसे नौसेना को नहीं दिया जाना चाहिए। मेरी यही प्रार्थना है।

यदि आप केन्द्रीय स्तर या राज्य स्तर के खेलों की बात करें तो यह सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर रही है। हमारे देश में मुख्य रूप से क्रिकेट का प्रचलन है। क्रिकेट 13 या 14 देशों का खेल है। न तो केन्द्र सरकार न ही राज्य सरकार फुटबाल को समर्थन दे रही है। यदि आप वार्षिक फुटबाल को देखें तो 12 दलों में से हमने छ: दलों को गोवा में पाया। फुटबाल गोवा का हिस्सा है। व्यक्तिगत तौर पर सालगांवकर, डेम्पो, वास्को, की तरह हम फुटबाल का समर्थन करते हैं। लेकिन यदि आप विश्व स्तर पर नजर डालें तो फुटबाल प्रमुख खेल है। अमेरीका में सबसे अच्छा बेसबाल दल है। उन्होंने एक फुटबाल दल बनाया है और उन्होंने विश्वकप में खेला है। यदि आप सऊदी अरब को देखें, जो एक छोटा देश है, तो उसने भी विश्वकप मे खेला है। यदि आप कैमरून को देखें, यह भी एक बहुत छोटा देश है। इसने भी विश्वकप में खेला है।

भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। हमारे राज्यों में फुटबाल खेला जाता है चाहे वह पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र, दिल्ली, गोवा या केरल हो। इसलिए, फुटबाल हमारे देश में खेला जा रहा है लेकिन फुटबाल के लिए सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं दी जा रही है। मैं एक खिलाड़ी हूं। मैं एक वालीबाल खिलाड़ी हूं। मैं एक फुटबाल का भी खिलाड़ी हूं। मैं कबड्डी का खिलाड़ी हूं। मैं सभी प्रकार का खेल खेलता हूं। मेरा सपना है कि हमारी राष्ट्रीय फुटबाल दल विश्वकप में खेले। इसके लिए सरकार की मदद की जरूरत है। जापान में फुटबाल नहीं होता था। वहां की सरकार ने फुटबाल को मदद दिया और उनका राष्ट्रीय दल ने विश्वकप की मेजबानी भी की। इसलिए हमारी सरकार को फुटबाल को क्यों मदद नहीं करनी चाहिए?

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं लेकिन मैं गोवा में राष्ट्रपति शासन के समर्थन करने वाले संकल्प पर भी बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब श्री हमजा बोलेंगे।

श्री टी.के. हमजा (मंजेरी): महोदय, मैं गोवा के बजट पर बोलने की बजाए मद सं. 22 पर बोलूंगा। बजट पारित होना है। इसलिए, मैं दूसरे विषय पर बोलूंगा।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मोहन सिंह जी, प्रोक्लेमेशन की आइटम नं. 22 है जो इससे अगली है। यदि आप गोवा के बजट के संबंध में भी कुछ कहना चाहते हैं, तो बोल सकते हैं।

श्री मोहन सिंह (देवरिया): उपाध्यक्ष महोदय, वैसे मुझे गोवा राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 4 मार्च, 2005 को राष्ट्रपति महोदय द्वारा जारी उद्घोषणा के अनुमोदन पर होने वाली चर्चा में भाग लेना था, लेकिन चूंकि आपने मेरा नाम आसन से पुकारा है, इसलिए मैं गोवा के बजट का समर्थन करते हुए इस पर भी दो शब्द बोलना चाहता हूं।

[श्री मोहन सिंह]

उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम, तो मैं गोवा के बजट का समर्थन करता हूं। किसी राज्य की दुश्वारी हो गई है कि वहां घाटे का ही बजट प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए मैं केन्द्रीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उन्हें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा न हो। राज्यों के भीतर स्वयं के संसाधन न जुटाने की प्रवृत्ति पैदा हो रही है जिसके कारण प्राय: घाटे के बजट प्रस्तुत किए जाते हैं। मेरा आग्रह है कि उसके बारे में कुछ विचार किया जाए और घाटे का बजट तथा उसे प्रस्तुत करने की राज्यों की जो प्रवृत्ति है उस पर अंकुश लगाया जाए।

महोदय, गोवा हमारे राष्ट्र की रक्षा की दृष्टि से बहुत ही सामरिक (स्ट्रैटेजिक) पाइंट है। वहां के लोगों को सुखी रखने और वहां समृद्धि कायम करने के लिए बजट पारित करना जरूरी हो गया। इसलिए अधिनियम में वित्तीय प्रावधान किया जाना आवश्यक है। चूंकि 31 मार्च, 2005 के बाद वहां एक वित्तीय गड़बड़ी और परेशानी खड़ी हो जाएगी, इसलिए गोवा के बजट को पूर्व स्वीकृति देना, हमारा दायित्व है। अत: मैं इसका समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि इसे पारित किया जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सुधाकर रेड्डी, क्या आप गोवा बजट या अन्य मुद्दे पर बोलना चाहेंगे?

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नागालैंड): महोदय, मैं दूसरे विषय पर बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं माननीय वित्त मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम से चर्चा का उत्तर दिए जाने का अनुरोध करता हूं।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि किन परिस्थितियों में गोवा के बजट को प्रस्तुत करना मेरा विशेषाधिकार है और कर्त्तव्य भी। राजस्व प्राप्ति 2,872 करोड़ रुपये की है। केन्द्रीय करों का राज्य का हिस्सा, शुल्क लाभ भारत सरकार से अनुदान कुल मिलाकर 279.94 करोड़ रुपये बनते हैं। 41.79 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे के अतिरिक्त 2914 करोड़ का राजस्व परिव्यय का अनुमान है। पूंजी के लेखे में प्राप्ति 781 करोड़ रुपये भी हैं और व्यय 751 करोड़ रुपये का है। लोक लेखांकन तथा अधिशेष में लेन-देन के लिए लेखांकन के बाद कुल अधिशेष 104.64 करोड़ रुपये का था।

श्री श्रीपाद येसो नाईक ने उच्चमत न्यायालय के हाल ही के आदेश का उल्लेख किया जिसमें पर्यावरणीय आधार पर खनन कार्य को रोकने का आदेश दिया गया था। जैसा कि आप जानते हैं देश के कई भागों के लिए इसी प्रकार के आदेश पारित किए गए हैं। सरकार अपने वकीलों के माध्यम से इस समस्या का समाधान खोजेगी। राजस्व खाते में धातु खनन तथा धातु उद्योग पर परिव्यय 10.44 प्रतिशत बढ़ गया है और पूंजी के मद में यह 9.6 प्रतिशत बढ़ा है। इसलिए, गोवा सरकार ने अलौह-धातु खनन तथा धातु उद्योगों के लिए पर्याप्त प्रावधान किए हैं।

माननीय सदस्य श्री एलेमाओ चर्चिल द्वारा उल्लेख किए गए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के संबंध में आई.सी.ए.ओ. को एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है और पूर्व संभाव्यता अध्ययन पहले ही शुरू कर दिए गए हैं। भूमि अधिग्रहण के लिए वर्ष 2005-06 के लिए बजट आकलन में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

जलापूर्ति तथा स्वच्छता का उल्लेख किया गया था। पूंजी मद में चालू वर्ष के लिए 70 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में बजट में 77 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राजस्व मद में चालू वर्ष में 97 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में अगले वर्ष के लिए हमने 105 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसलिए, पूंजी के मद में 10 प्रतिशत की तथा राजस्व मद में सात प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

यह मात्र पांच महीनों का लेखानुदान है। मुझे विश्वास है कि राजनीतिक स्थिति में सुधार होगा और गोवा में यथाशीघ्र एक लोकप्रिय सरकार की स्थापना होगी। इसी दौरान सभा से पांच महीने का लेखानुदान स्वीकृत करने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं वर्ष 2005-06 के लिए लेखानुदानों की मांगों (गोवा) को मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 80, 82 और 83 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां गोवा राज्य की संचित निधि में से, लेखे पर; राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं वर्ष 2004-05 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों (गोवा) को मतदान के लिए रखूंगा:

प्रश्न यह है:

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 3, 5, 8, 10, 11, 14, 19, 26, 34, 37, 47 से 49, 51, 56, 57, 61, 64, 66 से 68, 70, 74 से 76 और 79 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिये कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां गोवा राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.59 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.05 बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे पास एक अनुपूरक कार्य सूची है। वित्त मंत्री जी।

अपराह्न 2.05 बजे

गोवा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक,* 2005

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2005-06 के एक भाग की सेवाओं के लिए गोवा राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2005-2006 के एक भाग की सेवाओं के लिए (गोवा) की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 2005-2006 के एक भाग की सेवाओं के लिए गोवा राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2005-2006 के एक भाग की सेवाओं के लिए गोवा राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और खंड 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 18.3.2005 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.09 बजे

गोवा विनियोग विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2004-2005 की सेवाओं के लिये गोवा राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2004-2005 की सेवाओं के लिये गोवा राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 2004-2005 की सेवाओं के लिये गोवा राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2004-2005 की सेवाओं के लिये गोवा राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम: धन्यवाद, महोदय।

अपराह्न 2.11 बजे

गोवा राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा का अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद संख्या 22 लेंगे। श्री शिवराज वि. पाटील।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 18.3.2005 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा गोवा राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 4 मार्च 2005 को राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

महोदय, अनुच्छेद 356 में प्रावधान है कि यदि राष्ट्रपति यह समझते हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबन्धों के अनुसार चलाया जा सकता है तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य की सरकार के सभी कृत्य अपने हाथ में ले सकते हैं; यह घोषणा कर सकते हैं कि राज्य के विधानमण्डल की शक्तियां संसद को प्रदत्त होंगी तथा यथा आवश्यक आनुषंगिक और परिणामिक प्रावधान किए जाएंगे।

गोवा में राष्ट्रपति शासन लगाये जाने वाले तथ्य निम्नानुसार हैं। गोवा विधान सभा में 40 विधायक थे। श्री मनोहर पारिकर मुख्य मंत्री थे जिन्हें 22 सदस्यों का समर्थन प्राप्त था और 18 सदस्य विपक्ष में थे मुख्यमंत्री को समर्थन देने वाले 4 सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया जिससे सभा में सदस्यों की संख्या 40 से घटकर 36 रह गई। मुख्य मंत्री को 17 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है जिसमें से एक सदस्य सभा में अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनके विपक्ष में 18 सदस्य हैं।

विपक्ष के सदस्यों ने राज्यपाल से भेंट की और उनसे अनुरोध किया कि श्री मनोहर पारिकर सरकार को बरखास्त किया जाए क्योंकि उनके पास सभा का बहुमत नहीं है। राज्यपाल ने सदस्यों से सभा के भीतर अपनी सहमति सिद्ध करने के लिए कहा और मुख्यमंत्री को निदेश दिया कि वह 2 फरवरी 2005 को अपराह्न 2.30 बजे विश्वास मत प्राप्त करें।

राज्यपाल की रिपोर्ट के अनुसार उसी दिन शाम 5.00 बजे के लगभग अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि सभा के एक सदस्य श्री रोडरिक्स ने दुर्व्यवहार किया है और उन पर गोवा विधान सभा के प्रक्रिया और कार्यसंचालन नियमों के नियम 289 के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की गई थी और उन्हें निदेश दिया गया था कि वह सभा से बाहर चले जाएं। श्री रोडरिक्स ने कहा कि उन्होंने ऐसा कार्य नहीं किया है कि उन्हें सदन से निष्कासित किया जाए और उन्होंने सदन से बाहर जाने से इन्कार कर दिया। यह देखते हुए कि सदस्य सभा से बाहर नहीं जा रहे हैं अध्यक्ष ने मार्शल और वाच एण्ड वाई के सदस्यों को निदेश दिया कि उन्हें सभा से बाहर ले जाया जाए। जब मार्शल और वाच एण्ड वार्ड के सदस्य उन्हें बाहर ले जा रहे थे विपक्ष के अन्य सदस्यों ने उस सदस्य को जबरदस्ती बाहर ले जाने पर आपत्ति जताई और हस्तक्षेप किया। जब सभा में यह सब चल रहा था अध्यक्ष ने मतदान के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया और घोषणा की कि प्रस्ताव के पक्ष में 18 सदस्य हैं और विपक्ष में 6 सदस्य हैं। सदन में जो कुछ भी हुआ वह अनुचित, गैर-कानूनी और असंवैधानिक था। विपक्ष के 18 सदस्य राज्यपाल के पास गए और उन्हें बताया कि श्री पारिकर की सरकार ने बहुमत साबित करने में जोड़-तोड़ की है और वे बहुमत सिद्ध नहीं कर सके और इसलिए सरकार को बरखास्त कर दिया जाना चाहिए। इससे राज्यपाल ने यह निष्कर्ष निकाला कि उनके ध्यान में जो लाया गया है वह सही है और उन्होंने सरकार को बरखास्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने श्री राणे को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की अनुमति दे दी और उन्हें 30 दिनों के भीतर बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा। ऐसा कहा गया कि राज्यपाल ने प्रजातांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक प्रावधानों की रक्षा और उनके संरक्षण के लिए यह किया है।

19 फरवरी 2005 को राज्यपाल ने सम्मन जारी किया ताकि श्री राणे 28 फरवरी को विधान सभा में विश्वास मत प्राप्त कर सकें। 24 फरवरी 2005 को श्री पारिकर के दल के बीजेपी के एक सदस्य श्री दिगम्बर वी. कामत ने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। 28 फरवरी 2005 को जब विश्वास मत लिया जाना था ठीक उससे पूर्व अध्यक्ष महोदय ने श्री फिलिप नेरी रोडरिक्स की सदस्यता खत्म कर दी। तत्पश्चात् अपराह्न 2.30 बजे उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने उपाध्यक्ष द्वारा दिये गए त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया है और एक संक्षिप्त भाषण दिया और घोषणा की कि वे भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं और सभा को स्थगित कर दिया। तत्पश्चात् उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अत: श्री राणे को विश्वासमत प्राप्त करने से इस प्रकार रोका गया। बीजेपी के सदस्य श्री दिगम्बर वी. कामत के त्यागपत्र और श्री फिलिप नेरी रोडरिक्स की अनर्हता के कारण सरकार और विपक्ष दोनों की संख्या घटकर 17 रह गई।

संविधान के अनुच्छेद 180(1) के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल ने श्री फ्रांसिसको सरदिना को 28 फरवरी की शाम अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई और उन्हें तब तक अध्यक्ष के पद के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए कहा जब तक विधान सभा द्वारा अध्यक्ष का चयन नहीं किया जाता।

विश्वासमत प्राप्त करने के लिए गोवा की विधान सभा की बैठक 4 मार्च, 2005 को अपराह्न 2.30 बजे समवेत हुई। अध्यक्ष महोदय ने यूजीडीपी अर्थात् श्री पारिकर की पार्टी के सदस्य श्री मोहन्ती सालदना को अयोग्य घोषित किया जिससे विधान सभा की प्रभावी संख्या घटकर 33 हो गई और तत्पश्चात् विश्वासमत का प्रस्ताव किया गया। उसके पक्ष और विपक्ष में 16-16 मत पड़े। इसके बाद अध्यक्ष महोदय ने श्री प्रताप सिंह राणे की सरकार के पक्ष में अपना मत दिया।

[श्री शिवराज वि. पाटील]

इस घटनाक्रम से स्पष्ट होता है कि राज्य गम्भीर राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। दो अध्यक्षों द्वारा कुछ विशेष सदस्यों को अयोग्य ठहराने का उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना और नम्बरों की जोड़-तोड़ करना था। दोनों गठबन्धनों द्वारा अपनाए गए तौर-तरीकों ने गम्भीर सन्देह उत्पन्न कर दिए। क्या राजनीतिक दलों का कोई गठबन्धन स्थिर सरकार दे पाएगा कि नहीं। राज्य में विद्यमान अस्थिरता के कारण यह भी संदेह किया गया कि क्या विधान सभा अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट अथवा लेखानुदान के लिए स्वीकृति प्राप्त कर सकेगी कि नहीं। यदि ऐसा हो जाता तो गम्भीर वित्तीय और संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता।

इसलिए संघीय केबिनेट ने 4 मार्च 2005 को हुई अपनी बैठक में गोवा की स्थिति पर विचार किया और राष्ट्रपति को सिफारिश करने का निर्णय लिया कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन उद्घोषणा जारी की जाए और राज्य विधान सभा को स्थगित रखा जाए।

4 मार्च 2005 को राष्ट्रपति ने गोवा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए और राज्य विधान सभा को निलम्बन की अवस्था में रखने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन उद्घोषणा जारी की।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सिफारिश करता हूं कि गोवा राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 4 मार्च 2005 को जारी उद्घोषणा को स्वीकृति दी जाए। उद्घोषणा की प्रति संविधान के अधीन यथा निर्धारित, परिणामी आदेश सहित सभा के पटल पर रखी जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि यह सभा गोवा राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 4 मार्च 2005 को राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृहमंत्री श्री शिवराज पाटिल ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि सदन 4 मार्च, 2005 को जारी किए गए प्रोक्लेमेशन का अनुमोदन करे, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं अपेक्षा करता था कि गृहमंत्री जी उस बात का भी उल्लेख करेंगे कि गोवा की विधानसभा सस्पेंडेड एनीमेशन में क्यों है, डिजाल्व क्यों नहीं की गयी। मैं इस बात से परिचित हूं कि बोम्मई वाद के निर्णय के बाद से सुप्रीम कोर्ट की ओर से हम लोगों को यह आदेश है कि जब तक दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति का शासन पुष्ट न हो जाए, जब तक प्रोक्लेमेशन की पुष्टि न हो जाए, तब तक विधान सभा एनिमेटेड सस्पेंशन में ही रखी जाए और इसके बाद ही उसे डिजाल्व करना चाहिए। मुझे स्मरण है कि जिस दिन प्रोक्लेमेशन जारी हुआ था, उस दिन जब हम समाचार सुन रहे थे, हमारी तरफ से बहुत से लोगों ने कहा कि सस्पेंडेड एनिमेशन में क्यों रखा है, डिजाल्व क्यों नहीं किया गया। स्वयं गृहमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में इस बात को स्पष्ट किया कि ऐसा करने का कारण बोम्मई केस का जजमेंट है। मैं अपेक्षा करता हूं कि दोनों सदनों की पुष्टि प्राप्त होने के बाद विधान सभा का डिजोल्युशन अवश्य होगा और वहां की जनता को अपनी नयी विधानसभा चुनने का अवसर दिया जाएगा। सस्पेंडेड एनिमेशन में रखकर, जिस शब्द का प्रयोग गृहमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में किया "मैकिनेशन्स" करने की कोई गुंजाइश नहीं देनी चाहिए। इस सदन में मैंने इन सारी गतिविधियों के इस सीमा तक, जिसका आपने अभी उल्लेख किया है, पहुंचने से पहले ही एक बार कहा था कुल मिलाकर विधानसभा की वहां जो स्थिति हो गयी है, उसमें लगता है कि एक बार फिर से जनता के पास जाना जरूरी हो गया है और इसीलिए जितनी जल्दी हम जनता के पास जाकर नई विधानसभा का गठन करवाएं, अच्छा होगा। मेरी यही राय उस समय भी थी और आज भी है। इसलिए मैं सरकार से अपेक्षा करूंगा कि इस मामले को स्पष्ट कर दे कि इस प्रोक्लेमेशन का उद्देश्य है फिर से जनादेश प्राप्त करना और उस दृष्टि से विधान सभा को डिजाल्व करना। मेरा समर्थन इसी आधार पर है, लेकिन अगर सरकार का ऐसा इरादा नहीं है और अगर विचार यह है कि हम विधान सभा को सस्पेंडेड एनिमेशन में छः महीने रखें तो फिर मुझे अपने समर्थन के बारे में पुनर्विचार करना पड़ेगा। कभी-कभी स्थितियां भिन्न हो सकती हैं। इसी प्रकार का एक और भी प्रोक्लेमेशन आने वाला है। हरेक प्रोक्लेमेशन की स्थिति अलग-अलग रहती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि दो ही विषयों पर चर्चा करनी है। सारे घटनाक्रम को मैं फिर से दोहराना नहीं चाहता। यहां पर पहले भी उस पर चर्चा हो चुकी है। उस आधार पर मैं दोषारोपण करूं, इसको दोष दूं या उसको दोष दूं, उसके बजाय मैं मानता हूं कि पिछले दो महीनों में कई घटनाक्रम गोवा में हुए, आगे चलकर झारखंड में भी हुए। इन दो घटनाक्रमों के कारण कुल मिलाकर देश भर में जो पत्र-पत्रिकाएं हैं, मीडिया है या बुद्धजीवी हैं, जो कानून से संबंधित लोग हैं, उन्होंने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है, क्या सरकार ने और सरकारी पार्टी ने उस पर कुछ सोचा है? कुछ अंतर्मुखी होकर देखने की कोशिश की है कि क्या कारण है कि मीडिया, पत्र-पत्रिकाएं, कानून के क्षेत्र में काम करने वाले लोग आज तक हमारी विचारधारा की तीव्र आलोचना करते थे, हमें कोई भी सैटबैक मिलता था तो उल्लास का प्रकटीकरण

करते थे, आनंद का प्रकटीकरण करते थे। वे भी इस संदर्भ में चाहे गोवा की घटना हो या झारखंड की, सभी ने लगभग एक स्वर से कहा है कि यह ठीक नहीं किया, सरकार ने ठीक नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने ठीक नहीं किया। इस पर अंतर्मुखी होकर क्या आपने सोचा है?

मेरी अपनी मान्यता है कि हिन्दुस्तान में कई बार लोकतंत्र पर आक्रमण हुआ। छोटे-मोटे होते रहते थे। 1950 में हमने संसदीय लोकतंत्र स्वीकार किया। उसके बाद कई छोटे-मोटे प्रसंग आते थे, जिसमें हम जब विपक्ष में थे तो आलोचना करते थे। हमारे बहुत से साथी जो इधर थे, आज भले ही सरकार में हों, वे भी कांग्रेस पार्टी की सरकार की आलोचना करते थे कि यह अलोकतांत्रिक है, यह नहीं करना चाहिए या वह नहीं करना चाहिए, अलग-अलग व्यूज होते थे। लेकिन 1975 में जो घटनाक्रम हुआ, जिसके बाद 1975, 1976 और 1977 के उस काल के बाद मेरा अनुभव यह रहा है कि कभी भी सरकार जब कोई बात करती है, जिसमें तनिक भी एहसास होता है कि यह विरोध हो रहा है या लोकतंत्र का विरोध है। यह कोई बीजेपी का विरोध नहीं है। जो प्रतिक्रियाएं उन लोगों की थीं, जो बीजेपी के आलोचक होंगे, उन्होंने भी एक स्वर से कहा कि यह नहीं होना चाहिए। सरकार का ऐसा कोई भी कार्य जो लोकतंत्र पर आक्रमण प्रतीत हो, के संबंध में अतिरिक्त संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए। मैं मानता हूं कि गोवा हो या झारखंड हो, चाहे राज्यपाल के निर्णय हों।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा): विधायक तो हमारे पास आ गए थे। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं। आपका कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री लाल कृष्ण आडवाणी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में नहीं जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: जब आपके लीडर बोल रहे थे तो इधर से कोई नहीं बोला। इसलिए जब इधर से इन्होंने बोलना शुरू किया है तो आप भी न बोलें।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं समझता हूं आप योगदान नहीं कर रहे हैं सरकार को अंतर्मुखी होने का। इंट्रोस्पैक्शन की जरूरत है, नहीं तो ऐसी स्थिति नहीं आती। नौ महीने में ऐसा नहीं हुआ।

मैं किसी को कोट नहीं कर रहा हूं ऐसी-ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया—सरकार के खिलाफ कांग्रेस के खिलाफ। इसका कारण है अतिरिक्त संवेदनशीलता, अत्यधिक संवेदनशीलता। उसका लाभ है, देश को फायदा है। डिफैक्शन यू.के. में अपराध नहीं है। यू.के. में आज भी कोई मैम्बर एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाए, तो कोई उस पर आपत्ति नहीं करता। मुझे याद है कि जिस समय पहली बार डिफैक्शन लॉ बनाने की बात आई तो लोग काउंट करते थे कि विन्स्टन चर्चिल ने कितनी बार पार्टियां बदलीं। लेकिन क्या उसको डिस-क्वालिफाई किया गया? यह तो उसकी इच्छा है, जिस पार्टी में जाना चाहे। हमने उसके बाद कमेटी बनाई। उसके जो रिक्मेंडेशन्स थे, उनसे जब संतुष्ट नहीं हुए तो दूसरी कमेटी बनाई। हिन्दुस्तान में डिफैक्शन केवल एक विचार को छोड़कर दूसरे विचार को अपनाने का तरीका नहीं है। यहां हरियाणा के हमारे मित्र बैठे होंगे, चंडीगढ़ के तो बैठे हैं। हरियाणा में जब यह शुरू हुआ तो आया राम, गया राम शब्द प्रयोग हुआ और उसका कैसा-कैसा मजाक हुआ? मैं तो एक कार्टून को याद करता हूं। एक सज्जन ने तीन बार डिफैक्शन किया और एक बार तो उसको मकान से कूदकर जाना पड़ा। शायद लक्ष्मण का कार्टून था जिसमें उसने दिखाया कि एक खिड़की में रस्सी लटक रही है, बीच में कोई सज्जन खड़े हैं। नीचे दो पुलिस वाले चर्चा कर रहे हैं कि यह कौन है? एक कहता है कि अगर वह ऊपर जाता है तो चोर है और अगर नीचे आता है तो एमएलए है। मैं स्मरण करता हूं कि डिफैक्शन उस समय एक ऐसा ईवल बन गया, एक ऐसा अपराध बन गया जिससे सब पार्टियों को लगा कि अगर इसका कोई हल नहीं निकालेंगे तो राजनीति अस्थिर हो जाएगी। राजनैतिक अस्थिरता रोकने के लिए एंटी डिफैक्शन लॉ बना। उसमें भी प्राविजन कर दिया कि अगर एक-तिहाई डिफैक्शन हो जाए तो चलेगा, अकेला नहीं जा सकता है। इसलिए फिर कई सालों तक वह कानून चला। हमारे जो आज गृह मंत्री हैं, वह उस समय अध्यक्ष थे, उनको भी चिंता हुई। उन्होंने भी मीटिंग बुलाई और कहा कि यह बहुत चिंता की बात है, इसका हल निकालना चाहिए। आगे चलकर एक हल निकला कि रिटेल में डिफैक्शन अपराध है होलसेल में डिफैक्शन परमिटेड है। इसलिए यह स्पिलिट का प्राविजन निकाल देना चाहिए। निकाल देने के बाद भी हमारे राजनैतिक नेता बड़े कुशल हैं। वे कहते हैं कि स्पिलिट निकाल दिया। लेकिन कोई इस्तीफा देने से तो मना नहीं कर सकता।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): मर्जर अभी भी है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: लेकिन मर्जर थोड़ा दूसरे प्रकार का है। आज मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन मुझे खुशी है कि इसके अनुमोदन का प्रस्ताव रखा। गृह मंत्री जी ने तो पूरा विवरण रखा कि किस प्रकार से हमारी जो पारिकर जी की सरकार थी उसके 22 लोग थे, फिर चार ने इस्तीफा दे दिया और फिर वे 18 रह गये। स्थिति 36 में से 18-18 की हो गयी, फिर 17-17 की हो गयी और बाद में 16-16 की हो गयी। जो विवरण दिया है वह अपने आप में हम सबके लिए मार्गदर्शक है। हमको इन दोनों बातों की चिंता करनी चाहिए। हमने वास्तव में स्टैबिलिटी आफ गवर्नमेंट को बनाए रखने के लिए एंटी-डिफैक्शन लॉ बनाया है तो उस एंटी-डिफैक्शन लॉ को बाई-पास करने के तरीके निकाले हैं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। किसी को इस्तीफा दिलवा दो और इस्तीफा दिलवा करके तुरंत मंत्री बना दो, तो इस्तीफा दिलवा दिया, मंत्री बना दिया, 6 महीने तो मंत्री बना सकते हो, बिना विधान सभा के और इस तरह काम हो गया। यह जो तरीके हैं, ये सब उसमें से निकले हैं।

देश में राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करना हमारी चिन्ता है। मैं मानता हूं कि पालिटिकल स्टेबिल्टी इंश्योर करने के लिए जरूरत हो गई है कि इस समय हमको एंटी-डिफैक्शन लॉ के बारे में फिर से विचार करना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि बावजूद इसके राणे जी ने अपना बहुमत प्रमाणित कर दिया, केन्द्र सरकार ने तय किया कि हम राष्ट्रपति शासन लगा दें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसकी घोषणा करें कि हम देश की वास्तविक सत्ता अर्थात् लोगों के समक्ष जाना चाहते हैं। हम इसके अलावा कुछ भी करना नहीं चाहते।

दूसरी बात यह है कि ये लोग उस समय नाराज हो रहे थे जब मैंने राज्यपाल का जिक्र किया। मैं राज्यपाल के इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा था। उस इंस्टीट्यूशन को जैसा हम चाहते हैं वैसा बनाए रखना चाहते हैं तो जो सिफारिशें सरकारिया कमीशन ने की हैं और जिन सिफारिशों पर विचार करके इंटर स्टेट काउंसिल ने रिकमंडेशन्स की है, मैं समझता हूं कि उनको कार्यान्वित करना चाहिए। इंटर स्टेट काउंसिल और सरकारिया कमीशन ने कहा कि बिना कनसल्टेशन के राज्यपाल नियुक्त नहीं करने चाहिए यानी उनकी नियुक्ति करते समय स्टेट गवर्नमैंट से जरूर कनसल्ट करना चाहिए। इंटर स्टेट काउंसिल ने उस पर और जोर देकर कहा कि कनवैंशन के अनुसार उस पर कनसल्टेशन होना चाहिए। हमने कनवैंशन के अनुसार काम किया। हम जितने समय सत्ता में थे, कनसल्ट करके राज्यपालों की नियुक्ति की। इंटर स्टेट काउंसिल

[अनुवाद]

ने सिफारिश की है कि इसे संवैधानिक विधान का एक भाग बनाया जाना चाहिए। ताकि राज्यपालों की नियुक्ति के संबंध में केन्द्र सरकार को राज्य सरकार से विचार-विमर्श करने को अनिवार्य बनाया जा सके।

[हिन्दी]

मैं समझता हूं कि अगर ये दो चीजें हम करते हैं और तीसरी चीज मैंने शुरू में आपसे कही कि आप स्पष्ट अनइक्विवोकल घोषणा करें कि राष्ट्रपति शासन लगाने के दो उद्देश्य थे एक तो बजट पास करना जो केवल संसद ही कर सकती है, वहां नहीं हो सकता था और बजट का काम इस सदन में हो गया लेकिन दूसरे सदन में होना बाकी है। दूसरा काम यह है कि गोवा की जनता को इस बात का अवसर देना कि वह किस को इलैक्ट करना चाहती है?

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं यह भी कह दूं कि 1987 में गोवा बना। 1987 से लेकर अब तक 12 मुख्य मंत्री हुए। वहां प्राय: एक पार्टी की सरकार थी। हमारी पार्टी अभी मजबूत हुई है लेकिन ज्यादा समय एक पार्टी की सरकार में इतनी इनस्टेबिलटी ...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): आपने उन्हीं की बीमारी ले ली। ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अब नहीं ली। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: व्यवधान को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: श्री पारिकर सबसे लम्बे कार्यकाल के लिए गोवा के मुख्यमंत्री रहे हैं। केवल मात्र उनका कार्यकाल लम्बा था हमें केवल इसका संतोष नहीं है लेकिन जितने सारे असैसमैंट हुए, हिन्दुस्तान भर की अलग-अलग संस्थाओं ने आफिशियल संस्थाओं ने, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ने गोवा को नम्बर वन दिया। आर्थिक उत्पादकता, पारदर्शिता तथा सम्पन्नता में इसका पहला स्थान रहा है। इंडिया टुडे ने कहा कि हिन्दुस्तान में सबसे बढ़िया शासित प्रदेश अगर कोई है तो गोवा है। सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कोई है तो श्री मनोहर पारिकर हैं। मैं ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूं लेकिन उन्हें सुनाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जो एचिवमैंट्स की हैं, वे रिमार्केबल हैं, कुशलता है। एंटी-डिफैक्शन लॉ कुछ भी हो, क्लीयर मैजोरटी मिली नहीं थी, इलैक्शन हुआ था तो 40 में से 17 बीजेपी के और कांग्रेस के 15 लोग चुने गए। 17 चुने जाने के बाद ...*(व्यवधान)* हमारी बड़ी पार्टी थी और लगभग आपके बराबर थी। हमारी पार्टी को हमारे कुछ लोगों ने समर्थन दिया। हमारी पार्टी की सरकार बनी।

क्यिलर मेजोरिटी न होते हुए इतना समय इच्छी तरह से शासन चलाया। फिर एक स्टेज आई जब उनको करप्शन के खिलाफ कोई एक्शन लेना था। उन्होंने विपक्ष के नेता से सलाह की और कहा कि ये जो मंत्री हैं, मेरे मंत्री हैं लेकिन जिस प्रकार से ये कर रहे हैं उसके बाद गोवा बरबाद हो जाएगा, इसीलिए मेरे मन में है कि मैं इनको छुट्टी दूं। लेकिन छुट्टी दूंगा तो हो सकता है कि इनके साथ जो तीन और आए थे वे चार भी चले जाएं, यह हो गया। उनको किसी ने सलाह दी कि वैसे तो डिफेक्ट नहीं कर सकते परंतु यह जरूर कर सकते हो कि इस्तीफा दे दो। इस्तीफा दोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम आपको मंत्री बना देंगे और आप सरकार में आएंगे, इसमें क्या दिक्कत है। यह हो गया।

[अनुवाद]

अब ये सब तौर-तरीके अपनाये जा रहे हैं। दल-बदल विरोधी कानून पर दोबारा विचार करते समय इन पर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि देखा जाए कि यह कानून किस प्रकार प्रभावी हो सकता है और राजनीतिक स्थिरता में अपना योगदान दे सकता है।

[हिन्दी]

एक बात मैं यह कहूंगा और दूसरी बात मैंने पहले कही है कि इंटरस्टेट काउंसिल की रिकमेंडेशन है कि गवर्नरों की नियुक्ति के बारे में कंस्लटेशन जरूर होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो कहीं पर किसी ने गलती की है तो मैं इस मत का हूं अगर एक बार भी केंद्र सरकार ने गलती करने वाले राज्यपाल के खिलाफ एक्शन लिया, जैसे उनको रिमूव किया। किसी को रिमूव किया या किसी को ट्रांसफर किया। इससे साल्यूटरी संदेश जाएगा कि इसके बाद कभी इस प्रकार से कोई बात नहीं करेगा। इसके कारण इस सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोकतंत्र मजबूत होगा। मैं मानता हूं कि इस सारे प्रकरण में एक अच्छी बात हुई है कि देश भर में लोकतंत्र के बारे में कितनी चिंता है और लोग एक स्वर से बोलते हैं। पार्टी की बात को छोड़कर एक बहुत अच्छा लक्षण मैंने इन तीन-चार हफ्तों में देखा है और उसका मैं स्वागत करता हूं। मैं उसका अभिनंदन करता हूं और सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूं कि इस समय जो बातें सही हुई हैं, गलती होते हुए भी ठीक कर ली गई हैं, इसका श्रेय मीडिया को जाता है। मैं मीडिया का अभिनंदन करता हूं।

मैं इस प्रोकलेमेशन का समर्थन इस विश्वास के साथ करता हूं कि आपने बात शुरू में कही थी कि सस्पेंडेड एनीमेशन, यह सही है क्योंकि बम्बई की हमें डायरेक्शन्स हैं अन्यथा यह दोनों हाउसिस के पास हो जाएगा। हम हाउस को डिजाल्व करके इलैक्शन की तैयारी करेंगे।

[अनुवाद]

श्री अलीमाऊ चर्चील (मारमुगाओ): उपाध्यक्ष महोदय, गोवा के लोग विधानसभा भंग किये जाने के पक्ष में नहीं थे। वे उपचुनाव चाहते थे। जिन परिस्थितियों के कारण गोवा के बजट को लोक सभा में प्रस्तुत करना पड़ा है उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

जून, 2002 में गोवा में श्री मनोहर पारिकर की अध्यक्षता में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार जोड़-तोड़ की राजनीति से सत्ता में आयी। इसके भागीदारों को दो वर्ष से भी कम अवधि में यह अहसास हो गया कि यह सरकार लोकहित में काम नहीं कर रही है और इसीलिए यू.जी.डी.पी. और एन.जी.पी. और निर्दलीय विधायक ने समर्थन वापिस ले लिया।

भाजपा का शासन इतना खराब था कि देश के इतिहास में पहली बार सत्तापक्ष के पांच विधायकों ने अपनी सीट से इस्तीफा देकर सरकार को अल्पमत में ला दिया। इसके बावजूद भी गोवा में भाजपा सत्ता से चिपकी रही और झूठ और गलत सूचना देने पर उतारू हो गयी।

तत्पश्चात् भाजपा ने एक निर्दलीय विधायक श्री फिलिप नेरी राडरिग्स, जो कि कुछ दिन पहले तक उनकी सरकार में मंत्री थे, को अयोग्य घोषित करने के लिए अध्यक्ष पद का दुरूपयोग किया।

भाजपा ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर यह दिखाने के लिए कि श्री फिलिप नेरी अक्तूबर 2002 में भाजपा में शामिल हुए हैं, एक मामला दायर किया। इस फर्जी प्रवेश प्रपत्र के आधार पर अध्यक्ष ने विश्वास मत प्रस्तुत किये जाने से कुछ मिनट पहले ही श्री फिलिप नेरी को अयोग्य करार दे दिया। इसके एकदम बाद ही उन्होंने इस आधार पर अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया कि उनकी ईमानदारी पर संदेह किया गया। यदि वस्तुत: ऐसा हुआ होता तो उन्हें अयोग्यता संबंधी याचिका पर आदेश देने से पहले ही त्यागपत्र देना चाहिये था। इस मामले का दुखद पहलू यह है कि यदि श्री फिलिप नेरी भाजपा में शामिल हुए थे तो इस बारे में अध्यक्ष को सूचना दी जानी चाहिए थी और सभा की संरचना में उचित परिवर्तन किये जाने चाहिए थे।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य स्पीकर को रैफर नहीं कर सकते।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं इस मामले की जांच करूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: यदि अध्यक्ष के विरुद्ध कोई बात कही गयी है तो उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप किस नियम के अंतर्गत इसे उठाना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार: मैं केवल नियम के संदर्भ में ही कह रहा हूं। इन्हें इतना धैर्य तो रखना ही चाहिए। संविधान की धारा 212 की उपधारा (1) के अनुसार:

"राज्य के विधान मंडल की किसी कार्यवाही की विधिमान्यता की प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।"

जब मामला यह है तो उसे अध्यक्ष के पास किस तरह भेजा जा सकता है। अत: इसे हटाया जाना चाहिये।

मोहम्मद सलीम: महोदय, उन्होंने किसी नियम का उद्धरण नहीं दिया है।

श्री अनंत कुमार: महोदय, प्रक्रिया के नियम भारत के संविधान से ही बनाये गए हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही कह दिया है कि यदि स्पीकर के खिलाफ कोई लफ्ज हैं तो उसे एक्सपंज कर दिया जायेगा।

[अनुवाद]

श्री अलीमाऊ चर्चील: महोदय, वे अब अध्यक्ष नहीं हैं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है।

तथापि, दो वर्षों तक भाजपा ने यह दावा नहीं किया कि निर्दलीय विधायक उनकी पार्टी में शामिल हो गये हैं और जब उन्होंने समर्थन वापिस लिया उसके बाद फर्जी दस्तावेजों के आधार पर याचिका दायर की।

उसके बाद यूजीडीपी ने अपने विधायक श्री मथानि सल्दन्हा को भाजपा के विरुद्ध मतदान करने के लिए सचेतक जारी किया और विधायक ने इसकी अवज्ञा की। तत्पश्चात्, अध्यक्ष के समक्ष अयोग्यता संबंधी एक याचिका दायर की गयी। अध्यक्ष ने सभी पक्षों की बात सुनने के बाद पार्टी के सचेतक के विरुद्ध मत करने हेतु श्री मथानि सल्दान्हा के मत अधिकार को कायम रखने के लिए अंतरिम स्थगन स्वीकृत किया यह आदेश मायावती मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार था।

हम अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान श्री पारिकर द्वारा अपने ठेकेदार एजेन्टों के माध्यम से 150 करोड़ रुपये हड़पने के भ्रष्टाचार के मामले में विशेष लेखा-परीक्षा की मांग करते हैं। भाजपा और आर.एस.एस. द्वारा गोवा में चलाये जा रहे भ्रष्टाचार, दलाली और ठेकेदार राज का खुलासा किया जाना चाहिए।

परिकर का फासिस्टवादी शासन समाप्त हो गया। *...(व्यवधान)*

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, उनकी बात में बार-बार इस तरह व्यवधान नहीं किया जा सकता। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री चर्चील के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री अलीमाऊ चर्चील: महोदय, अपने साम्प्रदायिक प्रचार विशेषकर गोवा की स्वतंत्रता के संबंध में उनके तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करते हुए बनाये गए टेप, जो कि प्रत्येक विद्यालय में दिखाया जाना था, के माध्यम से गोवा के समाज के साम्प्रदायिक सद्भाव तथा धार्मिक शान्ति को नष्ट करने के प्रयासों से उनकी मंशा का पता चला। नागरिकों को परेशान किया गया, विरोधियों को जेल भेजा गया इसके साथ ही तीन पूर्व कांग्रेसी मंत्रियों के विरुद्ध मामले दायर किये गए और पारिकर शासन के अंतर्गत आतंक का राज रहा।

उन्हें और विधानसभा के अध्यक्ष को घायल निर्दलीय विधायक श्री फिलिप नेरी को गोवा विधानसभा से बाहर निकालने के लिए सादे कपड़ों में 21 पुलिस कर्मियों को बुलाने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। अंतत: गोवा राज्य को पारिकर के आर.एस.एस. शासन से स्वतंत्र करा लिया गया। हम इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं।

महोदय, आज गोवा के बजट को लोक सभा में प्रस्तुत करके उस पर बहस की जा रही है क्योंकि राज्य विधान सभा निलंबन की अवस्था में है। भाजपा को उसके द्वारा किये गए गलत कार्यों का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तीन दिन पहले

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

ही गोवा में जिला पंचायत चुनाव सम्पन्न हुए हैं जिसमें मतदाताओं ने भाजपा के विरुद्ध मतदान करके चुनाव में उसका सफाया कर दिया है। परिणामों से पता चलता है कि गोवा के लोग चाहते हैं कि वहां विधान सभा का निलंबन रद्द करके एक लोकप्रिय सरकार लायी जाए। गोवा विधान सभा की पांच सीटों पर शीघ्र उपचुनाव सम्पन्न कराये जाएं ताकि वहां के लोगों की इच्छा के अनुसार सरकार बनायी जा सके। इन पांच सीटों पर उपचुनाव कराने में देरी करने का कोई कारण नहीं है। राज्य में लोकप्रिय सरकार के स्थान पर राष्ट्रपति शासन कोई विकल्प नहीं है।

अत: उपाध्यक्ष महोदय, गोवा के लोगों की तरफ से मैं मांग करता हूं कि गोवा विधान सभा की पांच सीटों के लिए शीघ्र उपचुनाव कराये जाएं। हम लोगों को यह दिखाना चाहते हैं कि इस सरकार ने ठीक काम किया है और पिछली सरकार ने ही सभी गलत कार्य किये थे।

श्री टी.के. हमजा (मंजेरी): उपाध्यक्ष महोदय, गोवा राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा और राज्य में हाल की घटनाओं पर चर्चा में खड़े होकर मैं खुश नहीं हूं। हमारा संविधान अन्य देशों के संविधान की तुलना में बहुत महान है।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप अपना भाषण पढ़ना चाहेंगे?

श्री टी.के. हमजा: महोदय, मैं इस कागज पर लिखे केवल बिंदुओं को देख रहा हूं।

महोदय, केवल हमारा संविधान ही महान नहीं हैं बल्कि संसदीय प्रजातंत्र से हमारी आशाएं भी बड़ी हैं। यद्यपि, राज्यपाल राज्य में संविधान का संरक्षक होता है लेकिन वास्तविक व्यवहार में वह केन्द्र सरकार की सलाह पर कार्य करता है। राज्य सरकार की केन्द्र पर कोई अधिकार नहीं होता लेकिन केन्द्र सरकार को राज्य में बहुत कुछ करने का अधिकार होता है। राज्यपाल केन्द्र की ओर से कार्य करता है। इसलिए, राज्य में जो कुछ हुआ है उसके लिए केन्द्र सरकार ही जिम्मेदार है। मैं खुद के अनुभव से यह सकता हूं कि केन्द्र में चाहे जिस दल की सरकार हो, चाहे वह भाजपा की हो या कांग्रेस की, राज्य में किसी दूसरे दल की सरकार को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। मुझे 1959 की एक घटना याद है जब केरल में स्व. ई.एम.एस. नम्बूदरीपाद की चुनी हुई सरकार को बिना किसी कारण के केन्द्र सरकार द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था।

इसके बाद कई सरकारें बर्खास्त हुईं। जब केन्द्र में भाजपा की सरकार बनी तब उहोंने भी वह कार्य दोहराया। दोनों इस मामले में एक समान हैं। हम अनुच्छेद 356 के अविवेकपूर्ण उपयोग से सहमत नहीं हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियों में इसे अवश्य लगाया जाना चाहिए। गोवा में हस्तक्षेप को जायज ठहराया जा सकता है। केवल एक बात है कि इसे बहुत पहले लागू कर दिया जाना चाहिए था। हमने वहां जो भी गंदा खेल देखा उससे बच सकते थे। दो विधायकों, श्री फिलिप रोड्रिग्ज और श्री दिगम्बर कामत के पार्टी से चले जाने तथा सरकार से अपना समर्थन वापस लेने के बाद गोवा में भाजपा की पारिकर सरकार अल्पमत में आ गई थी। तत्पश्चात् राज्यपाल ने संविधान के अनुरूप कार्य किया और भाजपा की सरकार को बर्खास्त कर दिया। यहां तक माननीय श्री वाजपेयी ने एक पत्रकार सम्मेलन में गोवा में नये चुनाव की मांग की। यह दर्शाता है कि वहां बहुमत नहीं रह गया था। अन्यथा, भाजपा के नेता ऐसा कैसे कहते। जब बहुमत समाप्त हो जाती है और सरकार चल नहीं सकती तो राज्यपाल के सामने और क्या रास्ता बचता है? अगली प्रक्रिया क्या है? राज्यपाल ने सरकार को बर्खास्त कर दिया और उन्होंने कहा कि वे चुनाव चाहते हैं। लेकिन राज्यपाल की अगली संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह विपक्ष के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे और गोवा में यही हुआ। तदनुरूप श्री राणे ने वहां सरकार बनाई। सदन में बहुमत साबित करने वाले दिन को समस्या आरंभ हुई। यह श्री विश्वास सतारकर ही थे जिन्होंने यह सब किया। उन्होंने सदन में घोषणा की कि सदस्य, श्री रोड्रिग्ज को अयोग्य करार दे दिया गया है और सूचित किया कि दूसरे सदस्य श्री कामत ने पहले ही सदन के विधेयक की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। विश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सदन को दोपहर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जब विश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सदन की दोपहर के बाद दोबारा बैठक हुई तो अध्यक्ष महोदय ने पुन: घोषणा की कि इन्होंने स्वयं तथा उपाध्यक्ष महोदय ने अपने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। इससे राज्य में एक संवैधानिक गतिरोध पैदा हो गया। तब राज्यपाल क्या करते? अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष महोदय ने त्यागपत्र दे दिया। तथा बिना किसी तिथि की घोषणा के सदन को स्थगित कर दिया गया। इसलिए अब कोई रास्ता नहीं था और राज्यपाल को इस मामले में कार्रवाई करनी पड़ी। सदन यह देखे कि श्री रोड्रिग्ज एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे और वे भाजपा में शामिल हो गए थे। तभी उनके खिलाफ दलबदल की कार्रवाई हो सकती थी। उस समय किसी ने भी कार्रवाई नहीं शुरू की। जब वे भाजपा से बाहर आये तब उन्होंने उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। यह दोहरे मापदंड का प्रश्न है। इसी प्रकार संविधान के अनुसार प्रत्येक सदस्य का यह अधिकार है कि वह सदस्यता के त्यागपत्र दे सकता है। इसलिए, श्री कामत ने त्यागपत्र दे दिया है। इसमें क्या कठिनाई है? उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और कहा कि जब तक दूसरा चुनाव नहीं हो जाता वे सदन में नहीं बैठेंगे। खैर, यह सही है कि श्री रोड्रिग्ज और श्री कामत ने भाजपा छोड़ दी और सरकार ने अपना बहुमत

[श्री टी.के. हमजा]

खो दिया। यदि वे भाजपा छोड़कर अप्रत्यक्ष उद्देश्यों से कांग्रेस में शामिल हो जाते और श्री राणे को सरकार बनाने में सहायता करते तो यह गलत बात होती।

उपाध्यक्ष महोदय: आप दो व्यक्तियों के नामों का उल्लेख कर रहे हैं जो यहां सदन में उपस्थित नहीं हैं।

श्री टी.के. हमजा: इसके बावजूद भी श्री राणे मुख्य मंत्री के रूप में बहुमत नहीं जुटा सके। इसके बावजूद भी वे बहुमत नहीं दिखा सके उन्होंने केवल पेनाल्टी गोल से अर्थात् अस्थायी अध्यक्ष के निर्णायक मत से खेल को जीत लिया। अस्थायी अध्यक्ष को मतदान का अधिकार है या नहीं यह एक ऐसा विषय है जिस पर वाद-विवाद हो सकता है, और यह आगे तय किया जाएगा।

अपराह्न 3.00 बजे

अंतत:, केन्द्र सरकार ने इस मामले में सही कदम उठाया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जिसके लिए मैं भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। मैं गोवा के बजट का समर्थन करता हूं जिसे आज प्रस्तुत किया गया है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी राज्य में केन्द्र सरकार दखल देकर, अपनी सरकार चलाए, हम समझते हैं कि हमारे देश की संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को यह बहुत बड़ी चुनौती है। गोवा, हमारे देश का एक ऐसा राज्य है, जो आबादी के हिसाब से बहुत छोटा है, लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। अरब सागर से होकर पश्चिमी देशों से, खाड़ी देशों से, हमारे जो भी संबंध हैं, उनका मुख्य केन्द्र बिन्दु गोवा है।

महोदय, गोवा के बारे में, भारत की आजादी के बाद, हमारे देश के प्रथम प्रधान मंत्री, पं. जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि गोवा की हुकूमत हमारे देश के सुनहले चेहरे पर एक बदनुमा दाग की तरह है। वहां कठिन संघर्ष हुआ और वहां जो पुर्तगाली सरकार थी, वह सम्भवत: स्वतंत्रता सेनानियों पर अंग्रेजी हुकूमत से ज्यादा नृशंस थी और ज्यादा दमनकारी थी, लेकिन उसके दमन का मुकाबला करते हुए हमारे देश के बहुत बड़े तबके ने गोवा की आजादी के लिए कठिन संग्राम किया, जिसके चलते हुए भारत सरकार ने 1961 में मिलिट्री एक्शन के जरिए उसको आजाद कर दिया। आजादी के बहुत दिनों के बाद तक, अलग से उसका स्टेट्स नहीं था। वह यूनियन टैरीटरी थी, लेकिन किन्हीं खास परिस्थितियों में वहां के लोगों की आइडेंटिटी को जिन्दा रखने के लिए हमने उसे राज्य का दर्जा दिया।

महोदय, वहां हिन्दी भाषी लोग भी हैं, वहां मराठी भाषी लोग भी हैं, कन्नड़, कोंकणी और तुलुक के लोग भी हैं। वहां आज भी अंग्रेजी और पुर्तगाली भाषाएं बहुत व्यापक पैमाने पर बोली जाती हैं। सभी कौम, सभी बिरादरी के लोग वहां आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। वहां हिन्दू, मुसलमान, सिख, इसाई और पारसी सभी तरह के लोग बहुत प्रेम-भाव से रहते हैं। यदि हम यह कहें कि हमारे धर्मनिरपेक्ष समाज की एक कोई यदि प्रयोगशाला है, तो उसका नाम गोवा है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। उस प्रयोगशाला के रसायन को यदि हम कम्युनलिज्म के जहरीले रसायन से विषाक्त बनाने की कोशिश करें, तो मैं ऐसा समझता हूं कि यह बहुत बुरी बात है। उसका अंतर्राष्ट्रीय जगत में बहुत खराब संदेश जाता है। ...*(व्यवधान)*

हमने आपको बहुत शांति पूर्वक सुना। किसी को नहीं टोका। मेरा आपसे भी आग्रह है कि मुझे कृपया बीच में न टोकें।

महोदय, हम मानते हैं कि उस छोटे से राज्य में, इस तरह का कोई प्रयोग करना, अंतर्राष्ट्रीय जगत में, हमारे देश की छवि को खराब करने वाला साबित होगा, लेकिन उसी के साथ-साथ, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि वहां किस तरह की सरकार हो, इसका अंतिम फैसला वहां की जनता करने वाली है। दिल्ली में बैठकर भारत की संसद में एक्ट बनाकर उनको निर्देश देने वाले हम कोई नहीं होते, हम कुछ नहीं होते।

महोदय, हमारे लिए यह अफसोस का विषय है कि जब से यह सरकार दिल्ली में बनी है, हालांकि, हम लोग इस सरकार के समर्थक हैं, लेकिन एक अभियान चल रहा है कि जिन राज्यों में इनके मन माफिक सरकारें नहीं हैं, वहां कोई ऐसा राजनीतिक परिस्थिति पैदा की जाए कि किसी न किसी बहाने दिल्ली की ही सरकार वहां का शासन करने लगे। यह परिस्थिति पैदा करना, मेरी समझ से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जिन राज्यों में आठ-नौ विधायक हैं, जिन राज्यों में पांच-छ: विधायक जीतने की हैसीयत नहीं है, हम पन्द्रह-पन्द्रह वर्ष से जिन राज्यों में किसी तरह भी अपना बहुमत बनाने में अक्षम हैं या अपनी राजनीतिक शक्ति बनाने में अक्षम हैं, वहां राष्ट्रपति शासन लगा दें जिसके जरिए हम अपने संगठन को, अपनी शक्ति को बढ़ा सकें। यह ठीक नहीं है। हमारा यह कहना कोई अनपेक्षित नहीं है कि पिछले डेढ़ वर्ष से जब से यह सरकार बनी है, हमारे गृह मंत्री महोदय की एक साफ राय है, जब राज्यों के राज्यपालों को बदलने का यहां प्रस्ताव आया था, तो उस पर टीका हुई।

माननीय गृह मंत्री जी ने उसे साफ तौर पर स्वीकार किया। चाहे सरकारिया कमीशन हो या इसे तरह के जितने भी आयोग इस देश में बने, उन्होंने संघीय व्यवस्था को ठीक रखने और केन्द्र

की गुलामी से राज्यों को बचाने के लिए अपनी राय प्रकट कर दी। ये सब रिकमेंडेट्री चीजें थीं और रिकमेंडेट्री संस्तुतियों को किसी भी कमीशन का मानना या न मानना सरकार का अपना स्वयं का अधिकार है। हम केवल इस रूल बुक को स्वीकार करते हैं, जो संविधान में लिखी हुई है। संविधान की ड्राफटिंग करने वाले कमेटी के अध्यक्ष बाबासाहेब भीम राव अम्बेडकर जी ने एक बड़ी प्रमुख बात कही थी। उन्होंने कहा था किसी भी संविधान की अच्छाई और बुराई, उसमें क्या शब्दावली लिखी है, इससे नहीं आंकी जा सकती कि संविधान को चलाने वाले किस तरह का आचरण करते हैं, बल्कि संविधान की अच्छाई और बुराई का मापदंड उन संचालकों के ऊपर निर्भर करता है कि किसी भी राज्य के विधान सभा के स्पीकर विधान सभा में किस तरह का आचरण करें। हम यहां से उन्हें संदेश नहीं दे सकते कि राज्यपाल किस तरह का आचरण करना चाहिए। खबरों में आता है कि उन्हें संविधान की धारा के अनुसार चलना चाहिए। लेकिन अंदरखाने उन्हें इस तरह की हिदायत दी जाए कि तुम्हें वही काम करना है कि राष्ट्रपति शासन कायम करने की स्थिति पैदा हो जाए। मैं समझता हूं कि अंदरखाने इस तरह की कोई भी हिदायत इस देश की संघीय व्यवस्था को चोट पहुंचाने वाली होगी, यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

महोदय, हम यूपीए के घटक दलों से पूछना चाहते हैं कि अब तक जितने राज्यपाल हुए हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं जिनकी मानसिकता साम्प्रदायिक है, जो किसी खास साम्प्रदायिक संगठन से प्रतिबद्ध हैं, उन्हें तत्काल अपने पद से हटा दिया जाना चाहिए। क्या यह बात भी सही है कि जो रूलिंग घटक का एक अंग है, सारे राज्यपाल उसी अंग के, उसी प्रतिबद्धता के, उसी विचारधारा के नियुक्त हों, बाकी घटक के जो दूसरे सहयोगी हैं, उनका एक भी राज्यपाल नियुक्त न हो। इसके पीछे केन्द्र की मानसिकता साफ तौर पर झलकती है। इसलिए जो कुछ भी गोवा में हुआ, मैं उसकी तीव्र शब्दों में निन्दा करता हूं और आगाह करना चाहता हूं कि गोवा का प्रयोग दूसरे राज्यों में नहीं दोहराया जाना चाहिए, वरना उसका जो हश्र कांग्रेस आज तक भोगती आई है, अपने इतिहास से कांग्रेस पार्टी को सबक लेना चाहिए। अब जो कुछ भी हुआ, वह ठीक है, लेकिन अब दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां से छः महीने के लिए राष्ट्रपति शासन की अनुमति मिलती है, फिर दोबारा उसका अनुमोदन लाना पड़ता है। आपने राष्ट्रपति शासन किन्हीं परिस्थितियों में पैदा कर दिया, उसे लगाने के लिए कौन जिम्मेदार है, उसका विस्तृत विवरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना नहीं चाहता। मेरे पास विस्तृत में बोलने का समय नहीं है, लेकिन वह जो परिस्थिति पैदा हुई, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। अब वहां जल्दी से जल्दी चुनाव हो जाएं और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार स्थापित हो जाए।

महोदय, वहां राष्ट्रपति शासन लग गया है, इसलिए हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन फिर से इसके अनुमोदन के लिए आप सदन में आएंगे तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि गोवा में मानसून सत्र पहले शुरू हो जाता है। अगर अभी से वहां भारत सरकार चुनाव की तैयारी शुरू नहीं करेगी तो मैं समझता हूं कि आपको इस संसद का अनुमोदन लेने के लिए आना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, भारत सरकार की मंशा और भावना है, उसकी तीव्र शब्दों में निन्दा करते हुए मैं आग्रह करूंगा कि गृह मंत्री जी और इनकी सरकार राज्यों के संचालन के बारे में अपने दिमाग में परिवर्तन लाए और राज्यों को अपने ढंग से अपनी सरकार चलाने की छूट दे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): सभापति महोदय, गृह मंत्री जी गोवा में राष्ट्रपति शासन के अनुमोदन के लिए जो प्रस्ताव लाए हैं, मैं समझता हूं कि जब से गोवा में विधान सभा अस्तित्व में आई तब से वहां जो खेल हुआ है, वह बहुत दुखद है। यह संसदीय लोकतंत्र के लिए एक कलंक का काम हुआ है। गोवा में जो घटनाक्रम हुआ है, उसके लिए मैं गंभीरता से चिंन्तित हूं और पूरा सदन भी चिन्तित होगा। दूसरे राज्यों में भी यह घटना प्रतिबिम्बित होने लगी है। इस तरह का जो कल्चर, उथल-पुथल का, खरीद-फरोख्त का, आया राम, गया राम की संस्कृति स्थापित हो रही है, गोवा में जो हो रहा है, इससे दूसरे राज्य अछूते नहीं रहेंगे, पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को दीमक की तरह यह घटना खाएगी। इसलिए यह गंभीर विषय है और इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

गोवा में राष्ट्रपति शासन के अलावा सरकार के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए राष्ट्रपति शासन के अनुमोदन के लिए सरकार सदन में आई है। लेकिन मैं मोहन सिंह जी की इस बात से सहमत हूं कि दूसरी बार सरकार को इस स्थिति में नहीं आना चाहिए। हमारी पार्टी राष्ट्रपति शासन की कतई समर्थक नहीं है, यहां तो परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई है, इसलिए इस बार तो हम लोग अनुमोदन के साथ हैं, लेकिन भविष्य में कभी भी इस प्रकार की परिस्थिति पैदा नहीं हो, इसका निराकरण, इसका समाधान निकालना चाहिए। हम लोग इस बात को कतई पसन्द नहीं करते, इससे कतई सहमत नहीं हैं। गोवा में वहां 13 साल में 12 मुख्यमंत्री हुए, यह अजूबा प्रयोग है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को किस तरह से चलाना चाहते हैं। आगे इसमें कोई आपत्ति का सवाल नहीं है। मैं तो पूरी व्यवस्था पर कह रहा हूं, लोकतांत्रिक व्यवस्था आज लोकतांत्रिक संस्था चलाने वालों के हाथ के जरिये खतरे में है।

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

मैं किसी दूसरे पर आरोप नहीं लगाना चाहता। आपने कहा, ठीक है, मैं जानता हूं कि संविधान की धारा 212 है, जिसमें हम किसी लेजिस्लेटिव असेम्बली प्रोसीडिंग्स को इन्क्वायर नहीं कर सकते हैं, उसका अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस देश में घटनाएं घट रही हैं। मैं न्यायपालिका की चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन आपकी नजर से कुछ छिपा हुआ नहीं है, लक्ष्मण रेखा लांघी जा रही है। यह बहुत ही खतरनाक प्रयास हो रहा है, चाहे न्यायपालिका के द्वारा हो, हमारी राय मानें तो हम लोग तो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, इसके लिए कुछ लोगों को जेल जाने का विचार करना पड़ेगा, क्योंकि गोवा राज्य में जो चर्चा हो रही है, पुर्तगाल शासन में जिस तरीके से वहां पर जुल्म हुए, अत्याचार हुए, उस गोवा की आजादी की लड़ाई में हमारे पुरखों में लहू और पसीने से आजादी की लड़ाई लड़ने का काम किया है। उनको गोवा का दर्द पता है, चाहे डा. लोहिया हो, चाहे कम्युनिष्ट पार्टी के नेता हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, इनको मालूम है कि गोवा की आजादी की लड़ाई में कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी। आज उसी गोवा की विरासत खतरे में पड़ गई है, उसकी संस्कृति खतरे में पड़ गई है। इन सब घटनाओं से, जैसा गोवा के माननीय सदस्य चर्चिल साहब कह रहे थे, क्या यह बात सही नहीं है कि एक माननीय सदस्य को कहा गया कि तुम पार्टी के मैम्बर नहीं रह सकते। वहां गोवा के रास्ते का नाम और टैक्स्ट बुक बदली जा रही हैं। यह जो घटनाक्रम हुआ है, उसी के बीच की घटना में टैक्स्ट बुक बदली गई। गोवा हमारे कांटीनेंट में है, क्या इसका अन्तर्राष्ट्रीय जगत पर असर नहीं पड़ेगा? भारत के बाहर कौन-कौन से देश बसे हुए हैं, चाहे यूरोप हो या जो भी कंट्री एशिया के बाहर हों, क्रिश्चियन हमारे यहां चाहे अल्पसंख्यक हो सकते हैं, लेकिन दुनिया में उनकी बड़ी विरासत है, बड़ी ताकत है, बड़ी तादाद है, क्या इसका उन पर प्रभाव नहीं हो सकता? अगर हम उनकी संस्कृति पर हमला करेंगे, हम उनका इतिहास और उनकी टैक्स्ट बुक बदलने की रिहर्सल करेंगे, प्रयोग करेंगे, यह गोवा में हुआ है और हो रहा है, इसी घटनाक्रम में सब खेल है। इस खेल में सांस्कृतिक विरासत पर भी आघात किया गया है, धार्मिक अल्पसंख्यकों की भावना पर भी कुठाराघात किया गया है।

मैं इस बात को इसीलिए कहना चाहता हूं कि इस तरह से एण्टी डिफैक्शन पर चर्चा हो गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि गोवा में बिचौलियों की क्या भूमिका रही है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, संसदीय लोकतंत्र में आसन सर्वोपरि होता है, पीठासीन अधिकारी का जो कार्यालय है, उसका वहां दुरूपयोग हुआ है। आपको जैसा डिलीट करना हो, कर दिया जाये, लेकिन मैं हृदय से बोलना चाहता हूं, जो सच है। मैं असंसदीय शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन स्पीकर आफिस का खुले आम दुरूपयोग किया जा रहा है। यह इतनी ऊंचाई का पद है, उपाध्यक्ष महोदय, जहां आप बैठे हैं, वह न्याय का तराजू है ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह: आप भी वहां बैठते हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: पैनल चेयरमैन का जो आदेश होता है, उसमें स्पीकर साहब के आदेश से हम भी बैठते हैं। लेकिन यह आसन की गरिमा और इस पद के कार्यालय की जो महिमा है, इसको घटाने का अधिकार किसी भी एक व्यक्ति को नहीं है चाहे वह स्पीकर भी हो, लेकिन उसको घटाया गया है और यह देश में पहली बार घटना घटी है।*...*

गांवों में लोग कहावत करते हैं कि:

'टका सार है जगत में, सब सुख देत अपार,
टका नहीं है पास तो, बैठे रहो बेकार।'

यह कहावत गांव में लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि गोवा में पीठासीन पदाधिकारी की जो भूमिका रही है, वह अभूतपूर्व है, उसकी चर्चा करने में भी शर्म होनी चाहिए। आसन न्याय का तराजू है, वहां से न्याय होता है, वहां न पक्ष है न विपक्ष है। जिस नियमन से सिर्फ न्याय निकलता है, उस नियमन ने गोवा में क्या खेल किया है, क्या वह किसी से छिपा हुआ है।

समय नहीं है, मैं चाहता हूं कि और माननीय सदस्य भी इसमें भाग लें। लोकतांत्रिक संस्था का अवमूल्यन हो रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, स्टेट के सबसे बड़े लोकतंत्र का मंदिर विधान सभा है। देश की सर्वोच्च संस्था सदन है, जहां से आज बोल रहे हैं। इस कार्य से लोकतांत्रिक संस्था की प्रक्रिया पर जरबदस्त धक्का पहुंचाया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पुन: बहाल करना ही एकमात्र रास्ता बच गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था आजाद भारत में, आजाद संविधान में जीवन की शैली है। इस जीवन शैली को जो तोड़ रहा है, चाहे सभापति का कार्यालय हो, चाहे पैसा, लोभ और व्यक्तिगत स्वार्थ हो, मैं बहुत कष्ट के साथ कहना चाहता हूं कि गोवा की आजादी के समय लड़ाई की जो विरासत थी, वह लड़ाई जिन मूल्यों के लिए लड़ी गई थी, आज उस इतिहास को बदलने की कोशिश की गई।

श्री मोहन सिंह सोशलिस्ट नेता हैं और उन्होंने ठीक कहा कि गोवा एक प्रयोगशाला थी। उन्होंने याद दिलाया कि गोवा की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी। गोवा की जो सामाजिक बनावट रही, हिन्दु, मुस्लिम, सिख, इसाई, ऐसी बिरादरी को समेटे हुए गोवा

*.....*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

एक आदर्श राज्य है। देश के संविधान का जो सैकुलर ढांचा है, संविधान की जो भावना है, गोवा उसे प्रतिबिंबित करता है। गोवा धर्मनिर्पेक्ष समाज की एस मिसाल है। उस गोवा को गुजरात की प्रयोगशाला बनाने का प्रयास किया गया। मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है। गोवा को गुजरात की प्रयोगशाला न बनने दिया जाए। ऐसा करने से इस देश के संविधान की मूल भावना पर आघात हो जाएगा। इस तरह की रिहर्सल से जो घटनाक्रम चल रहा है, वह ठीक नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की संख्या का जो स्वरूप बदला गया है, उसमें पीठासीन अधिकारी की प्रमुख भूमिका रही है। सम्पूर्ण सदन की संख्या का स्वरूप बदला गया, इसलिए इतनी हलचल हुई। वहां अभी से नहीं, 13 साल से यह क्रम चल रहा है। वहां शुरू से ही कोशिश की गई है जिसके चलते 13 साल में 12 मुख्य मंत्री बने। यह अजूबा उदाहरण है, ऐसा उदाहरण कहीं देखने को नहीं मिलेगा।

मैं विपक्ष के नेता का आदर करता हूं। वे एंटी-डिफैक्शन बिल पर बोल रहे थे। एंटी-डिफैक्शन इसी से जुड़ा हुआ है। एंटी-डिफैक्शन ला, 2003 के समय हम इस सदन में अकेले उठकर खड़े हुए थे। श्री स्वाईं इतिहास नहीं जानते, वे मात्र दो बार संसद में आए हैं और मैं पांचवीं बार चुनकर आया हूं और भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहा हूं। मैंने ऐसा कानून बनाते हुए नहीं देखा। पोलीटिकल डिक्टेटरशिप वाला कानून बना दिया गया। देश के लोकतंत्र के बड़े हिमायती बनते हैं। पार्टी के अंदर जो जनतंत्र है, एनडीए सरकार ने उस पर अंकुश लगा दिया। जिस दिन श्री जेटली एंटी-डिफैक्शन बिल सदन में लाए थे, मैंने उसी दिन अकेले खड़े होकर कहा था। हम अकेले भी बोल सकते हैं। जिसके पास सच है, उसके पास साहस है और साहस वाला व्यक्ति अकेले भी अपनी बात कह सकता है। हमने अकेले खड़े होकर जेटली जी से कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चालाकी से देश नहीं चलता। आप देश की लोकतंत्र का बहाना बनाकर पोलीटिकल पार्टी की डिक्टेटरशिप का काम कर रहे हैं। जो व्यक्ति आफिस के लिए, मंत्री बनने के लिए, पैसे से, लोभ से दल बदलता हो, उसके लिए कड़ा कानून होना चाहिए। फांसी का इंतजाम लोकतंत्र में नहीं है। अगर इससे भी कड़ा कानून हो तो वह ऐसे मैम्बर पर लगाया जाए। लेकिन वैचारिक स्तर पर जो लोग दल बदलना चाहें, ये लोग वही प्रयोग कर रहे थे। विचार के आधार पर कह रहे थे कि तुम लोग रास्ते का नाम बदल दो, वह पुराना नाम हटा दो, विचार ही बदल दो और उस पार्टी से हट जाओ। यह प्रयोग गोवा में बदला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वैचारिक स्तर पर दल बदलने का नया-नया अनुसंधान हो रहा है। रिटेलर में जब दल बदलेंगे तो अपराध है लेकिन जब झारखंड में होलसेल में पूरी एनसीपी पार्टी को बदलवा दिया तो वह अपराध नहीं है। ...*(व्यवधान)* वह मर्जर हो गया। झारखंड में टेकओवर हो गया और पूरी एनसीपी पार्टी को बदल दिया। क्या यह कदाचार नहीं है? ...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: होल सेल में दाम कम होते हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: आपका कहना ठीक है कि होल सेल में दाम कम होता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए। श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: उपाध्यक्ष महोदय, होल सेल में दाम घट जाता है। रिटेलर में अगर एक तिहाई सदस्य दल बदलें तो बहुत बड़ा अपराध है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने सीरियस मूड को थोड़ा चेंज करने के लिए ऐसा कहा था।

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: यदि होल सेल में बदला जाये तो वह कोई अपराध नहीं है। आज चोर लोग, भ्रष्ट लोग भी नये-नये अनुसंधान कर रहे हैं चाहे वह कोई भी मैम्बर हो। मैं सबके लिए कह रहा हूं, खुद अपने लिए भी कह रहा हूं कि यदि सदस्य भी भ्रष्टाचार का अनुसंधान कर रहा है, रिसर्च कर रहा है कि और कैसे दल बदलेंगे, एक बार तो इसे रोक दिया कि एक तिहाई सदस्य दल नहीं बदल सकते लेकिन अब नया सिस्टम शुरू हो गया है। आज कोलिएशन की संस्कृति चल पड़ी है। इसमें दो-चार एमएलए का बहुत महत्व है। 20-25 एमएलए हो गये तो समझिये कि वारे-नारे हो गये। तब तो कोई बात ही नहीं है। होल सेल की बात तो ठीक है। अभी सिब्बल साहब ने ठीक कहा कि कीमत घटी है। ...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कुछ कहना चाहता हूं। जब टैन्थ शैड्यूल की कांस्टीट्यूशनेलिटी की बात आई तो सर्वोच्च नयालय में इसकी चर्चा हुई। उस समय इस बात पर बहुत बहस हुई। क्योंकि स्पीकर अंडर दी टैन्थ शैड्यूल खुद फैसला करते हैं। हिन्दुस्तान में स्पीकर जब अपने पद पर बैठ

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री कपिल सिब्बल]

जाते हैं तो वे अपनी पार्टी से अलग नहीं होते। हालांकि ब्रिटेन में यह कन्वेंशन है कि जैसे ही कोई व्यक्ति स्पीकर बन जाता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: एक बार अध्यक्ष, सदा अध्यक्ष।

[हिन्दी]

श्री कपिल सिब्बल: उसके बाद यह वापिस कभी पार्टी में नहीं जाता। वह हाउस आफ दी लार्ड्स में नामीनेट हो जाता है। यह चर्चा भी हुई कि अगर स्पीकर को हम ऐडज्यूडिकेटिंग अथारिटी बना देते हैं, तो स्पीकर अपनी पार्टी से अलग नहीं रहता और जब फैसला करने का टाइम होता है तब यह प्रौब्लम आती है। उस समय तीन जज इस मत के थे और दो जज दूसरे मत के थे कि स्पीकर को ऐडज्यूडिकेटिंग अथारिटी का नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है। मैं कोई व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं, सभी को विचार करना चाहिए कि क्या यह सही है कि एक ऐसे आदमी को जो इतने ऊंचे पद पर बैठा है, उसको इस झंझट में लाने का फैसला जो अपनी पार्टी के खिलाफ फैसला दे, कई बार असंभव हो जाता है। हम सबको इस पर बैठकर विचार करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इन्होंने जिस बात को बेस बनाया, जहां से हमने डेमोक्रेसी ली है, वहां इंग्लैण्ड में संसदीय सरकार है। जहां एक बार अध्यक्ष, सदैव अध्यक्ष

[हिन्दी]

की प्रथा थी। उनका इशारा उधर था। आप अपना भाषण कन्टीन्यू करिये।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: उपाध्यक्ष महोदय, इससे बहस लम्बी हो जायेगी। संविधान समीक्षा की रिपोर्ट अभी है। इससे बहस लम्बी हो जायेगी। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने यह इसलिए कहा कि कहीं वह अधूरा न रह जाये।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: सरकार के सामने संविधान समीक्षा की रिपोर्ट है। इससे बहस लम्बी हो जायेगी और मैं बहस को लम्बी नहीं करना चाहता। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह: सरकार के साथ स्पीकर नहीं बदला करते, वे बने रहते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: ठीक है कि स्पीकर बने रहते हैं, चुनाव में भी बने रहते हैं, जबकि हम लोग सदस्य नहीं रहते। फिर चुनाव होता है। यह भी व्यवस्था रही है। अभी जो एंटी-डिफैक्शन ला है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मैं पक्ष-विपक्ष की बात नहीं कर रहा। मैं यह कह रहा था कि ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप अपना भाषण समाप्त करिये।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मैं यह कह रहा था कि जो दुरूपयोग हो रहा है, मैंने शुरू में निवेदन किया था कि हमें संसदीय लोकतंत्र पर विचार करना पड़ेगा कि आखिर इस तरह से जो उथल-पुथल और आया राम गया राम की संस्कृति है, उस पर कठोरता से विचार नहीं किया गया। मेरा कहना है कि इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। जो दल परिवर्तन का कानून लाया गया है, एंटी डिफेक्शन ला है, उस पर पुनर्विचार करना होगा। जो इसमें छेद आया है, उसे इसमें कैसे रोका जाएगा? क्योंकि झारखंड में इधर भी मंत्री हैं, उधर भी मंत्री हैं, होलसेल में एनसीपी उधर चला गया, जो अच्छा हो गया और इधर था तो खराब हो गया। यह क्या हो रहा है? गोवा में देख लीजिए कि क्या हो रहा है? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप समाप्त करिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। तीन-तीन आदमी का इस्तीफा राजसत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए हो जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह विषय बहुत गंभीर है। यह लोकतंत्र कैसे बचेगा और किस तरह से स्थायी सरकार बनेगी? मैं समझता हूं कि सभी दलों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि आज गोवा में लोकतांत्रिक प्रक्रिया कैसे बहाल हो? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: लालू जी, आपकी पार्टी के ही माननीय सदस्य बोल रहे हैं, आप ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। यह अच्छा नहीं लगता। आप कुछ कहें, फिर मैं कुछ कहूं।

...*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री लालू प्रसाद यादव ने जो कुछ कहा उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: गोवा की समस्या का हल राष्ट्रपति शासन नहीं है। यह हमारी पार्टी का मत है। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को किसी तरह से अवरुद्ध किया जाए या उसको किसी तरह से आघात पहुंचाया जाए या किसी तरह से उसे ठेस पहुंचायी जाए। लेकिन जो परिस्थिति निर्माण होकर आई है, उसमें सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाए गोवा में राष्ट्रपति शासन लगाने के। इसीलिए उसके अनुमोदन के लिए सरकार प्रस्ताव लेकर आई है। मैं इस प्रस्ताव के पक्ष में हूं लेकिन मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि आगे किसी तरह के प्रस्ताव में हम लोग अनुमोदन नहीं करेंगे। इसीलिए गोवा में राष्ट्रपति शासन हल नहीं है। हम लोग राष्ट्रपति शासन के हक में नहीं हैं। इसीलिए हम यह कहना चाहते हैं कि न सैद्धान्तिक तरीके से और न नैतिक तरीके से हम गोवा में राष्ट्रपति शासन के पक्ष में हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके, गोवा में लोकतांत्रिक, स्थिर व जनप्रिय सरकार कायम की जाए जो भी जनादेश का तरीका है या जैसे भी सरकार को स्थिर करना है, अस्थिरता को समाप्त करके स्थिर सरकार बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। इस बीच में इंटी-डिफैक्शन ला में परिवर्तन लाना हो या खरीद-फरोख्त को रोकना हो या आयाराम-गयाराम संस्कृति पर रोक लगानी हो, जो भी करना हो, इसको कीजिए और जो गोवा में हमारी विरासत और संस्कृति है, जिसे बदलने की कोशिश की जा रही है, किसी भी तरह से वहां के क्रिश्चियन कम्युनिटी पर किसी भी तरह से कोई आघात नहीं होना चाहिए, यह भी सुनिश्चित होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, मुझे इस बात से बहुत खुशी है कि भारत में प्रजातांत्रिक प्रक्रिया की परिपक्वता बढ़ रही है। क्या भारत में यह अति उत्तम चीज नहीं है कि इसके बावजूद कि एक पार्टी को राज्य विधान सभा में बहुमत हो उसे केन्द्र की अपनी ही पार्टी की सरकार द्वारा बर्खास्त कर दिया गया? इसी कारण मैं कहता हूं कि प्रजातांत्रिक प्रक्रिया की जड़ें मजबूत हो रही है। यह केवल घटनाक्रम के विकास के कारण तथा देश की जनता के दबाव के कारण हुआ।

अपराह्न 3.27 बजे

[श्री अर्जुन सेठी *पीठासीन* हुए]

जब केन्द्र सरकार को पता चला कि प्रत्येक व्यक्ति देश की जनता, मीडिया, बुद्धिजीवी वर्ग-इसके विरुद्ध थे, इस प्रक्रिया के विरुद्ध थे और जब उन्हें पता चला कि उनके नेताओं के नाम भी इससे बदनाम हो रहे हैं तो उन्हें अपनी ही सरकार को बर्खास्त करने के लिए बाध्य होना पड़ा। प्रजातंत्र को सलाम। इस देश की जनता को सलाम। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रजातांत्रिक प्रक्रिया की जड़ें मजबूत हो रही है।

गोवा में जो कुछ अर्थात् प्रजातांत्रिक प्रक्रिया हुई वह स्पष्ट तौर पर आतंकवाद था, सरकारी प्रक्रिया को पूरी तरह बंधक बनाना था। दो माननीय सदस्यों ने इस प्रकार के प्रश्न उठाए थे कि गोवा में भाजपा की सरकार जोड़-तोड़ करके बनाई गई तथा भाजपा का शासन निंदनीय है।

लोगों का कहना है कि यह फासिस्ट शासन था लेकिन ऐसा किसी के विरुद्ध कहा जा सकता है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री खारबेल स्वाईं के भाषण के अलावा और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री खारबेल स्वाईं: यही कारण है कि हमारे माननीय नेता, विपक्ष के श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी मांग करते रहे है और हमारी पार्टी की मांग करती रही है कि जैसे ही संसद के दोनों सदनों में घोषणा का अनुमोदन होता है, हमें जनता के पास जाना चाहिए। उसने लोगों तथा लोगों के पास जाने के संबंध में कहा है। अब हम जनता के बीच जाएं और देखे की वह क्या कहती है। जनता ही हमारी मालिक है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री खारबेल स्वाईं: दूसरी बात कि इस देश में चालाक़ लोग भी हैं। जब वे अपनी पार्टी बदलते हैं तो वे कहते हैं कि उन्होंने सैद्धांतिक कारणों से अपनी पार्टी बदल दी है, जब कोई अन्य व्यक्ति पार्टी बदलता है तो कहता है कि अपने हित में ऐसा किया है। लेकिन लोग कहते है कि गोवा में भाजपा सरकार संस्कृति

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री खारबेल स्वाई]

के विरुद्ध कार्य किया। उन्होंने पुर्तगाली लोगों के द्वारा दिए गए नाम को क्यों बदल दिया। इसको स्पष्ट करने के लिए मैं एक उदाहरण दूंगा। वाम दलों के माननीय सदस्य यहां बैठे हैं।

सभापति महोदय: कृपया पीठासीन अधिकारी को संबोधित कीजिए।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, मैं उस दिशा में देख रहा हूं लेकिन आपको ही संबोधित कर रहा हूं।

यहां हमारे साथ वामदल के सदस्य हैं जो कोलकाता से हैं। मैं बचपन से ही कोलकाता में रहा हूं। वहां डलहौजी स्क्वायर नाम का स्थान था यह बहुत ही मशहूर नाम है। अब इसके नाम में क्या रखा है। अब इसका नाम विनय बादल दिनेश बाग है। हेस्टिंग्स स्ट्रीट का नया नाम राम मोहन राय सरानी है। इसलिए क्या हम यह कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ईसाई संस्कृति के विरुद्ध है। वहां औपनिवेशिक शासन था। जब वहां औपनिवेशिक शासन था तब अंग्रेजों ने अपने लोगों के नाम पर इन स्थानों का नाम रखा था। इसलिए अब जब हम सत्ता में है तो क्या हमें इन नामों को नहीं बदलना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी भर्तस्ना की जाती है और कहा जाता है कि हम साम्प्रदायिक है और संस्कृति विरोधी है। वे ऐसा कैसे कह सकते हैं? गोवा में जो कुछ भाजपा द्वारा हुआ है वह देशहित में है और इस राष्ट्र के सम्मान के लिए है। ...*(व्यवधान)*

यदि वे कहते हैं कि उन्होंने कोलकाता के नाम नहीं बदले हैं तो इसका मतलब है कि वे साम्राज्यवादियों का समर्थन करते हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री स्वाईं, आप इस तरफ देखिए।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, मैं आपकी ओर ही मुखातिब हूं, महोदय ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: श्री चर्चिल आप पहले ही बोल चुके है। कृपया बैठ जाइए।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, वे दो बार बोल चुके हैं और मैंने एक शब्द भी नहीं कहा है।

सभापति महोदय: श्री स्वाईं, कृपया जारी रखिए।

श्री खारबेल स्वाईं: गोवा में जो कुछ भी हुआ वह पूर्वनियोजित था। जैसा कि कुछ समय पूर्व ही विपक्ष के हमारे नेता ने कहा था कि यदि आप किसी को अपनी सदस्यता त्यागने को कहेंगे और बदले में उसे मंत्री पद देंगे तो बहुत से लोग ऐसा करने के लिए तत्काल तैयार हो जाएंगे। क्योंकि उनका कुछ नुकसान नहीं होता है और वे उप-चुनाव में सीट जीत सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही गोवा में हुआ. ...*(व्यवधान)*

श्री अलीमाऊ चर्चील: महोदय, न केवल सदस्यों ने बल्कि मंत्रियों ने भी त्याग पत्र दिए हैं। वे सभा को गुमराह कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री चर्चील आप पहले ही बोल चुके हैं। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री स्वाईं के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री खारबेल स्वाईं: दल-बदल विरोधी कानून को जानबूझकर बिगाड़ा गया है। एक समय था जब पूर्वोत्तर के सदस्यों ने सामूहिक रूप में पार्टी बदल ली थी।

इस पक्ष से 30 लोग उस पक्ष में जा रहे थे और उनमें से सभी मंत्री बन रहे थे। उनमें एक राज्य में तो कुल 40 विधायकों में से 38 मंत्री थे ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, वे लोग मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मुझे यह कहने में संकोच हो रहा है कि जब दूसरे पक्ष के माननीय सदस्य बोलेंगे तो वे इस आरोप को नकार देंगे जो लगा रहे हैं। इसलिए, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री अलीमाऊ चर्चील, आप पहले ही बोल चुके हैं। श्री खारबेल स्वाईं के भाषण के सिवाए और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री खारबेल स्वाईं: कुंवर मानवेन्द्र सिंह मैं बैठने वाला नहीं हूं। आप अब तक मुझे अवश्य जान गए होंगे। ...*(व्यवधान)* मैं बैठने वाला नहीं हूं। ...*(व्यवधान)*

हां, तो मैं पूर्वोत्तर की बात कर रहा था। यही कारण है कि जब राजग सरकार सत्ता में थी तब कानून को बदल दिया गया। वे दल-बदल कानून कुछ लोग कह सकते हैं कि यह गलत था। लेकिन हमने तय कर लिया है कि कितने सदस्यों को मंत्री बनाया जा सकता है। यह 15 प्रतिशत था। यह दल-बदल करने वालों के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। आजकल यह नहीं हो पा रहा है क्योंकि उन्हें त्यागपत्र देना पड़ता है। लेकिन एक बार जब वे चुनाव में आते है और अपने ही लोगों द्वारा हरा दिए जाते है तो कोई भी ऐसा करने का भविष्य में त्यागपत्र देने का, साहस नहीं करेगा अब यही होने जा रहा है।

अब हम राज्यपाल की भूमिका पर चर्चा करेंगे। मैं किसी नाम का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। अब राज्यपाल के अनुसार ...*(व्यवधान)* मैं किसी का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। मैं एक संवैधानिक मुद्दे को उठा रहा हूं। एक प्रावधान है कि राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाएगी। बिना चुनाव लड़े किसी को भी छः माह के लिए मुख्य मंत्री या मंत्री बनाया जा सकता है। इसलिए, मैं कहना चाहता हूं .... क्या राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त का मतलब है कि वे अपने*.....* को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते है। यह एक संवैधानिक मुद्दा है। क्या वे ऐसा कर सकते है? क्या सरकार अपनी इच्छानुसार किसी को भी नियुक्त कर सकती है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: जब तक किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं हो जाता तब तक वे उस व्यक्ति को कैसे नियुक्त कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी सदन के लिए बगैर चुनाव जीते भी नियुक्त किया जा सकता है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया विवाद में न पड़ें।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: यदि मैं विवाद में न जाऊं तो मैं क्या कहूं? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री खारबेल स्वाईं के भाषण के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, आप अवश्य मुझे बचाएं। मैं बोलने के लिए उनके निर्देश को नहीं मान सकता। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वह शब्द कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

श्री खारबेल स्वाईं: लेकिन क्या राज्यपाल किसी को भी नियुक्त कर सकते है।

सभापति महोदय: श्री अलीमाऊ चर्चील मुझे अफसोस है। आपने जो कहना था वह कह दिया। इसलिए कृपया व्यवधान न डालें।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: अब प्रश्न इस लिए उठाया जा रहा है कि गोवा विधान सभा के माननीय अध्यक्ष ने सभा में कुछ गलती की है, यही कारण है कि राज्यपाल को पारिकर सरकार को बर्खास्त करना पड़ा। मेरा प्रश्न है कि सभा के अध्यक्ष की कार्यवाही के विरुद्ध राज्यपाल के समक्ष अपील की जा सकती है।

मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि हर व्यक्ति जानता है कि स्व. प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या उनके अपने ही अंगरक्षकों ने की थी। कई लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा। लेकिन क्या हमने उन हत्यारों को अगले ही दिन फांसी दे दी? कानून की एक उचित प्रक्रिया है। उस पक्ष में इस देश के बड़े ही प्रख्यात वकील बैठे हैं। क्या हमें कानून की प्रक्रिया का अनुसरण नहीं करना चाहिए। क्या राज्यपाल को सभा के अध्यक्ष को सम्मन नहीं भेजना चाहिए। कोई भी निर्णय लेने से पूर्व क्या उन्हें उनसे रिपोर्ट नहीं मांगनी चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ ऐसा कैसे हो सकता है कि राज्यपाल पदासीन मुख्यमंत्री को अपना बहुमत साबित करने के लिए 48 घंटे से भी कम समय दे जबकि किसी अन्य व्यक्ति को 30 दिन का समय दे रहा हो?

यह वास्तव में यह दर्शाता है कि चूंकि मैं सत्ता में हूं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि मेरी सरकार है। मैं कुछ भी कर सकता हूं। कोई प्रथा नहीं, कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है क्योंकि मैं राज्यपाल हूं। मैं सत्ता में हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं। दूसरे पक्ष के माननीय सदस्य की ओर से वास्तव में यही कहा

*...*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री खारबेल स्वाईं]

जा रहा है। आप अध्यक्ष महोदय का उदाहरण ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि वास्तव में उन्होंने सभा के सदस्य को अपना वोट देने से रोका। मैं उनकी कार्रवाई को ठीक नहीं मानता। मैं यह कहता हूं। उस समय अध्यक्ष महोदय ने जो कुछ किया उसे मैं ठीक नहीं मानता। संभवत: यदि मैं अध्यक्ष होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। लेकिन मेरा प्रश्न है कि यदि सदस्य को मतदान से कहीं भी रोका गया होता और उसने मतदान किया होता तब भी कांग्रेस और इसकी सहयोगियों की संख्या 18 होती जबकि सत्तापक्ष के सदस्यों अर्थात् भाजपा नेतृत्व वाले सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सहित 18 होती। जो उस पक्ष के माननीय मंत्री श्री कपिल सिब्बल, एक प्रख्यात वकील है, वह कह रहे थे कि यदि कोई अध्यक्ष बन जाता है और वह पीठासीन होता है तो वह अपनी पार्टी के संबंध विच्छेद नहीं कर लेता क्योंकि उसे पुन: अपनी पार्टी से टिकट लेना पड़ेगा और उसे चुनाव लड़ना पड़ेगा और उसके लिए अपने ही पार्टी के विरुद्ध फैसला देना बड़ा कठिन हो जाता है।

सभापति महोदय: श्री स्वाईं, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, मुझे आपको कुछ और समय देना पड़ेगा। मेरा बहुत अधिक समय अन्य लोगों ने बर्बाद कर दिया।

सभापति महोदय: आपकी ही पार्टी के अन्य वक्ता भी हैं।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, मेरे दल से केवल एक सदस्य बोलने वाले हैं बहुत नहीं।

सभापति महोदय: आप पहले ही 14 मिनट बोल चुके हैं।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, सत्ता पक्ष अवश्य अपना काम करे लेकिन विपक्ष को अपनी बात भी अवश्य रखने की इजाजत होनी चाहिए। बोलने के सिवा हम और कर भी क्या सकते है।

सभापति महोदय: मैं आपको समय देता हूं। मैंने आपको 14 मिनट का समय दिया था। अब कृपया 3-4 मिनट में समाप्त करें।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, अधिकांश समय दूसरे पक्ष की टीका-टिप्पणी में बर्बाद हो गया।

सभापति महोदय: आप 3-4 मिनट में खत्म करें।

श्री खारबेल स्वाईं: जी हां, महोदय।

चूंकि पारिकर सरकार के साथ एक तकनीकी खामी थी, उनका एक समर्थक अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा था यही कारण है कि आप कह रहे है कि वे अल्पमत में थे। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। ऐसा नहीं है। वे अल्पमत में नहीं थे। दोनों ओर संख्या बराबर थी। आप अधिकतम यही कह सकते हैं कि मामला बराबरी का था। लेकिन हमें देखना होगा कि सामयिक अध्यक्ष ने क्या किया? क्या सामयिक अध्यक्ष को ऐसा करने का अधिकार है या किसी को सभा के लिए अयोग्य करार दे सकता है? क्या वह इतना अधिक गंभीर निर्णय ले सकता है?

राज्यपाल को स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। वह स्वेच्छाचारी पूर्ण नहीं होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने बोम्मई मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया जिसमें पहले ही यह निर्देश दिए है कि सदन ने बहुमत का परीक्षण कैसे किया जाए। मेरा कहना है कि मुख्यमंत्री का चुनाव सभा में होना चाहिए। मेरा यह सुझाव है। यह राज्य भवन में नहीं होना चाहिए। राज्यपाल को मनमाने ढंग से यह निर्णय नहीं करना चाहिए कि कौन मुख्य मंत्री बनेगा और कौन नहीं बनेगा।

इस सभा के अध्यक्ष का चुनाव हम कैसे करते है। ठीक वही प्रक्रिया यहां सभा में प्रधानमंत्री के चुनाव में भी अपनाई जानी चाहिए तथा विधान सभा में मुख्य मंत्री के चुनाव में भी अपनाई जानी चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं। 1995 में जब उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार गिरा दी गई थी और श्री जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था तब उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया था। उस समय उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा? न्यायालय ने कहा कम्पोजिट मतदान किया जाए। अर्थात् सभा के समक्ष दो नाम रखे जाएंगे और मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह सभा के सदस्य तय करेंगे।

माननीय गृह मंत्री यहां उपस्थित हैं। वे देश के एक प्रख्यात अधिवक्ता हैं वे इस बात पर विचार कर सकते हैं कि क्या इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है जिससे कि राज्यपाल को इससे दूर रखा जा सके।

जब संविधान निर्माता संविधान सभा में विचार-विमर्श कर रहे थे, वे नहीं चाहते थे कि राज्यपाल का चुनाव किया जाए क्योंकि उनका विचार था कि यदि निर्वाचित राज्यपाल होगा तो वह निर्वाचित मुख्यमंत्री को शक्तियों से बेदखल कर सकता है। इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया: वे चाहते थे कि राज्यपाल को मनोनीत किया जाना चाहिए तथा उनका मानना था कि राज्यपाल को इस प्रकार की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अत: मेरा सुझाव है कि मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री का चुनाव सभा द्वारा किया जाना चाहिए तथा किसी निष्पक्ष व्यक्ति को सामयिक अध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए। आप किसी ऐसे व्यक्ति जिसे मतदान का अधिकार न हो के बारे में निर्वाचन आयोग से भी सम्पर्क कर

सकते हैं क्योंकि जब कोई व्यक्ति अध्यक्ष तथा सामयिक अध्यक्ष बन जाता है वह मतदान नहीं कर सकता है। उसे भी मतदान की अनुमति दी जाए। इस सभी प्रक्रियाओं के लिए निष्पक्ष व्यक्ति को चुना जाना चाहिए। इसका एक मात्र कार्य मुख्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री चुनना होना चाहिए।

महोदय, मैं अभी दूसरे सुझाव पर आऊंगा। सभा में शक्ति परीक्षण के संबंध में पहले से ही परम्पराएं निर्धारित हैं तथा सभा में शक्ति परीक्षण किस प्रकार किया जाए इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, ब्रिटेन में किसी प्रकार का संविधान नहीं हैं वहां केवल परम्पराएं हैं। वहां कोई लिखित संविधान नहीं है। संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान में मात्र सात खंड हैं। फिर उन देशों में कैसा संविधान है। उच्चतम न्यायालय जैसे दिशा-निर्देश दे वही संविधान होता है। वहां उच्चतम न्यायालय ने समय-समय पर न्यायिक पुनरीक्षण करते हुए संविधान क्या है इसकी समीक्षा की है। ठीस वैसा ही हमारा उच्चतम न्यायालय भी कर रहा है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): सभापति महोदय, माननीय सदस्य को बोलने के लिए कितना समय दिया जाएगा? ...*(व्यवधान)* हम लोगों को भी उतना समय दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: वे अपना भाषण समाप्त कर रहे हैं।

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, वे समाप्त नहीं कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: स्वाईं जी, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करे।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: स्वाईं जी, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: स्वाईं जी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: स्वाईं जी, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करे।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: कृपया उनसे प्रत्यक्ष रूप से बात-चीत न करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: स्वाईं जी, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री खारवेल स्वाईं: मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप डीसैंसी मेंटेन करिए। जब आप हाउस में बोलते हैं तो मैं आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता। आप करते रहिए। मैं विरोध नहीं करता। ऐसा बहुत लोग करते हैं। ...*(व्यवधान)* मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हाउस में एक सीनियर मैम्बर के साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिए। ...*(व्यवधान)* मैंने कभी आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। ...*(व्यवधान)* मैंने आपको ऐसा कभी नहीं कहा। ...*(व्यवधान)* मैंने कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया। मैंने ऐसी लैंग्वेज में कभी व्यवहार नहीं किया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, अंतिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि राजभवन में शक्ति परिक्षण को समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि अधिकांश बार यह मनमानी तथा भ्रष्ट होती है। सामान्य परिस्थितियों में यह राज्यपाल का संवैधानिक कार्य नहीं है कि वह उस याचिका पर विचार करे कि मुख्य मंत्री ने विश्वास मत खो दिया है। विधान सभा सत्र के दौरान यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल से संपर्क करता है

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री खारबेल स्वाईं]

तब राज्यपाल द्वारा उस व्यक्ति को कहा जाना चाहिए कि वह मुख्य मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाए। यदि उस समय जब विधान सभा का सत्र नहीं चल रहा हो कोई व्यक्ति उनके पास आता है, तब राज्यपाल द्वारा उस शिकायतकर्त्ता को यह कहा जाना चाहिए जब विधान सभा का सत्र आरंभ हो तो वह अविश्वास प्रस्ताव लाएं, संविधान में यह प्रावधान है कि दो सत्रों के दौरान छः महीने से अधिक का अन्तराल नहीं होना चाहिए। सत्रावसान के दौरान राजनीतिक अवसरवादिता के आधार पर विधान सभा का सत्र नहीं बुलाना चाहिए। जब भी ऐसा होता है उसे अपनी इच्छानुसार राज्यपाल पर विधान सभा सत्र बुलाने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। यदि शिकायतकर्त्ता अनौपचारिक रूप से राज्यपाल को सूचित करता है कि मुख्यमंत्री ने बहुमत खो दिया है तो ऐसी परिस्थिति में विधान सभा का सत्र बुलाने जैसी महंगी प्रक्रिया आवश्यक है अथवा नहीं इस संबंध में मुख्यमंत्री को निर्णय लेना चाहिए।

अंत में मैं दो प्रश्न पूछना चाहूंगा। जब भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो राज्यपाल अत्यंत विवेकहीन रूप से व्यवहार करना क्यों आरम्भ कर देते हैं? जब श्री मुलायम सिंह की सरकार थी, उस समय भी उन्होंने ठीक ऐसा ही किया था। उन्हें दो बार सभा में शक्ति परीक्षण देना पड़ा।

सभापति महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री खारबेल स्वाईं: श्री नम्बूदरीपाद की सरकार को भी बिना किसी कारण के बर्खास्त कर दिया गया था। श्री कल्याण सिंह की सरकार के साथ भी ऐसा ही किया गया था। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तब ही ऐसा क्यों होता है?

अंत में मैं यह आग्रह करना चाहूंगा कि गोवा तथा झारखंड के राज्यपालों को वापस बुलाया जाना चाहिए। एक बार दोनों सदनों में उद्घोषणा पारित हो जाने के बाद गोवा विधान सभा भंग की जानी चाहिए तथा नए चुनाव कराये जाने चाहिए।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): सभापति महोदय, विपक्ष के नेता ने बहस आरम्भ करते समय कहा था कि वह आरोप-प्रत्यारोप लगाना नहीं चाहते। परन्तु पूरी अव्यवस्था के लिए वे सत्ता पक्ष पर ही आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहे।

मैं वास्तव में श्री पारिकर की प्रवृत्ति, झुकाव अथवा दल बदल कला के कौशल का उल्लेख करना नहीं चाहता। परन्तु मैंने ऐसा केवल एक कारण मात्र से किया कि बार-बार दल-बदल की अवांछनीय प्रथा का उल्लेख किया गया है। हमें दल-बदल की स्थिति से निपटने के लिए संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुरूप दल-बदल विरोधी कानून लाना पड़ा था।

मैंने हमेशा श्री लाल कृष्ण आडवाणी का सम्मान किया है। हमेशा की तरह उन्होंने आज भी इस तथ्य का उल्लेख किया कि विगत में दल-बदल विरोधी कानून का दुरूपयोग किया गया था। यदि मैं सही हूं तो उन्होंने कहा कि 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक नया तरीका खोज लिया गया है और व्यंग्य करते हुए उन्होंने इसके लिए हम पर दोषारोपण किया, उन्होंने कहा कि सदस्यों को त्यागपत्र दिलवाने के माध्यम से इस संवैधानिक संशोधन को धता बताने का रास्ता ढूंढ़ लिया गया है।

महोदय, श्री एल.के. आडवाणी इस समय यहां उपस्थित नहीं है। मैं उन्हें केवल यह बात कहना चाहता हूं कि यदि मैं गलत हूं तो इसे ठीक कर दिया जाए कि गोवा में त्यागपत्र के प्रावधान के माध्यम से पहली बार कानून के साथ खिलवाड़ किया गया है- मैं खिलवाड़ शब्द का प्रयोग कर रहा हूं और यह कार्य किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं श्री पारिकर ने किया है। यदि आप तिथियों के बारे में स्पष्ट नहीं हैं, तो मैं आपको इसकी जानकारी दे दूं यह घटना अगस्त 2004 की है जब कांग्रेस के एक सदस्य को त्यागपत्र देने के लिए कहा गया और फिर उसे भाजपा का टिकट दिया गया। ऐसा करने की क्या आवश्यकता थी?

यह पिछली बातों की ओर ध्यान आकृष्ट करता है। मैं ऐसा करना नहीं चाहता परन्तु मैं केवल उन बातों का उल्लेख करना चाहता जो किसी ने कही थी। आडवाणी जी लगातार पूछते रहे

[हिन्दी]

पिछले नौ महीने से क्या हुआ? जो लोग पहले भारतीय जनता पार्टी को चाहते नहीं थे, बुद्धिजीवी, मीडिया, वे सब भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को आसमान पर ले गए हैं। आपके सामने गोवा का रिजल्ट आया है। गोवा में तीन दिन पहले क्या हुआ? वहां की लोकल बाडीज पंचायत के इलैक्शन में क्या हुआ? मैं इस चीज का जिक्र क्यों करता हूं।

[अनुवाद]

वे अपने-आप को गाय से भी अधिक पवित्र सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे दूसरी तरफ ही सब कुछ अच्छा है। ऐसा माहौल बनाकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चार रेसिगनेशन्स इस तरफ से हो गए हैं, जो कांग्रेस ने करा दिए। आप यह बात क्यों भूल जाते हैं? अभी श्री डी.पी. यादव और श्री मोहन सिंह जी ने इस बात का जिक्र किया था। गोवा में क्या

हो रहा था। जब एक संस्था जिसको कोई जानता नहीं था। उस संस्था के जिम्मे लगा दिया गया। जब संस्था के पास पैसा होता है, देने के लिये होता है उनको कह दिया: ''आप उन्माद मचाए, सड़कों को नष्ट करें तथा साइन बोर्डों को काला करें।'' और क्या हुआ, ये कहते हैं कि कम्युनल बात की गई थी। ''राज्य में साम्प्रदायिकता का जहर फैल रहा था। एक मस्जिद को ध्वस्त किया गया था।'' आप नामों की बात छोड़ दीजिए-क्या वहां पर मस्जिद को ध्वस्त नहीं किया गया था? उन्होंने क्या किया।

श्री श्रीपाद येसो नाईक: सभापति जी, माननीय सदस्य जो कुछ बोल रहे हैं, गलत है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपका नाम सूची में है। जब आपका नाम पुकारा जाए आप तब बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: चर्चील जी, कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: मुझे यह कहते हुए अच्छा नहीं लगता कि सैफर्न रंग अच्छा नहीं। भगवा रंग सत्कार योग्य होता है। लेकिन इन लोगों ने भगवे रंग को कलंकित कर दिया। इन लोगों ने वी.सी.डी. निकाली कि आजादी की लड़ाई में इन लोगों ने क्या किया। आपने ईसाई धर्म का अपमान किया। इन लोगों का एक ही मंत्र था जिसका इन्होंने पालन किया। क्या कारण था कि उनके एम.एल.एज. पार्टी में रिवोल्ट करके चले गये। श्री मनोहर पारिकर अपने काम में लगे हुये थे। श्री आडवाणी जी कह रहे थे कि हमारी सरकार को गिरा दिया गया। वे यह भूल गए कि वे खुद उस समय गृह मंत्री थे। जब श्री सुंदर सिंह भंडारी बिहार के गवर्नर थे जिन्हें गुजरात में भेजा गया था।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया नाम न लें।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: सभापति जी, अगर कोई बुरी बात नहीं है तो इतिहास में नाम नया है और नाम भरे हुये होते हैं और नाम लेते हैं। अगर वे इस हाउस में नहीं हैं, उनका नाम ले लिया, अगर कोई गलत बात कही हो तो कहा जाये कि नाम नहीं लेना चाहिये। मैं आपकी बात मान लेता हूं। इतना ही कहूंगा कि एक सज्जन बिहार में राज्यपाल थे जिनकी रिपोर्ट आई कि बिहार में एक भी दलित नहीं मारा जाना चाहिये थे क्योंकि वहां 5 दलित मार दिये गये थे। वहां प्रेजीडेंट रूल लगाने के लिए रिपोर्ट भेजी गई। जब वे गुजरात में गये, क्या वहां उन्होंने नहीं देखा कि क्या हो रहा है? हजारों लोग मार दिये गये, क्या उसकी रिपोर्ट आई, क्या उसका जिक्र किया गया कि गुजरात में प्रेजीडेंट रूल लगा देना चाहिये? नहीं हुआ। हमें इस बात की खुशी नहीं होती कि मैं यह सब कहूं। अभी स्वाईं साहब कह रहे थे

[अनुवाद]

राज्यपाल को वापस बुलाओ, आखिर क्यों? उन्होंने अपना दायित्व निभाया है। उस समय उन्हें ऐसा लगा कि राज्य में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसलिए उन्होंने यह कार्यवाही की।

[हिन्दी]

इसलिये मुझे इस बात का जिक्र करना पड़ा। हमारे गृह मंत्री जी ने शानदार शब्दों में संक्षेप में इतिहास के बारे में कह दिया कि पिछले दिनों गोवा में क्या हुआ और प्रेजीडेंट रूल लगाने की नौबत क्यों आई? मुझे इस बात की खुशी नहीं होती कि कहीं प्रेजीडेंट रूल लगाया जाये। वहां के लोग अपनी-अपनी सरकार चलायें। आज सरकार पर कोई प्रेशर नहीं था और न लोगों का दबाव था। सामने बैठे लोग इस खुशफहमी में न रहें कि लोग लांछन लगा रहे हैं। मैं उस दिन की बात को दोहराना नहीं चाहता। लेकिन कुछ आंकड़ों का जिक्र करना चाहूंगा। डिफेक्शन की बात हो रही थी। जब पारिकर साहब मुख्यमंत्री बने तो 10 कांग्रेसी सदस्यों का डिफैक्शन कराया, वे डिफैक्शन कराने में माहिर हैं लेकिन अब अपनी ही गेम में फंस गये हैं क्योंकि उनके लोग ही उन्हें छोड़कर चले गये हैं। उनके टूरिज्म मिनिस्टर में मंत्रिमंडल की बैठक में उनसे कह दिया था कि जो वह रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, वह गलत है। लेकिन स्थिति क्या बनी? यह बात स्पष्ट है कि मई 2002 में जब गोवा में चुनाव हुये थे, उस समय उनका बहुमत नहीं था। अगर आज ये कहते हैं कि उनके पास 17 सदस्य और कांग्रेस के पास 16 सदस्य थे लेकिन उनके पास बहुमत नहीं था और इन्होंने दूसरे लोगों को गुमराह करके आपने साथ लिया।

अपराह्न 4.00 बजे

मैं गुमराह क्यों कर रहा हूं। वे पार्टीज यूजीडीपी और एमजीडी थीं।

[अनुवाद]

महोदय, उस सभा देश के एक प्रतिष्ठित महत्वपूर्ण और सुविख्यात पत्रकार ने कहा था, ''श्री पारिकर ने उन दलों के सदस्यों को

[श्री पवन कुमार बंसल]

निशाना बनाया जो उन्हें समर्थन दे रहे थे और इस तरह उन्होंने राजनीतिक घोटाला की शुरूआत की पर

[हिन्दी]

अपने साथ लोगों को लगाओ, फिर उन्हें खा जाओ। पहले पार्टीज को साथ लगाओ,

[अनुवाद]

उन पार्टियों को जिनकी अपनी कोई विश्वसनीयता नहीं है।

[हिन्दी]

जिस तरह से यू.पी.ए. बैठी है, पार्टीज को साथ लिया। एक-एक करके उनके मैम्बर्स को ही खाना शुरू कर दिया ताकि वह पार्टी को खत्म कर देंगे। यह खेल वहां खेला गया और उसी का रिजल्ट था, जो वहां हुआ। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया। बिहार में क्या हुआ।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: बिहार पर कल बात करेंगे। बिहार पर मैं कल पूरी बात करना चाहूंगा। उसके कारण स्थिति ऐसी पहुंची, जिसके कारण कांग्रेस ने गोवा में गवर्नर साहब से रिक्वैस्ट की कि उनकी सरकार माइनोरिटी में हो गई है, आप उनकी सरकार को बर्खास्त कर दीजिए। लेकिन राज्यपाल महोदय ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। आप जिस बात का आज हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि केन्द्र से बैठकर उन्हें इशारे हो रहे थे, यहां से आदेश हो रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि उस दिन कांग्रेस की सरकार वहां बन सकती थी। लेकिन नहीं बनाई। उन्होंने कहा-सभा में बहुमत साबित करो। तारीख तय हो गई। उन्होंने सब संवैधानिक तरीके से किया। लेकिन जिस दिन तारीख तय हुई, उस दिन क्या हुआ, आपके साथ जो किसी वक्त एक इंडिपैन्डैन्ट एम.एल.ए. थे, जो आपको सपोर्ट कर रहे थे, जब आपने उसकी जलालत की, वह आपके साथ नहीं रहे, आपने महसूस किया कि आप हार जायेंगे, मैम्बरशिप से खत्म कर दिया। अध्यक्ष के पद का दुरूपयोग किसने किया? मैं इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूं। इसके लिए कौन उत्तरदायी है। जब यह बार-बार कहते हैं कि उधर से होता था। मैं जानना चाहता हूं मेरी इच्छा है कि आडवाणी जी यहां उपस्थित होते। वहां अध्यक्ष पद के दुरूपयोग के लिए कौन जिम्मेदार है। हाउस में उस दिन क्या हुआ, मेरे पास फोटो का एक-एक फ्रेम है। कैसे उन्होंने मार्शल को अंदर बुला लिया और केवल मार्शल ही नहीं, 20 पुलिस के आदमी भी बुला लिए, बिल्कुल साफ पता लग रहा है, आप एक-एक फ्रेम देखिये और कैसे वहां से घूमकर आ रहे हैं। एक मि. फिलिप एन. रोड्रिग्ज हैं, कैसे उन्हें घेरे में डालकर दो लोग पकड़कर उन्हें बाहर निकालकर खींच रहे हैं। इस तरह से वोट जीती जा रही है। अब यह हालात हो गये तो उस हालात में गवर्नर साहब के पास और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने दुखी होकर कहा कि आज यहां लोकतंत्र का कत्लेआम हुआ है और उस कारण से उन्होंने उस सरकार को बर्खास्त किया। क्योंकि स्पीकर ने जो 18 और 6 वोट का जो फैसला किया था, वह स्पीकर ने नहीं कहा। वह भी रिकार्ड पर है। पारिकर साहब बोल रहे थे और स्पीकर साहब उनके बाद वही बात दोहरा रहे थे। जैसे स्टेज पर ड्रामे में कोई बोल रहा होता है और पीछे से प्रोम्प्ट कोई और कह रहा होता है, ऐसा काम उस वक्त हुआ। इस कारण अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाते हुए उस दिन गवर्नर साहब ने यह एक्शन लिया। उसके बाद अपनी-अपनी राय है, हमारे अपने साथी कुछ और बात समझ रहे हैं। क्योंकि इस केन्द्रीय सरकार की बिन्हा आदर्श हैं, विचारधारा और सुशासन के सिद्धान्तों पर आधारित है। जब इस सरकार ने महसूस किया, बल्कि उस पर दो राय थी। अगर हम अपने लिये सोचते तो अपनी सरकार क्यों भंग कर देते। लेकिन इन्होंने उस वक्त कहा, उन्होंने देखा कि तकरीबन ऐसी ही बात हुई है। उसका एक जवाब, स्पष्टीकरण हमारे साथ चर्चील जी ने दिया कि जिस हालत में वोटिंग सस्पैंड हुई थी। लेकिन वहां की यू.पी.ए. सरकार ने, गृह मंत्री ने, प्रधान मंत्री ने कांग्रेस की सरकार बनाये रखने की कोशिश नहीं की। उन्होंने एकदम से महसूस किया और केन्द्र ने साथ के साथ वहां प्रेसीडेन्ट रूल लगा दिया और आज आप कहते हैं कि हम उसका समर्थन उस वक्त तक करेंगे, जब तक आप फैसला नहीं करते हैं कि उसके बाद भंग कर देंगे। मैं नहीं सुना जम्हूरियत में अपोजीशन और रूलिंग पार्टी दोनों तरफ के लोग होते हैं और अपने-अपने विचार देते हैं। हार जाने के बाद जब आप समझ नहीं रहे थे कि हारेंगे। आज उस बात पर रिकंसाइल नहीं कर सके। आज भी चाहते हैं कि सरकार के फैसले ये ऐलान करें। यह लोकतंत्र में कहां होता है कि अपोजीशन यह कहे कि हम फैसला कर देंगे, सरकार को बात देंगे और सरकार उस फैसले को लागू कर देगी। सरकार को सब बात पर जिम्मेदारी से काम करना है। सरकार ने देखना है कि क्या बात है, कैसा माहौल है। उसके लिए जैसा समय होगा, वैसा करेगी। मुझे पूरा विश्वास है उस वक्त सरकार उसको देखते हुए जो निर्णय लेगी, वह निर्णय लोगों के हित में होगा, लोगों की भावनाओं को देखते हुए होगा और गोवा के हित में होगा।

मैं इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता। गोवा ऐसा प्रांत है, जिसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई। मैं उस बात पर बार-बार नहीं जाना चाहता। स्वाई जी और जगह के उदाहरण दे रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कोई एक नाम अपनी तरफ से बता सकते हैं जो गोवा के स्ट्रगल में थे, जो छोटे-छोटे पिंजरों में हुए थे? गोवा में ऐसी लड़ाई हुई थी कि बहुत से कैदियों को बहुत बड़े सैल्स में नहीं छोटे-छोटे तीन गुना चार फुट के पिंजरों में रखा गया था। वे लड़ाई लड़ने वाले जो संघर्षकारी थे, क्या उनमें से कोई एक नाम आप लेंगे?

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): कैलाशनाथ जोशी को गोली लगी थी जो हमारे सैक्रेटरी थे वसंतराव को गोली लगी थी। वहां जनसंघ के लगभग सौ सदस्य थे जिनको इस घटना में चोट पहुंची। उनको इसमें गोली लगी थी। जगन्नाथ राव जोशी थे।

श्री पवन कुमार बंसल: मैं जिस बात को कह रहा था, जिस हालात में वे पिंजरों में रहे, जिस हाल में रहे, क्या कोई नाम ले सकते हैं? खैर, उस बात में मैं नहीं जाना चाहता। मुझे खेद हुआ जब स्वाई जी ने कहा कि गोवा में राजनीतिक आतंकवाद था। राजनीतिक प्रक्रिया का अपहरण किया गया। मैं पूछता हूं यह किसने किया। हर कानून को आप तोड़-मरोड़कर जो अपने हिसाब से लगाना चाहते हैं, वह न कीजिए। हर बार जब देश में कहीं भी कुछ होता है तो भविष्य के लिए कुछ न कुछ सीख देनी चाहिए कि किस ढंग से काम होना चाहिए। अगर आप कानून में संशोधन लाना चाहते हैं तो हम सब आपके साथ हैं, मिलकर लाएंगे, अच्छे कानून बनाएंगे और जब यूपीए की सरकार ने इस मांग को देखते हुए जरूरत समझी और वहां राष्ट्रपति शासन लगाया तो इसका समर्थन करना चाहिए इस विश्वास के साथ कि सरकार आगे जो कदम उठाएगी, वह लोगों के हित में होगा, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

[अनुवाद]

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि आज की चर्चा गोवा में राष्ट्रपति शासन की घोषणा मात्र पर, केन्द्रित न होकर, संसदीय लोकतंत्र और उसे देश के विभिन्न भागों में लागू किये जाने के तौर-तरीके के बारे में हैं। अब हम संसदीय लोकतंत्र के मानदंडों, नैतिक आधार और मूल्यों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अच्छी उपयोगी बात है। गोवा में जो कुछ हुआ वह संसदीय लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने माननीय गृह मंत्री श्री शिवराज पाटील जी तथा लोक सभा में प्रतिपक्ष के नेता के भाषणों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रपति शासन की घोषणा का हर किसी द्वारा समर्थन ही एकमात्र रास्ता है। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। यहां तक कि विपक्ष भी इसका समर्थन कर रहा है। मैं समझता हूं कि इस सभा के विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि हर कोई इस घटनाक्रम से परिचित है और हर कोई गोवा के घटनाक्रम की व्याख्या अपने ढंग से कर रहा है।

हमने दल-बदल रोधी कानून बनाया है। पहले हमारे यहां ऐसा कानून नहीं था। यहां तक कि संसद में कांग्रेस पार्टी का दो-तिहाई बहुमत था। तब भी उन्होंने एक दल-बदल रोधी कानून बनाया लेकिन उस कानून के अंतर्गत पार्टी छोड़कर जाने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम एक तिहाई होनी चाहिए थी। बाद में इसमें एक संशोधन लाया गया। अब स्थिति यह है कि यदि कोई दल-बदल करना चाहता है तो या तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी या फिर उसे अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। संविधान में इसी तरह का प्रावधान है। गोवा में कुछ विधायकों ने विधान सभा से त्याग पत्र देने का रास्ता अपनाया है। इसलिए, यह कोई नहीं कह सकता कि त्याग पत्र देना गलत था।

हम सभी जानते हैं कि वहां विधान सभा में क्या हुआ और राजभवन में क्या हुआ। एक दल से सत्ता छीनने के लिए इस तरह विधायकों की खरीद-फरोख्त का काम बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। गोवा का संकट कोई अचानक हुई घटना नहीं है। कई बार, जब भी केंद्र में सरकार बदली है, पूर्वोत्तर राज्यों में इसका असर दिखाई दिया है। हमने देखा है कि वहां रातोंरात दल-बदल हुआ है और सरकारें बदल गयी हैं।

मुझे याद है कि पूर्वोत्तर में एक राज्य मणिपुर है जहां एक राजनीतिक दल के मात्र दो विधायक थे और यह पार्टी एनडीए की घटक थी। लेकिन वहां बहुत बड़े पैमाने पर दल-बदल हुआ और मणिपुर में सरकार बनाई गयी। अगले-चुनावों में उस पार्टी का नामो निशान तक नहीं रहा। भला इस तरह के दल-बदल का क्या फायदा। अब हर कोई संसदीय लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से इसके लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दोषी हैं। हाल में देश में जो कुछ हुआ है इसके लिए मुख्य रूप से दोनों पार्टियां ही जिम्मेदार हैं। मेरे मित्र श्री स्वाई ने इस बात को बहुत ही प्रभावी ढंग से रखा हैं। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं ...*(व्यवधान)* कृपया मेरी बात सुनें। मैं जानता हूं कि आपको अपनी आलोचना अच्छी नहीं लगती। लेकिन आप इसे सुनें तो सही।

जहां तक निर्दलीय विधायकों की भूमिका की बात हैं, अभी हाल में झारखण्ड में चुनाव हुए हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही

[श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी]

अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर यहां की सभी सीटों पर चुनाव लड़े। उन्होंने एक-दूसरे को हराने का प्रयास किया। लेकिन अचानक ही पांच निर्दलीय विधायक जो भाजपा के विरुद्ध लड़े थे, उनके मित्र हो गये और मंत्री पद की शपथ ले ली। कल, भाजपा ने इन पांच निर्दलीय सदस्यों को हराने की कोशिशें की थीं और आज ये सभी मंत्री बन गये हैं। यह दोहरा मानदंड किसलिए? यह सब कहने का क्या मतलब है कि लोकतांत्रिक मानदंडों की रक्षा की जानी चाहिए? लोकतंत्र की रक्षा ऐसे नहीं हो सकती।

अत: यह आवश्यक है कि देश की सभी प्रमुख राजनैतिक पार्टियां यहां के सुस्थापित मानदंडों का पालन करें। लेकिन, दुर्भाग्य की बात यह है कि यहां की अध्यक्ष और राज्यपाल जैसी सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदों का दुरूपयोग हो रहा है। यह पहला मौका नहीं है जब हम यहां इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमने पहले ही कई बार इन विषयों पर चर्चा की है। पहली बार यह 1959 में केरल से शुरू हुआ था जबकि राज्यपाल पद का दुरूपयोग करते हुए ईएमएस नम्बूदरीपाद सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। मेरी जानकारी में केवल एक बार ऐसा मौका है जब किसी राज्यपाल को ऐसे कृत्य के लिए वापस बुलाया गया है या उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। आंध्र प्रदेश में जब एनटीआर सरकार को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक ढंग से बर्खास्त कर दिया गया था उस समय राज्यपाल को त्याग पत्र देने के लिए कहा गया था। यह एक अच्छी बात थी और इससे राज्य में लोकतंत्र की बहाली संभव हो सकी। इस घटना से पूरे देश में लोकतांत्रिक कार्यकलापों के लिए एक अच्छा संदेश मिला। अब जो गोवा में हुआ है उससे भी लोकतंत्र को उतने ही गहरे जख्म मिले हैं। अत: इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इस बारे में कांग्रेस पार्टी को और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता थी। कांग्रेस जल्दी में है कि वहां सत्ता कैसे हथियायी जाये ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाये।

*...(व्यवधान)**

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: गत चुनावों में भाजपा को बहुमत नहीं मिला था। चूंकि उस समय, चूंकि केन्द्र सरकार भाजपा नीत थी, इसलिए उन्होंने सफलतापूर्वक इसका जुगाड़ कर लिया। कुछ निर्दलियों के सहयोग से वहां सरकार बना ली गयी। अब उनमें से कुछ ने त्यागपत्र दे दिया है। यदि कांग्रेस इस बारे में थोड़ा सचेत होती तो यह उनके लिए काफी फायदेमंद होता। लेकिन कांग्रेस को सत्ता हथियाने में भी जल्दी थी ...*(व्यवधान)* उन्हें इतिहास से सबक सीखना चाहिए और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।

गोवा में जो कुछ हुआ उससे कांग्रेस की छवि बिगड़ी है। इससे उनके लिए और अधिक समस्याएं पैदा हुई, यद्यपि अब राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर वहां संसदीय लोकतंत्र की रक्षा के प्रयास हो रहे हैं।

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि तेलुगु में एक कहावत है जिसका आशय यह है कि "यदि सभी शाकाहारी है तो मछलियों की टोकरी खाली कैसे हो गयी ...*(व्यवधान)* यहां हर कोई लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है, लेकिन हमें देखना है कि इन पार्टियों ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए क्या किया है।

महोदय, मैं मानता हूं कि हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में राजनीति एक बहुत ही पवित्र कर्म है। लेकिन, दुर्भाग्य से लोग लोकतांत्रिक संस्थाओं में, विशेषकर राजनीतिक पार्टियों में विश्वास खोते जा रहे हैं। हम सबको इस बारे में सोचना चाहिए और अपनी गतिविधियों की समीक्षा करनी चाहिए। नैतिक मानदंडों और मूल्यों की पुर:स्थापना के लिए अधिकाधिक प्रयास करने चाहिए। संसदीय लोकतंत्र की अपनी एक गरिमा होनी चाहिए। राज्यपालों और अध्यक्षों को अपनी निष्पक्ष भूमिकाएं निभानी चाहिए। दुर्भाग्य से गत कुछ सप्ताहों में संसद में जो कुछ हुआ है, वह हम सबने अपनी खुली आंखों से देखा है। हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि किस तरह एक राजनीतिक दल अपनी पार्टी द्वारा शासित राज्यों के अध्यक्षों को निर्देश दिये कि वे माननीय लोक सभा अध्यक्ष द्वारा बुलायी बैठक में शामिल न हों। एक बार अध्यक्ष बन जाने पर यह तकाजा होता है कि वह किसी राजनीतिक दल के आदेशों के तहत कार्य न करें। आप अपने अध्यक्ष को अपने राजनीतिक विचारों के बारे में अवगत करा सकते है और यह सलाह दे सकते हैं कि किसी विशेष घटना के बारे में उन्हें क्या तर्क पेश करने हैं या उनका क्या रूख होना चाहिए, लेकिन उन पर नियंत्रण का प्रयास करना, उन्हें निर्देश जारी करना या राजनीतिक सहबद्धता और दूसरी बातों में शामिल करना, निश्चय रूप से यह सबके लिए नुकसान देह होगा ...*(व्यवधान)* हर किसी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा ही किया है और अपने दल द्वारा शासित राज्यों के अध्यक्षों को यह निर्देश दिये कि वे माननीय लोक सभा अध्यक्ष द्वारा बुलायी गयी बैठक में शिरकत न करें।

सभापति महोदय: अब कृपया अपनी बात समाप्त करें।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: आप मुझे क्रोध मत दिलायें। मैं आगे सजग रहूंगा ...*(व्यवधान)* मैंने कभी आपके बोलने में व्यवधान पैदा नहीं किया ...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं समझता हूं कि गोवा में राष्ट्रपति शासन की घोषणा अनिवार्य हो गयी थी। लेकिन गोवा विधान सभा को निलम्बित रखने का कोई मतलब नहीं है। गोवा विधान सभा की विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। अब यह गोवा के लोगों के अभिमत का प्रतिनिधित्व नहीं करता और इसे भंग कर दिया जाना चाहिए। यहां के राजनीतिक दलों को गोवा के लोगों के पास जाकर नये सिरे जनादेश लेना चाहिए।

लेकिन इसके साथ ही, मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि गोवा की घटना से सबक लेते हुए झारखण्ड की घटना से सबक लेते हुए, हमें अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए और देखना चाहिए कि सभा में इस तरह की घटनाएं न हों। कुछ जगहों पर राज्यपालों द्वारा अध्यक्षों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है और राज्यपालों के अधिकारों पर न्यायालयों द्वारा अंकुश लगाया जा रहा है। इस तरह के हस्तक्षेपों से न केवल संसदीय लोकतंत्र की छवि को धक्का पहुंचेगा अपितु इससे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच गंभीर संघर्ष छिड़ सकता है। इस तरह की घटनाओं को रोका जाना चाहिए।

गोवा में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का समर्थन करते हुए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह गोवा में विधान सभा भंग करने और वहां नये सिरे से चुनाव कराने पर विचार करे।

[हिन्दी]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): सभापति महोदय, गृह मंत्री जी गोवा में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रोक्लेमेसन के लिए जो प्रस्ताव लाये हैं, गृह मंत्री जी के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। देश में कांग्रेस दल को बचाने के लिए, गोवा के राज्यपाल महोदय ने जैसे कार्य शुरू किये थे, उसके सारे देश में जनमत कांग्रेस के विरोध में जा रहा था, उसे बचाने के लिए, आदरणीय गृह मंत्री जी ने राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिश की। ऐसे रेयर केस हैं, जब राज्यपाल की बिना सिफारिश के भी राष्ट्रपति शासन लागू हुआ हो। गोवा में ऐसे ही हुआ। राज्यपाल ने एक कांस्टीट्यूशनल सरकार को तोड़ने की कोशिश की। 1967 से कांग्रेस की यह मंशा रही है और तब से देश में ऐसा ही चल रहा है। कांग्रेस के हाथ से जब सत्ता निकल जाती है, तो उसने राष्ट्रपति शासन लागू करके हर समय विरोधी सरकार को तोड़ने की कोशिश की है।

महोदय, राजस्थान में 1967 में ऐसा ही हुआ था। वहां उस समय जो यूनाइटेड फ्रंट की सरकार सत्ता में थी, उसे तोड़ने की कोशिश की गई। उस समय जिस दल का सदन में बहुमत था, उसकी सरकार नहीं बनने दी गई। 1967 में वेस्ट बंगाल में, जब श्री अजय मुखर्जी की सरकार थी, तब भी इसी तरह वहां राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। जहां से कांग्रेस का शासन चला गया, वहां उन्होंने राष्ट्रपति शासन लागू करने की कोशिश की है। 1984 में एनटीआर सरकार के मामले में ऐसी हुआ जो सदन में डिसकशन हुआ था। 1984 में कांग्रेस सरकार ने, आंध्र प्रदेश की एनटीआर गवर्नमेंट को अनकांस्टीट्यूशनल तरीके से बर्खास्त करके वहां कांग्रेस सरकार को बैठा दिया था। 1995 में, यूपी में भी ऐसा ही हुआ। वहां कल्याण सिंह की सरकार न बनने देने के लिए पूरी कोशिश हुई और मुलायम सिंह सरकार को भी नहीं बनाने देने के लिए कोशिश हुई। मुलायम सिंह सरकार को भी इसी तरह बर्खास्त किया गया। जहां जहां कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है, वहां कांग्रेस ऐसी ही करती है।

महोदय, झारखंड में जिस तरह का नाटक हुआ, जैसा भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। एनडीए की मेजोरिटी देख कर भी, वहां के राज्यपाल ने शिबू सोरेन की सरकार बना दी। अब झारखंड में एनडीए की सरकार बनी है। सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन है, 1993 में बोम्बई केस में सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, उसे भी केन्द्र सरकार मानना नहीं चाहती है। राज्यपाल महोदय को विश्वास मत का फैसला राजभवन में न करके असेम्बली में कराना चाहिए, लेकिन वे ऐसा नहीं करते बल्कि राजभवन में ही फैसला करना चाहते हैं। वे अपनी डिस्क्रिशनरी पावर के तहत, जिसे चाहें सरकार बनाने के लिए अनुमति दे सकते हैं। उन्होंने गोवा में भी वैसा ही करने की कोशिश की।

[हिन्दी]

अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर तरह-तरह की बात की जा रही है। हम देश में ज्यूडिशियरी एक्टीविजम की बात करते हैं। झारखंड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इन्टरवीन किया। हम कहते हैं कि यह लेजिस्लेचर के मामलों में ज्यूडिशियरी का हस्तक्षेप हुआ है। जो केन्द्र सरकार गवर्नर द्वारा एपाइंट होता है, उसमें गोवा के स्पीकर के आदेश को खंडित करने की क्षमता कहां से आ गई। एग्जीक्यूटिव जब स्पीकर की रूलिंग में हस्तक्षेप करती है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डेट आगे-पीछे करने की बात कही, उसमें हम डिस्कशन करके इंटरफियर करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डेट आगे-पीछे करने की बात कही, उसमें हम डिस्कशन करके इंटरफियर नहीं कर सकते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का अभी का जो डिसीजन है, उसके मुताबिक गवर्नर द्वारा सरकार को चेंज नहीं करना था।

[श्री बृज किशोर त्रिपाठी]

[अनुवाद]

इसकी केवल न्यायिक जांच की जा सकती है। अध्यक्ष के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। कोई भी उनके निर्णय को गलत नहीं ठहरा सकता। न्यायालय केवल हस्तक्षेप कर सकता है और यह जांच कर सकता है कि अध्यक्ष द्वारा दिया गया निर्णय सही है अथवा गलत।

[हिन्दी]

गोवा में क्या हुआ? स्पीकर साहब में डिसीजन दिया कि वह मेजारिटी की सरकार है। गवर्नर ने पांच मिनट में उस सरकार को बरखास्त कर दिया। इसलिए सरकारिया कमीशन की रिकमैंडेशन्स पर चिन्ता करने की जरूरत है। गवर्नर की पोस्ट की जरूरत है या नहीं, इस बारे में विचार करने की जरूरत है।

[अनुवाद]

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल की भूमिका निभा सकते हैं। आपातकाल की स्थिति में ऐसा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

गवर्नर संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। वे जनतंत्र के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, इसलिए जनतंत्र खतरे में पड़ गया है। मैं गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनकी वजह से गोवा में ठीक कार्य हुआ। उन्होंने झारखंड विधान सभा के लिए भी कोशिश की। उन्हें लगा कि राज्यपाल को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। वहां जो कुछ हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? यू.पी.ए. गवर्नमैंट को जरूर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यह कैसे हो सकता है कि गोवा और झारखंड में जो कुछ हुआ, उसके लिए यूनियन गवर्नमैंट रिस्पौंसीबल नहीं है? गोवा विधान सभा में जो कुछ हुआ, वह प्रधान मंत्री या गृह मंत्री की कंसलटेशन से नहीं हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि फिर यह किसकी कंसलटेशन से हुआ।

मैं कहना चाहता हूं कि राज्यपालों को संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिए। गणतंत्र की पद्धति की रक्षा करना उनका काम है। गृह मंत्री जी ने गोवा में राष्ट्रपति शासन लगाकर अच्छा कार्य किया। वहां मार्च में प्रोक्लेमेशन शुरू हुआ। वहां की असैम्बली को डिजाल्व करके तुरन्त इलैक्शन कराए जाने चाहिए। हमने एंटी-डिफैक्शन ला पास किया है। विधायकों को कोई मौका नहीं देना चाहिए और वहां जल्दी चुनाव कराए जाने चाहिए। चुनाव में जो भी लोकमत निकलेगा, सब उसका आदर करेंगे। गृह मंत्री जी यह जरूर बताएं कि वहां चुनाव कब कराएंगे। वह सदन को आश्वस्त करें कि गोवा में जल्दी ही चुनाव करवाएंगे।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): महोदय, मैं गोवा में राष्ट्रपति शासन लगाये जाने की उद्घोषणा संबंधी प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। साथ ही मैं यह उम्मीद करता हूं कि सरकार विधान सभा को भंग कर देगी और वहां नये चुनाव कराने के लिए वातावरण बन जाएगा।

[हिन्दी]

बारह साल में ग्यारह मुख्यमंत्री और तीन दिन में तीन मुख्यमंत्री यह गोवा का किस्सा है।

[अनुवाद]

वर्ष 1994 में पहले श्री विल्फर्ड डिसूजा गोवा के मुख्य मंत्री बने। अगले दिन स्री रवि नायक मुख्यमंत्री बने और तीसरे दिन श्री विल्फर्ड डिसूजा पुन: गोवा के मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस पार्टी के बहुमत में होने के बावजूद यह सब हो रहा था। उस समय वहां के राज्यपाल को वापस बुला लिया गया था।

महोदय, माननीय गृह मंत्री ने गोवा में वर्तमान राजनीतिक घटना क्रम के संबंध में वक्तव्य दिया है। मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि उन्हें सदन को और अधिक तथ्यों की जानकारी देनी चाहिए। मैं उन तथ्यों को यहां उठाना चाहता हूं।

गोवा में राजनीतिक षडयंत्र के माध्यम से सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया है। केन्द्र में यू.पी.ए. सरकार के सत्ता में आने से पूर्व श्री मनोहर पारिकर के नेतृत्व में गोवा सरकार स्थिर थी तथा अच्छा शासन चला रही थी। ज्यों ही यू.पी.ए. सरकार सत्ता में आयी उन्होंने राज्यपालों को बदल दिया विशेष रूप से गोवा के महामहिम राज्यपाल को बदला गया बल्कि मैं यह कहूंगा कि उन्हें इसलिए हटा दिया गया कि वे दूसरी विचारधारा से संबंधित थे।

श्री अलीमाऊ चर्चील: क्या आप इस विचारधारा को स्पष्ट करेंगे?

श्री अनंत कुमार: निश्चित रूप से मैं उसे स्पष्ट करूंगा।

महोदय, जब माननीय गृह मंत्री राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा पर बहस के उत्तर में बोलेंगे, मैं उनसे यह आग्रह करना चाहूंगा कि वे कृपया भारतीय संविधान के उस प्रावधान को स्पष्ट करे जो केन्द्र सरकार को यह अधिकार प्रदान करता है जिसके अनुसार वह विचारधारा के आधार पर राज्यों के राज्यपालों का चयन तथा मनोनीत कर सकती है।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, अब ये इस विषय को क्यों उठा रहे हैं? मैंने सभा में राज्यपालों को हटाये जाने तथा सरकार की भूमिका के बारे में चर्चा के समय स्पष्ट कर दिया था। मैंने कहा था कि राज्यपालों को हटाये जाने का यह कोई आधार नहीं है।

श्री अनंत कुमार: महोदय, सदन में तथा सरकार के बाहर दोनों ही जगह यू.पी.ए. के नेताओं ने कहा है कि राज्यपालों को इसलिए हटाया गया क्योंकि वे दूसरी विचारधारा से संबंधित थे। *...(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: मैंने ऐसा नहीं कहा। आपके ध्यान में लाये गए इस प्रकार के वक्तव्य के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं क्योंकि मैंने ऐसा नहीं कहा।

श्री अनंत कुमार: यू.पी.ए. के नेताओं ने ऐसा कहा है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: जब गृह मंत्री जी बोलने के लिए खड़े हुए हैं और तथ्यों की सही जानकारी दे रहे हैं चर्चील जी आपको बीच में टोका-टाकी नहीं करनी चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार: महोदय, मैं यह आग्रह भी करना चाहूंगा कि आपने श्री चर्चील को अपने विचार रखने के लिए पर्याप्त अवसर दिया था और जब इतने सारे सदस्य बोल रहे हों उन्हें संयम रखना चाहिए *...(व्यवधान)*

श्री अलीमाऊ चर्चील: जब मैं बोल रहा था, आपने भी मुझे परेशान किया था *...(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: हमने आपको कभी परेशान नहीं किया *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री अनंत कुमार के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री अनंत कुमार: महोदय, गोवा के महामहिम राज्यपाल को इसलिए हटाया गया क्योंकि वे आर.एस.एस. विचारधारा से संबंधित थे तथा आर.एस.एस. विचारधारा से प्रेरित थे।

महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री तथा भारत के भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री दोनों आर.एस.एस. विचारधारा से संबंधित थे...*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): महोदय, वे ऐसा दावा नहीं कर सकते ... वे एक संवैधानिक पद पर हैं *...(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: महोदय, सलीम जी उनका बचाव क्यों कर रहे हैं? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री अनंत कुमार एक वरिष्ठ सदस्य हैं आप सदन के नियमों से अवगत हैं। आप उन व्यक्तियों के नाम नहीं ले सकते जो देश के संवैधानिक पदों पर आसीन हैं। कृपया उनका उल्लेख न करें।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार: महोदय, आर.एस.एस. की निष्काम सेवा तथा देश भक्ति की विचारधारा से प्रेरित होने वाले को किसी पद पर आसीन होने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मेरा विचार है कि पूरा षडयंत्र वहां से आरम्भ हुआ *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: ऐसा.....मत कहिए। बाकी सब ठीक है। *...(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: ...*

सभापति महोदय: अनंत कुमार जी मुझे खेद है कि इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। देश में उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के उल्लेख को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मुझे खेद हैं। ये सभा के वरिष्ठ सदस्य हैं और उन्हें पूरी जानकारी है। मुझे उन्हें वह बताने की आवश्यकता नहीं है। कृपया संयम रखिए।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार: अत: पूरे षडयंत्र में राज्यपाल को बदला जाना पहला चरण था। तथा त्यागपत्र के माध्यम से दल-बदल करना द्वितीय चरण था। मेरे प्रिय सहयोगी श्री पवन कुमार बंसल ने कहा कि श्री मनोहर पारिकर ने त्यागपत्र का विषय आरम्भ किया। मैं कुछ तथ्य सामने रखना चाहता हूं श्री इगिडेरो फर्नान्डीज ने 2004 में त्यागपत्र दिया। उन्होंने अपनी इच्छा से त्यागपत्र दिया था। बाद में वे भा.ज.पा. के टिकट पर चुनाव लड़े और विधान

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री अनंत कुमार]

सभा चुनाव चुनाव जीते। त्यागपत्र देने के पश्चात वे कभी मंत्री नहीं बने। ...*(व्यवधान)*

श्री अलीमाऊ चर्चील: इन्होंने उन्हें रास्ता दिखा दिया। ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: उस समय हमारा बहुमत था। ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: जब आप लोगों के दृष्टिकोण की बात करते हैं अथवा लोग क्या कहते हैं समाचार माध्यम उसे ठीक उसी रूप में प्रस्तुत करते हैं। मैं उन शब्दों का प्रयोग करना नहीं चाहता। यह कहा गया कि श्री मनोहर पारिकर द्वारा 91वें संविधान संशोधन का उल्लंघन कर गोवा को संदिग्ध दृष्टि से देखा गया।

श्री अनंत कुमार: किसी प्रकार का संविधान उल्लंघन नहीं किया गया क्योंकि श्री इगिडेरो फर्नान्डीज को मंत्री नहीं बनाया गया था। वे भा.ज.पा. के टिकट पर चुनाव लड़े थे। ...*(व्यवधान)* वे विधायक जिन्होंने त्यागपत्र दिया और मंत्री बन गए उन्हें भी चुनाव लड़ना था। ...*(व्यवधान)* महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय गृह मंत्री से यह आग्रह करना चाहता हूं कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार द्वारा खरीद-फरोख्त तथा आया राम गया राम की राजनीति को रोकने के लिए संविधान संशोधन लाया गया था। दल-बदल विरोधी कानून में कुछ कमियां हैं। अत: मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि उन कमियों को दूर किया जाए। यदि कोई व्यक्ति त्याग पत्र देता है तो छ: महीने अथवा एक साल तक उसे कोई पद ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का कोई एतिहाती अथवा सुरक्षात्मक उपाय का समावेश किया जाना चाहिए।

विश्वास मत जिस प्रकार से किया गया वह षडयंत्र का तीसरा चरण था। जिसका माननीय गृह मंत्री द्वारा उल्लेख नहीं किया गया।

सभापति महोदय: आप कितनी देर में अपना भाषण समाप्त करेंगे?

श्री अनंत कुमार: चूंकि मैंने अभी-अभी शुरू किया है इसलिए मुझे और 10 मिनट का समय चाहिए।

सभापति महोदय: मैं दु:खी हूं। आप पहले ही 10 मिनट का समय ले चुके हैं और आपके पार्टी के लिए समय नहीं है।

श्री अनंत कुमार: बीच में व्यवधान भी आये।

सभापति महोदय: कृपया दो या तीन मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री अनंत कुमार: राज्यपाल ने विश्वास मत की कार्रवाई में दोहरा मानदंड अपनाया। उन्होंने मनोहर पारिकर को 48 घंटे का समय दिया। जबकि श्री प्रताप सिंह राणे को एक माह का समय दिया। मैं इस बात को नहीं समझ सका। यद्यपि अध्यक्ष की भूमिका पर संवैधानिक रूप से चर्चा नहीं हो सकती फिर भी इस सभा के बाहर इस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन प्रश्न यह है कि गोवा के राज्यपाल ने अध्यक्ष की रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना ही पारिकर सरकार को भंग कर दिया। राज भवन से विधान सभा कितनी दूर है? मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर। मात्र 5 किलोमीटर ...*(व्यवधान)* 5 बजे विधान सभा में क्या हुआ? 5.24 बजे शाम को विधान सभा स्थगित की गई और 5.30 बजे शाम को ही, अर्थात् छ: मिनट के अंदर ही, सरकार बर्खास्त हो गई। इसलिए, आपके माध्यम से मैं गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या अध्यक्ष ने राज्यपाल को कोई रिपोर्ट भेजी थी या नहीं तथा सरकार ने पारिकर की सरकार को बर्खास्त करने के लिए इतनी जल्दी बाजी क्यों दिखाई।

वे रिपोर्ट की प्रतीक्षा करते और तब सरकार को बर्खास्त कर सकते थे। वे दो घंटे बाद यदि सरकार को बर्खास्त करते तो आसमान नहीं टूटता।

सरकार बर्खास्त करने के बाद 11.30 बजे पूर्वाह्न हम षडयंत्र में पांचवें चरण अर्थात् शपथ ग्रहण समारोह की बात करते हैं। शपथ-ग्रहण समारोह 11.30 बजे पूर्वाह्न में हुआ। शपथ ग्रहण समारोह के बाद पुन: संवैधानिक औचित्य की बात आती है। सरकारिया आयोग की सिफारिश है तथा एस.आर. बोम्मई मुकदमें में उच्चतम न्यायालय एक महत्वपूर्ण फैसला है। जैसे ही श्री प्रताप सिंह राणे को शपथ दिलायी गई उसी समय विश्वास मत के लिए तभी तिथि क्यों नहीं तय की गई। राज्यपाल को सूचित करना चाहिए थे कि एक समय सीमा के भीतर दो सप्ताह या एक पक्ष या तीन सप्ताह के भीतर-जैसा कि उन्होंने श्री मनोहर पारिकर के मामले में 48 घंटे की समय-सीमा निर्धारित की थी। श्री राणे को विधान सभा में बहुमत साबित करना चाहिए था। लेकिन ऐसी कोई समय-सीमा तय नहीं की गई।

जब माननीय राज्यपाल प्रेस कान्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए बाहर आए तो मीडिया वालों ने इसके बारे में उनसे पूछा लेकिन वे इसे टाल गए। तीन दिन तक अफवाह उड़ती रही कि राज्यपाल ने विश्वासमत के लिए कोई तिथि निश्चित नहीं की है। तत्पश्चात् इसके बाद उन्होंने श्री प्रताप सिंह राणे को एक माह का समय दिया जबकि उन्होंने श्री मनोहर पारिकर को केवल 48 घंटे का समय दिया।

अब मैं निलंबित विधायक श्री फिलिप नेरी की बात करता हूं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या वे न्यायालय में गए अथवा नहीं। अभी तक वे न्यायालय में क्यों नहीं गए? यदि उनका निलंबन विधि विरुद्ध है तो उन्हें न्यायालय में जाना चहिए थे। जब तक श्री दिगम्बर कामत द्वारा त्याग पत्र नहीं दिलवाया गया राज्यपाल ने

विधान सभा की बैठक नहीं बुलाई। विधान सभा को बुलाने में देर क्यों की गई? इसके बाद सामयिक अध्यक्ष के माध्यम से एक माननीय सदस्य को मतदान से रोका गया और उन्हें योग्य करार दे दिया गया।

इन सारी घटनाओं के बाद माननीय प्रधान मंत्री और माननीय गृह मंत्री का इस मामले में आगमन हुआ। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि चूंकि राज्यपाल ने अध्यक्ष की रिपोर्ट की प्रतीक्षा नहीं की माननीय गृह मंत्री ने भी राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त करने की प्रतीक्षा नहीं की। राज्यपाल के रिपोर्ट की प्रतीक्षा नहीं की। राज्यपाल ने रिपोर्ट प्राप्त किए बिना ही उन्होंने सरकार को बर्खास्त कर दिया। राज्यपाल ने अध्यक्ष की रिपोर्ट की प्रतीक्षा नहीं की और माननीय गृह मंत्री तथा भारत सरकार ने राज्यपाल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा नहीं की। क्या हो रहा है? लेकिन हम उस सरकार को बर्खास्त किए जाने के फैसले का स्वागत कर रहे हैं।

मेरा एक मात्र अनुरोध है कि विधान सभा का निलंबन जारी नहीं रहना चाहिए क्योंकि अब किसी भी दल के लिए कोई संभावना नहीं है। विधान सभा का निलंबन अब खत्म किया जाना चाहिए। अब उन्हें सभा को भंग कर देना चाहिए।

मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे उत्तर देते हुए इस महान सभा को आश्वासन दें कि वे गोवा विधान सभा को भंग करेंगे और नया जनादेश के लिए जनता के बीच जाएंगे। न्याय होना चाहिए।

एक बार पुन: मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि राज्यपाल को बदलने से लेकर मनोहर पारिकर सरकार को बर्खास्त करने से पूर्व अध्यक्ष से रिपोर्ट प्राप्त करने के संबंध में मैंने जो भी प्रश्न किया है उसका वे जवाब दें। उनके उत्तर में ये बातें शामिल होनी चाहिए। कम से कम अब उन्हें अपना कथन संशोधित कर लेना चाहिए और अपने उत्तर में उन्हें जोड़ देना चाहिए। उन्हें विधान सभा भंग कर देनी चाहिए और वहां जनता के शासन की अनुमति देनी चाहिए।

श्री एल. राजगोपाल (विजयवाड़ा): महोदय इस विषय पर बोलने के लिए आपने मुझे अवसर प्रदान किया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

वास्तव में, कल मुझे अपना पहला भाषण करने का मौका मिला। दुर्भाग्यवश उपाध्यक्ष महोदय को यह जानकारी नहीं थी कि यह मेरा पहला भाषण था और उन्होंने मुझे बोलने के लिए केवल तीन मिनट का समय दिया। जिस क्षण उन्होंने बजर दबाया एक अनुशासित स्कूली बच्चे की भांति मैं बैठ गया। यही कारण है कि आज मेरी पार्टी ने बोलने के लिए मुझे चुना है और इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझसे बोलने का अनुरोध किया।

अब मैं इसके विभिन्न आयामों के बारे में चर्चा करूंगा। वस्तुत: अधिकांश मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है, अधिकांश मुद्दों को शामिल किया जा चुका है। हमें हमेशा यह याद रखनी चाहिए कि दिमाग एक पैराशूट है जो तभी काम करता है जब इसे खुला रखा जाए। जब मैं कहता हूं कि इसे खुला रखा जाए तो हमें खुले दिमाग से सोचना चाहिए ताकि हम समझ सके कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या धर्म है और क्या अधर्म है। मेरे कहने का कारण यह है कि आज अधिकांश लोग यही सोचते है कि विकास का मतलब है कि सड़के और गलियों को चौड़ा किया जाए। लेकिन विकास में जो सबसे अहम बात है वह यह है कि हम अपने दिमाग को अपने सोच को व्यापक बनाएं और हमारा प्रयास विस्तृत सोच पर आधारित है। हमारा, मन और व्यक्तित्व बड़ा हो, दिमाग बड़ा हो और दिल भी बड़ा हो।

यही आधुनिक युग है। हम लिंग-संवेदी बजट की बात कर रहे हैं। हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि महिलाओं को कैसे शक्ति सम्पन्न बनाया जाए, उन्हें इंदिरा जी तथा सोनिया जी जैसे स्वतंत्र कैसे बनाया जाए। स्व. राजीव गांधी पहला व्यक्ति थे जिन्होंने 1989 में डी.डब्ल्यू.ए.सी.आर.ए. या स्व-सहायता समूहों की रचना की क्योंकि वे चाहते थे कि भारत की हर नारी इंदिरा जी जैसे लौह महिला बने। लेकिन हम क्या देख रहे हैं। हम सती के विचार को अर्थात् महिलाओं को जलाने को महिमा मंडित कर रहे हैं। यह सब हुआ? यह पाषाण युग की बात है। हम पाषाण-युग से इस आधुनिक युग में आ गए हैं। लेकिन अभी भी कुछ पार्टियां हैं जो सती को महिमामंडित करने की कोशिश कर रही है और मंदिर बनवाने की बात कर रही है। वे भारत निर्माण के बारे में बात नहीं कर रही है। क्या यही सब करने के लिए हम इस सभा में जुटे है। मैं यह सोचकर शर्मिंदा हूं कि हम लोग ये सब करने के लिए यहां आज जुटे हैं।

मैं मुख्य विषय पर आ रहा हूं कि गोवा में राष्ट्रपति शासन क्यों है, गोवा में राष्ट्रपति शासन क्यों लागू हुआ? इसका क्या कारण है। गोवा के लोग खासकर विधायक विशेषकर चार या पांच मंत्री जिन्होंने त्यागपत्र दिया था जानते थे कि लोग क्या सोच रहे हैं लोगों के मन में क्या है, उन्होंने क्या चाहा है। यही कारण है कि उन्होंने ऐसा निर्णय लिया...*(व्यवधान)*। उन्होंने जानबूझकर उनसे कहा कि हम उस सरकार को नहीं चला सकते जो संकीर्ण विचारों वाली हो, जिसका नेतृत्व एक संकीर्ण सोच वाली पार्टी के हाथ में हो और इसलिए हमने त्यागपत्र दे दिया। उनकी आत्मा ने कहा और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। वे मंत्री है और वे विधायक नहीं है। उन्होंने पैसा या सत्ता के लिए त्यागपत्र नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने इस कारण त्यागपत्र दिया है क्योंकि वे तत्कालीन गोवा की सरकार की विचारधारा में विश्वास नहीं करते हैं।

[श्री एल. राजगोपाल]

जब गोवा की बात आती है तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। पहली बार जब 1974 में मैं गोवा गया था तब मैं 10 साल का था और मैंने गोवा को कुछ अलग ढंग से देखा। दूसरी बार गोवा में 1984 में गोवा गया तब मैं किशोर अवस्था में था। तब मैंने गोवा को एक दूसरे रूप में देखा एक दूसरे दृष्टिकोण से देखा। तीसरी बार मैं गोवा 2002 में गया जब, मैं समझता हूं, कि मनोहर पारिकर की सरकार ने तब हाल ही अक्तूबर-नवम्बर में शपथ ली थी, मैं अपने बच्चों के साथ गोवा गया। मैं गोवा को दूसरे रूपों में देखा। आज मुझे गोवा पर गोवा में राष्ट्रपति शासन पर बोलने का अवसर मिला है। मैं गोवा पर चर्चा करके खुश हूं क्योंकि मैं गोवा से प्यार करता हूं। यह बहुत ही सुन्दर जगह है, यहां सुन्दर समुद्री किनारे है और आश्चर्य से भरे स्थान हैं। गोवा हमारे पर्यटन का द्वार है। वास्तव में मैं बहुत अचंभित और दु:खी हूं कि इस प्रकार के राज्य अंतत: एक फासिस्ट विचारधारा तथा संकीर्ण सोच वाली सरकार के अधीन है। यह लोगों के जनादेश के कारण नहीं है, न ही बहुमत के कारण वे सत्ता में आए हैं। जैसा कि मेरे मित्र श्री चर्चील ने कहा है बल्कि वे सत्ता में पैसा तथा ताकत के बल पर आए है जो उनके पास थे।

मैं एक बात उद्धृत करना चाहूंगा जिसके बारे में विपक्ष के माननीय नेता ने कहा है। वे एक कार्टून को उद्धृत कर रहे थे जो टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित हुआ था। दो दिन पूर्व मैंने भी एक व्यग्र चित्र (कार्टून) देखा था। तब मुझे याद आया कि गुजरात में क्या कहा गया था, दिल्ली में क्या कहा गया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा वाशिंगटन में क्या कहा गया। बात यह है कि उस कथन में कहीं भी समरूपता नहीं थी। मैं उस बात को याद करना चाहूंगा जो टाइम्स आफ इंडिया के व्यग्र चित्र (कार्टून) में दो दिन पूर्व दिखाया गया था। एक व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ रहा है और व्यग्र चित्र (कार्टून) में कहा गया है कि यह व्यक्ति बहुत ही सुस्पष्ट और सही व्यक्ति है।

वे अपने भाषणों की छानबीन कर रहे हैं जो उन्होंने कल एक अलग सभा में कही थी क्योंकि वे परस्पर विरोधी बयान नहीं देना चाहते जो उन्होंने पहले दिए है। इसलिए इसमें एकरूपता है। वे अपने भाषण की जांच कर रहे है कि ताकि समझ सके कि उसमें एकरूपता है अथवा नहीं और वे जानना चाहते हैं कि कल उन्होंने क्या कहा था। कांग्रेस पार्टी या संप्रग सरकार का ऐसा बर्ताव या ऐसी संस्कृति नहीं है। आज यदि हम देखें कि गोवा में क्या हुआ और गोवा के राज्यपाल ने क्या किया तो हम देख सकते हैं कि उन्होंने जनवरी में तथा फरवरी को भी मुख्यमंत्री से एक ही बात कही कि वे सदन में अपना बहुमत सिद्ध करे।

अपराह्न 4.51 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन* हुए]

उस समय एक विधायक अयोग्य थे। तत्काल राज्यपाल ने उस सरकार को बर्खास्त कर दिया और किसी दूसरे व्यक्ति को अवसर दिया जो कांग्रेस पार्टी का था। जब कांग्रेस मुख्यमंत्री ने शक्ति परीक्षण का सामना किया तो क्या हुआ? उस समय भी अध्यक्ष ने विधायकों में से एक को अयोग्य करार दे दिया। इसलिए राज्यपाल के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने महसूस किया कि आप सदस्यों को अयोग्य करार नहीं दे सकते और सदन में बहुमत साबित करने की कोशिश करेंगे। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि यह सरकार और राज्यपाल अपने प्रयास में एक समान बने रहे। इसलिए, हम उन पर आरोप नहीं लगा सकते। मंत्रियों के त्यागपत्र के कारण हाल ही में बताए गए हैं क्योंकि वहां सम्पन्न स्थानीय निकाय के चुनाव में 50 सीटों में से कांग्रेस पार्टी ने 45 जीती है। इसलिए, आप समझ सकते हैं कि जनादेश क्या है।

महोदय, मैं कुछ ऐसी घटनाओं को याद करना चाहूंगा जब लोकतंत्र का अपहरण कर लिया गया, उसे बंधक बना लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। हाल ही में झारखंड में जो हुआ उसे छोड़ दें तो आंध्र प्रदेश में 1995 में भी ऐसा हुआ था जब तत्कालीन मुख्यमंत्री को सदन में अपना बहुमत साबित करने का मौका ही नहीं दिया गया। इसका कारण यह था कि और उन्हें एक होटल में रखा गया था। वह खास मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी राजग का एक घटक हुआ करते थे।

झारखंड ने इस समय हम क्या देख रहे है? हमे देखा है कि कैसे पांच विधायकों को बंधक बना लिया गया है। सभी को मंत्री बना दिया गया है। क्या यह उन्हें मंत्री पद देकर रिश्वत देने की कोशिश नहीं है? क्या उनको बंधक बनाना शर्मनाक नहीं है? मैं उनसे यह प्रश्न पूछना चाहूंगा। वस्तुत:, यहां बैठे मेरे मित्र ने कहा कि हमें कोई तरीका निकालना होगा या कुछ कानून बनाने होंगे जिसमें कोई राज्यपाल नहीं होगा और सदन में बहुमत एक काम चलाऊ मुख्यमंत्री के देखरेख में साबित किया जाएगा जैसा कि अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। लेकिन इससे पूर्व मैं कहना चाहूंगा कि हमें क्या करने की आवश्यकता है या हमसे क्या अपेक्षा रखी जाती है। जब एक पार्टी कुछ विधायकों को बंधक बना लेती है और उन्हें भारत भ्रमण कराने लगती है जैसे वे उन्हें भारत दर्शन पर ले जा रहे हो तो इस समस्या से निपटने के लए हम कौन सा कानून बनाने जा रहे है?

श्री खारबेल स्वाईं: महाराष्ट्र में श्री विलासराव देशमुख अपनी ही पार्टी के सदस्यों को ले गए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: यदि वे मान जाते हैं तो यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा। अन्यथा, यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

*...(व्यवधान)**

श्री एल. राजगोपाल: महोदय, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सभी पार्टियां इस प्रकार के कार्य में लगी है। आप जानते हैं कि 1984 में क्या हुआ था जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधान मंत्री थी। आंध्र प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल ने श्री एन.टी. रामराव की सरकार को बर्खास्त कर दिया था और किसी दूसरे व्यक्ति को मौका दे दिया था। इन्दिरा जी ने उस समय क्या किया था? उन्होंने तत्काल राज्यपाल को वापस बुला लिया क्या वह ऐसा कोई उद्धरण कर सकता है? *...(व्यवधान)* उकी अंतरात्मा ने उन्हें ऐसा करने को कहा।

श्री किन्जरपु येरननायडु: उस समय पूरे देश में विद्रोह हो गया। *...(व्यवधान)*

श्री एल. राजगोपाल: महोदय, उन्होंने क्या किया? उन्होंने चप्पल फेंकी। उन्होंने विधायकों का अपहरण कर लिया और उन्हें बंधक बनाकर रखा *...(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु: प्रथम बार जनांदोलन के कारण आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को वापस बुलाना पड़ा। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री राजगोपाल, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री एल. राजगोपाल: महोदय, उन्होंने एन.टी. रामाराव की पार्टी के विधायकों को तोड़ा। यही एक समस्या नहीं है। बल्कि यह कहते हुए मुझे बहुत दु:ख हो रहा है कि उसके कारण श्री एन.टी. रामाराव की बहुत ही दर्दनाक मौत हो गई।

क्या कोई इस प्रकार के अंत की कल्पना कर सकता है? अब वे लोग क्या कर रहे है? अब वे लोग एक हवाई अड्डे का नाम बदलकर पट्टिकाओं पर उनका नाम खुदवा रहे हैं क्या हम यही चाहते हैं। क्या यह शर्मनाक कृत्य नहीं है? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री येरननायडु आपको बोलने का मौका मिलेगा। जब आपकी बारी आएगी आप बोलेंगे। कृपया बैठ जाइए। श्री राजगोपाल कृपया अब समाप्त कीजिए।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एल. राजगोपाल: महोदय, यह मेरा पहला भाषण है। मैं नहीं चाहता कि बीच में व्यवधान पैदा हो। मैं उनके समक्ष झुकना नहीं चाहता।

अब मैं उस संस्कृति के बारे में बोलना चाहूंगा जिसका उल्लेख श्री अनंत कुमार ने किया है। मैं राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या प्रधान मंत्री के बारे में बातें नहीं करना चाहता। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि बहुत से विपक्ष के बड़े-बड़े नेता हुए है जो कांग्रेसी रहे है, जो कांग्रेस की संस्कृति में विश्वास करते है। मैं आपको यह सब इसलिए बता रहा हूं कि क्योंकि वे कांग्रेस में रहे हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कांग्रेस के पीठ में छुरा नहीं मारा। उन्होंने सामने से उसके दिल में छुरा घोंपा। क्या यह सही है? क्या हम ऐसी चीजों की कल्पना कर सकते हैं? ये लोग यही सब कर रहे हैं? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपने अपनी बात रख दी है कृपया समाप्त कीजिए।

श्री एल. राजगोपाल: मैं इन शब्दों के साथ समाप्त करना चाहूंगा कि हमारे साथ इतनी महान नेता, श्रीमती सोनिया गांधी जी रही हैं। उन्होंने क्या किया? उन लोगों ने उनका गलत इस्तेमाल किया।

सभापति महोदय: आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। श्री शिवराज पाटील यहां बैठे हैं। वे उनकी रक्षा करने में पूर्णत: सक्षम हैं।

श्री एल. राजगोपाल: महोदय, उन्होंने उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया। उन लोगों ने उनको अपशब्द कहे। उन्होंने सब कुछ किया और उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा था, मैं प्रधानमंत्री का पद नहीं चाहती हूं। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने यहां बैठना क्यों पसंद नहीं किया। वे चाहती हैं कि पूरा राजग और पूरी भाजपा उनको देखें और उनसे कुछ सीखे। वे चाहती हैं कि वे पश्चाताप करें और अपने को सुधारे। महात्मा गांधी जी ने एक बात कही है। उन्होंने कहा था 'पापी से नफरत मत करो, पाप से नफरत करो।' यही कारण है कि वे यहां बैठी है और उनके प्रति उनके मन में कोई नफरत नहीं है।

श्री किन्जरपु येरननायडु: सभापति महोदय, मैं गोवा में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के बारे में माननीय गृह मंत्री द्वारा लाए गए सांविधिक संकल्प के समर्थन में खड़ा हूं। यद्यपि मेरी पार्टी किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 को लागू किए जाने के विरुद्ध है फिर भी इसका समर्थन करने के सिवाए और कोई विकल्प नहीं है।

संविधान का अनुच्छेद 356 एक खतरा है जो प्रत्येक क्षेत्रीय पार्टी पर मंडराता रहता है। स्व. श्री जवाहर लाल नेहरू तब

[श्री किन्जरपु येरननायडु]

प्रधानमंत्री थे। जब पहली बार 1959 में नम्बूदरीपाद की सरकार के विरुद्ध कांग्रेसी सरकार ने अनुच्छेद 356 का दुरूपयोग किया। अंतिम समय तक उनका बहुमत था लेकिन कानून व्यवस्था के नाम पर उन लोगों ने वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया। वे केरल में थे जहां से सभापति महोदय, आप आते है। केरल से गोवा और झारखंड तक इंदिरा गांधी से लेकर वर्तमान संप्रग सरकार तक देश के किसी भी हिस्से को कांग्रेस ने नहीं छोड़ा है।

शुरू से ही हम लोग इस राज्यपाल प्रणाली से नफरत करते आ रहे हैं। 1984 में आंध्र प्रदेश में क्या हुआ। अधिकांश विधायक दिल्ली में थे और आंध्र प्रदेश में एक अल्पमत सरकार शासन कर रही थी। पूरे देश ने इसका विरोध हुआ। देश की जनता और कांग्रेस को छोड़कर सभी राजनीतिक कम्युनिस्ट पार्टी, जनता दल, यहां तक की भाजपा और अन्य दूसरी पार्टियों ने एक साथ विद्रोह किया और रैलियां तथा धरने दिए। अंत में श्रीमती इंदिरा गांधी ने एन.टी. रामाराव की सरकार को पुन: बहाल कर दिया। पहली बार भारत में ऐसा हुआ कि एक मुख्यमंत्री बर्खास्त हुआ और एक महीने के बाद पुन: आंध्र प्रदेश में वह सत्ता में लौट आया। तत्काल श्री रामलाल, राज्यपाल को तत्काल वापस बुला लिया गया ताकि उस समय लोकतंत्र की बहाली हो सके।

इस समय भी मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि जब स्पष्ट प्रमाण है कि एक राज्यपाल ने इस प्रकार का व्यवहार किया है जो असंवैधानिक है और ऐसे उच्च पद के लिए अशोभनीय है, उसे राज्यहित में तत्काल वापस बुला लेना चाहिए। यह केवल गोवा के मामले में नहीं है अल्कि यदि ऐसा किसी भी राज्य में होता है तो हमें राज्यपाल को वापस बुला लेना चाहिए।

अपराह्न 5.00 बजे

बोम्मई मामले में उच्चतम न्यायालय का क्या विनिर्णय था? हमारी क्या परंपरा रही है? सरकारिया आयोग की क्या सिफारिशें थी? अंतर-राज्यीय परिषद की क्या सिफारिशें थी? यह हर कोई जानता है। राजग सरकार और यहां तक कि वर्तमान संप्रग सरकार ने भी राजनेताओं को राज्यपाल नियुक्त किया। महोदय, मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि राजनेताओं को राज्यपाल नियुक्त किये जाने की क्या आवश्यकता है? राजग सरकार ने श्री मदनलाल खुराना को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया। अब संप्रग सरकार ने श्री एस.एम. कृष्णा, श्री सुशील कुमार शिंदे और सरदार बूटा सिंह को राज्यपाल नियुक्त किया है। वे इस सभा में हमारे साथी थे। अब वे इस देश में राज्यपाल बनाये गए हैं। ...*(व्यवधान)* मैं उन लोगों की आलोचना नहीं कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब माननीय गृह मंत्री जी सभा को संबोधित करेंगे। कोई भी व्यवधान उत्पन्न न करे।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मैं श्री के. येरननायडू द्वारा मुझे इस सम्माननीय सभा में एक प्रश्न पूछने की अनुमति देने के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। यदि हम राजनीति, शासन एवं समाज को जानने वाले लोगों की नियुक्ति न करे तो किसकी नियुक्ति की जाए?

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी की बात से सहमत हूं परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि इस विशाल देश में बहुत से प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री के. येरननायडु के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, मैंने बोम्मई मामले में उच्चतम न्यायालय का उद्धरण दिया है। सरकारिया आयोग ने भी कुछ सिफारिशें की थी। मैं उनके बारे में ही बता रहा हूं। महोदय, इस विशाल देश में 100 करोड़ की आबादी है। क्या हमारे यहां राज्यपाल नियुक्त किये जाने के लिए अन्य व्यक्ति नहीं हैं? यही मेरा प्रश्न है।

महोदय, राजनीति में सक्रिय किसी व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। आज कोई विद्यार्थी भी यह बात जानता है कि राजनीति, लोकतंत्र, बहुमत और अल्पमत क्या है? सब इन बातों को जानते है। केवल सामान्य बुद्धि की आवश्यकता है। न्याय किया ही जाना चाहिए। सामान्य बुद्धि वाला कोई भी व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। इसीलिए हमारी पार्टी टी.डी.पी. ने राज्यपाल व्यवस्था समाप्त करने की मांग की है और राज्यपाल की व्यवस्था के स्थान पर संबंधित राज्य का मुख्य न्यायाधीश इसकी देखभाल कर सकता है। ...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: आप मेरा समर्थन कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु: हां, मैं आपका समर्थन कर रहा हूं।

राज्यपाल की व्यवस्था के इन विवादों से बचने के लिए बेहतर यह है कि आप राज्यपाल की व्यवस्था को ही समाप्त कर दें और राज्यपाल व्यवस्था के स्थान पर यह कार्य संबंधित राज्य के न्यायाधीश को सौंप दे ताकि भविष्य में ऐसी समस्याएं पैदा ही न हों।

महोदय, संप्रग सरकार ने दबाव में आकर तथा एक क्षति पर काबू पाने के लिए अंतत: गोवा में राष्ट्रपति शासन लगा दिया।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इसके लिए मैं राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। यदि केन्द्र सरकार की मंशा वहां एक लोकप्रिय सरकार स्थापित करने की होती तो गोवा विधान सभा को तत्काल भंग करके लोगों के समक्ष जाया जाता। तभी इस देश के लोग संप्रग सरकार की प्रशंसा करते। अन्यथा लोग संप्रग सरकार पर विश्वास नहीं करेंगे। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, केन्द्र सरकार को विधान सभा भंग करके लोगों के पास जाना चाहिए। यदि वहां के लोग गोवा में कांग्रेस सरकार को चुनते हैं तो वे खुश होंगे और अगर वे गोवा में भाजपा सरकार को चुनते हैं तो हम बहुत खुश होंगे। हमें गोवा में तत्काल एक लोकप्रिय सरकार बनानी है। यह हमारी मांग है।

सभापति महोदय: श्री गणेश प्रसाद सिंह उपस्थित नहीं।

अब श्री मधुसूदन मिस्त्री।

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): मैं, आज गोवा के प्रेजीडेंट रूल का जो प्रस्ताव लाया गया है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सामने से अभी तक जो बातें आई हैं उसे देखकर हिन्दी की कहावत याद आती है "चित्त भी मेरी पट भी मेरी"। यह इनका रवैया है कि दोनों साइड मेरी है यानि हेड एंड टेल। वैसे तो इनका रवैया रहा है कि,

[अनुवाद]

इन्होंने एक काफी ऊंचा नैतिक आधार बनाया है और हमसे कहते हैं कि हम उस नैतिकता का पालन करे चाहे वे कोई अनधिकार चेष्टा करें। अनधिकार चेष्टा करने वाले को उच्च नैतिकता की बातें करने का कोई अधिकार नहीं है। वे लोगों को झारखंड से दिल्ली लाते हैं। वे लोग जो भाजपा के खिलाफ लड़े उनको अलग-थलग करके यहां लाया गया। इनकी बहादुरी की कहानी कि उन लोगों को कैसे यहां लाया गया, किस स्तर पर और कैसे यह कार्य किया गया, मीडिया द्वारा भी प्रकाशित किया गया। इस तथ्य के बावजूद कि

[हिन्दी]

सबको लालच दिया गया और तमाम को मिनिस्टर बना दिया गया, ये हाई मोरेल ग्राऊंड की बात कहते हैं।

[अनुवाद]

तब इन्होंने त्यागपत्र क्यों नहीं दिया? आपने उनसे त्यागपत्र देने को क्यों नहीं कहा? आपने राज्यपाल द्वारा उन्हें बर्खास्त किये जाने की प्रतीक्षा क्यों की?

[हिन्दी]

नहीं, ये वह बात नहीं करेंगे, वह हम लोग करेंगे कि हाई मोरेल स्टैंडर्ड है। आप पोचिंग करेंगे और आप ही सरकार बनायेंगे, यही रवैया आपका रहा है।

[अनुवाद]

श्री येरननायडु मैं आपको कह रहा हूं। यह आपके लिए है श्री येरननायडु।

सभापति महोदय: आप अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: महोदय मैं आपको संबोधित कर रहा हूं श्री येरननायडु को नहीं।

ये सब नैतिकता नैतिकता के उच्च मानकों के साथ-साथ राज्यपाल की नियुक्ति के मानदंडों की बात कर रहे है। श्री खुराना को राजस्थान का राज्यपाल किसने नियुक्त किया? उन्हें किस आधार पर नियुक्त किया गया? ...*(व्यवधान)* इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि यदि हम नियुक्त करते हैं तो इसमें क्या गलत है? आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बिहार के राज्यपाल को बिहार से गुजरात क्यों लाया गया? जब हजारों लोगों की हत्याएं हुई उन्हें मार डाला गया तब यह उच्च नैतिकता कहां थी? तब यह सरकार कहां थी? तब उन्होंने राज्यपाल से रिपोर्ट क्यों नहीं मांगी? उस समय गुजरात सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया था? आपकी पार्टी ने ये दोहरे मानदंड अपनाये है? वास्तव में उच्च नैतिक मानदंडों की बात करने का आपका कोई आधार नहीं है आपने कुछ लोगों को इसी तरह की कहानियां बनाने में लगाया है।

[हिन्दी]

मैं गृह मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं। मेरी रिक्वैस्ट है कि जितनी जल्दी हो सके जहां तक जात-पात का सवाल है, जिन भाइयों ने रिजाईन किया है, वहां इलैक्शन कराया जाये, पापुलर सरकार बनाई जाये। जब ये लोग इधर बैठते थे तो हम लोगों से कहते थे और आज उधर बैठे हुये है तो भी हम से कहते हैं कि आप ऐसा करिये। ये लोग उधर बैठे हुये अच्छे लगते हैं। यही कहें कि हम वैसा करें तो यह कैसे होगा? अगर आपको

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

करना होता तो उधर न जाते और हम इधर न बैठते। आप लोगों की जगह वही है।

[अनुवाद]

आप केवल विपक्ष में प्रभावी हो सकते हैं। आप इस देश में शासन नहीं कर सकते। यह आपकी इच्छा के परे की बात है कि आप इस देश यहां तक कि राज्यों में भी सरकार चलाएं इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद है।

[हिन्दी]

आज गुजरात के अंदर जो कुछ हुआ है, उसके कारण हमारी 12 सीटें आई हैं, 14 भी आ सकती थीं जो हमारे गृह मंत्री कहेंगे वैसा करेंगे। गुजरात सरकार इतनी अलोकप्रिय हो गई है कि वहां धारा 356 लगाकर प्रेजीडेंट रूल लगा दिया जाये। गुजरात में मतदान होने दे और तब हम बहुमत में आ जाएंगे। मैं इन लोगों से बताना चाहता हूं कि इन लोगों के रवैये को इस देश की जनता ने जान लिया है। गोवा में कांग्रेस की सरकार थी, गवर्नर ने जो कदम उठाया, उसके लिये कांग्रेस सरकार सजेशन दे सकती है। अगर आपकी सरकार ने बहुमत साबित किया होता तो कहने की हकदार होती। ये भले ही कहें कि इनकी मैजोरिटी है लेकिन लोग जानते हैं कि ये लोग सत्ता हथियाना जानते हैं, देना नहीं जानते। इन लोगो का हमेशा यही रवैया रहा है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हाई मोरेल ग्राउंड की बात कहना बंद कर दें लेकिन ये और भी करते जा रहे हैं।

इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपके राज में आपका शासन पूरे देश और दुनिया में इतना बदनाम हुआ कि आज आपके चीफ मिनिस्टर को अमरीका सरकार ने वीजा नहीं दिया।

[अनुवाद]

उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा गुजरात में शासन चलाए जाने के तरीके के कारण वे वहां के मुख्यमंत्री को अपने देश में नहीं आने देना चाहते। विश्व के विभिन्न देशों के लोग उन्हें अपने देश में नहीं आने देना चाहते। यह पूरे गुजरात के लोगों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

[हिन्दी]

इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि आप अच्छी तरह से अपना शासन जहां चलता है चलाइये। झारखंड के अंदर चाहे कुछ हो, थोड़े दिन के अंदर वहां कांग्रेस की सरकार होगी और आप मुंह देखते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल): महोदय, आज गोवा के बारे में बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

मेरे सभी पूर्व वक्ताओं ने अपनी वाक्पटुता से काफी प्रभावी भाषण दिये है। माननीय मंत्री जी ने भी एक या दो बार अपना दृष्टिकोण रखने का प्रयास किया और पूरी सभा ने इस बात की सराहना की। अत: मैं अपना भाषण कुछेक मुद्दों तक सीमित रखूंगा।

हम सब सुंदर गोवा राज्य, उसके द्वीपों, गोवा के लोगों के बारे में जानते हैं और मेरी राय में पांडिचेरी के साथ शायद गोवा ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि हम सब यहां राज्य के भविष्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि गोवा के नागरिकों का सम्मान रखने के लिए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस कार्य से न केवल गोवा बल्कि झारखंड में भी वर्तमान केन्द्र सरकार अर्थात् संप्रग सरकार के कार्य कलाप और छवि पर धब्बा लगा है।

मैं किसी राजनीतिक दल विशेष की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं उड़ीसा में श्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में कार्यरत बीजू जनता दल, एक क्षेत्रीय दल का प्रतिनिधित्व करता हूं। अत: मैं एक क्षेत्रीय दल की तरफ से बोल रहा हूं और उड़ीसा के लोगों का प्रतिनिधि हूं। आज हम देखते हैं कि सभी राष्ट्रीय दल-मैं किसी भी पार्टी को छोड़ रहा हूं-स्वतंत्रता के बाद से ही लगातार अपने विशिष्ट हितों और राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के प्रयास में लगी है। उन्होंने भारत के संविधान की भी परवाह नहीं की है। शायद यही एक मात्र ऐसा देश है, जहां लगभग पचास वर्षों में सबसे अधिक संविधान संशोधन लाये गए हैं। इस प्रकार संविधान का सम्मान नहीं किया गया। इस देश का राजनीतिक संरचना को जानबूझकर नष्ट किया गया और हमने लोगों की आकांक्षाओं और भावनाओं का सम्मान नहीं किया।

आज जो गोवा में हुआ और हाल ही में घटी झारखंड की घटना का मुख्य कारण एक स्पष्ट प्रशासनिक और राजनीतिक दूरदृष्टि का अभाव है। अत: जब आप केवल राजनीति के बारे में विचार करते हैं तो आप भूल जाते हैं कि उस समय सरकार में होने के कारण आपकी लोगों के प्रति प्रशासनिक उत्तरदायिता भी है। सरकार का अदूरदर्शी और अपने वैयक्तिक विचारों के प्रति झुकाव नहीं होना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि किसी एक विशिष्ट पार्टी का कोई दोष है।

कृपया मुझे गलत मत समझिए। किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के जिसने इस देश पर शासन किया है उसके विचार है, भूतकाल और वर्तमान काल के एक तरफा नहीं रहे है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम सभी एक हों, और गोवा इसके लिए सबसे अच्छा अवसर है। यह सर्वोत्तम उदाहरण है जो हमें उस खतरे का आभास कराता है जो संविधान के अनुच्छेद 356 में मौजूद है।

मेरे वरिष्ठ साथी, श्री किन्जरपु येरनानयडु, ने कहा कि यह केरल में नम्बूदरीपाद की सरकार है जिसके बारे में आपको बहुत सचेत रहे की जरूरत है। स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी ने इतिहास रचा था और अब दूसरी श्रीमती गांधी अपनी वर्तमान गतिविधियों से पुन: इतिहास रच रही है। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ यह बता रहा हूं कि क्या हो रहा है। तब वामपंथी दल थे जिन्हें अपने दृष्टिकोण और अपने संकल्पों के कारण पीड़ित किया गया तथा आज वे अपनी सुविधा के लिए संप्रग सरकार का समर्थन कर रहे होंगे। लेकिन वह ऐसी राजनैतिक लोग है जो जानते हैं कि असली खतरा कहां है।

आज कुछ राज्यों में वामपंथी दलों की सरकारें हैं। श्री लालू प्रसाद ने बिहार पर शासन किया। हमारी पार्टी का उड़ीसा में शासन है। हम सभी को एक होना चाहिए, हमें एकमत होकर विचार करना चाहिए और इस पर पुन: विचार करना चाहिए कि संविधान में इस अनुच्छेद की क्या उपयोगिता है।

दूसरी बात जैसा कि विपक्ष के नेता ने कहा, कि सरकारिया आयोग और अंतर-राज्यीय परिषद की सिफारिशों में सुझाव दिया गया था कि राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में परामर्श किए जाने संबंधी प्रावधान को संविधान में शामिल किया जाना चहिए। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही आवश्यक संशोधन है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 356 की बहुत सी संतुलित ढंग से समीक्षा की जानी चाहिए और जहां कही भी पता चले कि राज्यपाल असंवैधानिक होते जा रहे है या उनका बर्ताव ऐसा है जो इस उच्च पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है तो उन्हें वापस बुला लेना चाहिए। विशेषकर नौकरशाहों और राजनीतिज्ञों को राज्यपाल के पद से दूर ही रखना चाहिए और हमें राज्यपाल के रूप में निष्पक्ष व्यक्ति का चयन करना चाहिए।

सभापति महोदय: अब माननीय गृहमंत्री जी उत्तर देंगे।

शुरू करने से पहले इस सभा के एक सदस्य के रूप में तथा एक छात्र जिसकी कानून में रुचि हो, के रूप में, क्या आप कृपया मुझे बताएंगे कि किन प्रावधानों के तहत एक विधायिका को निलंबित अवस्था में तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों को बिना वेतन और भत्ते के रखा जा सकता है? क्या कोई प्रावधान है? कृपया मुझे इसके बारे में बताएं।

...(व्यवधान)

श्री तथागत सत्पथी: जैसा बिहार में *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: क्या ऐसा कोई प्रावधान है जिसके तहत एक चुने हुए निकाय को निलम्बित अवस्था में तथा चयनित प्रतिनिधियों को बिना वेतन और भत्ते के रखा जा सकता है? क्या संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है?

...(व्यवधान)

श्री तथागत सत्पथी: हमारा समर्थन है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप विधायकों को बिना वेतन और भत्ते के रख सकते हैं?

...(व्यवधान)

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, सर्वप्रथम, माननीय गृह मंत्री को आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इसके पीछे की बुरी सोच नहीं है। सर्वोत्तम इरादों के साथ स्थिति को केवल स्पष्ट करें। बर्खास्त करने आदि का प्रावधान है। लेकिन क्या कोई ऐसा प्रावधान है जिसके अंतर्गत एक विधायिका को निलम्बित अवस्था में रखा जा सकता था।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मंत्री जी, अब आप बोलें।

...(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों और सभी राजनीतिक पार्टियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि वे इस घोषणा के अनुमोदन संबंधी संकल्प का समर्थन करेंगे। उन्होंने काफी अच्छी बातें कही हैं।

महोदय, आपने भी दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कहीं है प्रथमत:, मैं अध्यक्षपीठ द्वारा कही गई दो महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करूंगा।

तत्पश्चात् मैं अन्य बिन्दुओं की चर्चा करूंगा जिसका उल्लेख अन्य माननीय सदस्यों द्वारा किया गया है।

आपके द्वारा पूछा गया पहला प्रश्न है-क्या ऐसा कोई कानून या कोई नियम है जिसके अंतर्गत पीठासीन अधिकारी एक सदस्य को मतदान से रोक सकता है। मेरा विनम्र निवेदन है कि मुझे कोई ऐसा कानून या नियम नहीं मिला जिसके तहत पीठासीन अधिकारी सभा की कार्यवाही में मतदान करने से एक सदस्य को रोक सकता है।

[श्री शिवराज वि. पाटील]

अब दूसरा प्रश्न है कि क्या सभा को निलंबित अवस्था में रखा जा सकता है? इस विषय पर संविधान में कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन उच्चतम न्यायालय बहुत ही मुखर है। बोम्मई मुद्दों में उच्चतम न्यायालय ने साफ शब्दों में कहा है कि प्रथम दृष्ट्या आप सभा को भंग नहीं कर सकते। यदि आप सभा को भंग करते हैं और सभा को भंग करने वाली घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन नहीं होता है तो एक बहुत ही विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। वास्तव में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सर्व प्रथम सभा को निलंबित अवस्था में रखा जाना चाहिए और तत्पश्चात् घोषणा के लिए अनुमोदन के बाद सरकार सभा को भंग करने का निर्णय ले सकती है।

इसलिए, यद्यपि संविधान में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है फिर भी उच्चतम न्यायालय जो निर्णय देता है वह भी कानून बन जाता है और वहां यह कानून है। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया वह विनिर्णय संविधान के प्रावधानों के समान प्रभावकारिता तथा प्रभावोत्पादकता वाला होता है। इसलिए, महोदय, मेरा कहना है कि इस देश में यह कानून उपलब्ध है।

सभापति महोदय: यहां प्रश्न यह है कि उन्होंने विधायक के रूप में शपथ ली है। लेकिन यहां शपथ नहीं ली है, वे तो विधायक भी नहीं हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को होल्ड किया है कि जब इलैक्शन कमीशन नोटीफिकेशन निकाल देता है, तो *...(व्यवधान)*

श्री तथागत सत्पथी: होम मिनिस्टर साहब को बोलने दीजिए। *...(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: हम क्वैश्चन पूछ रहे हैं। आप हमें बीच में क्यों रोकते हैं। आप हमारी बात सुनिए। आप बैठिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: वे मानने वाले नहीं है। अब माननीय मंत्री द्वारा उत्तर दिये जाने का समय है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: सभापति जी, मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में यह बात भी होल्ड की है कि जब इलैक्शन कमीशन नोटीफाई करता है, तो उसी रोज से हाउस कांस्टीट्यूट हो जाता है। जब हाउस ने ओथ नहीं ली, कांस्टीट्यूट नहीं हुआ, तो किस हाउस को आपने सस्पेंड किया? पहले हाउस को गवर्नर ने डिजाल्व कर दिया, तो किस हाउस को आपने सस्पेंड किया? फिर कोर्ट ने होल्ड किया है कि लैजिस्लेटिव बिजनैस छोड़कर, लैजिस्लेचर को दूसरी सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी, इस बारे में आपका क्या मत है, यह मैं जानना चाहता हूं?

श्री शिवराज वि. पाटील: सभापति जी, मैं इस बारे में आज नहीं, कल बोलूंगा, क्योंकि कल यह विषय आने वाला है। यह बहुत अहम मुद्दा है। इस बारे में हम पहले से ही सोच रहे हैं कि जो परिस्थिति निर्मित हुई है, उसमें किस प्रकार से रास्ता निकाला जा सकता है। मगर इस बारे में, मैं आज नहीं, कल जवाब दूंगा।

[अनुवाद]

महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्न में हैं। राज्यपाल की भूमिका क्या है? वास्तव में हम उद्घोषणा पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन बहुत से सदस्य राज्यपाल के आचरण पर चर्चा कर रहे थे। मैं बहुत आदर के साथ कहना चाहूंगा कि यदि आप राज्यपाल के आचरण पर चर्चा करना चाहते है तो हमें एक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए जो संविधान में निर्धारित की गयी है।

यदि आप राज्यपाल के आचरण पर चर्चा करना चाहते है तो आपको 14 दिन पूर्व इसकी सूचना देनी पड़ेगी और तब बताना होगा कि राज्यपाल ने जो कुछ किया वह सही है या गलत, लेकिन दुर्भाग्यवश राज्यपाल द्वारा दिए गए निर्णय की बहुत चर्चा की गयी और उस समय मैंने सोचा कि इससे इस विषय पर चर्चा अनावश्यक रूप से लम्बी चलेगी यदि मैं खड़ा होता और इस पर आपत्ति जताता लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि राज्यपाल के आचरण पर इस सभा में इस प्रकार चर्चा नहीं होनी चाहिए।

विपक्ष के माननीय नेता ने अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है और वह महत्वपूर्ण प्रश्न राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। यह राज्यपाल के आचरण के बारे में नहीं है। मैं समझता हूं कि जब हम इस प्रकार के मामले पर चर्चा कर रहे हैं तो इस विषय पर भी चर्चा करना हमारे अधिकार क्षेत्र के भीतर है। मैं इस सरकार द्वारा नहीं बल्कि भूतपूर्व सरकार द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों को यहां बताना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि भूतपूर्व सरकार द्वारा लिए गए निर्णय गलत नहीं है वे सही हैं।

सरकारिया आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपालों की नियुक्ति मुख्य मंत्रियों के परामर्श से की जानी चाहिए। इस मामले पर अंतर्राज्यीय परिषद में भी विचार-विमर्श किया गया था और परिषद ने कुछ निष्कर्ष निकाले थे लेकिन बाद में जब यह मामला विधि मंत्रालय को प्रेषित किया गया था तो भूतपूर्व सरकार ने इस मुद्दे से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श किया था। उन्होंने कुछ अन्य निष्कर्ष निकाले थे। मैं आपकी अनुमति से उन संबंधित अंश को पढ़ना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि भूतपूर्व सरकार ने जो भी काम किया है वह गलत नहीं है।

चूंकि राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करते है वे उन्हें हटा सकते है अथवा एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरित भी कर सकते हैं। अत: नियुक्ति के लिए पूर्व परामर्श लेने से हटाने और स्थानान्तरण के लिए भी पूर्व परामर्श लेना आवश्यक होगा। प्रस्तावित प्रावधान राज्यपाल की नियुक्ति के पूरे मामले का राजनीतिकरण करेगा।

अपराह्न 5.27 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

राज्यपाल का दायित्व संविधान की गरिमा बनाए रखना और मुख्यमंत्री द्वारा सत्ता के दुरूपयोग पर निगरानी रखना है। यदि राज्यपाल की नियुक्ति करते समय मुख्यमंत्री से सलाह ली जाती है तो इसका प्रयोजन बिल्कुल विफल हो जाएगा। यह बताया जाता है कि राज्यपाल का पद संविधान में बताए गए संघीय ढांचे में अपनाए गए संतुलन को बनाए रखने का कार्य करता है। हमारे संविधान के निर्माताओं की कभी भी यह मंशा नहीं रही कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री का परामर्श कानूनी रूप से अनिवार्य हो। संविधान ने राज्यपाल का कर्त्तव्य बताया है कि वह राज्य में हुई गतिविधियों के बारे में केन्द्र सरकार को आवधिक रिपोर्ट भेजे। अत: यह अनिवार्य है कि नियुक्ति के मामले में केन्द्र सरकार का निर्णय ही अन्तिम होगा।

अन्तर्राज्यीय परिषद की बैठक में उप-प्रधानमंत्री ने भी बताया था कि विद्यमान सरकार ने एक भी राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श अथवा इच्छाओं के विपरीत नहीं की है। अत: शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं होगी। चूंकि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है इसलिए इस संबंध में विधान लाने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। यह भी कहा गया है कि यदि संशोधन किया जाता है और परामर्श अनिवार्य किया जाता है, तो यह परामर्श सहयोग में बदल जाएगा और अन्तत: मुख्यमंत्री की स्वीकृति में तब्दील हो जाएगा। ऐसा संशोधन लाने से राज्यपाल की नियुक्ति में असामान्य विलम्ब होने की सम्भावना होगी जिसके परिणामस्वरूप संविधान में बताए गए राज्यपाल पद की गरिमा में अनावश्यक और परिहार्य विवाद उत्पन्न हो जाएंगे। अत: संघ सरकार के लिए यह बेहतर होगा कि वह संविधान का संशोधन करने वाली और मुख्यमंत्री के साथ परामर्श करने को अनिवार्य बनाने वाली सिफारिशों को स्वीकार न करे। राज्यपाल संघ सरकार का प्रतिनिधि होता है।

राज्यपाल केन्द्र सरकार की ''आंख'' और ''कान'' होते है और उससे अपेक्षा की जाती है कि जब उस राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रही हो तो वह केन्द्र को रिपोर्ट करें। राज्यपाल की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि राज्यों और संघ के बीच सामंजस्य बना रहे और वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विधेयकों को रोकना सुनिश्चित करते हैं। पूर्व परामर्श-यदि अपनाया जाता है तो इससे राज्यपाल मुख्यमंत्री का आभारी रहेगा और उसके कर्त्तव्यों का पालन करने में बाधा डालेगी।

अनुच्छेद 153 के अधीन राज्यपाल की नियुक्ति दो अथवा अधिक राज्यों के लिए की जा सकती है। राज्यपाल को एक राज्य से अन्य राज्य में स्थानांतरित भी किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि एक से अधिक मुख्य मंत्रियों के साथ परामर्श करना होगा जिससे पूरी प्रक्रिया अत्यन्त भारी हो जाएगी। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू है तब भी परामर्श करना सम्भव नहीं हो सकेगा।

उपरोक्त के मद्देनजर, अन्तर्राज्यीय परिषद की सिफारिश, कि मुख्यमंत्री से परामर्श करना अनिवार्य बनाने के लिए संविधान का संशोधन किया जाए, को स्वीकार नहीं किया गया है। उप-प्रधानमंत्री की स्वीकृति से अन्तर्राज्यीय परिषद सचिवालय को तदनुसार सूचित किया गया है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: उपाध्यक्ष महोदय, यदि गृह मंत्री ने पूरी चीज पढ़ी होती तो मैं हस्तक्षेप नहीं करता।

उन्होंने अभी-अभी कहा है कि अन्तर्राज्यीय परिषद की सिफारिश है कि राज्य सरकार के साथ परामर्श करने को सांविधिक बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन किया जाए। पूर्व सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया है और विद्यमान सरकार इससे सहमत है। यह तर्क देते हुए कि हम इससे सहमत क्यों नहीं थे, आपने पूरा पाठ पढ़ दिया इसमें स्पष्ट बताया गया है कि पिछले छ: वर्षों के दौरान एक भी राज्यपाल की नियुक्ति राज्य के मुख्य मंत्री के परामर्श के बिना नहीं की गई है और सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है। अत: विधि मंत्रालय ने सलाह दी कि हमें संविधिक उपबन्ध का प्रबन्ध नहीं करना होगा उन्हें आशंका है कि इससे स्थिति बिगड़ेगी और यह परामर्श के स्थान पर सहमति में बदल जाएगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे मामले में यह बात सही है कि

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

हमने सभी व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए उनकी सहमति ली थी। लेकिन अन्तर्राज्यीय परिषद की सिफारिश की कि परामर्श को अनिबार्य बनाया जाए।

पिछले कुछ दिनों के अनुभव के कारण मैंने आज यह सुझाव दिया है कि अन्तर्राज्यीय परिषद-जिसमें पूरे देश के न कि भा.ज.पा. दल वाले मुख्य मंत्रियों का प्रतिनिधित्व होता है-की इस सिफारिश को स्वीकार किया जाए। यदि उसे स्वीकार किया होता तो इससे नियंत्रण होता और इससे संघीय व्यवस्था का संतुलन सुनिश्चित हो पाता। लेकिन विद्यमान व्यवस्था से तो एकात्मक ढांचे को बल मिलता है और केन्द्र शक्तिशाली होता है। मुझे इस मामले में बस इतना ही कहना है।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, सौभाग्यवश इस बात पर कोई मतभेद नहीं है। मुद्दा है कि परामर्श किया जाए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है क्या यह सहमति में बदल जाएगी और धीरे-धीरे स्वीकृति में बदल जाएगी? विधि मंत्रालय और पूर्व सरकार ने यहां कहा है कि परामर्श करने की परम्परा होनी चाहिए लेकिन इस प्रयोजन के लिए संविधान को संशोधित किया जाए यह आवश्यक नहीं है। पूर्व सरकार के साथ-साथ विद्यमान सरकार और सभी न्यायविदों का संविधान के संघीय ढांचे पर विचार करने के पश्चात् यह कहना है कि परामर्श का तात्पर्य सहमति नहीं होना चाहिए और सहमति का तात्पर्य स्वीकृति नहीं होना चाहिए। अब जो किया जा रहा है वह है कि हम उनसे परामर्श कर रहे है। सहमति हो भी सकती है अथवा नहीं हो सकती है लेकिन स्वीकृति नहीं है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: नहीं कभी नहीं परम्परा के रूप में परामर्श तक नहीं किया जाता है।

श्री शिवराज वि. पाटील: नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: गुजरात के मामले में पारिकर के मामले में और इन सभी मामलों में मुख्य मंत्री के साथ परामर्श नहीं किया गया।

श्री शिवराज वि. पाटील: नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: कंसलटेशन और इन्फार्मेशन दोनों दो चीजें हैं। कंसल्ट करने के बजाए इन्फार्म कर दिया गया कि हम किसको नियुक्त कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में ऐसा ही हुआ। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: दुर्भाग्य से जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं वह मुख्य मंत्री नहीं हैं और चाहे परामर्श हो अथवा सूचना हो मैं सभा में मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में कुछ भी कहना नहीं चाहूंगा।

हम उस बात को छोड़ देते हैं। मैं जो बात कह रहा था वह यह थी कि जहां तक राज्यपाल की भूमिका का संबंध है तो राज्यपाल केंद्र सरकार की 'आंखे' और 'कान' होते हैं। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे किसी विशेष राज्य में क्या हो रहा है उसकी जानकारी राष्ट्रीय सरकार को दें। अब, वर्तमान मामला आपके सामने है और अन्य स्थानों के मामले भी आपके सामने हैं। एक ओर हम कह रहे हैं कि राज्यपाल नहीं होने चाहिए और दूसरी ओर हम कह रहे हैं कि अनुच्छेद 356 की आवश्यकता नहीं है। हमारे सामने ठीक ऐसा मामला है जिसमें राज्यपाल ने भूमिका निभाई है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वहां जो किया गया और जो अपेक्षित नहीं था उसे सुधारा भी जाए इसके लिए अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया।

इन तथ्यों के मद्देनजर हमें बहुत संतुलित दृष्टिकोण रखना पड़ेगा। किसी भी हद तक जाने से कोई लाभ नहीं होगा। यह कहना कि राज्यपालों की आवश्यकता नहीं है ठीक नहीं है। यह कहना कि अनुच्छेद 356 की आवश्यकता नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। अब इन बातों पर अनेक अवसरों पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है और मुझे प्रसन्नता है कि इस अवसर पर भी इन बातों को बहुत सही तरीके से प्रस्तुत किया गया है। मैं समझता हूं कि इस बहस में आडवाणी जी ने जब हस्तक्षेप किया और जब उन्होंने भाषण दिया तो उनका योगदान रहा कि उन्होंने इन बातों को हम सबके सामने और स्पष्ट किया।

पूर्व सरकार कानून में संशोधन के पक्ष में नहीं थी। पूर्व सरकार निश्चय ही मुख्य मंत्री के अनुमोदन के पक्ष में नहीं थी। उसने यह भी नहीं कहा कि मंजूरी होनी चाहिए। परन्तु पूर्व सरकार बहुत स्पष्ट थी कि परामर्श किया जाना चाहिए और मैं समझता हूं कि यही सही स्थिति है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। किन्तु परामर्श का अर्थ मंजूरी नहीं है, परामर्श का अर्थ अनुमोदन नहीं है क्योंकि हमारे पास पूर्ण जानकारी नहीं होती। यदि हम एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। यदि कोई गलती है अथवा किसी के हाथ या पांव में कोई बीमारी है तो आप कृपया बीमारी वाले स्थान पर दवा का प्रयोग कीजिए। यदि हाथ में कष्ट है और आप पांव में दवा लगा रहे हैं तो हाथ को कोई राहत नहीं मिलेगी। कठिनाई यही है। हम कह रहे हैं कि यह विशेष चीज हुई है। परन्तु हम किसे दोष दे रहे हैं अथवा किसे श्रेय दे रहे हैं? दोष सही जगह जाने दो और श्रेय भी सभी जगह जाने दो। श्रेय को सही जगह देने की जरूरत नहीं है परन्तु दोष गलत जगह नहीं जाना चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

इस विषय पर चर्चा करते हुए दल-बदल रोधी कानून पर भी चर्चा हुई थी। मुझे अफसोस है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने ऐसा वक्तव्य दिया है जो कि सामान्यत: दल-बदल रोधी कानून पर चर्चा करते हुए मीडिया द्वारा दिया जाता है। बहस के दौरान एक-तिहाई के प्रावधान पर चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा था, "थोक में

दल-बदल की अनुमति है, जबकि खुदरा दल-बदल की अनुमति नहीं होगी।'' बहुत बार ऐसा कहा गया है। मैं उन सदस्यों में से हूं जिन्होंने दल-बदल रोधी कानून बनाते समय चर्चा में भाग लिया था। क्या मैं माननीय सदस्यों की दल-बदल रोधी कानून के बारे में कारण को सुधारने के लिए इस सभा में कुछ कह सकता हूं। मूल विधेयक में यह एक तिहाई की व्यवस्था नहीं थी। वास्तव में प्रो. मधु लिमये तथा श्री नानी पालकीवाला ने इसका जिक्र किया था और श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव ने इसका उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि दल के नेताओं को सदस्यों को निर्देश देने की शक्तियां देकर सरकार उन्हें ताकतवर बना रही है और यह यहां वोट देने वाले राजनीतिक दलों के सदस्यों को बहुत कमजोर बना रही है, और यह सही नहीं है और यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध है।

माननीय आडवाणी जी ने ब्रिटेन में जो हो रहा है उसका भी जिक्र किया है कि सदस्य एक दल से दूसरे दल में जा रहे हैं। वहां एक बार नहीं बल्कि अनेक बार सरकारों को बनाया गया है और सरकारों को गिराया गया है। चर्चिल जैसे नेता भी एक दल से दूसरे दल में गए थे उसका अर्थ यह नहीं कि हमें भी यहां यह करना चाहिए। बल्कि हम यह यहां नहीं करना चाहते।

जब कानून बनाया गया था तो यह प्रश्न उठाया गया था। महाराष्ट्र विधान सभा के एक सदस्य, जो महाराष्ट्र विधान सभा के अध्यक्ष भी थे ने इसका जोरदार विरोध किया था और तब मैं विधान सभा में नहीं था। उन्होंने जोर दिया था कि कानून में यह प्रावधान नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि दल के नेता गलत निर्देश दे देते हैं तो क्या यह सभी सदस्यों पर बाध्य होगा। फिर यह कहा गया था कि यदि अधिकतम सदस्य समझते हैं कि दल के नेता द्वारा दिया गया निर्देश सही नहीं है तो उन्हें अपनी पसंद से वोट देने की अनुमति दी जानी चाहिए। उस समय जिस प्रश्न पर चर्चा हुई थी वह था कि वह संख्या कम होनी चाहिए। प्रारम्भिक चरण में सदस्यों की दो तिहाई संख्या का सुझाव दिया गया था। फिर यह सदस्यों के आधे तक आ गया। अंत में एक तिहाई सदस्यों पर सहमति बनी। तभी यह सुनिश्चित करने के लिए कि सदस्यों को सभा में अपनी इच्छानुसार वोट देने की आजादी हो यह एक तिहाई का प्रावधान किया गया था।

मान लीजिए कि घोषणापत्र में कहा गया है कि एक निश्चित कार्य किया जाना है और संसदीय दल का नेता कहता है कि सदस्य को किसी विशेष तरीके से वोट देना चाहिए। उस समय जिस प्रश्न पर चर्चा की गई थी वह था कि क्या सदस्य इससे बाध्य होंगे या नहीं। फिर इसमें संशोधन किया गया। यह कहा गया था कि यदि एक तिहाई सदस्य दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध जाना चाहते हैं तो इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। वह उस समय कानून का भाग बन गया था। बाद में यह देखा गया कि इस प्रावधान का भी दुरूपयोग किया जा रहा था। मैं समझता हूं कि इसीलिए पिछली सरकार ने वह प्रावधान हटा दिया था। उस समय मैंने सुझाव दिया था यद्यपि आपका वह प्रावधान हटाना बहुत अच्छा था परन्तु इस तरह का प्रावधान की हर समय और सभी मामलों में सदस्यों पर बाध्यता नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा था कि यह प्रावधान सदस्यों पर उन्हीं मामलों में बाध्य बनाया जाना चाहिए। जब सरकार के अस्तित्व और उसके सत्ता में बने रहने का सवाल हो और दूसरे मामलों में सदस्यों को अपनी इच्छानुसार वोट देने की अनुमति दी जानी चाहिए। संभवत: उस समय सदस्यों द्वारा इस विषय पर गम्भीरता से विचार नहीं किया गया था। संशोधन वहां थे। हम विपक्ष में बैठे थे। हम भी इसका विरोध नहीं करना चाहते थे और यह हो गया। हालांकि हमारे दिमाग में यह बात थी।

अब, यदि सदस्य अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे रहे हैं तो क्या हमारे पास ऐसा कानून है कि सदस्य को त्यागपत्र देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसने त्यागपत्र के लिए उकसाया यह एक प्रश्न है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: उन्हें मंत्री नहीं बनाया जा सकता। कानून यह नहीं कह सकता कि वे त्यागपत्र नहीं दे सकते। परन्तु आप त्यागपत्र देकर मंत्री नहीं बन सकते।

श्री शिवराज वि. पाटील: यह सही है। आडवाणी जी मेरा विनम्र निवेदन है कि आप पांचों निर्दलीय सदस्यों को अपना मंत्री नहीं बना सकते।

श्री अनंत कुमार: वे चुने गए थे और उन्होंने हमें समर्थन दिया था।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: जो आपने कहा है मैं यदि उसे लागू कर पाता तो मुझे खुशी होती। परन्तु वह दल-बदल रोधी कानून की अनदेखी करने का प्रश्न नहीं है। यह दल-बदल रोधी कानून की अनदेखी करना है।

श्री शिवराज वि. पाटील: आडवाणी जी, मैं निश्चय ही उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर किसी नेतृत्व को दोष नहीं दूंगा। मैं कहूंगा कि उन्होंने ऐसा किया है? यदि किसी विशेष स्थान पर कोई रोग है तो वहां दवा लगाइये। गलत स्थान पर दवा मत लगाइये। ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: दल-बदल रोधी कानून में यह देखिये कि यह बाध्यकारी नहीं हो सकता।

श्री शिवराज वि. पाटील: वहां एक विशेष स्थिति पैदा हो गई है। वे इसका मुकाबला करना चाहते थे और उन्होंने ऐसा किया भले ही गलत ढंग से अथवा ठीक ढंग से। हम कह सकते हैं कि वे गलत थे। कुछ लोग कहते हैं वे सही थे। यह हमारी धारणा का प्रश्न है। परन्तु यही स्थिति है।

[श्री शिवराज वि. पाटील]

इसीलिए, यह दल बदल रोधी कानून बनाया गया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार को एक बेहतर स्थायित्व प्रदान किया जाए। इसका अधिनियमन किया गया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि चुनाव में मतदाताओं द्वारा व्यक्त की गई राय का निर्वाचित सदस्यों, जो कि विधान सभा में बैठे हैं और कानून बना रहे हैं बजट पारित कर रहे हैं और निर्णय ले रहे हैं, द्वारा सम्मान किया जाए, इसे बनाया गया था। यही मंशा थी।

मैं आपसे सहमत हूं कि सरकार की स्थिति अति आवश्यक है। अनेकों अवसरों पर सरकारों को परेशान किया गया है। मैं 1992 से यही कह रहा हूं कि लोकतंत्र में जवाबदेही अत्यंत आवश्यक है बिना जवाबदेही के लोकतंत्र नहीं चल सकता। परन्तु यह मान लेना कि जवाबदेही, प्रक्रिया अथवा कानून के नाम पर प्रत्येक सरकार को अस्थिर किया गया है। परन्तु एक ऐसी स्थिति में जहां 13 वर्षों में 12 मुख्यमंत्री हों अथवा 12 वर्षों में 13 मुख्यमंत्री हों, तो किस प्रकार की सरकार होगी? क्या वास्तव में लोकतांत्रिक सरकार होगी? इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमें देना है पक्षपाती रूप से नहीं बल्कि सामूहिक रूप से हमें सदन में इसका उत्तर देना चाहिये कि किस प्रकार से पूर्ण रूप से स्थिरता न सही परन्तु उपयुक्त स्थिरता प्रदान करनी चाहिये? जब हम सत्ता पक्ष में होते हैं, तब हम कहते हैं कि स्थिरता होनी चाहिए। परन्तु जब हम विपक्ष में होते हैं हम कहते हैं कि जवाबदेही अधिक महत्वपूर्ण है। यदि हम जवाबदेही तथा उपयुक्त स्थिरता के मध्य संतुलन कायम नहीं कर पाये थे तो हमारा देश जो कि बहुत विशाल है एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब प्रत्येक वर्ष अथवा प्रत्येक छः माह अथवा हर दो वर्ष में चुनाव करवाने पड़ेंगे। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो यह बहुत ही कठिन स्थिति होगी। आचार तथा विचारधारा के द्वारा स्थिरता प्रदान की जा सकती है।

श्री लालू प्रसाद जी यहां बैठे हुए थे वे कह रहे थे कि लोग किसी विचारधारा के बंधन में नहीं हैं ऐसी स्थिति में वे एक दल से दूसरे दल में जा सकते हैं। वे सही हैं सौ प्रतिशत सही है। किसी भी सदस्य को अपने दल में बने रहने के लिए परम आवश्यक है कि वह उसकी विचारधारा से जुड़ा रहे साथ ही नेतृत्व, सदस्यों तथा मतदाताओं का व्यक्तित्व भी स्थिरता प्रदान कर सकता है। परन्तु यदि यह आसानी से उपलब्ध नहीं है अथवा आसानी से प्रयोग किया जा सकता है तब ऐसी स्थिति में संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान किए जाने चाहिए जिससे कि उपयुक्त स्थिरता प्रदान की जा सके। क्या दिया जा सकता है? लोगों ने इस बारे में सोचा है। जब वह अवसर आएगा इस पर चर्चा की जा सकती है। यदि यह स्वीकार्य है तो इसका संविधान में समावेश किया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो हमें वर्तमान परिस्थिति में ही रहना पड़ सकता है। परन्तु भाग्यवश ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि राज्य स्तर पर भी सरकार को स्थिरता उपलब्ध नहीं है तथा वे परेशान हैं क्योंकि वहां पर स्थिरता नहीं है। परंतु यह एक ऐसा विषय है जिसका स्पष्ट तथा पूर्ण उत्तर इस प्रकार की बहसों में नहीं दिया जा सकता। परन्तु यह एक ऐसा विषय है जिसकी चर्चा अनेक सदस्यों ने की है। मैं यह समझता हूं कि चिंतनशील सदस्य अपने विवेक का प्रयोग करेंगे तथा वे सरकार को सभा को तथा समस्त जनता को संचार माध्यमों अथवा सभा में बहस के माध्यम से सुझाव देंगे।

अंतिम मुद्दा, जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा यह है कि आडवाणी जी ने कहा है कि विधान सभा को भंग किया जाना चाहिए तथा अन्य सदस्यों ने भी कहा है कि गोवा विधान सभा को भंग किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा लिया गया निर्णय आपके समक्ष है। निर्णय क्यों लिया गया तथा निर्णय लिए जाने के पीछे क्या आधार है आप जानते हैं हम इसकी जिम्मेदारी की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसकी जिम्मेदारी किसी को देना आवश्यक नहीं है। भारत सरकार अथवा गोवा सरकार अथवा किसी अन्य पर इसकी जिम्मेदारी रखना उचित नहीं है। हमने उचित कार्यवाही का हर सम्भव प्रयास किया। जैसा कि अब हमने किया है हम भविष्य में भी उचित कार्य का हर सम्भव प्रयास करेंगे। परन्तु अनेक सदस्यों ने अपनी ओर से सुझाव रखे हैं। सुझावों के साथ-साथ लोगों की राय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। गोवा के लोग क्या सोचते हैं? हम उसको ध्यान में रखेंगे और फिर हम निर्णय लेंगे।

मुझे खेद है कि मैं अपने सहयोगियों और मंत्रीमंडल और सरकार से विचार-विमर्श किए बिना इस विषय पर हां अथवा नहीं कहने की स्थिति में नहीं हूं। हम समय आने पर उचित निर्णय लेंगे। परन्तु मैं माननीय सदस्यों को यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमने इस विषय पर हर सम्भव प्रयास किए तथा जिस पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से यह आग्रह करना चाहूंगा कि वे राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करे तथा लोगों को, गोवा सरकार को तथा हम सभी को इस उलझन से बाहर निकालें।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा गोवा राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 4 मार्च 2005 को राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा कल 19 मार्च, 2005 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 5.50 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शनिवार, 19 मार्च, 2005/28 फाल्गुन, 1926 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री हन्नान मोल्लाह	221
2.	श्री राम सिंह कस्वां	222
3.	श्री रामजीलाल सुमन श्री बसुदेव आचार्य	223
4.	श्री गुरूदास दासगुप्त श्री सी.के. चन्द्रप्पन	224
5.	श्री डी. विट्टल राव श्री मोहन सिंह	225
6.	श्रीमती जयाप्रदा डा. चिन्ता मोहन	226
7.	श्री एस.के. खारवेनथन	227
8.	प्रो. महादेवराव शिवनकर श्री मुन्शी राम	228
9.	श्री श्रीपाद येसो नाईक	229
10.	श्री जी. करूणाकर रेड्डी श्री रनेन बर्मन	230
11.	श्री जोवाकिम बखला श्री हितेन बर्मन	231
12.	श्री महावीर भगोरा	232
13.	श्री अर्जुन सेठी श्री उदय सिंह	233
14.	श्री विजय कृष्ण डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	234
15.	श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक	235
16.	श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	236
17.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	237
18.	श्री अधीर चौधरी श्री निखिल कुमार	238
19.	श्री प्रभुनाथ सिंह	239
20.	श्री तथागत सत्पथी श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	240

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरून रशीद, श्री जे.एम.	2452, 2515
2.	अबदुल्लाकुट्टी, श्री	2462, 2522
3.	आचार्य, श्री बसुदेव	2505, 2546, 2587
4.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	2482, 2537, 2586
5.	अहमद, श्री अतीक	2388, 2485
6.	अहीर, श्री हंसराज जी.	2390, 2432, 2478, 2507
7.	अप्पादुरई, श्री एम.	2446, 2455
8.	अर्गल, श्री अशोक	2451
9.	आठवले, श्री रामदास	2408, 2523, 2555
10.	'बचदा', श्री बची सिंह रावत	2402
11.	बंसल, श्री पवन कुमार	2386
12.	बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई	2581
13.	बर्मन, श्री हितेन	2480
14.	बिसेन, श्री गौरीशंकर चतुर्भुज	2451
15.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	2514
16.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	2377, 2475
17.	बरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	2385, 2548
18.	चक्रवर्ती, श्री अजय	2412
19.	चालिहा, श्री किरिप	2420
20.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	2506
21.	चटर्जी, श्री सांताश्री	2464
22.	चौरे, श्री बापू हरी	2381, 2477, 2511, 2535
23.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	2444
24.	चिन्ता मोहन, डा.	2440, 2486, 2492

1	2	3
25.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	2548
26.	चौधरी, श्री निखिल कुमार	2404
27.	चौधरी, श्री अधीर	2493
28.	चौधरी, श्री विकास	2436
29.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	2460
30.	डोम, डा. रामचन्द्र	2448
31.	फर्नान्डीज, श्री जार्ज	2405
32.	गढ़वी, श्री पी.एस.	2415, 2421
33.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	2394, 2450, 2529, 2545
34.	गमांग, श्री गिरिधर	2580
35.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	2424, 2455, 2496
36.	गुप्त, श्री श्यामा चरण	2458
37.	हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	2430
38.	हसन, श्री मुनव्वर	2423, 2534
39.	जगन्नाथ, डा. एम.	2446
40.	जय प्रकाश, श्री (मोहनलाल गंज)	2382, 2455
41.	जयाप्रदा, श्रीमती	2486, 2492, 2563
42.	झा, श्री रघुनाथ	2473, 2516, 2561
43.	जोगी, श्री अजीत	2472, 2532
44.	जोशी, श्री प्रहलाद	2427, 2501
45.	कलमाडी, श्री सुरेश	2384, 2396, 2514, 2552
46.	कामत, श्री गुरूदास	2471, 2561
47.	करूणाकरन, श्री पी.	2459
48.	खैरे, श्री चंद्रकांत	2474, 2583
49.	खां, श्री सुनील	2411
50.	खंडूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र	2398
51.	खारवेनथन, श्री एस.के.	2493, 2540
52.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	2548
53.	कृष्ण, श्री विजय	2504, 2545, 2570, 2589
54.	कुशवाहा. श्री नरेन्द्र कुमार	2470
55.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	2440, 2487, 2573
56.	माड, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	2397
57.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	2538
58.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	2416, 2445, 2527
59.	महाजन, श्री वाई.जी.	2376, 2392, 2420, 2444, 2488
60.	महतो, श्री बीर सिंह	2457, 2521
61.	महतो, श्री सुनिल कुमार	2379, 2526
62.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	2420
63.	महताब, श्री भर्तृहरि	2433, 2507
64.	मंडल, श्री सनत कुमार	2410, 2498
65.	मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा	2509
66.	माने, श्रीमती निवेदिता	2497, 2504, 2529, 2545
67.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	2465, 2533
68.	मैन्या, डा. टोकचोम	2443, 2584
69.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	2415
70.	मो. ताहिर, श्री	2541
71.	मोहिते, श्री सुबोध	2449, 2456
72.	मुर्मू, श्री हेमलाल	2403, 2415
73.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	2437
74.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	2497, 2542
75.	नम्बाडन, श्री लोनाप्पन	2442
76.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	2387

1	2	3
77.	निषाद, श्री महेन्द्र प्रसाद	2420
78.	निखिल कुमार, श्री	2524, 2561
79.	ओराम, श्रीजुएल	2413, 2489
80.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	2380, 2476, 2548
81.	पाल, श्री राजाराम	2420
82.	पलनिसामी, श्री के.सी.	2395, 2481
83.	पाण्डा, श्री प्रबोध	2466
84.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	2407, 2513, 2551
85.	पासवान, श्री सुकदेव	2419
86.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	2399, 2531, 2560
87.	पाठक, श्री ब्रजेश	2438, 2510, 2549, 2567, 2577
88.	पाटील, श्री अन्नासाहेब एम.के.	2376, 2392
89.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	2439, 2511, 2585
90.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	2479, 2536, 2562, 2578
91.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	2406, 2518
92.	प्रसाद, कुंवर जितिन	2425
93.	राजगोपाल, श्री एल.	2582
94.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	2456, 2463, 2537
95.	राणा, श्री काशीराम	2379, 2453, 2520, 2554
96.	राव, श्री के.एस.	2401, 2402, 2483
97.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	2414, 2417, 2557, 2569, 2579
98.	राव, श्री डी. विट्टल	2490, 2539, 2564, 2574
99.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	2562
100.	रावत, श्री अशोक कुमार	2426, 2499, 2543
101.	रावत, श्री धनसिंह	2468
102.	रावत, श्री कमला प्रसाद	2526
103.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	2500, 2544, 2566, 2576
104.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	2406, 2415, 2518, 2521
105.	रिजीजू, श्री खीरेन	2441
106.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	2414, 2417, 2512, 2550, 2588
107.	सरोज, श्री तूफानी	2461
108.	सत्पथी, श्री तथागत	2572
109.	सेठ, श्री लक्ष्मण	2378, 2517, 2550
110.	सेठी, श्री अर्जुन	2431
111.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	2404
112.	शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम	2383, 2484
113.	शर्मा, श्री मदन लाल	2428
114.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	2447, 2553, 2568, 2575, 2590
115.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	2495, 2541, 2565
116.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	2467, 2525, 2556
117.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	2456
118.	सिंह, श्री चन्द्रभान	2451, 2519
119.	सिंह, श्री दुष्यंत	2409, 2530, 2559
120.	सिंह, श्री गणेश	2445, 2515
121.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	2450, 2497, 2509, 2511, 2589
122.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	2422
123.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	2494, 2558, 2571

1	2	3
124.	सिंह, श्रीमती प्रतिभा	2497
125.	सिंह, श्री सुग्रीव	2450
126.	सिंह, श्री उदय	2455
127.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	2503
128.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	2469
129.	सुमन, श्री रामजीलाल	2487, 2563, 2573
130.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	2418
131.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	2393, 2435
132.	थामस, श्री पी.सी.	2400, 2508, 2547
133.	दुम्मर, श्री वी.के.	2379, 2434, 2457, 2528
134.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	2391, 2551
135.	त्रिपाठी, श्री ब्रज किशोर	2456, 2575, 2586
136.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	2488
137.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	2415, 2434
138.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	2393
139.	वर्मा, श्री राजेश	2422, 2491
140.	विनोद कुमार, श्री बी.	2454
141.	यादव, श्री बालेश्वर	2389
142.	यादव, श्री राम कृपाल	2419
143.	यादव, श्री सीता राम	2548
144.	यास्खी, श्री मधु गौड	2401, 2402
145.	येरननायडु, किन्जरपु	2429, 2502

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कोयला	:	
कंपनी कार्य	:	223
वित्त	:	224, 225, 226, 229, 233, 234, 238, 240
विधि और न्याय	:	239
खान	:	222
अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	:	221
विद्युत	:	228, 235, 237
ग्रामीण विकास	:	231, 232
वस्त्र	:	227, 230, 236

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कोयला	:	2382, 2403, 2436, 2452, 2454, 2456, 2465, 2474, 2495, 2515, 2558, 2571
कंपनी कार्य	:	2399
वित्त	:	2376, 2378, 2381, 2384, 2385, 2387, 2391, 2395, 2396, 2397, 2398, 2400, 2401, 2404, 2405, 2406, 2410, 2414, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2426, 2427, 2430, 2432, 2434, 2435, 2437, 2438, 2443, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2457, 2459, 2460, 2461, 2462, 2466, 2468, 2471, 2472, 2473, 2477, 2478, 2479, 2481, 2483, 2486, 2487, 2489, 2492, 2494, 2497, 2499, 2500, 2501, 2503, 2509, 2511, 2512, 2513, 2514, 2516, 2517, 2518, 2521, 2522, 2523, 2524, 2526, 2528, 2529, 2530, 2532, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2542, 2544, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2557, 2560, 2561, 2562, 2563, 2565, 2567, 2569, 2570, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2578, 2582, 2583, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590
विधि और न्याय	:	2402, 2416, 2424, 2455, 2485, 2490, 2493, 2508, 2540, 2547, 2581, 2584
खान	:	2411, 2469, 2502, 2507, 2533, 2546, 2580
अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	:	2390, 2392, 2423, 2429, 2463, 2491, 2543, 2548
विद्युत	:	2383, 2386, 2394, 2426, 2428, 2433, 2439, 2440, 2445, 2467, 2476, 2480, 2496, 2504, 2505, 2506, 2510, 2527, 2541, 2545, 2559, 2579
ग्रामीण विकास	:	2377, 2380, 2388, 2408, 2409, 2412, 2413, 2441, 2442, 2451, 2458, 2484, 2488, 2531, 2555, 2556, 2577
वस्त्र	:	2379, 2389, 2393, 2407, 2415, 2431, 2444, 2463, 2464, 2470, 2475, 2482, 2498, 2519, 2520, 2525, 2554, 2564, 2566, 2568.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/8/15/2005 (एन०)
232

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स श्री इन्टरप्राइजेज, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।